https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

समाजशास्त्र: विषय प्रवेश, एक परिचय
SOCIOLOGY: AN INTRODUCTION

Notepad

समाज की समस्याओं का अध्ययन वैसे तो प्राचीन काल से ही होता रहा है, लेकिन समाज के क्रमबद्ध अध्ययन के लिए 'समाजशास्त्र' विषय के उदय को विशेष समय नहीं हुआ है। इसलिए इसे एक नवीन-सामाजिक विज्ञान माना जाता है।

'समाजशास्त्र' शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम **अगस्ट कौंत** (Auguste Comte) ने 1838 में किया तब इसे उन्होने 'SOCIOLOGIE' कहा था इसीलिए अगस्ट कौंत को **'समाजशास्त्र का पिता'** (Father of Sociology) कहा जाता है। उन्होने इस विषय की कल्पना 'फ्रांस की औद्योगिक क्रान्ति' से उत्पन्न सामाजिक समस्याओं के अध्ययन के लिए की थी। कौंत ने प्रारंभ में इस विषय को 'SOCIAL PHYSICS' कहा था।

जान स्टुअर्ट मिल ने 'सोसियोलाजी' शब्द के स्थान पर **'इथोलॉजी'** (ETHOLOGY) शब्द के प्रयोग की बात कही तथा इस विषय को **'दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान'** की संज्ञा दी थी। लेकिन उनका यह सुझाव अमान्य कर दिया गया।

समाजशास्त्र विषय की परिभाषा प्रारंभ से ही एक विवादित विषय रही है, **इंकल्स** (INKLES) ने अपनी पुस्तक 'what is sociology' में परिभाषा निर्धारित करने के तीन पथ बतलाएं हैं:

1. **ऐतिहासिक मार्ग** (Historical path)
2. **आनुभाविक मार्ग** (Empirical path)
3. **विश्लेषणात्मक मार्ग** (Analytical path)

1. **ऐतिहासिक मार्ग** (Historical path): इसके अंतर्गत हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि प्रारंभिक लेखकों की रचनाओं का केन्द्र बिन्दु क्या रहा है या हम यह जानना चाहते हैं कि इन लेखकों ने किन बातों को प्रतिपादित करना चाहा है। इसके अंतर्गत कौंत, स्पेन्सर, डर्कहाइम, मैक्स वेवर आदि को रखा जा सकता है।
 कौंत ने समाजशास्त्र को दो भागों में बांटा:
 1. **सामाजिक स्थैतिकी** (Social Statics)
 2. **सामाजिक गतिशीलता** (Social Dynamics)

 सामाजिक स्थैतिकी (स्थिरता) के अंतर्गत कौंत ने उन वृहद-संस्थाओ और संस्थात्मक जटिलता को रखा जो सामाजिक विश्लेषण को वृहद रूप से स्पष्ट कर सकें। जैसे-परिवार, आर्थिक व्यवस्था, राजनैतिक व्यवस्था आदि।

 सामाजिक गतिशीलता के अंतर्गत उन्होने विकास और परिवर्तन पर बल दिया।

 स्पेन्सर ने अपनी पुस्तक "Principal of Sociology" में समाजशास्त्र के अध्ययन में निम्न पर बल दिया: परिवार, राजनीति, धर्म, सामाजिक नियंत्रण, उद्योग आदि।

 दुर्खीम (डर्कहाइम) ने व्यक्ति की तुलना में समाज को अधिक महत्वपूर्ण माना और बताया कि **'व्यक्ति का समाज से अलग महत्व नहीं है।'** इन्होने समाजशास्त्र में धर्म, कानून, नैतिकता, विवाह, परिवार, अपराध आदि को रखा। डर्कहाइम ने समाजशास्त्र को **'सामाजिक संस्थाओं का विज्ञान'** माना है।

 वेवर ने माना कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का विश्लेषणात्मक अध्ययन करता है।

2. **आनुभाविक मार्ग** (Empirical path): इस मार्ग के अंतर्गत हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि आधुनिक समाजशास्त्री वर्तमान में किस प्रकार की सामाजिक समस्याओं का अध्ययन कर रहे हैं और उसका प्रस्तुतीकरण कैसा है। तात्पर्य

NET, JRF Manish Singh Sir IG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

अध्ययन से संबंधित विषय, पद्धति और प्रस्तुतीकरण के तरीके से है। विभिन्न पुस्तकों की विषय सूची, पत्रिकाओं के लेखों आदि से वर्तमान में समाजशास्त्रीय अभिमुखता की जानकारी मिलती है। समाजशास्त्रियों ने विषय के चुनाव, अध्ययन पद्धति, प्रस्तुतीकरण में विविधता के माध्यम से अनेक नये क्षेत्रों को जन्म दिया है। जैसे: नगरीय समाजशास्त्र, ग्रामीण समाजशास्त्र, सामाजिक-मनोविज्ञान, समाजशास्त्र का समाजशास्त्र आदि।

3. **विश्लेषणात्मक मार्ग** (Analytical path): इसमें हमे अपनी विश्लेषण क्षमता के आधार पर यह जानना होता है कि विभिन्न विषयों में से कौन से समाजशास्त्र के अंतर्गत रखे जा सकते हैं और कौन से नहीं। बहुत से लोग सामाजिक कार्य, समाज सुधार आदि को भी समाजशास्त्र का अंग मान लेते हैं गांधी, विवेकानन्द आदि समाजसुधारक थे समाजशास्त्री नहीं। समाजशास्त्र की विषय वस्तु में उन्ही विषयों को शामिल किया जा सकता है, जिनसे कि विभिन्न विषयों की विषय वस्तु का स्पष्ट निरूपण होता हो।

वास्तव में विभिन्न विषयों में सिर्फ दृष्टिकोण का अन्तर होता है-जब हम समाजशास्त्र में किसी कुर्सी की बात करते हैं तो कुर्सी का तात्पर्य उस पद, उससे प्राप्त अधिकार, उससे सम्बंधित भूमिकाओं आदि से लगाते हैं। एक भौतिक शास्त्री उसी कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति द्वारा कुर्सी पर डाले गए दाब, कुर्सी की संरचना, कुर्सी द्वारा व्यक्ति पर लगाए गये प्रतिक्रिया बल आदि का अध्ययन करेगा वहीं एक वनस्पति शास्त्री कुर्सी की लकड़ी की अनुप्रस्थ काट से उसकी आयु (लकड़ी की), उसकी कोशिकाओ आदि का अध्ययन करेगा वहीं एक अर्थशास्त्री कुर्सी बानने में आने वाली लागत, उसे बेचने पर हुआ लाभ वर्तमान में कुर्सी की कीमत आदि पर बल देगा।

समाजशास्त्र की परिभाषाएँ

1. **समाजशास्त्र विज्ञान के रूप में:** इसके अंतर्गत एल.एफ. वार्ड, ओडम गिडिंस आदि को रखा जा सकता है।

 वार्ड: (Sociology is the science of society or of social phenomena) 'समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है।'

 ओडम: 'समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है।'

 गिडेन्स: 'समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है।'

2. **समाजशास्त्र सामाजिक संबंधो, व्यवहारो, क्रियाओं के रूप में:** मैकाइवर पेज, मैक्स वेवर किम्वाल यंग, गिन्सवर्ग (Gins berge)

 मैकाइवर (मकीवर) तथा पेज: 'समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है और समाजशास्त्र उन्हीं अमूर्त सामाजिक संबंधो का अध्ययन है।'

 "मात्र सामाजिक संबंध ही समाज शास्त्र की विषय वस्तु है।"

 मैक्स वेबर: 'समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का विश्लेषणात्मक अध्ययन करता है।'

 किम्बाल यंग: 'समाजशास्त्र समूहो में मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन है।'

 गिन्सवर्ग: 'समाजशास्त्र मानवीय अंत: क्रियाओं एवं अंत:सम्बंधों उनकी दशाओ एवं परिणामों का अध्ययन है।' (Sociology is the study of human interactions and interrelations, their conditions and consequences)

 पार्क तथा वर्जिस: 'समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है।' (Sociology is the science of collective behaviour)

3. **समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान के रूप में:** सोरोकिन, किग्सले डेविस

 किंग्सले डेविस: 'समाजशास्त्र समाज का एक सामान्य विज्ञान है।'

 सोरोकिन: 'समाजशास्त्र सामाजिक-सांस्कृतिक घटनाओ के सामान्य स्वरूपों,

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir PG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

प्ररूपों एवं अनेक प्रकार के अंत: संबंधो का सामान्य विज्ञान है।'

4. **समाजशास्त्र संस्थाओ, समूहों के अध्ययन के रूप में:** डर्कहाइम, जानसन

डर्कहाइम: 'समाजशास्त्र संस्थाओ का विज्ञान है।' (Sociology is the science of histitutions)

जानसन: 'समाजशास्त्र समूहों का विज्ञान है।'

"समाजशास्त्र एक विज्ञान है जो सामाजिक समूहो का अध्ययन करता हैं विशेषकर उनकी (समूहों की) आंतरिक आकृति या व्यवस्था की विधियों, प्रक्रियाओं जो व्यवस्था के इन रूपों को बनाए रखती है या उनमे परिवर्तन लाने का प्रयास करती हैं तथा समूहो के बीच संबंधो का।"

आधारभूत रूप से यदि विचार किया जाए तो समाज में रहते हुए हम विभिन्न समूहो के सदस्य होते हैं तथा इन्ही के सदस्य के रूप में ही हम अन्य व्यक्तियो, समूहो से संबंध स्थापित करते है। यदि समूह स्थिर हैं तो संबंध भी स्थिर होंगे।

अन्य परिभाषाएं

गिडेन्स: 'समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या है।'

टॉनीज: समाजशास्त्र **'तार्किक-प्रयोगात्मक'** विज्ञान है।

समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र (Scope of Sociology): विषय क्षेत्र का तात्पर्य उन सम्भावित सीमा रेखाओं से है जिसके अंतर्गत उस विषय का अध्ययन किया जाता है। यहां सीमा रेखाओं का अर्थ विषय सम्बंधी दृष्टिकोण से है जैसे वस्तु एक ही है कुर्सी लेकिन विभिन्न विषयो द्वारा उसे देखने का तरीका अलग-अलग है, सीमा रेखाओं द्वारा यह निर्धारित करने का प्रयास किया जाता है कि वह विषय उस तथ्य का कहाँ तक विलेषण करेगा और कहाँ के बाद नहीं करेगा। चूकिं समय के साथ अध्ययन की विषय वस्तु में परिवर्तन होता रहता है इसलिए सामान्यत: ये सीमाएं भी समाजशास्त्र में बदलती रहती हैं। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र संबंधी दृष्टिकोणो को मुख्यत: दो भागों में बाँटा जा सकता है:

1. रुपात्मक अथवा विशिष्टात्मक या जर्मन सम्प्रदाय (Formal or Specialistic or Particularistic School)।
2. समन्वयात्मक, या सांश्लेषिक या फ्रांसीसी सम्प्रदाय (Synthetic School)।

1. Formal School **(रुपात्मक या जर्मन सम्प्रदाय): प्रवर्तक:** टानीज (F. Toennies) व जार्ज जिमेल (G. Simmel) अन्य समर्थक: वीर कांत, वीज (Von Wiese), मैक्स वेवर, रॉस, प्रिचार्ड, बूगल (C. Bougle), पार्क, वर्जिस।

इस मत के प्रवर्तकों का मानना है कि **समाजशास्त्र एक स्वतन्त्र तथा विशेष विज्ञान है**। समाज शास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक सम्बंधो की अंतर्वस्तु (contents) नही है बल्कि सम्बंधो का स्वरूप है। व्यक्ति और उसके समस्त सम्बंधो को समाज से अलग करके नहीं देखा जा सकता अत: सामाजिक सम्बंधो को समझने के लिए यह सम्प्रदाय सामाजिक क्रिया, अंत:क्रिया, मूल्यो आदि के अध्ययन पर विशेष बल देता है। तात्पर्य यह है कि यह सम्प्रदाय अन्य विज्ञानों की तरह समाजशास्त्र की विशिष्ट समस्याओं और उनके विशिष्ट व स्वतन्त्र अध्ययन पर बल देता है।

2. Synthetic School **(समन्वयात्मक या फ्रांसीसी संप्रदाय): प्रवर्तक:** डर्कहाइम, हाबहाउस, गिन्जवर्ग वार्ड, ग्रीन, गिडिन्स, मोटवानी, हेज आदि।

सिन्थेटिक विचारधारा के प्रर्वतक समाज शास्त्र को **विशिष्ट विज्ञान बनाने की बजाय एक सामान्य विज्ञान** बनाने के पक्ष में है। इनके अनुसार समाज शास्त्र को संपूर्ण समाज का सामान्य अध्ययन करना चाहिए इस मत के समर्थको ने दो तर्क दिये हैं:

1. सभी सामाजिक विज्ञान समाज के किसी विशिष्ट पक्ष का अध्ययन करते हैं ऐसा कोई भी विज्ञान नहीं है जो समाज के सभी पक्षों का समग्रता के

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

साथ एक सामान्य अध्ययन करता हो।

2. जिस प्रकार किसी जीवधारी के समस्त अंग मिलकर एक शरीर की रचना करते हैं और किसी अंग का पृथक अस्तित्व संभव नहीं है उसी प्रकार समाज के समस्त अंग समाज से अभिन्न रूप से जुड़े हैं तथा एक में होने वाला किसी भी प्रकार का परिवर्तन दूसरे अंगो के लिए भी परिवर्तनकारी सिद्ध होगा। इसलिए समस्त अंगो (इकाइयों) के संबंध को एक विचारधारा के अंतर्गत सामान्य रूप से समझना अति आवश्यक है।

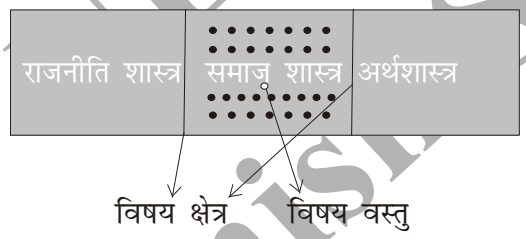
Notepad

सोरोकिन ने कहा कि यदि समस्त सामाजिक विज्ञान N है तो समाजशास्त्र N+1 विज्ञान है, 'बियरस्टेट' ने इसे और भी स्पष्ट करते हुये कहा कि विभिन्न सामाजिक विज्ञान सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं जबकि समाजशास्त्र इन समस्त विज्ञानो में जो सामान्य रूप से मौजूद तथ्य हैं उनका अध्ययन करता है।

राजनीति शास्त्र	a, b, c, d, e, f
अर्थशास्त्र	a, b, c, g, h, i
धार्मिक संबंध	a, b, c, j, k, l
कानून	a, b, c, m, n, o
मनोरंजनात्मक संबंध	a, b, c, p, q, r

इन सभी में a, b, c सामान्य तथ्य है जिनका अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है।

समाजशास्त्र की विषय वस्तु (Subject matter of Sociology): विषय वस्तु का तात्पर्य उन निश्चित तथ्यों से है जिनका अध्ययन एक निश्चित विषय (शास्त्र) के अंतर्गत किया जाता है।



डर्कहाइम ने विषय वस्तु को तीन भागों में बांटा

1. **सामाजिक अकारिकी या स्वरूप शास्त्र** (Social Marphology)
2. **सामाजिक रचना या शरीर शास्त्र** (Social Physiology)
3. **सामान्य समाजशास्त्र** (General Sociology): इसे डर्कहाइम ने समाजशास्त्र का 'दार्शनिक अंग' कहा।

कार्ल मैनहीम

1. व्यवस्थित समाजशास्त्र
2. सामान्य समाजशास्त्र
3. ऐतिहासिक समाजशास्त्र
 (a) तुलनात्मक समाजशास्त्र
 (b) सामाजिक गत्यात्मकता।

सोरोकिन

1. धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक घटनाएं और उनके बीच पाए जाने वाले सह संबंध।
2. भौगोलिक घटनाएं और सामाजिक जीवन पर उनका प्रभाव।
3. समाज में घटित होने वाली प्रत्येक घटना की सामान्य विशेषता।

Manish Singh Sir
UGC NET JRF
LC Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

गिन्जवर्ग

1. सामाजिक अकारिकी
2. सामाजिक नियंत्रण
3. सामाजिक परिवर्तन एवं निरंतरता।

रयूटर तथा हार्ट

1. सामाजिक विरासत
2. व्यक्तित्व एवं उसका विकास
3. सामाजिक प्रक्रियाएं

किंग्सले डेविस

1. सामाजिक संरचना
2. सामाजिक कार्य
3. सामाजिक अंत:क्रिया
4. व्यक्ति और समाज
5. सामाजिक परिवर्तन

मकीवर व पेज तथा वीज (वानवीज) ने 'सामाजिक संबंधो' को समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना।

जिमेल (Simmel) ने सामाजिक प्रक्रियाओं को तथा मैक्स वेबर ने सामाजिक सम्बंध व प्रक्रियाओं दोनो को समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना है।

समाजशास्त्र का विकास: 'समाजशास्त्र का एक लंबा अतीत रहा है लेकिन इतिहास काफी छोटा है।' - **बीयरस्टीड**

प्रथम चरण:

प्लेटो (427-347 B.C.): The Republic
अरस्तू (384-322 B.C): इथिक्स एण्ड पालिटिक्स
सेन्ट अगस्टाइन (354-430 A.D)

मनुस्मृति में भारतीय सामाजिक व्यवस्था का प्रारंभिक अध्ययन मिलता है।

द्वितीय चरण (6वीं-14वीं शताब्दी तक):

थामस एक्यूनस (1227-1274)
दांते (1265-1321)
सामाजिक चिंतन में वैज्ञानिकता का प्रभाव स्पष्ट दिखायी पड़ने लगा।

तृतीय चरण

- **हाब्स, लॉक, रूसो** द्वारा **'सामाजिक समझौते के सिद्धांत'** (Social Contract theory) का प्रतिपादन किया गया।
 थामस मूर ने अपनी पुस्तक 'Utopia' में अनेक सामाजिक समस्याओं को उठाया।
- **मांटेस्क्यू** ने अपनी पुस्तक **'द स्पिरिट ऑफ लॉज'** में मानव समाज पर भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव को स्पष्ट किया।
- **एडम स्मिथ, हेरिंग्टन ने अर्थव्यवस्था से संबंधित सिद्धांत दिये।**
- कन्डोर सेट ने **'सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत'** का प्रतिपादन किया।

चतुर्थ चरण

- अगस्ट कौंत (1798-1857) ने नये विषय का विचार दिया तथा इसे 'Social Physics' कहा बाद में नाम बदलकर (1838 में) 'Sociologie' (Sociology) कहा।

सर्वप्रथम 1876 में अमेरिका (USA) के **'येल विश्वविद्यालय'** में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

- 1914 'मुम्बई विश्वविद्यालय' में एक ऐच्छिक विषय के रूप में अध्ययन प्रारंभ।
- 1919 में यहाँ नागरिक शास्त्र+समाजशास्त्र विभाग की स्थापना, **'पैट्रिक गिड्स' इसके पहले अध्यक्ष बने।**
- 1924 में गिड्स की जगह जी.एस. धूरिये अध्यक्ष बने।
- आगे चलकर इसमें धूर्ये, कपाड़िया आदि जुड़े।
- **1917 में वी.एन. शील** (विश्वनाथ शील) के प्रयासों से कलकत्ता विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र+समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हो सकी।

 राधा कमल मुखर्जी, विनय कुमार सरकार इसी से संबंधित थे।
- 1920 में वी.एन. शील के ही प्रयासो से 'लखनऊ विश्वविद्यालय' में समाजशास्त्र+अर्थशास्त्र विभाग की स्थापना।
- **राधा कमल मुखर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष बने।**
- 1923 में मैसूर विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ।
- 1938 में पूना (पूणे) विश्वविद्यालय में मानवशास्त्र+समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुयी।

 इटावती कर्वे इसकी प्रथम अध्यक्ष बनी।
- 1952 में जी.एस. धूरिये के सौजन्य से "Indian Sociology Society" की स्थापना हुयी जिसके माध्यम से Sociological Bulletin नामक शोध पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ।

डी.एफ. पोकाक और लुई ड्यूमा ने 'Contribution to Sociology' नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया।

1920 में पहली बार में समाजशास्त्र की शोध पत्रिका 'Indian Journal of Sociology' का प्रकाशन आरंभ हुआ था।

समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में उद्‌भव फ्रांसीसी और औद्योगिक क्रान्ति की देन माना जाता है। इन क्रान्तियो ने पहले से स्थापित सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन किये, औद्योगिक क्रान्ति (ब्रिटेन) के फलस्वरूप नये उद्योगों, आधुनिक मुद्रा, पुंज उत्पादन, उत्पादन के साधनों के उपयोग की शर्तो आदि में तीव्र विकास हुआ जिसके कारण परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों, धर्म आदि में व्यापक परिवर्तन हुये, नगरो का विकास, एकल परिवारों का विकास, वैयक्तिक स्वतंत्रता समानता की अवधारणा आदि तत्वो का विकास हुआ। बुद्धिवाद एक तर्क की भूमिका समाज में बढ़ने लगी अन्य बहुत सी समस्याओ का जन्म हुआ, इन्ही सब के अध्ययन के लिए एक नये विषय की आवश्यकता बलवती होती गयी।

वॉटामोर का मानना है कि समाजशास्त्र का विकास दो विरोधी विचार धाराओं की अपासी अंत:क्रिया के फलस्वरूप हुआ।

1. **प्रगति की विचारधारा** (Ideology of Progress)
2. **व्यवस्था की विचारधारा** (Ideology of Order)

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir LG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

प्रगति की विचारधारा

(18 वीं सदी)

चूंकि समाज भी प्रकृति का अंग है इसलिए प्राकृतिक नियम समाज पर भी लागू होते हैं। समाज विज्ञानियों का मुख्य उद्देश्य उन्हीं नियमो की खोज करना है जिन पर समाज संचालित होता है। परम्परागत नियमों, मूल्यों, विचारों पर बल देते है।

व्यवस्था की विचारधारा

(19 वीं सदी)

इस विचारधारा के मानने वाले एक पूर्ण व्यवस्थित, समानता, स्वतंत्रता आधारित समाज की बात करते हैं। ये समाज की घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन पर बल देते है। नये मूल्यों, नियमों, विचारो की स्थापना एवं विकास के अध्ययन पर बल देते है।

अंतः क्रिया

↓

सामाजिक भौतिकी - कौंत

↓

Sociologie

↓

Sociology

भारत में समाजशास्त्र के विकास के एम.एस.ए. राव (M.S.A. Rao) ने तीन चरण बताए हैं:

1. **अन्वेषणात्मक स्तर** (Exproratory Phase):
 विभिन्न पाश्चात्य विचारकों की कृतियों में भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की गयी।
 मार्क्स, हेनरी मेन, मैक्स वेवर, चार्ल्स मेटकाफ, वैडेन पावेल, नेसफील्ड, रिजले आदि प्रमुख पाश्यात्य भारतीय समाज विचारक है।
2. **विश्वविद्यालय स्तर** (Development as an Academic Discipline):
 विभिन्न विश्वविद्यालयो में समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में अध्ययन प्रारंभ तथा विभिन्न पत्रिकाओं शोध पत्रों का प्रकाशन हुआ।
3. प्रसार की अवस्था (Diversification Phase)

एम.एन. श्रीनिवास

प्रथम चरण: 1773-1900
द्वितीय चरण: 1900-1950
तृतीय चरण: 1950-

समाजशास्त्र विज्ञान के रूप में (Sociology as a Science): **जी. लुण्डबर्ग** (G. Lundberg) के अनुसार वैज्ञानिक अध्ययन और समाजशास्त्रीय अध्ययन में निम्न प्रमुख सामान्य विशेषताएं पायी जाती है:

1. समस्या का चुनाव
2. उपकल्पना का निर्माण

Notepad

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

3. वर्गीकरण एवं निरुपण
4. अवलोकन
5. विश्लेषण एवं व्याख्या
6. सामान्यीकरण
7. जांच या परीक्षण
8. भविष्यवाणी

लुडबर्ग ने बताया कि सबसे पहले एक समस्या का चुनाव किया जाता है, फिर उससे संबंधित एक उपकल्पना बनायी जाती है अब इसका वर्गीकरण तथा निरुपण किया जाता है तथा इसका अवलोकन कर विश्लेषण व व्याख्या की जाती है, इस व्याख्या से प्राप्त निष्कर्ष का सामान्यीकरण करके उसकी जांच की जाती है कि प्राप्त निष्कर्ष कहाँ तक सामान्यीकरण की प्रवृत्ति दर्शा रहा है, अब इसी के आधार पर भविष्यवाणी कर दी जाती है।

समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है न कि प्राकृतिक-**बीयरस्टीड**

समाजशास्त्र एक निरपेक्ष विषय (Categorical Discipline) है न कि मानकीय (Normative) विषय। समाजशास्त्रीय विश्लेषण मे नैतिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, समाजशास्त्री का कार्य केवल सही ज्ञान हासिल करना है न कि उस ज्ञान से कितना सामाजिक कल्याण हो सकता है कि जानकारी देना। तात्पर्य यह है कि समाजशास्त्र मे केवल **'क्या है'** का अध्ययन किया जाता है न कि **'क्या होना चाहिए।'**

समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धतियां (Method of Study)

पद्धति (Method)**:** 'पद्धति अध्ययन का वह माध्यम है जिसके आधार पर आंकड़े एकत्रित किये जाते हैं।'

दृष्टिकोण: दृष्टिकोण किसी भी समस्या के अध्ययन का स्वरूप, विधि या तरीका है जिसके आधार पर उस समस्या का विश्लेषण किया जाता है। किसी भी समस्या का अध्ययन हम कई दृष्टिकोण से कर सकते हैं, जैसे-परिवार का अध्ययन उद्विकासीय, संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक, संघर्षात्मक कई दृष्टिकोणो (Approches) से किया जा सकता है।

लेकिन पद्धति और दृष्टिकोण बहुत हद तक परस्पर व्यापी है इसलिए सामान्य स्तर पर दोनो को एक ही मान लिया जाता है।

समाजशास्त्र के अध्ययन मे हम जिन पद्धतियों, दृष्टिकोणों का अध्ययन करते हैं, उन्हे सामान्यत: दो भागों में बांटा जा सकता है:

1. गुणात्मक पद्धतियां (Qualitative Methods)
2. परिमाणात्मक पद्धतियां (Quantitative Methods)

1. गुणात्मक पद्धतियां (Qualitative Methods)

(i) **आगमन एवं निगमनात्क पद्धति** (Inductive and Deductive Methods)**:** आगमन पद्धति में किसी विशिष्ट स्थान की विशिष्ट समस्या मे कार्य-कारण सम्बध स्थापित करके उसका सामान्यीकरण किया जाता है। जैसे किसी स्थान पर बेरोजगारी की अधिकता पायी जाती है तो वहां अपराध भी अधिक पाया जाएगा इस सामान्य निष्कर्ष को प्राप्त करने के लिए पहले किसी गंदी बस्ती, या नगर का विशिष्ट अध्ययन करके बेरोजगारी और अपराधीकरण के कार्य-कारण सम्बध का पता लगाया गया फिर उसका सामान्यीकरण करके एक सार्वभौमिक निष्कर्ष प्राप्त करने का प्रयास किया गया। इसलिए इसे **'विशिष्ट से सामान्य' की ओर भी** कहा जाता है।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

निगमनात्मक पद्धति को **'सामान्य से विशिष्ट की ओर'** (from General to Particular) कहा जाता है। जैसे हमने पहले एक विशिष्ट धारणा बनायी कि 'गन्दी बस्तियां अपराध को बढ़ाती है' फिर दो अपराधियों A और B का अध्ययन किया और पाया कि इन दोनो का निवास स्थान गंदी बस्तियां हैं।

(ii) **वैयक्तिक जीवन अध्ययन पद्धति** (Cast Study Method): इस पद्धति में किसी एक समस्या का चुनाव करके (जैसे, बाल अपराध, वैश्यावृत्ति, आत्महत्या) अध्ययनकर्ता अपने को उस समस्या के साथ समायोजित करने का प्रयास करता है अर्थात् उसके साथ पूरी तरह घुल-मिल जाता है। फिर उस समस्या का निष्कर्ष निकालकर उसका सामान्यीकरण किया जाता है।

चूंकि इस पद्धति द्वारा समस्याओं का अति सूक्ष्म अध्ययन होता है इसलिए इसे **'सूक्ष्मदर्शी पद्धति'** (Microscopic Method) भी कहते हैं।

सर्वप्रथम व्यवस्थित प्रयोग 'लीप्ले' द्वारा।

(iii) **मापन पद्धति** (Scaling Method or Approach): पैमाना किसी वस्तु या घटना को मापने का यंत्र होता है। किसी भी विषय की वैज्ञानिता के लिए ऐसे पैमानो का होना अति आवश्यक होता है कि जिनपर उस विषय की विषय-वस्तु का मापन हो सके। चूंकि समाजशास्त्र अभी एक नया विषय है इसलिए इसमे अभी पैमानो का विकास उतना नहीं हो सकता है अत: इसलिए इस पद्धति का भी तुलनात्मक रूप से कम प्रयोग होता है।

(iv) **मनोवृत्ति मापन सम्बंधी पैमाने** (Scale for Measurement of Attitudes): मनोवृत्ति एक संभावित प्रतिक्रिया होती है जिसके आधार पर हम पता लगाने का प्रयास करते हैं कि कोई व्यक्ति किसी निश्चित परिस्थिति में किस प्रकार का व्यवहार करेगा। मनोवृत्ति वास्तविक नहीं बल्कि केवल-संभावित व्यवहार को दर्शाती है।

(a) **थर्सटन पैमाना:** थर्सटन ने चर्च के संबंध में लोगों की मनोवृत्ति जानने के लिए इस पैमाने का प्रयोग किया था।

इस पैमाने के एक सिरे पर सहमति तथा दूसरे पर पूर्ण असहमति को दर्शाया जाता है। तटस्थ मनोवृत्तियों (व्यक्तियों की) का स्थान इन दोनो के मध्य में होता है।

(b) **लिकर्ट पैमाना:** लिकर्ट ने अमेरिका में पैदा हुए जापानियो के प्रति मनोवृत्ति जानने के लिए इस पैमाने का प्रयोग किया था। लिकर्ट ने मनोवृत्तियों को 'तीव्रता' के आधार पर पांच भागो में बांटा। पूर्ण सहमति, सहमति, अनिश्चित, अहसमति, पूर्ण असहमति।

(c) **बोगार्डस का सामाजिक दूरी मापन पैमाना:** सम्बध में प्रेम-घृणा, निकटता-दूरी साथ-साथ पायी जाती है इसी संबंध में बोगार्डस ने विभिन्न व्यक्तियों, समूहों के मध्य निकटता व दूरी को मापने के लिए एक पैमाने का प्रयोग किया जिसे 'बोगार्डस' का सामाजिक दूरी पैमाना' कहते हैं।

(d) **होरोविट्ज पैमाना** (Horowitz Scale): होरोविट्ज ने प्रजातीय पक्षपात को श्रेणीबद्ध करने के लिए एक प्रकार के पैमाने का प्रयोग किया जो उनके नाम पर होरो विट्ज पैमाने के नाम से जाना जाता है।

(e) **लुईस गुटमैन** (Louis Guttman): गुटमैन ने मनोवृत्ति की सघनता को मापने के लिए एक समविस्तारित बिन्दुवत प्रणाली का प्रयोग किया। कौन सा व्यक्ति समाज में कितना लोकप्रिय है, फंला व्यवसाय के प्रति लोगों की रुचि का स्तर क्या है, यह खेल, पुस्तक समाज मे कितनी पसंद की जाती है आदि का अध्ययन 'लुईस गुटमैन पैमाने' के माध्यम से ही किया

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir FC Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

जाता है।

(v) **समाजमिति पैमाने** (Sociometric Scale): सोसियो मेट्रिक पैमानो का उपयोग समूह व्यवहारो तथा संस्थागत व्यवहारो के मापन मे किया जाता है। समाजमिति पैमानो मे सबसे पहले ऐसे मानदण्ड निश्चित किये जाते हें जिन पर समूह की कार्य प्रणाली, गतिविधियां आश्रित होती है फिर इन्ही मानदण्डो के संदर्भ में पसन्द-नापसन्द के प्रतिमानो का परीक्षण किया जाता है।

समाजमिति के सिद्धांतो तथा विधियो का वर्णन सबसे पहले **जे.एल. मोरेनो** (Moreno) **ने अपनी पुस्तक** "Who Shall Survive" मे किया था। हेलेन जेनिंग्स, फ्रांज, ब्रेनर आदि ने इसके विकास मे महत्वपूर्ण योगदान दिये।

मनोवृत्तिक और समाजमिति पैमानो मे मूल भूत अंतर यह होता है कि मनोवृत्तिक पैमाने व्यक्तिगत व्यवहार के बारे मे बताते है, तथा ये सामान्यत: श्रेणी सूचक होते हैं जबकि सभामिति पैमानो में निरंतरता पायी जाती है।

समाजमिति वह विधि है जिसके द्वारा किसी लघु समूह के सदस्यो के बीच पारस्परिक सम्बंधों का अध्ययन किया जाता है।

जब समाजमिति से प्राप्त निष्कर्षो को एक चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है तो इसे समाजमितीय चित्र (Sociogram) कहते हैं।

Sociogram: जैसे 5 छात्र A, B, C, D, E हैं, समस्या है पसन्द, अधिकतम पसंद पर 4 अंक और न्यूनतम पर 1 अंक प्रदान करने के लिए कहा गया तो इसका समाजमिति चित्र निम्नवत बनेगा।

1. A-B को सबसे ज्यादा और E को सबसे कम पसंद करता है।
2. B-C को मध्यम रूप से पसंद करता है लेकिन C-B को न्यूनतम रूप से पसंद करता है। (एकतरफा पसंद)
3. सबसे ज्यादा अंक A को मिले है अत: वह दल का मुखिया होना चाहिए। आदि।

ऐसे बहुत से निष्कर्ष समाजमिति चित्र के माध्यम से निकाले जा सकते हैं।

2. **परिमाणात्मक पद्धतियां** (Quantitative Methods):

(i) **सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति** (Socio Survey Method): **सर्वप्रथम प्रयोग हेरोडोटस, विकास** (Le-play) **द्वारा।**

1. सबसे पहले समस्या का चुनाव, लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है।
2. फिर एक ऐसे भौगोलिक क्षेत्र का चुनाव किया जाता है जिसमे सर्वेक्षण कार्य करना होता है।
3. फिर सर्वेक्षण कार्य किया जाता है प्राप्त आंकड़ो का सारणीयन किया जाता है। फिर इस सारणी का सांख्यिकीय विश्लेषण करके, परिणाम या निष्कर्ष निकाला जाता है।
4. अंत में सर्वेक्षण रिपोर्ट आलेख अभिव्यक्ति, मानचित्र आदि के रूप में बनायी जाती है जिससे की सवेक्षण के निष्कर्षो को लोग आसानी से समझ सके।

(ii) **सांख्यिकीय पद्धति** (Anthuny Giddins): सांख्यिकी पद्धति के अंतर्गत तथ्यों को संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है फिर इन संख्यात्मक रूप में अभिव्यक्त आंकड़ो की सहायता से परिमाणात्मक निष्कर्ष प्राप्त किये जाते हैं। या यह सामाजिक घटनाओ को गणितीय रूप मे मापने की एक प्रणाली है। जैसे संयुक्त परिवार से एकल परिवार मे परिवर्तन की दर क्या है, जनसंख्या की संरचना कैसी है, शिक्षा का प्रतिशत वृद्धि दर क्या है आदि का ज्ञान आंकड़ो के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है।

ऐतिहासिक पद्धति या दृष्टिकोण या उद्विकासीय दृष्टिकोण: इस पद्धति

Notepad

NET : JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

मे विभिन्न सामाजिक घटनाओ मे कालक्रम के अनुसार होने वाले परिवर्तन व विकास को स्पष्ट किया जाता है।

स्पेन्सर: 'समाजशास्त्र उद्विकास के जटिल क्रम व स्वरूप का अध्ययन करता है।'

इस पद्धति या दृष्टिकोण के प्रमुख प्रयोगकर्ताओ में कौंत, स्पेन्सर, हाबहाउस, मार्क्स, सोरोकिन आदि प्रमुख है।

तुलनात्मक दृष्टिकोण या पद्धति: इस पद्धति मे एक ही समूह, समाज या भिन्न समाज, समूह मे एक ही समय या अलग-अलग समय मे होने वाली समान प्रवृत्ति की घटनाओ का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है।

- **डर्कहाइम** ने अपने आत्महत्या के सिद्धांत मे इसी पद्धति का प्रयोग किया है।
- **मर्डाक** ने 250 समाजो का तुलनात्मक अध्ययन किया।
- **लिपसेट, बेनेडिक्स** ने 'औद्योगिक समाजो' मे सामाजिक गतिशीलता के अध्ययन में।
- **विसलर** ने अफ्रीका व अमेरीका व फ्रेन्ज ने अमेरिका में संस्कृतियो के अध्ययन में।
- **वैरिंगटन मोर** ने लोकतंत्र एवं तानाशाही की सामाजिक जड़ो के अध्ययन में।
- होरो विट्ज ने प्रगति के स्तरो को समझने में तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया।

संरचनात्मक-प्रकार्यत्मक दृष्टिकोण (Structural Functional Approach): समाजशास्त्र मे ऐसे किसी भी परिणाम, प्रभाव को प्रकार्यात्मक माना जाता है जो किसी संगठन को बनाए रखने मे मदद करता है। इसके विपरीत दुष्प्रकार्यात्मक (dys function) शब्द से विघटनात्मक प्रवृत्ति का बोध होता है।

इस दृष्टिकोण का विकास विकासवादी उपागम (ऐतिहासिक पद्धति) के विरोध में हुआ था। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम (दृष्टिकोण) यह बताता है कि समाज की सभी इकाइयां अपने प्रकार्यो द्वारा किस प्रकार समाज की संरचना को बनाए रखती हैं।

सबसे पहले डर्कहाइम ने प्रकार्य को स्पष्ट किया था, इसी आधार पर उन्होने धर्म की व्याख्या की और बताया कि किस प्रकार धर्म समाज के संगठन को बनाए रखने में सहायक है। इस दृष्टिकोण के अन्य प्रवर्तक मर्टन, मैलिनोवस्की, रैडक्लिफ ब्राउन, डेविस, पारसंस आदि है। मर्टन ने प्रकार्य के दो प्रकार बतलाए हैं-प्रकट प्रकार्य, अप्रकट प्रकार्य।

प्रकट प्रकार्य का तात्पर्य सम्बंधित क्रिया से प्राप्त इच्छित परिणामो से है और जब क्रिया के परिणामो के बारे में हमे जानकारी नहीं होती तो इसे अप्रकट प्रकार्य कहते हैं। इस दृष्टिकोण की अलोचनाओ को कम करने के लिए मर्टन द्वारा दुष्प्रकार्य (Dysfunction) की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया।

संघर्ष दृष्टिकोण: यह दृष्टिकोण संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण की आलोचना करता है। इस दृष्टिकोण के प्रवर्तको का मानना है कि वर्तमान समाज को संतुलित मानना त्रुटिपूर्ण है तथा सामाजिक जीवन का प्रमुख आधार सामान्य सहमति न होकर असहमति है जो विभिन्न समूहो के मध्य सत्ता की प्राप्ति को लेकर होने वाली प्रतिस्पर्धा से जन्म लेती है।

जिनके पास अधिकार, सुविधाएं है वे इन्हे अपने पास ही बनाये रखना चाहते है तथा जिनके पास नहीं है वे इन्हे किसी भी कीमत पर प्राप्त करना चाहते है परिणामत: संघर्ष का जन्म होता है।

वर्तमान मे **रेडिकल समाजशास्त्र** (Radical Sociology) जिसने इस विचारधारा को अपना केन्द्र बनाकर विशेषरूप से अमेरिका के हब्सियो, बुद्धिजीवियो को प्रभावित किया है तथा **फ्रैंकफर्ट विचारधारा** (Frankfurt School) ने इस दृष्टिकोण को काफी प्रसारित किया है। एक नयी विचारधारा जो नये वाम पक्ष (New Left) के नाम

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

से जानी जाती है भी अमेरिकी विश्वविद्यालय मे काफी प्रभावशाली रही है। पुराना वामपक्ष जहां कल कारखानो मे प्रभावी रहा है वहीं नया वाम पक्ष विश्वविद्यालयों में विकसित हो रहा है। नया वाम पक्ष शोषण के विरोध में सीधे संघर्ष की बात न कह कर वैचारिकी के माध्यम से सामाजिक स्तर, रंग-भेद, नारी मुक्ति आंदोलन, आर्थिक उपनिवेशवाद आदि का विरोध कर रहा है।

कुछ ऐसे भी समाजशास्त्री है जो पूरी तरह संघर्ष दृष्टिकोण की बात न कह कर, संघर्ष-प्रकार्यवाद (Conflict Functionalism) की बात कर रहे हैं। इस दृष्टिकोण को मानने वालो का कहना है कि संघर्ष के भी कुछ प्रकार्यात्मक पक्ष होते हैं, जैसे मजदूर हड़ताल द्वारा मजदूरो की स्थिति में सुधार आदि। संघर्ष-प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण के प्रवर्तको में लुइस **ए. कोजर व डेहरेन्डार्फ** (Ralf Dahrudorf) आदि प्रमुख है।

प्रतीकात्मक अंत:क्रियावाद (Symbolic Interctionism)

प्रमुख प्रवर्तक: जी.एच. मीड (G.H. Mead), कूले (C.H. Cooley), थामस (W.I. Thomas), ब्लूमर (Herbert Blumer)

प्रतिकात्मक अंत:क्रिया वाद के अंतर्गत किसी समूह, संरचना आदि के एक छोटे हिस्से का अध्ययन किया जाता है।

सामाजिक अंत:क्रिया: जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से अभिप्रेरित होकर अर्थपूर्ण क्रिया करते हैं तब इसे सामाजिक अंत:क्रिया कहते हैं।

सामाजिक अंत:क्रियावाद के अंतर्गत हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि कोई व्यक्ति दिन-प्रतिदिन के व्यवहार में किस प्रकार की अंत:क्रिया करता है। इस प्रकार के अध्ययन की ईकाई व्यक्ति होता है। अर्थात् यह दृष्टिकोण समाज को नीचे से ऊपर देखने का प्रयास करता है।

उदाहरणार्थ इस दृष्टिकोण के अंतर्गत हम यह जानने का प्रयास नहीं करते कि समाज में वैश्यावृत्ति की समस्या क्यों पायी जाती है बल्कि हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि वैश्याएं अन्य लोगो के साथ तथा अन्य लोग वैश्याओं के साथ किस प्रकार अंत:क्रिया करते हैं।

लोक पद्धतिशास्त्र/नृजातिपद्धति शास्त्र (Ethnomethodology): यह पद्धति प्रतीकात्मक अंत:क्रियावाद के बहुत समीप है।

प्रमुख प्रवर्तक: हेरोल्ड गारफिंकल, गॉफमेन, बिटनर, चर्चिल, मोरमेन, सेक्स, शंगोफ और सिसौरल आदि।

सर्वप्रथम नृजाति पद्धतिशास्त्र का व्यवस्थित विवेचन **गारफिंकल** (Harold Garfinkel) ने अपनी पुस्तक "Studies in Ethno Methodology" मे प्रस्तुत किया। (1967)

गारफिंकल ने ऐथनोमेथडोलाजी शब्द की उत्पत्ति को समझाते हुये लिखा है कि **'ऐथनो'** से तात्पर्य जन सामान्य से और **'मेथडलॉजी '**का अर्थ 'अध्ययन पद्धति' से है। एथनोमेथडोलाजी का उद्देश्य जन सामान्य को अपने समाज के बारे में उसी रूप में सामान्य ज्ञान उपलब्ध कराना है, जिस रूप मे वह स्वयं किसी वस्तु के विषय में जानकारी प्राप्त करता है। इस नवीन दृष्टिकोण को विकसित करने मे गारफिंकल को **'अल्फ्रेड शूज' की 'फिनामिनालॉजी' की विचारधारा से प्रेरणा मिली।**

एथनोमेथडोलाजी का मुख्य कार्य यह जानना होता है कि व्यक्ति किस प्रकार अपनी रोजमर्रा की जिन्दगी में सामाजिक अंत:क्रिया के दौरान संकेतो को अर्थ प्रदान करते हैं।

इन संकेतो के अर्थ को जानने के लिए भाषा के सामाजिक पक्षा तथा कर्ता द्वारा अपने व्यवहार के लिए उपयोग मे लाये गये प्रतिमानो की जानकारी होना आवश्यक है। भाषा के सामाजिक पक्ष का तात्पर्य, बातचीत करने वालो की पृष्ठ भूमि से है।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir LG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

अक्सर किसी विशेष शब्द का व्यक्ति विशेष के लिए विशेष अर्थ होता है इसके लिए **'गारफिंकल' ने 'शब्द-समूह-अभ्यास'** (Glossing Practices) का जिक्र किया है जैसे हम, तुम, कल, यहां, अब, कुछ आदि।

उदाहरणार्थ जब एक माँ अपने बेटे से बाजार से सब्जी-वगैरह लाने के लिए कहती है तो यहां वगैरह शब्द का अर्थ उसका बेटा ही समझ सकता है किसी अन्य को वगैरह शब्द के अर्थ को जानने के लिए माँ-बेटे के बीच संवाद की पृष्ठभूमि को जानना आवश्यक है हो सकता है, कि वगैरह का अर्थ बिस्किट, नमकीन, या दूध या कुछ और हो।

कर्ता के व्यवहार के अध्ययन मे कर्ता द्वारा प्रयोग मे लाए गये प्रतिमानो की जानकारी भी आवश्यक क्यू की इन्हीं प्रतिमानो के अनुसार अंत:क्रिया करने का प्रयास करता है।

नृजाति समाजशास्त्र (आंचलिक समाजशास्त्र) (Ethno Sociology): विभिन्न समाज एक दूसरे से संस्कृति, संरचना तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मे एक दूसरे से भिन्न होते है अत: किसी समाज विशेष को दृष्टि मे रखकर विकसित सिद्धांत व सम्बोध दूसरे समाज के अध्ययन मे उपयोगी सिद्ध नहीं होते अत: आंचलिक समाजशास्त्र का महत्व वर्तमान मे काफी बढ़ गया है। इस प्रकार के समाजशास्त्र मे स्थानीय समाज की संस्कृति, संरचना आदि को ध्यान में रखकर उसी समाज के अध्ययन के लिए सिद्धांतो व सम्बोधों का विकास किया जाता है।

समाजशास्त्र की मूल अवधारणाएं
Basic Concepts of Sociology

सामाजिक संबंध (Social Relationship):अमूर्त (Abstract) होते हैं।



भौतिक सम्बंध (Physical Relationship)

- एक मृत तथा एक जीवित के मध्य अथवा दोनो
- मृत वस्तुओं के मध्य पाए जाते हैं।
- पारस्परिक जागरूकता का अभाव है।
- मानसिक पक्ष का अभाव होता है।

eg: लेखक-पेन के बीच पाया जाने वाला सम्बंध, कुर्सी-मेज के बीच पाया जाने वाला सम्बंध आदि भौतिक सम्बंध के उदाहरण है।

सामाजिक सम्बंध (Social Relationship)

- केवल जीवित प्राणियो के मध्य बनते हैं।
- पारस्परिक जागरूकता अनिवार्य शर्त होती है।
- जीवित प्राणियो मे ही मानसिक स्थिति व चेतना पायी जाती है।
- एक दूसरे से अर्थपूर्ण ढंग से अंत:क्रिया की जाती है।
- ये सहयोगी, संघर्षात्मक किसी भी प्रकार के हो सकते हैं।
- स्थायी या अस्थायी हो सकते हैं।

सामाजिक संबंध निर्माण की आवश्यक शर्तें

1. ये सामाजिक सम्बंध केवल दो या दो से अधिक जीवित व्यक्तियो के बीच ही बन सकते हैं।
2. व्यक्तियो के बीच संपर्क एवं संचार होना आवश्यक है। समाजशास्त्र में सम्पर्क का अर्थ यह है कि व्यक्ति जिनके मध्य सामाजिक संबंध बनने जा रहा है वे परस्पर एक दूसरे को उत्प्रेरित करने और एक-दूसरे की उत्प्रेरणाओं का अर्थ पूर्ण रूप से उत्तर दे सकने की स्थिति में है कि नहीं। तात्पर्य यह है कि केवल मानसिक संपर्क ही सामाजिक संबंधों को जन्म दे सकता है। दो व्यक्ति बस मे

Notepad

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

एक ही सीट पर बैठे होते हैं उनके बीच भौतिक संपर्क होता है, लेकिन अगर वे आपस मे बातचीत (मानसिक संपर्क) नहीं करते तो सामाजिक सम्बंध का निर्माण नहीं हो पाएगा। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच यह सम्पर्क (मानसिक सम्पर्क) संचार के किसी भी माध्यम से स्थापित हो सकता है जैसे संकेतो, भाषा, टेलीफोन, इंटरनेट, पत्र-व्यवहार आदि किसी भी माध्यम से सामाजिक सम्पर्क बन सकता है।

3. सामाजिक संबंध निर्माण की तीसरी अनिवार्य शर्त पारस्परिक जागरुकता है पारस्परिक जागरुकता का अर्थ मानसिक अनुभूति से है अर्थात् वे एक दूसरे की क्रियाओं को अर्थ पूर्ण ढंग से देखते, महसूस करते हों।
4. सामाजिक अंत:क्रिया भी सामाजिक संबंध निर्माण की अनिवार्य शर्त है अगर दो या दो से अधिक जीवित प्राणी एक दूसरे से मानसिक सम्पर्क स्थापित करते है, एक दूसरे की क्रियाओं को अर्थपूर्ण ढंग से समझते है लेकिन एक दूसरे की क्रियाओं से प्रभावित नहीं होते तो सामाजिक संबंध नहीं स्थापित हो पाएगा। एक दूसरे को प्रभावित करना और एक दूसरे से प्रभावित होना सामाजिक अंत:क्रिया की अनिवार्य शर्त है। सामाजिक अंत:क्रिया के अभाव में सिर्फ सामाजिक संबंधो का ही निर्माण नहीं होगा बल्कि किसी भी सामाजिक घटना, समूह का भी निर्माण नहीं हो पाएगा।

व्यवहार क्रिया, अंत:क्रिया सामाजिक क्रिया, (Behaviour Action, Interaction, Social Action)

व्यवहार: व्यक्ति जो करता है, सोचता है, महसूस करता है, कहता है चाहे वह उद्देश्य पूर्ण हो या न हो व्यवहार कहलाता है। यह एक बहुत ही व्यापक अर्थ वाला शब्द है।

क्रिया: एक ऐसा व्यवहार जो किसी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण हो तथा लक्ष्य को ध्यान में रखकर किया गया हो क्रिया कहलाता है।

सामाजिक क्रिया (Social Action): कोई क्रिया तभी सामाजिक क्रिया (Social Action) कही जाती है जब इसे कर्ता के द्वारा अर्थ प्रदान किया जाता है साथ ही यह भी अनिवार्य है जिस व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए की जा रही है उनके लिए भी अर्थपूर्ण हो।

अंत:क्रिया (Interaction): जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से अभिप्रेरित हो अर्थपूर्ण क्रिया करते है तब इसे अंत:क्रिया कहते हैं।

एक व्यक्ति या समूह की क्रिया दूसरे व्यक्ति व्यक्ति या समूह के लिए उत्तेजना का कार्य करती हैं और दूसरा व्यक्ति या समूह इस उत्तेजना को ग्रहण कर अनुक्रिया (Response) करता है, तभी इसे सामाजिक अंत:क्रिया/अंत:क्रिया कहेंगे। अंत:क्रिया के लिए उत्तेजना व अनुक्रिया हो आवश्यक शर्ते हैं।

जबकि सामाजिक क्रिया में उत्तेजना तो होती है लेकिन अनुक्रिया नहीं होती।

उदाहरण: हम किसी को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं, हमारा लक्ष्य उस व्यक्ति का अभिवादन करना है-यह क्रिया हुयी वह व्यक्ति हमारे अभिवादन को तो समझता है लेकिन रिसपान्स (अनुक्रिया) नहीं करता अर्थात जवाब नहीं देता सिर्फ समझता है तो यह सामाजिक क्रिया हुयी। अगर वह भी हाथ जोड़कर जवाब (अनुक्रिया) देता है तो यह अंत:क्रिया हुआ।

अब हम फिर से सामाजिक क्रिया पर आते हैं

अगर हम बिना उद्देश्य (लक्ष्य) के हाथ जोड़े तो यह व्यवहार है। दीपक के पास पतंगे का आना व्यवहार है क्रिया नहीं। आंख झपकाना व्यवहार है। किसी को आंख मारना क्रिया है। तात्पर्य यह है कि सभी क्रियाएं व्यवहार है, लेकिन सभी व्यवहार क्रिया नहीं है।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir UG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

Parsons **का सामाजिक क्रिया संबंधी दृष्टिकोण:** 'The Structure of Social Action (1937)' बाद में Parsons ने shills के साथ मिलकर 'Towards a Theory of Social Actions' लिखी।

"क्रिया एकान्त मे नहीं होती बल्कि सामूहिक योग (constellations) मे होती है"–पारसन्स

सामाजिक क्रिया के लिए कम से कम दो व्यक्तियो का होना अनिवार्य है कर्ता को पारसन्स ने Ego व जिसके संबंध मे क्रिया की जा रही है उसे Alter कहा है।

Parsons के अनुसार 'क्रिया' की अवधारणा का जन्म मनुष्यों के व्यवहार से हुआ है, एक जीवधारी प्राणी के रूप में बाह्य जगत के साथ और अपने अंत:मन के साथ अंत:क्रिया करता है, इसे Parsons ने व्यवहार कहा।

यह व्यवहार (प्राणी की वाहय जगत व अपने अंत:मन से अंत:क्रिया) तभी "क्रिया" बन सकता है जब इसमे निम्न 4 बाते शामिल हो जाती है या अन्य शब्दो में व्यवहार निम्न 4 स्थितियों में 'क्रिया' बन जाता है:

1. जब उसके व्यवहार का कोई लक्ष्य हो, कहने का मतलब वह (प्राणी) अपने व्यवहार का कोई परिणाम चाहता हो।
2. जब वह व्यवहार किसी विशिष्ट स्थिति में घटित होता है।
3. जब यह व्यवहार समाज के मानदंडो तथा मूल्यो से नियंत्रित होता है।
4. जब इस व्यवहार के लिए 'ऊर्जा' अथवा अभिप्रेरणा अथवा प्रयत्न अपेक्षित हो।

हम कक्षा में पढ़ने के लिए रिक्शे से जा रहे है तो हमारा लक्ष्य ज्ञान प्राप्त करना है, रिक्शे से सड़क के निश्चित मार्ग से जाना एक विशिष्ट परिस्थिति (Situation) है, जब क्लास मे पहुंचते है वहां अध्यापक के प्रति सम्मान देना, पढ़ना, आदि को समाज में मान्यता प्राप्त है। और इस सब को करने के लिए हमे ऊर्जा लगानी पड़ेगी।

एक से अधिक व्यक्तियों के लिए Parsons ने सामूहिकता (Collectivity) शब्द का प्रयोग किया है।

क्रिया को परिभाषित करते हुए पारसन्स कहते हैं कि

'क्रिया कर्ता-प्रस्थिति व्यवस्था मे वह प्रक्रिया है जो अकेले (सिर्फ) कर्ता के लिए तथा सामूहिकता की स्थिति में उसे निर्मित करने वाले व्यक्तियों के लिए प्रेरणात्मक महत्व रखती है।

इस अर्थ में पारसन्स के अनुसार क्रिया के तीन आधार हो सकते हैं

1. कर्ता (Actor)
2. परिस्थिति
3. प्रेरणात्मक महत्व

अब प्रश्न उठता है कि कोई कर्ता (Actor) क्रिया कैसे करता है, इसके लिए Parsons ने क्रियान्मुखता (Orientation) की बात करते हैं:

पारसन्स बताते है कि क्रियान्मुखता दो प्रकार की हो सकती है

1. अभिप्रेरणात्मक अभिमुखता (Motivational Orientation)
2. मूल्यपरक अभिमुखता (Value Orientation)

1. **अभिप्रेरणात्मक अभिमुखता** (Motivational Orientation): अभिप्रेरणात्म उन्मुखता यह बताती है क्रिया कर्ता की आवश्यकताओ, वाहय उपस्थिति, और योजनाओ के परिप्रेक्ष्य में की जा रही है। मूल्यो-प्रतिमानो के परिप्रेक्ष्य में नहीं। इसके तीन भाग होते हैं:

(ये उन्मुखता मूल्यो तथा प्रतिमानो से संबंधित नहीं होती, साड़ी, शादी के कार्ड आदि का चुनाव)

Notepad

NET JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

(i) **बोध परक** (Cognitive): वोध का तात्पर्य जानने से है, Actor अपनी आवश्यकतानुसार विषय वस्तु का निर्धारण करता है।

(ii) **भाव प्रवण** (Cathectic): अब Actor विषय वस्तु को भावनाओ से देखता है। कौन ज्यादा पसंद है, कौन कम पसंद है।

(iii) **मूल्यांकन परक** (Evaluative): अब Actor आवश्यकता व भावनात्मक प्रवणता के मध्य मूल्यांकन करन के एक निर्णय लेता है (तुलना के द्वारा निर्णय लेता है)

जैसे यदि हम बाजार मे सब्जी खरीदने जाते है तो पहले हम वोधपरक उन्मुखता (Cogenitive) का प्रयोग कर के यह जानने का प्रयास करते है कि हमे किस सब्जी की सर्वाधिक आवश्यकता है, फिर उसके दाम का भी ज्ञान करते है अब हमें भावप्रवण (Cathectic) उन्मुख्ता से यह पता चलता है कि फलां सब्जी हमे सबसे ज्यादा पसंद है-अब हम मूल्यांकन परक (Evaluative) उन्मुखता से अपनी पसंद व आवश्यकता मे एक सामजस्य बैठाते है तथा उस सब्जी को खरीदते है जो हमे सबसे ज्यादा संतोष प्रदान करती है।

2. **मूल्यपरक अभिमुखता** (Value Orientation): इस उन्मुखता मे क्रिया पर मूल्यो, सौंदर्यबोध नैतिकता, चिंतन के मानको आदि का प्रभाव पड़ता है। यह मूल्यों से निर्धारित होती है जैसे अपनी ही जाति मे विवाह करना, औपचारिक पार्टी मे औपचारिक कपड़े पहनना।

इसके भी तीन भाग होते हैं:

(i) **बोधपरक** (Cognitive): वोध परक उन्मुखता का सम्बंध निर्णय की वैधता से है, अर्थात हमने जो निर्णय लिया वह समाज के मूल्यो, मानदण्डो के हिसाब से कितना उचित है।

(ii) **विवेचनात्मक** (Appreciative): इससे Actor विवेचना के द्वारा यह जान पाता है, कि भावनाओ, उपयोगिता मे से किस पर अधिक बल दिया जाय।

(iii) **नैतिक** (Moral): उन्मुखता: नैतिक उन्मुखता Actor की मूल्यो की प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

इस प्रकार अभिप्रेरणात्मक उन्मुखता से व्यक्ति की केवल अभिप्रेरणाएं व मनोवैज्ञानिक पहलू ही आते हैं जबकि मूल्य परक उन्मुखता मे पूरी सांस्कृतिक प्रणाली जुड़ी होती है। व्यक्ति के व्यवहार मे मनोवैज्ञानिक व सांस्कृतिक, दोनो पहलू परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं तथा एक दूसरे पर निर्भर होते हैं।

सामाजिक क्रिया पर वेबर (Weber) **के विचार:** वेबर के अनुसार 'सामाजिक क्रिया (Handeln) ऐसी किसी भी मानव अभिवृत्ति या गतिविधि (Verhalten) को कहते हैं, जिसके साथ कर्ता अपना व्यक्तिनिष्ठ अर्थ (Sinn) निहित करता है।'

या

'सामाजिक क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसका व्यक्तिनिष्ठ अर्थ एक या अनेक कर्ता देते हैं, इसमे दूसरे लोगों की अभिवृत्तियां और क्रियाएं होती है। जिन्हे अंत:क्रियाओं के रूप में देखा जा सकता है।'

इसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है:

सामाजिक क्रिया = व्यवहार + अर्थ

सामाजिक क्रिया - अर्थ = व्यवहार

अर्थ से वेबर का तात्पर्य निर्वचनात्मक समझ (Deutend verstehen = Interpretative understanding) से है।

निर्वचनात्मक समझ का तात्पर्य **'जो अर्थ कर्ता अपनी क्रिया के बारे मे लगाता है'** से है अत: दूसरो को भी उस क्रिया का अर्थ कर्ता की समझ के अनुसार समझना

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

चाहिए।

वेबर ने सामाजिक क्रिया की निम्न विशेषताएं बतायी

1. इसमें सभी प्रकार के मानवीय व्यवहार शामिल होते हैं
2. यह इस व्यवहार को व्यक्तिपरक अर्थ देती है।
3. इसमें कार्य कर रहे व्यक्ति अथवा समूह परस्पर व्यवहार का ध्यान रखते हैं।
4. इसकी दिशा निश्चित होती है।

तात्पर्य यह है कि कोई क्रिया सामाजिक क्रिया तभी कही जाएगी जब इसे करने वाले का उद्देश्य एक या अधिक व्यक्तियों को प्रभावित करने के लिए हो।

वेबर के अनुसार: "समाजशास्त्र वह विज्ञान है जिसका उद्देश्य सामाजिक व्यवहार के बारे मे निर्वचनात्मक समझ (Verstehen) प्राप्त करना है, यह इसलिए क्योंकि इस समझ (Verstehen) के द्वारा सामाजिक व्यवहार के **'कारण और प्रभावों' का** विश्लेषण हो सके।"

वेबर,डिल्थे और रिकर्ट से अत्यधिक प्रभावित थे। डिल्थे एक नव आदर्शवादी (New Idealist) थे जबकि रिकर्ट एक नव कांतवाद (New Kantian)। जहां कांतवादी सामाजिक क्रिया की वैज्ञानिकता पर अधिक बल देते हैं वहीं आदर्शवादी सामाजिक क्रिया के ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर।

वेबर ने कहा कि 'सामाजिक क्रिया को ऐतिहासिक व वैज्ञानिक दृष्टि से समझना चाहिए।' तात्पर्य यह है कि वेबर ने दोनो विचारधाराओं के समन्वय पर बल दिया।

सामाजिक क्रिया के प्रकार: वेबर ने बताया कि कोई क्रिया शून्य नहीं होती सभी क्रियाएं तार्किक (Rational) होती है।

1. **तार्किक क्रिया: लक्ष्य के प्रति उन्मुख** (Rational Action: Oriented to Goel) OR (Zweck Rational Action): जैसे एक इंजीनियर पुल बनाना चाहता है तो उसका लक्ष्य पुल बनाना होगा, वह विभिन्न सामग्रियो को क्रिया के माध्यम से इस प्रकार समायोजित करेगा जिससे की पुल निर्मित हो सके।
2. **तार्किक क्रिया: मूल्य के प्रति अभिमुख** (Rational Action: Oriented to value) OR (Wertra Rational): जैसे कोई सैनिक देश भक्ति के विशिष्ट मूल्यो के लिए अपने प्राण दे देता है।
3. **भावनात्मक क्रिया** (Affective Action): ऐसी क्रिया जो किसी भावनात्मक स्थिति के प्रभाव में की जाए। जैसे कोई लड़का किसी लड़की से छेड़खानी करे और वह उसे थप्पड़ मार दे।
4. **परम्परागत क्रिया** (Traditional Action): यह क्रिया उन परम्पराओ और विश्वासो से प्रेरित होती है जो हमारे स्वभाव के अंग बन गये हैं। बड़ो को प्रणाम करना, बड़ो के लिए कुर्सी छोड़ देना, श्मशान से लौटने पर स्नान करना आदि परम्परागत क्रिया के उदाहरण है।

सामाजिक क्रिया पर परेटो के विचार (Velfredo Pareto: 1848-1923)

Book 'Mind and Society'

"समाजशास्त्र ऐसा विज्ञान है जो अतार्किक क्रियाओ (Non-logical action) का अध्ययन करता है।" चूकिं परेटो समाजशास्त्र में वैज्ञानिकता के पक्षधर थे इसलिए उन्होने तार्किकता पर अत्यधिक बल दिया:

"समाजशास्त्र अतार्किक क्रियाओं का तार्किक विधि से अध्ययन करता है।" परेटो ने दो प्रकार की क्रियाओं का उल्लेख किया है:

1. तार्किक क्रिया (Logical Action)
2. अतार्किक क्रिया (Non Logical Action)

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

इन अवधारणाओ को समझने के लिए परेटो ने दो अन्य अवधारणाओ का उल्लेख किया है:

1. व्यक्तिनिष्ठ (Subjective), व वस्तुनिष्ठ (Objective)
2. साधन और साध्य

जब कोई व्यक्ति क्रिया करता है तो उसका एक व्यक्तिनिष्ठ अर्थ होता है। परेटो इसे **मस्तिष्क की अवस्था** (State of Mind) कहते हैं। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के मन मे क्रिया के प्रति कोई पूर्व विचार या मनोभाव होते हैं।

वस्तुनिष्ठता (Objectivity) से परेटो का तात्पर्य **'उस क्रिया के बारे मे समाज के दृष्टिकोण'** से है। या क्रिया के बारे मे समाज क्या कहता है। जैसे कोई व्यक्ति करोड़पति बनना चाहता है, यह उसका साध्य है (करोड़पति बनना) समाज भी कहता है कि व्यक्ति को संपन्न होना चाहिए, यहां साध्य को लेकर व्यक्तिनिष्ठ व वस्तुनिष्ठ अर्थ मे समायोजन हो जाता है। अब साधन की बात आती है व्यक्ति सोचता है कि उसे चोरी के माध्यम से करोड़पति बनना चाहिए यह उसका व्यक्तिनिष्ठ अर्थ है, पर समाज कहता है कि चोरी करना पाप है, करोड़पति बनने के लिए कठिनतम मेहनत करनी चाहिए, अत: साधन को लेकर समाज और व्यक्ति मे मतभेद है। जब व्यक्ति समाज के अर्थ को अपना लेगा और कठिन परिश्रम से करोड़पति बनना चाहेगा तब यह क्रिया **'तार्किक क्रिया'** कहलाएगी।

अत: 'तार्किक क्रियायें वे क्रियाएं है जो साध्य पाने के लिए उचित साधनो को प्रयोग मे लाती हैं, ये क्रियाएं साधन व साध्य को तार्किक रूप से जोड़ती हैं'-**मोजर**

उपर्युक्त विवरण से तार्किक क्रिया की 3 विशेषताएं सामने आती हैं:

1. तार्किक क्रिया में **'कार्य-कारण' संबंध** पाया जाता है।
2. तार्किक क्रिया में **व्यक्तिनिष्ठ व वस्तुनिष्ठ अर्थो में** समायोजन होना चाहिए।
3. तार्किक क्रिया में **साधन व साध्य में संगतता** पायी जाती है।

अतार्किक क्रिया (Non Logical Action): संपूर्ण क्रियाओं मे से यदि तार्किक क्रिया निकाल दे तो जो अवशिष्ट क्रियाएं (Residual Action) बचेंगी वही अतार्किक क्रियाएं है।

या

Non Logical Action = Residual Action (**अतार्किक क्रिया = अवशिष्ट क्रिया।**)

पारसन्स के अनुसार परेटो ने अतार्किक क्रिया सिद्धांत मे तीन तथ्यो की व्याख्या की है।

1. कर्ता (Actor) - मस्तिष्क की अवस्था (State of Mind)
2. गतिविधियां (Act)
3. मनोभावो की अभिव्यक्ति (Expression of Sentiment) [2 और 3 दिखायी पड़ने वाले या अवलोकित तथ्य (Concrete, Observable data) हैं।]

परेटो ने बताया कि प्रत्येक कर्त्ता की एक मस्तिष्क की अवस्था (State of Mind) होती है, उसका क्रिया के प्रति अपना व्यक्तिनिष्ठ अर्थ होता है, इसे देखा नहीं जा सकता।

इसी मस्तिष्क की अवस्था के कारण वह मनोभावो की अभिव्यक्ति के लिए कुछ गतिविधियां करता है जैसे रोना, चिल्लाना, गाना आदि ये देखी जा सकती है इसे परेटो ने Observable Data कहते हैं।

अतार्किक क्रिया = मानसिक अवस्था (State of Mind) + गतिविधियां (Act) + मनोभावो की अभिव्यक्ति (Expression of Sentiments)

अवशिष्ट व भ्रान्त तर्क (Derivation) अतार्किक क्रिया के तत्व है।

बोध: वस्तुओ के लक्षण जानने व उन्हे ग्रहण करने की प्रक्रिया है।

Kingslay Davis Parsons **के समान सामाजिक क्रिया के चार आवश्यक तत्वो**

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

का जिक्र किया है:

1. कर्ता 2. लक्ष्य 3. परिस्थिति 4. साधन

डर्खाइम: दुर्खीम सामाजिक क्रियाओं के मूल रूप में समाज को ही स्वीकार करते हैं। सामाजिक क्रियाओं का जन्म व्यक्तिगत उपयोगिता के कारण नहीं वरन् सामूहिक प्रतिनिधानो (Collective Representation) के कारण होता है और वे सामाजिक तथ्यो का ही अंग है।

सामूहिक प्रतिनिधान-सामूहिक चेतना की उपज है। दुर्खीम ने इसे स्पष्ट करने के लिए धार्मिक कार्यो का उल्लेख किया है। धार्मिक क्रिया सामाजिक क्रिया है जिसका जन्म समाज के कारण हुआ है।

Notepad

सामाजिक अंत:क्रिया (Social Interaction)

अनिवार्य तत्व:

1. कम से कम दो जीवित व्यक्ति
2. सम्पर्क (Social Contact)
3. संचार (Communication)
4. उत्तेजना (Stimulus)
5. प्रतिक्रिया (Response)
6. सामान्य संस्कृति का होना (यह प्रतीको जैसे भाषा को समझने मे आवश्यक है)
7. सामाजिक मानदण्डो का पालन सामाजिक अंत:क्रिया मे एकरुपता लाता है।
8. प्रस्थिति व भूमिका की स्थिति की सुपरिभाषित व्याख्या।

अंत:क्रिया मे एक व्यक्ति दूसरी की बात का अर्थ लगाकर उत्तर देता है-

उत्तेजना (Response)

प्रतिक्रिया (Reaction)

संपर्क:

(i) **प्रत्यक्ष सम्पर्क:** शारीरिक संपर्क, आमने-सामने का संपर्क

(ii) **अप्रत्यक्ष सम्पर्क:** टेलीफोन, नेट, पत्र व्यवहार आदि के द्वारा संपर्क

जिलिन व जिलिन (Gillin & Gillin) ने दो प्रकार के संपर्को की बात की है:

1. **सकारात्मक सम्पर्क:** सहयोगी अंत:क्रिया को जन्म देता है-समझौता, सात्मीकरण आदि।

2. **नकारात्मक सम्पर्क:** असहयोगी अंत:क्रिया को जन्म देता है संघर्ष कभी-कभी संभावित-अंतक्रिया को नकारात्मक सम्पर्क नष्ट भी कर देता है। लड़की देखने जाना, फिर शादी से मना कर देना नकारात्मक सम्पर्क माना जाएगा।

अगर एक बीमा एजेंट व्यापारी के ऑफिस मे जाता है यदि वह व्यापारी को प्रभावित कर लेता है और व्यापारी पॉलिसी लेने को तैयार हो जाता है तो यह सकारात्मक सम्पर्क होगा। अगर व्यापारी उससे अनुप्रभावित रहता है, या नाराज होकर पॉलिसी लेने से मना कर दे तो यह नकरात्मक सम्पर्क होगा।

जिलिन व जिलिन: ने प्रकृति (माध्यम) के आधार पर भी दो प्रकार के सम्पर्क बताए:

1. **प्राथमिक सम्पर्क** (Primary): अंत:क्रिया करने वाले परस्पर शारीरिक रूप से समीप होता है।
2. **द्वितीय सम्पर्क** (Secondary): शारीरिक रूप से दूर रहते हुये सम्पर्क। Mediator के माध्यम से सम्पर्क Mediator व्यक्ति भी हो सकता है, यंत्र भी (टेलीफोन)।
 (i) Direct Secondary Contact: शारीरिक रूप से दूर किन्तु 'इंद्रियो' द्वारा सीधा संपर्क। जैसे-टेलीफोन पर बातचीत, पत्र-व्यवहार आदि।
 (ii) Indirect Secondary Contact: 'इन्द्रियो' से भी दूर। इन्द्रियो का सीधा

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

संपर्क नहीं।

जैसे कि: व्यक्ति के माध्यम से सूचना मिलती है। राम ने श्याम से कहा सुरेश अच्छा आदमी है, श्याम ने आकर सुरेश को बताया कि राम कह रहा था कि तुम अच्छे आदमी हो।

संचार: अंत:क्रिया तभी होगी जब दोनो (व्यक्तियो, समूहो)के मध्य अर्थपूर्ण संचार हो।

अर्थपूर्ण संचार के लिए आवश्यक है कि:

1. दोनो परस्पर जागरुक हों।
2. एक दूसरे के प्रतीको (भाषा) को समझ रहे हो।

अगर एक बोले और दूसरा न सुने तो संचार नही होगा, यदि एक फ्रेंच मे बोले और दूसरे को फ्रेंच न आती हो तो भी संचार नहीं होगा फलत: अंत:क्रिया नहीं होगी।

जिलिन व जिलिन (Gullin & Gillin): **दो प्रकार**

1. **पूर्ण संचार** (Pefrect Communication): एक कहे दूसरा पूरी तरह समझ जाए।
2. **अपूर्ण संचार** (Imperfect Communication): एक कहे दूसरा पूरी तरह न समझ पाए।

टीचर फ्रेंच में पढ़ाए तो अपूर्ण संचार होगा। विद्यार्थी को फ्रेंच थोड़ी बहुत आती हो। अत: पारस्परिक जागरुकता संचार के लिए अति आवश्यक है।

ग्लेनर तथा स्टांस ने चार प्रकार की जागरुकता बतायी है:

1. **जागरुकता का खुला संदर्भ** (Open Awareness Context): एक दूसरे की स्थिति का पूरा ज्ञान कक्षा मे हम जानते है कि कौन हमारा अध्यापक है, अध्यापक जानता है कि हम विद्यार्थी है।
2. **जागरुकता का बन्द संदर्भ** (Close Awareness Context): जब पूरी तरह एक दूसरे की स्थिति का ज्ञान नहीं होता।
 आप नहीं जानते की आपका नौकर चोर है।
3. **जागरुकता का संदेहास्पद संदर्भ** (Suspicion Awareness Context): इसके लिए पहले Close Awareness Context होना चाहिए।
 आप नहीं जानते कि आपका नौकर चोर है लेकिन आपको उस पर शक है।
4. **जागरुकता का नाटकीय संदर्भ** (Pretence Awareness Context): आप नहीं जानते कि आपका नौकर चोर है आपको उस पर शक है लेकिन आप यह नहीं चाहते कि आपके नौकर को पता चले की आप उस पर शक करते हैं। तात्पर्य यह है कि पहले Close फिर Suspicious फिर Pretence तीनो प्रकार की जागरुकता इसमे आ जाती है। Open नहीं।

Open Awareness Context मे अंत:क्रिया अनौपचारिक होगी। बाकी तीनो में औपचारिक (Formal) होगी।

समाजशास्त्र में अंत:क्रिया की व्याख्या दो सिद्धांतो के अंतर्गत की जाती है:

1. प्रतीकात्मक अंत:क्रिया (Symolic Interactionism)
2. संरचनात्मक अंत:क्रिया (Interactional Structuralism)

ब्लूमर ने प्रतीकात्मक अंत:क्रिया को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है

'सामाजिक अंत:क्रिया मे भाग लेने वाले व्यक्ति, दूसरे व्यक्तियों की निरंतर क्रियाओं की दिशा को समझकर अपनी अंत:क्रिया की दिशा निर्धारित करता है। तात्पर्य यह है कि भाग लेने वाले परस्पर (एक-दूसरे की) क्रियाओं को समझकर अपने-अपने विचार, अनुभव, दृष्टिकोण तथा इच्छाओं को निर्धारित करते है तथा वे एक-दूसरे के व्यवहार को समझकर स्थिति का अध्ययन करते हैं फिर आवश्यकतानुसार मूल्य, मानदंडो व समूहगत नियम को निश्चित करते हैं जिन्हे वे व्यवहार में लाएंगे।'

Notepad

NET - JRF Manish Singh Sir EC Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

ब्लूमर की परिभाषा से प्रतीकात्मक अंत:क्रिया की निम्न विशेषताएं सामने आती हैं:

1. एक व्यक्ति दूसरे के प्रतीको (भाषा आदि) को समझकर अपनी क्रिया करता है।
2. पहले वह दूसरे व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रतीको को समझता है फिर उस क्रिया पर अपने विचार, अनुभव, दृष्टिकोण, इच्छाओं को निर्धारित करता है।
3. अंत में वह उन मूल्यों, मानदण्डो का निश्चय करता है जिन्हे वह अंत:क्रिया करते समय प्रयोग मे लाएगा।
4. व्यक्ति प्रमुख है।
5. द्विपक्षीय प्रक्रिया।
6. व्यक्ति को अपने विवेक के उपयोग की स्वतन्त्रता रहती है।

मीड (Mead) **ने प्रतीकात्मक अंत:क्रिया के दो तत्वों का उल्लेख किया है:**

1. **व्याख्या:** व्याख्या का तात्पर्य प्रतीको के अर्थ (व्याख्या) से है। हाथ दिखाने पर ड्राइवर गाड़ी रोक देता है।
2. **परिभाषा:** परिभाषा में अंत:क्रिया करने वाले व्यक्तियों की अपेक्षाएं शामिल हैं। वे अंत:क्रिया के समय अपनी विशेष स्थिति चाहते हैं।

 जैसे: कक्षा में अध्यापक अपनी खास जगह पर ही बैठना चाहेगा, छात्रो के बीच में नहीं।

संरचनात्मक अंत:क्रिया (Interactional Structuralism): संरचनात्मक अंत:क्रिया-संरचना को ध्यान में रखकर की जाने वाली अंत:क्रिया

संस्कृति व लक्ष्य पहले से निर्धारित होते है, कर्ता को इन्ही को ध्यान में रखकर अंत:क्रिया करनी पड़ती है। अर्थात् पूर्व निर्धारित मूल्य, मानदण्डो, आदर्शों, विचारों के अनुसार कर्ता को अंत:क्रिया करनी पड़ती है। इसमें कर्ता के अपने विवेक के लिए कोई स्थान नहीं होता।

प्रतीकात्मक अंत:क्रिया की तुलना फुटबाल के खिलाड़ी के व्यवहार से करनी चाहिए जैसे वह मैदान मे दौड़ने-भागने के किसी निश्चित नियम से अत्यधिक बाध्य नहीं होता (कुछ हद तक बाध्य होता है), उसे अपने विवेक के अनुसार दूसरे को पास देने की सुविधा रहती है।

जबकि संरचनात्मक अंत:क्रिया नाटक के एक पात्र की तरह होती है जिसे उसका पात्र, व्यवहार पूर्व निर्धारित होता है।

सामाजिक पृथकता (Social Isolation): पृथकता का तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जो कर्ता को सामाजिक अंतक्रिया से वंचित कर देती है।

King's lay Davis **ने तीन प्रकार की पृथकता बतायी है।**

1. **पूर्ण पृथकता:** व्यक्ति समाज से पूरी तरह कट जाता है। अंत:क्रिया की कोई संभावना नहीं रहती।

 जैसे कि: किसी बच्चे का जन्म होते ही उसे जंगल मे छोड़ दिया जाय वह वहीं बड़ा हो। समाज से अलग।
2. **उद्देश्यपूर्ण पृथकता:** किसी उद्देश्य के लिए पृथकता इसमें अंत:क्रिया के अवसर होते हैं।

 सन्यास ले लेना, किसी को काल-कोठरी की सजा मिल जाना।
3. **आंशिक पृथकता:** किसी समूह विशेष या स्थान विशेष से पृथकता।

 अपराधी को 'जिला-बदर' घोषित करना सामूहिक बहिष्कार, धार्मिक बहिष्कार पर्दा प्रथा, आदि।

Notepad

NET JRF Manish Singh Sir EC Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

Notepad

लेस्ली (Lesli) **ने कहा कि** "बार-बार दुहराई जाने वाली सामाजिक अंत:क्रिया को सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं।" (These repetitive forms of social interaction are called social process)

जैसा कि जिलिन और जिलिन (Gullin & Gillin) **ने बताया कि समाज के दो पक्ष होते हैं:**

1. संरचनात्मक पक्ष
2. प्रकायत्मिक पक्ष

संरचनात्मक पक्ष का तात्पर्य सामाजिक ढांचे से है जैसे परिवार, जाति व्यावस्था, नातेदारी आदि।

वहीं प्रकार्यात्मक पक्ष का तात्पर्य संरचनात्मक पक्ष के कार्यो व परिणामों से है। अत: यह कहा जा सकता है कि समाज का प्रकार्यात्मक पक्ष समाज का क्रियाशील पक्ष है, सामाजिक प्रक्रियाएं इसी प्रकार्यात्मक पक्ष का अध्ययन है न कि सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन।

सामाजिक प्रक्रियाओ की विशेषताएं

1. सामाजिक प्रक्रियाएं विभिन्न घटनाओं के क्रम को दर्शाती हैं। एक अकेली सामाजिक घटना सामाजिक प्रक्रिया का निर्माण नहीं कर सकती।
2. सामाजिक प्रक्रिया में अंत:क्रियाओ की पुनरावृत्ति होती है।
3. सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न घटनाओ मे निरंतरता पायी जाती है।
4. सामाजिक अंत:क्रिया सामाजिक प्रक्रिया की आधारभूत इकाई है इसलिए जो तत्व सामाजिक अंत:क्रिया के लिए आवश्यक है वे सामाजिक प्रक्रिया के लिए भी आवश्यक है।
 जैसे: संपर्क, संचार, उत्तेजना, रिसपांस आदि।
5. सामाजिक प्रक्रिया में विभिन्न घटनाओ के बीच सम्बध पाया जाना अत्यावश्यक है। प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, सहयोग एक दूसरे से अंत: संबंधित है।
6. सामाजिक प्रक्रिया एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। **(मकीवर व पेज)**
7. सामाजिक प्रक्रिया विशिष्ट परिणामों को जन्म देती है, सामाजिक परिवर्तन मात्र इसका (परिणामो का) एक पक्ष हो सकता है।
8. सामाजिक प्रक्रिया दो स्थितियो (Status) एवं भूमिकाओं (Roles) के बीच ऐसी अंत:क्रिया है जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्तियों का व्यवहार प्रभावित होता है। 'यह दो स्थितियों या दो भूमिकाओ के बीच अंत:क्रिया मात्र नहीं है बल्कि उससे आगे की चीज है। - Fichter
9. सामाजिक प्रक्रियाएं समाज के प्रकार्यात्मक पक्ष का अध्ययन है, यह सामाजिक परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन इसका एक परिणाम हो सकता है। सामाजिक परिवर्तन **'सामाजिक संरचना मे परिवर्तन'** को दर्शाता है जबकि सामाजिक प्रक्रियाओं के कारण आवश्यक नहीं है कि सामाजिक संरचना में परिवर्तन आए ही।
10. सामाजिक प्रक्रिया में दो या दो से अधिक व्यक्तियों की स्थिति में परिवर्तन आता है।

सामाजिक प्रक्रियाओं के प्रकार

जिलिन तथा जिलिन (Gullin & Gillin) **ने सामाजिक प्रक्रियाओं के तीन प्रकारो का वर्णन किया है:**

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

1. सामान्य सामाजिक प्रक्रिया (General Social Process)
2. सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया (Associative Social Process)
3. असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया (Dissociative Social Process)

1. **सामान्य सामाजिक प्रक्रिया** (General Social Process): इसके अंतर्गत सामाजिक अंत:क्रिया को रखा जाता है। चूकिं सामाजिक अंत:क्रिया सभी प्रक्रियाओं के लिए आधारभूत शर्त है इसलिए इसे सामान्य सामाजिक प्रक्रिया माना जाता है।

2. **सहयोगात्मक प्रक्रिया या सहयोगी प्रक्रिया** (Associative or Integrative or Conjunctive Social Process):
 (i) सहयोग (Co-operation)
 (ii) समायोजन (Accomodation)
 (iii) आत्मसातीकरण (Assimilation)

सहयोग (Co-operation):सहयोग मानव समाज की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।

"सहयोग सामाजिक अंत:क्रिया का वह स्वरूप है जिसमे दो या दो से अधिक व्यक्ति, समूह किसी निश्चित लक्ष्य (उद्देश्य) को पाने के लिए संगठित होकर निरंतर सामाजिक रूप से लम्बे समय तक प्रयास करते हैं।"

विशेषताएं

1. दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह
2. एक सामान्य उद्देश्य
3. चूंकि संगठित होकर सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयास होता है इसलिए **'हम की भावना'** (We Feeling) का विकास हो जाता है।
4. व्यक्ति या समूह एक दूसरे के प्रति जागरुक रहते हैं इसलिए सहयोग एक **'चेतन प्रक्रिया'** है।
5. दीर्घकालिक पारस्परिक निर्भरता पायी जाती है।
6. सामाजिक अंत:क्रिया सहयोग की प्रारंभिक अवस्था है।
7. सहयोग सापेक्षिक रूप से लंबे समय तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।
8. संगठित प्रयास।
9. सहयोग एक **सार्वभौमिक प्रक्रिया** हैं। **मकीवर व पेज** ने कहा कि **'संघर्ष के पार उतरा हुआ सहयोग ही समाज है।'**

सहयोग के प्रकार

1. **मकीवर वे पेज** (2 प्रकार)
 (i) **प्रत्यक्ष सहयोग** (Direct-Cooperation): समान उद्देश्य के लिए समान कार्य। जैसे चुनाव मे किसी प्रत्याक्षी के लिए मिलकर प्रचार करना।
 (ii) **अप्रत्यक्ष सहयोग** (Indirect cooperation): उद्देश्य समान परंतु कार्य अलग-अलग।

 जैसे: आधुनिक समाज मे श्रम विभाजन।

 T.V. के हर पार्ट अलग-अलग लोगो द्वारा बनाये जाते हैं लेकिन अंतिम उद्देश्य सभी का T.V. बनाना होता है।

2. **ग्रीन (तीन प्रकार)**

 व्यक्ति स्वेच्छा से सहयोग देता है
 (i) **प्राथमिक सहयोग** (Primary Co-operation): प्राथमिक समूहो में पाया जाने वाला सहयोग।
 गांव, परिवार, पड़ोस मे। अनौपचारिक सहयोग।
 (ii) **द्वितीयक सहयोग** (Secondary Co-operation):द्वितीयक समूहो मे

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

पाया जाता है।

औपचारिक (ऑफिस मे पाया जाने वाला सहयोग)।

(iii) **तृतीयक सहयोग** (Tertiary Co-operation): ग्रीन ने बताया कि तृतीयक सहयोग व्यवस्थापन है। संघर्ष के बाद का व्यवस्थापन (Accomodation)। जैसे: दो युद्धरत देश आपस मे सहझौता कर ले, आवश्यक नहीं है कि तृतीयक सहयोग स्थायी हो।

3. **आगवर्न निमकॉफ: तीन प्रकार:**

(i) **सामान्य सहयोग** (Common Co-operation): सभी का उद्देश्य व कार्य समान उदाहरण: प्रत्यक्ष सहयोग।

(ii) **मित्रवत सहयोग** (Friendly co-operation): आनन्द के लिए सहयोग। जैसे: मिलकर नाच-गाना करना।

(iii) **विभेदीकृत सहयोग** (Differinciated Co-operation): उद्देश्य-समान, कार्य: अलग-अलग उदाहरण-अप्रत्यक्ष सहयोग।

समायोजन (व्यवस्थापन) (Accomodation): व्यवस्थापन की सहयोगी प्रक्रिया है, यह संघर्ष से सहयोग की ओर बढ़ने का प्रथम चरण है। जब भी दो विरोधी व्यक्ति या समूह प्रतिस्पर्धा या संघर्ष को टालना चाहते हैं तो वे आपस मे समझौता कर लेते है यही समझौता व्यवस्थापन है। आवश्यक नहीं कि यह व्यवस्थापन स्थायी हो। इसलिए कहा जा सकता है कि व्यवस्थापन संघर्ष या प्रतिस्पर्द्धा को टालने की स्थिति भी है।

समनर ने इसे 'विरोधी सहयोग' (Antagonistic co-operation) **कहा है।**

विशेषताएं:

1. व्यवस्थापन (Accomodation) एक **गत्यात्मक प्रक्रिया है** क्योंकि इससे प्रतिस्पर्धा या संघर्ष की तनावकारी स्थिति से निकलकर शांति की ओर जाने का बोध होता है।
2. व्यवस्थापन मे परस्पर संघर्षरत व्यक्तियों व समूहो के विचारो व दृष्टिकोणों मे परिवर्तन आता है जिससे वे सहयोग की ओर बढ़ते हैं।
3. व्यवस्थापन से **प्रक्रिया** (Process) **व अवस्था** Condition दोनो का बोध होता है।
 प्रक्रिया के अर्थ मे व्यवस्थापन स्थापित करने के लिए संघर्षरत व्यक्ति या समूह निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं
 एक अवस्था (Condition) के रूप मे व्यवस्थापन सम्बधों की एक व्यवस्था है जो यह बताती है कि समूह मे व्यक्ति की तथा संपूर्ण सामाजिक संगठन मे समूह की स्थिति क्या है। व्यक्ति या समूह को इस बतायी गयी स्थिति को स्वीकार या अस्वीकार करना पड़ता है। स्वीकार करना ही व्यवस्थापन है।
 जैसे-जाति व्यवस्था मे हर एक जाति की स्थिति निश्चित है, प्रत्येक जाति अपनी स्थिति को स्वीकार करती है यही व्यवस्थापन है।
4. व्यवस्थापन **चेतन व अचेतन** दोनो प्रकार का हो सकता है लेकिन अधिकांशत: अचेतन होता है।
5. व्यवस्थापन की प्रक्रिया **निरंतर चलती रहती है**।
6. **सार्वभौमिक प्रक्रिया।**
7. व्यवस्थापन मे प्रेम व घृणा का मिश्रण पाया जाता है।
8. व्यवस्थापन प्रतियोगिता या संघर्ष का परिणाम है।

व्यवस्थापन के प्रकार (Types of Accommodation):

जिलिन व जिलिन ने दो प्रकार के समायोजन की चर्चा की है:

1. **समन्वयात्मक व्यवस्थापन** (Co-ordinate Accommodation): जब संघर्षरत दोनो पक्षों की हैसियत समान होती है। तो वे आपस मे बराबरी का समझौता कर लेते हैं।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

2. **उच्चकोटि-अधीनस्थ व्यवस्थापन** (Super ordinate-Subordinate Co-operation): दो असमान हैसियत वाले पक्षो के बीच का समायोजन। कमजोर पक्ष पर समझौता थोप दिया जाता है।

यदि दो राष्ट्रो में युद्ध होता है और दोनो की प्रस्थिति समान है, तात्पर्य दोनो के पास समान शक्ति, प्रतिष्ठा है तो व्यवस्थापन समन्वमात्मक होगा। पति-पत्नी के मध्य भी व्यवस्थापन समन्वायात्मक होगा क्योंकि दोनो की हैसियत (प्रस्थिति) समान है।

लेकिन यदि एक राष्ट्र की प्रस्थिति निम्न है, अर्थात वह शक्ति मे दूसरे से कमजोर है तो व्यवस्थापन Superordinate-Subordinate होगा। बड़े अफसर व छोटे कर्मचारी मे भी इसी प्रकार का व्यवस्थापन पाया जाएगा। मजदूरो व मालिको मे समायोजन (व्यवस्थापन) Superordinate-Subordinote प्रकृति का होगा क्योंकि दोनो की प्रस्थिति असमान है।

लेस्ली ने पांच प्रकार के व्यवस्थापन की चर्चा की है:

1. विराम संधि (Truce)
2. समझौता (Compromise)
3. मध्यस्थता (Arbitration)
4. सर्वोपरि व्यवस्था (Superordinate Arrangement)
5. बरदाश्त (Toleration)

Methods of Accommodation:

1. **बल प्रयोग** (Coercion): बल प्रयोग शारीरिक व मानसिक दोनो हो सकता है। शक्तिशाली पक्ष कमजोर पक्ष को अपनी ताकत के बल पर व्यवस्थापन के लिए बाध्य कर देता है। यह Superordinate-Subordinate Accommodation होता है।
2. **समझौता द्वारा** (By Compromise): समझौते मे दोनो पक्ष अपेक्षाओ से अधिक योग करते है फिर मांग मे कुछ कमी लाते हुए या त्याग करते हुए एक बिन्दु पर सहमत हो जाते है।

 यह सामान्यत: समान शक्ति वाले पक्षो के बीच होता है।
3. **सहिष्णुता** (Toleration): जब दो संघर्षशील पक्षो मे समझौता नहीं हो पाता तब वे एक दूसरे की बातो को सहन करने को तैयार हो जाते हैं।
 - **किम्बाल यंग** ने इसे **सहनशीलता से हिस्सेदारी लेना** (Tolerant Participation) **कहा।**
 - **रॉस** (Allen Ross) ने इसे **नियमित उपेक्षा** (Regulated Avaidance) कहा।
 - सहिष्णुता एक पक्षीय भी हो सकती है जैसे पिता पुत्र की बुरी आदतो को, उसके हितो को ध्यान मे रखकर कभी-कभी नजरंदाज कर देते हैं। यह द्विपक्षीय भी हो सकती है-जैसे दो समान शक्ति वाले राष्ट्रो के बीच व्यवस्थापन।
4. **मध्यस्थता** (Arbitration): किसी मध्यस्थ की सहायता से व्यवस्थापन।

 जैसे: LITTE व श्रीलंका सरकार के बीच नार्वे मध्यस्थता कर रहा है।
5. **मत परिवर्तन या स्थिति परिवर्तन** (Conversion): एक पक्ष द्वारा व्यवस्थापन के लिए दूसरे पक्ष के आचार, विचार, संस्कृति को पूर्णत: या आंशिक स्वीकार करना Conversion कहलाता है। जैसे: धर्म परिवर्तन, राजनैतिक विचारधारा मे परिवर्तन आदि।
6. **उदात्तीकरण या शोधन** (Sublimation): मे व्यक्ति या समूह पुराने स्वीकृत कार्यो के स्थान पर नये कार्यो को प्रस्तुत करता है जिसे दूसरे पक्ष की स्वीकृति मिल जाती है। या अन्य शब्दो मे जब व्यक्ति या समूह एक क्षेत्र में असफल हो

Notepad

NET: JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

जाता है तो उस असफलता की क्षतिपूर्ति दूसरे क्षेत्र में सफल होकर करता है। जैसे कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है लड़की पारिवारिक दबाव, सामाजिक कारणो से शादी से इंकार कर देती है तो लड़का तनाव को कम करने के लिए लेखन करने लगता है और बहुत बड़ा लेखक बन जाता है। लेखन के कार्य को सामाजिक स्वीकृति मिली हुयी है।

यहां लड़के कार्यो व विचारो का Sublimation हुआ जिसे दूसरे पक्ष की स्वीकृति मिल गयी।

7. **विवेकीकरण या तार्किकीकरण** (Rationalization): तार्किकीकरण मे व्यक्ति वाह्य परिस्थितियों से तर्क के आधार पर व्यवस्थापन करता है वह अपनी मनोवृत्ति या अपने व्यवहार को तर्को के आधार पर न्यायोचित ठहराता है।

चुनाव मे हारने वाला व्यक्ति या परीक्षा मे असफल होने वाला व्यक्ति इस आधार पर अपनी हार को न्यायोचित ठहराता है कि उसे साधनो का अभाव था और असफलता तो जिन्दगी का सार है। इसी तरह प्यार मे असफल व्यक्ति का यह सोचना कि अच्छा हुआ मेरा पैसा और समय बचा तार्किकीकरण द्वारा व्यवस्थापन है।

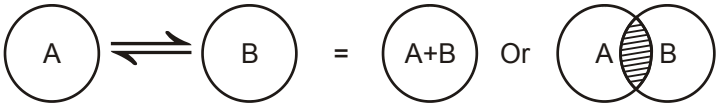
व्यवस्थापन के परिणाम

1. व्यवस्थापन से संघर्ष व प्रतिस्पर्द्धा पर नियंत्रण आता है।
2. व्यवस्थापन से संस्थाओ मे सुधार होता है जैसे मजदूर हड़ताल से मजदूर एक्ट का पारित होना।
3. व्यवस्थापन से दो विरोधी व्यक्ति के लोग आपस मे मिलते हैं।
4. व्यवस्थापन से व्यक्ति की प्रस्थिति का पुर्ननिर्धारण होता है क्योंकि संघर्ष के समय प्रस्थिति छिन्न-भिन्न हो चुकी होती है।
5. व्यवस्थापन से प्रतियोगिता, संघर्ष मे होने वाले व्यय खर्चे पर नियंत्रण रखा जाता है।
6. व्यवस्थापन, सहयोग के लिए आधार का कार्य करता है।
7. व्यवस्थापन, आत्मसातीकरण का मार्ग प्रशस्त करता है।

आत्मसातीकरण (Assimilation): प्रारंभिक अर्थो में आत्मसातीकरण प्रक्रिया का प्रयोग एक तरफी प्रक्रिया के रूप में किया गया है तब इसका अध्ययन प्रजातीय समूहो द्वारा अमरीकी संस्कृति को अपनाने की प्रक्रिया के रूप में किया गया, इसी संदर्भ में **राबर्ट पार्क** ने **प्रजातीय संबंधो का चक्र** (Race Relation Cycle) के सिद्धांत का प्रतिपादन किया तथा बताया कि यह प्रक्रिया चार चरणो से होकर गुजरती है:

स्म्पर्क (Contacts)
↓
प्रतियोगिता (Competition)
↓
व्यवस्थापन (Accomodation)
↓
आत्मसातीकरण (Assimilation)

लेकिन वर्तमान में आत्मसातीकरण को एक दो तरफी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया गया है। वर्तमान मे इसे परसंस्कृति ग्रहण (Acculturation) के पर्याचवाची शब्द के रूप में प्रयोग किया जा रहा है।



Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

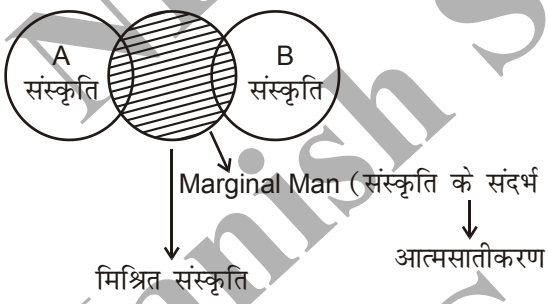
तात्पर्य यह है कि आत्मसातीकरण प्रक्रिया मे दो समूह या व्यक्ति एक दूसरे के इतिहास, स्मृतियो, परंपराओ, मूल्यों, मानदंडो, व्यवहारों, दृष्टिकोणो आदि को अपनाते है तथा सामान्यत: आंशिक व कभी-कभी पूर्ण रूप से एक हो जाते हैं।

Notepad

आत्मसातीकरण (Assimilation) की विशेषताएं

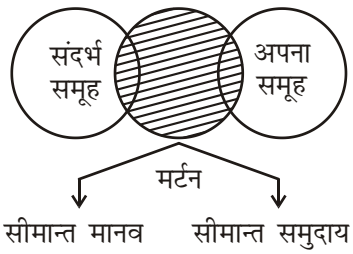
1. **आत्मसातीकरण एक तरफा प्रक्रिया है:** यद्यपि की आधुनिक अर्थो मे आत्मसातीकरण को एक Reciprocal प्रक्रिया के रूप में प्रयोग किया जा रहा, परंतु पारम्परिक अर्थो में इसे एक तरफी प्रक्रिया के रूप मे ही माना गया है, (एक संस्कृति का दूसरे मे विलीन हो जाना) जो कि परीक्षा की दृष्टि से सही है।
2. आत्मसातीकरण प्रक्रिया व अवस्था दोनो है। प्रक्रिया के रूप में यह निरंतर चलने वाली वह अंत:क्रिया है जिसमे अंत में दो व्यक्ति या समूह एक हो जाते हैं। अवस्था के रूप में एक व्यक्ति जिस संस्कृति में जन्म लेता है धीरे-धीरे उसी को आत्मसात कर लेता है।
3. आत्मसातीकरण की प्रक्रिया **धीमे गति** से चलती है।
4. आत्मसातीकरण **स्थायी व अस्थायी दोनो प्रकार के संबंधो में होता है।**
5. आत्मसातीकरण **अक्सर अपूर्ण होता है**। तात्पर्य यह कि कोई व्यक्ति या समूह पूरी तरह से नहीं बदल जाता बल्कि उसकी अपनी संस्कृति परम्पराएं भी इसमे विद्यमान रहती है।

इसी संबंध में स्टोन क्विस्ट (Stonequist) **ने 'सीमान्त मानव'** (Marginal Man) अवधारणा का प्रतिपादन किया। सीमान्त मानव वह है जो दोनो मे से किसी भी संस्कृति को पूर्ण रूप से नहीं अपनाता बल्कि दोनो संस्कृतियो के कुछ हिस्सो को अपनाता है।



अर्थात् उसकी संस्कृति मिश्रित (Composite Culture) होती है।

मर्टन ने भी संदर्भ समूह के प्ररिप्रेक्ष्य में सीमान्त मानव (Marginal Man) **व सीमान्त समुदाय** (Marginal Community) की चर्चा की है। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जिस समूह का सदस्य है और जिसकी सदस्यता चाहता है दोनो के मध्य (सीमाओं) पर खड़ा रहता है। यह स्थिति समुदाय के संदर्भ में भी देखी जा सकती है।



जैसे: साधारणतया यह अल्पसंख्यक समूह होता है जैसे भारत मे ईसाई आदि। भारत का इसाई समुदाय अपने को पश्चिमीकृत मानता है लेकिन उसमे भारतीय संस्कृति के भी अंश पाये जाते है फलत: विश्व का इसाई समुदाय इसे अपने बराबर नहीं मानता। न तो ये पूर्ण भारतीय है न पूरी तरह पश्चिमीकृत।

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

सामाजिक विज्ञानो के परिप्रेक्ष्य मे सर्वप्रथम इस अवधारणा (Marginal Man) के प्रयोग का श्रेय 'स्टोन क्विस्ट' को जाता है बाद मे रावर्ट ई. पार्क ने भी इसका प्रयोग किया। इसके अंतर्गत व्यक्ति दोनो संस्कृतियों को लेकर द्विविधा, असामंजस्य तथा मानसिक संघर्ष की स्थिति मे रहता है।

एम. शेरिफ: एक सीमान्त व्यक्ति वह है जो अपने समूह के मूल्यो के अनुसार जीवन व्यतीत करते हुये भी पराये समूह के मूल्यों को आंतरिक रूप से स्वीकार करता है।

6. **आत्मसातीकरण एक असमान** (uneven) **प्रक्रिया है:** आत्मसातीकरण की प्रवृत्ति, व्यक्ति से व्यक्ति व समूह से समूह मे बदलती रहती है। अलग-अलग धर्म, भाषा, प्रजातीय एवं भिन्नता, जाति आत्मसातीकरण मे बाधा का काम करती है।

आत्मसातीकरण (Assimilation) के प्रकार

विलियम जे. गुडे:

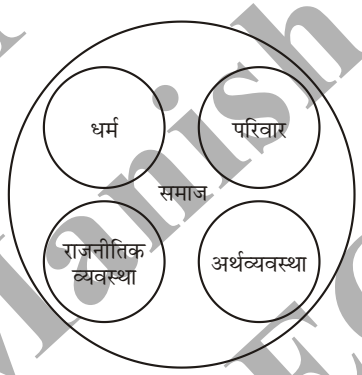
1. आंशिक आत्मसातीकरण
2. पूर्ण आत्मसातीकरण

विलियम मैक्डूगल:

1. घनिष्ठ आत्मसातीकरण
2. सामान्य आत्मसातीकरण

सात्मीकरण का ठीक उल्टा सांस्कृतिक बहुलवाद (Cultural Pluralism) **है,** जिसमें सभी संस्कृतियां बंधुत्व के साथ रहती हैं।

एकीकरण (Integration): एकीकरण का अर्थ एकरूपता (Homogeneity) नही है अर्थात् सभी अंग एक जैसे कार्य नहीं करते बल्कि एकीकरण का तात्पर्य संगठन से है अन्य शब्दो में सभी अलग-अलग इकाइयों मे किसी लक्ष्य को लेकर एकता पायी जाती है।



- अगर हम समाज को एकीकृत इकाई मान ले तो धर्म, परिवार, राजनीतिक व्यवस्था अर्थव्यवस्था आदि उप इकाइयां है जिनके एकीकरण (संयुक्तता) के कारण समाज एक व्यवस्था के रूप में बना रहता है।
- चूंकि ये उप-इकाइयां आपस मे समरूप तो है नहीं इसलिए यह कहा जा सकता है कि एकीकरण में भिन्नता की धारणा निहित है।
- इस तरह देखे तो एकीकरण एक प्रक्रिया तथा स्थिति (दशा) दोनो को दर्शाता है।
- प्रक्रिया के संदर्भ में विभिन्न इकाइयों का क्रमिक रूप से धीरे-धीरे एकीकरण हुआ।
- अब जब ये इकाइयां एकीकृत हो कर व्यवस्था को बनाये रख रही है तो यह स्थिति बरकरार रहनी चाहिए। अगर यह स्थिति (संतुलन की) बरकरार नहीं रहेगी तो समाज का विघटन प्रारंभ हो जाएगा।
- समय-समय पर एकीकरण को समझाने के प्रयास हुये लेकिन उनमे से सिर्फ दो को महत्व मिल सका। प्रकार्यवाद और श्रम का विभाजन।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

- एकीकरण को विभिन्न प्रजातियों द्वारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से एक दूसरे के निकट और निकट आने की प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है।

असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाए (Dissociative Social Process):

प्रतियोगिता (Competition): प्रतियोगिता का जन्म तब होता है जब लक्ष्य सीमित हो और उसे प्राप्त करने वाले अनेक। प्रतियोगिता निश्चित साधनो से की जाती है तात्पर्य यह है कि प्रतियोगिता के कुछ निश्चित कारण व नियम होते है, इसमे हिंसा नहीं होती जब इन नियमो की अनदेखी कर दी जाती है, हिंसा का सहारा लिया जाता है तब इसे संघर्ष कहा जाएगा प्रतियोगिता नहीं।

मैक्स वेबर ने प्रतियोगिता को **'शांतिपूर्ण संघर्ष'** कहा है।

प्रतियोगिता बहुत व्यापक शब्द है यह सहयोग की तरह एक विश्वव्यापी शब्द है विश्व में ऐसा कोई समाज नहीं है जहां प्रतियोगिता न पायी जाती हो प्रतियोगिता के लिए सामाजिक सम्पर्क भी आवश्यक नहीं होता जैसे-IAS के exam में एक प्रतियोगी इलाहाबाद मे तो दूसरा दिल्ली मे रहता है लेकिन दोनो में प्रतियोगिता पायी जाती है क्योंकि लक्ष्य समान है। लेकिन सम्पर्क प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष इस आधार पर प्रतियोगिता को संघर्ष से अलग नहीं किया जा सकता। इन्हें अलग करने का मुख्य आधार हिंसा होती है।

स्पेन्सर ने प्रतिस्पर्द्धा को सामाजिक प्रगति का एक आवश्यक कारक माना।

प्रतियोगिता पर विभिन्न विचार:

कार्ल मार्क्स: मार्क्स ने कहा कि प्रतियोगिता को एक विश्वव्यापी प्रक्रिया तथा मानवीय स्वभाव के स्थापित लक्षण के आधार पर परिभाषित नहीं किया जा सकता बल्कि यह पूजींवाद की संरचना का विशेष लक्षण है। मार्क्स के पूंजीवादी सिद्धांत मे तीन प्रकार की प्रतियोगिता का वर्गीकरण किया गया है:

1. बाजार पर नियंत्रण के लिए पूंजीपतियो के मध्य चलने वाली प्रतियोगिता।
2. रोजगार को निश्चित (सुरक्षित) रखने के लिए मजदूरो (कामगारो) के बीच प्रतियोगिता।
3. पूंजी और श्रम के बीच चलने वाली प्रतियोगिता। मार्क्स ने बताया कि इसी (तीसरी) प्रतियोगिता से **'क्रान्तिकारी वर्ग चेतना'** (Revolutionary class consciousness) का जन्म होता है, और इस प्रतियोगी वर्ग संघर्ष की अन्तिम परिणति पूंजीवादी समाज के विघटन के रूप में होगी।

मैक्स वेबर (1922): वेबर ने प्रतियोगिता को 'शांतिपूर्ण संघर्ष' कहा तथा बताया कि 'प्रतियोगिता सीमित संसाधनो पर नियंत्रण के लिए होती है।

वेबर ने दो प्रकार की प्रतियोगिताओ का जिक्र किया है:

नियंत्रित प्रतियोगिता (Regulated Competition)	**अनियंत्रित प्रतियोगिता** (Unregulated Competition)
जैसे परीक्षा के माध्यम से IAS की कुछ सीटो के लिए प्रतियोगिता	जैसे: उत्तर जीविका के लिए विभिन्न जातियों (Species) के मध्य प्रतियोगिता।

वेबर ने कहा कि प्रतियोगिता सभी सामाजिक संबंधो का एक अनिवार्य लक्षण है न कि पूंजीवादी समाज का विशिष्ट लक्षण।

Parsons (1954): **पूंजीवाद में प्रतियोगिता बहुत से तरीको से प्रतिबंधित होती है** (Competition in capetalism is restrained by a variety at conditions)

1. सामान्य मूल्यो द्वारा (Common Values)
2. पेशेवरो की समिति मे नियम संहिता द्वारा (Codes of Conducts in Professional Association)
3. भूमिका और वैधानिक अधिनियमो की पारस्परिकता द्वारा (Reciprocity between roles and legal regulation)

प्रतियोगिता के प्रकार:

1.

Notepad

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

जिलिन व जिलिन
(Gillin and Gillin)

वैयक्तिक प्रतियोगिता Personal Competition *या* चेतन प्रतियोगिता Conscious Competition	अवैयक्तिक प्रतियोगिता Impersonal Competition *या* अचेतन प्रतियोगिता Unconscious Competition
प्रतियोगी एक दूसरे को, एक दूसरे के प्रयत्नों को, व्यक्तिगत रुप से जानते हैं। यह चेतन रुप से होती है। उदाहरण – विश्वविद्यालय में वाद-विवाद प्रतियोगिता, दो पहलवानों का कुश्ती लड़ना, एक लड़की से दो लड़कों का प्रेम करना।	यह प्रतियोगिता समूहों के बीच पाई जाती है, प्रतियोगी व्यक्ति ही होते हैं लेकिन वे समूहों के रुप में प्रतियोगिता करते हैं। उदाहरण- दो राष्ट्रों के बीच प्रतियोगिता, दो राजनीतिक दलों के बीच प्रतियोगिता, फुटबाल या क्रिकेट का मैच।

2. संस्थात्मक प्रतियोगिता तथा असंस्थातमक प्रतियोगिता (Institutional and Non-Institutional Competition)**:** जब प्रतियोगिता नियमो के अंतर्गत होती है या किसी संस्था द्वारा आयोजित होती है तो इसे संस्थात्मक प्रतियोगिता कहते हैं। जैसे UPSC **के माध्यम से** IAS **की परीक्षा।** जब प्रतियोगी का व्यवहार नियमो या मानदण्डो द्वारा निर्धारित नहीं होता तो उसे असंस्थात्मक प्रतियोगिता कहते हैं। जैसे**:** धन दिखावे की प्रतियोगिता।

3.

जिलिन व जिलिन
(Gillin and Gillin)

आर्थिक प्रतियोगिता Economic Competition	सांस्कृतिक प्रतियोगिता Cultural Competition	भूमिका या प्रस्थिति के लिए प्रतियोगिता Competition for Role or Status	प्रजातीय प्रतियोगिता Racial Competition
व्यापारियों या उद्योगपतियों के मध्य पाई जाने वाली प्रतियोगिता, उद्योगपति अपना लाभ अधिकतम कमाना चाहते हैं।	दो संस्कृतियों के बीच की प्रतियोगिता। मेरी संस्कृति ज्यादा अच्छी है, की प्रतियोगिता	उच्च प्रस्थिति तथा भूमिका प्राप्ति के लिए प्रतियोगिता। **मेलोक** ने इसे **'प्रभुत्व के लिए संघर्ष'।** मनोवैज्ञानिक इसे **'Satisfaction of Ego'** मानते हैं।	अपनी प्रजाति को अच्छा व श्रेष्ठ सिद्ध करने की प्रतियोगिता। जैसे- श्वेत लोग निग्रो को अपने से हीन मानते हैं।

किस समाज में प्रतियोगिता की दर क्या होगी। इसके उत्तर में Gillin & Gillin ने बताया कि यह दो आधारो पर निर्भर करेगी**:**

1. मूल्यों की व्यवस्था पर
2. समूह संरचना पर

समाज के मूल्य यदि भौतिकवादी है जैसे घर, कपड़ा, गाड़ी, पैसा तो समाज में प्रतियोगिता अधिक होगी वहीं यदि मूल्य पर धार्मिक प्रभाव (अभौतिक मूल्य) अधिक है जैसे**:** दूसरो के सुख से बड़ा सुख नहीं, परोपकार ही सच्चा धर्म है, तो प्रतियोगिता कम होगी।

इसी प्रकार यदि समूह की संरचना 'खुले प्रकार' की है अर्थात उसमे गतिशीलता

Notepad

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

के अधिक अवसर प्राप्त है जैसे वर्ग व्यवस्था तो प्रतियोगिता अधिक होगी। इसके विपरीत यदि समूह सरंचना बन्द प्रकार की है, तो उसमे गतिशीलता के अवसर कम होंगे जैसे जाति व्यवस्था तो प्रतियोगिता भी कम होगी।

Notepad

प्रतियोगिता की विशेषताएं:

1. दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह का होना।
2. सीमित तथा सामान्य (एक ही) लक्ष्य
3. लक्ष्य प्राप्ति के लिए सभी का प्रयासरत होना।
4. प्रयास नियमो मानदण्डो के अंतर्गत होना
5. किसी तीसरे पक्ष का होना।

Gillin & Gillin **ने प्रतियोगिता के बारे मे कहा कि:** प्रतियोगिता वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विरोधी व्यक्ति या समूह, किसी जनता का समर्थन या प्राथमिकता पाने की कोशिश करते हैं तथा उसे अपने-अपने पक्ष में करने की अपील करते है न कि हिंसा की।

इससे यह स्पष्ट होता हे कि प्रतियोगिता में तीसरे पक्ष का होना (जनता) अनिवार्य है। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि:

6. प्रतियोगिता में हिंसा नहीं पायी जाती।
7. प्रतियोगिता सामान्यत: अवैयक्तिक होती है।
8. प्रतियोगिता सामान्यत: अचेतन प्रक्रिया होती है।

सामान्यत: प्रतियोगियो को एक दूसरे के प्रयत्नो आदि के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती।

9. प्रतियोगिता अपने (व्यक्ति या समूह) लाभ के लिए होती है न कि दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए
10. प्रतियोगिता निरंतर तथा सार्वभौमिक प्रक्रिया है।

प्रतिकूलन (Contravention): प्रतिकूलन प्रतियोगिता व संघर्ष के बीच की असहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया है।

प्रतिकूलन मे न तो व्यक्ति प्रतियोगिता करता है न तो संघर्ष उसमे केवल **'विरोध की भावना'** रहती है, वह सिर्फ विरोध करता है। इस 'विरोध की भावना' का परिणाम यह होता है कि वह (व्यक्ति या समूह) दूसरो के साथ मिलकर (सहयोग से) काम करने से दूर हटता जाता है। इस असहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया की उपयोगिता सामाजिक संघर्ष को रोके रखने तथा सामाजिक परिवर्तन को दिशा देने में है।

राजनैतिक क्षेत्र में प्रतिकूलन (विरोध की भावना) की भूमिका निर्णायक होती है, लोकतन्त्र में दो विरोधी समूहों की एक निश्चित कार्यप्रणाली होती है।

अनुकूलन (Adaptation): यह एक जैविकीय अवधारणा है, इसमें जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने को पर्यावरण में बदलाव के साथ बदल लेता है, जिन जीवो में अनुकूलन की प्रक्रिया नहीं हो पाती वे समाप्त हो जाते हैं जैसे: डायनासोर **(डार्विन का सिद्धांत)**

इसी आधार पर सामाजिक अनुकूलन (Social Adaptation) की भी संकल्पना की गयी हे जिसमे व्यक्ति या समूह समाज में होने वाले परिवर्तन या सामाजिक परिवर्तन के हिसाब से अपने को बदलता है। जैसे: कम्पयूटर, टेलीफोन आदि का संचालन सीखना।

संघर्ष (Conflict): जिलिन तथा जिलिन (Gillin & Gillin) ने संघर्ष को परिभाषित करते हुए लिखा कि: "संघर्ष वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमे व्यक्ति या समूह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विरोधी पक्ष के प्रति सीधी हिंसा करते हैं या हिंसा की धमकी देते हैं।"

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

फिक्टर (J.H. Fichter) **ने संघर्ष को इस तरीके से परिभाषित किया है कि:**

"संघर्ष पारस्परिक अंत:क्रिया का वह प्रकार है जिसमे दो या अधिक व्यक्ति एक दूसरे को समाप्त करने का प्रयास करते हैं चाहे यह उन्हें अप्रभावी बनाकर या पूरी तरह नष्ट करके किया जाए।"

Notepad

विशेषताएं

1. संघर्ष मे **कम से कम दो व्यक्ति** या समूह होने चाहिए।
2. संघर्ष में **'हिंसा की भावना'** अनिवार्य रूप से पायी जाती है, चाहे यह सीधे तरीके से की जाए या परोक्ष रूप (धमकी) से।
3. संघर्ष एक **वैयक्तिक प्रक्रिया है** (Personal Process) है, इसका कारण यह है कि संघर्ष लक्ष्य पर केन्द्रित न होकर व्यक्तियों पर केन्द्रित होता है।
4. **संघर्ष सहयोग का ही एक पक्ष है,** दो समूहो के मध्य संघर्ष के लिए अनिवार्य है कि प्रत्येक समूह के सदस्यों के बीच आपस में सहयोग (आंतरिक सहयोग) हो।

 संघर्ष और सहयोग समाज की मूल प्रक्रियाएं है कोई भी समाज न तो निरंतर सहयोग की स्थिति में रह सकता है और न ही हमेशा संघर्ष की स्थिति में। इन्हीं बातो को ध्यान में रखकर **लेस्ली** ने **सहयोग-संघर्ष निरन्तरता** (Co-operation-Conflict Continuum) की अवधारणा का प्रतिपादन किया।
5. संघर्ष एक **सार्वभौमिक प्रक्रिया** (Universal Process) है, क्योंकि यह सभी समाजो में पाया जाता है।
6. संघर्ष एक **अनिरन्तर प्रक्रिया** (Intermittent Process) है, तात्पर्य यह कि संघर्ष रूक-रूक कर चलता है क्योंकि संघर्ष के लिए प्रत्येक पक्ष को शक्ति के साधन जुटाने पड़ते हैं, किसी भी पक्ष के पास शक्ति के साधन असीमित मात्रा में नहीं होते।
7. संघर्ष के कुछ न कुछ परिणाम अवश्य होता है क्योंकि संघर्ष व सामाजिक परिवर्तन में सीधा संबंध होता है। डहरेन्डार्फ ने लिखा कि "किसी भी संघर्ष में जितनी अधिक निष्ठा व संकल्प के साथ लोग शामिल होंगे, उतने ही ज्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे और उतने ही उस संघर्ष के दूरगामी परिणाम होंगे।"

संघर्ष के प्रकार

मकीवर व पेज: 2 प्रकार

1. **प्रत्यक्ष संघर्ष:** इसमें व्यक्ति या समूह अपने विरोधी पक्षों के साथ आमने-सामने का संघर्ष करते हैं। इसमें संघर्षरत पक्षों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।
2. **अप्रत्यक्ष संघर्ष :** प्रत्येक पक्ष एक दूसरे के सीधे संपर्क में न आकर, परोक्ष रूप से दूसरे के मार्ग में बाधा पहुंचाता है।

मकीवर व पेज ने 'प्रतियोगिता' को अप्रत्यक्ष संघर्ष का एक प्रकार माना।

जिलिन व जिलिन (Gillin & Gillin): 4 **प्रकार**

1. **वैयक्तिक संघर्ष** (Personal Conflict): व्यक्ति-व्यक्ति के बीच होने वाला संघर्ष।
2. **प्रजातीय संघर्ष** (Racial Conflict): प्रजातियों के मध्य होने वाला संघर्ष जैसे- दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद।
3. **वर्ग संघर्ष** (Class Conflict): विभिन्न वर्गो के बीच का संघर्ष। जैसे: बुर्जुआ-सर्वहारा संघर्ष **(मार्क्स)।**
4. **राजनीतिक संघर्ष** (Political Conflict):
 (i) **अंर्तदेशीय राजनीतिक संघर्ष:** विभिन्न देशों के मध्य होने वाला संघर्ष।

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

दो देशों के बीच होने वाली युद्ध इस प्रकार का सवश्रेष्ठ उदाहरण है।

(ii) **अंत:देशीय राजनीतिक संघर्ष:** देश की सीमा के अंदर का राजनैतिक संघर्ष। लोकतांत्रिक देशों में विभिन्न राजनैतिक दलों के मध्य संघर्ष अधिक होता है। सामान्यत: इसे प्रतिस्पर्द्धा माना जा सकता है लेकिन जब ये दल हिंसात्मक रूख अपनाते हैं तब इसे संघर्ष की श्रेणी में रखा जा सकता है।

Notepad

जिमेल (Simmel): 4 **प्रकार**

1. युद्ध 2. कलह (Feud) 3. मुकदमेबाजी (Litigation) 4. अवैयक्तिक आदर्शों का संघर्ष

किंग्सले डेविस (Kingslay Davis): **2 प्रकार**

1. **आंशिक संघर्ष** (Partial Conflict): जब दो पक्षो के मध्य साध्य (लक्ष्य) को लेकर समझौता हो जाए लेकिन साधन को लेकर न हो जाए।
2. **पूर्ण संघर्ष** (Total Conflict): जब साधन व साध्य दोनो में से किसी में भी समझौता न हो पाए।

आंशिक और पूर्ण संघर्ष में केवल (डिग्री) अंशो का अंतर होता है। अंशो का तात्पर्य तीव्रता से है।

संघर्ष के सिद्धांत (Theories of Conflict): **सामाजिक परिवर्तन के संघर्षवादी सिद्धांत देखें।**

संघर्ष के कारण (Causes of Conflict):

माल्थस: 'जीवन के साधनो की कमी संघर्ष का कारण है।'

फ्रायड: 'मनुष्य में जन्म से ही हिंसा की प्रवृत्ति होती है।'

डार्विन:

1. जीवन के लिए संघर्ष
2. योग्यतम की उत्तर जीविता अर्थात जो सर्वश्रेष्ठ है वही जीवित रहेगा।

जिलिन व जिलिन (Gillin & Gillin): 4 **कारण**

1. व्यक्तिगत भिन्नताएं (Individual differences)
2. सांस्कृतिक भिन्नताएं (Cultural differences)
3. विरोधी स्वार्थ (Clashing Interests)
4. सामाजिक परिवर्तन (Social Change)

सामाजिक दूरी (Social Distance): **जार्ज सिमेल** व्यक्तियों, समूहों के बीच उत्पन्न किसी प्रकार की बाधा, जिससे उनके मध्य, सीमित या पूर्ण पृथक्करण, सीमित सामाजिक सम्बंध, या न होने वाली अंत:क्रियाएं देखी जा सकती हैं, सामाजिक दूरी कहलाती है।

सामाजिक दूरी की भावना में सामान्यत: भय व घृणा विद्यमान रहती है। सामाजिक संस्तरण भूमिका दूरी को बढ़ाता है जैसे भारत में जाति व्यवस्था में सामाजिक दूरी संस्थागत हो गयी है, ड्यूमा ने इसे शुचिता व प्रदूषण में व्यक्त किया है। सामाजिक दूरी मापने का प्रयास बोगार्डस ने अपने सामाजिक दूरी मापने के पैमाने के माध्यम से किया। हम इसके बगल में नहीं बैठेंगे, ब्राह्मण-शूद्र एक साथ नहीं खाएंगे, हम उसकी जाति में विवाह नहीं करेगे आदि सामाजिक दूरी को व्यक्त करते हैं।

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

सामाजिक समूह
(Social Groups)

Notepad

मानव समूह की सामाजिक संगठन, समाजीकरण और व्यक्तित्व विकास में महत्व पूर्ण भूमिका होती है। इसलिए समाजशास्त्र की मूल अवधारणाओं में 'समूह' का महत्वपूर्ण स्थान है। समूह की अवधारणा और प्रकार्यों पर या तो समाज की दृष्टि से विचार किया जाता है या व्यक्ति की दृष्टि से अत: समूह के विवेचन के सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक दोनो पक्ष हैं।

मनुष्य समान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एकत्र और समूहबद्ध होता है यह एकत्रण कभी स्थायी होता है तो कभी अस्थायी। लेकिन यहां एक बात ध्यान देने योग्य है कि समूह में स्थायित्व पाया जाता है इसलिए एकत्रण भी स्थायी होना चाहिए। अस्थायी तरह के संकलन जैसे भीड़, आयु, लिंग तथा प्रजाति पर आधारित एकत्रण समाजशास्त्रीय दृष्टि में समूह नहीं है। इनमें अंत:क्रिया की पद्धतियां अस्थायी होती है या इतनी कम कि इनके सदस्य पारस्परिकता और अंत:क्रिया से अनजान रहते हैं।

समूह की अवधारणा के विकास में **विलियम ग्राहम समनर** (1906), **चार्ल्स हार्टन कूले** (1909) **टी.एम. न्यूकाम्ब** (1950) **जार्ज होमान्स** (1950) **राबर्ट के. मर्टन** (1957) के योगदान महत्वपूर्ण रहा है।

मानव समाज में समूह का अस्तित्व सदैव विद्यमान रहा है, आदिम समाज से लेकर आधुनिक समाज तक समूह का अस्तित्व किसी न किसी रूप में रहा ही है। ऐसा कोई भी समाज जानकारी में नहीं है जहां समूह न रहा हो। समूह बनाकर रहना मनुष्य की मूल प्रवृत्ति रही है (Gregarious Instict), समूह से अलग रहकर मानव जीवन संभव नहीं है।

सामाजिक समूह का निर्माण परिवार से प्रारंभ होता है, बालक के जन्म के बाद परिवार ही वह समूह है जिसके संपर्क में वह आता है।

समूह को अनेक दृष्टियों से परिभाषित किया गया है कुछ लोगो का जोर अंत:क्रिया तथा पारस्परिकता तक सीमित है जबकि वहीं कुछ समान लक्ष्य, स्वीकृत साधन, और निश्चित प्रतिरूप पर बल देते हैं।

टर्नेर तथा किलिन के अनुसार 'समूह सर्वदा ऐसे लोगों से बनता है जिनमें अंत:क्रिया हो और जिनकी अंत:क्रिया इस बात से प्रभावित होती हो कि वे एक इकाई है। अंत:क्रिया और इकाई की चेतना मुख्य रूप से समूहों के प्रतिमानो पर निर्भर करती है।'

बेनेट और ट्यूमिन अंत:क्रिया के साथ-साथ समान लक्ष्य एवं सहमति मूलक साधनों को भी समूह की संरचना का प्रमुख तत्व मानते हैं।

जार्ज होमन्स के अनुसार समूह का अर्थ ऐसे लोगों से है जो स्थापित प्रतिरूपों के अनुरूप क्रिया करते है, होमन्स की परिभाषा में मुख्य जोर स्थापित प्रतिरूपों पर है।

मैकाइवर पेज ने लिखा है कि 'समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी ऐसे संग्रह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक सम्बंध स्थापित करते हैं।

वहीं **टी.वी. वोटामोर** समूह व्यक्तियों के उस संकलन को कहते हैं जिसमें

1. विभिन्न व्यक्तियों के बीच निश्चित संबंध होते हैं।
2. प्रत्येक व्यक्ति समूह और उसके प्रतीकों के प्रति सचेत होता है।

इन परिभाषाओं के आधार पर समूह की संरचना के कुछ निश्चित तत्वो का उल्लेख किया जा सकता है:

1. व्यक्तियों की बहुलता

NET/JRF Manish Singh Sir EC Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

2. उनके मध्य संपर्क व अंत:क्रिया
3. पारस्पारिकता की चेतना
4. अंत:क्रिया करने वाले लोगों में अपने को इकाई समझने की भावना
5. समान लक्ष्य
6. सहमति मूलक साधन
7. सामान्य प्रतिमान व मूल्य
8. स्थापित प्रतिरूप

Notepad

उपरोक्त वर्णित तत्वो के आधार पर, परिवार, मित्रमण्डली, पड़ोस, क्लब, चिकित्सकों, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं आदि के पेशे से संबंधित संगठन भी समूह के उदाहरण हैं।

यदि एक व्यक्ति उत्प्रवास के कारण गांव से शहर आता है तो यह भी समूह परिवर्तन का उदाहरण माना जाएगा, स्थानांतरण के कारण एक नगर से दूसरे नगर जाना, एक देश से दूसरे देश जाना, एक व्यवसाय को छोड़कर दूसरे व्यवसाय को अपनाना आदि सभी समूह परिवर्तन के उदाहरण हैं। नगर और देश के भू क्षेत्र होते हैं अत: ये समुदाय भी हैं, लेकिन इन परिवर्तनों में भी व्यक्ति के पड़ोस, सांस्कृतिक पर्यावरण आदि में परिवर्तन आता है अंत: इन्हें समूह परिवर्तन कहा जाता है। उपरोक्त वर्णित विशेषताओं के आधार पर एक ओर तो समूह के मध्य आंतरिक एकता स्थापित होती है दूसरी ओर अन्य समूहों से वह अपना सीमांकन भी करता है।

अत:

1. अवधि
2. प्रतिमान
3. सीमांकन
4. एकता किसी समूह की मुख्य विशेषताएं होती है।

समूह में सापेक्ष रूप से लंबी अवधि की अंत:क्रिया का होना भी आवश्यक है। समूह के सदस्यों के मध्य समान विश्वास, मूल्य तथा उद्देश्य पाए जाते हैं, वे दूसरे समूहों से भी सीमांकन के द्वारा अपने को पृथक करते हैं। दीर्घ अवधि के संपर्क, प्रतिमान तथा सीमांकन के द्वारा समूह अपनी एकता तथा अस्तित्व बनाए रखते हैं।

कुछ समूहों का अस्तित्व काफी लंबे समय तक बना रहता है जबकि कुछ अन्य समूह अल्पजीवी तथा तात्कालिक होते हैं। मित्रता समूह अपेक्षाकृत अल्पजीवी होते हैं, परिवार जैसे समूह सर्वकालिक होते हैं। सर्वाधिक अल्पजीवी समूह भीड़ है।

समूह और व्यक्ति

कुछ समाजशास्त्रियों ने समूह को व्यक्ति के ऊपर प्राथमिकता दी है जैसे **डर्कहाइम** के अनुसार समूह और समाज स्वत: उद्भुत (Suigeneris) है, इनका अस्तित्व व्यक्ति के अस्तित्व पर निर्भर नहीं करता। डर्कहाइम के अनुसार समूह की अपनी परंपरा, इतिहास, एकता की भावना तथा प्रतीक होते हैं जो सामूहिक अनुभव का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये किसी प्रकार व्यक्ति के अनुभव पर निर्भर नहीं करते। दूसरे समाज वैज्ञानिको का मत है कि समूह व्यक्तियों का संकलन है, व्यक्ति के बिना समूह के बारे में विचार भी नहीं किया जा सकता।

चार्ल्स हार्टन कूले ने इन दोनो मतो में समन्वय बनाने का प्रयास किया है, कूले के अनुसार 'व्यक्ति और समूह एक ही यथार्थ के दो पहलू हैं' इनके मध्य एक तरह का सह अस्तित्व है और इनमे गहरा समन्वय है।

सोरोकिन ने समूह निर्माण के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों का उल्लेख किया है:

1. नातेदारी, रक्तसंबंध और समान उत्पत्ति की धारणा।
2. विवाह

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

3. धर्म अथवा जादू होने में विश्वास की समानता
4. भाषा की समानता
5. समान उत्तरदायित्व
6. भूक्षेत्रीय निकटता
7. व्यावसायिक हित
8. आर्थिक हित
9. सामाजिक संस्थाओ से तादात्म
10. समान खतरा अथवा शत्रु से सुरक्षा की भावना

वही राबर्ट वीयरस्टीड ने अपनी पुस्तक "The Social Order" मे समूह निर्माण के निम्न आधार बताएं हैं:

1. परिवार
2. आयु
3. लिंग
4. प्रजाति
5. व्यवसाय आदि।

Notepad

समूह के संदर्भ में तथ्यात्मक जानकारी

- **मकीवर तथा पेज** ने प्रांत, नगर, गांव, पड़ोस को सामाजिक समूह का उदाहरण माना है।
- **बोगार्डस** ने प्रजाति, धार्मिक समूह को सामाजिक समूह का उदाहरण माना है। बोगार्डस के अनुसार समाज के सभी अंग अपने आप में समूह हैं, इसलिए उन्होने परिवार, समुदाय, संस्कृति, शिक्षा, धर्म, प्रजाति यहां तक कि संसार को भी समूह माना है।
- मर्टन प्रजाति, राष्ट्र को समूह नहीं मानते क्योंकि इसमे पारस्परिक अंत:क्रिया का अभाव है।
- मर्टन ने समूह के दो पक्षो की चर्चा की है:
 1. **व्यक्ति परक पक्ष:** सदस्य स्वयं को समूह का सदस्य माने
 2. **वस्तु परक पक्ष:** दूसरे भी उस सदस्य को उसी समूह का समझे जिसका वह खुद को सदस्य समझता है।

इस प्रकार मर्टन के अनुसार एक समूह की निम्न लिखित विशेषताएं होती हैं:

1. दो या दो से अधिक व्यक्ति
2. निरन्तर चलने वाली, कुछ हद तक स्थायी अंत:क्रिया
3. समूह के सदस्यों के बीच हम की भावना 'We Feeling' का पाया जाना।
4. दूसरे भी उसे उसी समूह का सदस्य माने।

- **गिलिन और गिलिन** के अनुसार सामाजिक समूह की मौलिक विशेषता यह होती है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से प्रत्यक्ष या परोक्ष संपर्क में हो साथ ही परिणामस्वरूप अंत:क्रिया का होना भी आवश्यक है।
- **जानसन** ने बताया कि सभी सामाजिक सम्बध समूहों का निर्माण नहीं करते, बल्कि सम्बंधों मे सहयोग का होना आवश्यक है, क्योंकि सामाजिक सम्बध संघर्ष पर भी आधारित हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर सभी समूहों में सामाजिक सम्बध अनिवार्यत पाए जाते हैं। सहयोग का अर्थ पूर्ण सहयोग से नहीं है यह आंशिक भी हो सकता है, जैसे परिवार के सदस्यों के मध्य कुछ विरोध हो सकता है लेकिन उनमे सहयोग भी पाया जाता है, इसी से परिवार का अस्तित्व बना रहता है।
- **एंथनी गिडेन्स** समूह को केवल कुछ व्यक्तियों का संकलन मानते हैं जिनके मध्य निरंतर अंत:क्रिया होती रहती है।

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

- जर्मन समाजशास्त्री थ्यण्भ् ळपककपदहे ने बताया कि समूह के सदस्यों के बीच एक प्रकार की भावना पायी जाती है जिसे **'समचेतना'** (ब्वनदेबपवनेदमे वि ज्ञपदक) कहा जाता है, के कारण समूह के सदस्यों के मध्य निरन्तर अंत:क्रिया चलती रहती है।

मकीवर व पेज ने 'जागरुकता' (Awareness) को समूहों का अनिवार्य तत्व माना है।

सामाजिक समूहों का वर्गीकरण (Classification of Social Groups):

जार्ज सिमेल ने समूहों को संबंधो के केन्द्र के रूप में:

अकेले व्यक्ति को मोनाड (Monad)

दो व्यक्तियो से बने संबंधो को डायड (Diad) तथा तीन व्यक्तियों से बने संबंधो को ट्रायड (Triad) कहा।

- **लेस्टर वार्ड ने सदस्यता के आधार पर दो प्रकार के समूह बताये हैं:**

1. **ऐच्छिक समूह** (Voluntary Group): ऐसे समूहो की सदस्यता हम अपनी इच्छा से ग्रहण करते हैं। जैसे- राजनीतिक दल।
2. **अनैच्छिक समूह** (Non-voluntary Group): ऐसे समूहों की सदस्यता हमारे लिए अनिवार्य होती है। जैसे-परिवार, जाति, प्रजाति की सदस्यता।

- **हम की भावना** (We-feeling) **के आधार पर समूहो को दो भागों में बांटा जा सकता है:**

1. अंत:समूह (In Group)
2. वाह्य समूह (Out Group)

अंत: समूह: अंत:समूह की अवधारणा **'समनर'** ने अपनी पुस्तक "Folk ways" में दी।

अंत:समूह से तात्पर्य 'जिसके हम सदस्य हैं' या 'जो हमारा समूह है' (Group-feeling) से है। इस समूह मे व्यक्ति **'समानता की चेतना'** का अनुभव करता है।

जैसे: हमारा परिवार, हमारी जाति, हमारा धर्म, हमारी कक्षा, हमारा व्यवसाय आदि।

वाह्य समूह: जो समूह अंत: समूह नहीं है वे वाह्य समूह है, उनके प्रति हमारे मन में They-feeling पायी जाती है। जैसे: उनका परिवार, उनकी जाति, उसकी कक्षा आदि।

अन्त: समूह मे स्व समूह केन्द्रता (Ethnocentrism) **पायी जाती है,** तात्पर्य यह है समूह के सदस्यों में श्रेष्ठता का भाव रहता है, वे अपने को दूसरे समूहों से श्रेष्ठ मानते हैं। इस भावना को **गम्प्लोविज ने सहजननवाद** (Syrgenism) **की संज्ञा दी है।**

वहीं वाह्य समूहो के प्रति अन्त: समूहो के सदस्यों में घृणा, विद्वेश की भावना पायी जाती है, मर्टन ने तो यहां तक कहा है कि अन्त: समूहों के सदस्यों में वाह्य समूहो के सदस्यो से दुश्मनी होती है। शत्रुसेना, विदेशी प्रतियोगी समूह आदि वाह्य समूह के उदाहरण है।

दूसरा पक्ष यह भी है कि कहीं-कहीं अन्त:समूह और वाह्य समूहों में परस्परव्यापकता (overlaping) भी देखी जा सकती है। उदाहरण स्वरूप महिला विद्यालय मे काम कर रही पत्नी, और पुरुष विद्यालय मे काम कर रहा पति, विद्यालयी स्तर पर एक दूसरे के वाह्य समूह है वहीं घर पर, परिवार की दृष्टि से अन्त:समूह है।

- **'समूह के आकार'** के आधार पर समूहो को प्राथमिक तथा द्वितीयक समूहों में बांटा जा सकता है:

प्राथमिक समूह (Primary Group): प्राथमिक समूह की अवधारणा का प्रतिपादन **'चार्ल्स हार्टन कूले'** ने **अपनी पुस्तक** "Social Organisation" मे किया था।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

प्राथमिक समूह से उनका तात्पर्य लोगो के उस छोटे साहचर्य से है, जिसमें सदस्य एक दूसरे से भावनात्मक स्तर पर जुड़े रहते हैं।

प्राथमिक समूह के लक्षण:

- एक से अधिक व्यक्ति, आमने सामने के संबंध (Face to Face relationship)
- **संवेग** (Emotions): व्यक्ति एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं वे बिना हानि लाभ देखे एक दूसरे की मदद को तैयार हो जाते हैं।

पारस्परिक पहचान: व्यक्ति की पहचान उसके समूह से होती है। जैसे: फलां परिवार का सदस्य।

- **पारस्परिक समीपता:** किंग्सले डेविस ने पारस्परिक समीपता को प्राथमिक समूह का सर्वप्रमुख लक्षण माना है।
- **लघु आकार:** प्राथमिक समूहों का आकार छोटा होता है। 'रेडफील्ड' ने लघु आकार को महल दिया है। डेविस के अनुसार समूह का आकार इतना छोटा होना चाहिए कि सदस्य एक दूसरे से प्रत्यक्ष संपर्क बनाए रख सकें।
- **संबंधो की अवधि:** संबंध जिनती लम्बी अवधि के होगे प्राथमिक समूह उतना ही मजबूत होगा।
- **सुनिश्चितता** (Distinctivness) : प्राथमिक समूह दूसरो से अलग होता है, रेडफील्ड ने गांव के लिए कहा है कि 'गांव यहां शुरू होता है और वहां समाप्त होता है।'
- **सजातीयता** (Homogeneity) : समान विचार, समान शिक्षा, समान व्यवसाय एक जैसे रहन सहन के कारण प्राथमिक समूहो में सजातीयता पायी जाती है।
- **आत्मनिर्भरता:** प्राथमिक समूहो में आत्मनिर्भरता पायी जाती है।
- सदस्यो के मध्य **अनौपचारिक व वैयक्तिक सम्बंध** जैसे: उत्तर जीविका के लिए विभिन्न।
- विश्व व्यापकता: प्राथमिक समूह सभी जगह पाए जाते हैं।
- **अंत:क्रियाएं: होमन्स तथा विलियम व्हाइट** ने प्राथमिक समूहो की बहुत बड़ी विशेषता के रूप में अंत:क्रिया को स्वीकार किया है। समूह के सदस्य एक दूसरे से बराबर मिलते रहते हैं।
- **प्रतियोगिता और संघर्ष:** प्राथमिक समूहो में भी प्रतियोगिता, तनाव व संघर्ष विद्यमान रहता है।
- **समान मानदण्ड व उद्देश्य** (Common norms and values): प्राथमिक समूहो के सदस्यों के सामान्य मानदण्ड व उद्देश्य होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि सभी का उद्देश्य एक ही हो परंतु उद्देश्यो मे समानता अवश्य पायी जाती है।

कूले ने प्राथमिक समूह की परिभाषा देते हुये कहा है कि:

"प्राथमिक समूहो से मेरा तात्पर्य उन समूहो से है जिनकी विशेषता आमने सामने का घनिष्ठ संसर्ग (Intimate face to face association) और सहयोग (co-operation) है। इस प्रकार के समूह अनेक अर्थों में प्राथमिक होते हैं कि व्यक्ति की सामाजिक प्रकृति और आदर्शों (social nature and ideas) के निर्माण मे वे मूलभूत हैं।

यहां यह स्पष्ट होता हे कि कूले ने आमने सामने के संपर्क, सहयोग और हम की भावना पर बल दिया है। कूले ने परिवार, पड़ोस (Neighbourhood) एवं क्रीड़ा समूह (Play Group) को प्राथमिक समूह का एक अच्छा उदाहरण माना है।

किंग्सले डेविस ने अपनी पुस्तक "Human Society" **में कहा है कि 'हम की भावना'** प्राथमिक समूहो में ही नहीं बल्कि बड़े-बड़े द्वितीयक समूहों में भी देखी जा सकती है। भारत एक द्वितीयक समूह है तथा हम सब भारतवासी है, मेरा भारत महान आदि में भी हम की भावना देखी जा सकती है। डेविस ने यह भी कहा कि

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

प्राथमिक समूहो का निर्माण बिना आमने सामने के सम्बंधो के भी हो सकता है, कुछ ऐसे सम्बंध होते है जो आमने-सामने के नहीं होते लेकिन अत्यन्त घनिष्ठ होते है, दूसरी तरफ कुछ आमने सामने के सम्बंध भी औपचारिक तथा वैयक्तिक होते हैं जैसे एक दूकानदार व ग्राहक के सम्बंध आवश्यक नहीं कि प्राथमिक हों। प्राथमिक सम्बंधो की सबसे बड़ी विशेषता घनिष्ठता है बिना घनिष्ठता के प्राथमिक समूहो के निर्माण की कल्पना भी नही की जा सकती। घनिष्ठता का मतलब संवेदनात्मक सम्बंधो (Emotional relation) से है, व्यक्ति दूसरे सदस्य के लिए हानि-लाभ की चिन्ता नहीं करता।

प्राथमिक समूहों के उदाहरण में हम परिवार, खेलकूद समूह, पड़ोस, मित्र-समूह, गपशप करने वालो का समूह, अध्ययन समूह, अपराधियों के दल, जनजातिय परिषद आदि को रख सकते हैं।

प्राथमिक समूहो के अध्ययन मे कूले के बाद सबसे बड़ा योगदान जी.सी. होमन्स का माना जाता है, **होमन्स** ने अपनी पुस्तक **'हयमून सोसायटी'** मे लिखा है कि छोटे समूहो के अध्ययन से बड़े समूहो को समझा जा सकता है। साथ ही **जे.एल. मोरेनो, इवी वारनेट विलियम व्हाइट, राबर्ट रेडफील्ड** का भी योगदान प्राथमिक समूहो के अध्ययन मे महत्वपूर्ण समझा जाता है। विलियम व्हाइट ने अपनी पुस्तक स्ट्रीट कार्नर सोसायटी "Street Corner Society" मे गली के नुक्कड़ के समाज का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया है, यहां व्हाइट ने प्राथमिक समूह की विशेषताएं भी बतलायी है।

वास्तव में प्राथमिक समूहो का अध्ययन सूक्ष्म (Micro) सिद्धांतवेत्ताओ के अध्ययन क्षेत्र में आता है, **होमन्स** भी एक सूक्ष्म सिद्धांत वेत्ता है। इस दृष्टिकोण से **मीड, ब्लूमर, गारफिंकल** ने जो कुछ लिखा वह प्राथमिक समूह के संदर्भ मे ही है। इस तरह फिनोमिनोलाजी, इथनोमेथेडोलॉजी, प्रतीकात्मक अंत:क्रियावाद आदि अध्ययन पद्धितयाँ प्राथमिक समूहो के अध्ययन से ही जुड़ी हुयी है।

प्राथमिक समूह का महत्व:

कूले ने लिखा है कि "पशु प्रवृत्तियों का मानवीकरण ही शायद सबसे बड़ी सेवा है जो प्राथमिक समूह करता है।" इसलिए कूले ने प्राथमिक समूहो को "मानव स्वभाव का पोषक" (Nursery of Human Nature) की संज्ञा दी है। प्राथमिक समूह केवल व्यक्ति की दृष्टि से ही नहीं बल्कि समाज की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। प्राथमिक **समूह:**

- व्यक्तियों के समाजीकरण मे सहायक होते हैं।
- सामाजिक नियंत्रण बनाये रखने मे सहायक होते हैं।
- व्यक्तियों मे दया, सहानुभूति, प्रेम, सहनशीलता, पारस्परिक सहायता व त्याग जैसे गुणो के विकास मे सहायक होते हैं।

एक तरफ तो प्राथमिक समूह के अनेक प्रकार्यात्मक पक्ष हैं वहीं दूसरी ओर इसमे कुछ दुष्प्रकार्यात्मक (Dysfunctional) पहलू भी है। "कोजर तथा रोजनवर्ग" ने लिखा है कि सामाजिक जीवन मे घनिष्ठता के कारण लोग नौकरियो, पेशों में अपने सम्बंधियों को लाभ पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जिससे भाई-भतीजावाद पनपता है।

द्वितीयक समूह (Secondary Group)**:**

कूले ने द्वितीयक समूह की अवधारणा नहीं दी। द्वितीयक समूहो के संदर्भ मे कहा जाता है कि 'जो प्राथमिक नहीं है वह द्वितीयक है।'

एन्थनी गिडेन्स ने द्वितीयक समूह को परिभाषित करते हुये लिखा है कि 'एक द्वितीयक समूह मनुष्यो की संख्या है जो नियमित रूप से मिलते हैं, लेकिन जिनके सम्बंध मुख्यत: अवैयक्तिक होते हे, इनमे व्यक्तियो के संबंध प्रगाढ़ नहीं होते। ये लोग सामान्यत: एक दूसरे के निकट तब आते हैं जब उनके कुछ व्यावहारिक और निश्चित काम होते हैं।'

Notepad

NET JRF Manish Singh Sir EC Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

गिडेन्स ने द्वितीयक समूह के उदाहरण मे कमेटी या क्लब का उल्लेख किया है।

द्वितीयक समूह की विशेषताएं:

1. **बड़ा आकार:** द्वितीयक समूहो का आकार बड़ा होता है जैसे–व्यावसायिक संगठन, राजनीतिक दल, सेना, विश्वविद्यालय, कालेज, राष्ट्र। चूंकि इन समूहों का निर्माण जानबूझ कर किया जाता है, इसलिए द्वितीयक समूहो को लोगो की एक समिति की संज्ञा दी जाती है।
2. **अवैयक्तिक सम्बंध:** द्वितीयक समूहो मे सदस्य एक दूसरे को वैयक्तिक रूप से नहीं जानते उनके सम्बंध औपचारिक होते हैं।
3. लोगो के मध्य **अंत:क्रिया कम मात्रा** मे पायी जाती है।
4. शारीरिक समीपता का होना अनिवार्य नहीं है।
5. सम्बंधो का आधार **संविदा** (Contract) होता है।
6. संविदा के उल्लंघन पर दण्ड का प्रावधान होता है।
7. **अस्थायी सम्बंध:** सदस्यों के सम्बंध अस्थायी प्रवृत्ति के होते हैं।
8. जानबूझकर निर्मित किये जाते हैं।
9. **सदस्यता ऐच्छिक** तथा **अल्पकालिक** होती है।
10. द्वितीयक समूहो में व्यक्ति के **सीमित स्वार्थों की पूर्ति होती है**, न कि संपूर्ण।
11. **विशिष्ट उद्देश्य** (Specific Purpose): द्वितीयक समूहो मे सदस्य आपसी सम्बंधो को किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाते हैं।
12. द्वितीयक समूहो का **कार्य क्षेत्र असीमित** होता है।
13. द्वितीयक समूह संख्या मे बहुत अधिक पाए जाते हैं।
14. द्वितीयक समूहो में प्राथमिक समूह पाए जाते हैं। एक ही संख्या मे काम करने वालो मे कुछ अभिन्न मित्र भी होते हैं।

तथ्यात्मक जानकारी:

- **राबर्ट वियरस्टीड व किंग्सले डेविस ने द्वितीयक** समूह को नकारात्मक ढंग से परिभाषित किया है:
- **वियरस्टीड:** 'वे सभी समूह जो प्राथमिक नहीं है द्वितीयक है।'
- **किंग्सले डेविस:** 'द्वितीयक समूह उन सब का विरोधी रूप है जो प्राथमिक समूह के बारे मे कहा गया है।'
- **आगबर्न निमकॉफ** ने द्वितीयक समूह **'घनिष्ठता की कमी'** के आधार पर परिभाषित किया है।
- **कूले:** द्वितीयक समूह ऐसे समूह को है जिनमे घनिष्ठता का अभाव होता है और सामान्यत: उन विशेषताओं का भी अभाव होता हे जो प्राथमिक व अर्द्ध प्राथमिक समूहों में पायी जाती है।

 सेना, राजनीतिक दल, बड़े व्यापारिक संघ, विश्वविद्यालय, कालेज, राष्ट्र, कारखाना, कारपोरेशन, अस्पताल, रेडक्रास सोसायटी, मजदूर यूनियन, क्लब, कमेटी, स्वयं सेवी संस्थान, एनजीओ, आदि द्वितीयक समूहो के उदाहरण हैं।

द्वितीयक समूहो में घनिष्टता की कमी के कारण **बोगार्डस** ने कहा कि द्वितीयक समूहों का पारस्परिक सम्बंध **छुओ और जाओ प्रकृति** (Touch and Go Type) **का होता है**। कुछ ऐसे ही विचार किंग्सले डेविस के भी है।

पी.एच. लैण्डिस ने द्वितीयक समूहों को **शीत जगत का प्रतिनिधि** कहा क्योंकि समूह मे व्यक्ति की जगह हितों को महत्व दिया जाता है,सदस्यों के मध्य उदासीनता पायी जाती है, सम्बंधो में घनिष्ठता का अभाव होता है।

चूंकि द्वितीयक समूह जानबूझकर विशिष्ट हितों की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं इसलिए **किम्बाल यंग** ने इसे **विशेष हित समूह** (Special Interest Group) **कहा है।**

Notepad

NET/JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

द्वितीयक समूहों के महत्व को दिखाते हुये **एंथनी गिडिन्स** ने कहा है कि हमारा जीवन सुबह से शाम तक द्वितीयक समूहो में गुजरता है।

- **डर्कहाइम** ने प्राथमिक व द्वितीयक समूहो की चर्चा क्रमशः यांत्रिक व सावयवी समाज के रूप में की है।
- **यांत्रिक समाज** के अंतर्गत लोग समान प्रकार से सोचते हैं, वे एक जैसे विचार रखते हैं, उनकी मानसिकता व संवेग भी एक जैसे होते हैं, यह समाज किसी भी जनजातीय समाज की तरह अविकसित होता है। ऐसे समाज में दमकारी कानून (Repressive Law), सामूहिक चेतना (Collective Conscience) पाए जाते हैं तथा यह समाज अविभेदीकृत होता है।

सावयवी समाज को स्पष्ट करते हुये डर्कहाइम लिखते हैं कि इस समाज का आधार संविदा (Contract) है, सम्बंध संविदात्मक होते है, कानून प्रतीकात्मक होते हैं तथा विभेदीकरण पाया जाता है। जैसे दिल्ली, इलाहाबाद के समाज।

प्राथमिक व द्वितीयक समूहो में अंतर

1. प्राथमिक समूहो का आकार छोटा है जबकि द्वितीयक समूहो का बड़ा।
2. प्राथमिक समूहो की सदस्य संख्या कम होती है जबकि द्वितीयक समूहो में अधिक।
3. प्राथमिक समूहो में शारीरिक समीपता पायी जाती है, द्वितीयक मे अनिवार्य नहीं है।
4. प्राथमिक समूहो में सम्बंध घनिष्ठ व वैयक्तिक होते है जबकि द्वितीयक समूहो में अवैयक्तिक व औपचारिक।
5. प्राथमिक समूहो के सम्बंध संर्वागीण (Inclusive) होते है वहीं द्वितीयक समूहों में सम्बंध एकमात्र (Exclusive) सीमित उद्देश्यो तक बंधे रहते हैं।
6. प्राथमिक समूहो का नियंत्रण नैतिकता और परंपरा आधारित होता है जबकि द्वितीयक मे नियंत्रण कानूनी होता है।
7. प्राथमिक समूह सम्बंध उन्मुख (Relationship Oriented) होते हैं जबकि द्वितीयक समूह के सम्बंध उद्देश्य उन्मुख (Goal Oriented) होते हैं।
8. प्राथमिक समूहो में संबंध स्वयं साध्य होते हैं जबकि द्वितीयक मे संबंध साधन की तरह प्रयोग किये जाते हैं।
9. प्राथमिक समूहों की सदस्यता अनिवार्य होती है वहीं द्वितीयक में नहीं।
10. प्राथमिक समूहो में हम की भावना अनिवार्यतः पायी जाती है जबकि द्वितीयक में सामान्यतः नहीं पायी जाती।
11. प्राथमिक समूह सामूहिकता को जन्म देते है वहीं द्वितीयक व्यक्तिवाद को।
12. प्राथमिक समूह सार्वभौमिक होते है, दूसरी ओर द्वितीयक नहीं।
13. प्राथमिक समूहो में व्यक्ति सरलता से अनुकूलन करता है जबकि द्वितीयक समूहो में अनुकूलन में कठिनाई होती है।
14. प्राथमिक समूहो में सम्बंध आंतरिक होते हैं दिखावे के नहीं वही द्वितीयक समूहों के सम्बंध वाह्य व दिखावे के होते हैं।
15. प्राथमिक समूहो की संख्या कम होती है, द्वितीयक की अधिक।
16. प्राथमिक समूह में द्वितीयक समूह नहीं पाया जाता जबकि द्वितीयक समूहों में प्राथमिक पाए जाते हैं।
17. प्राथमिक समूह में व्यक्ति का महत्व होता है जबकि द्वितीयक मे प्रस्थिति का।

द्वितीयक समूह के प्रकार्यात्मक पक्ष

1. सामाजिक परिवर्तन एवं प्रगति में सहायक

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

2. व्यक्ति में जागरुकता पैदा करते हैं।
3. श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण को प्रोत्साहित करते हैं।
4. सामाजिक नियंत्रण में सहायक होते हैं।
5. अवसर के माध्यम उपलब्ध कराते हैं।
6. दक्षता को बढ़ावा देते हैं।
7. दृष्टिकोण को विस्तारित करते हैं।

स्टीवर्ट व ग्लिन ने प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूहो में दो बातों का उल्लेख किया है:

1. प्राथमिक व द्वितीयक समूह केवल आदर्श प्ररुप (Ideal Type) है जिनका उद्देश्य अध्ययन और विश्लेषण को सुगम बनाना है।
2. प्राथमिक समूहो का निर्माण द्वितीयक समूहों में होता है।

सभी द्वितीयक संपर्क समझौते की प्रकृति के होते हैं।

अर्द्ध प्राथमिक समूह (Quasi Primary Group) : **कूले के अनुसार** अर्द्ध प्राथमिक समूह वैसे समूहो को कहा जाता है जिनमे प्राथमिक व द्वितीयक समूहों की मिश्रित विशेषताएं पायी जाती है।

कुले ने अर्द्ध प्राथमिक समूहो में :

1. स्काउट ग्रुप
2. लघु विचार गोष्ठी
3. सामाजिक वर्ग
4. क्लब
5. ग्रामीण मनोरंजन के केन्द्र आदि को रखा है।

सर्वप्रथम अर्द्ध प्राथमिक समूह शब्द का प्रयोग चार्ल्स कूले ने किया। संगठन और उद्देश्यो की दृष्टि से ये प्राथमिक समूहो से भिन्न होते हैं।

राबर्ट बीयरस्टीड ने अर्द्ध प्राथमिक समूहो के निम्न प्रकार बतलाएं हैं:

1. सांख्यिकीय समूह (Statistical Group)
2. सोसाइटल समूह (Societal Group)
3. सामाजिक समूह (Social Group)
4. समिति मूलक समूह (Associational Group)

बीयरस्टीड ने उपरोक्त वर्गीकरण तीन तत्वों के आधार पर किया

1. अपने पन की चेतना (Consciousness of Kind) (या समता की चेतना)
2. सामाजिक अन्त:क्रिया (Social Interaction)
3. सामाजिक संगठन (Social Organisation)

Statistical मे तीनो तत्वो का अभाव होता है, ये सामान्यत: गणना सम्बंधी कार्यो के लिए बनाये जाते हैं जैसे आयु समूह, लिंग समूह आदि।

Societal Group मे सिर्फ एक ही विशेषता **'समता की चेतना'** पायी जाती है। जैसे: भाषा समूह

Social Group इसमे समता की चेतना व सामाजिक अंत:क्रिया तो पायी जाती है लेकिन सामाजिक संगठन का अभाव होता है जैसे-परिवार, भीड़, श्रोतागण आदि।

Association Group इसमे तीनो विशेषताएं पायी जाती हैं। इनका निर्माण जानबूझकर किया जाता है। जैसे ट्रेड यूनियन, फुटबाल क्लब, हाकी क्लब, राजनैतिक पार्टी आदि।

कूले, एजेंल (आर.सी.एजेंल) तथा कैट (L.J. Catt) ने अपनी पुस्तक "Introductory Sociology" में समूह का निम्न वर्गीकरण प्रस्तुत किया है:

1. आत्मीय युगल समूह: जैसे पति-पत्नी, पिता-पुत्र।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

2. प्राथमिक समूह
3. अर्द्ध प्राथमिक समूह
4. द्वितीयक समूह

Notepad

अर्द्ध समूह (Quasi Group)

- अर्द्ध समूह की **अवधारणा बोटॉमोर व गिन्जवर्ग** से जुड़ी हुयी हैं।
- अर्द्ध समूह की अवधारणा की चर्चा **बोटॉमोर ने समूह के संगठन के आधार पर की है।**
- **बोटॉमोर** ने अपनी पुस्तक "Sociology" में अर्द्ध समूह की चर्चा करते हुये कहा कि:

"अर्द्ध समूह वह समूह होता है जिसमे संरचना व संगठन का अभाव होता है तथा ऐसे समूह के सदस्य समूह के प्रति कम जागरुक होते हैं।" आयु व लिंग समूह, भीड़, सामाजिक वर्ग, प्रस्थिति समूह आदि अर्द्ध समूह के उदाहरण हैं।

गिन्जवर्ग के अनुसार-"अर्द्ध समूह वह मानवीय संकलन (Human Aggregagte) होता है जिसका कोई ढांचा नहीं होता, लेकिन जिसमे सदस्यो में परस्पर समान रूचिंया अथवा समान व्यवहार प्रतिमान होते हैं, जिसके कारण वे कभी भी एक निश्चित व विशिष्ट संगठित समूह का निर्माण भी कर सकते हैं।" उदाहरण स्वरूप गिन्जवर्ग ने सामाजिक वर्ग व जनता को रखा।

इस आधार पर Quasi Group **की निम्न विशेषताएं देखी जा सकती हैं:**

1. संरचना व संगठन का अभाव
2. सदस्यों मे कम जागरूकता
3. समान रूचियां तथा समान व्यवहार प्रतिमान
4. कभी भी संगठित समूह मे परिवर्तित हो सकता है। जैसे लिंग समूह का महिला संगठन में बदल जाना, आयु समूह का युवा समूह में बदल जाना आदि।

मर्टन ने अर्द्ध समूह को मनुष्य का ऐसा संकलन माना है जिसमें समान शारीरिक व सामाजिक लक्षण पाये जाते हैं किंतु वे परस्पर अन्त:क्रिया नहीं करते और उनमे सामाजिक सम्बंध नहीं पाया जाता।

इस प्रकार मर्टन ने अर्द्ध समूह की तीन विशेषताओं पर प्रकाश डाला है:

1. समान शारीरिक व सामाजिक लक्षण वाले सदस्य
2. अन्त:क्रिया का अभाव
3. सामाजिक सम्बंधों का अभाव

प्राथमिक व अर्द्ध प्राथमिक समूह में अन्तर:

	प्राथमिक समूह	**अर्द्ध प्राथमिक समूह**
1.	व्यक्ति की समस्त क्रियाओं को प्रभावित करता है।	व्यक्ति के विशिष्ट हितो और व्यवहारो को प्रभावित करता है।
2.	छोटा आकार, सदस्य संख्या कम।	बड़ा आकार, सदस्य संख्या अधिक
3.	निर्माण स्वत: होता है।	जानबूझकर निर्मित किया जाता है।
4.	अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होता है।	अपेक्षाकृत कम स्थायी होता है।
5.	सम्बंधो में घनिष्ठता पायी जाती है तथा सम्बंध प्रत्यक्ष व आमने सामने के होते हैं।	सम्बंधो में घनिष्ठता की कमी होती है। साथ ही सम्बंध आमने सामने के नहीं होते (अनिवार्य नहीं)।

सदस्यता-असदस्यता समूह (Membership and Non membership Group): सदस्यता और असदस्यता समूह की **अवधारणा का प्रतिपादन राबर्ट के. मर्टन ने किया** है। व्यक्ति जिन समूहो का सदस्य जन्म से होता है उन्हे मर्टन ने सदस्यता समूह माना है जैसे-परिवार, कस्बा गांव, जाति तथा धर्म आदि। इसी प्रकार व्यक्ति आगे

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

चलकर जीवन में जिन समूहों का सदस्य बनता है उसे मर्टन ने असदस्यता समूह कहा है जैसे-व्यवसाय, विद्यालय, क्लब, राजनैतिक दल आदि। शिक्षा, व्यवसाय, गतिशीलता, अप्रवास तथा महत्वकांक्षाओं के कारण आज मनुष्य के जीवन में असदस्यता समूह का महत्व बढ़ता जा रहा है।

समूह की सदस्यता निर्धारण के लिए मर्टन ने तीन कसौटियो का उपयोग किया है:

1. सदस्यों में अन्त:क्रिया की आवृत्ति
2. अंत:क्रिया करने वाले व्यक्तियों द्वारा स्वयं समूह की सदस्यता का निर्धारण
3. दूसरो द्वारा अंत:क्रिया मे लगे लोगो के समूह का निर्धारण।

स्वयं तथा दूसरो द्वारा निर्धारण की पद्धति से, व्यक्ति के समूह की सदस्यता के विषय मे जब समान निष्कर्ष निकलते हैं तभी समूह की सदस्यता का निर्धारण होता है। इस तरह समूह और इसकी सदस्यता की अवधारणा स्थिर न होकर गतिशील है।

सकारात्मक और नकारात्मक समूह: 'न्यूकाम्ब'

सकारात्मक और नकारात्मक समूहों की अवधारणा का प्रतिपादन न्यूकाम्ब ने किया, कौन सा समूह सकारात्मक है और कौन सा नकारात्मक है इसका निर्धारण व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छा, रूचि, उन्मुखता के आधार पर करता है।

न्यूकाम्ब ने बतलाया कि व्यक्ति जिस समूह को पसंद करता है, जिसके मूल्यों व प्रतिमानो को आसानी से अपनाता है, व्यक्ति के लिए साकारात्मक समूह हैं। वहीं दूसरी ओर व्यक्ति जिस समूह को नापसंद करता है वे नकारात्मक समूह हैं, नकारात्मक समूह की मान्यताओ, मूल्यो, प्रतिमानो के प्रति व्यक्ति विरोध की भावना रखता है, किशोरो द्वारा परिवार, मां-बाप की बातें की अवहेलना नकारात्मक प्रवृत्ति को दर्शाती है, इसलिए उस किशोर के लिए उसका परिवार नकारात्मक समूह होगा।

ऐच्छिक (Voluntary) और अनिवार्य (Non-voluntary) समूह:

ऐच्छिक और अनिवार्य समूह की **अवधारणा लेस्टर वॉर्ड** (Laster F. Ward) ने दी। ऐच्छिक समूहो से वार्ड का तात्पर्य ऐसे समूहो से है जिसकी सदस्यता व्यक्ति अपनी इच्छा से प्राप्त करते हैं जैसे-राजनैतिक दल, ट्रेड यूनियन, क्लब आदि। वही अनिवार्य समूहों की सदस्यता व्यक्ति के लिए अनिवार्य होती है जैसे परिवार, जाति, धर्म।

- **मकीवर तथा पेज ने समूहो को तीन भागो में बांटा है:**
 1. **क्षेत्रीय समूह** (Territorial Group): क्षेत्रीय समूह एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाते हैं, इस प्रकार के समूहों में क्षेत्रीय व्यवसायिक समानता तथा समान्य हित पाए जाते हैं। जैसे: समुदाय, जनजाति, राष्ट्र, नगर, गांव, पड़ोस आदि।
 2. **अनिश्चित संगठन वाले समूह** (Group Without definite organisation): इस प्रकार के समूह में किसी निश्चित संगठन का अभाव होता है जैसे सामाजिक वर्ग, प्रजातीय समूह, जाति, प्रवासी समूह, भीड़ आदि।
 3. **हितो के प्रति जागरूक समूह** (Group based on interest concious):ऐसे समूहों मे निश्चित संगठन व जागरुकता (हितों के प्रति) पायी जाती है। जैसे: परिवार, राज्य (State), चर्च, श्रमिक संघ, क्लब आदि।
- **मर्टन** अन्त:क्रिया की कमी के कारण राष्ट्र को समूह नहीं मानते जबकि मकीवर मानते हैं।
- **जार्ज हासन** (George Hasen) ने समूहो का वर्गीकरण दूसरे समूहों के साथ उनके संबंधो के आधार पर किया है:
 1. असामाजिक समूह (Unsocial Group)
 2. आभासी सामाजिक समूह (Pseudo-social Group)

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

3. समाज विरोधी समूह (Antisocial Group)
4. समाज पक्षी समूह (Pro-social Group)

असामाजिक समूह वह है जो सिर्फ अपने लिए जीता है, अपने से मतलब रखता है, वहीं आभासी सामाजिक समूह समाज के कार्यो में हिस्सा तो लेता है लेकिन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, जबकि समाज विरोधी समूह समाज के हितो के विरोध में कार्य करता है तथा समाज पक्षी समूह समाज के हितो के लिए काम करता है।

- **सोरोकिन ने समूह के अंदर पाए जाने वाले संबंधो के आधारो पर दो प्रकार के समूह बताऐ हैं।**

1. एकल बंधन या एकल प्रकार्यात्मक समूह (Unibonded or unifunctional Group)
2. बहुबंधन या बहुप्रकार्यात्मक समूह (Multibonded or Multifunctional Group)

Unibonded समूह मे लोग एक ही आधार पर आपस में जुड़े रहते हैं जैसे प्रजाति (Race), लिंग (Sex), भाषा, धर्म, शिक्षा समूह। वहीं बहुबंधन समूह मे व्यक्ति अनेको आधार पर एक दूसरे से जुड़े रहते है जैसे परिवार, जाति, राष्ट्र, जनजाति आदि।

- **ड्वाइट सैन्डरसन** (Dwight Sanderson) **ने संरचना के आधार पर समूहों को तीन श्रेणियों में बांटा हैं:**
 1. अनैच्छिक (Involuntary)
 2. ऐच्छिक (Voluntary)
 3. प्रतिनिधिक (Delegate)

व्यक्ति जिनका सदस्य अनिवार्य रूप से होता है उन्हें अनैच्छिक समूह कहा जाता है जैसे परिवार, जाति, धर्म आदि। वही मनुष्य जिनका सदस्य अपनी इच्छा से बनता है उन्हें ऐच्छिक समूह कहते हैं जैसे ट्रेड यूनियन, क्लब आदि। प्रतिनिधि समूह वे समूह है जिसमें व्यक्ति लोगो के प्रतिनिधि के रूप में शामिल होता है जैसे-लोक सभा, विधानसभा आदि।

- **मिलर** (Miller) **ने सामाजिक प्रस्थिति के आधार पर समूहों को दो भागो में बांटा हैं:**
 1. विषमस्तरीय समूह (Vertical Group)
 2. समस्तरीय समूह (Horizontal Group)

विषय स्तरीय समूहों के अन्दर लोग विभिन्न स्तरो में बंटे होते है जैसे जाति व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बंटी हुयी है।

वहीं समस्तरीय समूह मे सभी सदस्य लगभग एक ही सामाजिक-आर्थिक स्थिति के होते है जैसे मजदूर संगठन, जनजातीय समाज आदि।

- **पार्क व बर्गेस ने समूहों को दो भागों में बांटा है:**
 1. प्रादेशिक (Regional)
 2. गैर-प्रादेशिक (Non regional)
- **चार्ल्स ए. एलवुड ने समूहों को तीन भागों में बांटा हैं:**
 1. भीड़ (Crowd)
 2. समूह (Groups)
 3. अमूर्त संग्रह (Abstract Collectivities)
- **मेनडेटा नूनिज ने समूहों को चार भागों में बांटा है:**
 1. संरचनात्मक समूह (Structural Groups)
 2. संरचनात्मक अर्द्धसमूह (Structural Quasi Group)
 3. आकस्मिक अर्द्ध समूह (Occasional Quasi Group)
 4. कृत्रिम समूह (Artificial Group)
- **फिक्टर ने छह प्रकार के समूहो का उल्लेख किया है:**

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

1. परिवार समूह (Family Group)
2. शैक्षणिक समूह (Educational Group)
3. आर्थिक समूह (Economic Group)
4. राजनैतिक समूह (Political Group)
5. धार्मिक समूह (Religious Group)
6. मनोरंजनात्मक समूह (Recreational Group)

- **टॉनीज ने समूहो को:**
 1. समुदाय (Communities)
 2. समितियों (Association) मे बांटा है।
- **जिलिन तथा जिलिन ने समूहो के चार प्रकार बताये:**
 1. खून के रिश्ते वाले समूह
 2. शारीरिक विशेषताओं वाले समूह
 3. भौतिक समीपता वाले समूह
 4. सांस्कृतिक रूप से व्युत्पन्न हितो के आधार पर।
- **बोटॉमोर ने तीन प्रकार के समूह बतलाये हैं:**
 1. **स्थिर समूह:** परिवार, नातेदारी, शिक्षण संस्था
 2. **अस्थिर समूह:** भीड़, श्रोता समूह, यात्री दल, ग्राहक आदि
 3. **अर्द्ध समूह:** सामाजिक वर्ग, प्रस्थिति समूह, आयु समूह आदि।
- **आगर्बन और निमकॉफ ने 'हम की भावना' के आधार पर दो प्रकार के समूहों की चर्चा की है:**
 1. **सहयोगी समूह:** परिवार, मित्र, पड़ोस, जाति आदि।
 2. **असहयोगी समूह:** शत्रु, विदेशी आदि।
- **गिडिंग्स** (F.H. Giddings) **ने इच्छा के आधार पर दो प्रकार के समूह बतलाये हैं:**
 1. जननिक (Genetic)
 2. एकत्रित (Congregate)
- **बियरस्टीड ने समूहों को दो भागों में बांटा:**
 1. बहुसंख्यक समूह (Majority Group)
 2. अल्पसंख्यक समूह (Minority Group)
- **एंथनी गिडिंग्स ने समूहो को:**
 1. सार्वजनिक समूह
 2. व्यक्तिगत समूह में बांटा।

संदर्भ समूह (Reference Group)

- आवश्यक इच्छा (Essential Will) संदर्भ समूह की उत्पत्ति के लिए आवश्यक है।
- थर्सटीन वेबलेन ने अपने 'विलासी वर्ग' सिद्धांत के प्रतिपादन में काल्पनिक समूह का सर्वप्रथम प्रयोग किया
- आटोक्लाइन वर्ग ने 'आदर्श समूह' की रचना की है।
- 'संदर्भ समूह' शब्द का **सर्वप्रथम प्रयोग 'हबर्ट एच. हाइमेन'** ने अपने एक लेख 'The Psychology of Status' मे किया था। उन्होने इस शब्द का प्रयोग स्कूल के बच्चो के अध्ययन के संदर्भ में किया था।
- **स्टाउफर** ने सर्वप्रथम **'सापेक्ष वंचना'** शब्द का प्रयोग किया है।

संदर्भ समूह के प्रत्यय के विकास में हरबर्ट हाइमेन, मुजाफेर शेरिफ, न्यूकाम्ब और मर्टन का विशेष योगदान है।

मर्टन के अनुसार 'संदर्भ समूहों का अर्थ उन समूहों से हैं जो व्यक्ति के संदर्भ

Notepad

NET JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

के बिन्दु होते हैं, जिनकी ओर व्यक्ति उन्मुख होता है और उसके मूल्यांकन, प्रवृत्ति तथा व्यवहार को प्रभावित करता है।'

श्री एवं श्रीमति शैरिफ ने संदर्भ समूह को परिभाषित करते हुये कहा है कि संदर्भ समूह वे समूह है जहाँ व्यक्ति अपने आपको उनके एक अंग के रूप में जोड़ लेता है या मनोवैज्ञानिक रूप से वह उनसे जुड़ने की इच्छा रखता है। उल्लेखनीय है कि शैरिफ ने संदर्भ समूह को एक 'मानसिक घटना' माना है।

तात्पर्य यह कि व्यक्ति जिस भी समूह की तरह बनना चाहता है, अपनाना चाहता है वह उसका संदर्भ समूह होता है। स्पष्ट है कि किसी के लिए संदर्भ समूह उसका अन्तः समूह या कोई वाह्य समूह दोनों हो सकते हैं।

मर्टन ने माना कि संदर्भ समूह सापेक्ष वंचना के कारण बनता है, **मर्टन ने अपनी पुस्तक** 'The American Soldier' मे **सापेक्ष वंचना अवधारणा का प्रतिपादन किया** अपने अध्ययन मे उन्होने पाया कि अमेरिका में विवाहित सिपाहियों का मानना है कि उन्हें अविवाहित सिपाहियों की तुलना में अधिक त्याग करना पड़ता है मर्टन ने माना कि कमी का आधार हमेशा सापेक्षिक होता है, व्यक्ति जिस व्यक्ति या समूह के संदर्भ में अपने अन्दर कमी पाता है वह उसका सापेक्षिक संदर्भ समूह होता है। लेकिन यहां एक ध्यान देने योगय बात हे कि संदर्भ समूह हमेशा सापेक्ष वंचना के कारण नहीं बनते बल्कि उनका कारण कभी-कभी महत्वाकांक्षा या किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करना भी होता है।

साधारणतः सामाजिक प्रस्थिति में लम्बवत परिवर्तन की इच्छा संदर्भ समूह को जन्म देती है लम्बवत परिवर्तन के कारण व्यक्ति को निम्न प्रस्थिति से उच्च प्रस्थिति प्राप्त होती है।

जॉनसन ने माना कि यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति का संदर्भ समूह वास्तविक ही हो बल्कि यह काल्पनिक भी हो सकता है। जॉनसन ने संदर्भ समूह की परिभाषा निम्न शब्दो में दी है:

"कोई भी समूह एक व्यक्ति के लिए संदर्भ समूह हो सकता है, वह समूह जिसका वह सदस्य नहीं है, एक अन्तःक्रिया समूह, स्थिति समूह या एक समूह जिसके सदस्य दूसरो पर अपने प्रभावों के बारे में जानते हैं या फिर वैसे समूह भी जिसके सदस्यों को इस तरह की जानकारी नही है, या एक सांख्यिकी समूह, एक वास्तविक समूह या फिर एक काल्पनिक समूह भी।"

'क्लाइन वर्ग' ने भी जॉनसन का समर्थन किया है कि संदर्भ समूह काल्पनिक भी हो सकते हैं। क्लाइन वर्ग ने इसे स्पष्ट करते हुये लिखा है कि जब हम इस प्रकार का व्यवहार करते है, जिन्हें हम सर्वोत्कृष्ट लोगों का व्यवहार मानते हैं तो यह संभव है कि सर्वोत्कृष्ट लोगों के व्यवहार के बारे में हमे जितना भी ज्ञान हो वह काल्पनिक हो इसके साथ यह भी आवश्यक नही है कि संदर्भ समूह हमारे लिए सदैव आदर्श समूह होगा ही, वह समूह हमारे लिए एक विपरीत आदर्श को भी प्रस्तुत कर सकता है।

मर्टन ने बतलाया कि जिस प्रकार किसी समूह या व्यक्ति के लिए संदर्भ समूह होता है उसी प्रकार संदर्भ व्यक्ति (Reference Individual) भी हो सकता है। तात्पर्य यह कि समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते है जिनका लोग अनुसरण करना चाहते है उदाहरणस्वरूप महात्मा गांधी, अब्राहम लिकंन आदि, ऐसे लोगो को मर्टन ने Role Model कहा है।

संदर्भ समूह की विशेषताएं

- संदर्भ समूह की उत्पत्ति व्यक्ति की उच्च महत्वाकांक्षा का परिणाम है। साथ ही सापेक्ष वंचना भी इसमे उतनी ही उत्तरदायी है।
- व्यक्ति अथवा समूह अन्य व्यक्ति या समूह को आदर्श मानकर उनका अनुकरण

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

करता है।

- मर्टन ने संदर्भ समूह की अवधारणा के दो केन्द्रीय लक्षणों का उल्लेख किया है:
 1. एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों या समूहों के मूल्यों को ग्रहण करता है।
 2. संदर्भ समूह का महत्व इसी मे है कि इस विधि द्वारा सापेक्ष अध्ययन किया जा सके।
- संदर्भ समूह वास्तविक भी हो सकते है तथा काल्पनिक भी।
- संदर्भ समूह नकारात्मक भी हो सकता है।
- संदर्भ समूह आचरण की माप है।
- संदर्भ समूह अनुकरणीय होते हैं।
- संदर्भ समूह में लम्बवत गतिशीलता का प्रयास होता है।
- अस्थायित्व तथा असदस्या सामान्य तौर पर अत्यावश्यक होते हैं।
- व्यक्ति के लिए एक समूह विशेष हमेशा संदर्भ समूह ही रहे यह आवश्यक नहीं है।
- एक व्यक्ति के लिए एक से अधिक संदर्भ समूह हो सकते हैं तथा अनेको व्यक्तियों के लिए एक ही संदर्भ समूह हो सकता है।

Notepad

अन्य तथ्य

- संर्दभ समूह की अवधारणा का प्रयोग **वाई.पी.दामले** ने भारत मे होने वाली **'जाति व्यवस्था में परिवर्तन'** के संदर्भ में किया है।
- **एम.एन श्रीनिवास** की **'संस्कृतिकरण'** अवधारणा **'संदर्भ समूह'** पर आधारित है।
- **थर्सटीन वेब्लेन** ने अपने **विलासी वर्ग के सिद्धांत** में संदर्भ समूह का अप्रत्यक्षत: उल्लेख किया है। वेब्लेन ने 'बिगड़े नवाबो' के विशिष्ट वर्ग के बारे मे बताया है कि इनका संदर्भ समूह स्वयं उनका अपना ही वर्ग होता है, जिसके सदस्य वे नहीं है बल्कि भूतकाल मे उनके बाप-दादा रहे हैं।
- **ओ.एम. लिंच** ने अपनी किताब 'The politics of untouchability' के विश्लेषण में संदर्भ समूह का प्रयोग किया है।
- एम.एन. श्रीनिवास की **पश्चिमीकरण की अवधारणा** भी संदर्भ समूह पर ही आधारित है।

पूर्वाभ्यासी समाजीकरण (Anticipatory Socialization) शब्द **मर्टन व एलिस एस. कीट** ने दिया है। इसका तात्पर्य **'भविष्य में निभायी जाने वाली भूमिकाओ के लिए वर्तमान की तैयारी'** से है, अर्थात जब व्यक्ति किसी समूह को अपना संदर्भ समूह बना लेता है तो उसके मूल्यो, मानदण्डो के अनुसार अपने को अभी से ढालने लगता है।

संदर्भ समूह के प्रकार्यात्मक पक्ष:

1. उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है।
2. प्रतियोगिता की भावना को बढ़ाता है।
3. व्यक्तित्व को लचीला करता है।
4. खुले तथा औद्योगिक समाजो में सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाता है।

संदर्भ समूह के नकारात्मक पक्ष:

1. क्षैतिज गतिशीलता वाले समाज जो बन्द होते हैं संदर्भ समूह का प्रभाव नकारात्मक होता है।
2. संदर्भ समूह किसी नये तथ्य का विश्लेषण नहीं करता।
3. संदर्भ समूह के कारण सीमान्त मानव व सीमान्त समुदाय की उत्पत्ति करता है।

सीमान्त व्यक्ति (Marginal Man) की अवधारणा **राबर्ट. ई. पार्क** ने दी बाद में **स्टोनक्विस्ट** ने इसका व्यापक विश्लेषण किया। सीमान्त शब्द का तात्पर्य होता है कि **'न इधर का रहा न उधर का'** यानि व्यक्ति न अपने समूह का ही रहता है न ही दूसरे समूह का उसकी स्थिति **'त्रिशंकु'** जैसी हो जाती है।

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

संदर्भ समूह के प्रकार

मर्टन ने दो प्रकार के संदर्भ समूह की चर्चा की है:

1. आदर्श मूलक (NorMative) संदर्भ समूह
2. तुलनात्मक (Comparative) संदर्भ समूह

आदर्श मूलक संदर्भ समूह से तात्पर्य उस संदर्भ समूह से है जिसे व्यक्ति अपना आदर्श मानते हैं वहीं तुलनात्मक संदर्भ समूह से आशय अपने और संदर्भ समूह की तुलना से है, तुलना से व्यक्ति यह निष्कर्ष निकालता है कि कौन सी विशेषता है जो अन्य समूहो में भी है और कौन सी किसी मे नहीं है।

- **न्यूँकाम्ब** ने सकारात्मक व नकारात्मक संदर्भ समूह के बारे मे बताया है। सकारात्मक संदर्भ समूह से तात्पर्य है जिसकी तरह व्यक्ति बनना चाहता है वहीं नकारात्मक से आशय 'जिसकी तरह व्यक्ति नहीं बनना चाहता है' से है।
- **जोनाथन टर्नर** ने 'अन्त:क्रियात्मक संदर्भ समूह' (Interactional reference group) की चर्चा की है। अन्त:क्रियात्मक संदर्भ समूह वे समूह हैं जो न ही आदर्शमूलक हैं और न ही तुलनात्मक संदर्भ-समूह, वास्तव में ये वे समूह हैं जो संपूर्ण सामाजिक पर्यावरण के भाग मात्र हैं। इन अन्त:क्रियात्मक संदर्भ समूहो के साथ में व्यक्ति मात्र सामाजिक सम्बंध रखता है।
- **मर्टन** ने दो और प्रकारो के संदर्भ समूहों की चर्चा की है:
 1. परस्पर विरोधी संदर्भ समूह (Conflicting Reference Group)
 2. परस्पर पूरक संदर्भ समूह (Mutually Sustaining Reference Group)

यदि किसी व्यक्ति के दो संदर्भ समूह है तो दोनो में दो तरह के सम्बंध देखे जा सकते हैं एक तो दोनो संदर्भ समूह एक दूसरे के विरोधी हों दूसरा दोनो एक दूसरे के पूरक हों।

सामाजिक समूह से मिलती जुलती अन्य अवधारणाएं

संग्रह (Aggregate): **सिनेमाघर** में टिकट खरीदने वालों की भीड़, बस स्टैण्ड पर खड़े लोग, मेले की भीड़ आदि Aggregate के उदाहरण है। अगर इन उदाहरणो की प्रकृति पर ध्यान दे तो इनमे दो चीजें नहीं पायी जा रही हैं:

1. अन्त:क्रिया नहीं पायी जा रही है।
2. कोई सामाजिक संबंध नहीं पाया जा रहा।

यही दोनो बाते है जो संग्रह को समूह से अलग करती हैं।

सामाजिक संवर्ग (Social Category): सामाजिक संवर्ग एक सांख्यिकी समूह है, जिसे समान शारीरिक व सामाजिक विशेषताओं के आधार पर बनाया जाता है। जैसे आयु समूह, प्रजाति समूह, आय समूह लिंग समूह। मर्टन ने माना हे कि सामाजिक संवर्ग के सदस्यों में अन्त:क्रिया नहीं पायी जाती वहीं गिटलर का मानना है कि अन्त:क्रिया पायी जाती है।

समष्टि (Collectivity): समष्टि मे ऐसे व्यक्तियों का समावेश होता है जो एक सी भावनाओ, उद्वेगो व मूल्यों में विश्वास रखते हैं। किन्तु इनमे अन्त:क्रिया नहीं पायी जाती। अन्त:क्रिया का न पाया जाना ही इन्हे समूह से अलग करता है। जैसे-पूरे विश्व के हिन्दू।

संगठन (Organisation) : संगठन का तात्पर्य ऐसी सरंचना से है। जिसमें विभिन्न इकाइयां एक सूत्र में आबद्ध हों जब किसी संरचना की निर्मायक इकाइयां प्रकार्यात्मक सम्बंध के आधार पर इस प्रकार सुव्यवस्थित हो कि उनसे मिलकर एक विशिष्ट रचना निर्मित हो तो इसे संगठन के नाम से पुकारते हैं। जब किसी समग्र की इकाइयां सुसम्बद्ध रीति स्थिति में प्रत्येक निर्मायक इकाई अपने-अपने इच्छित कर्यो को करती हुई समग्र की एकता को बनाये रखती हुई संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति में योग देती है।

संगठन को उसकी विशेषताओं के आधार पर समझा जा सकता है-

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir BG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

1. **अवैयक्तिक सम्बंध:** संगठन मे सदस्यों के सम्बंध अवैयक्तिक प्रकार का होता है।
2. समस्त अन्त: क्रियाएं किसी लक्ष्य को ध्यान में रख कर की जाती है।
3. संगठन के **निश्चित लक्ष्य** होते हैं।
4. संगठन में शक्ति का वितरण (Distribution of Power) होता है।
5. संगठन की **सदस्यता व्यक्ति की इच्छा पर** निर्भर करती है।
6. सभी दृष्टियो से संगठन **एक अधिकारी तंत्र** (Burocracy) **है।**
7. संगठन **लोगो की विशाल समिति है।**
8. संगठन **प्रकार्यात्मक** है और एक व्यवस्था भी है।
9. संगठन **विशेषज्ञों का जमावाड़ा** है।
10. संगठन मे **स्थिरता पायी जाती है।**
11. संगठन में **वैचारिकी** होती है।
12. संगठन के कुछ आधारभूत संसाधन होते है, संसाधनो को ध्यान मे रखकर ही संगठन के लक्ष्य निर्धारत होते हैं।

- अधिकारी तंत्र को संगठन का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है कई लोग तो संगठन और अधिकारी तंत्र का प्रयोग पर्यायवाची रूप में भी करते हैं।
- **जॉनसन** ने संगठन को **'अन्त:क्रिया प्रणाली'** के रूप में परिभाषित किया।
- **एंथनी गिडेन्स** संगठन को **वृहद समिति** मानते हैं।
- **मैक्स वेबर** ने संगठन और शक्ति के बंटवारे में सम्बंध बताया है।
- **मिचेल्स** ने **'कुलीन तंत्र का लौह नियम'** (Iron Law of Oligarchy) का प्रतिपादन किया, मिचेल्स का मानना है कि सभी संगठनो के पीछे कुलीन तंत्र की भावना बहुत मजबूत होती है।
- सभी संगठनो का उद्देश्य कुलीन तंत्र को विकसित करने मे होता है।
- प्रकार्यावादियो के लिए संगठन एक व्यवस्था (System) है।

भीड़ (Crowd)

भीड़ की विशेषताएं:

1. **ध्यान का सामान्य केन्द्र** (Common focus of attention) भीड़ के सभी सदस्यों की रूचि एक सामान्य बिन्दु पर होती है।
2. स्वत: निर्माण
3. भीड़ की प्रकृति दो तरह से अस्थिर मानी जाती है।

(i) समय की दृष्टि से: अभी भीड़ थी, अब कोई नहीं है।

(ii) विचार व संवेगो की दृष्टि से।

4. भीड़ का कोई **संगठन नहीं** होता है।
5. कोई भी भीड़ **स्थायी नहीं** होती है।
6. भीड़ का **आकार सामान्यत:** बड़ा होता है।
7. भीड़ का नाम नहीं होता है।
8. कभी-कभी एक ही ध्यान के केन्द्र से कई जगह भीड़ जमा हो जाती है जैसे भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखने के लिए लोग जगह-जगह टी. वी. के सामने भीड़ लगा लेते हैं।
9. भीड़ का **बौद्धिक स्तर निम्न होता है।** वह चोर है उसे मारो, तो सभी उसे मारने लगते हैं कोई यह नहीं सोचता कि क्या उसने सच मे चोरी की है कि नहीं।
10. **नैतिकता** का निम्न स्तर।
11. भीड़ का **दृष्टिकोण समझौता वादी नहीं** होता भीड़ या तो किसी के

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

पक्ष में होती है या किसी के विपक्ष में।

12. भीड़ में **आत्मनियंत्रण** नहीं पाया जाता।

किम्बाल भंग ने भीड़ की दो विशेषताओं की चर्चा की है:

1. **सामान्य ध्यान:** भीड़ के सभी सदस्यों का ध्यान केन्द्र एक होता है।
2. **आकस्मिकता:** भीड़ अचानक पैदा होती है।

मकीवर तथा पेज के अनुसार:

'भीड़ मनुष्यों का शारीरिक रूप से बना संकलन है जिसमे एक दूसरे के साथ प्रत्यक्ष, अस्थायी व असंगठित संपर्क पाया जाता है।'

भीड़ व्यवहार के सिद्धांत व उनके प्रतिपादक

1. **समूह मस्तिष्क का सिद्धांत** (Group Mind Theory) : **प्रतिपादक - सी पी नास, समर्थक- मेकडूमल व लीवोन।**
2. **दमित इच्छाओ का सिद्धांत** (Repressed Drive Theory): **प्रतिपादक - फ्रायड**
3. **सामाजिक दशाओ व सामाजिक व्यवहार का सिद्धांत** (Social condition and social Behaviour Theory) : **मकीवर व पेज, आगवर्न निमकॉफ आदि।**
4. **पारस्परिक उत्तेजना का सिद्धांत** (Theory of Inter Stimulation) : **प्रतिपादक - आलपोर्ट**

श्रोता समूह:

विशेषताएं:

1. भीड़ की तुलना में अपेक्षाकृत संगठित होता है।
2. श्रोता समूह भीड़ का संस्थागत रूप है (किम्बाल यंग) अर्थात् श्रोता समूह में कुछ नियम होते हैं।
3. श्रोता समूह का एकत्र समूह वैध है।
4. श्रोता समूह निश्चित समय और निश्चित स्थान पर एकत्रित होता है।
5. श्रोता समूह का नेता सुपरिभाषित होता है।
6. श्रोता समूह मे मतैक्य होना अनिवार्य नहीं है, लोगों के अपने-अपने विचार होते हैं।
7. श्रोता समूह का कोई न कोई नाम होता है।
8. श्रोता समूह का एक निश्चित उद्देश्य होता है।
9. श्रोता समूह मे नैतिकता व बौद्धिकता पायी जाती है।

मकीवर तथा पेज ने दो प्रकार के श्रोता समूहो का उल्लेख किया है

1. **शारीरिक श्रोता समूह** (Physical Audience): रामलीला देखने आए लोग।
2. विस्तृत श्रोता समूह (DiffusedAudience) रेडियो पर समाचार सुनते लोग। टी. वी. देखते लोग।

जनता (Public):जनता शब्द का **प्रयोग सर्वप्रथम 'लोवैल' व 'लिपमैन'** ने किया। जनता भीड़ व श्रोता समूह के बीच का समूह है जो न तो संगठित होता है और न ही असंगठित। यह संगठित इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमे श्रोता समूह की तरह शारीरिक समीपता नहीं पायी जाती तथा यह असंगठित इसलिये नहीं होता क्योंकि बिखरे हुए लोगो में इच्छाओ, विचारो को लेकर एकता पायी जाती है। सारांश में किसी एक ही विषय पर समान राय रखने वाले लोग जनता कहे जाएंगे। इस तरह किसी विषय या मुद्दे के कई पहलू होते हैं और प्रत्येक पहलू एक जनता का निर्माण करता है। यद्यपि जनता के सदस्य एक स्थान पर नहीं रहते लेकिन एक ही मुद्दे पर एक जैसी प्रतिक्रिया करते हैं।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

समुदाय
(Community)

Notepad

समुदाय की धारणा को समझने के लिए 'भारतीय गांव' पर विचार करना सबसे अच्छा है, गांव की विशेषताएं ही एक समुदाय की विशेषताएं है, क्योंकि गांव स्वयं एक समुदाय है।

1. गांव का एक **निश्चित भौगोलिक** क्षेत्र होता है।
2. व्यक्ति कोई भी काम गांव को ध्यान मे रख कर करता है, यहां व्यक्तिवाद नहीं बल्कि **हम की भावना** (we feeling) पायी जाती है, इसे सामुदायिक भावना भी कहते हैं।
3. लोगों का एक **सामान्य जीवन** होता है, सब एक सी भाषा बोलते हैं, लगभग एक सी जीवन शैली होती है।
4. गांव का अपना एक **विशिष्ट नाम** होता है।
5. गांव **व्यक्तियों का एक समूह** भी है।
6. गांव लम्बे समय तक बने रहते हैं, अन्य शब्दो में उनमे **सापेक्षिक स्थिरता** पायी जाती है।
7. गांव जानबूझकर नहीं बसाए जाते, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार स्वत: बस जाते हैं, या इनकी **उत्पत्ति स्वत: होती है।**
8. गांव मे **आत्मनिर्भरता** पायी जाती है।
9. गांवो को देखा जा सकता है, इनका प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है अत: **ये मूर्त हैं**।
10. गांव के जीवन का एक उद्देश्य नहीं होता बल्कि अनेक उद्देश्य देखे जा सकते है, यहां तक कि एक व्यक्ति लगभग अपना संपूर्ण जीवन गांव या गांव के संदर्भ में ही बिता देता है।
11. गांव मे जन्म लेने वाले को गांव की सदस्यता अपने आप मिल जाती है या इसे **अनिवार्य सदस्यता** कह सकते हैं।

उपरोक्त विशेषताएं ही एक समुदाय की विशेषताएं हैं।

समुदाय से संबंधित तथ्यात्मक जानकारी

- समाजशास्त्र के क्षेत्र में समुदाय की अवधारणा के विकास में फर्नान्डीस टानीज (1887) एमिल डर्कहाइम (1893) लुइस वर्थ (1933), राबर्ट रेडफील्ड (1955) और आर. एम. मकीवर (1937) के योगदान प्रमुख है।
- **लुइस वर्थ** ने कहा कि समाजशास्त्र में 'समुदाय शब्द' के प्रयोग में **'काव्यात्मक मनमानी'** दिखायी पड़ती है।
- जब मनुष्य किसी भू-क्षेत्र में साथ-साथ रहते हैं, पारस्परिक सम्बंध की भावना रखते हैं, एक दूसरे के मध्य क्रिया विकसित करते हैं, तो इस स्थिति को सामूदायिक भावना कहते हैं। सामुदायिक भावना (Community Sentiment) के अंतर्गत मुख्यत: तीन बातें पायी जाती है।
 1. हम की भावना की अभिव्यक्ति (Expression of we feeling)
 2. योगदान या दायित्व निर्वाह की भावना (Role feeling)
 3. निर्भरता की भावना (Dependency feeling)
- **टॉनीज** के अनुसार सामुदायिक जीवन घनिष्ठ और निजी होता है। भाषा जनरीतियों रूढ़ियों और विश्वासों से समुदाय बनता है। सामुदायिक जीवन में खेत, वन तथा चारागाह सभी पर सबका स्वामित्व होता है।
- टॉनीज ने दो अवधारणाओं **गेमाइन शैफ्ट व गेसिल शैफ्ट** का प्रतिपादन किया

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

जिनके माध्यम से सामाजिक संगठन को समझा जा सकता है।

- गेमाइन शैफ्ट का प्रयोग टानीज ने 'समुदाय' के संदर्भ में किया है।
- गेसिल शैफ्ट की विशेषताओं के संदर्भ में टॉनीज ने बताया कि इस आदर्श प्रतिरूप में सदस्यों के सम्बंध निर्वैयक्तिक व संविदात्मक होते है, भावनात्मक मूल्यों की जगह उपयोगिता ले लेती है, जीवन सार्वजनिक होता है, ऐसे संगठन किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाये जाते है, स्पष्ट है कि गेसिल शैफ्ट से टॉनीज का तात्पर्य समिति (association) या संगठन (Organisation) से था।
- **डर्कहाइम** ने अपने 'श्रमविभाजन' के सिद्धांत मे जिसे 'यांत्रिक एकता' कहा है वह वास्तव मे समुदाय से ही संबंधित है।
- **राबर्ट रेडफील्ड** ने 'लघु समुदाय' की मुख्य विशेषताएं निम्नवत बतलायी हैं।
 1. लघुता
 2. पार्थक्य
 3. सजातीयता
 4. सुदृढ़ता ये भी 'समुदाय' की ही विशेषाएं है।
- समुदाय की वास्तविक विशेषताएं जनजातीय समाजो, ग्रामो तथा छोटे कस्बो मे ही दिखायी पड़ती है। वास्तविक समुदाय अब धीरे-धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। औद्योगीकरण, नगरीकरण, अप्रवास, गतिशीलता आदि ने समुदाय को कमजोर किया है।
- कुछ ऐसे समूह होते हैं जिनके अंदर समुदाय की कुछ विशेषताएं होती हैं तथा कुछ नहीं होती ऐसे समुदाय को 'सीमावर्ती समुदाय' कहा जा सकता है।
- नगरीय पड़ोस मे **'हम की भावना नहीं'** पायी जाती, साथ ही यह 'संपूर्ण जीवन-क्रम' व 'स्वत:विकास' आदि समुदाय की शर्तो को पूरा नहीं करता इसलिए यह सीमावर्ती समुदाय का उदाहरण है।

 इसी प्रकार जाति, राज्य, जेल, आश्रम आदि भी सीमावर्ती समुदाय के उदाहरण हैं।
- **मकीवर तथा पेज** ने समुदाय के मुख्य आधारों की चर्चा की है:
 1. स्थानीयता या स्थानीय क्षेत्र (Locality)
 2. सामुदायिक भावना (Community Sentiment)

इस आधार पर मकीवर तथा पेज ने जेल, एक राष्ट्र, को भी समुदाय को भी समुदाय माना है जबकि ये 'सीमावर्ती समुदाय के उदाहरण है। **गॉफमैन** ने जेल, छात्रावास सेना की छावनी आदि के लिए संपूर्ण **संस्था** (Total Institution) का प्रयोग किया है।

परिभाषाएं

मकीवर तथा पेज ने समुदाय को 'सामाजिक जीवन के ऐसे क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जिसे सामाजिक संबद्धता की कुछ मात्रा द्वारा पहचाना जा सकता है।

किंग्सले डेविस ने समुदाय को ऐसी **'लघुतम प्रादेशिक इकाई** (Smallest Territorial Group) माना जिसमे सामाजिक जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं।

बोगार्डस ने समुदाय की दो बातों पर प्रकार डाला:

1. हम की भावना
2. निश्चित भौगोलिक क्षेत्र

ऑगर्बन व निमकाफ ने समुदाय को सीमित क्षेत्र के भीतर सामाजिक जीवन का पूर्ण संगठन (Total Organisation of Social Life) माना है।

गिन्जवर्ग ने समुदाय को 'सामाजिक प्राणियो का एक समूह, जो सामान्य जीवन जीते हैं।' के रूप में परिभाषित किया है।

ग्रीन ने समुदाय को 'व्यक्तियों के संग्रह' के रूप में परिभाषित किया है।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

लिंडमैन ने समुदाय को संरचनात्मक व प्रकार्यात्मक दृष्टि से परिभाषित किया। संरचनात्मक दृष्टि से समुदाय व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है जो निश्चित भू-भाग में रहता है तथा प्रकार्यात्मक दृष्टि से समुदाय विभिन्न सामाजिक प्रक्रियाओं-संघर्ष, सहयोग, संपर्क आदि से सम्बंधित है।

मेंजर ने निश्चित भू-भाग पर अधिक बल देते हुये समुदाय को परिभाषित किया।

ग्रामीण समुदायः ग्रामीण समुदाय का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से हैं जिसमें निम्न विशेषताएं पायी जाती हैं:

1. कृषि की प्रधानता।
2. प्रकृति से निकटता
3. प्राथमिक संबंधो की अधिकता
4. जनसंख्या में तुलनात्मक कमी, घनत्व मे भी कमी
5. सामाजिक एकरुपता
6. सामाजिक गतिशीलता

लुई ड्यूमा ने ग्रामीण समुदाय के तीन अर्थो की चर्चा की है:

1. राजनैतिक समाज के रूप में।
2. भूमि के सह-स्वामियों की एक इकाई के रूप में।
3. परम्परागत अर्थव्यवस्था और राजव्यवस्था के प्रतीक के रूप में।

डेविड मेन्डलबाम ने ग्रामीण समुदाय को एक आधारभूत सामाजिक इकाई माना तथा कहा कि 'गांव स्पष्ट रूप से अलग हो सकने वाला सामाजिक या अवधारणात्मक बंडल नहीं है।'

चार्ल्स मेटकॉफ ने कहा कि **'ग्रामीण समुदाय लघु गणतंत्र'** है। गांवो में अपनी आवश्यकताओं की सभी वस्तुएं पायी जाती हैं, गांव लगभग सभी विदेशी सम्बंधो से स्वतंत्र है। संघर्ष होते हैं, साम्राज्य बनते बिगड़ते है लेकिन गांव समाज के रूप में अपरिवर्तनीय, स्थिर और स्वावलंबी होकर उभरते हैं।

ए.आर. देसाई का मत है कि 'भारतीय ग्रामीण समाज परीक्षण के लिए विशाल प्रयोगशाला है।'

ग्रामीण समुदाय से संबंधित महत्वपूर्ण अध्ययन व उनके अध्ययनकर्ता:

किशनगढ़ी/ रानीखेड़ी (उ. प्र.)	मैकम मैरियट
मोहना	डी.एन. मजूमदार
बीसिपाड़ा (उड़ीसा)	एफ.जी. वेली
रामपुरा (मैसूर)	एम.एन. श्रीनिवास
शमीर पेट	एस.सी. दुबे
श्रीपुरम (अग्रहमपुरम)	आन्द्रेबेत्ते
कुम्बापेटी (तंजौर)	कैथलिन गफ

भारतीय ग्रामीण समुदाय के महत्वपूर्ण अध्ययनो में एस.सी. दुबे का 'इंडियन विलेज', डी.एन. मजूमदार का 'रूरल प्रोफाइल', एम. एन. श्रीनिवास का 'इण्डियाज़ विलेजेज़', मैकम मैरियट का 'विलेज इंडिया' प्रमुख है।

प्रमुख अवधारणाएं एवं उनका ग्रामीण समुदाय एवं नगरीय यमुदाय में विभाजन

	समाजशास्त्री	ग्रामीण समुदाय	नगरीय समुदाय
1.	आर. रेडफील्ड	लघु समुदाय	वृहद् समुदा
2.	धानाग्रे	कृषक समुदाय	औद्योगिक समुदाय
3.	के. डेविस	प्राथमिक समूहों का समाज	द्वैतीयक समूहों का समाज
4.	डब्ल्यू. जे. गुडे	लोक समुदाय	वृहद् समुदाय
5.	टॉनीज	जैमिनशॉफ्ट	जैसिल शॉफ्ट

Notepad

NET: JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

6. दुर्खीम यांत्रिक समुदाय सावयवी समुदाय

लघु समुदाय (Little Community): लघु समुदाय की अवधारणा का प्रतिपादन **राबर्ट रेडफील्ड** ने अपनी पुस्तक **लिटिल कम्युनिटी** में किया है, रेडफील्ड ने मेक्सिको के 'यूकाटन' के माया-इण्डियन सभ्यता के गांव 'चानकोम' के अध्ययन के आधार पर इस अवधारणा का प्रतिपादन किया। रेडफील्ड ने बतलाया कि लघु समुदाय वह छोटा समुदाय है जिसमे सामुदायिक जीवन की अधिकतम विशेषताएं पायी जाती है, इस संबंध में रेडफील्ड ने लघु समुदाय की **चार विशेषताओं** का उल्लेख किया है।

1. लघुता (Smallness)
2. पार्थक्य (Distinctiveness)
3. सजातीयता (Homogenity)
4. सुदृढ़ता (Self sufficiency)

सुदृढता के संबंध में रेडफील्ड ने कहा कि **'लघु समुदाय पालने से शमशान तक का प्रबंध है।'** रेडफील्ड ने अपने उदाहरण में बोलीविया के जंगलो में पाए जाने वाले **'सिरिओनो इण्डियन'** का जिक्र किया है इसे उन्होने बहुत ही छोटा तथा विशिष्ट लघु समुदाय माना है। यहां एक बात और ध्यान देने की है कि रेडफील्ड की लघु समुदाय की अवधारणा पूरी तरह से भारतीय ग्रामो पर लागू नहीं होती।

Notepad

NET, JRF
Manish Singh Sir
EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

समिति और संस्था
(Association and Institution)

Notepad

समिति और संस्था में दृष्टिकोण का अंतर है जब हम, किसी संगठन, व्यक्तियों के समूह की कार्य विधि या कार्यप्रणाली पर विचार करते हैं तो हम संस्था की बात करते हैं, चूंकि कार्यविधियां अमूर्त होती है इसलिए संस्था को अमूर्त माना जाता है जब हम व्यक्तियों को देखते हैं तो इसे समिति कहा जाएगा चूकिं व्यक्ति देखे जा सकते है इसलिए समिति को मूर्त रूप मे स्वीकार किया जाता है। जो व्यक्तियों का समूह है वह कब बना इसके बारे मे हमे जानकारी होती है लेकिन वह जिन नियमों पर संचालित हो रहा है, उसकी जो कार्यविधि है आवश्यक नही कि उन्हीं लोंगो ने बनायी हो इसलिए समिति के इतिहास को ज्ञात व संस्था के इतिहास को अज्ञात माना जाता है, चूंकि व्यक्ति उस मूर्त समूह का सदस्य बनता है इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति समिति का सदस्य होता है संस्था का नहीं, इसी तरह कई समितियां ऐसी हो सकती है जो एक ही कार्य प्रणाली को अपनाती हो तथा एक ही समिति की कई कार्य प्रणालियां हो सकती है इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि एक ही समिति में कई संस्थाएं हो सकती हैं तथा कई समितियों की एक ही संस्था हो सकती है।

समिति (Association)

समितियां समाजशास्त्रीय दृष्टि से आधुनिक जटिल समाज की विशेषता है, आदिम और कृषम समाज मुख्य रूप से समुदायो द्वारा संगठित थे आधुनिक समाज मुख्यत: समितियों द्वारा संगठित हैं। आदिम और कृषक समाजो में सहयोग और संघर्ष का स्थान अधिक महत्वपूर्ण था वर्तमान समय में व्यापार, आर्थिक उत्पादन, वितरण, राजनीति सभी क्षेत्रों में हित और उपयोगिता की भावना देखी जा सकती है, इन हितो की रक्षा के लिए निश्चित नियमो, संगठन पद्धति और औपचारिक विधि से जिन समूहों की स्थापना की जाती है उसे हम सतिति कहते हैं।

समिति की अवधारणा के विकास में टॉनीज (1993), मैक्स वेबर (1822) और आर.एम. मेकीवर (1937) का योगदान उल्लेखनीय है।

टॉनीज ने जो 'गैसेल शॉफ्ट' की विशेषताएं बतलायी है वे वास्तव में समिति की ही विशेषताएं है। टॉनीज के अनुसार आधुनिक समाज में सार्वजनिक जीवन, व्यापार, विज्ञान, सट्टा बाजार, आदि से सम्बंधित वभिन्न हितों की सुरक्षा के लिए निर्मित समूहों को समिति कहा जा सकता है।

मैक्स वेबर ने सामजिक संबंधो पर विचार करते हुये उन्हें दो भागो में विभाजित किया है:

1. समुदाय मूलक
2. संघ मूलक

समुदाय मूलक सम्बंधो के बारे में वेबर ने बताया कि ऐसे सम्बंध मुख्यत: आदिम समाजो में पाए जाते हैं। इनमे सामुदायिक जीवन-आयु, लिंग, रक्त तथा अनुष्ठान समूहों द्वारा संगठित होते है। इसमें विभिन्न हितो में द्वन्द नहीं पाया जाता, सामाजिक संरचना सहयोग पर आधारित होती है।

वहीं संघ मूलक सम्बंध आधुनिक समाज की विशेषता है, आधुनिक समाजों में स्वार्थ के लिए प्रतियोगिता व संघर्ष पाए जाते हैं इन स्वार्थो की पूर्ति के लिए ही संघ या समितियों का निर्माण किया जाता है। बैंक, निगम अधिकारी तंत्र और राजनैतिक दल मैक्स वेबर की दृष्टि में ऐसे ही संघ या समितियों के उदाहरण हैं।

आधुनिक समिति के क्रमबद्ध विश्लेषण मे **मकीवर व पेज** ने विशेष योगदान दिया है, **इनके अनुसार**

समितियां हितो की उपलब्धि की पद्धति अथवा साधन के रूप में विकसित होती है।

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

मकीवर व पेज ने व्यापारिक संगठन, चर्च, श्रमिक संघ, क्लब आदि को समिति का उदाहरण माना है।

समितियों की स्थापना और उनके विकास में नेतृत्व की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है, इनकी स्थापना में हितो के प्रति जागरूक कुछ लोग पहल करते हैं और नेतृत्व प्रदान करते हैं। समितियां जानबूझकर, हित को ध्यान में रखकर, निश्चित नियमों के अनुसार बनायी जाती है, इनकी सदस्यता होती है और ये अपने पदाधिकारियों का चयन अथवा निर्वाचन करती है।

विशेषताएं:

1. समितियां व्यक्तियों का समूह हैं।
2. इसके निश्चित उद्देश्य होते हैं।
3. इनकी प्रवृत्ति अस्थायी होती है, उद्देश्य की पूर्ति के बाद ये विघटित हो जाती हैं।
4. समितियां उद्देश्य प्राप्त करने का साधन है।
5. समिति की एक संरचना होती हैं।
6. समितियों में सहयोग की भावना प्रधानत: पायी जाती है।
7. ऐच्छिक सदस्यता
8. विचार पूर्वक स्थापना
9. औपचारिक संगठन
10. मूर्त
11. नियमों पर आधारित

विविध तथ्य (समितियों से सम्बंधित)

- **मकीवर तथा पेज** ने समितियों को विशेषीकृत तथा अविशेषीकृत दो भागो में बांटा।

1. **विशेषीकृत समिति:** विशेषीकृत समितियों को प्राथमिक तथा द्वितीयक हितों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता। प्राथमिक हित के अंतर्गत यौन संतुष्टि, प्रजनन, मनोरंजन और धर्म आदि को रखा जा सकता है और इसके उदाहरण परिवार, क्लब व धार्मिक समितियां है। वहीं द्वितीयक हित उपादानात्मक (Instrumental) होते हैं और उपयोगिता पर आधारित होते हैं। द्वितीयक हित के अंतर्गत आर्थिक, राजनैतिक व कानूनी हित सम्मिलित किये जा सकते है और इसके उदाहरण व्यावसायिक संगठन, राजनीतिक दल आदि समितियां हैं।
2. **अविशेषीकृत समितियां:** अविशेषीकृत समितियों में आयु,लिंग समूह, राज्य आदि आते हैं।

- **अवधि के आधार** पर समितियों को दो भागों में बांटा जा सकता है:
 1. स्थायी समिति: जैसे राज्य, विश्वविद्यालय, परिवार
 2. अस्थायी समति: बाढ़ सहायता समिति, भूकम्प पीड़ित समिति

सत्ता के आधार पर समिति को तीन भागों में बांटा जा सकता है:

1. सम्प्रभु समिति : जैसे राज्य
2. अर्द्ध सम्प्रभु समिति: जैसे विश्वविद्यालय
3. असम्प्रभु समिति: जैसे क्लब

मकीवर व पेज ने कहा कि **'समिति एक समुदाय नहीं है बल्कि समुदाय के अंदर एक संगठन है।'**

बोगार्डस के अनुसार **'समिति सामान्यत: कुछ एक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्तियों का मिलकर कार्य करना है।'**

समिति शब्द का प्रयोग औपचारिक संगठन के अर्थ में किया जाता है, तथा यह कहा जाता है सभी समितियां औपचारिक संगठन है लेकिन सभी औपचारिक संगठन

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

समितियां नहीं है जैसे सेना, ब्यूरोक्रेसी, कर्मचारी तंत्र आदि औपचारिक संगठन है लेकिन समितियां नहीं हैं।

मकीवर व पेज ने कहा है कि 'हम समितियों के सदस्य होते है संस्थाओ के नहीं।'

Notepad

संस्था (Institution)

संस्था शब्द का **सर्वप्रथम प्रयोग हरबर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक** 'First Principle' **में किया।** स्पेन्सर के अनुसार संस्था वह अंग है जिसके माध्यम से समाज के कार्यो को क्रियान्वित किया जाता है।

समाजशास्त्र मे संस्था का तात्पर्य कार्य प्रणालियों से है, जिनके माध्यम से आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है।

मकीवर तथा पेज ने संस्था को परिभाषित करते हुये कहा कि 'सामाजिक समूह' की कार्यप्रणाली को हम संस्था कहते हैं।

समनर ने अपनी पुस्तक "Folkways" **मे संस्था को परिभाषित करते हुये लिखा है कि** 'एक संस्था एक विचारधारा (विचार, मत, सिद्धांत, हित) और एक संरचना से मिलकर बनती है।'

समनर ने संस्थाओ के उद्धिकास को प्रकट किया है, समनर ने लिखा है कि-संस्थाएं जनरीतियों से आरंभ होती है, जब जनरीतियों के साथ सामूहिक अनुभव व मान्यता जुड़ जाती है तो वे प्रथाओ में बदल जाती है, इन प्रथाओं के साथ जब कल्याणकारी भावना जुड़ जाती है, तो वे लोकाचार में परिवर्तित हो जाती है और जब लोकाचार और भी विशिष्ट बन जाते हैं तब इनसे संस्था का विकास होता है।

संस्थाओं का उद्विकास

व्यक्तिगत विचार (Idea)
क्रिया की पुनरावृत्ति
व्यक्तिगत आदत (Habit) + सामूहिक पुनरावृत्ति (Falk ways) समूह की आदते या जनरीतियां
+ सामूहिक अनुभव
+ मान्यता
लोकाचार (Mores) + समूह की स्वीकृति प्रथा
+ जनकल्याणकारी भावना बाध्यता
निश्चित नियम+विशिष्टता संस्था (Institution)
+ निश्चित ढांचा

समनर ने संस्था को 'super folkways' **कहा।**

समनर ने संस्थाओं के दो प्रकार बताएं हैं:

1. स्थापित (Cresive)
2. निर्मित (Enacted)

स्थापित संस्थाएं एक संस्था के रूप में मानदण्डो के अनुसार धीरे-धीरे विकसित हुयी है। स्थापित संस्थाओं की धारणा 'सामाजिक संस्थाओं' की अवधारणा से मिलती जुलती है।

वही निर्मित संस्थाएं ऐसी संस्थाएं है जिन्हे विशिष्ट हित के लिए स्थापित किया जाता है। निर्मित संस्था की अवधारणा समिति और संगठन की अवधारणाओं से मिलती जुलती है।

जॉनसन ने संस्था को ऐसे संकुल के रूप में परिभाषित किया है जो समाज द्वारा स्वीकृत मानदण्डो से निर्मित है।

मकीवर व पेज ने संस्था को 'समाज द्वारा मान्य कार्यप्रणाली' के रूप में परिभाषित किया है।

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

हैमिल्टन ने 'संस्था को रीति रिवाजों का एक गुच्छ कहा है।'

मेकाइवर एंव पेज ने समिति संस्थाओं और हितों के बीच सम्बंध को निम्न तालिका से स्पष्ट किया है:

समिति विशिष्ट संस्थाएं	**विशेष हित**
परिवार विवाह घर (The Home),उत्तराधिकार	यौन सम्बंध वंशावली
कॉलेज व्याखन (Lecture), और परीक्षा प्रणाली,	शिक्षण, व्यवसायिक तैयारी स्नातक (Graduation)
व्यापार	लेखाप्रणाली (Book Keeping), संस्थापन लाभ(Incorporation), अंश (Share),पूंजी
श्रमिक संघ	सामूहिक सौदेबाजी, हड़ताल, धूरना नौकरी सुरक्षा, परिश्रमिक दरें **कार्य की स्थितियां**
गिरिजा (चर्च)	सम्प्रदाय(Creed),धर्मभ्रतृत्व(Communion), धार्मिक विश्वास
राजनीतिक	प्राथमिक इकाइयाँ, दलयंत्र(Party Mchine), कार्यालय, शक्ति, सरकारी नीति दल राजनीतिक मंच
राज्य	संविधान, वैधानिक संहिता, शासन के रूप सामाजिक व्यवस्था का साधारण नियमन

यद्यपि संस्था समूह या समुदाय की कार्य पद्धति है लेकिन कार्य पद्धति का अध्ययन समूह और समुदाय से अलग नहीं किया जा सकता। समूह और संस्था, दोनो एक दूसरे पर अवलम्बित है और दोनो मिलकर ही सामाजिक वास्तविकता का रूप धारण करते है। 'सामाजिक वास्तविकता' के अध्ययन के सिलसिले में समूह और संस्था, दोनो का अध्ययन करना नितांत आवश्यक है।

संस्था की विशेषताएं:

- संस्था कार्यप्रणाली है।
- संस्था का **जन्म स्वतः होता** है।
- संस्था में अपेक्षाकृत कुछ मात्रा में **'स्थायित्व'** का गुण पाया जाता है।
- संस्था में **'परिवर्तनशीलता'** (Changed) का भी गुण पाया जाता है।
- समाज के परिवर्तन के साथ साथ संस्थाओं में भी परिवर्तन आता है।
- संस्था को एक निश्चित रूप प्रदान करने के लिये इसके कुछ सांस्कृतिक उपकरण विकसित हो जाते है, जो भौतिक और अभौतिक दोनों होते हैं। जैसे धार्मिक संस्था में मंत्रोच्चारण, पाठ, भजन, आदि अभौतिक तत्व है जब कि मंडप, मूर्तियाँ, कलश, पूजा-सामग्री आदि भौतिक उपकरण है।
- संस्थाओं का एक प्रतीकात्मक पक्ष होता है जो उस संस्था के अस्तित्व को इंगित करता है। यथा सत्यमेव जयते-न्यायालय संस्था का प्रतीक है इसी तरह राष्ट्रीय झंडा, क्रास, ऊँ, सगाई में प्रतीक स्वरूप अंगूठी भेट करना आदि प्रतीक है।
- संस्था की एक विचार व्यवस्था होती है।
- प्रत्येक संस्था का एक उद्देश्य होता है।
- संस्थाओं के साथ हमेशा व्यवस्थित समूह जुड़े रहते हैं। जैसे-विवाह के साथ जाति, गोत्र, परिवार आदि।
- संस्था अमूर्त होती है।
- प्रत्येक संस्था में संस्कृति द्वारा परिभाषित मानदण्ड होते हैं।

समिति और संस्था में अंतर (Distinction between Association and Institution)

	समिति (Association)	**संस्था** (Institution)
1.	व्यक्तियों का एक संगठित समूह है।	नियमों, विधि-विधानों और कार्य-प्रणालियों की एक व्यवस्था है।
2.	मूर्त है।	अमूर्त है।
3.	समिति की स्थापना की जाती है।	संस्था का धीरे-धीरे स्वतः विकास होता है।
4.	अस्थाई प्रकृति की होती है।	अपेक्षाकृत स्थाई होती है।
5.	विशिष्ट नाम होता है।	संस्था का अपना विशिष्ट प्रतीक होता है जैसे चर्च का प्रतीक क्रास।
6.	व्यक्तिगत कल्याण पर जोर देती है।	सामूहिक कल्याण पर जोर देती है।
7.	औपचारिक नियम होते हैं।	अनौपचारिक नियम-जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ, प्रथाएँ आदि होते हैं।
8.	नियंत्रण शक्ति कमजोर होती है।	नियंत्रण-शक्ति अधिक होती है।
9.	विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति करती है।	सामान्यतः मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति में योग देती है।

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

10.	समिति के हितों की पूर्ति के लिए एक संस्था का होना आवश्यक है।	संस्थाएँ विभिन्न समितियों के हितों की के रूप में कार्य करती है।
11.	समिति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित नहीं होती है।	संस्था एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तान्तरित होती है।
12.	मनुष्य समितियों के सदस्य होते हैं। और कार्य-प्रणालियों की व्यवस्था है।	मनुष्य संस्थाओं के सदस्य नहीं हो सकते है क्योंकि संस्था नियमों और कार्य-प्रणालियों की व्यवस्था है।

संस्था के प्रकार्य:

- मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से होती है।
- संस्थाएं मानव व्यवहार को नियंत्रित करती है।
- संस्थाएं सामाजिक विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाती है।
- संस्थाएं सामाजिक परिवर्तन में सहायक होती हैं।
- संस्थाएं प्रत्येक व्यक्ति को समाज में एक पद तथा उससे सम्बंधित भूमिका प्रदान करती है।
- संस्थाए संस्कृति की वाहक होती है।
- संस्थाएं सांस्कृतिक अनुरूपता व्यक्त करती है।
- मर्टन के अनुसार संस्था के प्रकट (Manifest) तथा अप्रकट (Latent) प्रकार्य होते हैं।

संस्था के अप्रकार्य:

- संस्थाएं कभी कभी सामाजिक प्रगति में बाधक होती है।
- संस्थाएं व्यक्तियों में निराशा उत्पन्न करती है।
- संस्थाएं व्यक्तियों के उभरते हुए व्यक्तित्व को दबाती है।
- संस्थाओं की प्रकृति रूढ़िवादी होती है।

समाजशास्त्रियों ने पाँच मुख्य और आधारभूत संस्थाओं का जिक्र किया है जो मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ये है-परिवार, विवाह, आर्थिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं तथा शैक्षिक संस्थाएं। इन पाँचों संस्थाओं की भूमिका हमारे समाज में विशेष महत्व की है। परिवार को प्रत्येक समाज में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था माना जाता है। समाज व संस्था परस्पर अन्त:निर्भर है। संस्था के बल पर समाज का अस्तित्व है और समाज के बल पर संस्था का।

Notepad

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

संस्कृति
(Culture)

Notepad

मानव समाज और पशु समाज मे भिन्नता का आधार संस्कृति है। मानव संस्कृति का धारक, संवर्द्धक और निर्माता है। समाजो मे भी भिन्नता का आधार संस्कृति है, जिसे सांस्कृतिक भिन्नता (Ethinicity) कहते हैं, जो व्यवहारों, आचरणो और दैनिक जीवन के सभी पक्षो में दृष्टिगत है।

समाज विज्ञानो में संस्कृति प्रत्यय के भिन्न अर्थ निकाले जाते हैं, इतिहास मे संस्कृति को मूल्य व विकास के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। जबकि समाजशास्त्र के अंतर्गत संस्कृति की अवधारणा को विशिष्ट अर्थ मे, मानव व पशु विभेद पर, जबकि मानवशास्त्र में संस्कृति को समाज व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ा जाता है।

टायलर (Book-Primitive Culture-1871): "संस्कृति वह जटिल, समग्र संकुल है, जिसमे ज्ञान, कला विश्वास, कानून, प्रथा व अन्य आदते व क्षमताएं है, जिन्हे मनुष्य ने समाज के सदस्य के रूप में ग्रहण किया है।"-**पहली वैज्ञानिक परिभाषा।**

टायलर ने इस बात पर बल दिया कि संस्कृति

- एक सामाजिक विरासत है।
- समाज द्वारा व्यक्तियो को दिया गया उपहार है।

हर्षकोबिट्ज (Book-Man and His work): "संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है।" (Culture is the Man Made part of Environment)

- चांद, सितारे, पहाड़ आदि संस्कृति नहीं है।
- प्रकृति का सिर्फ मानव निर्मित भाग ही संस्कृति है।

मैलिनास्की: संस्कृति जीवन व्यतीत करने की एक विधि है, (संपूर्ण विधि) जो

- शारीरिक (Biological) आवश्यकताएं
- मनोवैज्ञानिक (Psychological) आवश्यकताएं

व अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और उसे (मनुष्य को) प्रकृति के बंधनो से मुक्त करती है।

लिंटन: एक समाज की संस्कृति अपने सदस्यों के लिए जीवन जीने का ढंग है, विचारो, आदतो का संग्रह है, जो कि वे सीखते है, सहभागी बनते है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी मे हस्तान्तरित होते हैं।

आर. बीयरस्टीड (Social Order-Book):संस्कृति उन वस्तुओं का गूढ़ संग्रह है, जो समाज के सदस्यों के रूप में हम सोचते हैं, रखते है और करते हैं। वीयरस्टीड ने अपनी परिभाषा में संस्कृति के तीन तत्वों

1. Thinking
2. Doing
3. Having की चर्चा की है।

लेस्ली व्हाइट: संस्कृति कुछ अद्भुत पदार्थो का संगठन है, क्रियाएं (व्यवहार, आदर्श) और वस्तुएं (उपकरण, उपकरणो से बनी हुयी वस्तुओं) विचार (विश्वास, ज्ञान) और भावनाएं (मनोवृत्तियों) जो कि लाक्षणिक संकेतो के प्रयोग पर निर्भर है।

नोट: लेस्ली व्हाइट ने मानव की प्रकृति से प्राप्त क्षमताओं का उल्लेख किया है जिनसे वह संस्कृति का निर्माण करता है।

- सीधे खड़े होने की क्षमता
- स्वतन्त्रता पूर्वक घुमाया जा सकने वाला हाथ
- मेधावी मस्तिष्क

NET, JRF Manish Singh Sir LG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

- तीव्र व केन्द्रित की जा सकने वाली दृष्टि
- प्रतीको के निर्माण की क्षमता

मजूमदार व मदन : "व्यक्ति संस्कृति का निर्माता उतना ही है, जितना ही उसका दास व वाहक।"

पिडिंगटन : संस्कृति उन भौतिक व बौद्धिक साधनो या उपकरणो का योग है, जिनके द्वारा व्यक्ति अपनी प्राणिशास्त्रीय तथा सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि एवं अपने पर्यावरण से अनुकूलन करता है।

P.H. Landis: संस्कृति वह दुनिया है, जिसमे एक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक निवास करता है। चलता है, फिरता है और अपने अस्तित्व को बनाए रखता है।

ब्रूम व सेल्जनिक: समाज विज्ञानो में संस्कृति का अर्थ मनुष्य की सामाजिक विरासत से लिया जाता है। जिसमे ज्ञान विज्ञान, विश्वास व प्रथाएं आती है।

पावेल: संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है, जो सीखा जा सके वही संस्कृति है।

Ruth Benedict: व्यक्ति की भांति संस्कृति, विचार और क्रिया का एक बहुत सुस्थिर प्रतिमान (Pattern) है।

क्लूखान: एक समाज विशेष के सदस्यों द्वारा ग्रहण किये गये, एक जीवन का ढंग ही संस्कृति है।

फेयर चाइल्ड: प्रतीको द्वारा सामाजिक रूप से प्राप्त एवं संचारित सभी व्यवहार प्रतिमानो के लिए सामूहिक नाम संस्कृति है।

सी.एस. फोर्ड: संस्कृति मे समस्याओं के सुलझाने के परंपरागत तरीको या समस्याओ से सीखो हुये हलों का समावेश होता है।

डेविड विडने (मानवशास्त्री): ने संस्कृति को मानव प्रकृति के स्वसंधान तथा भौगोलिक पर्यावरण के संसाधन के रूप में प्रस्तुत किया।

विडने के अनुसार: संस्कृति

- कृषि तथ्यो (Agro Fact)
- शिल्प तथ्यो (Artifact)
- समाज तथ्यो (Socifact)
- मानस तथ्यो (Mentifact)

की उत्पत्ति है।

यहां कृषि तथ्यो का अर्थ कृषि की उत्पत्तियों, शिल्प तथ्य का उद्योग की उत्पत्तियों तथा समाज तथ्य का अर्थ समाज की उत्पत्ति, सामाजिक संगठन आदि व मानव तथ्यो का तात्पर्य मानव की उत्पत्तियों जैसे-भाषा, धर्म, कला से है।

मैरेट: मैरेट ने संस्कृति को संप्रेषणीय प्रबुद्धता (Communicable Intelligence) के रूप में परिभाषित किया।

रेडफील्ड इसी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुये संस्कृति को शिल्प तथ्यो, सामाजिक व प्रतीको मे निहित पारस्परिक अर्थो की समग्रता बताते हैं।

इ.ए.हाबेल: संस्कृति को एक एकीकृत व्यवहार प्रतिमानो का संपूर्ण योग कहा। (Culture is the sum total of integrated learned behaviour pattern)।

Krober: क्रोबर के अनुसार संस्कृति अधि सावयवी (Super Organic) व अधि वैयक्तिक (Super Individual) होती है।

अधि सावयवी (Super Organic) **शब्द का प्रयोग सबसे पहले स्पेन्सर ने किया था।**

संस्कृति मानव समाज का अर्जित गुण है, यह परंपरा द्वारा सुस्थिर रहती है। परंपरा द्वारा अर्जन का तात्पर्य यह है कि मनुष्य मे सीखने की क्षमता होती है, इसलिए व्यक्ति को संस्कृति का धारक कहा जाता है।

संस्कृति एक सामाजिक विरासत है, प्रकृति केवल पर्यावरण प्रदान करती है,

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

संस्कृति इसी पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। यानि संस्कृति का सृजन मानव मस्तिष्क मे होता है। दूसरे शब्दो मे मनुष्य अपने जिस व्यवहार को समाज द्वारा सीखता है वहीं संस्कृति है।

Notepad

विशेषताएं:

1. संस्कृति मे सहभागिता होती है। (स्वीकृत व मान्य)
2. संस्कृति सीखी जाती है।
3. मानव निर्मित होती है।
4. संस्कृति मानवीय आवश्यकताओ की पूर्ति करती है।
5. संस्कृति संगठित होती है।
6. संस्कृति मे संचरण का गुण पाया जाता है।
7. प्रत्येक समाज की एक संस्कृति होती है।
8. समूह के लिए संस्कृति आदर्श होती है।
9. संस्कृति मे अनुकूलन करने का गुण होता है।
10. प्रत्येक संस्कृति के अपने आचार तत्व (Ethos) होते हैं।
11. भाषा संस्कृति का मुख्य वाहक होती है।
12. संस्कृति संयमी होती है।
13. संस्कृति मे एकीकृत होने का गुण पाया जाता है।

मरडॉक ने संस्कृति की निम्नलिखित विशेषताएं बतायी:

1. संस्कृति सीखी जाती है।
2. हस्तान्तरित होती है, सामाजिक होती है।
3. एक आदर्श के रूप में होती है।
4. प्रसन्नतादायक होती है।
5. अनुकूलन की क्षमता होती है।
6. समन्वयकारी होती है।
7. अधिवैयक्तिक, अधिसावयवी होती है।
8. आवश्यकताओं की पूर्ति का आधार होती है।

संक्षेप मे

- संस्कृति अतीत से संबद्ध होती है।
- संस्कृति सामाजीकरण आदतों एवं विचारो द्वारा सीखे गये सामाजीकृत व्यवहार होती है।
- संस्कृति मे आदर्श, नियम व विचारों का समावेश होता है।
- यह भाषा के माध्यम से अतीत मे सीखे गये व्यवहारों को हस्तान्तरित करती है तथा श्रम विभाजन द्वारा अन्योन्याश्रितता मे वृद्धि करती है।

संस्कृति और सभ्यता

संस्कृति और सभ्यता मे सबसे पहले अन्तर **"अल्फ्रेड वेबर"** ने किया।

ऐतिहासिक मीमांसा यह है कि सभ्यता का आरंभ लेखन व धातु के आविष्कार से संबद्ध है।

ऑगबर्न व निमकॉफ: सभ्यता अति जैविक (Super Organic) संस्कृति का उत्तरीय पक्ष है।

ब्रुक्स एडम्स : सभ्यता शासकीय सत्ता की स्थिर व्यवस्था पर आधारित है। सभ्यता अनिवार्य रूप से अति विकसित संगठन है। (Modern Concept)।

जिलिन व जिलिन: सभ्यता संस्कृति का अधिक जटिल व विकसित रूप है। 'संस्कृति शब्द मूर्त विचारो मे अभिलक्षित विचारों, प्राविधियों का बोध कराने हेतु प्रयोग किया जाता है। जबकि स्वयं वस्तुओं का बोध कराने हेतु सांस्कृतिक उपकरण शब्द

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

का प्रयोग किया जाता है।'

A.W. Green: संस्कृति उसी समय सभ्यता बनती है जब यह लिखित भाषा, विज्ञान, दर्शन, विशिष्ट श्रम विभाजन व एक जटिल प्रौद्योगिकी एवं राजनैतिक प्रणाली को ग्रहण कर लेती है। इस प्रकार सभ्यता शब्द का प्रयोग संस्कृति के कुछ चयनित भागों के लिए किया जाता है।

MacIver and Page: सभ्यता शब्द का प्रयोग उपयोगी वस्तुओं, जीवन की आवश्यकताओं को नियंत्रित करने के लिए मानव द्वारा योजित समस्त संगठन तथा यांत्रिकता के लिए किया गया है।

इन्होने सभ्यता व संस्कृति मे निम्न अंतर बतलाए: (ये अंतर संस्कृति के मूर्त व अमूर्त अवधारणा पर आधारित हैं)।

1. सभ्यता का परिमाणात्मक मापन संभव है जबकि संस्कृति का नहीं।

eg: मोटर गाड़ी बैल गाड़ी से श्रेष्ठ है, जबकि सांस्कृतिक वस्तुओं की सापेक्षता मापन का कोई यंत्र नहीं है।

2. सभ्यता में निरंतर प्रगति होती है परंतु संस्कृति में नहीं।

3. सभ्यता सरेखीय व संचयात्मक होती है इसकी दिशा लगातार उदग्र होती है और अनिश्चित काल तक चलती है, वहीं संस्कृति शनैः शनैः।

4. सभ्यता प्रयास के बिना आगे बढ़ जाती है जबकि संस्कृति नहीं।

5. सभ्यता का स्थानान्तरण उत्पादको के बिना निर्माणक्षमता के कर सकते हैं–TV Mobile, Radio, etc.

जबकि संस्कृति का सिद्धांत आत्मसात पर आधारित है।

6. सभ्यता वाह्य एवं यांत्रिक है। संस्कृति आंतरिक एवं जैविक है।

eg: नैतिक विचार, मूल्य, आदर्श, मानदंड इत्यादि।

MacIver & Page: जो कुछ हम है वह संस्कृति है, जो कुछ हमारे पास है वह सभ्यता है।

अतः संस्कृति का अभिप्राय चेतना अथवा आत्मा की आंतरिक अवस्था से है, वाह्य परिस्थितियो से नहीं।

7. सभ्यता को बिना परिवर्तन, हानि के बिना ग्रहण कर सकते हैं, परंतु संस्कृति को नहीं।

8. सभ्यता का विस्तार अधिक शीघ्रता, अधिक सरल रीति से, कम वरणात्मक होता है, तथा यह प्रौद्योगिकी केन्द्र से बाहर की ओर प्रसारित होती है।

eg: नील नदी की सभ्यता।

9. संस्कृति का अपना आन्तरिक गुण होता है केवल कुछ सांस्कृतिक गुणो को उधार लिया जा सकता है।

eg: कोई भी जाति अपनी संस्कृति को पूर्णतया त्याग नहीं सकती क्योंकि ऐसा करना उसकी मौलिक विशेषता को नष्ट कर देता है।

10. संस्कृति और सभ्यता मे अन्योन्याश्रितता का गुण पाया जाता है।

यह अन्तःक्रियाशील भी होती है।

11. संस्कृति का सम्बंध साध्य से होता है और ये मूल्योन्मुख (Value-oriented) होती है। जबकि सभ्यता का संबंध साधनो से (वर्हिमुखी एवं उपयोगिता वादी) होता है।

12. सभ्यता मूलक उपकरणों की उपलब्धि हमारी सांस्कृतिक अभिरूचि पर निर्भर होती है अतः संस्कृति का आधार मूल्यात्मक होता है।

मैलिनॉस्की: संस्कृति, सभ्यताओ की पूर्ति के लिए उपयुक्त साधन है।

मीड: संस्कृति मानव के समस्त व्यवहार का प्रस्तुतीकरण है।

गिडिंस व आगबर्न: गिडिन्स व आगबर्न जैसे समाजशास्त्रियों ने संस्कृति के

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

अन्दर भौतिक व अभौतिक दोनो पक्षों को शामिल किया है।

- आगर्बन जिसे अभौतिक संस्कृति कहते है उसे मकीवर व पेज ने 'सभ्यता' कहा है।
- जर्मन समाजशास्त्री सभ्यता व संस्कृति को अलग-अलग समझते हैं। जबकि फ्रांसीसी दोनो में अन्तर नहीं करते।
- ब्रिटिश समाजशास्त्रियों मे टायलर ही ऐसे हैं जिन्होने सभ्यता व संस्कृति में अन्तर नहीं किया है। इनके अनुसार मानव की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के सभी साधन संस्कृति व सभ्यता है, इसके अंतर्गत मानव निर्मित सभी भौतिक वस्तुएं भी शामिल है।

टायलर द्वारा दी गयी संस्कृति की अवधारणा को **क्रोबर व क्लूखान** ने **"वृहद संस्कृति"** की संज्ञा दी है। जॉनसन ने भौतिक संस्कृति को संस्कृति मानने की अवधारणा का विरोध किया है, जॉनसन ने कहा कि सिर्फ मानव द्वारा सीखा गया व्यवहार ही संस्कृति है, भौतिक वस्तुएं इस्तेमाल के साथ समाप्त हो जाती हैं, संस्कृति समाज में संचय होती हैं, यह समाज को जीवन्तता प्रदान करती है।

- मानव निर्मित भौतिक वस्तुएं संस्कृति की उपज हैं वे अपने आप में संस्कृति नहीं है।
- भाषा संस्कृति का अंग है पर पुस्तके नहीं।
- संस्कृति सीखी जाती है।मोटर गाड़ी सीखी नहीं जाती वह शिल्प तथ्य है। मोटर गाड़ी चलाना सीखना संस्कृति है।
- संस्कृति मस्तिष्क की अमूर्त अवधारणा का नाम है। लियोनार्डो द विंची की मोनालिसा संस्कृति नहीं है। बल्कि यह सांस्कृतिक धरोहर है।
- भौतिक संस्कृति को संस्कृति नहीं माना जाता क्योंकि इसे एक साथ कई लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। जबकि संस्कृति को एक साथ बहुत से लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे-भाषा, धर्म।
- संस्कृति जीवित या मृत हो सकती है। जैसे भारत में प्राकृत भाषा, यूरोप में लैटिन भाषा मृत हो चुकी है इसे पुनः उसी रूप में जीवित किया जा सकता है, इसीलिए संस्कृति मे अमरता का गुण होता है, सभ्यता मे नहीं।
- चंदन लगाना, टीका लगाना, जनेऊ पहनना संस्कृति नहीं है बल्कि यह जिन आदर्शों, मूल्यों के कारण हो रहा है वह संस्कृति है। अतः कोई व्यवहार संस्कृति नहीं बल्कि सांस्कृतिक कहा जाता है।

संस्कृति के आधारभूत तत्व

लेविस जे.कार ने संस्कृति के उन मूलभूत तत्वो पर प्रकाश डाला जो सभी संस्कृतियों मे पाये जाते हैं।

1. भाषा
2. भौतिक तत्व व वस्तुएं
3. सामंजस्य प्रतिमान (बाध्यता मूलक प्रतिमान, संगठनात्मक, वाह्यता मूलक प्रतिमान)
4. मूल्य व आदर्श
5. प्रकार्यों की अन्तनिर्भरता।

जॉनसन ने संस्कृति के निम्नलिखित तत्वो का उल्लेख किया है:

1. ज्ञानात्मक तत्व
2. विश्वास एवं अंध विश्वास
3. मूल्य व मानदण्ड :
 (i) Secondary values
 (ii) Dominant Values

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

eg: माता पिता का सम्मान करना Dominant (प्रभावी) मूल्य है और बुजुर्गो का सम्मान करना द्वितीयक (Secondary) मूल्य माना जाएगा।

4. संकेत (Sign) मनुष्य अपनी बातो को तीन तरह से प्रकट करता है:
(i) Oral Medium
(ii) Written
(iii) Symbols and Signals

मेटा स्पेन्सर (Metta Spencer) **ने संस्कृति के निम्न तत्वो पर प्रकाश डाला:**

1. प्रतीक
2. मूल्य
3. मानदण्ड
4. लोक साहित्य (Folk lore)
5. कानून (Law)
6. विचारधारा (Ideology)

स्पेन्सर (Spencer) ने सामाजिक संस्थाओं के उद्धिकास की विवेचना मे लिखा है कि मनुष्य की जीविका के लिए आर्थिक आवश्यकताएं सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। इसी प्रकार मानव संस्कृति के विभिन्न रूप परिलक्षित होते हैं जो इस प्रकार है:

1. संग्रहण की अवस्था
2. शिकार की आवस्था
3. पशुपालन की अवस्था
4. चारागाह की अवस्था
5. कृषि की अवस्था
6. कुटीर उद्योग की अवस्था
7. औद्योगिक अवस्था।

संस्कृति का वर्गीकरण

क्रोबर : भौतिक, अभौतिक
आगबर्न: भौतिक, अभौतिक
गुडे: भौतिक (मूर्त), अभौतिक (अमूर्त भावानात्मक)
सोरोकिन: चेतनात्मक, विचारात्मक, आदर्शात्मक
मेल्विन ट्यूमिन: 3 प्रकार–
भौतिक, अभौतिक, अर्द्धभौतिक

मार्गन ने उद्विकासीय आधार पर संस्कृति को तीन भागो में बांटा:

1. जंगली अवस्था
2. बर्बर अवस्था
3. सभ्य अवस्था

टॉयलर ने धर्म को संस्कृति का महत्वपूर्ण पक्ष माना व धर्म का उद्विकासीय सिद्धांत मत रखा:

1. आत्मावाद (जीववादी बहुदेववाद)
2. बहुदेववाद (उन्नत बहुदेववाद)
3. एकेश्वरवाद

हेड्डन ने कला के सम्बंध में उद्विकासीय मत रखा:

1. यथार्थवादी कला
2. रेखाकार
3. प्रतीकात्मक या अमूर्त

लेवी ब्रूहल ने आधुनिक तर्क का विकास आदिम तर्क से माना ब्रूहल ने

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

आदिम अवस्था को तर्क पूर्व मनःस्थिति कहा।

S.C. Dubey:

1. आदि पाषाणकाल
2. पुरापाषाण काल
3. नवीन पाषाणकाल
4. ताम्र युग
5. कांस्य युग
6. लौह युग

रालफ लिंटन ने अपनी पुस्तक The Study of Man (1964) **मे संस्कृति के चार प्रकारो की चर्चा की:**

1. संस्कृति निर्माणक (Cultural Construct)
2. सांस्कृतिक सार्वभौम (Cultural Universals)
3. सांस्कृतिक विकल्प (Cultural Alternatives)
4. सांस्कृतिक विशेषताएं (Cultural Specialities)

- लिंटन ने संस्कृति की सबसे छोटी इकाई को **संस्कृति विशेषक या तत्व** (Cultural Trait) कहा।
- स्टीवर्ड ने बहुमांगी (बहुमार्गी) विकासवाद और संस्कृति के क्रमिक विकास का समर्थन किया। जबकि लेस्ली व्हाइट ने संस्कृति को प्रतीकात्मक, निरंतर संचयी व विकासात्मक प्रक्रिया माना।

लेस्ली व्हाइट को - नवविकासवाद व संस्कृतिवाद का प्रवर्तक माना जाता है।

- क्रोबर व क्लूखॉन ने 108 परिभाषाओं (संस्कृति की) का संकलन किया।

भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं:

1. प्राचीनता
2. धर्म की प्रधानता।
3. अध्यात्मवादी दर्शन
4. समन्वय की भावना/वृद्धि
5. विभिन्नतावादी दर्शन
6. वर्ण, आश्रम, पुरुषार्थ व संस्कार की एक व्यवस्था
7. संयुक्त परिवार की व्यवस्था
8. सुदृढ़ता पर आधारित व्यवस्था

नोट: टायलर और **फ्रेन्ज बोआस** ने सामाजिक तत्वों के आधार पर संस्कृति का अध्ययन किया।

संस्कृति के प्रमुख घटक इस प्रकार है

1. प्रौद्योगिकी
2. आर्थिक संगठन
3. सामाजिक संगठन
4. राजनैतिक संगठन
5. विचारधारा
6. विश्वास, मान्यता, आदर्श
7. कला
8. भाषा

प्रत्येक संस्कृति तत्व का अपनी उत्पत्ति के सम्बंध मे एक इतिहास होता है। सांस्कृतिक तत्व, संस्कृति की भांति स्थिर नहीं बल्कि गतिशील होते है। सांस्कृतिक तत्वो में मिलकर रहने की प्रवृत्ति पायी जाती है।

संस्कृति के उपादान (Components of Culture):

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

समाजशास्त्री संस्कृति के निर्माणात्मक अंगो को संस्कृति के उपादान कहते हैं। जो इस प्रकार हैं:

विसलर (1917) ("Man and Culture"-Book) ने अमेरिका की इंडियन संस्कृति का अध्ययन कर संस्कृति के निम्न अंगो को उल्लेख किया है:

1. संस्कृति तत्व
2. संस्कृति संकुल
3. सांस्कृतिक क्षेत्र

Notepad

सांस्कृतिक तत्व (Cultural Trait) सांस्कृतिक विशेषक)

भौतिक संस्कृति में सबसे छोटी इकाई जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, विभाजित करने पर वह अपना अस्तित्व खो देता है।

अभौतिक संस्कृति में भी संस्कृति का सबसे छोटा हिस्सा। जैसे विचार, प्रतीक, विश्वास तत्व है।

नोट:

- हिन्दू संस्कृति की आत्मा: धर्म
- इस्लाम संस्कृति की आत्मा: भ्रातृत्व
- इसाई संस्कृति की आत्मा: मानवता है।

संस्कृति/सांस्कृतिक संकुल (Cultural Complex) : संस्कृति तत्वो के अर्थ पूर्ण संकलन को सांस्कृतिक संकुल कहते हैं।

- सांस्कृतिक तत्व आपस मे घुल मिलकर मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ऐसे सांस्कृतिक तत्वो के योग को संकुल कहते हैं।
- **डा. एस.सी. दूबे** ने लिखा है कि सामाजिक (सांस्कृतिक) तत्वों को हम संस्कृति के गठन मे सरलतम व्यावहारिक इकाई मान सकते हैं।
- **हर्षकोविट्ज :** तत्व को एक निर्दिष्ट संस्कृति मे पहचानी जाने वाली सबसे छोटी इकाई मानते हैं।
- **क्रोबर:** सांस्कृतिक तत्व को संस्कृति का अल्पतम परिभाषित तत्व मानते हैं।
- संस्कृति तत्व संस्कृति की सबसे छोटी इकाई है। अनेक संस्कृति तत्वो का जब परस्पर अर्थ पूर्ण ढंग से संयोग होता है तो **संस्कृति संकुल** (Cultural Complex) का निर्माण होता है।
- जब संस्कृति संकुल, संस्कृति को विशेष स्थिति प्रदान करते हैं तो वे **सांस्कृतिक प्रतिमान** (Cultural Pattern) कहलाते हैं, जब एक सांस्कृतिक प्रतिमानो का निश्चित सीमा तक विस्तार होता है, वह (सीमा) संस्कृति क्षेत्र कहलाता है।
- **क्लार्क विसलर ने 9 आधारभूत संस्कृति तत्वों का उल्लेख किया हैं वहीं किम्बाल यंग ने 13 का।**
- **बिली** ने संस्कृति संकुल (Complex) की व्याख्या के लिए फुटबाल क्लब का उदाहरण दिया है।

 फुटबाल का खेल एक Complex है तो फुटबाल, खिलाड़ी रेफरी आदि संकुल है।
- तत्व भौतिक, अभौतिक दोनो होते हैं।
- संस्कृति संकुल कोई संस्था नहीं है, बल्कि यह कई संस्थाओं के मध्य अन्त:क्रिया का परिणाम है।
- नागालैण्ड के कतिपय नागा समूहों में नरमुंड प्राप्ति की धार्मिक सामाजिक क्रिया अनेक संस्कृति तत्वो के एकीकरण से एक विशिष्ट सांस्कृतिक संकुल का उदाहरण है।

ईथास एवं ईडास (संसाध्य एवं सम्मूर्त्य पक्ष) (Ethos & Edos): **क्रोबर**

क्रोबर ने संस्कृति के दो पक्षो पर ध्यान दिया है।

NET, JRF Manish Singh Sir IG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

Edos : संस्कृति के रचना तत्वों से प्रकट होने वाला इसका औपचारिक व्यक्त रूप इडास है।

Ethos : संस्कृति का वह क्रिया साध्य है, जो इसके गुण इसकी प्रेरक मान्यताओं (थीम्स) और इसकी अभिरुचियों को निर्धारित करता है।

Edos संस्कृति का वाह्य पक्ष है जबकि Ethos संस्कृति का आन्तरिक पक्ष है।

Explicit & Implicit **(अभिहित और निहित पक्ष/तत्व): क्लूखाँन**

Explicit: आंख व कान की सहायता से संस्कृति के जिन लक्षणों/यथार्थताओं का प्रत्यक्षण/देखा किया जा सकता है उन्हें संस्कृति का Explicit तत्व कहा जाता है।

Implicit : संस्कृति मे कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जिनका प्रत्यक्षण (देखना) किसी विशेष प्रशिक्षण (Training) के पश्चात ही किया जा सकता है, क्योंकि ये तत्व मानव व्यवहार में निहित अभिप्रेरको एवं मनोवेगो के रूप में होते हैं जिनसे कर्ता स्वयं भी प्राय: अवगत नहीं होते। इन्हें संस्कृति के निहित तत्व कहा जा सकता है।

संस्कृति निर्धारणवाद: लेस्ली व्हाईट

जब दो संस्कृतियां मिलती हैं तब निर्धारण की प्रक्रिया शुरु होती है।

इस अवधारणा के अंतर्गत दो अवधारणाओं का समावेश है:

1. नृजाति केन्द्रता
2. सांस्कृतिक सापेक्षवाद

- सांस्कृतिक निर्धारण वादियों के अनुसार: न केवल आर्थिक संगठन अपितु स्वयं समाज भी संस्कृति से उत्पन्न होता है।
- टायलर ने कहा कि समाज का सदस्य होने के नाते मनुष्य को संस्कृति प्राप्त होती है किन्तु संस्कृति निर्धारणवादी इसका विरोध करते हैं।
- संस्कृति निर्धारणवादियो के अनुसार संस्कृति अन्य सभी संस्थाओं की आधात्री (आधार) होती है और संस्कृति की वृद्धि व क्रियाशीलता, संस्कृति के अपने ही नियमो से संचालित होती है।
- क्रोबर का नाम लम्बे समय तक इससे जुड़ा रहा लेकिन आगे चलकर क्रोवर ने इस दृष्टिकोण को बदल दिया।
- निर्धारणावादियों (संस्कृति निर्धारणवादियो) के अनुसार संस्कृति Super Organic है। यह दृष्टिकोण परा जैविक ही नही, परा मानसिक व परा सामाजिक भी है।
- Super Organic **शब्द का प्रयोग संस्कृति के सम्बंध मे सबसे पहले क्रोवर ने ही किया था।**

संस्कृति और व्यक्ति

- परंपरानुसारी (परम्परा को मानने वाले) व्यक्तियों के लिए संस्कृति की भूमिका निर्देशक की होती है।
- यदि व्यक्ति समाज से लाभ लेना चाहता है तो उसे भी समाज को इसका मूल्य देना पड़ता है, यह मूल्य व्यक्ति अपनी स्वतन्त्रता का त्याग करके देता है, वह अपने व्यवहार को संस्कृति के अनुरुप ढालता है।
- लेकिन अपरम्परानुचारी व्यक्तियों के लिए संस्कृति ऐसा वातावरण है जिसके अंदर वे अपने नये विचारों का परीक्षण करते है। वे संस्कृति विरोधी नहीं होते बल्कि सुधारवादी होते हैं।

 इन अपरम्परानुचारी व्यक्तियों को टायनावी ने 'सृजनशील अल्पसंख्यक' व बर्गसाँ ने 'रहस्यवादी' कहा।

 eg: महात्मा गांधी, बुद्ध
- सृजनशील अल्पसंख्यक का सिद्धांत सिर्फ इतना ही कहता है कि अपरम्परानुकरण

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक होता है।

- **यह 'कार्लाइल' के इस सिद्धांत का समर्थन नहीं करता कि 'जन नायक इतिहास निर्माता होते हैं।'**

सांस्कृतिक वृद्धि (Cultural Growth): सांस्कृतिक विचारकों के पास प्रारंभ से ही दो यक्ष प्रश्न खड़े रहे हैं:

1. संस्कृतियों का जन्म कैसे हुआ।
2. विभिन्न संस्कृतियों में एक जैसे सांस्कृतिक विशेषकों व सांस्कृतिक संकुलो का निर्माण कैसे हुआ।

इन प्रश्नो के उत्तर के रूप में हमारे सामने तीन प्रकार के विचार आते हैं:

1. सांस्कृतिक विकासवाद
2. सांस्कृतिक प्रसारवाद
3. पर संस्कृति ग्रहण

1. **विकासवाद (उद्विकासवाद):**

- सांस्कृतिक विकासवाद की अवधारणा **चार्ल्स डार्विन** के प्राणिशास्त्रीय विकासवाद पर आधारित है।
- **टायलर** विकासवाद व सामाजिक संस्थाओं के विकासवाद के जन्मदाता भी माने जाते हैं।
- टायलर, मार्गन, हेड्डन आदि विकासवादियों के विचार पीछे के पृष्ठों पर दिया गया है।
- **मार्गन, टायलर** विकासवाद के **एकमार्गी सिद्धांत** के प्रवर्तन के समर्थक है।
- उद्विकास एकरेखीय व बहुरेखीय दोनो होता है।
- विकासवाद इस मान्यता पर आधारित है कि **'मानसिक बनावट की दृष्टि से मनुष्य सर्वत्र एक सा है।'**

 इस विचार को **'मानव जगत की मानसिक एकता कहते हैं।'**
- यदि दो संस्कृतियों में एक जैसे विशेषक व संख्याएं देखी जाती हैं तो इस **समाभिमुखी उद्विकास** (Convergent Evolution) कहा जाता है।
- यदि विशेषक व संस्थाएं दोनो संस्कृतियो में अलग-अलग हैं तो इसे Divergent Evolution कहा जाता है।

कई लेखकों ने आगे चलकर विकासवाद का संशोधित रूप प्रस्तुत किया इसे **'परवलयिक वक्रता' या** (Parabolic Curve Theory) कहते हैं।

इसका अर्थ है कि एक संस्था का विकास प्रारंभ में एक रूप में होता है आगे चलकर एक स्थिति में यह विकास प्रारंभ के ठीक विपरीत रूप में हो जाता है लेकिन यह विपरीत स्थिति प्रारंभ की स्थिति से उन्नत व नयी होती है।

प्रसादवाद (Diffusion) : प्रसार शब्द का अर्थ मानवशास्त्र में किसी भी तत्व का एक बिन्दु/स्थान से सभी दिशाओं मे प्रसार से है। **प्रसार मानव की 'आविष्कार क्षमता' से सम्बंधित है।**

प्रसार का सिद्धांत उद्विकास सिद्धांत की प्रतिक्रिया का परिणाम है। **प्रसारवादी सिद्धांत द्वारा:**

1. सांस्कृतिक समानता
2. परस्पर संबद्धता
3. सांस्कृतिक तत्व
4. सांस्कृतिक अवलम्बन
5. सांस्कृतिक क्षेत्र
6. सांस्कृतिक वृत्त (Kulture Kreise) आदि अवधारणाओं की सुष्पस्ट व्याख्या की गयी।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

प्रवारवाद के विभिन्न संप्रदाय:

1. **ब्रिटिश प्रसारवाद: (मिश्रवादी)**

(i) W.E. Smith
(ii) W.J. Perry
(iii) W.H.R. Riverse

टायलर ने सबसे पहले प्रसार के महत्व की चर्चा की। टायलर ने सभ्यता को एक ऐसे पौधे की उपमा दी जिसे भिन्न-भिनन स्थानो पर न उगाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया गया है।

eg: टायलर ने उदाहरण मे मेडगास्कारी धौंकनियों का उल्लेख किया, टायलर के अनुसार इन्हें पूर्व से लाया गया।

लेकिन अंग्रेज (ब्रिटिश) प्रसारवादी शब्द का उल्लेख, इलियट स्मिथ, W.J. Perry ने उनके अनुयायियों के लिए ही प्रयुक्त किया जाता है न कि टायलर के लिए।

इनके विचार प्रसारवाद के सबसे अन्तिम विचार रहे, इनके बारे में कहा जाता है कि: 'विश्व रंग मंच पर आने वाले प्रसारवादियों मे ये अन्तिम थे लेकिन विलुप्त होने वालो में प्रथम।'

पेरी, स्मिथ, रिवर्स आदि ने 'विश्व सांस्कृतिक अवलम्बन' का अध्ययन किया। इन्होंने मिश्र सभ्यता का अध्ययन किया, इसलिए इन्हे मिश्रवादी भी कहते हैं। (Egyptologist)

ब्रिटिश प्रसारवादियों ने मिश्र सभ्यता के अध्ययन में सूर्य उपासना (Holiolithica) सिद्धांत प्रस्तुत किया।

प्रमुख मान्यताएं

1. मिश्र से ही सभी संस्कृतियों का विकास हुआ।
2. पेरी ने मिश्रवासियों को **'सूर्य पुत्र'** कहा। तथा बताया कि मिश्रवासी ही विश्वसभ्यता के अग्रणी व कर्णधार रहे हैं।
3. इन्होंने मिश्र को **'संपूर्ण मानव सभ्यता का पालना'** कहा।
4. **पेरी, स्मिथ का मानना था कि** 'मनुष्य स्वभाव से ही अत्यधिक कल्पनाशील व अन्वेषणशील प्राणी नहीं है।'
5. जिस समूह ने मिश्र की सभ्यता का अनुपालन नहीं किया (अनुकूलन नहीं किया) उन्हें ये प्राकृतिक मानव कहते हैं। इनमे नकारात्मक तत्वो की समग्रता पायी जाती है। जैसे: वस्त्र न पहनना, अविवाहिकता- **स्मिथ**

- **विलियम जेम्स पेरी:** Book
 1. The Children of the Sun (मलाया)
 2. God and Men

पेरी: सभ्यता का हस्तान्तरण सदैव निम्नतर स्तर से होता है।

पेरी ने : संस्कृति संकुलो मे समग्रता एवं असमानताओं का स्थानान्तरण योग क्षति (Loss),

सांस्कृतिक तत्वो का समिश्रण, आदि अवधारणाएं प्रतिपादित की।

- **डब्लू. एच. आर. रिवर्स:** Book: The History of Melanassian Society

संस्कृति का प्रसार मेलेनेशियन तथा पोलेनेशियन मूल संस्कृति संकुल से ही हुआ है।

रिवर्स का तर्क है कि मेलेनेशियन के बीच डोंगी (नाव) हस्तकला विलुप्त हो गयी। आस्ट्रेलिया मे प्रचलित स्थानान्तरण से डोंगियों द्वारा मानवो (पुरुषों) का आगमन हुआ, पुरुषों ने स्थानीय स्त्रियों से विवाह कर लिया, स्थान्तरित पुरुषों की स्थानीय

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

विशेषताएं विलुप्त हो गयीं, संतानो ने मातृभाषा माँ की ही सीखी। मेजबान (पोलेनेशियन) की संस्कृति को आत्मसात कर लिया गया।

संस्कृति चक्र सिद्धांत या जर्मन प्रसारवाद: (संस्कृति-इतिहासात्मक सिद्धांत)

Kultur Kreise = संस्कृतिक चक्र या वृत्व या प्रखंड

फ्रैड्रिक रेट्जेल - संस्थापक

ग्रेवनर (फिट्ज़ ग्रेवनर)

स्मिथ (फादर विल्हेम स्मिथ)

एंकरमेन

- बहुरेखीय/बहुस्वरूपीय सांस्कृतिक विकास के समर्थक।
- जर्मन प्रसारवादी यह मानते हैं कि संस्कृति संकुलों का विकास विभिन्न कालों मे अलग-अलग जगहों पर हुआ, फिर ये प्रसारित होकर विभिन्न स्थानो पर पहुंचते रहे हैं। ऐसा प्रसार एक क्रमिक परतों मे होता है, क्योंकि प्रसारित संस्कृति विशेषकों (तत्वों) की परते दूसरी संस्कृति मे देखी जा सकती हैं।
- **ग्रेवनर ने मात्रा** (Quantity) **व आकार** (Form) की कसौटी का विकास कर एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। ग्रेवनर का तर्क है कि प्रसार को सिद्ध करने के लिए मात्र ऐतिहासिकता का तर्क पर्याप्त नहीं है बल्कि संस्कृति विशेषकों (तत्वो) मे आकार की समानता, संख्या की समानता, व रचना तत्वो (संस्कृति विशेषकों/संकुलो) की भी जांच की जानी चाहिए।

eg: यदि हमे देखना है कि राशि चक्रों का प्रसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर हुआ है कि नहीं तो हमें यह देखना पड़ेगा की दोनो जगहों पर राशि चक्रों के चिन्ह समान है कि नहीं अगर वे समान हैं भी तो इनकी संख्या समान है कि नहीं साथ ही यह भी देखना पड़ेगा की चिन्हों को घड़ी की सीधी या उल्टी दिशा में देखा जाता है।

- **फादर विल्हेम स्मिथ** जर्मन प्रसारवाद के उप जर्मन संप्रदाय के **'वियना' स्कूल** के संस्थापक माने जाते हैं।
- **मातृवंशीय-उद्यान-उद्विकासीय योजना: फ्रादर विल्हेम स्मिथ**

इस योजना के अनुसार स्त्रियों में शिकार व खाद्यान्न संकलन स्तर पर जंगली पौधों के संकलन की प्रवृत्ति ने उद्यान आविष्कार की ओर प्रेरित किया। अत: स्त्रियां ही संपूर्ण उत्पादन, भू-स्वामित्व के लिए अधिकृत थीं।

स्त्रियां: खाद्य व संग्राहक अवस्था-शिकार नहीं करती थी Fig

- स्त्रियां फल-फूल, कंदमूल संग्रहण का काम करती थीं।
- अत: उन्ही ने पौधो की पहचान की जिसे आविष्कार कहा जाता है।

पौधो की पहचान (आविष्कार)

(पौध रोपण, संरक्षण उधान)

पौधे जीमन पर लगाए गये

भू-स्वामित्व, उत्पादन-आधिपत्य-स्त्रियों के पास ही रहा।

- **अमेरिकन प्रवारवाद** (American Digfussionist): **'फ्रेज बोआस', क्लार्क विसलर**

अमेरिकन प्रसारवादियों ने प्रसारवाद की प्रक्रिया को संस्कृति क्षेत्र, आयुक्षेत्र, संस्कृति केन्द्र, संस्कृतिचरम बिन्दु, आहार क्षेत्र (Food Area) के माध्यम से समझने का प्रयास किया।

बोआस ने प्रश्न खड़ा किया कि प्रसार क्यों होता है।

Cultural Area: जिसे बोआस ने निश्चित क्षेत्र कहा उसी को **विसलर** ने सांस्कृतिक क्षेत्र कहा।

विसलर ने बतलाया कि कोई भी संस्कृति विशेषक विशेषतया अभौतिक संस्कृति

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

विशेषक-रास्ते में क्षीण हुये बिना लम्बी दूरियां तय नहीं कर सकते। यह क्षीणता दो तरीको से आती है।

1. कुछ अपने तत्वों के क्षय से
2. तथा कुछ अपने से भिन्न तत्वों के साथ संसर्ग/मिश्रण से पैदा होती है।

विसलर ने बतलाया कि प्रत्येक संस्कृति क्षेत्र जिसके अन्दर कई संस्कृति संकुल होते हैं, मे एक केन्द्रीय विसरण बिन्दु का पता लगाया जा सकता है, साथ ही वे सीमाएं भी दिखायी जा सकती हैं जहां पहुचतें-पहुंचते संस्कृति संकुल अत्यन्त क्षीण हो जाती है। इस सीमा पर अस्पष्ट, किन्तु दूसरी संस्कृति का प्रभाव महसूस किया जा सकता है।

विसलर ने यह भी बतलाया कि लंबी दूरियां, पर्वत, समुद्र, रेगिस्तान आदि संस्कृति प्रसार में अवरोधक होते हैं।

दो संस्कृति क्षेत्रों की सीमाओं पर रहने वाले लोग दोनो प्रकार के जीवन का सम्मिश्रण प्रदर्शित करते हैं, ऐसे क्षेत्रों को **सीमांत क्षेत्र** (Marginal Area) कहा गया है।

जिन भौगोलिक क्षेत्रों की वस्तुओं (भौतिक-अभौतिक) में समानता पायी जाती है उन्हें सांस्कृतिक क्षेत्र कहते हैं।'

eg: सिंधु घाटी की सभ्यता, अवध, बुंदेलखण्ड, राजस्थानी संस्कृति

सांस्कृतिक केन्द्र (Culture Centre): जहां से संस्कृति का प्रसार होता है यहां सांस्कृतिक विशेषक व संकुल सबसे अधिक घनी मात्रा मे पाए जाते हैं इसे **'क्रोबर'** ने "Culture Climax" कहा।

क्रोबर:'संस्कृति क्षेत्र की अवधारणा अमेरिकी प्रसारवादियों के लिए सामुदायिक प्रस्तुतीकरण है।

विसलर ने 6 सांस्कृतिक क्षेत्रो व 84 उप क्षेत्रों का उल्लेख किया है।

माखन झा: Social Anthropology (कैलिफोर्निया) का अध्ययन कर 430 संस्कृति तत्वों का उल्लेख करते हैं।

- हर्षकोविट्ज ने अफ्रीका मे 9 सांस्कृतिक क्षेत्रो का उल्लेख करते हैं।
- सांस्कृतिक क्षेत्रों तथा उत्पादन क्षेत्रों के सह सम्बंधो का अध्ययन भी विसलर ने ही किया।
- विसलर पहले अमेरिकी प्रसारवादी थे जिन्होंने संस्कृति एवं आहार क्षेत्र (उत्पादन केन्द्र) के विषय को स्पष्ट किया।
- **आहार क्षेत्र:** एक जैसे सदस्य सांस्कृतिक तत्वो के कारण उत्पादन प्रणाली भी एक जैसी होती है।
- सांस्कृतिक क्षेत्र के अंतर्गत सांस्कृतिक केन्द्र होता है जहां से समस्त गतिविधियों को नियंत्रित एवं संचालित किया जाता है।
- सांस्कृतिक केन्द्र से सांस्कृतिक तत्वो का निरंतर विसरण होता रहता है।
- सांस्कृतिक तत्व ऐतिहासिक कालावधि में विकसित होते हैं।
- **विसलर ने क्षेत्र की अवधारणा अमेरिकन इंडियन्स के अध्ययन से विकसित की थी।**
- **एच. जे. स्टीवर्ट: सांस्कृतिक वर्गीकरण के लिए** Cultural Taxonomy **शब्द का प्रयोग किया।** Cultural Taxonomy से सांस्कृतिक क्षेत्र को निर्दिष्ट किया जाता है।
- **लेस्ली व्हाइट:** लेस्ली व्हाइट ने सांस्कृतिक उद्विकास का तकनीकि आधार पर विलेषण किया।

संस्कृति: Fig

आदर्शातमक पक्ष (उच्चस्तर): विश्वास व नीति

सामाजिक पक्ष: विवाह व नातेदारी

तकनीकि पक्ष: उपकरण व यंत्र

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

भावनात्मक पक्ष (निम्न स्तर): Taboo व Totem

- **ब्रिटिश प्रसारवादी :** सबसे अन्त में स्थापित प्रसारवाद
 1. W.E. Smith
 2. W.J. Perry
 3. W.H.R. Riverse
- **अमेरिकन प्रसारवादी:**
 फ्रेंज बोआस
 विसलर
 मेसन
 क्रोबर,
 डिक्सन,
 लेस्ली व्हाईट
- **जर्मन प्रसारवादी:**
 फ्रैड्रिक रेट्जेल: संस्थापक
 ग्रेवनर
 स्मिथ
 एंकरमेन

पेरी ने मलाया वासियों के सामाजिक संगठनो पर क्षेत्रीय कार्य किया और
1. The Children of the Sun
2. God and Men पुस्तके लिखी। इसमे पेरी ने अलौकिक शक्तियों की अवधारणा प्रस्तुत की।

फादर विल्हेम स्मिथ:स्त्रियों की संपत्ति के उत्तराधिकारी बहनों के पुत्र होने के कारण पुरुषत्व मात्राधिकार कहलाता है।

इसका मौसी की संपत्ति पर अधिकार होगा। पुरुषत्व-मातृधिकार।

परसंस्कृतिग्रहण (Acculturation): जब संस्कृति विशेषक या संकुल प्रसारित होते हैं तब इस प्रक्रिया को हम **प्रसार** (Diffussion) कहते हैं। किंतु जब एक संस्कृति के प्रभाव से दूसरी संस्कृति की संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन के दौर मे होती है तब इसे परसंस्कृतिग्रहण कहते हैं।

हर्षकोविट्ज

1. जब एक बढ़ता हुआ बच्चा अपनी ही संस्कृति का अनुपालन सीखता है तो इसे **संस्कृति अन्तःकरण** (Enculturation) कहते हैं।
2. संस्कृति विशेषकों व संकुलो के विनिमय (Exchange) को **अंतर संस्कृतिग्रहण** (Transculturation) कहते हैं।
3. एक जीवन पद्धति का दूसरी जीवन पद्धति द्वारा विस्थापन **परसंस्कृति ग्रहण** (Acculturation) है।

- परसंस्कृतिग्रहण से सात्मकीकरण (Assimulation) तक पहुंचा जा सकता है, किन्तु प्राय: ऐसा नहीं होता। अधिकृत (प्रभावी) संस्कृति पहले तो टूटती है, किन्तु बाद मे अपने व्यक्तित्व के क्षय की पूर्ति हेतु प्रतिक्रियाशील हो उठती है।
- ऐसी प्रतिक्रिया को प्रति परसंस्कृतिग्रहण कहा जाता है। भारत मे इसका उदाहरण झारखण्ड आंदोलन रहा है।
- परसंस्कृतिग्रहण संबंधी अध्ययन इस धारणा से अभिप्रेत है कि विश्व मे कोई भी संस्कृति अछूती या शुद्ध नहीं है।
- इस तरह से पर संस्कृति ग्रहण **द्विपक्षीय प्रक्रिया** (Two Way Process) है।
- परसंस्कृति ग्रहण के विकास मे लिंटन, रेडफील्ड, हर्षकोविट्ज, हार्बल, वील्स

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir PG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

आदि का महत्वपूर्ण योगदान है।

- संस्कृति के सम्बर्द्धन व विकास के नवीन मूल्यों को ग्रहण करना आवश्यक है। लेकिन अनियंत्रित पर संस्कृतिकरण घातक सिद्ध हो सकता है।
- **परसंस्कृतिकरण** के लिए यह जरूरी है कि दोनो संस्कृतियों मे निकटता हो, मूल्य, मानदण्ड, प्रतिमान मे भी समानता होनी चाहिए। लेकिन कभी-कभी ऐसा नहीं भी देखा जाता। पर संस्कृति ग्रहण दबाव मूलक भी हो सकता है।
- **संस्कृति समेकता के सिद्धांत या संस्कृति एकीकरण के सिद्धांत** (Theories of Cultural Integration) ये सिद्धांत इस प्रश्न के उत्तर है कि 'आखिर वह क्या है जो कि संस्कृति को एक अर्थपूर्ण समग्र बनाता है।

प्रकार्यावादी दृष्टिकोण: प्रकार्यवादियों का मत है कि संस्कृति एक संपूर्णता है, संस्कृति के प्रत्येक तत्व का कोई न कोई प्रकार्य अवश्य होता है, जो संपूर्ण संगठन में अपना सहयोग करता है।

संक्षेप में सम्पूर्ण सांस्कृतिक संगठन को सुचारू रूप से चलाने में एक सांस्कृतिक तत्व द्वारा दिया गया योगदान ही उस तत्व का प्रकार्य है।

डर्कहाइम ने सर्वप्रथम समाजशास्त्र में प्रकार्यवाद का प्रयोग किया था।

मैलिनॉस्की, रेडक्लिफ ब्राउन ने मानवशास्त्री अध्ययन मे प्रकार्यवादी दृष्टिकोण अपनाया है।

मैलिनॉस्की के अनुसार संस्कृति मानव/व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है मैलिनास्की ने मानव की सात (7) मूलभूत आवश्यकताओं का उल्लेख किया है:

1. शरीर पोषक
2. उत्पादक
3. शारीरिक सुख
4. सुरक्षा
5. गति
6. वृद्धि
7. स्वास्थ

संस्कृति का प्रत्येक तत्व मनुष्य की किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही बना है और कोई भी तत्व उसी समय तक संस्कृति मे बना रहेगा जब तक की वह किसी न किसी मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करेगा।

मैलिनास्की संस्कृति को आत्मनिर्भर और संपूर्ण रूप में मानते हैं, यदि संस्कृति के किसी पहलू मे परिवर्तन आता है तो संपूर्णता में भी परिवर्तन आएगा।

मैलिनास्की, टायलर द्वारा दी गयी परिभाषा को काम मे लेते हैं, परंतु टायलर की तरह संस्कृति को पराजैविक (Super Organic) नहीं मानते हैं।

विकासवादियो ने प्रकार्यहीन संस्कृति अवशेषों को अवशेष या अतीत के ठूंठ ढूंढ कहा, मैलिनॉस्की ने यह कह कर इसकी आलोचना की तथा कथित अवशेषों में किसी संस्कृति विशेष के लिए उपर्युक्त स्थान तलाशने की क्षमता नहीं थी, एक संस्कृति के अन्दर कुछ भी असंबद्ध नहीं होता अपितु सभी पक्ष अंतर-सम्बंधित होते हैं एवं किसी भी एकाकी विशेषक का स्वयं मे कोई अर्थ नहीं होता।

मैलिनॉस्की संस्कृति बहुलतावाद में विश्वास करते हैं।

प्रसार के सम्बंध में मैलिनास्की ने बतलाया की एक संस्कृति तत्व (विशेषक) प्रसार के बाद अपना मूल आकार खो तो सकता है किंतु कार्य वही कर पाएगा जिसकी क्षमता उसके प्रसारण की संस्कृति मे मौजूद थी।

संस्कृति के किसी भी पक्ष में परिवर्तन का प्रभाव सम्पूर्ण संस्कृति पर पड़ता है-मैलिनॉस्की।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

रेडक्लिफ ब्राउन : रेडक्लिफ ब्राउन मात्र व्यक्ति के अस्तित्व निर्वाह की तुलना में समाज के अस्तित्व निर्वाह पर विशेष जोर देते हैं। प्रत्येक संस्था का औचित्य पूरे समूह की सुदृढ़ता बनाये रखने मे है, न कि व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के रूप में।

संस्कृति के प्रतिमान (Pattern of Culture)**: रूथ वेनेडिक्ट** पुस्तक 'The Pattern of Culture'

किसी संस्कृति का एकीकरण वह स्थायी या अर्द्धस्थायी जीवन शैली है जो संस्कृति के आन्तरिक तत्वों के संयोजन द्वारा बनती है, इस जीवन शैली को रूथ वेनेडिक्ट ने 'संस्कृति के प्रतिमान' (Pattern of Culture) कहा।

किसी संस्कृति मे ऐसे कई 'संस्कृति के प्रतिमान' देखे जा सकते, जब ये प्रतिमान आपस मे मिलकर एक **'संपूर्ण जीवन शैली'** का निर्माण करते हैं तो उसे **संस्कृति परम प्रतिमान** "Cultural Configuration" कहा जाता है।

यहां यह ध्यान देने योग्य है कि संस्कृति प्रतिमानो का **'अर्थपूर्ण' संयोजन ही** Configuration **है**। इस अर्थपूर्ण संयोग का होना उस मूल लक्षण के कारण होता है जो उस संस्कृति के सभी पक्षों के आधार मे है, और सभी पक्षों पर अपना प्रभाव डालते हैं। इस **'मूल लक्षण' को रूथवेनेडिक्ट ने 'जीनियस'** कहा है।

वेनेडिक्ट ने बताया कि यह जीनियस दो प्रकार का होता है:

1. **अपोलो धर्मी** (Apolonial) : देव गुण, शांत स्वभाव
2. **डायोनियस धर्मी** (Dionial) : राक्षस गुण, लड़ाकू।

जिस संस्कृति का एकीकरण 'अपोलो धर्मी' जीनियस के कारण होगा वह शांत प्रवृत्ति की होगी तथा जिस संस्कृति का एकीकरण 'डायोनियस धर्मी' 'जीनियस' के कारण होगा वह लड़ाकू आक्रामक होगी।

डायोनिसियस धर्मी : डोबू व क्वाटिकुल (उत्तरी-पूर्वी अमेरिका)
अपोलो धर्मी : प्यूबलो (न्यू मेक्सिको)

संस्कृति या प्रेरक मान्यताएं (Culture Themes)**:** संस्कृति संबंधी अवधारणाओं में देखें।

जीवन शैली : राबर्ट रेडफील्ड

- संस्कृति एकीकरण से संबंधित अंतिम अवधारणा।
- **रेडफील्ड** की यह अवधारणा **'लिओनेल ट्रिलिंग' के "मैनर्स"** से संबंधित है।
- 'जीवन शैली' किसी संस्कृति की सर्वाधिक तात्विक व स्थायी विशेषताएं है जो समय के प्रवाह में भी अपनी निरन्तरता को बनाये हुए है।
- ये संपूर्ण संस्कृति को नहीं बल्कि उसके कुछ पक्षों को दर्शाती हैं।
- ये व्यवहार के वे तरीके हैं जो व्यक्ति के स्पष्ट, अस्पष्ट निर्णयों के योग से बनते हैं तथा एक आदर्श जीवन के निर्माण में योदान देते हैं।

संस्कृति संबंधित अवधारणाएं:

सांस्कृतिक विलम्बना (Cultural Lay)**:** इस अवधारणा का प्रयोग **ऑगबर्न ने अपनी पुस्तक** 'Social Change' **में 1922 में किया था।** ऑगबर्न ने संस्कृति के दो पक्ष बतलाएं:

1. **भौतिक संस्कृति** : मानव निर्मित वस्तुएं जैसे मकान, साइकिल, मोटर-गाड़ियां आदि।
2. **अभौतिक संस्कृति** : मूल्य, आदत, मानदण्ड, विश्वास आदि।

आगवर्न ने बताया कि भौतिक संस्कृति मे तीव्र गति से परिवर्तन होता है, जबकि अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन धीमी गति से होता है, परिणामस्वरूप अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति से पिछड़ जाती है, इसी पिछड़न की स्थिति को आगवर्न ने सांस्कृतिक

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

विलम्बना कहा। विलम्बन शब्द का अर्थ किसी वस्तु के पहुंचने में देरी है।

यह अवधारणा इस बात पर प्रकाश डालती है कि समाज ने तकनीकि विकास और उसकी नैतिक व कानूनी संस्थाओं मे समान गति से परिवर्तन नहीं हो रहा है। इस पिछड़ेपन के कारण कभी-कभी सामाजिक संघर्ष व अन्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं।

Notepad

ऑगबर्न ने देखा कि संस्कृति में परिवर्तन हमेशा, आर्थिक संस्थाओ में परिवर्तन के अनुसार नहीं होता उन्होंने आर्थिक परिवर्तनों के फलस्वरूप परिवार में परिवर्तनों कीचर्चा की है, आर्थिक परिवर्तन परिवार में श्रम विभाजन को बढ़ावा तो अवश्य देता है लेकिन इस विचारधारा कि 'महिलाओं का स्थान घर पर है' में परिवर्तन नहीं ला पाता है।

ऑगबर्न ने सांस्कृतिक विलम्बन के चार कारण बताये हैं:

1. लोगो के मन मे नये विचारो के प्रति भय होता है।
2. लोग अपनी परम्पराओ को नहीं छोड़ना चाहते, अपने इतिहास से उनमे जुड़ाव पाया जाता है।
3. पुरानी विचारधारा मे कुछ लोगो का स्वार्थ निहित होता है।
4. नये विचारो, मूल्यों, मानदंडो के परीक्षण में, कि वे सही है या गलत कठिनाई होती है।

सांस्कृतिक विलम्बन हमेशा दुष्प्रकार्यात्मक नहीं है, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा भी देता है।

तकनीकि विलम्बन (Technological Lag)**: मकीवर तथा पेज ने सांस्कृतिक विलम्बन की अवधारणा के विरोध में तकनीकी विलम्बन की अवधारणा दी।** इन्होने कहा कि तकनीकी सम्बंधी विकास मे असंतुलन देखा जा सकता है न कि भौतिक-अभौतिक में तकनीकी संबंधी विकास का एक पक्ष आगे निकल जाता है जबकि उसी तकनीक का दूसरा पक्ष पीछे रह जाता है। जैसे भारत ने राकेट तो बना लिया, लेकिन क्रायोजनिक इंजन का विकास अभी प्रारंभिक चरण में है। टी.वी., रेडिया आदि बनाने का ज्ञान पहले आया और इनका आविष्कार बाद में हुआ।

सांस्कृतिक सापेक्षवाद (Cultural Relativism)**:** 'अपनी संस्कृति को अपनी तथा दूसरे की संस्कृति को उनकी दृष्टि से देखना' सांस्कृतिक सापेक्षवाद का आधार है।

सांस्कृतिक सापेक्षवाद विश्लेषण की एक विधि है जिसमें किसी भी समाज या संस्कृति का वस्तुनिष्ठ (Obejctive) अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत किसी संस्कृति की विशेषताओं को उसके सदस्यों की दृष्टि से विश्लेषित किया जाता है।

संस्कृति सापेक्षवाद के दो आधार हैं

1. नृजातिकेन्द्रवाद (Ethnocentrism) का विरोध।
2. विश्वास (Belief) सापेक्ष होते हैं जिनका विश्लेषण उसी समाज को ध्यान में रखकर करना चाहिए।

सांस्कृतिक सापेक्षवाद शब्द का प्रयोग डब्लू. एच. रिवर्स ने विकासवादियो की आलोचना में किया, परंतु इस अवधारणा के विकास का श्रेय-फ्रेंज बोआस व रूथ वेनेडिक्ट को जाता है।

सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा सांस्कृतिक बहुलवाद (Cultural Pluralism) का आधार है। सांस्कृतिक बहुलवाद में एक ही समाज मे विभिन्न संस्कृतियों के लोग मिलजुलकर, सामान्यत: सौहार्दपूर्वक रहते हैं। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन आदि इसके उदाहरण हैं।

सांस्कृतिक बहुलवाद और धार्मिक बहुलवाद समानार्थी अवधारणाएं हैं। इन दोनो में लोग 'अनेकता मे एकता' का प्रदर्शन करते हैं।

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

सांस्कृतिक पुर्नउत्पादन (Cultural Reproduction): **पी. बो र्डि यू (1973)**

यह अवधारणा ब्रिटिश समाजशास्त्री पी. बोर्डियू के द्वारा प्रतिपादित की। बोर्डियू ने देखा कि शिक्षा व्यवस्था का इस्तेमाल प्रभावी वर्ग (Dominant Class) की संस्कृति के पुर्नउत्पादन मे किया जा रहा है, जिससे कि उनकी प्रभाविता निरन्तर बनी रहे। ऐसी शिक्षा अन्य वर्गो पर थोपी जा रही है जिससे कि वे प्रभावी वर्ग की संस्कृति को स्वीकार कर लें, और इसके लिए शिक्षा संस्थानो का सहारा लिया जा रहा है।

सांस्कृतिक बहुलवाद (Cultural Pluralism): सांस्कृतिक बहुलवाद का तात्पर्य ऐसे समाज से है जिसमे कई संस्कृतियों के लोग आपस में सौहार्द पूर्वक रहते हैं। हमारा देश भारत इसका अच्छा उदाहरण है। यह सात्मीकरण की उल्टी अवधारणा है।

नव संस्कृतिकरण (Neo Culturation): नवीन सांस्कृतिक-तत्वो को अपनाने, सीखने की प्रक्रिया को नव संस्कृतिकरण कहते हैं।

नृजाति केन्द्रवाद (Ethnocenricism): **'समनर'**

"अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ व दूसरे की संस्कृति को निम्न मानते हुये घृणा की दृष्टि से देखना नृजातिकेन्द्रवाद है।" Ethnocenricism शब्द का **प्रयोग सर्वप्रथम डब्लू.जी. समनर ने (1906)** में अन्त:समूह व वाह्य समूह के संदर्भ में किया। अन्त:समूह के लोगों के मन मे यह भाव होता है कि उनके मूल्य, प्रथाएं, व्यवहार नि:संदेह रूप से दूसरो से बेहतर हैं।

परजाति केन्द्रवाद (xenocentricism): अपनी संस्कृति को हीन समझना, उसके प्रति घृणा रखना और दूसरों की संस्कृति को श्रेष्ठ समझना परजाति केन्द्रवाद है।

Zionism : जियोनिज्म का तात्पर्य एक राजनीतिक आंदोलन से है, जिसमे ज्यूक के लिए एक अलग राष्ट्र (इजराएल) की मांग की गयी थी,से है। यह अति नृजातिकेन्द्रिता से सम्बंधित है।

परसंस्कृति भयता (Xenophobia): दूसरों की संस्कृति को संदेह की दृष्टि से देखना और उसके डरना Xenophobia के अंतर्गत आता है।

सांस्कृतिक पूंजी (Cultural Capital): **पीटर बोर्दियू ने इस शब्द का प्रयोग जे.सी. पैसेरॉन** (J.C. Passeron) **के साथ** 'Reproduction in Education, Society and Culture' **की आलोचना करते हुए किया।**

इन्होने दावा किया कि मध्यम वर्ग के बच्चे संस्कृति और भाषा प्रवीणता सम्बंधी योग्यता अपने माता-पिता से भेंट स्वरूप प्राप्त करते हैं और यही योग्यता उनकी स्कूली शिक्षा मे सफलता प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होती है।

यह सांस्कृतिक पूंजी कामकाजी या गरीब परिवार के बच्चों को नहीं मिलती, स्कूल मे इस पक्ष की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता और स्कूल की मूल्यांकन पद्धति मे वस्तुनिष्ठता और उदासीनता अपनायी जाती है।

इस प्रकार जिसे सैद्धान्तिक आधार पर **'प्राकृतिक क्षमता'** कहा जाता है वह वास्तविक अर्थो में दो वर्गो में आर्थिक असमानता का परिणाम है।

बोर्दियू ने विभिन्न पूंजीयों जैसे आर्थिक पूंजी, सामाजिक पूंजी, प्रतीकात्मक पूंजी, सांस्कृतिक पूंजी का जिक्र किया है और बताया कि समाज का प्रभावशाली वर्ग अपनी शक्ति संस्कृति (प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धियों) से उन्हें प्राप्त करता है, जो परिणामत: आर्थिक-सशक्तिकरण मे भी सहायक है।

बोर्दियू इस वर्ग की **'प्रस्थिति'** को संदेहपूर्ण मानते हैं क्योंकि उनकी शैक्षणिक उपलबधियां एवं सांस्कृतिक व्यवस्था उन्हें कामकाजी वर्ग के बच्चों से अलग करती है, लेकिन फिर भी वे (मध्यम वर्गीय) पूरी तरह से प्रभावशाली आर्थिक वर्ग से सम्बंधित नहीं हो पाते।

सांस्कृतिक वंचन (Cultural Deprivation) **इसकी समनार्थी अवधारणा है।**

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

संस्कृति पारेषण: उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा भाषा प्रवृत्तियां, धार्मिक विश्वास आदि सांस्कृतिक घटक शिक्षा और प्रशिक्षण द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं।

सांस्कृतिक प्रतीक: प्रत्येक संस्कृति में कुछ वस्तुओं रंगो, आकृतियों, इशारो, पदार्थो का विशेष अर्थ होता है और उन्हें विशिष्ट स्थान प्राप्त होता है। जैसे: सिंदूर सुहागन का सांस्कृतिक प्रतीक है।

झंडा एक राष्ट्र का सांस्कृतिक प्रतीक है।

सांस्कृतिक लोकाचार तथा सांस्कृतिक एलडोर्स संस्कृति

संस्कृति एलडोर्स (संस्कृति का वाह्य रूप) संस्कृति लोकाचार

यह संस्कृति की औपचारिक संरचना जैसे-प्रथा, संस्था, यह मनुष्य की विश्व धारणा है या विश्व के विषय में एक संस्कृति के

मूल्य, मानदंड, अनुष्ठान आदि के संबंध में जानकारी देता है। लोगो की धारणा है। इसे विश्व के साथ संस्कृति का संबंध बताने वाले के रूप में परिभाषित किया जाता है।

किसी संस्कृति का लोकाचार हमे उसकी संपूर्ण गुणता, विचार पद्धति, एवं मान्यताओं के सम्बंध में बताता है, जो कि सम्पूर्ण संस्कृति में देखी जा सकती है।

सांस्कृतिक उद्योग (Cultural Industries): ऐसे साधन जिनसे लोक-संस्कृति का प्रचार प्रसार होता है, सांस्कृतिक उद्योग कहे जाते हैं।फ्रैंकफर्ट स्कूल की विचारधारा का मानना है कि इन साधनो (टी.वी., रेडिया, पेपर) का प्रयोग पूंजीवादी संस्कृति के प्रचार प्रसार में किया जा रहा है।

उप-संस्कृति (Sub-culture): उपसंस्कृति रहने के वे तरीके होते है जो मूल संस्कृति से कुछ बातों में अंतर रखती है, लेकिन मूल संस्कृति की विरोधी नहीं बल्कि सहयोगी होती है, अर्थात उपसंस्कृति को मानने वाले मूल संस्कृति को स्वीकार करते है, जैसे-हिन्दू संस्कृति भारतीय संस्कृति की उप-संस्कृति है। तमिल, गुजराती, असमिया, पंजाबी आदि भारतीय संस्कृति की उप संस्कृतियां हैं।

उप संस्कृतियों के विकसित होने के कारण

1. **पारिस्थितिकी :** समुद्रतट, रेगिस्तान, समतल आदि मे रहने वालो का खान-पान, वेषभूषा अलग-अलग होती है।
2. ग्रामीण व नगरीय जीवन पद्धतियां।
3. **वर्ग** भी उप संस्कृति के निर्माण का कारण है। पूंजीपति, उच्च, निम्न वर्ग की उपसंस्कृतियां अलग-अलग होती हैं।
4. **नृजातीयता:** एक भाषा, एक धर्म को मानने वाले की उपसंस्कृति अलग होती है।
5. **व्यवसाय:** डाक्टरो, की अपनी उपसंस्कृति होती है।

प्रतिरोधी संस्कृति या विरोधी संस्कृति (Counter Culture): प्रतिरोधी संस्कृति संस्कृति के लोग मूल संस्कृति के आदर्शों का खुलकर विरोध करते हैं। अमेरिका का हिप्पी संस्कृति प्रतिरोधी संस्कृति का अच्छा उदाहरण है। यह हिप्पी, अमेरिका समाज के मूल व्यवस्था को मानने के लिये बिल्कुल तैयार नहीं थे। अत: इनकी सांस्कृतिक मान्यताओं को प्रतिरोधी संस्कृति कहा गया। विरोधी संस्कृति शब्द का प्रयोग टी. रॉसजेक (ज्ण त्व्रेमा) ने अपनी पुस्तक ष्जीम डांपदह वि ब्वनदजमत ब्नसजनतमष् में किया।

प्रति संस्कृति (Contra Culture): यह उप संस्कृति का एक प्रकार है, जिसमें प्रतिरोधी संस्कृति के गुण पाए जाते हैं, यह एक प्रकार की 'अपराधी संस्कृति' है।

बेसिक कल्चर (Basic Culture): समाज में सभी व्यक्ति लगभग समान

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

समाजीकरण की प्रक्रिया, प्रथा, परंपरा से गुजरते है, इसलिये एक समाज के सदस्य समान आदतें विकसित कर लेते हैं, जिसे लिंटन ने समाज की मूल संस्कृति (Basic culture) कहा है।

सांस्कृतिक पुनरूज्जीवन (Culture Reuitalization): यह एक प्रक्रिया है जो समाज को उसके पुराने मूल्यो की ओर लौटने के लिए प्रेरित करती है जैसे वेदों की ओर लौटो या टूट रहे सांस्कृतिक मूल्यों को नया जीवन देना सांस्कृतिक पुनरूज्जीवन है।

इमिक और इटिक कल्चर (Emic and Etic Culture): ये दोनों धारणाएं केनिथ पाइक से संबंधित है। किसी संस्कृति की इमिक व्याख्या के अंतर्गत किसी भी समूह के सूचनादाता द्वारा दिया गया स्वयं का विवरण (देशज दृष्टिकोण) आता है, जबकि इटिक व्याख्या के अंतर्गत सांस्कृतिक तत्वों का शोधकर्ता द्वारा दिया गया विश्लेषणात्मक विवरण (शोधकर्ता का दृष्टिकोण) आता है।

संस्कृति मान्यताएं (Culture Theme): संस्कृति मान्यताएं की अवधारणा का प्रयोग **'मोरिस ओपलर' ने 'अपाचे' लोगो के अध्ययन मे किया।** ओपलर ने यह अवधारणा संस्कृति की संरचना व विलेषण के संदर्भ में दी। ये वे प्रेरक तत्व हैं जो किसी व्यवहार के मूल में निहित होती हैं, ये व्यवहारो को नियंत्रित करते हैं तथा प्रेरित करते हैं।

संस्कृति मान्यताएं "रूथ वेनेडिक्ट की 'जीनियस'" की तरह हैं। परंतु ये बेनेडिक्ट की तरह दो प्रकार के जीनियस नहीं मानते बल्कि इनका मानना है कि संस्कृति मान्यताएं कई प्रकार की हो सकती हैं। इनका प्रकार क्या है यह अध्ययन कर्ता ही स्पष्ट कर सकता है।

राल्फ लिंटन ने अपनी पुस्तक "The Study of Man" **में संस्कृति के चार प्रकारों का उल्लेख किया है:**

1. **संस्कृति निर्माणक** (Cultural Construct): ये मोरिस ओपलर के संस्कृति मान्यताओं की पर्यायवाची अवधारणा है।
2. **सांस्कृतिक सार्वभौम** (Cultural Universals) : संस्कृति के ऐसे तत्व जो समाज के सभी के लिए समान महत्व रखते हैं।
3. **सांस्कृतिक विकल्प** (Cultural Alternatives): किसी समाज में जब एक ही परिस्थिति मे कई प्रकार के व्यवहार करने की आजादी होती है।
4. **सांस्कृतिक विशेषताएं** (Cultural Specialities): जब समाज में कुछ, व्यक्तियों या उप समूहों, समूहों के लिए विशेष व्यवहार अपेक्षित होता है। ये व्यवहार समाज के सभी सदस्यों द्वारा अपेक्षित नहीं होते।

सांस्कृतिक सार्वभौमिक तत्व (Cultural Univeralism): **एन्थनी गिडेन्स** - संस्कृति के ऐसे तत्व जो सभी संस्कृतियों मे पाए जाते हैं।

गरीबी की संस्कृति (Culture of Poverty): **आस्कर लेविस ने 1966 में अपनी पुस्तक 'ला विडा' में** मैक्सिको तथा प्यूर्टोरिको मे रहने वाले गरीब परिवारों का अध्ययन किया और गरीबी की संस्कृति की धारणा का प्रतिपादन किया। इस अवधारणा के अनुसार इस क्षेत्र में रहने वाले परिवारों में गरीबी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है और हीनभावना से त्रस्त होकर ये परिवार बदलते सामाजिक परिवेश में कोई भी उपक्रम अपनाने से डरते हैं। लेविस के अनुसार इन गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चे 6-7 वर्ष की उम्र में पहुँचते-पहुँचते अपनी सांस्कृतिक मूल्यों को ग्रहण कर लेते है, जिसके कारण मनोवैज्ञानिक रूप से अपने को आगे बढ़ाने के लिये तैयार नहीं कर पाते। इनके मूल्य व मानदंड इन्हें भाग्यवादी बना देते हैं, ये गरीबी को ही अपना जीवन समझते हैं।

स्वायत्त संस्कृति (Autonomous Culture): **यह अवधारणा राबर्ट रेडफील्ड से संबंधित है** इनके अनुसार विश्व में अभी भी ऐसे अनेक जनजाति समुदाय है जिनका

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir BG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

बाहरी दुनिया से सम्पर्क नहीं है। ये संस्कृतियाँ आत्मनिर्भर एवं बाहर से अप्रभावित है, इसलिये ये स्वायत है। ऐसी जनजातयों में इन्होंने अण्डमान द्वीप की जारवा संस्कृति का उदाहरण दिया।

Temporocentrism: **बियरस्टीड** जीवन के अच्छे समय से बाकी समयों की तुलना करना।

Ego Centrism: (व्यक्तिवादी नृजातिकेन्द्रिता)

सांस्कृतिक प्राधान्य (Cultural Hegemony): **ग्राम्सी**-एक संस्कृति (व्यक्ति/समूह) द्वारा दूसरे पर अपना प्रभाव जमा लेना सास्कृतिक प्राधान्य होता है।

संस्कृति संघर्ष (Cultural Conflict): जब दो समूहो, समुदायो में आपस में वैचारिक विरोध हो तो इसे संस्कृति संघर्ष कहते हैं।

सांस्कृतिक प्रघात (Cultural Shock): जब व्यक्ति या समूह अपनी से भिन्न संस्कृति का आत्मसातीकरण करता है तो कुछ समय के लिए वह दूसरी संस्कृति के मूल्यों, मानदण्डों, व्यवसायों आदि को नहीं समझ पाता।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

मूल्य तथा मानदंड
(Values and Norms)

Notepad

मूल्य (Values)

मूल्य **'जो होना चाहिए'** से सम्बंधित अवधारणा है, जो हमारे विशिष्ट व्यवहार को प्रभावित करती है जैसे बड़ो का आदर करना एक मूल्य है। मूल्य समाज व व्यक्ति से बहुत गहरे रूप से जुड़ा हुआ है, मूल्य ही व्यक्ति के उद्देश्यों, व्यक्तित्व, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतो को नियमित करते हैं। मूल्य यह बताते है कि **'क्या उचित व महत्वपूर्ण'** है, मूल्य व्यक्ति, समूह, समाज की आवश्यकताओं को नियमित करते हैं, मूल्य जीवन के उद्देश्यों को नियमित तो करते हैं साथ ही ये उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के साधनों के बारे में भी बताते हैं। व्यक्ति की जो भी महत्वपूर्ण गतिविधियां है वे सभी मूल्यों से जुड़ी हुयी होती हैं। उद्देश्य पूर्ण गतिविधियों के संदर्भ में तीन प्रकार के मूल्य होते हैं:

1. **इच्छा:** जैसे पसंद, नापसंद
2. **उपलब्धि:** सफलता व कुण्ठा
3. **प्रभावक:** खुशी व कष्ट

विशेषताएं

- **राधा कमल मुखर्जी ने लिखा है कि** "मनुष्य मूल्यों का निर्माता भी है और पालक भी हैं मूल्यों की यही विशेषता मनुष्य के व्यक्तित्व और सामाजिक सम्बंधो को विशेष रूप से समूहों और संस्थानो के ढांचे को प्रभावित करती है जिनसे मूल्यों की अभिव्यक्ति होती है और जो हमारे मूल्यों को साकार करते हैं। **मनुष्य** मूल्यों का स्त्रोत ही नहीं बल्कि उन मूल्यों का निर्णायक भी है जो समूहों और संस्थाओं के कार्य को सही ढंग से चलाने के लिए सभी अर्न्तवैयक्तिक लक्ष्यों, सम्बंधो और व्यवहारो मे बिखरे पड़े हैं।"
- **मूल्यों मे अनुक्रम देखा जा सकता है:** मनुष्य व समाज के लिए कुछ मूल्य अधिक महत्वपूर्ण होते है तो कुछ कम महत्वपूर्ण। **आर. के. मुखर्जी** ने लिखा है कि "विभिन्न स्तरो या विभिन्न आयामों वाले (आर्थिक, राजनैतिक, नैतिक, धार्मिक आदि) मूल्य एक दूसरे से जुड़े हुये हैं। सभी समूह व संस्थान एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं।"
- **मूल्य सामूहिक होते हैं:** मूल्यों को पूरे समूह या समाज की मान्यता प्राप्त होती है।
- मूल्य सामाजिक व वैयक्तिक दोनो होते हैं, यद्यपि व्यक्ति जिस मूल्य को वैयक्तिक समझता है वह उसे भी समाज से ही लेता है।
- सामाजिक-सांस्कृतिक पद्धति, अलग-अलग मूल्यों के आपसी तालमेल तथा मूल्यों के अनुक्रम के बारे में सामूहिक राय से जुड़ी हुयी है।
- मूल्य स्थान व समय सापेक्ष होते हैं। अर्थात् मूल्य समाज से समाज, व काल से काल मे परिवर्तित होते रहते हैं।
- मूल्य किसी भी संस्कृति के केन्द्र बिन्दु होते हैं। हालांकि लोगों को प्राय: बहुत से मूल्यों का पता नहीं होता क्योंकि वे उनके व्यक्तित्व के अंग बन चुके होते हैं।
- मूल्यों के साथ लोगों की भावनाएं (emotion) जुड़ी होती है।
- मूल्य समाज का पर्यावरण के साथ समायोजन को प्रतिबिम्बत करते हैं। किसी समाज में मूल्य उच्च कोटि के माने जाएंगे जो प्रकृति या पर्यावरण के साथ समायोजन को बढ़ावा देते हैं।
- **मूल्य अमूर्त होते हैं।** कुछ मूल्य कम अमूर्त होते हैं तो कुछ ज्यादा। कभी-कभी मूल्य आपस में विरोधी भी होते हैं।

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

- मूल्य **सामाजिक आवश्यकताओ व कल्याण के लिए** महत्वपूर्ण समझे जाते हैं।
- मूल्यों से समाज में **एकता की भावना** का संचार होता है। चूंकि मूल्यों में परिवर्तन आसानी से नहीं होता इसलिए यें सापेक्षिक रूप से स्थिर होते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मूल्य परिवर्तनशील नहीं होते।
- मूल्यों में **वांछनीयता** (Digribility) का भाव सर्वोपरि है। क्या वांछनीय है और क्या नहीं यही मूल्य का आधार है।
- मूल्य सामाजिक स्तर पर संस्थागत तरीके से स्वीकार किये जाते हैं और व्यक्तिगत स्तर पर आत्मसात किये जाते हैं।
- किस मूल्य को महत्व दिया जाएगा यह मूल्य की ऐतिहासिकता से जुड़ा आयाम है। इसी आधार पर परम्परा व आधुनिकता के बीच सम्बंधो का विश्लेषण किया जाता है।
- **मर्टन ने विज्ञान की मूल्य व्यवस्था की निम्न विशेषताओं पर प्रकाश डाला है:**
 1. सार्वभौमिकता (Universalism)
 2. व्यवस्थित शंकालुता (Organised Sceptism)
 3. सामुदायिकता (Communality)
 4. नैतिक तटस्थता (Ethical Neutrality)
 5. रूचि विहीनता (Disinterestedness)

राधा कमल मुखर्जी (1889-1968) के मूल्य संबंधी विचार

- 1921 में जब लखनऊ विश्वविद्यालय मे अर्थशास्त्र व समाजशास्त्र के संयुक्त विभाग की स्थापना हुयी तब मुखर्जी इसके पहले अध्यक्ष बने। उन्होंने वहां 30 वर्षो तक अध्यापन किया।
- आर.के. मुखर्जी तीन विचारको से अत्यधिक प्रभावित थे-ब्रजेन्द्रनाथ सील, पैट्रिक गेड्स तथा नरेन्द्र नाथ सेन। मुखर्जी ने नरेन्द्र नाथ सेन के साथ मिलकर **'इन्ट्रोडक्शन टु सोशल साइकोलॉजी: माइंड इन सोसायटी'** नामक पुस्तक भी लिखी।
- वर्तमान समय में **'मूल्य रहित समाज विज्ञान'** की विचारधारा (प्रत्यक्षवादियो की) में तेजी आयी है। मुखर्जी ने बताया कि **तथ्यों** (facts) और **मूल्य** (Value) को अलग-अलग समझना ठीक नहीं है। मानवीय अन्त:क्रिया में तथ्यो और मूल्यों को अलग नहीं किया जा सकता। प्रत्येक समाज की अपनी विशिष्ट संस्कृति होती, इस संस्कृति के मूल्य व मानदण्ड संस्कृति के लोगो के व्यवहार को निर्देशित करते हैं। मुखर्जी ने मूल्यों के सम्बंध में वृहद अध्ययन किया, इन्होंने इस सम्बंध में दो पुस्तकें "The Social Structure of Values" and "The Dimensions of Human Values" भी लिखी।
- मुखर्जी ने मूल्यो को **परिभाषित करते हुये लिखा है कि** "मूल्य समाज द्वारा स्वीकृत ऐसी इच्छाएं और लक्ष्य है, जिनका आन्तरीकरण, अनुकूलन, सीखने या समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है।"

 मुखर्जी ने मूल्यों को दो भागों में बांटा है:
 1. मूल्य
 2. उपमूल्य (नकारात्मक मूल्य) (Disvalues)

 मूल्य के संबंध में उन्होंने बताया कि ये दो प्रकार के होते है:
 1. साधन मूल्य
 2. साध्य मूल्य

मुखर्जी के मूल्य सिद्धांत में निम्न बाते स्पष्ट होती हैं:

1. मूल्य केवल धर्म या नीति शास्त्र तक सीमित नहीं है बल्कि इनका महत्व

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र और विधिशास्त्र में भी है।

2. मानवीय आवश्यकताओं को ही मूल्यों में परिवर्तित कर दिया जाता है और ये धीरे-धीरे व्यक्ति के मन में बैठ जाते हैं।
3. मूल्य व्यक्तिनिष्ठ आकांक्षाओ का परिणाम नहीं होते, बल्कि ये आकांक्षाओं (लक्ष्यो) व इच्छाओं में ही स्थापित होते हैं। अन्य शब्दों मे मूल्य सामान्य तथा वस्तुनिष्ठ होते है और इनहें आनुभाविक पद्धति से मापा जा सकता है।
4. मूल्य समूह की आधारभूत मन की प्रेरणाओं (अंतरप्रेरणाओ) को क्रमिक व व्यवस्थित रूप से संतुष्ट करते हैं। सामूहिकता के कारण स्वार्थ का भाव समाप्त हो जाता है।
5. मूल्यों का स्वरूप सामान्य होता हे तथा इसमें व्यक्तिगत व सामाजिक दोनो प्रकार की अभिवृत्तियां (Attitudes) और प्रतिक्रियाएं (Reaction) शामिल होती है।
6. कुछ मूल्य सार्वभौमिक भी होते हैं। जैसे धार्मिक मूल्य।
7. परम्परागत मूल्यों का रूपान्तरण होता रहता है।

अन्य बातें:

- मुखर्जी ने सभ्यता शब्द में संस्कृति को भी शामिल किया (सार्वभौम सभ्यता संस्कृति की अवधारणा) तथा बताया कि मानव सभ्यता का अध्ययन तीन स्तरो पर किया जाना चाहिए:
 1. जैविक स्तर
 2. मनौवैज्ञानिक स्तर
 3. आध्यात्मिक स्तर
- मुखर्जी अपने पारिस्थितिकी, सामाजिक समस्याओं के सुधारवादी दृष्टिकोण तथा वनों के संरक्षण सम्बंधी विचारों के लिए भी जाने जाते हैं।
- **मुखर्जी ने सामाजिक पारिस्थितिकी के दो प्रकारो की चर्चा की है:**
 1. व्यावहारिक पारिस्थितिकी
 2. सामुदायिक पारिस्थितिकी

प्रमुख पुस्तकें:

1. Regional balance of the Man (1938)
2. Indian working class (1940)
3. Philosophy of social sciences (1960)
4. Flowring of Indian Arts (1964)

- **विलियम पेरी ने मूल्यों को:** 1. नकारात्मक, 2. सकारात्मक, 3. विकासवादी, एवं 4. वास्तविक चार भागों में विभाजित किया है।
- **सी.एम. केस ने सामाजिक मूल्यों को निम्नलिखित चार भागों में बाँटा है:**
 1. सावयवी मूल्य, 2. विशिष्ट मूल्य,
 3. सामाजिक मूल्य, 4. सांस्कृतिक मूल्य।
- केस ने सामाजिक मूल्यों का विश्लेषण **जीवन स्तरों** (Life level) के आधार पर किया। उनके अनुसार 'मूल्य जीवित वस्तुओं के चुने हुए पदार्थ हैं।'
- **मीड तथा फेरिस** के अनुसार मूल्यों का एक **'वैषयिक रूप'** भी होता है जो कि व्यक्ति तथा समाज दोनों को ही प्रमाणित करता है।
- **परेटो** ने मूल्यों को सामाजिक जीवन के अतर्कसंगत पक्ष की अभिव्यक्ति माना है।
- **दुर्खीम** ने मूल्य की विवेचना **'सामाजिक तथ्य'** के रूप में की। अत: सामाजिक मूल्यों की सामाजिक तथ्य की भाँति दो प्रमुख विशेषताएँ होती हैं-**'बाह्यता' और 'बाध्यता'।**
- **एच.एम. जॉनसन** ने कहा कि मूल्यों का एक **उद्वेगात्मक** (Emotional) आधार

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

होता है। मूल्य के इस उद्वेगात्मक पक्ष पर **क्लूखौन** ने अत्यधिक बल दिया।

- मूल्य के संबंध में दुर्खीम का सिद्धांत **'प्रत्यक्षवादी पद्धतिशास्त्र'** पर आधारित है। उनके अनुसार 'प्रत्येक प्रकार के मूल्यों का स्त्रोत स्वयं समाज या सामाजिक समूह ही होता है।'

Notepad

मानदण्ड (Norms)

सामाजिक मानदण्ड एक सामाजिक समूह के सदस्यों के द्वारा अपने व्यवहार मे लाये जाने वाले ऐसे मानक, नियम है जिसके अनुसार उन्हें अपना व्यवहार या आचरण करना है। अन्य शब्दो में एक विशेष स्थिति में कोई व्यक्ति कैसा व्यवहार करेगा इसका निर्धारण जिस नियम से होगा वह मानदंड है। **मानदंड समाज में रहने के नियम है।** चूंकि सामाजिक संरचना विभिन्न अन्त:क्रियाओं का योग है और ये अन्त:क्रियाएं मानदण्डो के अनुसार ही होती हैं इसलिए मानदण्ड को सामाजिक संरचना का आधार माना जाता है। इसी अर्थ में सामाजिक मानदण्ड **विपथगामी व्यवहार** (Deviant Behaviour) **को नियंत्रित करते हैं** तथा सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने मे सहायता करते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सामाजिक मानदण्ड समाज में व्यवहार करने के निश्चित व प्रमाणिक तरीके हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत है और जीवन के ही एक क्षेत्र में पाए जाते हैं। मानदण्डो का निर्माण संचित अनुभवो, आस्था, विश्वास, तर्क व अन्त:क्रिया के माध्यम से होता है। मानदण्डो के माध्यम से किसी विशेष स्थिति मे व्यक्ति के द्वारा विशेष व्यवहार की भविष्यवाणी की जा सकती है।

महत्वपूर्ण बिन्दु

1. **आदर्शात्मक मानदंड** व **वास्तविक मानदंड** में अंतर होता है, आदर्शात्मक मानदंड यह बताता है कि **व्यवहार ऐसा** होना चाहिए जब वास्तविक मानदंड **'व्यवहार कैसा है'** के बारे में बताता है। जैसे छात्रों को अध्यापकों के आने पर कक्षा में खड़े होना एक आदर्शात्मक मानदंड है वहीं कुछ छात्र ऐसा नहीं भी करते यह एक वास्तविक मानदंड हैं। यहां यह भी देखना चाहिए कि कितने लोग मानदंडो का उल्लंघन कर रहे हैं अगर बहुत अधिक लोग इसका उल्लंघन कर रहें हैं तो डर्कहाइम के अनुसार **व्याधिकीय** (Pathological) सामाजिक तथ्य है जिससे कि समाज मे मानदंड हीनता (Anomie) की स्थिति आ जाएगी। वहीं अगर ये कम है तो 'सामान्य' माने जाएंगे जो कि सामाजिक विकास के लिए आवश्यक हैं यहां एक बात ध्यान देने योग्य है कि मानदंड व सामाजिक तथ्य में अंतर होता है। मानदंड सामाजिक तथ्य का एक भाग है, वहीं डर्कहाइम ने यह भी बताया कि सामाजिक तथ्यों को वस्तु की तरह देखना चाहिए यानि की **सामाजिक तथ्य मूर्त है जबकि मानदंड अमूर्त।**
2. मानदंडो के अनुकरण करने के लिए दंड विधानों (Sanction) की व्याख्या होती है ये दंड विधान औपचारिक व अनौपचारिक दोनो हो सकते हैं। इसी तरह मानदंड भी अनौपचारिक व औपचारिक दोनो हो सकते हैं।
3. मानदंड एक सांख्यिकीय औसत (Statistical Average) नहीं है, समाज कभी वह नहीं कहता कि व्यक्ति को किस सीमा तक मानदंडो का पालन करना चाहिए बल्कि वह यह कहता है कि उसे मानदंडो का पालन करना चाहिए।
4. कुछ मानदंड लिखित होते हैं (कानून आदि) और कुछ अलिखित (प्रथाएं, परंपराएं आदि) होते हैं।

 इन लिखित मानदंडो का निर्माण तर्क संगत रूप से किया जाता है, इनका

NET, JRF Manish Singh Sir LG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

उद्देश्य अधिक स्पष्ट होता है, इनकी कार्यकुशलता भी अधिक होती है। सामान्यत: ऐसे मानदंड संगठन, संघो की कार्य प्रणाली की नियमावलियां होती है इन्हें **'गेसलशॉफ्ट मानदंड'** कहा जाता है।

वहीं कुछ ऐसी भी कार्य प्रणालियां है जो सामान्यत: अलिखित मानदंडो पर चलती हैं, इनके मानदंड बहुउद्देशीय होते हैं, इनकी कार्यकुशलता की माप आसानी से नहीं की जा सकती। ऐसे मानदंडो को **'गेमाइनशॉफ्ट मानदंड'** कहते हैं। गेमाइन शॉफ्ट मानदंडो का अर्थ यह नहीं है कि इनका कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता बल्कि स्पष्टता का अभाव देखा जा सकता है।

5. मूल्य साध्य हैं और मानदंड साधन। अधिक सामान्य और अधिक मौलिक मूल्यो से सम्बंधित मानदंडो को अधिक महत्वपूर्ण (उच्चतर) समझा जाता है। **विलियम ग्राहम समनर** (W.G. Sumner) **ने अपनी पुस्तक** Folkways (1906) मे मानव व्यवहार को निर्धारित करने वाले सभी नियम-कानूनो, मान्यताओं आदि को दो भागों में बांटा

(i) जनरीति (Folk ways)

(ii) जन रूढ़ियाँ (Mores)

जनरीति (Folk ways)**: समनर के अनुसार** जनरीति मे सभी प्रकार के सामाजिक व्यवहार व सामाजिक आचार संहिताएं आ जाती हैं। समनर ने कहा है कि "जनरीतियां प्राकृतिक शक्ति के उत्पादों जैसी है, जिन्हें लोग अनजाने में ही प्रचलित कर देते हैं। ये अनुभवों से विकसित होती हैं। लोकरीतियां परम्पराओं द्वारा दी जाती है और इनमे परिवर्तन व अपवाद की कोई आशा नहीं होती, फिर भी ये उन्हीं सीमित तरीको के अन्दर और बिना तर्क संगत विचार के बदलती हैं।"

इस प्रकार समनर की जनरीतियों की निम्न विशेषताएं हैं:

1. सब कुछ जो मानव व्यवहार को नियंत्रित करती है जनरीतियां है।
2. ये परम्पराओं द्वारा पैदा होती हैं।
3. इनका जन्म तर्क से होता है, इसमें अनुभव की प्रधानता होती है।
4. इनमें बहुत कम परिवर्तन होता है और ये अपने सुधार के लिए संघर्ष करती रहती हैं-समनर

जनरूढ़ियां (Mores)**:** ऐसी जनरीतियां जो समाज मे रहने के लिए आवश्यक समझी जाती है जनरूढ़ियां कहलाती हैं। जनरूढ़ियां **अधिक बंधनकारी** होती हैं। जब जनरीतियों में **समूह कल्याण** की भावना जुड़ जाती है तो ये जनरूढ़ियों में बदल जाती है।

विशेष:

- जनरूढ़ियां, जनरीतियों का एक भाग मात्र है। जनरीतियां अधिक व्यापक अवधारणा है। - **किम्बाल यंग तथा रेमंड मैक**
- जनरूढ़ियां मापक्रम में ऊपरी स्थानपर (शीर्ष पर) रहती है जबकि जनरीतियां पूर्णत: आत्मसात न किये गये मानदंडो की भांति नीचे। - **ब्रूम सेल्जनिक**
- जनरीतियां समाज में आचरण के मान्य व स्वीकृत तरीके हैं। - **मकीवर तथा पेज** जनरीतियां ऐसा होना चाहिए (should behaviour) है और जनरूढ़ि ऐसा ही होगा (must behaviour) है।
- जनरीति अमूर्त होती है तथा यह व्यक्तिनिष्ठ अवधारणा है।
- जनरीति जब पूरे समाज के लिए उचित व कल्याणकारी मानी जाने लगती है तो वह जनरूढ़ि में बदल जाती है।
- व्यवहार की वैधता की जांच जनरूढ़ियां करती हैं।
- जनरूढ़ियों का प्रभाव कानून से अधिक होता है।

Notepad

NET : JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

- जनरीति का पालन करना व्यक्ति के निजी हित में होता है जबकि जनरूढ़ि का पालन करना समूह के हित में होता है।

Notepad

प्रथा (Custom)

प्रथा जनरीतियों व रूढ़ियां का वह स्वरूप है जिसे समाज व्यावहारिकता व अनुभव के आधार पर स्वीकार करता है।

विशेषताएं:

1. प्रथाएँ समाज में व्यवहार करने की विधि हैं।
2. प्रथाएँ वे जनरीतियाँ हैं जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तान्तरित की जाती हैं।
3. समाज द्वारा स्वीकृत होता है।
4. इसमें स्थायित्व पाया जाता है।
5. व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण रखती है।
6. ये सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन है।
7. इनकी प्रकृति बाध्यता-मूलक होती हैं।
8. प्रथाएँ अलिखित एवं अनियोजित होती हैं।
9. प्रथाओं का निर्माण नहीं होता, वरन् ये समय के साथ-साथ विकसित होती है।
10. समाज ही प्रथा का न्यायालय है।
11. प्रथाओं का उल्लंघन करने पर समाज द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है।
12. प्रथाएं कठोर एवं अपरिवर्तनशील होते हुए भी समय के साथ-साथ कुछ बदलती रहती है।

कानून (Law)

- सामाजिक प्रतिमानों में कानून सर्वाधिक शक्तिशाली है।
- कानून वे नियम हैं जिनके पीछे राज्य की शक्ति होती है।

 डेविस ने कानून को दो भागों में विभाजित किया है-

 1. प्रथागत कानून और 2. वैधानिक कानून
- **प्रथागत कानून** उन समाजों में पाये जाते हैं जिनमें सामाजिक नियमों का पालन करवाने के लिए विशिष्ट संगठन नहीं होते हैं। विशेष रूप से आदिम एवं कृषक समाजों में।
- कानून को परिभाषित करते हुए **मकीवर** लिखते हैं, 'कानून नियमों की वह व्यवस्था है जिन्हें राज्यों के न्यायालयों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, न्यायालयों द्वारा इनकी विवेचना होती है और किसी विशेष परिस्थिति के अनुसार ही इन्हें लागू किया जाता है।'

कानून की विशेषताएँ निम्नांकित हैं

1. कानून राज्य द्वारा अपने सदस्यों के लिए निर्धारित मानवीय क्रिया की साधारण अवस्थाएँ हैं।
2. कानून तभी कानून हैं जब इसका उचित कानून-निर्माणक सत्ता द्वारा निर्माण किया गया है। यह चेतन विचार है, नियोजन एवं विचारशीलता की उपज है।
3. कानून समान परिस्थितियों में सभी पर समान रूप से लागू होता है।
4. कानून का उल्लंघन करने पर राज्य द्वारा दण्ड दिया जाता है।

- कानूनों का निर्माण संसद द्वारा किया जाता है।
- कानूनों को औपचारिक रूप से लागू किया जाता है।
- ये कानून पूर्णत: परिभाषित एवं लिखित होते हैं।
- मानव मानदंडो का निर्माण करने वाला प्राणी है - **मेरिल**

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

- हम अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संस्कृति द्वारा अनुमोदित जिन तरीकों को अपनाते हैं, मानदंड कहलाते हैं। मानदंड विपथगामी व्यवहार (Daviant Behaviour) को नियंत्रित करते हैं तथा सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होते हैं।
- क्या व्यक्ति समाज द्वारा निर्धारित मानदंडो का हमेशा पालन करता है, इसके उत्तर में डेविस ने कहा कि समाज में दो तरह की वास्तविकताएं पायी जाती हैं:
 1. **आदर्शात्मक व्यवस्था** (Normativ Order): किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए।
 2. **यथार्थ व्यवस्था** (Factual Order): किस प्रकार का व्यवहार होता है।
- सामाजिक मानदंड किसी भी स्वस्थ समाज की रीढ़ है।
- सामाजिक मानदंड 'वे नियम या प्रतिमान हैं, जो मानव व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, व्यवस्था मे सहयोग देते हैं, तथा किसी विशेष स्थिति में व्यवहार की भविष्यवाणी सम्भव बनाते हैं।'-**वुडस**
- मूल्य सामान्य होते हैं, जबकि मानदंड 'विशिष्ट'। मूल्य: सब पर दया करे, महिलाओं का बराबरी का हक मिलना चाहिए।
- मूल्य साध्य है, मानदंड साधन। किसी मूल्य, विशेष का पालन करने के लिए अनेक मानदंड हो सकते हैं।
- मानदंड समय व स्थान सापेक्ष होते हैं।
- अधिकार संस्कृति द्वारा प्रदत्त एक ऐसा 'स्वत्व' है जो व्यक्ति परक नहीं होता अर्थात् यह आवश्यक नहीं कि यह 'स्वत्व' औरों को प्राप्त न हो।
- विशेषाधिकार इसके विपरीत ऐसे 'अधिकार' है जो कुछ विशिष्ट लोगों को प्राप्त होते हैं।
- दायित्व एक **'सामाजिक-संरचनात्मक'** बंधन है, जो हमारी स्वतन्त्रता पर अंकुश रखता है। यह दो प्रकार का हो सकता है-वैधानिक व नैतिक।

नारमन स्टोरर (Norman Storer) ने अपनी पुस्तक "Focus on Society" में बताया कि मानदंड चार प्रकार के हो सकते हैं:

1. निर्धारित मानदंड (Prescribed Norms)
2. अधिमान्य मानदंड (Preferred Norms)
3. स्वीकृत मानदंड (Permitted Norms)
4. निषेधात्मक मानदंड (Proscribed Norms)

डेविस ने 7 प्रकार के मानदंडो की चर्चा की है:

1. जनरीतियां
2. जनरूढ़ियां (Mores)
3. कानून (law): (i)प्रथागत कानून (Customary law)
 (ii) पारित कानून (Enacted law)
4. संस्थाएं
5. प्रथा, नैतिकता व धर्म
6. परिपाटी व शिष्टाचार (Convention and Ettiquette)
7. फैशन और धुन (Fashion and Fad)

रॉबर्ट बीरस्टीड ने सामाजिक प्रतिमानों को दो भागों विभाजित किया है।

1. सामुदायिक प्रतिमान एवं 2. संघात्मक प्रतिमान

बीरस्टीड ने सभी प्रकार के प्रतिमानों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है:

1. जनरीतियाँ
2. रूढ़ियाँ और
3. कानून

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

- प्रथाएं, जनरीतियों व रूढ़ियों का वह स्वरूप है जिसे समाज व्यावहारिकता व अनुभव के आधार पर स्वीकार करता है।
- नैतिकता हमारे लिए सामाजिक मानदंड उपस्थित करती है कयोंकि यह उचित-अनुचित का ज्ञान कराती है, नैतिक नियमों मे चरित्र निर्माण पर जोर दिया जाता है, नैतिकता के पीछे न्याय, पवित्रता, औचित्य व दृढ़ता होती है, न कि सिर्फ इस आधार पर कि इसे पूर्वज ही करते आएं हैं।
- नैतिकता आचारशास्त्र (Ethics) के बहुत निकट है। नैतिकता से ही सम्बंधित धर्म की अवधारणा है, परंतु कई नैतिकताएं धर्मनिरपेक्ष भी होती हैं।
- परिपाटी (Convention) व शिष्टाचार (Ettiquette) की विशेष प्रकार की जनरीतियां है। परिपाटी किसी भी कार्य को करने का परंपरागत तरीका है। परिपाटी में उचित-अनुचित का कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। बल्कि परिपाटी का पालन इसलिए होता है क्योंकि ऐसा होता आया है। इंग्लैण्ड का संविधान परिपाटी पर आधारित है।
- शिष्टाचार प्रत्येक समाज में उचित व्यवहार का प्रतिमान प्रस्तुत करता है तथा वांछित व्यवहार की एक रूपता कायम करता है।
- ऐसे मानदंड कम समय के लिए व्यवहार में आते हैं उन्हें फैशन या धुन कहा जाता है।
- **'धुन'** मन की पसन्द अथवा प्रचलन का वह स्वरूप है जो प्रायः पोशाक व साज, सज्जा, से सम्बंधित होता है तथा जिसे कुछ समय के लिए उत्साह से अंगीकार कर लेते हैं। लोकप्रियता सीमित समूह में शीघ्र फैलकर लुप्त हो जाती है। 'धुन भीड़ व्यवहार से अधिक नहीं है। जबकि फैशन सामाजिक व्यवहारो के मानदंडो का स्वरूप है' - **डेविस**
- फैशन का आरंभ धनी वर्ग से होता है, वर्ग व्यवस्था या खुले समाजो में फैशन अधिक चलता है। धनु (Fad) व क्रेज (किसी चीज को पाने की उन्मत्त इच्छा) फैशन की चरम स्थितियां है। फैशन मे परिवर्तन, फैशन से होता है न कि किसी तार्किक कारण से।
- विवाह संस्था है, Reception भी संस्थात्मक है। परंतु विवाह पूर्व Dating व विवाह बाद हनीमून प्रथाएं है। संस्था की अपेक्षा प्रथा कम नियंत्रणकारी है।
- **मानदंड विभ्रम** (Norm Confusion) - (Kuber): दो विपरीत मानदंडो के पालन के बीच असंमजस की स्थिति
 सामाजिक मानव नींद में चलने वाले व्यक्ति के समान है-**टोर्डे**
- **मानदंडात्मक विलंबन** (Normativ Lag): जब सामाजिक परिवर्तन के साथ सामाजिक मानदंड नहीं बदलते।
- मूल्य, मानदंड की तुलना में अधिक सामान्य व अमूर्त होते हैं। मानदंड अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट होते हैं।
- मूल्य सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के विभिन्न पक्षों को परखने या तौलने की कसौटी है।
- मानदंडो में एकीकरण व द्वन्द्व दोनो देखे जा सकते हैं कुछ मानदंड सहचारी होते हैं तो वहीं कुछ विरोधी।
- विभिन्न संस्कृतियों के मानदंडों मे विविधता देखी जा सकती है।
- रूढ़ियां जीवन की समस्याओं के लिए प्रश्न न रखकर उत्तर प्रस्तुत करती है - Sumner
- कानून रूढ़ियों को प्राप्त सरकारी मान्यता है।
- अलिखित कानून रूढ़ियां मात्र है, जबकि लिखित कानून वास्तविक कानून है। रूढ़ियां ही कानून के लिए आधार प्रस्तुत करती है।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

- जो कानून जनरीतियों व रूढ़ियों द्वारा समर्पित नहीं होते, वे शायद ही प्रचलित हो पाते हैं। (प्रचलन में समय लगता है।)
- जनरीतियां, रूढ़ियां जब समाज द्वारा व्यवहार में स्वीकृत होकर स्थायित्व प्राप्त करने लगती हैं, तो वे ही संस्था का रूप ले लेती है। इस प्रकार संस्था स्थायित्व अनौपचारिकता, तथा व्यवहार की एक रूपता में बनती है।

 eg: धर्म, परिवार, व्यापार, विवाह etc.

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

समाजीकरण
(Socialization)

Notepad

जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके कुछ नैसर्गिक आवश्यकताएं व आवेग होते हैं, उस समय वह एक जैविक प्राणी होता है, बच्चे मे सीखने की जन्मजात क्षमता होती इसी क्षमता से वह समाज के मूल्यों, मानदण्डो, आदर्शों, व्यवहारों आदि को सीखता है, सीखने की प्रक्रिया मे वह एक जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी में परिवर्तित होता जाता है। इसी **जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनने की प्रक्रिया** को समाजीकरण (Socialization) कहते हैं। अन्य शब्दो में समाज के मूल्यो, मानदण्डो, आदर्शों, व्यवहारों आदि को आत्मसात करने की प्रक्रिया ही समाजीकरण है।

इसे इस तरह भी कहा जा सकता है कि संस्कृति के विभिन्न पक्षों के लिए समाज के समान दृष्टिकोण का विकास और उसके अनुसार व्यवहार करना सीखना ही समाजीकरण है।

समान मानदण्डों, मूल्यों के लिए समान दृष्टिकोण का विकास ही समाजीकरण का लक्ष्य होता है। यदि कोई व्यक्ति मूल्यों, मानदण्डों को इनके उल्टे अर्थ में ग्रहण करता है तो इसे समाजीकरण नहीं कहा जाएगा।

समाजीकरण की प्रक्रिया बालक के जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है, यह **एक सतत प्रक्रिया** है जो कि जन्म लेकर जीवन भर चलती है यद्यपि की समाजीकरण की तीव्रता में उम्र बढ़ने के साथ गिरावट देखी जा सकती है (अनिवार्यतः नहीं)

समाजीकरण की प्रक्रिया में बचपन की अवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, माता-पिता को समाजीकरण के एजेंट के रूप में देखा जाता है तथा बच्चे को समाजीकृत होने वाले, के रूप में।

व्हाइट ने कहा है कि 'चेतन व अचेतन रूप में माता-पिता बालक को विशिष्ट दिशा में सीखने के लिए प्रेरित करते हैं।' **ब्रूम तथा सेल्जनिक** ने कहा है कि 'समाजीकरण व्यवहार को तो नियंत्रित करता ही है, साथ ही यह वैयक्तिक और आत्म जाग्रति की अनिवार्य स्थिति भी बनाता है।

समाजीकरण के विविध आयाम

1. समाजीकरण के द्वारा विभिन्न व्यक्तियों में समाजिक मानदण्डो, प्रतिमानों, व्यवहारों के प्रति अनुरूपता पैदा की जाती है, वहीं कुछ व्यक्तियों का आचरण इनके अनुरूप नहीं भी हो पाता। समाजीकरण समाज के सभी सदस्यों को अनुरूप बनाने में सक्षम नहीं होता। अनुरूप न बना सकने के कई कारण हो सकते हैं, समाजीकृत करने वालो और समाजीकृत होने वालों के उद्देश्यों और प्रकार्यो के बीच संघर्ष हो सकता है। समाजीकरण के अभिकरणो जैसे परिवार, विद्यालय, मीडिया, पुस्तकें आदि के मूल्यों में भिन्नता हो सकती है, यदि जनसंचार के माध्यम कट्टरता को बढ़ावा देते हैं तो उदारता के मूल्यों के प्रति व्यक्ति की अनुरूपता में कमी देखी जा सकती है।
2. समाजीकरण एक **दुतरफा प्रक्रिया** है, यहां दुतरफा का तात्पर्य यह है कि बालक या व्यक्ति किसी भी मूल्य या मानदण्ड को निष्क्रिय भाव से नहीं सीखते बल्कि सक्रिय आत्मीकरण करता है, कुछ मूल्यों के प्रति वह उदासीन भी हो सकता है।
3. कुछ समाजो में (विशेषतया जनजातीय में) समाजीकरण और शिक्षण बिना औपचारिक संस्थाओं के माध्यम से भी होता है। फिर भी सीखने की प्रक्रिया के रूप में शिक्षा सर्वव्यापी (Ubiquitous) होती है, लेकिन यहां एक बात और ध्यान देने योगय है कि सभी प्रकार का सीखना समाजीकरण नहीं होता, जो कुछ

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

सामाजिक भूमिकाओं के संगत नहीं है उसे सीखना शिक्षा तो हो सकती है लेकिन समाजीकरण नहीं।

4. **डर्कहाइम के अनुसार,** व्यक्ति के मन में विचारों का विकास समाजीकरण के माध्यम से होता है। समाजीकरण के माध्यम से ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तान्तरित होता है। सामाजिक एकता, समाज द्वारा निर्धारित मूल्यों, मानदण्डों, प्रतिमानों आदि को मानने की अपेक्षा करती है। समाजीकरण सामाजिक व्यवस्था बनाये रखने में सहायक होता है, समाजीकरण से लोग यह सीख पाते हैं कि क्या उचित है और क्या अनुचित, इस तरह से समाजीकरण सामाजिक नियंत्रण में सहायक होता है।
5. यद्यपि की समाजीकरण **चेतन व अचेतन दोनो प्रकार** का होता हे लेकिन अधि कांशत: समाजीकरण अचेतन होता है। जब समाजीकरण के ऐजेंट (जैसे माता-पिता) समाजीकरण के प्रति सचेत रहते हैं तो यह चेतन समाजीकरण कहलायेगा, वही अगर बच्चा स्कूल, खेल आदि में अपने दोस्तों की हरकतों से कुछ सीखता है तो यह अचेतन समाजीकरण कहा जाएगा।
6. समाजीकरण की **दिशाएं स्पष्ट व अस्पष्ट होती हैं**। कुछ अभिकरण जैसे माता-पिता बच्चे को चेतन रूप से सिखाते तो अवश्य है लेकिन चेतन व सोच समझ कर सिखाने में अंतर होता है। परिवार यह दावा नहीं कर सकते कि उन्होंने जो सिखायर वह सोच समझ कर सिखायर वहीं विद्यालय ऐसा दावा कर सकते हैं।
7. दोस्तो-यारों, सिनेमा, दूरदर्शन आदि से बालक जो कुछ सीखता है, वे सब अचेतन समाजीकरण के अंदर आते हैं। यहां बच्चों को पुरस्कार या दंड का डर नहीं होता। चेतन समाजीकरण में माँ-बाप अच्छे व्यवहार के लिए बालक को पुरस्कृत करते हैं और गलतियों के लिए दण्डित भी करते हैं।
8. प्रत्येक व्यक्ति जीवन में विभिन्न भूमिकाओं को सीखता है और निभाता है (प्रतिमानो के अनुरूप व्यवहार पद्यति को भूमिका कहते हैं) जैसे पुत्र-पुत्री, माता-पिता, दादा-दादी की भूमिका।
 एक भूमिका को अच्छी तरह समझ लेना और उसके अनुरूप व्यवहार करना **भूमिका जन्य समाजीकरण** कहलाता है।
9. आवश्यकताएं, भूमिकाएं, संस्थाएं आदि प्राथमिक (Primary) व द्वितीयक (Secondary) होती है, प्राथमिक आवश्यकताएं भूख, प्यास आदि हैं, इसी प्रकार-परिवार प्राथमिक संस्था है जबकि विद्यालय द्वितीयक। द्वितीयक आवश्यकताएं वे होती है जो प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैदा होती है, अत: प्राथमिक आवश्यकताओं, भूमिकाओं, संस्थाओं आदि के मूल्यों को समझना **प्राथमिक समाजीकरण** (Primary Socialization) कहलाता है तथा द्वितीयक संस्थाओं, आवश्यकताओं, भूमिकाओं के मूल्य, मानदण्डो को सीखना **द्वितीयक समाजीकरण** कहलाता है। जैसे परिवार के मूल्यों, मानदण्डो को समझना प्राथमिक समाजीकरण है वहीं विद्यालय के मूल्य, मानदण्डों, प्रतिमानों आदि को समझना द्वितीयक समाजीकरण कहलाएगा।
10. समाजीकरण की प्रक्रिया **जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है** जैसे: बच्चा परिवार फिर स्कूल के अनुसार व्यवहारों को सीखता है तो वयस्क अपने व्यवसाय के सम्बंध में आचरण सीखता है, बुढ़ापे में व्यक्ति दादा-दादी, नाना-नानी की भूमिकाओं को सीखता है।
11. समाजीकरण की प्रक्रिया समय व स्थान सापेक्ष होती हैं। एक समाज में जिन मूल्यो, मानदण्डो, व्यवहारो को प्राथमिकता दी जाती है आवश्यक नहीं है कि दूसरे समाज में भी उन्हें ही प्राथमिका दी जाए।
12. समाजीकरण की प्रक्रिया में **संस्कृति को आत्मसात किया जाता है**, **हरलोम्बस**

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir BG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

ने लिखा है कि 'समाज की संस्कृति को जिस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति सीखता है वही समाजीकरण है।'

13. **समाजीकरण आन्तरीकरण** (Internalization) **की एक प्रक्रिया** है। **गुडे ने** समाजीकरण को 'जन्म से बुढ़ापे तक सामाजिक कौशल, भूमिका, प्रतिमानो आदि के आन्तरीकरण' के रूप में परिभाषित किया है।
14. **समाजीकरण प्रस्थिति** (Status) **से बंधा हुआ है**, भूमिकाओं को सीखना l ekt lo dj .kgSv kSHkfed k, a fLFkfr (Status) से ही निकलती है जब दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं ता वास्तविक अर्थो में दो प्रस्थितियां आपस में मिलती हैं।
15. **जॉनसन** ने समाजीकरण को **'सीखने की प्रक्रिया'** के रूप में परिभाषित किया है, **फिक्टर** ने बताया कि सीखने की प्रक्रिया में तीन उपप्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं:
 (i) **नकल** (imitation): व्यक्ति अच्छी चीजों की नकल करता है।
 (ii) **सुझाव** (Suggestion): माता-पिता गलतियों पर सुझाव देते हैं।
 (iii) प्रतियोगिता (Competition): प्रतियोगिता सीखने के उद्देश्य से नहीं की जाती बल्कि सीखना प्रतियोगिता का परिणाम है।
16. **ब्रूम तथा सेल्जनिक** ने समाजीकरण के जैविक आधारों की चर्चा की है, तात्पर्य यह है कि मनुष्य का ही समाजीकरण क्यों होता है जानवरो का क्यों नहीं, इसके अंतर में ब्रूम तथा सेल्जनिक ने निम्न बाते बतायी हैं:
 (i) मनुष्य में सहज प्रवृत्तियों की कमी होती है, मनुष्य की विशेषता जैविक प्रेरणा है।
 (ii) मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है इसे अन्त:क्रियात्मक निर्भरता कहते हैं।
 (iii) मनुष्य अपने शैशवावस्था में अपने माता-पिता पर अधिक समय तक निर्भर रहता है।
 (iv) मनुष्य में सीखने की जन्मजात क्षमता पायी जाती है, इसमें भाषा को सीखना भी आता है।
17. समाजीकरण एक **गत्यात्मक** (Dynamic) **प्रक्रिया है**।
18. समाजीकरण व्यक्ति की **प्रकार्यात्मक क्षमता को बढ़ाता है,** व्यक्ति में समाज की संस्कृति के साथ अनुकूलन की क्षमता में वृद्धि होती है।
19. समाजीकरण की प्रक्रिया लगभग सभी समाजों में पुरुषों व महिलाओं में अंतर करती है, महिलाओं का समाजीकरण कमजोर व आश्रित के रूप में किया जाता है। विश्व भर में यौन (Sex) भेद सबसे बुनियादी वर्ग है, यह स्त्री पुरुष के बीच शारीरिक अंतर को प्रकट करती है वहीं लिंग (Gender) भेद यौन से सम्बंधित सामाजिक अंतर को प्रकट करता है। लगभग सभी समाजो में पुरुषों के गुण आक्रामकता, स्वतन्त्रता, क्रियाशीलता आदि माने जाते हैं, इस प्रकार का गुणों में भेद सामाजिक है जो समाजीकरण के माध्यम से ही निश्चित किये जाते हैं।
20. परिवार बच्चों को उचित व्यवहार करने के तरीके सिखाता है, परिवार में ही बच्चे वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन और उपभोग में अपनी भूमिका अदा करने के लिए आवश्यक दृष्टि और कुशलता सीखते हैं, प्रत्येक परिवार में आरंभिक स्तर का श्रम विभाजन देखा जा सकता है इसे बच्चे भी सीखते हैं, इस प्रकार आर्थिक समाजीकरण का प्रारंभ भी परिवार में देखा जा सकता है।
21. एक बच्चा जो गरीब (श्रमजीवी) परिवार का है जब स्कूल जाता है तो उसके परिवार के मूल्य जहां ज्ञान की उपलब्धियों को कम महत्व दिया जाता है और स्कूल के मूल्य जहां ज्ञान की उपलब्धियों (जैसे प्रथम श्रेणी में पास होना) पर अधिक बल दिया जाता के बीच संघर्ष देखा जा सकता है, तो बच्चे पर स्कूल का नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा वहीं मध्यम वर्गीय परिवार और स्कूल के मूल्य

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

मिलते हैं जिससे मध्यमवर्गीय बच्चे पर स्कूल का प्रभाव सकारात्मक पड़ता है। इसी सम्बंध में एक अतिवादी अवधारणा **'सांस्कृतिक पूंजी'** की है (देखें संस्कृति वाले अध्याय में)

22. **'वेसेल वर्नस्टीन'** ने अपने अध्ययन में बताया है कि मजदूर वर्गों के बच्चों की भाषा में सीमित शब्दावलियां होती है जबकि मध्यम वर्ग के बच्चों की भाषा में पर्याप्त शब्द (शब्दावलियां) होती हैं, स्कूल टीचर जो कि मध्यम वर्ग का होता है मजदूर वर्ग का बच्चा अध्यापक के साथ विचारों का ठीक से आदान प्रदान नहीं कर पाता, वह अपनी शिक्षा सीमित सहयोग (टीचर के) के साथ शुरू करता है जो जीवन भर उसका पीछा नहीं छोड़ती।
23. स्कूल में बच्चे के सामने दो तरह की परिस्थितयां होती है: (समाजीकरण के परिप्रेक्ष्य में)
 (i) पाठ्य पुस्तकों व औपचारिक व्यवहार की।
 (ii) शिक्षको व छात्रों के बीच व्यक्तिगत सम्बंधो की।
 वर्तमान समय में समाजीकरण के अभिकरण के रूप में परिवार का प्रभाव कम होने लगा है वहीं विद्यालयों का प्रभाव बढ़ने लगा है।
24. विभिन्न धर्मों, जातियां संप्रदायों आदि के मूल्य, मानदण्डों आदि में अंतर देखा जा सकता है इसलिए इनसे प्रभावित समाजीकरण का पक्ष भी अलग-अलग होता है।
25. संचार माध्यमों का व्यक्ति पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है यह अचेतन व अनौपचारिक तरह का समाजीकरण है।
26. जनजातियों में समाजीकरण की प्रमुख संस्था **'युवा ग्रह'** (Dor mitories) है। **जैसे इजराएल के किब्बूट्ज, मुरियाओं के धोटुल, नागाओं में गांव की चौकी** (Village Gurrd Room) **व ओरांव में लड़को के 'क्लब' आदि।** घोटुल की सदस्यता बड़ी क्रमबद्ध व सुसंगठित तरीके से दी जाती है, लड़को (छात्रों) को चेलिक व लड़कियां (छात्राओं) को मोतिहारी कहा जाता है, लड़को का नेता (मॉनीटर) 'सरदार' व लड़कियों की नेत्री वेलोसा कहलाती है। घोटुल सदस्यों को अनुशासन व भाइचारे, मित्रता की भावना का विकास करता है।
27. **पारसन्स** ने कहा कि 'एक बच्चा उस पत्थर की भांति है जिसे समाजरूपी तालाब में फेंक दिया जाता है।' वह प्रारंभ में समाजीकरण के प्रति तटस्थ (A-social) होता है। वह न तो समाजिक (social) होता है न तो असमाजिक (unsocial) और न ही समाज विरोधी (Antisocial)। वहीं जानसन ने इसे भिन्न प्रकार से कहा है जॉनसन ने कहा कि 'बच्चे का मस्तिष्क नमनीय (Elastic) होता है, इसे जैसे चाहें मोड़ सकते है।' तथा समय भी समाजीकरण का महत्वपूर्ण पक्ष है, हर उम्र में सीखना संभव नहीं है।
28. **समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण निम्न हैं:**
 (i) परिवार: दूरदर्शन भी परिवार के अंदर आएगा क्योंकि टेलीविजन व्यक्ति घर मे ही आकर देखता है।
 (ii) मित्र मंडली (Peer Group)
 (iii) पड़ोस (Neighbourhood)
 (iv) विद्यालय (School/College): जनजातियों का युवाग्रह इसी में आएगा।
 (vi) राज्य (State): कानून आदि
 (vi) धर्म
 (vii) व्यावसायिक साथी
 (viii) सामाजिक वर्ग/जाति
 (ix) जन संचार (Mass Media) आदि।
29. समाजीकरण अधिकांशत: प्रत्येक समूह की उपसंस्कृति (Sub Culture) के

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

अनुसार होता है।

30. समाजीकरण को **जैविक आत्मन** (Biological Self) **से सामाजिक आत्मन** (social self) के निर्माण के रूप में समझा जाता है।

समाजीकरण के प्रकार:

1. **चेतन व अचेतन समाजीकरण :** समाजीकरण के विविद्य आयाम शीर्षक के बिन्दु 5, 6, 7 देखें।
2. **भूमिका जन्य समाजीकरण :** समाजीकरण के विविद्य आयाम शीर्षक का बिन्दु संख्या 8 देखें।
3. **प्राथमिक व द्वितीयक समाजीकरण :** समाजीकरण के विविद्य आयाम शीर्षक का बिन्दु संख्या 9 देखें।
4. **पुर्नसमाजीकरण** (Re socialization) **:** अपनी व्यवहार पद्धति को बदलने और साथ में नये सामाजिक मूल्यों व व्यवहारों को सीखने की प्रक्रिया पुर्नसमाजीकरण है जैसे: भारतीय लड़की का विवाह के पहले की भूमिका को भुलाना तथा विवाह के बाद नयी भूमिका (पत्नी, बहू) को अपनाना पुर्नसमाजीकरण कहलाएगा।
 पुर्नसमाजीकरण में व्यक्ति को अपने मूल्यों, मानदण्डो में तीव्र व आमूल (radical) परिवर्तन करते होते हैं, यह पहले समाजीकरण से अलग व उसका विरोधी भी होता है। पुर्नसमाजीकरण मे एक प्रकार की जीवन पद्धति को त्याग कर दूसरे प्रकार की जीवन पद्धति को अपनाया जाता है।
 जैसे अपराधियों को जेल में बंद करके उनका पुर्नसमाजीकरण ही किया जाता है। पश्चिमीकरण को त्याग कर अपनी जीवन शैली में लौटना व इसका ठीक उल्टा पुर्नसमाजीकरण कहलाएगा।
 पुर्नसमाजीकरण ऐच्छिक व अनैच्छिक दोनो हो सकता हैं अनैच्छिक का तात्पर्य किसी विचारधारा के थोपे जाने से है। बुढ़ापे में पुर्नसमाजीकरण अत्यन्त कठिन होता है।
5. **व्यापक/गहन समाजीकरण:** यह भी एक प्रकार का पुर्नसमाजीकरण है। कुछ भूमिकाएं ऐसी होती है जिनके लिए गहन समाजीकरण की आवश्यकता होती है जैसे धार्मिक गुरु, सेना के जवान, कुछ व्यवसाय आदि।
6. **प्रत्याशी समाजीकरण** (Anticipatory Socialization)**:** प्रत्याशी समाजीकरण की संकल्पना **'संदर्भ समूह सिद्धांत' से सम्बद्ध रहती है,** इसमे व्यक्ति किसी वर्ग या समूह जिसका वह सदस्य नहीं है को ध्यान में रखकर अपने मूल्य व मानदण्डो, व्यवहार आदि का निर्धारण करता है। प्रत्याशी समाजीकरण को व्यक्ति व समूह दोनो में देखा जा सकता है, यह सामाजिक गतिशीलता व सामाजिक परिवर्तन की स्थिति में होता है।
 जैसे कोई निम्न जाति का व्यक्ति अचानक धन प्राप्त कर ले तो वह उच्च जातियो के व्यवहारो का अनुसरण करने लगता है। अन्य अर्थो में भविष्य मे निभायी जाने वाली भूमिका को अभी से निभाना सीखना भी प्रत्याशी समाजीकरण कहलाएगा। व्यावसायिक योग्यता (जैसे MBA, MCA) प्राप्त करना भी एक प्रकार का प्रत्याशी समाजीकरण है।
7. **नकारात्मक समाजीकरण** (Negative Socialization) **:** कुछ लोगो ने समाज विरोधी व्यवहार को सीखने की प्रक्रिया को नकारात्मक समाजीकरण कहा है जो सही नहीं है, जैसे चोरी, डकैती सीखना।
8. **विसमाजीकरण** (De Socialization)**:** अपनी व्यवहार पद्धति, मूल्यो मानदण्डो को भूलने की प्रक्रिया को विसमाजीकरण कहते हैं। लेकिन यहां यह ध्यान देने योग्य है कि विसमाजीकरण समाजीकरण का कोई प्रकार नहीं है बल्कि

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

यह पुर्नसमाजीकरण (Re-socialization) का एक हिस्सा है। इसी तरह अनैच्छिक पुर्नसमाजीकरण को कुछ लोग मतआरोपण (Brain Washing) कहते हैं।

9. **ब्रूम तथा सेल्जनिक** ने समाज द्वारा सदस्यों को सिखाने के तरीके को ध्यान में रखकर समाजीकरण को **दो भागो में बांटा:**
 (i) दमनकारी समाजीकरण (Repressive Socialization)
 (ii) सहभागी समाजीकरण (Participatory Socialization)

जब समाजीकरण की प्रक्रिया में दंड या पुरस्कार का भाव सम्मिलित होता है तो इसे दमनकारी समाजीकरण कहते हैं इस प्रकार के समाजीकरण को **समाज केन्द्रित** (Society-Centered) या **माता-पिता केन्द्रित** (Parent Centered) कहा जाता है इसमे अभिकरण का महत्व ज्यादा होता है।

वहीं जब समाजीकरण सहभागिता के माध्यम से सिखाया जाता है तो इसे सहभागी समाजीकरण कहते हैं। इस प्रकार के समाजीकरण मे अभिकर्ता का महत्व ज्यादा होता है तथा इसे **व्यक्ति केन्द्रित** (Individual-centered) **या संतान केन्द्रित** (Child-centered) कहा जाता है।

समाजीकरण के सिद्धांत (Theories of Socialization): समाजीकरण से संबंधित प्रमुख सिद्धांतो को दो भागो में बांटा जा सकता है:

1. **मनौवैज्ञानिक सिद्धांत** (Psychological Theories): इसमे फ्रायड, इरिक्सन, पियाजे, भीड व कूले प्रमुख है।
2. **संरचनात्मक सिद्धांत** (Structural Theories): इसमे मार्क्स व डर्कहाइम प्रमुख है।

समाजीकरण के सिद्धांतो को **'स्व' या 'सामाजिक स्व'** (Social or Social Self) के विकास के आधार पर समझाया जाता है। 'स्व' का अर्थ अपने आप की पहचान से लगाया जाता है। 'स्व' एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, यह पहचान वस्तुपरक (Objective) होती, बालक या व्यक्ति अपने आप को समाज की दृष्टि से कितना सामाजिक समझता है यही व्यक्ति का 'स्व' या 'सामाजिक स्व' है।

सिगमंड फ्रायड (Sigmund Freud) **का सिद्धांत:** फ्रायड (1856-1939) ने अपने सिद्धांत को काम विषयक भावना जिसे उन्होने **लिबिडो** (Libido) कहा, के माध्यम से समझाया। फ्रायड ने बताया कि लिबिडो दो प्रकार की ग्रन्थियो द्वारा नियंत्रित होती है।

1. **ऑडिपस** (Oedipas Complex) : लड़को मे पायी जाने वाली स्त्रियों के लिए काम भावना।
2. **इलेक्ट्रा** (Electra Complex) : लड़कियों मे पायी जाने वाली पुरुषो के प्रति काम भावना।

फ्रायड ने बताया कि मस्तिष्क दो प्रकार का होता है:

1. चेतन (Conscious Mind)
2. अचेतन (Unconcious Mind)

एक बच्चा जो कुछ भी करता है वह चेतन मस्तिष्क से तो हट सकती है लेकिन अचेतन मे संग्रहित कर ली जाती है, इसी अचेतन मस्तिष्क मे मूलभूत इच्छाएं (Basic Instict) रहती हैं। जैसे भूख, प्यास, काम।

यही अचेतन मस्तिष्क मे रहने वाली इच्छाएं ही **इड** (Id) है, व चेतन मस्तिष्क **ईगो** (Ego) है वहीं **पराअहम** (Super Ego) सामाजिक दृष्टिकोण है।

इसे एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है।

व्यक्ति के अचेतन मस्तिष्क मे काम विषयक भावना (Libido) रहती है वह सोचता है कि उसे किसी से शारीरिक सम्पर्क (Sexual Relation) बनाना चाहिए, अब उसके पास कई विकल्प है वह किसी से शादी कर ले, या वेश्यालय चला जाए,

Notepad

NET JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

या किसी के साथ जबरदस्ती करे। अब सामाजिक दृष्टिकोण के बारे मे पराहम (Super Ego), चेतन मस्तिष्क (Ego) को बतलाता है, फिर Ego इस विचार पर अपना निर्णय देता है कि व्यक्ति को किसी लड़की से शादी करके उसके साथ शारीरिक सम्पर्क बनाना चाहिए। फ्रायड ने यह भी बताया है कि लिबिडो का ऊर्ध्वपातन (Sublimation) भी होता है, ऊर्ध्वपातन से फ्रायड का तात्पर्य काम भावना से सम्बंधित ऊर्जा का जीवन मे किसी और क्षेत्र मे लग जाने से था। परन्तु यह (Sublimation) सभी के जीवन मे नहीं हो पाता है।

जी.एच. मीड (G.H. Mead) **का सिद्धांत:**

मीड (1863-1931) की पुस्तक 'Mind Self and Society' **उनके व्याख्यानो का उनके छात्रो द्वारा संकलन है।**

मीड वस्तुत: एकम दर्शनशास्त्री थे, मीड ने अपने सिद्धांत को **मैं** (I) **और मेरा** (Me) के माध्यम से समझाया। मीड ने इसे **प्रतीकात्मक अन्त:क्रिया** (Symbolic Interactionism) से समझाया। मीड ने बताया कि मैं (I) बालक के द्वारा दूसरो के व्यवहार की प्रतिक्रिया है और मुझे (Me) बालक के व्यवहार पर दूसरो की प्रतिक्रिया है। यानि I और Me एक ही सिक्के के दो पहलू हैं इन दोनो की अन्त:क्रिया के परिणाम स्वरूप ही स्व (Self) का निर्माण होता है।

बच्चे के **'स्व'** का विकास अनुकरण (Imitation) के द्वारा होता यह अनुकरण दो प्रकार से होता है, **भूमिका ग्रहण** (Role Taking) **तथा भूमिका निर्वाह** (Role Playing)।

भूमिका ग्रहण का तात्पर्य दूसरे की भूमिका को निभाकर यह समझना कि उस समय मैं क्या सोचूंगा जब मै इस भूमिका मे होउंगा, भूमिका ग्रहण के समय व्यक्ति का अपना वर्तमान अस्तित्व भी बना रहता है। यानि की बच्चे में भूमिका ग्रहण के समय वस्तुनिष्ठता व व्यक्ति निष्ठता दोनो देखी जा सकती है। बच्चे भूमिका ग्रहण के अंतर्गत खेल-खेल में कभी मम्मी, कभी पापा तो कभी नाना-नानी बनते है। दूसरो ओर भूमिका निर्वाह मे उस भूमिका का निर्वाह किया जाता है जो व्यक्ति को वास्तव मे मिली है जैसे विवाहित जोड़े का अपने बच्चो के साथ माँ-बाप की भूमिका निभाना भूमिका निर्वाह है।

Role Taking व Role Playing के माध्यम से व्यक्ति के **सामान्यीकृत अन्य** (Generalised Other) का विकास होता है। सामान्यीकृत अन्य से मीड का तात्पर्य उस विचार से है 'जो व्यक्ति यह सोचता है कि दूसरे उसके बारे मे सोचते हैं'। मीड के अनुसार बच्चे के द्वारा वयस्को की भूमिका तक पहुंचने मे निम्न चरण आते हैं:

1. **तैयारी स्तर** (Preparatory Stage): 1 से 3 वर्ष तक इसमे बालक बस अनुकरण करता है और कुछ नहीं।
2. **क्रीड़ा स्तर** (Play Stage): 3 से चार वर्ष की आयु तक रहती है। बच्चे की भूमिका अनियमित होती है लेकिन उसमे थोड़ी बहुत समझ आ जाती है।
3. **खेल स्तर** (Game Stage): 4 से 5 वर्ष की आयु या कभी-कभी 5 वर्ष की आयु से अधिक इसमे वह अपनी तथा दूसरो की भूमिका को समझने लगता है।

सामान्यीकृत अन्य (Generalised Other) की अवधारणा से कुछ समाजशास्त्रियों ने **विशिष्ट अन्य** (Significant Other) की अवधारणा का विकास किया है। विशिष्ट अन्य वह व्यक्ति होता है जिसकी स्वीकृति हम अपने व्यवहार मे चाहते हैं, जिनकी बात हम मानते है, उनका निर्देशन हम स्वीकार करते हैं। सामान्य शब्दो में जिन्हे हम अपना बड़ा, आदर्श, अनुकरणीय मानते हैं वही हमारे विशिष्ट अन्य हैं।

बालक के विकास का पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत (Piagets theory of cognitive development of child) : बच्चे जो कुछ भी ग्रहण करते या सीखते

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

है उसे निष्क्रिय भाव से नहीं करते पियाजे का विचार है कि बच्चे अपना विकास स्वयं करते हैं, वह किसी चीज को ग्रहण करने से पूर्व उस ज्ञान को एकत्रित करता है, उसका विश्लेषण करता है फिर उसे उपयोग मे लेता है इसे संज्ञान (Cognition) कहते हैं।

पियाजे ने बताया कि यह चार चरणो में होती है:

1. **संवेदी चालक स्तर** (Sensori Motor Stage): 0-2 वर्ष की आयु तक।

इसके प्रारंभ में बच्चा अपने आप को पर्यावरण से अलग नहीं कर सकता, धीरे-धीरे वह थोड़ा बहुत अंतर करने लगता है। इसके उसके अनुभव के आधार उसके संवेदी (Sensori) अंग होते हैं, इसलिए इसे (Sensori Motor Stage) कहते हैं।

2. **पूर्व परिचालन अवस्था** (Pre Operational Stage):

- यह 2-7 वर्ष की आयु तक रहती है।
- इसमें बच्चे के समझने मे क्रमबद्धता नहीं होती।
- इस अवस्था मे बच्चे **आत्मकेन्द्रित** (Ego-centric) होते हैं।

तात्पर्य यह है कि बच्चे अपना प्रत्येक विश्लेषण अपनी समझ के अनुसार करते हैं उनका मानना होता है कि जो वे सोच रहे हैं वही सभी सोच रहे हैं।

3. **मूर्त परिचालन स्तर** (Concrete Operational Stage):यह 7-11 वर्ष की आयु की अवस्था है इसमे बच्चा अमूर्त और तार्किक धारणाओं को समझने लगता है।

4. **औपचारिक परिचालन स्तर** (Formal Operational Stage): यह 11-15 वर्ष आयु की अवस्था है, इसमे बच्चा मूर्त व कठिन विचारो को समझने लगता है।

चार्ल्स कूले: आत्मदर्पण का सिद्धांत (Looking Glass Self theory) (Book: Human Nature and the Social Order) कूले ने बताया कि **स्व** (Self) का विकास समाज मे होता है, **'स्व व समाज जुड़वाँ हैं।'** उन्होने बताया कि लगभग 2 साल की उम्र से स्वचेतना (Self conciousness) का विकास होने लगता है। कूले के अनुसार प्रत्येक बालक निम्न अवस्थाओं पर विचार करता है:

(i) मेरे बारे मे दूसरे क्या सोचते हैं।

(ii) दूसरे जो मेरे बारे मे सोचते हैं, उस बारे मे मै क्या सोचता हूँ।

(iii) मै अपने बारे मे क्या सोचता हूँ।

कूले ने बताया कि इन्ही प्रश्नो के उत्तर मे व्यक्ति अपने बारे मे धारणा बनाता है, यही धारणा 'स्व' (Self) है।

इरिक इरिक्सन का पहचान संकट का सिद्धांत: (Theory of Identity Crisis: Erik H. Erikson): इन्होने अपनी **पुस्तक** Identity, Youth and Crisis मे बताया प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल मे विभिन्न संकटो (मनोवैज्ञानिक संकटो) से गुजरना पड़ता है, इन्ही मनोवैज्ञानिक संकटो से क्रिया-प्रतिक्रिया के फलस्वरूप व्यक्ति के स्व (Self) का विकास होता है। इस प्रकार यह समाजीकरण की प्रक्रिया विभिन्न आठ चरणो से होकर गुजरती है।

अवस्था मनोवैज्ञानिक संकट/समस्याएं

1. शिशु (Infancy) बुनियादी विश्वास बनाम अविश्वास (Basic trust Vs. Mistrust)
2. प्रारंभिक बचपन (Early Chid Hood) स्वायत्तता बनाम शर्म व संदेह (Autonomy vS. Shame and Dout)
3. खेल स्तर (4 से 5 वर्ष की आयु) (Play Stage) पहला कदम या पहल बनाम अपराध बोध (Initiative vS. Guilt)
4. विद्यालयी अवस्था (6-12 वर्ष) (School Stage) परिश्रम बनाम कमजोरी का अनुभव (Industry vS. Inferiority)
5. किशोर अवस्था (Adolescence) पहचान बनाम भूमिका विभ्रम (Identity vS.

Notepad

NET/JRF Manish Singh Sir BG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

Role Confusion)

6. प्रारंभिक युवा अवस्था (Young Adulthood) घनिष्ठता बनाम पृथकता (Intimacy Vs. Isolation)
7. प्रारंभिक युवा अवस्था व प्रौढ़ता उत्पादकता बनाम निष्क्रियता (Generatimity (Young Adulthoold and Middle Age) vS. Stagnation)
8. वृद्धावस्था (Old Age) पूर्णता बनाम निराशा (Integrity Vs. Despair)

Notepad

समाजीकरण के संरचनात्मक सिद्धांत

इमाइल डर्कहाइम (Emile Durkheim)**: डर्कहाइम व्यक्ति की तुलना मे समाज को महत्व देते है**, उनका मानना है कि समाज **सुईजेनेरिस** (Suigeneris) है, यानि समाज की उत्पत्ति स्वत: हुयी है। सामाजिक मूल्य, मानदण्ड, आदर्श, प्रतिमान, कानून आदि सभी के लिए डर्कहाइम ने एक शब्द प्रयोग किया जिसे उन्होने सामाजिक तथ्य (Social fact) कहा, उन्होने बताया कि सामाजिक तथ्य मे चार गुण पाए जाते हैं।

1. **बाह्यता:** ये व्यक्ति से वाह्य है।
2. **बाध्यता:** ये व्यक्ति के लिए बाध्य है।
3. **स्वतन्त्रता:** ये अपने आप मे किसी पर आश्रित नहीं रहते।
4. **सामान्यता:** यह सब जगह पाए जाते हैं।

यही सामाजिक तथ्य व्यक्ति को जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाते है, यही यह बताते है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इन्ही सामाजिक तथ्यो का आंतरीकरण (Internalization) ही समाजीकरण है। लेकिन यहां ध्यान रखना चाहिए कि यह आंतरीकरण (Internalization) सामाजिक तथ्यों की सिर्फ दो विशेषताओं के कारण होता है।

1. बाह्यात 2. बाध्यता

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

भूमिका एवं प्रस्थिति
(Role and Status)

Notepad

भूमिका व प्रस्थिति की अवधारणा राल्फ लिंटन ने (1936 में) दी। लिंटन ने बताया कि सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अलग-अलग व्यक्तियों का अपना अलग-अलग स्थान होता है। एक व्यक्ति परिवार में पिता हो सकता है, वह स्कूल में अध्यापक भी हो सकता है या किसी संस्था में अधिकारी भी हो सकता, लिंटन के अनुसार ये स्थितियां ही व्यक्ति की प्रस्थितियां हैं।

लिंटन ने बतलाया कि **"पारस्परिक व्यवहार की पद्धतियों में ध्रुवीय स्थितियां है।"** ध्रुवीय स्थिति में **'अधिकार व कर्तव्य'** निहित होते हैं। अत: लिंटन ने प्रस्थिति शब्द की कल्पना अधिकार और कर्तव्य के रूप में की। लिंटन ने बतलाया कि प्रस्थिति का गतिशील पक्ष भूमिका है।

जॉनसन ने इसे दूसरे ढंग से प्रस्तुत किया, उन्होंने बतलाया कि व्यक्ति का समाज में सामाजिक स्थान ही उसका **सामाजिक पद** (Social Position) **है। इस सामाजिक पद के दो तत्व होते हैं:**

1. अधिकार (Right)
2. बाध्यता (Obligation)

अधिकार, प्रस्थिति को और बाध्यता भूमिका को बताती है। जानसन लिंटन की इस बात से सहमत नहीं है कि सामाजिक पद (social position) और सामाजिक प्रस्थिति (social status) एक ही हैं। **भूमिका की अवधारणा को टी. न्यूकाम्ब** (Newcomb) **व बेन्टन** (Benton) **ने संशोधित किया।**

जानसन ने बतलाया कि व्यक्ति की भूमिका दो प्रकार की होती है:

1. अपेक्षित भूमिका या व्यवहार
2. वास्तविक भूमिका या व्यवहार

अपेक्षित भूमिकाएं वे भूमिकाएं है जो पद द्वारा अपेक्षित है, वास्तविक भूमिकाएं वे भूमिकाए है जो व्यक्ति उस पर रहते हुए वास्तव में निभाता है। **बेन्टन** ने नियम व अपेक्षा में अंतर किया है। उन्होंने बताया कि नियमो के साथ अनिवार्यता का भाव होता है जबकि अपेक्षाओं के साथ ऐसा प्रतिबन्ध नहीं है। सरल शब्दो में किसी भूमिका के संदर्भ में नियम का तात्पर्य **'ऐसा ही होगा'** से है जबकि अपेक्षा का **'ऐसा होना चाहिए'** से संबंधित है।

बेन्टन ने भूमिकाओ के तीन प्रकारो की चर्चा की है:

1. मूल भूमिकाएं
2. सामान्य भूमिकाएं
3. स्वतन्त्र भूमिकाएं

बेन्टन ने इसे स्पष्ट करने के लिए एक पैमाने का निर्माण किया, यह पैमाना यह बताता है कि कुछ भूमिकाएं, दूसरी भूमिकाओं की तुलना में कितनी स्वतन्त्र हैं:

लिंटन ने दो प्रकार की भूमिकाएं बतलायी हैं: (भूमिकाओं के निर्धारण के आधार पर)

1. **प्रदत्त भूमिका** (Ascribed Role): ये वे भूमिकाएं है जो व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होती है जैसे जाति, वर्ण, लिंग, आयु, नातेदारी (विवाह नहीं) प्रजाति आदि आधारित भूमिकाएं।
2. **अर्जित भूमिका** (Achieved Role): ये वे भूमिकाएं है जो व्यक्ति योग्यता, प्रतियोगिता के माध्यम से प्राप्त करता है। जैसे: डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, विवाह, व्यवसाय, माता-पिता, शैक्षिक आदि।

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

नाडेल (Nadel) **ने भूमिकाओं को दो भागों में बांटा:**

1. **प्रदत्त भूमिका**
 (i) **गैर संबंधात्मक** (Non-Relational): स्वतन्त्र भूमिका
 (ii) **सम्बन्धात्मक** (Relational): जो किसी भूमिका पर निर्भर हो या इसे पूरक भूमिका भी कहते हैं।
2. **अर्जित भूमिका**
 (i) गैर संबन्धात्मक (Non Relational)
 (ii) संबन्धात्मक (Relational)

ऐदान साउथ हॉल (Aidan South Hall) ने "सामाजिक क्षेत्र जिसमे भूमिका निभाई जाती है।" के आधार पर **5 प्रकार की भूमिकाएं बतायी हैं।**

1. संगोत्रीय
2. आर्थिक
3. राजनीतिक
4. धार्मिक
5. मनोरंजन

सरल समाजो में भूमिका निर्धारण के माध्यम:

1. लिंग (Gender)
2. उम्र
3. संगोत्रता
4. विवाह
5. प्रेतात्मा

बीरस्टीड के अनुसार भूमिका दो प्रकार की होती है-

1. मुख्य भूमिका
2. सामान्य भूमिका।

भूमिका की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

1. भूमिका का सम्बंध उन व्यवहारों की सम्पूर्णता से है, जिसकी एक विशिष्ट प्रस्थिति धारण करने के कारण समाज द्वारा अपेक्षा की जाती है।
2. भूमिका का निर्धारण सांस्कृतिक एवं सामाजिक मानदण्डों के अनुसार होता है।
3. भूमिका सदैव अन्य प्रस्थितियों के संदर्भ में ही निभायी जाती है।
4. भूमिका का सम्बंध प्रस्थिति से होता है।
5. भूमिका गतिशील और परिवर्तनशील है।
6. प्रत्येक व्यक्ति दी गयी भूमिका का निर्वाह अपनी योग्यता, क्षमता, इच्छा, स्वभाव आदि के आधार पर ही करता है।
7. यों तो व्यक्ति समाज में अनेक भूमिकाएँ निभाता है, लेकिन जिस भूमिका के कारण वह समाज में जाना जाता है, वह उसकी मुख्य-भूमिका (Key Role) कहलाती है। अन्य छोटी-मोटी भूमिकाओं को सामान्य भूमिकाएँ (General Rules) कहते हैं।
8. सभी भूमिकाएँ एक ही व्यवहार द्वारा नहीं निभायी जाती है।

प्रस्थिति की विशेषताएं

1. प्रस्थिति **सापेक्षिक** होती है, अर्थात प्रस्थितियां हमेशा दूसरों के संदर्भ में होती है। एक व्यक्ति की प्रस्थिति का निर्धारण सम्बंधित अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के संदर्भ में ही किया जा सकता है। एक व्यक्ति अपनी संतान के समक्ष पिता की, पत्नी के समक्ष पति की प्रस्थितियां लिये हो सकता है। अत: एक व्यक्ति की एक ही समय में अलग-अलग व्यक्तियों के साथ भिन्न-भिन्न प्रस्थितियां हो सकती है।
2. प्रस्थितियाँ **समाज की आवश्यकताओं की परिणाम** है। इसका अर्थ यह हुआ कि समाज में जितनी भी प्रस्थितियाँ है वे सब समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये हैं।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

3. प्रस्थिति के साथ **प्रतिष्ठा जुड़ी होती** है। इसका अर्थ यह है कि उच्च प्रस्थिति की प्रतिष्ठा उच्च तथा निम्न प्रस्थिति की प्रतिष्ठा निम्न होती है। लेकिन हर अर्थ में कोई प्रस्थिति बिना प्रतिष्ठा के नहीं होती है। प्रतिष्ठा को प्रस्थिति से अलग करके नहीं देखा जा सकता।
4. प्रस्थिति को **भूमिका से अलग नहीं किया जा सकता** है, अर्थात किसी भी प्रस्थिति की कल्पना भूमिका के बिना नहीं की जा सकती। ये दोनो, सिक्के के दो पहलुओं की तरह है।
5. प्रस्थिति समाज के **स्तरीकरण की द्योतक** है, अर्थात कुछ लोगों की प्रस्थिति उच्च होती है तथा कुछ लोगों की निम्न। प्रस्थितियों की यह भिन्नता सामाजिक स्तरीकरण को जन्म देती है।

Notepad

प्रस्थिति (Status) व भूमिका (Role) संबंधी विभिन्न अवधारणाएं

भूमिका (Role): व्यक्ति की सामाजिक हैसियत/पद से संबंधित व्यवहारों एवं अपेक्षाओं को भूमिका कहते हैं।

व्यक्ति का व्यवहार उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं की अपेक्षा उसे समाज में प्राप्त हैसियत/पद के अनुसार निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए एक अध्यापक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने पद से सम्बंधित भूमिकाओं का उचित निर्वहन करे चाहे उसकी व्यक्तिगत इच्छाएं इससे भिन्न ही क्यों न हो।

समाजशास्त्री भूमिकाओं की व्याख्या ऐसी ईकाइयों के रूप में करते हैं जिनमें से सामाजिक संस्थाओं का उद्भव हुआ है' या जिनमें से सामाजिक संस्थाएं बनी है।

भूमिका ग्रहण (Role Taking) - G . H. Mead: इस प्रक्रिया में व्यक्ति द्वारा काल्पनिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका को ग्रहण कर निभाया जाता है जैसे बच्चे द्वारा माता या पिता की भूमिका की नकल करना।

भूमिका बनाना (Role-making): व्यक्ति का व्यवहार अन्त:क्रिया के क्रम में किस प्रकार बनता एवं बदलता है यह ही भूमिका बनाना कहलाता है।

भूमिका दूरी (Role Distance): Gaffman **द्वारा प्रतिपादित:**
समाज द्वारा प्रदान की गई भूमिका का निर्वहन करते हुए जब व्यक्ति स्वयं को उस भूमिका से वस्तुनिष्ठ रूप से वियुक्त/अलग कर लेता है तो उसे भूमिका दूरी कहते हैं।

भूमिका संघर्ष (Role Conflict): भूमिका संघर्ष विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है।

(i) जब व्यक्ति एक ही समय में दो ऐसी भूमिकाओं का निर्वहन करता है जो परस्पर विरोधी अपेक्षाएं करती हों जैसे विवाहित कामकाजी महिला को एक साथ अच्छे कर्मचारी एवं पत्नी-माता की भूमिका निभानी पड़ती हैं ये भूमिकाएं परस्पर विरोधी अपेक्षाएं करती हैं।

(ii) जब कोई व्यक्ति अपनी भूमिका की व्याख्या अपने तरीके से करता है एवं अन्य उसी भूमिका की अलग तरह से व्याख्या करते हैं। उदाहरण: जब किसी अध्यापिका द्वारा अपने व्यवहार को अपने व्यवसाय के अनुरूप ढाल लिया जाता है तो उसके माता-पिता को इस पर आपत्ति होती है।

(iii) जब अन्य भूमिकाएं केन्द्रीय भूमिका मे असंगत अपेक्षाएं रखती है उदाहरणस्वरूप मैनेजर और मजदूर सुपरवाइजर से भिन्न-भिन्न एवं असंगत अपेक्षाएं रखते हैं।

Playing at a Role: इसमें व्यक्ति किसी अन्य पात्र की भूमिका का अभिनय करता है।

रूग्ण भूमिका (Sick Role): (पार्सन्स व एन्डरसन)समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में रूग्ण भूमिका एक प्रकार का सामाजिक विचलन है या सामाजिक विचलन का एक प्रकार है जिसमें व्यक्ति एक विशिष्ट प्रकार की भूमिका निभाता है।

NET JRF Manish Singh Sir PG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

दामपत्य की भूमिका (Conjugal Role) : ऐसी भूमिकाएं जो पूरी तरह से पति तथा पत्नि द्वारा पारिवारिक जीवन में निभाई जाती है वे दामपत्य की भूमिका कहलाती है।

भूमिका प्रत्याशा (Role Expectation)-**मर्टन :** जब समाज द्वारा व्यक्ति से उसकी प्रस्थिति/पद से सम्बंधित भूमिका के निर्वहन की अपेक्षा की जाती है तो उसे भूमिका प्रत्याशा कहते हैं।

असफल भूमिका (Role-failure): जब कोई व्यक्ति अपनी प्रस्थिति के अनुसार भूमिका निर्वहन मे असफल रहता है तो उसे असफल भूमिका कहा जाता है।

भूमिका वंचन (Role-dispossession): जब कोई व्यक्ति अपनी एक प्रस्थिति को त्याग कर दूसरी प्रस्थिति धारण करता है तो उसे अपनी पहली प्रस्थिति से सम्बंधित भूमिकाएं भी त्यागनी पड़ती है जिसे भूमिका वंचन कहते हैं।

भूमिका चिन्ह-बेन्टन: ऐसे चिन्ह जो किसी भूमिका को दर्शाते हैं। जैसे साड़ी महिलाओं की भूमिका का चिन्ह हैं, अंगूठी मंगनी का चिन्ह है। सिंदूर सुहागन का चिन्ह हैं।

भूमिका समुच्चय (Role-set): जब व्यक्ति अपनी प्रस्थिति से सम्बंधित विभिन्न प्रस्थितियों वाले व्यक्तियों से विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाता है तो उसे भूमिका प्रतिमान/समुच्चय कहते हैं।

भूमिका बाधा (Role Handicap): भूमिका बाधा के अंतर्गत हम उन तत्वों का उल्लेख करते हैं, जो किसी भूमिका को संपन्न करने में व्यवधान डालते है। **इसकी अवधारणा किर्क** (Kirk) **ने दी।**

भूमिका पूरक (Role Counter): एक ऐसी भूमिका, जो किसी अन्य भूमिका की पूरक हो, तथा इनमें से एक के अभाव में दूसरी भूमिका का संपादन असंभव हो जाता है, भूमिका पूरक कहलाता है। अध्यापक-शिष्य, दुकानदार, ग्राहक, इत्यादि भूमिका पूरक के उदाहरण है।

भूमिका तनाव (Role strain): व्यक्ति या कर्ता द्वारा भूमिका को पूरा करने में अनुभव की नई कठिनाई या दबाव की स्थिति भूमिका तनाव (Role strain) कहलाता है। **भूमिका तनाव की अवधारणा डब्ल्यू.जे. गुडे ने दिया है।**

निर्धारित भूमिका (Prescribed Role) : एक भूमिका जो सांस्कृतिक मानदण्डों द्वारा परिभाषित होती है, निर्धारित भूमिका कहलाती है। इसकी धारणा न्यूकॉम्ब ने दी। **न्यूकॉम्ब इसे समाजशास्त्रीय अवधारणा कहते हैं।**

भूमिका अनोन्य (Reciprocal Roles): अधिकांश भूमिकाएं अनोन्य होती है, जो एक दूसरे से जुड़ी होती है तथा उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। शिक्षक-छात्र, पति-पत्नी, पिता-पुत्र संबंध आदि भूमिका अनोन्य है।

भूमिका स्ववृति (Role disposition): जब व्यक्ति को किसी विशेष भूमिका के निर्वाह में अधिक रुचि प्रतीत होती है, उसे भूमिका स्ववृति कहते हैं। भूमिका स्ववृति का सम्बंध व्यक्तित्व से जुडा होता है।

भूमिका संबलन (Role Inforcement): अगर कोई व्यक्ति दो ऐसी भूमिकाएं निभाता है, जिनमें से एक भूमिका दूसरे भूमिका की जिम्मेदारियों का अनुपालन करने के लिये उसे प्रेरित करता है, तो उसे भूमिका संबलन कहा जाता है। यह स्थिति भूमिका संघर्ष से भिन्न होती है।

भूमिका रिपोर्टयर-मर्टन : व्यक्ति की एक से अधिक भूमिकाएं होती है परंतु व्यक्ति को अलग-अलग भूमिकाओं के आधार पर, अलग-अलग अवधारणाओं से नहीं देखा जा सकता अत: उसकी सभी भूमिकाओं के आलोक में समाज जो अवधारणा बनाता है उसे भूमिका रिपोर्टयर कहते हैं।

मर्टन की अन्य अवधारणाएं

1. भूमिका रिपोर्टयर (Role Repretoire)
2. प्रकार्यात्मक पैराडाइम (Functional Paradigm)

Notepad

NET/JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

3. प्रकट एवं अप्रकट प्रकार्य (Manifest and latent Function)
4. अपराध का व्याधिकी सिद्धांत (Pathological Theory of Crime)
5. प्रत्याशी समाजीकरण (Anticipatory Socialization)
6. प्रकार्यात्मक विकल्प (Functional Alternative)
7. प्रकार्य, अकार्य, दुष्कार्य (Function Eufunction, Dysfunction)
8. भूमिका समुच्चय (Role Set)
9. भूमिका आदर्श (Role Model)

भूमिका व्यवहार (Role Behaviour)**: (टी. न्यूकॉम्ब)** किसी विशेष भूमिका को कुछ विशेष लोग ही निभा पाते हैं। जैसे जजमानी व्यवस्था मे कमीन, प्रशासनिक अधिकारी, शादी में नाई की भूमिका।

भर्ती की भूमिका (Recruitment Role)**:** जब किसी विशेष भूमिका को करने के लिए किसी विशेष व्यक्ति की नियुक्ति होती है जो सामान्यत: समाज करता हे, यह समाज की सामान्य भूमिकाएं नहीं होती है यह विशेष परिस्थितियों में जन्म लेती है और परिस्थिति के साथ ही समाप्त हो जाती है। जैसे-लिब्राहन, एवं मुखर्जी समिति इत्यादि। यह अवधारणा एस. एफ ने दी।

प्रस्थिति (Status)**: (आर. लिंटन)**- किसी व्यक्ति को सामाजिक व्यवस्था (social system) में प्राप्त पद को प्रस्थिति कहते हैं जैसे बालक या पिता।

प्रस्थिति शब्द का प्रयोग प्रतिष्ठा के समानार्थक के रूप में भी किया जाता है, जब व्यक्ति को समाज में प्राप्त पद की तुलना समाज में पहले से मौजूद मापदंडो से की जाती है।

प्रस्थिति समूह (Status Group)**: (वेबर)**- प्रस्थिति समूह सामाजिक स्तरीकरण का अवयव है जो श्रेणी से भिन्न है।

प्रस्थिति समूह ऐसे समूह को कहते हैं, जो समाज द्वारा स्थापित मानदंडों के आधार पर अन्य सा. समूहों से भिन्न होता है। जैसे जाति या मानव वंशीय (Ethnicity)

प्रस्थिति असंगतता (Status Inconsistency) **:** (G. Lensky)- ऐसी स्थिति जब किसी व्यक्ति की दो या अधिक प्रस्थितियां बिल्कुल विपरीत होती है प्रस्थिति असंगतता कहलाती है जैसे एक बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त मेघावी व्यक्ति बहुत ही निम्न स्तर के व्यवसाय से आजीविका चलाता है।

प्रस्थिति पारदर्शिता (Status Crystalization) **:** वह स्थिति जब व्यक्ति की विभिन्न प्रस्थितियों के बीच संगतता या अनुरूपता पाई जाती है।

मुख्य प्रस्थिति (Key status)**: यह अवधारणा ई.टि. हिलर** (Hillor) **ने दिया।** इस धारणा के अनुसार व्यक्ति अपने जीवन में अनेक प्रस्थितियां धारणा करता है, किंतु इनमें से किसी एक का ही अधिक महत्व होता है।

बीयर स्टीड कहते हैं, 'मुख्य प्रस्थिति वह है जो दूसरी प्रस्थिति की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण एवं अग्रणीय होती है। भारत में जाति तथा रूस में व्यक्ति की राजनीतिक स्थिति प्रस्थिति के निर्धारण का प्रमुख आधार है।

किंग्सले डेविस ने प्रस्थिति से सम्बंधित कुछ अवधारणाओं-आफिस, स्थिति-संकुल तथा स्तर का उल्लेख किया है।

1. **पदानुषंग** (Office)**:** किसी औपचारिक संगठन में वैधानिक नियमों द्वारा निर्मित पद को **प्रो. डेविस ने पदानुषंग कहा है।** यह अर्जित प्रस्थिति का उदाहरण है। इसे व्यक्ति योग्यता के आधार पर पाता है। कोई पदानुषंग किसी व्यक्ति को एक प्रस्थिति अवश्य प्रदान करता है, किन्तु प्रत्येक प्रस्थिति व्यक्ति को पदानुषंग प्रदान नहीं करती।
2. **स्थिति-संकुल** (Station)**:** किसी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त किये गये प्रस्थितियों एवं ऑफिसों के योग को स्थिति संकुल कहते हैं।
3. **स्तर** (Stratum)**:** एक समान स्टेशन को प्राप्त करने वाले सभी व्यक्ति

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir IG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

मिलकर एक स्तर का निर्माण करते हैं। एक स्तर के लोगों के स्वार्थ, समस्याएं व दृष्टिकोण समान होते है और वे दूसरे स्तर के लोगों को समान अंतर से देखते हैं।

Notepad

प्रस्थितियों का संगठन:

प्रतिष्ठा व सम्मान (Prestige and Esteem): प्रस्थिति के समान अर्थों में कई बार प्रतिष्ठा, सम्मान और श्रेणी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। प्रतिष्ठा का सम्बंध प्रस्थिति से है। अर्थात समाज में प्रत्येक प्रस्थिति की एक प्रतिष्ठा होती है।

सम्मान का सम्बंध किसी भी प्रस्थिति को धारण करने वाले व्यक्ति की कार्य कुशलता, दक्षता, क्षमता से है। इसलिये एक व्यक्ति ऊँची प्रस्थिति पर होते हुए भी कम सम्मानित हो सकता है, एवं दूसरा व्यक्ति निम्न प्रस्थिति पर कार्य करने पर भी अधिक सम्मानित हो सकता है।

श्रेणी (Rank): समाज में पायी जाने वाली समान प्रतिष्ठा वाली स्थितियों की समग्रता को ही श्रेणी कहा जाता है।

शक्ति (Power): शक्ति का अभिप्राय एक व्यक्ति द्वारा अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए दूसरों के व्यवहार पर नियंत्रण रखने की क्षमता से है। शक्ति का सम्बंध किसी प्रस्थिति या ऑफिस से न होकर व्यक्ति से है।

सत्ता: शक्ति को जब संस्थात्मक स्वीकृति प्राप्त हो जाती है अर्थात् जब शक्ति को कानून का जामा पहना दिया जाता है तो वह सत्ता कहलाती है।

प्रस्थिति सम्बंध (Status Relation) **(बियरस्टीड):** जोड़े के रूप में पायी जाने वाली प्रस्थितियों को प्रस्थिति संबंध कहा जाता है। जैसे-माता-पिता, पति-पत्नी, अध्यापक-छात्र आदि।

प्रस्थिति प्रतीक (Status Symbol): जिन प्रतीकों के माध्यम से व्यक्ति की प्रस्थिति की पहचान होती है उसे प्रस्थिति प्रतीक कहते हैं।

प्रस्थिति संघर्ष (Status Conflict): जब व्यक्ति एक साथ दो प्रस्थितियों को धारण करता है जिसके मानदण्ड एक-दूसरे से भिन्न होते हैं और एक के पालन करने पर दूसरी के मानदण्डों की अवहेलना होती है तो यह स्थिति प्रस्थिति संघर्ष कहलाती है।

प्रस्थिति विपर्यय (Status Reversal): जब एक प्रस्थिति से सम्बंधित विशेषाधिकारों एवं कर्तव्यों में कभी-कभी विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है। इस स्थिति को प्रस्थिति विपर्यय कहा जाता है।

प्रस्थिति सेट, भूमिका सेट, बहुल भूमिकाएं व प्रस्थिति क्रम (Status Set, Role Set, Multiple Role and Status Sequence): **ये चारों अवधारणाएं मर्टन** (R.K. Merton) **की हैं।**

एक व्यक्ति की कई भूमिकाओं के संयोजन को **बहुल भूमिका** (Multiple Role) कहते हैं।

जब व्यक्ति एक ही भूमिका से कई भूमिकाओं से जुड़ा होता है तो ऐसी स्थिति को **भूमिका पटल** (Role Set) कहते हैं।

एक ही व्यक्ति की एक ही समय में विभिन्न प्रस्थितियों के समुच्चय को Status set कहते हैं।

Status = Cluster of Satuts

एक ही व्यक्ति अपने जीवन में एक के बाद एक क्रमिक रूप से प्रस्थितियाँ प्राप्त करता है इसे Satuts Sequence कहते हैं।

अनूप : पुत्र-IAS- पति - पिता - दादा

T.H. Marshall **ने सामाजिक प्रस्थिति के स्थान पर संस्थिति** (Standing) **शब्द को अधिक उपयुक्त माना है।**

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

प्रदत्त एवं अर्जित प्रस्थितियों में अंतर

प्रदत्त प्रस्थिति	अर्जित प्रस्थिति
1. प्रदत्त प्रस्थिति का स्त्रोत समाज की प्रथाएँ, परम्पराएँ एवं संस्कृति आदि है।	अर्जित प्रस्थिति का स्त्रोत स्वयं व्यक्ति और उसके गुण है।
2. समाज की सामान्य प्रस्थितियों को प्रकट करती हैं।	विशिष्ट प्रस्थितियों को प्रकट करती है।
3. प्रदत्त प्रस्थिति का निर्धारण्रा जन्म, लिंग, आयु,	अर्जित प्रस्थिति का निर्धारण शिक्षा, सम्पत्ति, व्यवसाय, जाति, प्रजाति,नातेदारी परिवार आदि के व्यक्तिगत योग्यता, कार्य-कुशलता, राजनीतिक आधार पर होता है। अधिकार आविष्कार की क्षमता आदि के आधार पर होता है।
4. के आधार अपेक्षाकृत स्थायी है।	उनमें परिवर्तन नहीं या परिवर्तनशील होने से अर्जित प्रस्थितियाँ बदलत बहुत कम होते हैं/रहती है।
5. अनिशिचित एवं उनका अधिकार क्षेत्र अस्पष्ट होता है।	अधिक निश्चित एवं स्पष्ट होती है।
6. प्रदत्त प्रस्थिति का आदिम समाजों में अधिक	आधुनिक समाजों में अधिक महत्व है/महत्व पाया जाता है।

- **मर्टन ने** इस मत की आलोचना की है कि व्यक्ति भूमिका अपेक्षाओं का स्वचालित रूप से प्रत्युत्तर देता है।
- **प्रदत्त से अर्जित** प्रतिमान की ओर परिवर्तन **'जाति से वर्ग'** व्यवस्था की विशेषता है।
- **'प्रस्थिति' संस्थागत भूमिका है।-बीयरस्टीड**

ध्रुवीय प्रस्थिति एवं पीड़ाकारी प्रस्थिति (Polar and Pained Status) **(बीयरस्टीड):** व्यक्ति की दो प्रस्थितियां जो बिल्कुल असमान होती है तथा दोनो में किसी भी प्रकार का कोई सम्बंध नहीं होता है। जैसे के.आर. नारायणन (राष्ट्रपति के रूप में प्रथम नागरिक जाति के रूप में निम्न)।

पीड़ाकारी प्रस्थिति: वैसी प्रस्थिति जिसे कभी स्वेच्छा से स्वीकार नही करते हैं और उससे सम्बंधित भूमिकाओं को करने में पीड़ा का अनुभव करता है।

प्रस्थिति क्रिस्टलीकरण (Status Crystalization) (G. Lenski)**:** एक व्यक्ति द्वारा अपनी विभिन्न प्रस्थितियों के तालमेल बैठाना प्रस्थिति क्रिस्टलीकरण होता है।

लेन्स्की ने चार प्रस्थितियां बतायी हैं:

1. आय
2. व्यावसायिक प्रतिष्ठा
3. शिक्षा
4. नृजातीयता

इन्ही चारों में तालमेल बैठाना प्रस्थिति क्रिस्टलीकरण है।

प्रस्थिति सामान्यीकरण (Status Generalization)**:** ऐसी प्रस्थिति सामान्यत: जिसका महत्व नहीं होता, किन्ही कारणवश महत्वपूर्ण बन जाती है, प्रस्थिति सामान्यीकरण कहलाता है।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

सामाजिक संरचना
(Social Structure)

Notepad

हर्बर्ट स्पेन्सर ने सबसे पहले 'सामाजिक संरचना' शब्द का प्रयोग किया। लेकिन स्पेन्सर संरचना को बहुत स्पष्ट नहीं कर सके। सामाजिक संरचना शब्द को लेकर विशद मतभेद है लेकिन लगभग सभी इस बात से सहमत हैं कि सामाजिक संरचना का तात्पर्य **'सामाजिक निरंतरता तथा पुनरावृत्ति'** से है।

प्रारंभिक रूप से **'स्ट्रक्चर'** शब्द अंग्रेजी भाषा से लिया गया जिसका अर्थ भवन की संरचना या बनावट से है, 16वीं शताब्दी तक इसका अर्थ बदल गया और इसे किसी वस्तु के विभिन्न घटको के बीच **'परस्पर सम्बंधो'** के संदर्भ में किया जाने लगा। **सामाजिक संरचना के सम्बंध में तीन प्रमुख दृष्टिकोण हैं:**

1. संरचनात्मक प्रकार्यवादी दृष्टिकोण (Structural functional view)
2. संरचनावादी दृष्टिकोण (Structural View)
3. मार्क्सवादी दृष्टिकोण (Marxist View)

1. **संरचनात्मक प्रकार्यवादी दृष्टिकोण: हरबर्ट स्पेन्सर संरचनात्मक-प्रकार्यवादी दृष्टिकोण के जनकों में से एक थे।** इस दृष्टिकोण के **समर्थको में**-डर्कहाइम, पारसन्स, मर्टन (पारसन्स के शिष्य), मैलिनॉस्की, रैडक्लिफ ब्राउन, रेमन्ड फर्थ, इवान्स प्रिचार्ड, फ्रेग एगेन, नाडेल (एस.एफ. नाडेल), पैरेटो, कार्ल मानहीम, जॉनसन, मकीवर आदि रहे हैं।

स्पेन्सर (1820-1903)

शरीर (Biological Organism) की तरह समाज के भी अंग होते हैं, ये अंग कुछ सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। समाज के सभी अंग मिलकर काम करते हैं जिससे समाज में स्थायित्व व निरंतरता बनी रहती है।

समाज अपने को जीवित रखने के लिए सामाजिक परिवर्तन के फलस्वरूप आए बदलावो, दबावों के अनुसार अपने को ढालता (अनुकूलन) है।

डर्कहाइम

- डर्कहाइम ने सामाजिक अलग रूप में सामाजिक संरचना की व्याख्या नहीं की है।
- डर्कहाइम ने माना कि सामाजिक व्यवस्था का अर्थ नैतिक व्यवस्था है।
- सामाजिक सम्बंधो के विकास के लिए आवश्यक है कि पहले लोग समान व्यवहार करने के तरीके विकसित करें, ये व्यवहार के समान तरीके ही, समान नियमो, मूल्यों, मानदंडो को जन्म देता है जिससे समाज में 'सामूहिक चेतना' देखी जा सकती है। इसी सामूहिक चेतना का अध्ययन करना-डर्कहाइम की दृष्टि में सामाजिक संरचना के अध्ययन के समान था।

ए.आर.रैडक्लिफ ब्राउन

- रैडक्लिफ ब्राउन ने समाज के संरचनात्मक पक्ष को **'सामाजिक रचना तंत्र'** व क्रियात्मक पक्ष को **"सामाजिक क्रिया तंत्र"** कहा।
- **रैडक्लिफ ब्राउन के अनुसार** "क्रिया का अर्थ किसी सम्पूर्ण गतिविधि में उसके अन्दर आनेवाली गतिविधियों के योगदान से है।"
- ब्राउन के अनुसार सामाजिक संरचना का तात्पर्य व्यक्ति और व्यक्ति के बीच सम्बंधो के तंत्र से है। व्यक्ति और व्यक्ति के बीच सम्बंधो को **युग्मीय सम्बंध या डायडिक** (Dyadic) **रिलेशन** कहा जाता है। जैसे पिता-पुत्र का सम्बंध, मामा-भांजे का सम्बंध। यहां एक बात ध्यान देने योग्य है कि ब्राउन की संरचना

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

सम्बंधी अवधारणा में भूमिका के आधार पर व्यक्तियों और वर्गों मे भेद शामिल है जैसे सामन्त व दास, शोषक-शोषित का सम्बंध।

- ब्राउन ने **संरचना व संरचनात्मक आकार** (Structural Form) **मे अन्तर किया है**, संरचना बदल सकती है किन्तु संरचनात्मक आकार नहीं बदलता जैसे पारिवारिक सम्बंध तो बदल सकते है, लेकिन परिवार हर काम मे पाया जाता रहा।
- ब्राउन के लिए संरचना एक अमूर्त कल्पना न होकर आनुभाविक तथ्य है।
- ब्राउन ने बतलाया कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सामाजिक सम्बंध तभी बनता है जब उनके हितों के बीच कुछ सामंजस्य हो। यह सामंजस्य हितो में समानता या हितो में भिन्नता से उत्पन्न तनावो की सीमाओं से होता है।
- ब्राउन ने कहा कि सामाजिक संस्था आचरण का एक स्थापित नियम है, जिसे अलग पहचान वाले समूह से मान्यता मिली रहती है; ये संस्थाएं ही व्यवहार की नियामक है और इन्हीं संस्थाओं के आधार पर संरचना अपना अस्तित्व और निरंतरता बनाये रखती है। इस प्रकार देखें तो ब्राउन की संरचना सम्बंधी अवधारणा की केन्द्रीय इकाई व्यक्ति व सामाजिक सम्बंध है, और ये सम्बंध संस्थाओं द्वारा विनियमित (Regulate) किये जाते हैं।
- ब्राउन के ऊपर डर्कहाइम का अत्यधिक प्रभाव पड़ा।

ई.ई. इवान्स प्रिचार्ड

- प्रिचार्ड ने अपना सिद्धांत A.R.R. Brown के विरोध में दिया।
- इन्होंने **'संरचना'** शब्द का प्रयोग स्थायी समूहों (कुल, राष्ट्र, जनजाति) के संदर्भ में किया है।
- इवान्स प्रिचार्ड का मानना है कि सामाजिक संरचना की बुनियादी ईकाई परिवार या घर है न कि व्यक्ति।
- इन्होने संरचना की अवधारणा **अपनी पुस्तक 'द न्यूर' (1940)** मे दी। इनके अनुसार समूहो के सदस्य बदलते रहते हैं लेकिन संरचना नही।

एस.एफ.नाडेल

पुस्तकः 'The Theory of Social Structure (1969)

नाडेल ने सामाजिक संरचना को दो आधारो पर परिभाषित किया है:

1. समाज में व्यक्ति की भूमिका क्या है, और
2. इस भूमिका के आधार पर उसे कैसा पद मिल रहा है।

नाडेल की संरचना सम्बंधी अवधारणा के तीन तत्व है:

1. आनुभाविक तथ्य
2. तथ्यों के बीच औपचारिक संबंधो के आधार पर निर्मित भाग
3. इन भागों के बीच व्यवस्थित क्रय विन्यास।

पारसन्स

सामाजिक संरचना निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवो की ही भांति समय-समय पर आन्तरिक परिवर्तनो के बाद भी निरन्तर चलती रहती है।

पारसन्स ने सामाजिक व्यवस्था को संरचना की तुलना में ज्यादा व्यापक संकल्पना माना है।

सामजिक संरचना के प्रमुख स्वरूप/प्रकार (PRINCIPAL TYPES OF SOCIAL STRUCTURE)

पारसन्स ने सामाजिक मूल्यों के आधार पर सामाजिक संरचना के चार रूपों का उल्लेख किया है। उन्होंने चार प्रकार के सामाजिक मूल्य माने है:

1 **सर्वाभौमिक सामाजिक मूल्य**-जो सारे समाज के फैले होते है और सभी लोगों

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

पर लागू होते हैं उदाहरण के लिए सच्चाई और ईमानदारी सभी समाजों में उत्तम गुणों के रूप में स्वीकार किये जाते हैं।

2 **विशिष्ट सामाजिक मूल्य** जो किसी विशेष तक ही सीमित होते हैं। उदाहरण के लिए, पतिव्रत का आदर्श हिन्दुओं में ही पाया जाता है।

3 **अर्जित सामाजिक मूल्य**- जिनका सम्बन्ध व्यक्ति के प्रयत्नों द्वारा प्राप्त किये गए पदों से होता है।

4 **प्रदत्त सामाजिक मूल्य**- जिनका सम्बन्ध जन्म एवं परम्परा द्वारा निर्धारित पदों से होता है। इन चारों प्रकार के सामाजिक मूल्यों के आधार पर सामाजिक संरचना के भी चार रूप पाए जाते हैं। **जो इस प्रकार हैं:**

(i) **सर्वाभौमिक प्रदत्त प्रतिमान**-इस प्रकार के प्रतिमानों में दो प्रकार के प्रतिमान, सार्वभौमिक एवं प्रदत्त आते है। कुछ समाज ऐसे है। जिनमें प्रदत्त प्रतिमानों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया जाता है। ऐसे समाजों में परम्परात्मक आदर्शों एक कर्तव्यों की और अधिक झूकाव पाया जाता है। **पारसंस के अनुसार**- नाजी जर्मनी ऐसे ही एक समाज का उदाहरण है जहाँ श्वेत नार्डिक प्रजाति के लोग यहूदियों से स्पष्ट भेदभाव रखते हैं।

(ii) **सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान**- इस प्रकार के प्रतिमानों में भी व्यक्ति के प्रयत्नों एवं अर्जित इन दो प्रतिमानों में दो प्रतिमानों का समावेश होता है। इस प्रकार के प्रतिमानों में व्यक्ति के प्रयत्नों एवं गुणों द्वारा प्राप्त पदों को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है। उदाहरण के लिए, सभी पूंजीवादी समाजों में सम्पति के संचय एवं अर्जन को महत्व दिया जाता है। वर्ग व्यवस्था इस प्रकार के समाजों की विशेषता है इस प्रतिमान का सबसे अच्छा उदाहरण अमरीकी समाज है।

(iii) **विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान**- इस प्रकार के प्रतिमान रक्त सम्बन्ध व स्थानीय समुदायों पर आधारित होते है। इस प्रकार की सामाजकि संरचना में व्यक्तिगत गुणों को अधिक महत्व दिया जाता है। और सामाजिक संगठन को बनाये रखने के लिए नैतिकता एवं प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किसी न किसी कार्य को करना आवश्यक माना जाता है। **पारसंस** इसकी सामाजिक संरचना का उदाहरण अमरिका के स्पैनिश अमरिकियों में देखते हैं।

(iv) **विशिष्ट अर्जित प्रतिमान**- इस प्रकार के मूल्य सार्वभौमिक के स्थान पर विशिष्ट मूल्यों पर अधिक जोर देते हैं। उदाहरण के लिए, परिवार गोत्र एंव वंश का महत्व भारत एंव चीन में ही अधिक पाया जाता है। **पारंसस** ने प्राचीन चीनी समाज में इस प्रतिमान को अधिक प्रबलता से देखा जहाँ परिवारवाद के मूल्यों की प्रधनता थी।

मर्टन

सामाजिक संरचना:

1. सामाजिक स्थितियो
2. भूमिकाओं का पारस्परिक सम्बंध है।

मर्टन ने संरचना पर प्रतिमान हीनता की दृष्टि से विचार किया है, मर्टन के अनुसार सामाजिक संरचना के विभिन्न तत्वो मे दो तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है:

1. सांस्कृतिक लक्ष्य
2. संस्थागत प्रतिमान

इन दोनों का संतुलन ही सामाजिक संरचना है।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir IC Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

हैरी. एम. जॉनसनः

जॉनसन, पारसन्स तथा शिल्स से प्रभावित है।

सामाजिक संरचना के मुख्य आधार

1. आवश्यकता
2. भूमिका
3. उप समूह

इन तीनो को मानदंडो के संदर्भ में ही समझा जा सकता है, सामाजिक आवश्यकता के अनुसार ही व्यक्ति की भूमिका का निर्धारण होता है। अपनी भूमिका पूरी करने वाले व्यक्ति के अपने उप समूह के लोगों के प्रति कुछ दायित्व होते है। इन कर्तव्यों व दायित्वो का निर्धारण मानदंडो द्वारा होता है।

रेमन्ड फर्थः पुस्तकेंः एलीमेन्ट्स ऑफ सोशल आर्गनाइजेशन (1956) **व 'सोशल चेन्जटून टिकोपिया'**

- **फर्थ ने सोलोमन द्वीप के टिकोपियाई समुदाय का अध्ययन किया।**
- फर्थ ने सामाजिक संगठन व सामाजिक संरचना मे विभेद किया है, उनके अनुसार ये दोनो स्पष्ट अवधारणाएं नहीं है बल्कि शोध से सम्बंधित साधन है।

सामाजिक संरचना	**सामाजिक संगठन**
1. अधिक बुनियादी संबंधो से जुड़ी संकल्पना है। ये संबंध समाज को आकार प्रदान करते हैं।	वास्तविक सामाजिक संबंधो मे निहित-इच्छा, अनिच्छा, पसन्द-नापसंद और निर्णयों से संबंधित होता है।
2. इस संकल्पना मे 'निरन्तरता' दिखायी पड़ती है। 'निरन्तरता' का दृष्टिकोण सम्मिलित होने के कारण पसंद-नापसंद की बात ही नहीं उठती।	इसमें 'परिवर्तन' या भिन्नता सम्मिलित है, चूंकि कि इसमें परिवर्तन हो सकता है, इसलिए पसंद-नापसंद का महत्व होता है।

संरचनावादी दृष्टिकोण

- फ्रांसीसी संरचनावादी **क्लाउड लेवी स्ट्रास** का संरचनावादियों में प्रमुख स्थान है।
- **फ्रर्डीनांड साउसोर को संरचना वाद का जनक माना जाता है, लेकिन कुर्जवेल ने लेवी स्ट्रास को संरचनावाद का जनक माना है।**
- लेवी स्ट्रास के अनुसार किसी भी समाज में प्रचलित **'सामाजिक सम्बंधो के समूह'** को सामाजिक संरचना नहीं माना जा सकता। इन्होंने बताया कि **'संरचना अनुभवाश्रित'** वास्तविकता नहीं है बस इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि सामाजिक सम्बंध सामाजिक संरचना का आधार है, सामाजिक संरचना की कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती, यह एक पद्धति है जिसे सामाजिक अध्ययनो में प्रयोग किया जाना चाहिए। यह भाषा, साहित्य, राजनीति विज्ञान जैसे विषयों के संरचनात्मक विश्लेषण की तरह है।

लुई ड्यूमा ने जाति का अध्ययन 'संरचनात्मक विधि' से किया।

- श्रेणीक्रम जाति व्यवस्था का आधार है।
- इसमें व्यक्ति की तुलना में पुरुष को अधिक महत्व दिया जाता है।
- जाति व्यवस्था के तीन बुनियादी सूत्रः
 1. वंश परम्परा
 2. श्रेणीक्रम
 3. सगोत्र विवाह है, जिससे स्वतन्त्रता, व्यक्तिवाद, स्वतन्त्रता, समानता के आदर्श धूमिल पड़ जाते हैं।

संरचना का मार्क्सवादी दृष्टिकोण : मार्क्स ने संरचना का प्रयोग इमारत या निर्माण के अर्थ में किया है, मार्क्स ने व्यवस्था शब्द का प्रयोग संरचना, इमारत, आकार आदि अर्थो में किया है इन्हें अलग कर पाना लगभग असंभव है।

Notepad

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

सामाजिक संरचना के तीन प्रमुख आधार होते हैं:

1. आवश्यकता
2. भूमिका
3. प्रस्थिति

Notepad

- **जानसन ने पारसन्स व मर्टन के विचारो को ध्यान में रखकर सामाजिक संरचना के निम्न तत्व बताएं:**
 1. विभिन्न प्रकार के उप-समूह (Sub Groups)
 2. भूमिका
 3. नियामक मानदंड
 4. सांस्कृतिक मूल्य
- **लाइट व केलर के अनुसार सामाजिक संरचना के चार तत्व होते हैं:**
 1. प्रस्थिति 2. भूमिका
 3. समूह 4. संस्था

सामाजिक संरचना की विशेषताएं

1. सामाजिक संरचना **अमूर्त** होती है।
2. संरचना में **स्थायित्व व निरंतरता** के गुण होते हैं।
3. संरचना के विभिन्न भागों में **व्यवस्थित क्रमबद्धता** होती है।
4. संरचना मे व्यक्ति व व्यक्ति के बीच पाये जाने वाले सभी सम्बंध सम्मिलित होते हैं।
5. संरचना का एक पक्ष **स्थानिकता** (Spatial) है। चूंकि सामाजिक सम्बंध स्थान सापेक्ष होते हैं जैसे जन जातिय समाज के सम्बंध, औद्योगिक समाज में सम्बंध, गांवो मे सम्बंध आदि इसलिए संरचना पर भी स्थानिकता का प्रभाव पड़ता है। वहीं समय के अनुसार संरचना के कुछ भागो में परिवर्तन तो आता है लेकिन संपूर्ण संरचना ज्यों की त्यों वही रहती है, इसी सम्बंध में **ब्राउन ने संरचना व संरचना आकार** (Form) **मे अंतर किया है।**
6. संरचना भूमिकाओं का संकलन है।
7. व्यक्ति की **गतिविधियों व क्रियाओं का मार्गदर्शन** संरचना ही करती है। परिवार में व्यक्ति का व्यवहार किसी के साथ कैसा होगा यह परिवारिक संरचना ही बताएगी।
8. संरचना **संकल्पना** भी है और **अध्ययन का तरीका भी** है।
9. सामाजिक संरचना के मूल में **मानवीय आवश्यकताएं** है।
10. सामाजिक संरचना का **आधार भूमिका व प्रस्थिति** है।
11. समुदाय, समिति, समूह, संगठन आदि सामाजिक संरचना के हिस्से हैं। इन ठोस हिस्सो के अतिरिक्त सामाजिक संरचना की **प्रकृति मूल्य परक** है। सामाजिक संरचना के मूल्य परक हिस्से के अंतर्गत प्रथा, जनरीति, मानदंड, मूल्य, प्रतीक आदि सम्मिलित है।
12. सामाजिक संरचना के विभिन्न हिस्से जैसे समुदाय, समिति, समूह, संगठन आदि एक दूसरे से प्रथाओं, जनरीतियों, मूल्यों कानूनो आदि के द्वारा जुड़े रहते हैं।
13. सभी हिस्सों के अपने प्रकार्य हैं, इन प्रकार्यों का निर्धारण भी मूल्य मानदंडो द्वारा होता है।

सामाजिक संगठन एवं सामाजिक संरचना

(SOCIAL ORGANIZATION AND SOCIAL STRUCTURE)

यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना अति आवश्यक है कि सामाजिक संगठन और सामाजिक संरचना विरोधी अवधाणाएँ न होकर दो भिन्न किन्तु परस्पर पूरक अवधारणाएँ है।

NET, JRF Manish Singh Sir BG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

सामाजिक संरचना सामाजिक संगठन का एक महत्वपूर्ण तत्व है। सामाजिक संरचना विभिन्न सामाजिक इकाइयों की एक विशिष्ट व्यवस्था है। ये विभिन्न सामाजिक इकाइयाँ वस्तुत: समूह, समितियाँ, संस्थाएँ तथा सामाजिक प्रतिमान हैं। ये इकाइयाँ परस्पर सम्बद्ध होकर सामाजिक संरचना निर्मित करती है। इसी सम्बंध के द्वारा एक निश्चित प्रतिमान निर्मित होता है जो सामाजिक संगठन के लिए अत्यंत आवश्यक है।

अत: सामाजिक संरचना के अभाव में सामाजिक संगठन की कल्पना नहीं की जा सकती और सामाजिक संगठन के अभाव में सामाजिक संरचना को कोई पृथक महत्व नहीं है। परस्पर सम्बंधित होते हुए भी इन दोनों अवधारणाओं में निम्न अंतरों को भी देखा जा सकता है।

	सामाजिक संरचना	**सामाजिक संगठन**
1.	समाज के बाह्य स्वरूप का ही बोध कराती है।	समाज की आंतरिक प्रकृति को स्पष्ट करता है।
2.	एक **अमूर्त धारणा** है। सामाजिक संरचना करने के लिए साधनों को सहारा लिया जाता है, जिन्हें देखा जा सकता है।	अपेक्षातय **मूर्त अवधारणा** है। सामाजिक संगठन को स्थापित का निर्माण करने वाली इकाईयों जैसे- संस्थाओं, एजेंसियों नियमों एंव सिद्धांतों को देखा नहीं जा सकता।
3.	अपेक्षतया एक स्थिर अवधारणा है। इसमें परिवर्तन बहुत कम या नहीं होता है।	जबकि सामाजि संगठन **परिवर्तन** का बोध कराता है, नवीन परिस्थितियों के साथ-साथ संगठन में भी परिवर्तन होता है।
4.	सामाजिक संरचना में इसकी विभिन्न इकाइयां एक प्रतिमान एंव क्रमबद्धता में बधी होती है।	सामाजिक संगठन में विभिन्न इकाइयों के प्रतिमान एवं क्रमबद्धता के स्थान पर उनकी पारस्परिक क्रियाओं पर अधिक जोर दिया जाता है।
5.	एक विशिष्ट समाज की सामाजिक संरचना एक विशेष प्रकार की होती है। इसी कारण विभिन्न समाजों की सामाजिक में संरचना में अंतर पाया जाता है।	इसके विपरीत सामाजिक संगठन के सामान्य आधारों में बहुत ही कम अंतर होने से सभी सामाजिक संगठनों के तत्वों जैसे-संगठन के नियम, सिद्धांत एवं संचार के साधनों में समानता पाई जाती है।
6.	सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न अंगों एवं उप-अंगों से होता है, जैसे -परिवार, अर्थव्यवस्था, शिक्षा-व्यवस्था, राज्य, चर्च, वर्ग समूह एंव संस्थाओं से जो सामाजिक संरचना के निर्मायक अंग है।	जबकि सामाजि संगठन एक **क्रियाशील व्यवस्था** है जिसका संचालन नियमों, सिद्धांतों एवं संचार के साधनों एवं संचार के साधनों आदि के द्वारा होता है।

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

सामाजिक व्यवस्था
(Social System)

Notepad

सामाजिक व्यवस्था शब्द मुख्य रूप से व्यक्तियों के आपसी संपर्क या सम्बंधो को बताता है, जब ये संपर्क बार बार निश्चित क्रमों मे होने लगते है तो इसे सामाजिक अन्त:क्रिया कहा जाता है, यही अन्त:क्रियाएं सामाजिक सम्बंधो के निर्माण का आधार है।

कौन सा व्यक्ति मदद करेगा, कौन इस बात की जिम्मेदारी लेगा, कौन उस बात की जिम्मेदारी लेगा आदि बातें सामाजिक व्यवस्था का आधार है। चूंकि सामाजिक सम्बंध के दो दृष्टिकोण हो सकते है एक तो जो व्यक्ति जन्म से पाता है दूसरा जो वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाता है इसी प्रकार सामाजिक व्यवस्था का ढांचा पहले से भी बना हो सकता है और उसे बनाया भी जा सकता है।

सामाजिक सम्बंध दो प्रकार के हो सकते हैं व्यक्तिगत सम्बंध तथा सामूहिक सम्बंध इसी प्रकार व्यवस्था भी व्यक्तिगत व सामूहिक दोनो प्रकार की हो सकती है। चूंकि प्रत्येक स्थिति में व्यक्ति ही व्यवस्था के केन्द्र में है इसलिए व्यक्ति को अलग से समझ कर सामाजिक व्यवस्था को समझा जा सकता है।

1. **व्यक्तिगत व्यवस्था :** व्यक्तिगत व्यवस्था का अर्थ व्यक्ति विशेष के संपर्को से जुड़ी व्यवस्था से है। चूंकि व्यक्तिगत संपर्क या सम्बंध अलग-अलग हो सकते हैं जैसे नातेदारी, रिश्तेदारी, सहपाठी आदि इसलिए व्यक्तिगत व्यवस्था में भी भिन्नता देखी जा सकती है।
2. **सामूहिक या गैर व्यक्तिगत व्यवस्था:** समूह मे सदस्यों के शामिल होने के आधार क्या हैं और उनके सम्पर्कों की प्रकृति क्या है, के आधार पर सामूहिक व्यवस्था को समझा जा सकता है। इसके सदस्यों में औपचारिकता, अधिकार, जिम्मेदारियां आदि विशेषताएं देखी जा सकती है।

व्यक्तिगत व्यवस्था की विशेषताएं

मिशेल ने अपनी पुस्तक "Social network in urban societies" मे व्यक्तिगत व्यवस्था को दो भागों में बांटा:

1. **आकार पर आधारित विशेषताएं:** आकार आधारित विशेषताओं से व्यक्तिगत व्यवस्था के स्वरूप की जानकारी होती है:
 (i) **आश्रय: व्यक्ति विशेष की अहम** (Ego) व्यवस्था का केन्द्र बिन्दु क्या है, व्यवस्था किस बिन्दु पर आश्रित है।
 (ii) **सघनता:** एक दूसरे से सम्पर्क रखने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है।
 (iii) **सुलभता :**एक की जरूरत के हिसाब से दूसरे सदस्य कितनी आसानी से मिलते हैं।
 (iv) **विस्तार :**कितनो के मध्य सीधा सम्पर्क है।
2. **सम्पर्क आधारित विशेषताएं:** इन विशेषताओं के आधार पर व्यवस्था के घटको के बारे में जानकारी मिलती है।
 (i) **स्वरूप:** वह रिश्ता जिसके आधार पर सम्पर्क होता है।
 (ii) **सम्बंधो** की दिशा कैसी है, एक तरफा सम्बंध है या द्वितरफा।
 (iii) **स्थायित्व:** सम्बंध कितने स्थायी है।
 (iv) **घनिष्ठता:** एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी का स्तर क्या है।
 (v) **बारम्बारता :** सदस्य कितनी बार व कितने समय के लिए मिलते है।

अंह (ego) **केन्द्रित व्यक्तिगत व्यवस्था:** सभी सम्बंधो का केन्द्र एक व्यक्ति (ego) होता है। प्रत्येक सदस्य का अपना अलग अहम केन्द्र हो सकता है।

Manish Singh Sir, NET, JRF, EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

यह आवश्यक नही है कि पुत्री की व्यक्तिगत व्यवस्था पिता के साथ सम्पर्क ही रखे।

पारसन्स (प्रकार्यात्मक सिद्धांत):पारसन्स के अनुसार "सामाजिक व्यवस्था आवश्यक रूप से अन्त:क्रियात्मक सम्बंधो (Iteractive Relations) का एक जाल है।"

पारसन्स ने सामाजिक व्यवस्था (System) **के निम्नलिखित तत्व बताये हैं:**

1. व्यक्तियों की बहुलता
2. उनके मध्य पारस्परिक अन्त: क्रिया
3. अन्त: क्रिया की परिस्थिति
4. अधिकतम संतुष्टि की उत्प्रेरणा
5. पारस्परिक सम्बंध
6. सम्बंधो की व्याख्या का आधार संस्कृति और समान प्रतीक

कर्ता द्वारा की गयी क्रियाओं को किसी व्यवस्था के संदर्भ में पारसंस **यूनिट एक्ट्स** (Unit Acts) कहते हैं। क्रियाओं की ये इकाईयाँ सामाजिक व्यवस्था को बनाती है। इस अर्थ में सामाजिक व्यवस्था का बुनियादी आधार यूनिट एक्ट्स है।

कर्ता (Actor) भी सामाजिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण इकाई है। कर्ता को सामाजिक व्यवस्था मे एक प्रस्थिति प्राप्त होती है और इस प्रस्थिति के अनुरुप अपनी भूमिका का निर्वाहन करता है।

पारसन्स का कहना है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाये रखने में चार प्रमुख समस्याएं सामने आती है। इन समस्याओं को पारसन्स ने **प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकता** (Functional pre-requisities or Functional Imperative) कहा, क्योंकि इन आवश्यकताओं की पूर्ति न होने पर व्यवस्था का जीवन संकट में पड़ सकता है। ये चार पूर्व आवश्यकताएं व्यवस्था के लिये प्रकार्यात्मक है और व्यवस्था के अस्तित्व को बनाये रखने वाली है:

1. **लक्ष्य प्राप्ति** (Goal Attainment)
2. **अनुकूलन** (Adoptation)
3. **लेटेन्सी** (Latency) **यानि यथास्थिति और**
4. **एकीकरण** (Integration)

यह प्रकार्यात्मक पूर्व अपेक्षाएं व्यवस्था के लिए Internal तथा Instrumental होती है।

लक्ष्य प्राप्ति : अर्थात व्यवस्था के संसाधनो को लक्ष्य प्राप्ति हेतु गतिशीलता बनाना और लक्ष्यों को वरीयता में स्थापित करना।

अनुकूलन: अर्थात पर्यावरण से प्रर्याप्त सुविधाएं प्राप्त करना।

लेटेन्सी: अर्थात व्यवस्था के प्रतिमान को बनाये रखना व तनाव दूर करना तथा

एकीकरण: अर्थात व्यवस्था की विभिन्न इकाइयों में संबंध स्थापित करना। एकीकरण का बड़ा लक्ष्य विभिन्न इकाइयों मे समन्वय व सुदृढ़ता (Soliderity) बनाए रखना है।

पारसन्स Adaptation **को 'व्यवस्था की जीवन रेखा' कहते हैं।**

प्रतिमान चर (Pattern Variable): भूमिका (Role) सामाजिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है, जिसको निभाने मे कर्ता का एक तरह को तनाव से गुजरना पड़ता है। तनाव की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि भूमिका आशा (Role Expectation) और भूमिका निर्वाह (Role Performance) कैसा है।

भूमिका आशा किसी भूमिका का सामाजिक पक्ष है और निर्वाह व्यक्तिगत पक्ष दोनो में जितना अंतर होगा तनाव उतना ही ज्यादा होगा। इस सम्बंध में पारसन्स का कहना है कि कर्ता के सामने हमेशा दो विकल्प होते है जिन्हें ध्रुवीय द्विभागीकरण (Polar Dichtomies) कहते हैं। यह द्विभागीकरण संस्कृति, मानदण्डो, भूमिका व्यवस्था के अभिस्थापनो पर निर्भर है, ये पांच द्विध्रुवीय असमजंस की स्थितियां निम्न है।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

1. भावात्मकता/भावात्मकता तटस्थता (Affectivity/Affective Neutrality)
2. विसरण/विशिष्टता (Difluseness/Specificity)
3. सर्वव्यापकता/पृथगात्मकता (Universalistic/Particularistic)
4. उपलब्धि/आरोपण (Achievement/Ascription)
5. स्व/सामूहिकता (Self/Collectivity)

सामाजिक व्यवस्था के संरचनात्मक तत्व: पारसन्स ने सामाजिक व्यवस्था के निम्नलिखित संरचनात्मक तत्व बताए हैं:

1. नातेदारी प्रणाली
2. संस्तरण: सभी समाजो में भूमिकानुसार पुरस्कारों की व्यवस्था होती है।
3. भू-क्षेत्रीयता, शक्ति और सत्ता संरचना।
4. धर्म और मूल्य का एकीकरण।

सामाजिक व्यवस्था के मानदण्डो को जॉनसन ने दो भागों में बांटा है:

1. **सम्बंधमूलक मानदंड:** सकारात्मक उत्तरदायित्व को बताते है, पिता का पुत्र के प्रति दायित्व।
2. **नियमनात्मक मानदंड:** व्यवहारो का नियमन व नियंत्रण करते हैं।

प्रकार्य (Function)

प्रकार्य का अर्थ ऐसी सामाजिक प्रक्रिया से लगाया जाता है जो समाज के रख रखाव मे सहायक होती है। **किंग्सले डेविस** कहते हैं कि समाजशास्त्र में आज जो भी कुछ है उसका तीन-चौथाई भाग प्रकार्यवाद है।

प्रकार्यवाद एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें समाज को एक दूसरे से सम्बद्ध निर्भर इकाइयों का योग माना जाता है, ये इकाईयां समाज को स्थिर व स्थायी बनाये रखने में सहायक होती है, यही इन इकाइयों का प्रकार्य है। समाजशास्त्र मे **प्रकार्य की अवधारणा का श्रेय डर्कहाइम को दिया जाता है।** डर्कहाइम ने सामाजिक जीवन को सम्पूर्ण समाज के परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास किया।

डर्कहाइम 'समाजिक जीवन के केन्द्र' के रूप में 'सामाजिक तथ्यों' की चर्चा करते हैं। उन्होंने बताया कि यही सामाजिक तथ्य लोगों के व्यवहार को बांधे रखते है, इन सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं की भांति देखना चाहिए।

डर्कहाइम के अनुसार 'सामाजिक संस्थाओं का प्रकार्य सामाजिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है।'

समझने के लिए सरल शब्दो में प्रकार्य का अर्थ **'सकारात्मक कार्य'** से लगाया जाता है, किसी इकाई का ऐसा सकारात्मक कार्य या योगदान जो सम्पूर्ण व्यवस्था के हित में होता है, उस इकाई का प्रकार्य है। जैसे: सामाजिक तथ्यों का प्रकार्य सामाजिक व्यवस्था को बनाये रखना है।

डर्कहाइम ने अपनी पुस्तकों में

1. Division of labour in Society मे श्रम विभाजन के,
2. The elimentary forms of religion मे धर्म के,
3. Rules of Sociological Method मे प्रकार्य की विशद चर्चा की है।

डर्कहाइम ने बताया कि समाज की कुछ **प्रकार्यात्मक पूर्व आकांक्षाएं या आवश्यकताएं** (Functional pre-requisities) होती हैं, इन्हीं पूर्व आकांक्षाओं की पूर्ति से समाज का स्थायित्व व निरंतरता बनी रहती है। इनकी पूर्ति सामूहिक एकता (Collective Consensus) से होती है यह सामूहिक एकता समान मूल्यो, मानदण्डों से आती है। इसी प्रकार डर्कहाइम ने सामाजिक संस्थाओं के **सामान्य** (Normal) **व व्याधिकीय** (Pathalogical) **प्रकार्यों** की चर्चा की है।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

रेडक्लिफ ब्राउन, ने डर्कहाइम की परम्परा पर चलते हुए इर्कहाइम की सैद्धांतिक रूप रेखा को स्वीकार तो किया, लेकिन दोनों में एक बुनियादी अंतर है। जिसे डर्कहाइम समाज की आवश्यकताएं कहते हैं, **ब्राउन** इन्हें **जीवित रहने की आवश्यक दशा** (Necessary Condition of existence) मानते है। इनका मानना है कि समाज का जीवित रहने के लिये सामान्य दशाओं का पता लगाना बहुत कठिन है, फिर भी प्रत्येक समाज में वे प्रकार्य प्रचलित पाये जाते हैं, जो समाज के जीवित रहने के लिये अपरिहार्य है।

डर्कहाइम ने 'अपराध के प्रकार्य' की चर्चा की है, इन्होंने बताया कि अपराध के विरोध की भावना, समाज के मूल्यों व मानदण्डो को मजबूत करती है। डर्कहाइम ने कहा है कि–'अपराध सही और सत्य चेतना को एकत्रित व मजबूत करता है।'

मैलिनॉस्की व ब्राउन ने डर्कहाइम के प्रकार्यवाद को काफी अर्थों में अपनाया है।

मैलिनॉस्की: मैलिनॉस्की ने बताया कि 'समस्त मानव संस्कृति का प्रकार्य मानव की मौलिक व आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। सभी सांस्कृतिक तत्व किसी न किसी रूप में व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।' वहीं रेडक्लिफ ब्राउन, डर्कहाइम की तरह समाज को महत्व देते हैं।

मेलिनॉस्की ने प्रकार्यवादी सिद्धांत को एक नया आयाम दिया। इनके अनुसार, कुछ ऐसी सार्वभौमिक आवश्यकताएं होती हैं, जो समाज के प्रत्येक स्तर पर पायी जाती है। इन आवश्यकताओं की प्रवृत्ति सार्वभौमिक होती है। मैलिनोस्की का कहना है कि किसी भी समाज को तीन स्तरों पर देखा जा सकता है।

1. जैविकीय
2. संरचनात्मक
3. प्रतीकात्मक

इन तीनों स्तरो पर समाज की अलग-अलग बुनियादी आवश्यकताएं होती है।

जैविकीय स्तर पर समाज अपने सदस्यों के स्वास्थ्य, पोषण, बीमारी से बचाव आदि आवश्यकताओं को पूरा करना अनिवार्य समझता है। संरचनात्मक स्तर पर समाज अपनी अखण्डता को बनाये रखना चाहता है और प्रतीकात्मक स्तर पर समाज अपनी सांस्कृतिक एकता बनाये रखना चाहता है।

मैलिनॉस्की ने बताया कि 'एक सामाजिक संस्था किन्ही आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किये जाने वाले कार्यकलापों का समूह है।' संस्थाएं ही संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण इकाइयां है।

मैलिनॉस्की ने मानव की निम्न प्रकार की मूलभूत आवश्यकताओं की चर्चा की है:

A- 1. मूल आवश्यकताएं (Basic Need)
 2. व्युत्पन्न आवश्कताएं (Derived Need)
 3. समाकलित आवश्यकताएं (Integrated Need)

B- 1. जैविकीय आवश्यकताएं (Biological Need)
 2. मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं (Psychological Need)

C- 1. शरीर पोषक (Metabolic)
 2. उत्पादक (Reproductive)
 3. शारीरिक आराम (Body Comfort)
 4. सुरक्षा (Safety)
 5. गति (Movement)
 6. वृद्धि (Growth)
 7. स्वास्थ्य (Health)

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

इनके आवश्यकता सम्बंधी सिद्धांत (Need Theory) **को:**

- सार्वभौम प्रकार्यवाद (Functional Universality)
- आवश्यकता प्रकार्यवाद (Need Functionalism) और
- व्यक्तिगत प्रकार्यवाद (Individuals functionalism)

के नामो से भी जाना जाता है।

मैलिनॉस्कीने 'जादू के प्रकार्य' की चर्चा अपनी पुस्तक "Argonauts of the western pacific" (1922) **मे की है।** इन्होने बताया कि जादू का प्रकार्य "अनिश्चितता व भय की स्थिति में व्यक्तियों की आशाओं व आस्थाओं को बढ़ावा देना है।"

Notepad

रेडक्लिफ ब्राउन

"मानव समाज कठोर प्राकृतिक नियमों से बंधी एक प्राकृतिक व्यवस्था है।" चूंकि ये डर्कहाइम से अत्यधिक प्रभावित थे इसलिए इन्होंने समाज को सर्वोपरि माना है, ये भी समाज को एक सावयव की भांति देखते थे। ब्राउन ने अपनी पुस्तक "Structure and Function in Primitive Societies" मे कहा कि "प्रत्येक व्यक्ति निश्चित सामाजिक सम्बंधो द्वारा एक समेकित इकाई से बंधा है, सावयव की भांति इस समेकित इकाई (समाज) की व्यवस्था किसी इकाई मे परिवर्तन होने से नहीं टूटती।"

रैडक्लिफ ब्राउन ने डर्कहाइम की पूर्व आवश्यकताओं को "अस्तित्व की आवश्यक शर्ते" कहा है।

रैडक्लिफ ब्राउन ने जैविक पद्धति की तीन विशेषताएं बतलायी हैं:

1. **रचना विज्ञान** (Morphology)**:** इसका सम्बंध जीव की संरचना से है।
2. **शरीर क्रिया विज्ञान** (Physiology)**:** इसका सम्बंध अंगो के तंत्र से है।
3. **विकास** (Evolution)**:** इसका सम्बंध जीव के विकास से है।

टॉलकॉट पारसन्स: AGIL **मॉडल**

राबर्ट के मर्टन: मर्टन ने प्रकार्य का आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया मर्टन ने बताया कि प्रकार्यवाद के **तीन आधार है:**

1. **समाज की प्रकार्यात्मक एकता:** आर. ब्राउन का प्रकार्यवाद।
2. **सार्वभौम प्रकार्यवाद:** मैलिनास्की का प्रकार्यवाद।
3. **अनिवार्यता:** डर्कहाइम का प्रकार्यवाद।

मर्टन ने इन तीनो आधारों की आलोचना की है।

प्रकार्य व दुष्प्रकार्य (Function and Dysfunction)

1. मर्टन ने बतलाया कि धर्म सदैव एकीकरण का काम करता है, यह गलत है कई जगह यह समाज व समूह को विखंडित भी करता है। यह विखंडन धर्म का दुष्प्रकार्य है।
2. जिस प्रकार एक ही वस्तु के कई प्रकार्य हो सकते हैं उसी प्रकार कई वस्तुओं का एक ही प्रकार्य हो सकता है।

प्रकार्य तथा अकार्य में अंतर

प्रकार्य (Function)	**अकार्य** (Dysfunction)
1. प्रकार्य वे कार्य है जो कि सामाजिक व्यवस्था व संगठन बनाये रखने में सहायक सिद्ध होते हैं।	अकार्य सामाजिक व्यवस्था व संगठन के लिए को घातक सिद्ध होते है।
2. सामाजिक आवश्यकताओं व लक्ष्यों की पूर्ति होती है।	सामाजिक हितों का हनन मात्र होता है।
3. प्रकार्य उन कार्यों का प्रतिनिधित्व करता है जो कि समाज द्वारा मान्य होती है।	समाज विरोधी होने के कारण समाज द्वारा अमान्य होती है।

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

4.	प्रकार्य को करने वाले लोगों की समाज द्वारा प्रशंसा की जाती है।	इसके विपरीत, अकार्यों की समाज सदा ही निन्दा करता है। ऐसे कार्यों के लिए दण्ड देने की भी व्यवस्था होती है।
5.	प्रकार्य सकरात्मक होती है।	नकारात्मक होती है।
6.	प्रकार्य 'उचित' कार्य है।	'अनुचित' कार्य है।

प्रकट व अप्रकट प्रकार्य (Manifest and latent function): प्रकट प्रकार्य किसी सामाजिक व्यवहार के परिणाम है जो

1. अभीष्ट (Intended)
2. प्रत्याशित
3. स्वीकृत हैं।

अप्रकट प्रकार्य सामाजिक व्यवहार के वे परिणाम है जो

1. न तो अभीष्ट है और
2. न ही स्वीकृत

मर्टन ने इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है, उत्तरी एरिगेना के होपी इंडियन लोग वर्षा के लिए गाँव के बाहर आग जलाकर धुँआ करते हैं। उनका विश्वास है कि यह धुँआ बादलों के समान है, अत: वर्षा लाएगा। इस उत्सव का प्रगट प्रकार्य महत्वपूर्ण नहीं, किन्तु अप्रगट प्रकार्य अधिक महत्वपूर्ण है। जब लोग एकत्रित होते हैं तो उनमें एक-दूसरे के सुख-दुख में एक होने के भाव पनपते हैं तथा सम्बंधो में घनिष्ठता पैदा होती है।

थर्स्टिन वेबलेन ने अपने **'विलासी वर्ग के सिद्धांत'** (The Theory of the Leisure Class) मे बताया कि 'विलासी वर्ग' के लोग **'दिखावे के लिए उपभोग'** करते हैं। ये लोग मंहगी वस्तुएं खरीदते हैं।

बेबलीन का मत है कि मँहगी वस्तुएँ खरीदने का प्रगट प्रकार्य यह है कि वे वस्तुएँ अच्छी हैं, किन्तु अप्रकट प्रकार्य यह है कि इससे व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है।

'नकार्य' (Non-function) की अवधारणा **मर्टन द्वारा** दी गई, जबकि अनुकुलनशीलन कार्य (Eu-function) की अवधारणा **मेरियन जें. लेवी** (M.J. levy) द्वारा प्रस्तुत की गयी।

नकार्य (Non-function) वह स्थिति है जबकि संरचना की कोई इकाई किसी भी प्रकार्य का कार्य (प्रकार्य या अकार्य) न करते हुए भी संरचना के अन्तर्गत ही बनी रहती है अर्थात् संरचना में उसका कोई कार्य न होते हुए भी उसका अस्तित्व बना रहता है।

अनुकुलनशील कार्य (Eu-function) **मेरियन जे. लेवी:** वह स्थिति या अवस्था है जबकि समय के बदलने के साथ-साथ परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुसार एक इकाई अपने कार्यो को इस भाँति परिवर्तित करती जाती है कि उसका सफल अनुकूलन परिवर्तित परिस्थितियों, आवश्यकताओं या उस संरचना से संभव हो जिसका कि वह एक भाग है, ताकि उसके अस्तित्व की निरन्तरता बनी रहे।

प्रकार्यात्मक विकल्प (Functional Alternatives): इस अवधारणा का **विकास मर्टन से सम्बंधित है**। जब किसी व्यवस्था के प्रकार्यो के लिए कई वैकल्पिक प्रकार्य मौजूद हो तो इसे प्रकार्यात्मक विकल्प कहा जाता है। इन्होने इसके माध्यम से सामाजिक परिवर्तन को समझाया।

अन्य अवधारणाएं (मर्टन)

1. मध्य सीमा सिद्धांत (Middle Range Theory)
2. प्रकार्यात्मक प्रैराडॉयम (Functional Paradim)
3. एनोमी का सिद्धांत।

Notepad

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

अनुरूपता
(Conformity)

Notepad

अनुरूपता की अवधारणा **सरंचनात्मक-प्रकार्यात्मक** अवधारणा है ,जिसकी व्याख्या **राबर्ट के मर्टन** ने किया है। इन्होंने सामाजिक संरचना को स्थायित्व और निरंतरता देने के लिये अनुरुपता शब्द की व्याख्या की। अनुरुपता की स्थिति ऐसी होती है। जिसमें

1. यह अपेक्षा की जाती है कि लोग अपने व्यवहार में सामाजिक संरचना के मानदण्डों और मूल्यों को अपनायेगें।
2. समान्यतया सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है । जिस समाज में जितनी अधिक अनुरूपता होगी वह समाज उतना ही अधिक संगिठत होगा। लेकिन यह मानना है कि समाज हमेशा मानदण्डों और मूल्यों को या सामाजिक साधनों और साध्यों को अपने व्यवहार में लाता ही हो, यह सम्भव नही है। कभी कभी लोग लक्ष्यों की प्राप्ती में साधनो को त्याग देते हैं।

- **थियोडोरसन एवं थियोडोरसन** के अनुसार, 'सामाजिक समूह की प्रत्याशाओं (Expectations) के अनुसार व्यवहार करना ही अनुरूपता है'।
- **मर्टन** के अनुसार 'अनुरूपता का सामान्य अर्थ यह है कि व्यक्ति जिस समूह का सदस्य है, उसमें प्रचलित मानण्डों एवं प्रत्याशाओं के अपुरूप व्यवहार करे।'
- **जॉनसन** के अनुसार 'अनुरूपता की दो विशेषताएँ हैं। यह एक क्रिया है।
 (i) जो सामाजिक मानदण्डों की ओर अभिमुख (Oriented) होती है। तथा
 (ii) सामाजिक मानदण्डों द्वारा स्वीकृत होती है।
- **अनुरूपता की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-**

1. अनुरूपता का सम्बन्ध सामाजिक मानदण्डों से है।
2. अनुरूपता की क्रिया सामाजिक मानदण्डों द्वारा स्वीकृत होती है।
3. अनुरूपता समाज में संगठन तथा व्यवस्था बनाये रखने में सहायक होती है।
4. अनुरूपता की प्रकृति प्रत्येक समाज में भिन्न-भिन्न होती है।
5. अनुरूपता व्यक्ति को अपने कर्तव्यों एवं अधिकारों दोनों का ज्ञान कराती है।

- **जॉनसन** ने अनुरूपता के निम्नलिखित कारण बताये हैं जिसके कारण मनुष्य सामाजिक मानदण्डों के अनुरूप व्यवहार करता है-
 1. सामाजीकरण
 2. विसंवाहन (Insulation)
 3. पद सोपान
 4. सामाजिक नियन्त्रण
 5. विचारधारा
 6. निहित स्वार्थ,
 7. आवश्यकता पूर्ति
 8. समूह का दबाव
- **बी. कुप्पुस्वामी** ने अनुरूपता के दो कारण बताये हैं-
 1. व्यक्ति की आवश्कताए एवं 2 समूह दबाव।

NET JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

विचलन
(Deviance)

Notepad

संस्थागत अपेक्षाओं के विपरीत व्यवहार विचलन माना जाता है। चूंकि मानदंड समय व स्थान सापेक्ष होते हैं इसीलिए विचलन भी समय व स्थान सामेक्ष होत है क्योंकि स्थापित मानदंडों, नियमों, समाजिक अपेक्षओं के अनुरूप व्यवहार न करना विचलन माना जाता है। जो व्यवहार एक समाज में विचलित माना जाएगा आवश्यक नहीं कि दूसरे समाज में विचलित माना जाए। जैसे वैश्यावृति भारत में विचलित व्यवहार मानी जाती है, वहीं कुछ यूरोपीय देशों में इसे सामाजिक स्वीकृति मिली हुई है। अत: हम यह भी कह सकते हैं कि ऐसे व्यवहार जिन्हें सामाजिक स्वीकृति नहीं मिली होती विचलन के अन्तर्गत आते हैं। समय सापेक्ष से विचलन का तात्पर्य यह है कि एक समय में जो व्यवहार विचलित माना जा रहा है, हो सकता है कि उसी समाज में कुछ समय बाद विचलित न माना जाए । जैसे 19 वी शताब्दी के प्रारंभ तक जो स्त्री अपने पति की चिता के साथ सती नहीं होती थी विचलित मानी जाती थी, वर्तमान में ठीक इसका उल्ट है।

सामाजिक हैसियत (Socal status) भी विचलन की परिभाषा को प्रभावित करती है, जैसे स्त्रियों के लिए भारतीय समाज में 'विचलन' के लिए भारतीय समाज में विचलन ज्यादा बड़े संदर्भ में लिया जाता है वहीं पुरुषों के बहुत से व्यवहार को स्वीकृति मिली हुयी है जैसे पुरुष स्त्री के ऊपर हाथ उठाए तो उसे विचलन नहीं माना जाता वहीं अगर स्त्री पुरुष के ऊपर हाथ उठाए तो इसे विचलन माना जाता है। इसी प्रकार विचलनों में 'क्रम' भी देखा जा सकता है, कुछ विचलन समाज के लिए अधिक हानिकारक माने जाते है तो कुछ कम।

जॉनसन के अनुसार विपथगामी व्यवहार का कारण सामाजिक संरचना में निहित होते है, अर्थात विपथगामी व्यवहार के कारण समाज के भीतर ही होता है। जॉनसन ने विपथगामी व्यवहार के ग्यारह कारण बतायें है:-

1. समाजीकरण का अभाव या गलत समाजीकरण,
2. दुर्बल अनुशास्तियाँ
3. कानून लागू करने में कमी,
4. तर्कीकरण की सरलता अर्थात गलत बात को सही सिद्ध करना,
5. सामाजिक मानदण्डों की अनिश्चित सीमा होना,
6. उल्लंघनकारी व्यवहार को गोपीनया ढंग से सम्पन्न करना,
7. अनुचित व भ्रष्ट ढंग से कानून का प्रवर्तन
8. अपराधी को सहयोग
9. सामाजिक नियंत्रण के अभिकरणों का उदासीनता
10. उपसंस्कृति द्वारा विपथगामी व्यवहार की वैद्धकरण
11. विपथगामी समूहों के प्रति वफादारी की भावना

संक्षेप में समाज के स्वीकृत मार्ग से हटकर जब लोग व्यवहार करते हैं तो इसे ही तकनीकी भाषा में विपथगमन कहा जाता है। **हावर्ड बेकर** ने अपने पुस्तक "Sociology of deviance" में लिखा है कि समाज द्वारा स्वीकृत नियम का उल्लंघन ही विपथगमन है। इनका मानना है कि विपथगामन का सम्बन्ध सामाजिक संरचना से है।

विचलन के प्रकार:- हार्टन व हंट ने तीन प्रकार के विचलनों की चर्चा की है:

1. **सांस्कृतिक व मनोवैज्ञानिक विचलन:**

- सांस्कृतिक विचलन में व्यक्ति संस्कृति के मानदंडों से विचलित व्यवहार करता है।

NET JRF Manish Singh Sir EC Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

- जब व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के मनोवैज्ञानिक व स्नायु विम (Nurotic) संगठन में मानदंडों से विचलित होता है तो इसे मनोवैज्ञानिक विचलन कहते है।।
- एक ही व्यक्ति में मनोवैज्ञानिक व सास्कृतिक दोनों प्रकार के विचलन देखे जा सकते हैं।

2. **व्यक्तिगत व सामूहिक विचलन:** जब एक व्यक्ति, उपसस्कृति के मानदंडों का पालन नहीं करता ता इसे व्यक्तिगत विचलन कहा जाता है। जैसे सभ्रान्त घर का लड़का नशेड़ी निकल जाए।

वहीं जब एक उपंस्कृति मुख्य संस्कृति की विरोधी हो जाती है तो इसे सामूहिक या समूह विचलन कहते है। जैसे हिप्पी उपसंस्कृति।

3. **प्राथमिक व माध्यमिक विचलन:** कभी कभी व्यक्ति ऐसे छोटे-छोटे विचलन करता है जो उसके व्यक्तिव व व्यवहार का हिस्सा नहीं है, जैसे बिना टिकट यात्रा करना। इसे प्राथमिक विचलन कहा जाता है यानि पहले-पहल का विचलन समाज इसके लिए व्यक्ति को दंड नही देता, व्यक्ति के विचलित व्यवहार को छिपाया जाता है।

वहीं माध्यमिक विचलन वह है जिसे व्यक्ति जानबूझकर करता है, जैसे डकैती डालना, चोरियां करना। अगर समाज इसके लिए व्यक्ति को दंड देता है तो सजा के बाद भी व्यक्ति ऐसे विचलित व्यवहार को करना पसंद नहीं हैं

- **डिनित्ज ने पाँच प्रकार के विचलनों की चर्चा की है:**

1. **सनकी** (Freak): सनकी वे होते है जो सामान्य व्यवहार के अंन्तिम छोर पर होते है। जैसे: भारतीय संस्कृति में बड़ों के मिलने पर अभिवादन करने की प्रथा है, अगर कोई व्यक्ति अपने से बड़ों से मिलने पर सम्मान न देकर ऐंठकर चला जाए तो उसे सनकी कहा जायेगा। यहां अन्तिम छोर का मतलब यह है कि वह सम्मान नहीं दे रहा, अब बस गाली देना ही बचा है।
2. **गुनहगार** (Sinner): ऐसे विचलन को धार्मिक मूल्यों, मानदंडों के पालन न करने वाले व्यवहार के रूप में जाना जाता है। जैसे वह धर्म संगत आचरण नहीं कर रहा है, वह पाप का भागीदार है।

 ऐसे विचलित लोग दो तरह के हो सकते हैं।
 (i) विधर्मी (Heretic)
 (ii) धर्मत्यागी (Apostate)
3. **अपराधी** (Criminal): इसमें विचलन को कानून (पारित कानून) के अनुसार 'अपराधी' माना जाता है।
4. **बीमार** (Sick): ऐसे विचनों को बीमारी का शिकार माना जाता है। या इन्हें मानिसक रोगी कहा जा सकता है। जैसे नसेड़ी, जुआरी, समंलिगी। इसमें दो भाग होते हैं:-
 (i) सामान्य रुप से बीमार (मानसिक रोगी)
 (ii) असामान्य रुप से बीमार (मानसिक रोगी)
5. **असंगत** (Alienated): वे समाज में तो हैं मगर समाज में नहीं है। जैसे:- हिप्पी

विचलन की व्याख्या के सिद्धान्त:-

विचलन की जैविकीय व्यख्या (Biological Theory of Deviance or Atavistic Theory) **सी० लाम्ब्रोसो तथा शेल्डन**

- आदमी जन्मजात अपराधी होता है- **लाम्ब्रोसो**
- **शेल्डन** ने 'शारीरिक रचना के आधार पर' तीन प्रकार के व्यक्तियों की चर्चा की है-
 (i) **गोलाकार** (Endomorphs): मोटे लोग, गोलमटोल, थुलथुल
 (ii) **मध्याकार** (Mesomorphs) : मजबूत पेशियों वाले,गठीले

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

(iii) **एक्टो मार्फ** (Ectomorphs): दुबले-पतले, कमजोर

शेल्डन ने बतलाया कि 'मध्यकार' वाले लोगों में अधिक विचलन पाया जाता है।

विचलन के मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त: विचलन के मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त फ्रायड(सिगमंड फ्रायड) के विचारों पर आधारित है। फ्रायड को मानने वालों में विचलन को Super Ego (पराहंम) व विवेक से जोडा है। फ्रायड से प्रभावित होकर **जान डोलार्ड** ने **कुंठा आक्रामकता सिद्धान्त** (Frustration -Aggression theroy) का प्रतिपादन किया है । डोनार्ड ने बताया है की व्यक्ति असफल होने पर कुंठित हो जाता है, जिसके कारण इसमें आक्रमकता आ जाती है। विचलन के मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों में व्यक्तित्व के गठन, उद्देश्य, शिक्षा, निराशा, अहं, चिंता , अपराध आदि व्यक्तिपरक कारणों के साथ व्यवहार के सामाजिक संदर्भ पर भी ध्यान दिया जाता है।

Notepad

विचलन के समाजशास्त्रीय सिद्धान्त

एनोमी (Anomie) **(मानदंडहीनता): दुर्खीम ने सर्वप्रथम** समाजशास्त्रीय साहित्य में एनोमी शब्द का प्रयोग किया इन्होनें **"आत्महत्या"** नामक पुस्तक **"एनोमीक आत्महत्या"** का जिक्र किया है। इन्होंने पहली बार आत्महत्या के विश्लेषण में एनोमी का उल्लेख किया था।

इसके अनुसार यह वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति पर सामाजिक नियंत्रण का अभाव हो जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब व्यक्ति पर समाज का नियंत्रण कम हो जाता है तो वह आत्महत्या कर लेता है।

- आधुनिक समाजशास्त्र में **"मर्टन"** ने एनोमी का सम्बन्ध विचलन में जोड़ा है। एनोमी की दुर्खीम द्वारा दी गयी अवधारणा में मर्टन की अवधारणा थोड़ी भिन्न है। जहाँ दुर्खीम ने **"एनोमी"** की अवधारणा केवल आत्महत्या के प्रकार के रूप की थी वही **मर्टन** ने इसका प्रयोग **"सामाजिक संरचना"** के संदर्भ में किया है। मर्टन कहते है कि जब व्यक्ति संस्कृति और सामाजिक संरचना की अवहेलना करता है तब वह विचलन की अवस्था में पहुच जाता है। मर्टन के अनुसार जब संस्कृति लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये संस्थागत साधनों में निरन्तरता नही रहती यानि दोनों में अन्तर बढ़ जाता है,तो यह एनोमी की स्थिति होती है।

मर्टन अपनी पुस्तक "Social throry and social structure"(1965) में एनोमी को सामाजिक और सांस्कृति संरचना के माध्यम से समझते हुये कहते है कि प्रत्येक समाज में दो तत्व अनिवार्य रूप से पाये जाते हैं।

(i) समाज या समूह के संस्कृति लक्ष्य (Cultural goal)

(ii) संस्थागत साधन (Institutional means)

प्रत्येक समाजिक संरचना के कुछ सांस्कृतिक लक्ष्य (Goals) होते है, जिन्हें संस्थागत साधनों द्वारा प्राप्त किया जाता है। सांस्कृति लक्ष्य वे होते है, जिन्हें समाज या समूह की संस्कृति वैद्य समझती है, समाज के कई लक्ष्य होते है लेकिन ये लक्ष्य लगभग मिले जुले होते है । इन लक्ष्यों को साध्य भी कहा जा सकता है।

प्रत्येक समाज में जहां सास्कृतिक लक्ष्य होते है, वही उन्हें प्राप्त करने के वैद्य साधन भी होते है। इसी वैद्य साधन को संस्थागत साधन कहा जाता है। समाज द्वारा वैद्य समझने वाले ये साधन, मानदण्डों और मूल्यों के अतिरिक्त, रीतिरिवाजों और सामाजिक नीतियों को भी सम्मिलित करते हैं।

वास्तव मे साधन वे है जो व्यक्ति के अनुकूलन को नियंत्रित करते है,जिस किसी भी समाज में अगर विचलन की आवृति न्यूनतम है, तो इसका अर्थ यह है कि लोग सांस्कृतिक लक्ष्यों और संस्थागत साधनों को एक साथ लेकर चलते है।

लेकिन सदैव ऐसा ही होता है, यह देखने में नही आता है। कभी तो समाज सांस्कृतिक लक्ष्यों की प्राप्ति पर अधिक जोर देता है तो कभी संस्थागत साधन पर।

Manish Singh Sir NET, JRF EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

इस संदर्भ में मर्टन कहते है कि मनुष्य के व्यवहार का अनुकूलन विभिन्न स्थितियों में पाँच प्रतिमानों से अनुकूलन कर सकता है।

	अनुकूलन	सांस्कृतिक लक्ष्य	सांस्कृतिक साधन
1.	अनुरूपता (Confomity)	+	+
2.	नवाचार (Inovation)	+	–
3.	संस्कारिता (Retualism)	–	+
4.	प्रत्यवर्तन (Retreatism)		–
5.	विद्रोही (Rebellion)	–	–

+ चिन्ह स्वीकृति, – चिन्ह अस्वीकृति तथा-दोनों को नही मानता।

अनुरूपता की स्थिति में समूह के सदस्य सांस्कृतिक लक्ष्यों और संस्थागत साधनों को समान रूप से स्वीकार करते है। व्यक्ति के अनुकूलन के व्यवहार को इस किस्म में व्यक्ति समाज के लक्ष्यों को भी स्वीकार करता है, और इसे प्राप्त करने के लिये वैद्य साधनों को भी प्रयोग में लेता है। इसके लिये मर्टन ने सकरात्मक (+) चिन्ह का प्रयोग किया है।

नवचार की स्थिति मे व्यक्ति लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये भरसक प्रयास करता है लेकिन इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये समाज अनुमोदित साधनों को अपर्याप्त समझता है उसको यह विश्वास हो जाता है कि उपलब्ध वैद्य साधनों द्वारा। द्वारा वह निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्त नही कर सकता है ।

अत: उसके लिये यह आवश्यक हो जाता है कि नये साधनों की खोज करें। व्यवहार के इस प्रतिमान में मर्टन सांस्कृतिक लक्ष्यों के लिये (+) का प्रयोग करता हैं और साधनों के लिये (–) को प्रयोग करता है, इस व्यवहार की विशेषता यह है कि इसमें व्यक्ति साध्य स्वीकार करता है, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिये नये साधनों को अपनाता है, परम्परागत साधनों को नही।

सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षा सिद्धान्त:-

ऐसे सिद्धान्तो में उन प्रक्रियओं पर ध्यान दिया जाता है जिनसे होकर विचलन कार्य सीखे जाते हैं। इसमें दो प्रमुख सिद्धान्त है:-

1. **संस्कृतिक संचरण या उपसंस्कृति सिद्धान्त:** (Cultural Transmission or sub culthre Theory) शिकागों स्कूल का सिद्धान्त।
 एक समग्र संस्कृति में उप संस्कृतियां पायी जाती है, जब उपसंस्कृति (कोई) मुख्य संस्कृति या समाज विरोधी हो जाती है तो इसे संस्कृति संरचरण-संस्कृति विचलन कहते है। संख्य संस्कृति का विरोध करने वाले व्यक्ति को उपसंस्कृति वाले समूह का समर्थन मिलता है। जैसे गंदी बस्ती में अपराध को बढ़ावा दिया जाना।
2. **विभेदक सम्बन्ध सिद्धान्त** (Rifferential Association theory) सदरलैण्ड (शिकागों स्कूल) का सिद्धान्त।
 अपराधी व्यवहार सीखा जाता है।:- **सदरलैण्ड**

सदरलैण्ड ने कहा कि समूह में व्यक्तियों के विचलित आचरण में निरंतरता, अवधि,प्राथमिकता, और गहनता की दृष्टि से अन्तर हो सकता है, यह इस तथ्य पर निर्भर करता है कि व्यक्तियों ने अलग अलग मानदंड वाले समूहों के साथ अपना कितना- कतना समय गुजारा है समूहों में सम्मिलित होने के 'अंतर विभेदक सम्बन्ध ' के रूप में जाने जाने जाते हैं।

लेबल सिद्धान्त: (Labelling theory) इससे बेकर, गॉफमैन, लेमर्ट, स्कूर आदि जुडे हुये हैं।

जब किसी व्यक्ति या समूह को विचलक (Deviant) का लेबल (ठप्पा)लगा

Notepad

NET JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

दिया जाता है तो वह धीरे-धीरे अपने को विचलित समझने लगता है।

यह तीन चरणों में होता है:

(i) समाज या समूह कुछ व्यवहारों को विचलित या विचलक (Dewiant)घोषित करता है।

(ii) व्यक्ति जिनसे वह अक्सर मिलते है वे उसे इन व्यवहारों के संदर्भ में विचलित घोषित करते हैं।

(iii) सरकारी या संगठन के सदस्य भी उसे विचलक घोषित कर देते हैं, और वह व्यक्ति विचलित (Deviant) का जीवन जीने को बाध्य हो जाता है।

इस सिद्धान्त का सम्बन्ध **मीड़** के **'प्रतीकात्मक अन्त:क्रियावाद'** व **गाफमैन एवं सिसौरेल के 'किशोर न्याय विश्लेषण'** से है।

- **बेकर** की पुस्तक का नाम **"आउट साइडर्स"** है।
- **द्वन्द सिद्धान्त** (Conflict Theory): **समर्थक 'क्विने'**
 समूहों के मूल्य आपस में विरोधी होते है, ताकतवर समूह कमजोर समूह के मूल्यों को विचलित (Deviant) घोषित कर देता है।
- **बाध्यता मूलक सिद्धान्त** (Constraint theory) **:** समर्थक F.Thrasher(Book-the Gana) व्यक्ति समाज के दबाव में 'अनुरूपता' प्रदर्शित करता है, सामाजिक दबाव के रहते ही वह विचलित व्यवहार करने लगता है।
- **कुंठा सिद्धांत** (Fristration theory)**: (समर्थक अल्वर्ट कोहेन)**जब व्यक्ति सामाजिक अनुरूपता के बावजुद असफल हो जाता है। तो वह कुंठा मे सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन करने लगता है।

अनुशास्ति (Sanction)**:** अनुशास्ति (Sanction) का तात्पर्य उस व्यवस्था से है जो किसी व्यक्ति की अच्छे कार्य के लिय पुरस्कार एवं गलत कार्य के लिए दण्ड की व्यवस्था की स्वीकृत प्रदान करती है। अनुशास्ति द्वारा मानदण्डों व मूल्यों को बनाये रखा जाता है।

अनुशास्ति को दो भागों में बॉटा जा सकता है-

(i) **सकारात्मक अनुशास्ति:** वह है जो कार्य को अपेक्षित मानता है और जिसके करने पर सामाजिक सम्मान में वृद्धि होती है। सकरात्मक अनुशास्ति में बहुधा प्रशंसा करना, पदक व पुरस्कार देना साधुवाद, देना आदि सम्मिलित होते हैं।

(ii) **नकारात्मक अनुशास्ति:** वह कार्य है जिसे करने पर सामाजिक प्रतिष्ठा गिरती है। समाज जिसे बुरा समझता है । कारावास, अर्थदण्ड, देशनिकाला, नकरात्मक अनुशास्ति का उदहारण है। भारत में स्त्रियों पर हाथ उठाना नकारात्मक अनुशास्ति है।

जब समाज में अनुशास्तियां कमजोर हो जाती है तो व्यक्ति सही आचरण नहीं करता क्योंकि उसका उचित पुरस्कार उसे नही मिल पाता तथा गलत आचरण इसलिये करता है कि उसे उसका दण्ड नही मिलता इसलिये वह विपथगामी व्यवहार की ओर अग्रसर होता है।

संक्षेप में कुछ विशिष्ट प्रकार के व्यवहार को प्रोत्साहित अथवा हतोत्साहित करने हेतु व्यक्ति को दिया जाने वाला पुरस्कार अथवा दण्ड की व्यवस्था को अनुशास्ति कहा जाता है।

- **जैफरे** ने अपराध के सन्दर्भ में **" सामाजिक अलगाव सिद्धान्त"** (Social Alienation theory) का प्रतिपादन किया । (अलगाव शब्द,मार्क्स से जुडा हुआ है)
- **अल्बर्ट** रिज ने **"विभिन्नता युक्त नियंत्रण सिद्धान्त"** (Differential control theory) दिया।

Notepad

NEET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

- **टैफ्ट** के अनुसार **"अपराध सांस्कृतिक असन्तुलन की उपज"** है।
- **लेम्ब्रोसो ने अपराधियों को पांच भागों में बाटा है:**
 1. जन्मजात अपराधी
 2. विक्षिप्त अपराधी
 3. आकस्मिक अपराधी
 4. अभ्यस्त अपराधी
 5. आवोग युक्त अपराधी
- सदरलैण्ड ने **"निम्नवर्ग के अपराधी" और "श्वेतवसन अपराधी"** की बात की है।

Notepad

अन्य विशेष बाते:-

- **वेकर** के अनुसार **'कानूनन जो व्यवहार प्रतिबंधित'** है, वही अपराध है।
- **सदरलैण्ड** ने अपराध को **'सामाजिक घटना'** माना
- ऐसा व्यवहार जो समूह द्वारा बहिष्कृत है और उस पर दंड दिया जाता है अपराध है: **इलियट मेरिल**
- **अपराध का शास्त्रीय सिद्धान्त: (प्रतिपादक "बोकारियों")**। व्यक्ति अपारध केवल उसी स्थिति में करता है जब उसे दुख की अपेक्षा सुख अधिक मिलता है, यह सिद्धान्त सुख सम्बन्धी मनोविज्ञान पर आधारित है।
- **अपराध का भौगोलिक सिद्धान्त: (प्रतिपादक क्वेटलेट व ग्वैरी)**। इस सिद्धान्त के अनुसार अपराधों का कारण जलवायु, ऋतुऐ, अथवा प्रतिकूल प्राकृतिक दशाएं है।
- मर्टन विपथगमन को एक ऐसा **ब्लैंक चेक** मानते है जिसमें कोई भी रकम भरी जा सकती है। इन्होनें विचलन के अन्तर्गत अपराध, बाल अपराध, वैश्यावृत्ति मद्यपान आदि को सम्मिलित किया है। इसमें इन्होने अब एनोमी को भी सम्मिलित कर दिया है। इसी कारण मर्टन विचलन को एक ब्लैंक चेक मानते है।
- **एलेक्स इकल्स** के अनुसार जब कोई व्यक्ति समाज के उन दण्डों और मूल्यों का उल्लंघन करता है जिन्हें समाज बहुत गम्भीरता से लेता है, विपथगमन कहलता है।

इनका माना है कि समाज के मूल्यों व मानदण्डों का उल्लंघन विचल नहीं है। लेकिन यदि व्यक्ति समाज के उन मूल्यों व मानदण्डों का उल्लंघन करता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिनकी समाज चिन्ता करता है, तो यही विपथगमन है। अर्थात मुख्य और केन्द्रीय मूल्यों की अवेहलना ही विचलन है।

- **मर्टन के अनुसार** "विपथगमन स्वयं संस्कृति एवं संरचना का ही परिणाम है" इनका मानना है कि विचलन व्याधिकीय व्यक्तियों (Pathological Personalities) का परिणाम नही है।
- **ई० एम० लेमर्ट** ने 'प्राथमिक और द्वितीयक विचलन' के विषय में चर्चा की है। लेमर्ट का कहना है कि हर समाज में ऐसे लोग रहते है जो समय-समय पर सामाजिक नियमों का उल्लंघन करते हैं। कुछ सामाजिक नियमों के उल्लंघन से सामाजिक ढांचे की अस्मिता को कोई खतरा पैदा नही होता या क्षति नही पहुचती है। ऐसे व्यवहार की अक्सर उपेक्षा कर दी जाती है। इसका परिणाम यह होता हैं कि अगर कोई व्यक्ति कोई विपथगामी व्यवहार करता भी है तो खुद को विपथागमी नही मानाता है। लेमर्ट इस तरह के विपथगमन को प्राथमिक विपथगमन का नाम देते है।
- लेकिन यदि ऐसे क्रिया कलाप जो सामाजिक ढांचे की अस्मिता को खतरा पैदा करती है और दोषी व्यक्ति की सार्वजनिक तौर पर विपथगमन कहा जाता है,

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

तो वह खुद को भी विपथगमन व्यक्ति के रूप में देखने लगता है और इसी तरह का आचरण करने लगता है। लेमर्ट इस तरह के व्यवहार को **"द्वितीयक विथगमन"** कहते हैं। संक्षेप में लेमर्ट **"सोसाइटल रिएक्शन"** को विचलन का कारण मानते हैं।

- **फ्रेड्रिक थ्रेसर** ने शिकागों में 1313 बाल अपराधी गिरोहों का पता लगाया। बाल अपराध के विषय में सुप्रसिद्ध अध्ययन **एफ० व्हाइट** की पुस्तक **"स्ट्रीट कार्नर सोसाइटी"** और **ए० के० कोहेन** की पुस्तक **"डिलिक्यूंट ब्वॉयज"** है। **एफ० व्हाइट** ने जहाँ अपराधी गिरोह की प्रकृतिक और संरचना पर प्रकाश डाला है वहाँ कोहेन ने बाल क्षेत्र की अवधारणा को स्वीकार किया है।

विश्व के महानगर तथा बड़े नगर अपराध तथा बाल अपराध हेतु अनुकूल अवसर प्रदान करते हैं। अपराध तथा नगर आकस्मिक रूप से परस्पर जुडे हुये है। **क्लीनार्ड** ने आयोवा (IOWA) सुधार गृह के ग्रामीणों के एक अध्ययन में पाया कि नगर जीवन के लक्षणों की अपराधिक व्यवहार में महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

नगरीकरण की बढती दर के साथ अपराध की दर भी बढती जाती है, सभी बड़े नगरों में अपराधिक टोलियां (Criminal gangs) जो संगठित अपराधों में संलग्न रहती है पायी जाती है।

पाश्चात्य समाजों में **"अकुशल श्रमिकों"** को अपराध के क्षेत्र में **ब्ल्यू कॉलर शर्ट** "Blue Collar Shirt" तथा कार्यालय जाने वाले लोगों को सफेदपोश (White collar) के नाम से जाना जाता है। साधारणतया यह माना जाता है कि **'ब्ल्यू कॉलर'** ही अपराधों में लिप्त रहते है। लेकिन नगरों में खासतौर से उन नगरों में जो तेज गति से हो रहे नगरीकरण के शिकार हुए है, वहाँ सफेदपोश अपराध (White Collar crimes), जो व्यवहार अथवा व्यवसाय की आचार संहितया नियमों को भंग करके होते है, काफी बड़ी तादाद में पनप रहे है।

- निम्नवर्ग गंदी बस्तियों (झोपड पट्टियों) की अपनी संस्कृति होती है। जिसे **मार्शल क्लीनार्ड** ने **"जीवन की एक शैली"** व **आस्कर लेविस** ने **'गरीबी की संस्कृति'** कहा।

बाल अपराध (Juvenile Deliquency)

एक निश्चित आयु से कम बच्चा जब कानून के द्वारा निषिद्ध कोई व्यवहार करता है तब ऐसे व्यवहार को बाल अपराध कहा जाता है।

भारत के सभी बाल अपराधियों को (7-16 वर्ष) और संशोधित (7-14 वर्ष) तथा (16-21वर्ष) संशोधित (14-19 वर्ष) की दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। यानि 7-14 वर्ष के अपराधी को बाल अपराधी तथा 14-19 वर्ष के अपराधी को किशोर अपराधी के रूप में जाना जाता है।

- **बाल अपराधियों का सुधार कार्य:**
 1. बाल अपराधियों का सुधार कार्य सर्वप्रथम 1850 में प्रारंभ हुआ।
 2. **1876 में विशेष सुधार गृह अधिनियम** पारित किया गया, जिसमें 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रखे जाने का प्रावधान था।
 3. 1920 के पश्चात मद्रास, बम्बई और बंगाल में बाल न्यायालयों की स्थापना की गयी।
 4. **1960 में बाल अपराध अधिनियम** परित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार, एक बाल अपराधी वह है जो जुर्म करता पाया जाता है। एक लड़का 16 वर्ष की आयु और एक लड़की 18 वर्ष की आयु से कम हो तब उन्हें बच्चा कहते हैं।
 5. **उत्तर प्रदेश** में प्रथम परिवीक्षा कानून अधिनियम 1938 में पारित किया गया था।

Notepad

NET/JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

अन्य:

विचलन एवं प्रतिमान हीनता (Deviance and anomig)

जब एक व्यक्ति सामाजिक मानदण्डों का उल्लंघन करता है तो इसे विचलन कहा जाता है। वहीं प्रतिमान हीनता **'सामूहिक विचलन'** को कहते हैं

- **हान्स आइजेन्क:** ने आनुवांशिकता आधारित व्यक्तिगत लक्षणों व विचलन के मध्य सम्बन्धों को स्पष्ट किया है। **'आइजेन्क'** के अनुसार अपराधी कार्य के लिए आनुवांशिकता एक मजबूत पूर्व उद्यत व्यवहार (Pre disposing Factor) **है।**
- टेलर, वाल्टर, यंग ने मध्य अकारिकी (Meso Morph) संरचना और अपराध के बीच सम्बन्ध को एक विकल्प के रूप में स्पष्ट किया है। निम्न वर्ग के लड़कों का खान पान, लगातार काम करने की प्रवृत्ति, शक्ति में कमी आदि के कारण शारीरिक बनावट मध्य आकारिक होती है।इससे आनुवांशिकता का कोई सम्बन्ध नहीं होता है।
- **जॉन वाल्बी** ने अपनी पुस्तक "Forty Four juvenile Theives" में **किशोर अपराधी** का सम्बन्ध **मातृवंचितता** से जोड़ा है। वही **राबर्ट जी० एण्ड्री** ने पिता-पुत्र सम्बन्धों के आधार पर आपराधिक व्यवहार को स्पष्ट किया है।
- दुर्खीम ने एनोमी की व्याख्या सामान्य व व्याधिकीय तथ्यों के रूप में की है। और अपराध को सामाजिक जीवन का अनिवार्य पहलू माना है।
- **मिलर (वाल्टर ई० मिलर)** ने विचलन के **संरचनात्मक व उपसांस्कृतिक** (Structural and subcultureal Theory) सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। इन्होने मर्टन व कोहेन के सिद्धान्तों की आलोचना की है।
 " निम्न वर्गीय किशोर अपराध निम्न वर्गीय उपसंस्कृति का परिणाम है।"- **मिलर**
- **रिचर्ड ए० क्लोवार्ड एवं लायड ई० ओहलिन:**- पुस्तक: **" डेलीक्वेन्सी एण्ड अपार्च्युनिटी"**
 - इन्होने श्रमिक वर्ग के सदस्यों में विचलन की व्याख्या की है। इसके लिए ये तीन प्रकार की अनुक्रियाओं की पहचान करते है:-
 (i) आपराधिक उपसंस्कृति
 (ii) संघर्ष युक्त उपसंस्कृति
 (iii) वापसी उपसंस्कृति
- **डेविड माट्जा व ग्रेशम साइक्स** पुस्तक: **"टेक्निक्स ऑफ न्यूट्रालाइजेशन"**
 - अपराधी अपने आपराधिक कार्यकलापों के प्रति लज्जित होते हैं। इसलिए वे समाजहित में अपराध की बात करते हैं।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

समाज तथा समाज के प्रकार
(Society and Types of Society)

Notepad

समाज :

समाज का सामान्य अर्थ: 'समाज' शब्द का प्रयोग साधारणतया व्यक्तियों के समूह के रूप में किया जाता है। ब्रह्म-समाज, आर्य समाज, हिन्दू समाज, जैन एवं महिला समाज। लेकिन समाज शब्द का लोकप्रिय प्रयोग तकनीकी नहीं है।

समाजशास्त्र में 'समाज' शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के बीच पाये जाने वाले सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था के लिये किया गया है।

समाज का तकनीकी प्रयोग: समाजशास्त्र में समाज शब्द का प्रयोग दो रूपों में किया जाता है।

1. समाज (अमूर्त रूप में) 2. एक समाज (मूर्त रूप में)

समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था को समाज कहा गया है।

समाज की परिभाषाएं:

जार्ज सिम्मेल: "समाज में उन व्यक्तियों को समूह माना है जो अंत:क्रिया द्वारा संबंधित है।" **एच. डब्ल्यू. ओडम-समाज** को, मनुष्यों के व्यवहार और उनसे उत्पन्न संबंधों, समस्याओं और सामंजस्य की प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है।" **ई.बी. रियूटर-समाज** एक अमूर्त धारणा है जो कि समूह के सदस्यों में परस्पर तथा समूह के बीच पाए जाने वाले संबंधों की जटिलता को प्रगट करता है।

सी.एच. कूले: समाज उन व्यवहारों या प्रक्रियाओं की एक जटिलता है जिसमें से प्रत्येक अन्यों के साथ अन्त:क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न और विकसित होती है, यह समग्र इस प्रकार एकीकृत है कि इसके एक भाग में जो कुछ घटित होता है वह शेष सभी को भी प्रभावित करता है। **मॉरिस जिंसबर्ग-समाज** के अंतर्गत मनुष्यों के एक दूसरे के साथ सभी प्रकार के व्यवहार सम्मिलित रहते हैं। यह व्यवहार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, संयोजित या अनायास उत्पन्न, जागरूक प्रयत्नों से या अचेतन रूप में, सहयोगात्मक हों या विरोधी, किसी भी रूप में हो सकते हैं।

टालकॉट पारसंस के अनुसार: "समाज उन मानवीय संबंधों की संपूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो साधन-साधव संबंधों के रूप में क्रिया करने से उत्पन्न हों, चाहे वे वास्तविक हों या प्रतीकात्मक हो। **"गिडिंग्स"** समाज स्वयं संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है, जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़े हुये या संबद्ध हैं।"

गिंसबर्ग: "समाज ऐसे व्यक्तियों का संग्रह है जो कुछ संबंधों अथवा व्यवहार की विधियों द्वारा संगठित है तथा उन व्यक्तियों से भिन्न है जो इस प्रकार के संबंधों द्वारा बंधे हुए नहीं हैं अथवा जिनके व्यवहार उनसे भिन्न है। "गिलिन एवं गिलिन के अनुसार"समाज तुलनात्मक रूप से सबसे बड़ा और स्थायी समूह है जो सामान्य हितों, सामान्य भू-भाग, सामान्य रहन, सहन तथा पारस्परिक सहयोग अथवा अपनत्व की भावना से युक्त है तथा जिनके आधार पर वह अपने को बाहर के समूहों से पृथक् रखता है।"

फेयर चाइल्ड: समाज व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो अपने बहुत से प्रमुख हितों (उद्देश्यों) जिनमें अनिवार्य रूप से स्वयं की रक्षा या भरण पोषण तथा स्वयं को स्थायित्व प्रदान करना सम्मिलित है, को पूरा करने के लिए सहयोग करते हैं। **राल्फ लिंटन** ने समाज को ऐसा समूह के रूप में परिभाषित किया है। जिसमें सम्मिलित व्यक्ति अपने को संगठित करने और एक सामाजिक इकाई के रूप में सोचने के लिए काफी लंबे समय से साथ-साथ रहते और काम करते हों। समाज शब्द का प्रयोग

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

विस्तृत अर्थ में किया जाता है। (1) अमूर्त रूप में तथा (2) मूर्त रूप में।

मैकीबर एवं पेज ने समाज शब्द का प्रयोग अमर्त व्यवस्था के रूप में किया है। आपने लिखा है "समाज रीतियों एवं कार्य-प्रणालियों की पारस्परिक सहयोग एवं प्रभुत्व की, अनेक समूहों एवं विभाजनों, मानव व्यवहार के नियंत्रण एवं स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है। यह निरन्तर परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था है, जिसे हम समाज कहते है। यह सामाजिक संबंधो का जाल है।

संक्षेप में यह अमूर्त संगठन है तथा सामाजिक संबंधों का होना आवश्यक है। सामाजिक संबंधो से तात्पर्य अर्थपूर्ण पारस्परिक क्रियाओं से है जिनका विशिष्ट उद्देश्य होता है। पर यहाँ स्पष्टीकरण करना होगा कि सामाजिक संबंधों का निर्माण सामाजिक अन्त:क्रियाओं से होता है। जो तीन स्तरों में होती है।

1. व्यक्ति और व्यक्ति,
2. व्यक्ति और समूह
3. समूह और समूह के मध्य अन्त:क्रिया।

अर्थपूर्ण का तात्पर्य एक निश्चित उद्देश्य, जागरूकता तथा मानक/मूल्यों के तहत की गई अन्त:क्रियाओं से है। इस प्रकार सामाजिक संबंधों में हितों व लक्ष्यों की पूर्ति, सहयोग, अनुकूलन, परिस्थितियां तथा सुरक्षा, प्रस्थिति, भूमिका प्रतिमान परिवर्तनशीलता का समावेश होता है।

मैकीबर एवं पेज ने समाज की परिभाषाओं में निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया है।

1. **पारस्परिक जागरूकता** (Matural Awareness): सामाजिक संबंधो हेतु जागरूकता का होना आवश्यक है। भौतिक संबंध सामाजिकता का आधार नहीं होते सामाजिक संबंध अगोचर होते हैं।
2. **समानता** (Likeness): मैकीबर एवं पेज समाज का आधार समानता मानते है जैसे विचारों में समानता, मूल्यों व जीवन के उद्देश्यों में समानता। परिवार का आधार समानता ही है पर समाज में भिन्नता या असमानता भी पायी जाती है। जिससे प्रतिस्पर्द्धा, प्रतियोगिता एवं उद्यमशीलता का जन्म होता है तथा समाज की प्रगति होती है। सामाजिक असमानता ही हैसियत और भूमिका का निर्धारण कर, सामाजिक दायित्व का भाव पैदा करती है। डर्कहाइम के अनुसार श्रम-विभाजन सामाजिक भिन्नता का ही परिणाम है।
3. **सहयोग एवं संघर्ष** (Co-operation and Conflict): मैकीवर एवं पेज ने लिखा है कि समाज सहयोग का दूसरा नाम है। सहयोग सामाजिक संघर्ष के पाश्चात की प्रक्रिया है। यानि संघर्ष की सफलता के पश्चात् सामाजिक न्याय एवं सामाजिक समानता आती है। दोनों सामाजिक प्रगति एवं व्यवस्था के लिए आवश्यक है। मार्क्स सामाजिक परिवर्तन हेतु संघर्ष को महत्वपूर्ण मानते हैं। संघर्ष जहाँ हिंसक और अहिंसक वही सहयोग प्रत्यक्ष व परोक्ष पाया जाता है सहयोग और संघर्ष एक दूसरे के पूरक होते है पर संघर्ष से सहयोग अधिक महत्वपूर्ण होता है।
4. **समाज अमूर्त है** (Abstract): मैकीवर एवं पेज ने लिखा है कि समाज सामाजिक संबंधों की अमूर्त व्यवस्था है। यानि हम सामाजिक संबंधों को अनुभव कर सकते है, देख नहीं सकते।
5. **पारस्परिक निर्भरता** (Inter Dependence): सामाजिक संबंधों में पारस्परिक निर्भरता पायी जाती है। निर्भरता से समानता एवं सौहार्दता की भावना का विकास होता है। पर निर्भरता में परिवर्तनशीलता का गुण पाया जाता है। समाज निरन्तर परिवर्तनशील है समस्त समाजशास्त्री समाज की परिवर्तनशील प्रकृति का उल्लेख करते है। समाज की आवश्यकता/उद्देश्य बदलने के साथ ही सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आ जाता है।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir BG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

समाज एक मूर्त व्यवस्था: वर्तमान समाजशास्त्री समाज को एक मूर्त व्यवस्था मानते है यानि समाज शब्द का प्रयोग एक संगठित समूह (मूर्त) के लिए किया जाता है जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, मुस्लिम समाज आदि।

आधुनिक समाजशास्त्री एवं मानवशास्त्री को इसी अवधारणा के आधार पर सरल और जटिल आदिम एवं आधुनिक, बन्द एवं खुला समाज की संकल्पना प्रस्तुत की है। जानसन ने समाज को मूर्त रूप में परिभाषित करते हुये समाज (एक ऐसा समूह है) के चार तत्वों का उल्लेख किया है।

1. निश्चित क्षेत्र
2. प्रजनन
3. विस्तृत संस्कृति तथा
4. स्वतंत्रता।

जानसन की समाज की गवेषणा कुछ इस प्रकार है:

1. प्रत्येक समाज की एक निश्चित सीमा (क्षेत्रीयता) होती है। यानि ये सीमाएं सांस्कृतिक या भौगोलिक भी हो सकती हैं-जैसे सिक्ख समाज, अमेरिकन समाज और भारतीय समाज। समाज का उपक्षेत्र भी होते हैं-जैसे जनजातियों की विशिष्ट सीमा क्षेत्र आदि। समाज में क्षेत्रीय सीमाएं भी होती है जैसे रिश्तेदारों या पड़ौसियों का समूह।
2. समाज की निरन्तरता के लिए प्रजनन आवश्यक है जिससे समाज का दीर्घकालीन अस्तित्व बना रहता है।
3. समाज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति विभिन्न अन्त:क्रिया द्वारा करता है जिसमें लोगों के विश्वास, मूल्यों का समावेश होता है जो एक संस्कृति है।
4. जॉनसन के अनुसार स्वतंत्रता समाज के लिए आवश्यक है। स्वतंत्रता से तात्पर्य आत्म निर्भरता से भी है अत: समाज अपने आप में पूर्ण होता है। यानि समाज के सदस्य समाज में ही रहकर अन्त:क्रिया करते हैं बाहर नहीं।

इस प्रकार जॉनसन महोदय राज्य को भौगोलिक क्षेत्र और स्वतंत्रता के बावजूद समाज नहीं मानते, अपितु समाज का अंग मानते हैं। इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ राज्यों का समूह है, समाज नहीं। इस प्रकार जॉनसन द्वारा प्रस्तुत समाज का स्वरूप एक आदर्श प्रकार माना जायेगा, पर जानसन की परिभाषा में **'पूर्णरूपेण स्वावलम्बी पद'** को स्वीकार करने का अर्थ **परसंस्कृति-ग्रहण** और सात्मीकरण तथा एम.एन. श्रीनिवास की संस्कृतिकरण की अवधारणा एवं प्रक्रियाओं को अस्वीकार देने के बराबर होगा। जो समाज तकनीकी नहीं है।

समाजशास्त्र में समाज की एक केन्द्रीय अवधारणा है। योर्क विश्वविद्यालय के आर्थर ब्रिटेन ने समाज शब्द की अवधारणा में निम्नलिखित विचार-बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए इसकी व्याख्या की थी:

1. समाज एक संरचना के रूप में
2. समाज अंतर्विरोध के रूप में
3. समाज पुनरार्वतन की तरह
4. समाज संस्कृति की तरह
5. समाज प्रक्रिया की तरह

मेरियन जे. लेवी (Marion J. Levy) ने समाज की परिभाषा करते हुए कहा कि यह क्रियाओं की वह व्यवस्था है जिसमें व्यक्तियों की बहुलता (Plurality) के आधार पर अन्त:क्रिया संपन्न होती है और उनका चयन प्रजनन (Reproduction) की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। समाज स्व-निर्भर (Self Sufficient) होता है और उसकी जीवन-अवधि व्यक्ति की जीवन-अवधि से बड़ी होती है। इस आधार पर समाज की निम्नलिखित विशेषताएँ उभरी है।

1. समाज व्यक्तियों की अन्त:क्रियात्मक बहुलता लिए होता है। अर्थात् समाज में अनेक व्यक्ति होते हैं जिनमें परस्पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अन्त:क्रिया होती है।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

2. इसके सदस्यों का चयन प्रजनन (Birth) प्रवसन (Migration) एवं विजय (Conquest) के आधार पर होता है। समाज में सदस्य पैदा होते हैं, बाहर से आते हैं अथवा युद्ध में विजयी होने तक ताकत के आधार पर स्थायीरूपेण रहने लग जाते है।
3. यह एक आत्मनिर्भर अस्तित्व है। समाज अपनी आधारभूत व अन्य आवश्यकताएं स्वत: पूर्ण करने की क्षमता रखता है परिवार समाज नहीं है क्योंकि परिवार में सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती। परिवार और कालेज दोनों संस्थाएं है जो मनुष्य की आवश्यकताओं की आशिंक पूर्ति करती है।
4. समाज का जीवन व्यक्ति के जीवन से अधिक दीर्घ होता है। व्यक्ति आते और जाते है पर समाज में निरन्तरता का लक्षण होता है। लेवी के अनुसार राष्ट्र, जनजाती-टोली, समाज के उदाहरण है। लेवी ने समाज व समाज व्यवस्था में भेद किया है।

Notepad

समाज की सामान्य विशेषताएं:

1. एक से अधिक सदस्य
2. वृहद संस्कृति
3. क्षेत्रीयता (जॉनसन के अनुसार)
4. सामाजिक संबंधों का दायरा
5. श्रम विभाजन
6. काम (प्रजनन)

समाज की प्रमुख विशेषताएं:

1. पारस्परिक जागरुकता (Mutual awareness)
2. समाज आमूर्त है (Society in Abstract)
3. समाज में समानता एवं असमानता (Linkeness and Difference)
4. समाज अन्योन्याश्रिता पर आधारित है (Interdependence in Society)
5. समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों ही पाए जाते हैं (Co-operation and Conflict in Society)
6. समाज केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है (Society is not only Confined to human being)।

मैकीवर एवं पेज के आधार पर समाज की प्रमुख विशेषताएँ

- **पारस्परि जागरुकता**
- **समाज अमूत है:** समाज व्यक्ति का समूह न होकर उसमें बनने वाले सामाजिक संबंधों का जाल है, सामाजिक संबंध अमूर्त है अत: उनके आधार पर निर्मित समाज भी अमूर्त है।
- **समाज में समानता एवं असमानता:** समाज में समानता एवं असमानता दोनों होती है पर असमानता, समानता के अधीन होती है। **गिडिंस ने 'समानता की चेतना'** को समाज का आधार माना है।
- **समाज में सहयोग एवं संघर्ष:** समाज में सहयोग एवं संघर्ष विद्यमान है किन्तु संघर्ष सहयोग के अंतर्गत पाया जाता है।
- **समाज अन्योन्याश्रितता आधारित:** समाज सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है और विभिन्न प्रकार के सामाजिक संबंध एक दूसरे पर निर्भर है।
- समाज सदैव परिवर्तनशील एवं जटिल व्यवस्था है।
- समाज मनुष्यों तक ही सीमित न होकर पशुओं में भी पाए जाते हैं।

हेरी एम. जानसन के अनुसार: समाज एक ऐसा समूह है जिसमें चार तत्व पाये जाते हैं:

1. निश्चित भूक्षेत्र

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

2. संतति
3. विस्तृत संस्कृति तथा
4. स्वावलंबन/स्वतंत्रता।

इंकल्स ने समाज की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख इस प्रकार किया है।

1. समाज सामाजिक संबंधो का काल होता है।
2. समाज एक सार्वभौमिक अवधारणा है।
3. संबंधों की अनुभूति से ही समाज का जन्म होता है।
4. प्रत्येक समाज में पृथक स्तर की चेतना अवश्य पायी जाती है।
5. समाज संबंधों की अमूर्तता के कारण एक अमूर्त अवधारणा है।
6. प्रत्येक समाज में समानता अवश्य पायी जाती है।
7. प्रत्येक समाज संगठन और विघटन का संकुल होता है।
8. प्रत्येक समाज में कुछ न कुछ असमानता भी पायी जाती है।
9. समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों ही पाये जाते हैं।

समाज के आवश्यक तत्वः

किंग्सले डेविस ने समाज में छः तत्व बताये हैं:

1. जीवित प्राणियों का संगठन (मनुष्य समाज का आवश्यक तत्व है)
2. जनसंख्या की निरन्तरता या सातत्य
3. सामाजिक अन्तःक्रियायें
4. श्रम का विभाजन
5. आर्थिक व्यवस्था का सातत्य
6. प्रेरणायें।

परिभाषाओं का व्याख्यात्मक पक्ष

जार्ज सिम्मेल-"अन्तःक्रियाओं की व्यवस्था"

ई.बी. रियूटरः

1. 'समाज' यह शब्द भाव बोधक है (अमूर्त है)
2. यह अन्त संबंधों का संकुल (व्यवस्था) है। **मॉरिस जिंसबर्ग** ने समाज को व्यवहार प्रतिमानों द्वारा संगठित माना है।

टालकॉट पारसंसः प्रेरणायें सामाजिक जीवन का वाहन है।

संज्ञानात्मक, भावात्मक और मूल्यांनात्मक।

1. साधन एवं साध्य के संबंध
2. प्रतीकात्मक संबंध

गिडिंग्स ने समाज को औपचारिक संबंधो का योग कहा है जिसमें निम्न तथ्य सम्मिलित है:

1. सहयोगी व्यक्ति 2. संघ अर्थ संगठन

एक समाजः

परिभाषाएंः

रियूटर के अनुसारः 'एक समाज' समाज से बिल्कुल भिन्न एक संगठन है जिसकी सहायता से लोग अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। उदाहरण-भारतीय समाज, ईसाई समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज। मैन्जर-एक समाज को मनुष्यों के समूह के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है, जो कि जागरूक होकर कतिपय सामान्य क्रियाओं में हिस्सा लेते हैं।

फ्रीडमैनः 'एक समाज' वह संगठन है जो प्रकार्यात्मक और सांस्कृतिक दृष्टि से स्वतंत्र महत्व रखता है।

एक समाज एक समूह है लेकिन अधिकांश समाज नहीं है।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

एक समाज की विशेषताएँ:

1. यह व्यक्तियों का एक समूह है।
2. इसके सदस्य सामाजिक क्रिया-कलापों या गतिविधियों में चेतन रूप में भाग लेते हैं।
3. पृथक पहचान।

'एक समाज' छात्र समाज मुस्लिम समाज, आदि।

लिंटन ने अपनी पुस्तक 'द स्टडी ऑफ मैन' में लिखा है कि एक समाज सामाजिक इकाइयों का अधिक संगठन है।

किंग्सले: एक समाज को सांस्कृतिक संबंधों का संगठन मानते है।

Notepad

समाज और एक समाज में अंतर

1. समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है, जबकि 'एक समाज' व्यक्तियों का एक समूह है।
2. सामाजिक संबंधों के अमूर्त होने के कारण इनसे निर्मित व्यवस्था समाज भी मूर्त है। 'एक समाज' व्यक्तियों का समूह होने के कारण मूर्त है, जिसे देखा जा सकता है।
3. समाज का अपना कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता, जबकि 'एक समाज' का साधारणत: एक भौगोलिक क्षेत्र होता है।
4. समाज में व्यक्ति का असीमित उत्तरदायित्व होता है, जबकि 'एक समाज' में सीमित होता है।
5. समाज में विभिन्न व्यक्तियों के व्यवहारों एवं मनोवृत्तियों में काफी भिन्नता देखने को मिलती है जबकि 'एक समाज' में इसमें काफी समानता पायी जाती है।
6. 'एक समाज' का आकार काफी छोटा होता है। जबकि समाज का आकार व्यापक होता है।
7. समाज जटिल प्रक्रिया है, जबकि एक समाज सरल संगठन।
8. समाज अमूर्त है, जबकि 'एक समाज' मूर्त।
9. समाज का भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता, एक समाज का साधारणत: होता है।
10. समाज का आकार व्यापक होता है, जबकि एक समाज का आकार काफी छोटा।
11. समाज में विभिन्न व्यक्तियों के व्यवहारों एवं मनोवृत्तियों में काफी भिन्नता देखने को मिलती है जबकि एक समाज में काफी समानता।
12. समाज में व्यक्ति का उत्तरदायित्व असीमित होता है जबकि एक समाज में सीमित।

सामाजिक संबंधों के लिए न्यूनतम पूर्व आवश्यकता के रूप में समरसता को माना जाता है। समाज की प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाओं में सदस्यों के लिए शारीरिक क्रियान्वयन का प्रावधान विघटनकारी शक्तियों तथा वितरण की व्यवस्था होती है पर सदस्यों का प्रतिस्थान नहीं होता है।

समाजशास्त्र में समाज और व्यक्ति के संबंधो का अध्ययन करने के लिए चार विचारधाराएं पायी जाती है।

1. समाज की यान्त्रिक विचारधारा (Mechanistic Concept of Society)
2. समाज की व्यक्तिवादी विचारधारा (Atomistic Concept of Society)
3. समाज में जैविकीय अथवा समष्टिवादी विचारधारा (Organismic or holistic concept of society)
4. समाज की प्रकार्यवादी विचारधारा (Functional Concept of Society)

समाजों का वर्गीकरण: समाजशास्त्रीय योगदान

कार्ल मार्क्स ने उत्पादन के तरीकों के आधार पर समाज के पांच स्तरों की चर्चा की है-(बोटोमोर के अनुसार)।

1. **आदिम समाज:** ऐसे समाज में उत्पादन के साधनों पर पूरे समुदाय का समान

NET; JRF Manish Singh Sir LC Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

अधिकार होता है। ऐसे समाज में न ही वर्गभेद और न ही शोषण पाया जाता है।

2. **प्राचीन समाज:** इन परम्पराओं का विशेष महत्व होता है। पशुपालन तथा कृषि के तरीके प्राय: पिछड़े हुए होते हैं। निजी संपत्ति की धारणा होने के कारण असमान वितरण पाया जाता है।
3. **एशियाई समाज:** जिन समाजों की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान उत्पादन की छोटी इकाइयों पर आधारित है। मार्क्स ने भारत को एशियाई समाज का उदाहरण माना है।
4. **सामंतवादी समाज:** इस समाज में भूमि पर राजनीति प्रभुसत्ता कुछ व्यक्तियों के अधिकार में होती हैं ये प्रत्यक्षत: कृषि कार्य नहीं करते फिर भी भूमि से प्राप्त लाभ पर अधिकतम अधिकार इसी वर्ग का होता है।
5. **पूँजीवादी समाज:** बड़ी मशीनों के द्वारा उत्पादन, लाभ की भावना पाई जाती है।

स्पेन्सर ने सभ्यता के आधार पर समाज के चार प्रकार बताये हैं:

1. **सरल समाज:** स्पेन्सर ने जनजातीय समाज को सरल समाज कहा है।
2. **मिश्रित समाज:** सरल और आधुनिक समाज का मिला जुला रूप।
3. **दोहरे मिश्रित समाज:** इन समाज में परंपरा के स्थान पर परिवर्तनों का प्रभाव अधिक दिखाई देता है, इसे हम सभ्य समाज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। इसमें धार्मिक निर्देशों के प्रति अंध आस्था के स्थान पर तर्कपरकता अधिक पाई जाती है।
4. **तीहरे मिश्रित समाज:** आधुनिक सभ्य समाज को स्पेन्सर ने तीहरे मिश्रित समाज कहा है।

डर्कहाइम: ने **'द डिवीजन आफ लेवर इन सोसाइटी'** में समाज के वर्गीकरण का आधार संभवत: जनजातीय समाजों का श्रेणीकरण है।

1. **सरल समाज:** (i) सरल समाज लघुतम अनियंत्रित समाज है। (ii) सरल समाज संगोत्रीय सदस्यों का एक सीमित समूह माना जाता है। इनमें खण्डात्मक विभाजन नहीं होता। उदाहरण–जनजातीय कबीला।
2. **सरल बहुखण्डीय समाज:** सरल बहुखण्डीय समजा में अनेक सरल समाज सम्मिलित रहते हैं। डर्कहाइम ने जनजातियों में पाई जाने वाली भ्रातृदल (फ्रेटरी) व्यवस्था के आधार पर इन जनजातियों को सरल बहुखण्डीय समाज का श्रेष्ठ उदाहरण माना है।

मजूमदार एवं मदान के अनुसार, 'जब किसी कारणवश अनेक गोत्र एक साथ एक समूह के रूप में संयुक्त हो जाते हैं तो इस प्रकार उत्पन्न समूह भ्रातृदल कहलाता है।'

3. **मिश्रित बहुखण्डीय समाज:** जब भिन्न–भिन्न विशेषताओं वाले अनेक समूहों से मिलकर किसी बड़े समूह का निर्माण होता है तब उसे मिश्रित बहुखण्डीय समाज कहते हैं। डर्कहाइम के अनुसार, 'इन समाजों का विभाजन आधार गोत्र एवं भौतिक साधन आदि हैं। सभी जनजातीय समाज–बहुखण्डीय समाज है।'
4. **दोहरे मिश्रित बहुखण्डीय समाज:** जब किसी अंचल में एक दूसरे के निकटवर्ती क्षेत्रों में अनेक मिश्रित बहुखण्डीय समाज साथ–साथ रहते हैं तो उनहें दोहरे मिश्रत बहुखण्डीय समाज कहते हैं। इस समाज के निम्न लक्षण इस प्रकार है।
 1. इन समाजों में प्राय: निरक्षर, आर्थिक क्रियाएं निम्न होती हैं।
 2. व्यक्ति की स्थिति, पद व भूमिकाएं वंशानुगत एवं अपरिवर्तनीय होती हैं तथा सदस्यों के पारस्परिक संबंध व्यक्तिगत आत्मीय और औपचारिकता रहित होते हैं। डर्कहाइम ने नगर, राज्य, बड़ी जनसंख्या वाली जनजातियां–(गोंड, भील, कोल, कोरकू आदि) को दोहरे मिश्रित बहुखण्डीय समाज माना है। डर्कहाइम ने समाज के वर्गीकरण में दबाव मूलक (रिप्रेसिव) तथा इच्छामूलक (रेस्टिच्यूटिव) अवधारणाओं का प्रयोग किया है।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

अन्य समाज:

परम्परागत समाज: ऐसे समाजों के सामाजिक संगठन और व्यवस्था पर जनरीतियों, प्रथाएं, रूढ़ियों आदि का प्रभाव होता है। ये यथास्थितिवादी होते हैं, भाग्यवादी, धर्म, कर्म, जाति संबंधी धारणाएं जीवन को प्रभावित करती हैं। ये वैज्ञानिक और औद्योगिक प्रगति के प्रति उदासीन होते हैं।

बंद समाज: बंद समाज की सदस्यता किसी अन्य व्यक्ति के लिए पूर्ण बंद होती है। इन समाजों में नवीनता, परिवर्तन, वैयक्तिक स्वतंत्रता, गतिशीलता पर परंपराओं का प्रभाव होता है।

जड़ समाज: जड़ समाज से तात्पर्य उस समाज से जिसमें शिक्षा का प्रचार न हो। ये (1) व्यक्ति अंध विश्वासी और अज्ञानी होते हैं। (2) भाग्यवादिता चरम सीमा पर एवं अर्थव्यवस्था अत्यन्त पिछड़ी हुई होती है, निर्धनता तथा भीरुता पाई जाती है।

मुक्त समाज: इसे गतिशील, बंधन रहित, आधुनिक समाज भी कहा जाता है। इस समाज में (1) हम की भावना का अभाव, श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण पर बल दिया जाता है। वर्गीय आधार, तर्क की कसौटी प्रमुख मानदण्ड होते हैं। (2) नवीनता, परिवर्तन और प्रगतिशीलता को प्रगति के रूप में आवश्यक माना जाता है। खुले समाजों में सामाजिक गतिशीलता की रूकावटों की अनुपस्थिति से विशेषीकृत आता है। आदिम समाज-को जनजातीय समाज भी कहते हैं।

सुसंस्कृत समाज: संस्कृति समाज में संगठन और एकता का विकास करती है। संस्कृति एवं चारित्रिक नैतिक मूल्यों को स्थापित करती है एवं सुरक्षित रखती है। सांस्कृतिक समाज प्रगतिशीलता एवं परिवर्तन का विरोध नहीं करती (आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु परिवर्तनशीलता पाई जाती है) बशर्ते सांस्कृतिक मूल्य सुरक्षित रहे।

सभ्य समाज: सभ्य समाज से तात्पर्य ऐसे समाज से है जिसमें व्यक्ति विलासी, व्यक्तिवादी, आत्मकेन्द्रित होते हैं। इन समाजों में (1) प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग सुख-सुविधाओं के साधनों हेतु नियोजित की जाती है तथा (2) नैतिक मूल्यों, चारित्रिक मूल्यों, सामूहिक हित, धार्मिक आस्थाओं और संबंधों को प्रधानता नहीं दी जाती।

गतिशील समाज वे समाज होते हैं जिनमें (1) विज्ञान, शिक्षा, धन, व्यवसायिक स्वतंत्रता वैयक्तिक गुणों आदि को महत्व दिया जाता है, (2) इन समाजों में कार्यपालिका, न्यायपालिका विकसित होती है-सभी क्षेत्रों में परिवर्तन स्वीकार किया जाता है, तथा (3) इन समाजों में विधिता, परस्पर सम्मान और सहअस्तित्व को महत्व दिया जाता है।

जटिल समाजों को निम्न विशेषताएं इस प्रकार है:

1. जटिल समाज का आकार एवं इनमें सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक विधिता पाइ जाती है, तथा
2. कानूनों का अधिक महत्व होता है, प्रतिस्पर्धात्मक एवं संघर्षात्मक दशाएं सदैव विद्यमान होती है। श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण पाया जाता है।

नगरीय समाज: नगरीय समाज वह समाज है जहाँ जनसंख्या आधिक्य हो, व्यावसायिक विविधता हो, सांस्कृतिक विविधता विद्यमान हो। इन समाज में

1. श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण पाया जाता है। लोगों में औपचारिक संबंध पाये जाते हैं।
2. फिजूलखर्ची कृत्रितता, आचार और नियमों की बहुलता, अपनत्व की भावना का अभाव तथा अधिक प्रतिस्पर्धा, सामाजिक गतिशीलता, व्यक्तिवादिता, मानसिक तनाव अधिक होते हैं तथा
3. धर्म का प्रभाव कम, एकाकी परिवारों की अधिकता पाई जाती है।

ग्रामीण समाज: ग्रामीण समाज के सदस्य मुख्यत: कृषि के माध्यम से जीवन-यापन करते हैं। संयुक्त परिवारों की अधिकता, श्रम के विशेषीकरण का अभाव,

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir LG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

प्रत्यक्ष नियंत्रण प्रथाओं एवं परंपराओं को अधिक महत्व, जनमत का महत्व, अशिक्षा और भाग्यवादिता, स्त्रियां की निम्न स्थिति पाई जाती है।

कृषक समाज: वह समाज जो न तो स्पष्ट रूप से जनजातीय होता है और न ही औद्योगिक। इसके चार प्रमुख लक्षण होते हैं:

1. इसमें बहुपक्षीय सामाजिक संगठन की मूल इकाई किसान परिवार होती है।
2. इनकी जीविका का प्रमुख साधन भूमि और कृषि होते हैं।
3. जीवनचर्या से संबंधित इनकी विशिष्ट परंपरागत संस्कृति होती है।
4. कृषक समाज की अवधारणा को प्रस्तावित करने का श्रेय प्रमुख रूप से **राबर्ट रैडफील्ड** को है।

Notepad

समाजशास्त्री वर्गीकरण

1. **बेकर**
 1. लोक धार्मिक समाज
 2. नियम विहीन धर्मनिरपेक्ष समाज
 3. नियिमत धर्मनिरपेक्ष समाज
2. **डर्कहाइम**

(i) 1. यांत्रिक
 2. सावयवी

(ii) 1. सरल समाज
 2. सरल बहुखण्डीय समाज
 3. मिश्रित बहुखण्डीय समाज
 4. दोहरे मिश्रित बहुखण्डीय समाज

3. **डैनियल लर्नर**
 1. परम्परागत समाज
 2. सहभागिता पर आधारित समाज
4. **इली चिनॉय**
 1. सामुदायिक
 2. समितीय
5. **हॉबहाउस**
 1. नातेदारी
 2. प्रभुत्ता
 3. नागरिकता
6. **हार्बर्ड बेकर**
 1. पवित्र
 2. लौकिक
7. **हेनरीमेन**
 1. प्रस्थिति
 2. समझौता
8. **कोर्नहाउजर**

1. जनसमूह समाज
2. बहुलवादी समाज
3. एकतंत्र समाज

9. **कार्ल पॉपर**
 1. जनजातीय समाज
10. **लेन्सकी एण्ड लेन्सकी**
 1. शिकारी एवं खाद्य संग्राहक समाज
 2. बागवानी पर आधारित समाज

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

3. पशुपालक समाज
4. कृषक समाज
5. औद्योगिक समाज

11. **मार्गन**
 1. सोसाइटॉज
 2. सीविटाज
12. **मार्क्स**
 1. आदिम
 2. एशियाई
 3. प्राचीन
 4. सामंती
 5. पूँजीवादी
13. **मेकीवर**
 1. सामुदायिक समाज
 2. सहचारी समाह
14. **राबर्ट रेडफील्ड**
 1. ग्रामीण
 2. शहरी
15. **स्पेंसर**

(i) 1. सैनिक
 2. औद्योगिक

(ii) 1. सरल समाज
 2. मिश्रित समाज
 3. दोहरे मिश्रित समाज
 4. तिहरे मिश्रित समाज

16. **टॉनीज**
 1. जेमिनशाफ्ट (समुदाय)
 2. जैशलशाफ्ट

हरबर्ट स्पेन्सर ने समाजों के वर्गीकरण में सरलतम से जटिलतम होने का आधार समुच्चयन माना है तथा उन्होंने सैनिक से औद्योगिक समाजों के उद्विकास का उल्लेख किया है। आदिम समाजों में आरोपित प्रतिमान एवं विशिष्टतापरक सामाजिक संबंधों की उच्चतम अवस्था पायी जाती ह। स्पेन्सर प्रकृति के आधार पर समाज दो प्रकार का होता है-(i) युयुत्स समाज या लड़ाकू समाज (ii) औद्योगिक समाज या सुसंस्कृति समाज।

मार्गन (Margen) : उद्विकासीय आधार पर

(i) बर्बर (Barbaric) (ii) असभ्य (Savager) (iii) सभ्य (Civilized) आदि का उल्लेख किया है। संक्षेप में मार्गन महोदय ने मानव समाज के विकास की अवधारणाओं जंगलीपन, बर्बरता और सभ्यता का उल्लेख किया है।

इवान्स प्रिचार्ड: आवास एवं व्यवसायिक आधार पर समाजों का वर्गीकरण किया है जो निम्न है:

(i) जनजातीय समाज
(ii) कृषक समाज
(iii) औद्योगिक समाज

इमाइल डर्कहाइम (Emile Durkhim): नियन्त्रण या सुद्रढ़ता के आधार पर दो प्रकार के समाजों का उल्लेख किया है-

(i) यान्त्रिक समाज तथा

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

(ii) सावयवी समाज।

हैविलैण्ड (Haviland): ने समाजों की प्रकृति के आधार पर अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है।

(i) सरल समाज
(ii) जटिल समाज।

कार्ल मार्क्स (Karl Marx) : बोटोमोर द्वारा प्रतिपादित आर्थिक उत्पादन के आधार पर वर्गीकरण इस प्रकार है।

(i) आदिम समाज
(ii) एशियाई समाज
(iii) प्राचीन समाज
(iv) समान्तवादी समाज तथा
(v) पूँजीवादी समाज।

राईन हार्ट : संबंधों के स्वरूप के आधार पर:

(i) उष्ण समाज
(ii) शीत समाज में वर्गीकरण किया है।

सी.एच. कूले (C.H. Cooley): **वाहय लक्षणों के आधार पर:**

(i) समजातीय समाज-Ex गाँव, संयुक्त परिवार।
(ii) विषम जातीय समाज।

हेनरी मैन (Henery Man): **पारस्परिक संबंधों के आधार पर:**

1. निषेध समाज
2. स्वतंत्र समाज (free society) (पश्चिमी परिवार, एकाकी परिवार), तथा
3. अनुबंध परिवार (ग्रामीण सदस्य या संयुक्त परिवार) समाजों में विभेद किया है।

समाज के प्रकार (Types of Society)

विकास के आधार पर समाज को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। जो इस प्रकार है:

1. सरल समाज
2. जटिल समाज

सरल समाज:सरल समाज शब्दावली का प्रयोग ऐसे लघु समाजों के लिये किया जाता है, जिनकी प्रौद्योगिकी (Technology) अत्यन्त सरल होती है तथा पर्यावरण पर इनका अधिकार सीमित होता है। छोटे बाजार के कारण श्रम विभाजन में विशिष्टता न्यून होती है। पर्यावरण पर सीमित प्रौद्योगिकी नियंत्रण के कारण सभी जन-जातीय समूहों द्वारा प्रगतिशील प्रौद्योगिकी को अपनाने के कारण इन्हें संक्रांतिक समाज (Transitional Society) की संज्ञा दी जाती है।

जीवन निर्वाह की भौतिक वस्तुओं के उत्पादन की विधि के आधार पर सरल समाजों की अर्थ व्यवस्था को चार भागों में बांटा जा सकता है।

1. शिकारी एवं एकत्रीकरण (Hunding and Gathering)
2. पशुचारी (Pastoral)
3. अस्थायी कृषि (Shifting cultivation)
4. स्थायी कृषि (Settled cultivation)

धर्म सरल समाजों में धर्म की महती भूमिका होती है। सरल समाजों में पर्यावरण की प्रकृति और उसके रहस्यों को जानने के लिए अपने-अपने सिद्धान्त होते है। ये प्राय: एक कारणत्व (Causation) का सिद्धान्त प्रचलित है जिसके द्वारा समस्त प्राकृतिक घटनाएं अलौकिक शक्तियों के कारण घटती है। अलौकिक शक्तियां दो प्रकार कर होती हैं:

1. **वैयक्तिक शक्तियाँ - धर्म से संबंध**

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

2. **निवैयक्ति शक्तियाँ - जादू से संबंध।**

जनजातियों में धर्म और जादू एक दूसरे के पूरक समझे जाते हैं। इनमें **'माना' और टैबू (वर्जना)** जैसी दो अवैयक्तिक अलौकिक शक्तियों का विश्वास प्रचलित है। एक अलौकिक शक्ति को सामान्यत: राजाओं एवं सफल व्यक्तियों से जुड़ा माना जाता है। भारत में मुण्डा तथा हो जनजातियों में **'बोंगा'** के रूप में इसी शक्ति पर विश्वास प्रचलित है। टैबू का प्रयोग सामाजिक क्रिया कलापों के नियमन करने का विश्वास पाया जाता है, जो भयात्मक विश्वास पर आधारित होता है। **'माना' और टैबू 'पॉलीनेशियन'** शब्द है।

धर्म और जादू की मीमांसा: सरल समाजों में धर्म को कुछ आत्माओं और देवताओं को प्रकृति के संचालक माना जाता है। यह विश्वास है कि इन्हें अनुकूलित बनाने हेतु इनकी 'पूजा' करना आवश्यक है तथा इनमें आर्शीवाद और अभिशाप के साथ-साथ स्वतंत्रता और इच्छाशक्ति का गुण विद्यमान होता है। जादू एक निर्वैयक्तिक शक्ति है, जिसमें इच्छा शक्ति की भूमिका नगण्य होती है अर्थात् इसमें विधि सम्मतता का गुण पाया जाता है। फ्रेजर जादू की विधि के दो सिद्धान्त प्रस्तुत करते हैं:

1. **समानता का सिद्धान्त**-होमियो पैथिक या सदृश्य अनुकारक जादू-शत्रु की प्रतिकृति के नाश पर आधारित है।
2. **स्पर्श का सिद्धान्त**-संसर्गी जादू-शत्रू के अवशेष बाल, नाखून पर आधारित है।

फ्रेजर का मत है कि जादू कारण और प्रभाव के बीच सहानुभूति नियम पर आधारित है। जादू का अर्थ प्रतीकात्मक रूप में इच्छाओं की अभिव्यक्ति करना होता है, जो घटनाक्रम को पूरा करने से संबद्ध होती है। संक्षेप में सरल समाजों में धर्म कार्य-कारण संबध (Causation) के सिद्धान्त पर आधारित होता है। इससे प्रकृति का विश्वास तथा नियंत्रण पैदा होता है। जनजातयों में व्यवस्था कायम करने हेतु टैबू (बर्जना) की भूमिका अहम होती है।

राजतंत्र: सरल समाजों में राजनीतिक संगठनों का मुख्य उद्देश्य कानून और व्यवस्था को स्थापित करना है। इनमें राजनीतिक व्यवस्था के दो स्वरूप दृष्टिगत होते हैं।

1. मुखियावाली (cephalous) 2. मुखिया रहित (acephalous)

सरल समाजों में अर्थव्यवस्था:

सरल समाजों में प्राकृतिक पयावरण की विविधता के परिणामस्वरूप ऐसे समाजों में प्रचलित अर्थव्यवस्थाओं में भी विविधता पायी जाती है। प्रौद्योगिकी सरल होने के कारण सभी सरल समाजों में प्राकृतिक पर्यावरण का असर काफी पाया गया है।

जीवन निर्वाह के लिए भौतिक वस्तुओं के उत्पादन की विधि के आधार पर सरल समाजों की अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित प्रकार के समूहों में बांटा जा सकता है:

1. आखेट और संग्रहण
2. पशु चारण
3. झूम कृषि
4. स्थायी कृषि,
5. सरल समाजों में विनिमय प्रणाली।

आदिम समाजों में वस्तुओं का लेन-देन (विनिमय) अंतर्वैयक्तिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। इससे देने वाले व लेने वाले दोनों व्यक्तियों को प्रतिष्ठा मिलती है। उपहार देने के अवसर, जो कि आनुष्ठानिक प्रकृति के होते हैं, लोगों में सुदृढ़ और संस्थागत संबंधों का प्रदर्शन करते हैं। प्राय: वस्तुओं के विनिमय का उद्देश्य दो समूहों के बीच परस्पर संघर्ष की संभावनाओं को कम करना और उनके बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना होता है। भारत में विवाह के अवसर पर वर और वधू की ओर से उपहारों का आदान-प्रदान होता है। उपयोगिता के संदर्भ में इन उपहारों का आर्थिक मूल्य होता है, परनतु वे प्रतिष्ठा के प्रतीक भी होते हैं और नये संबंधों के बीच एक प्रकार की

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

पक्की मोहर लगा देते हैं वस्तुओं के विनिमय का एक उद्देश्य परस्पर ऋणभार बनाए रखना भी होता है।

बाजार: सरल समाजों में अधिकांश वस्तुओं का विनिमय बाजारों में ही होता है। ये बाजार इन समाजों की आर्थिक प्रणाली को गतिमान रखने के लिए अत्यावश्यक है। परन्तु इनके आर्थिक महत्व के साथ-साथ मिलने-जुलने के एक स्थान के रूप में भी इनका सामाजिक अर्थ है। **नाइजीरिया की योरूबा** और **तन्जानियां की अरुषा** जनजातियाँ अपने बाजारों के लिए प्रसिद्ध हैं। प्राय: बाजारों का प्रयोग प्रशासन और सूचना प्रसार के लिए भी किया जाता है। इसी तरह, उत्तर भारत में पुष्कर और सोनपुर के पारम्परिक बाजारों का भी निष्पादन कलाओं के लोक रूपों के विकास केंद्रो के रूप में उदाहरण दिया जा सकता है।

सरल समाजों पर औपनिवेशिक प्रभाव- औपनिवेशिक शासन की स्थापना के साथ-साथ सरल समाजों की अर्थव्यवस्था को अतंर्राष्ट्रीय पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ गयी। पुंजीवादी अर्थव्यवस्था का इनकी आर्थिक व्यवस्था के साथ मिलना तीन मुख्या तरीकों से हुआ।

पहला परम्परागत उत्पादनों को स्थानीय और प्रदेशिक माध्यमों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य जाल में आपूर्ति करके

दूसरा नई फसलों के प्रचलन से व तीसरा औपनिवेशिक पूंजीवादियों की जोरजबरदस्ती से औद्योगिक मजदूरों में भर्ती होकर।

आर्थिक एकीकरण का प्रभाव सबसे अधिक तीसरे कारण से हुआ और सबसे कम पहले कारण से ।

1. **पारम्परिक उत्पादनों की आपूर्ति**- पहले वर्ग में आखेट और संग्रहण, पशुचारण और कृषक समुदाय आते हैं जो अपने परम्परागत उत्पादों को पूंजीवादी बाजारों के दलालों को बेचते थे। इनसे इन सरल समाजों के आर्थिक संबंधों में बदलाव नहीं आया।
2. **नई फसलों का प्रचलन**-दूसरी प्रकार के एकीकरण से जो परिवर्तन लागू हुए वे पहली प्रकार से हुए परिर्वनों से अधिक व्यापक थे। इसमें उत्पादन के घरेलू संगठन में निश्चित परिवर्तन लाने के लिए एक नया कृषि चक्र अपनाया गया। इस प्रकार के एकीकरण, पश्चिमी अफ्रीका की जनजातियों को जैसे योरूबा को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घसीट लिया गया । हाँ, इस तरह के एकीकरण की वजह से जनजातियों का भौगोलिक विस्थापन अवश्य नहीं हुआ।
3. **औद्योगिक मजदूर**- तीसरे प्रकार के एकीकरण में सरल समाजों पर सबसे अधिक नाशकारी प्रभाव औद्योगिक बाजार में प्रवेश का पड़ा। खानों और कारखानों में काम करने के लिए जनजाति के लोगों को जबरन पकड़ लिया जाता था। उपनिवेशी शासन लागू होने पर जनजातिय समुदायों की राजनीतिक व्यवस्था भंग हो गई। अंग्रेजों ने अप्रत्यक्ष शासन को मानते हुए भी कई क्षेत्रों में पुराने मुखिया ही रखने की कोशिश की। कई समुदायों में नए मुखिया नियुक्त किए गए।

उपनिवेशवाद की समस्याएँ

नयी राजनीतिक व्यवस्था की कई समस्याएँ थी। नातेदारी और धर्म से उसका संबंध विच्छेद कर दिया गया था। जनजातियों ने औपनिवेशिक शासन को विनम्रता से नही अपनाया। 1913-14 में **कीनिया की गिरिअमा जनजाति** उपनिवेशवाद के विरोध में खड़ी हुई थी। कीनिया में **लुओ** और **गुसी** जनजाति को मम्बों पंथ ने जकड लिया था। इसी प्रकार, कीनिया में औपनिवेशिक शासकों को निकाल फेकने के लिए माओ विद्रोहियों ने दृढ़ निश्चय किया। उपनिवेशवाद के प्रति जनजातियों के विरोध की एक और अभिव्यक्ति औशीएनिया के **कार्गो पंथ** में हुई। भारत छोटा नागपुर की जनजातियां - **'मुंडा'' हो' संथाल**- सभी जनजातियां उन्नीसवीं शताब्दी में अंग्रजो और जींमदारों के विरूद्ध खड़ी हुई थी।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir PG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

जटिल समाजः आधुनिक एवं आधुनिकोत्तर समाज

आदिम मानव के शिकारी जीवन से लेकर मानव ने उच्च प्रौद्योगिकी में प्रगति कर आधुनिक काल में जटिल समाज को जन्म दिया है। आधुनिक समाज को जटिल समाज कहलाने के कई कारण है,

जैसे- (i) विस्तृत क्षेत्र और उसकी विशाल जनसंख्या,

(ii) अधिकाधिक पेशागत विभेदीकरण (Occupational Differentiation) तथा विशेषीकरण (Specialization)

(iii) उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन, भवनों, उद्योगो आदि के निमार्ण के लिए उच्च प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल

(iv) जटिल समाज की प्रबंध व्यवस्था में अधिकाधिक तालमेल

(v) उपभोक्ता वस्तुओं (consumer Goods) तथा शिक्षा के स्वरूपों आदि में परिवर्तन की तेज गति।

जटिल समाज का मुख्य आधार **वैज्ञानिक तरक्की, उद्योगीकरण** एवं **नगरीकरण** है। आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार औद्योगिक विकास होता है। सम्पूर्ण आधुनिक समाज जटिल समाज का एक उदाहरण है। जटिल समाज को दो उप-खण्डों में विभक्त किया जा सकता है।

(क) आधुनिक समाज

(ख) उत्तर आधुनिक समाज।

आधुनिक समाज की विशेषताएं:

1. पूँजीपतियों द्वारा अधिक मुनाफा कमाने की दृष्टि से भारी उत्पादन (Profit oriented Production by Capitalists)
2. उच्च प्रौद्योगिकी का प्रयोग (Use of High Technology)
3. महानगरों का विकास
4. नौकरशाही संगठन (Bureaucratic Organization) तथा
5. शिक्षा एवं वैज्ञानिक चिंतन का प्रसार।

उत्तर आधुनिक समाजः कुछ समाज वैज्ञानिक इस समाज को आधुनिकोत्तर और कुछ औद्योगिकोत्तर समाज की संज्ञा देते है। औद्योगिकोत्तर समाज की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं- अधिकांश लोग गैर-कृषि कार्यो में जुटे होते हैं, लोगों के मुख्य जीविकोपार्जन का साधन उद्योग, व्यापार एवं विशिष्ट सेवा होता है एवं समाज में व्यवसायी (Professionals) एवं तकनीशियन का प्रभाव कुछ ज्यादा ही होता है। तरक्की एवं चिन्तन का आधार विज्ञान होता है। इसलिए कुछ लोगों ने औद्योगिकोत्तर काल को वैज्ञानिक युग भी कहना पसन्द किया है। इन समाजों को **विश्वव्यापी ग्राम** की संज्ञा दी है।

ऐन्थनी गिडेन्स समाज का वर्गीकरणः आर्थिक विकस के स्तर के आधार पर उद्विकासीय परिप्रेक्ष्य में सात भागों में बाटा है।

1. शिकारी एवं एकत्रीकरण समाज (Hunting and Gathering)
2. कृषक समाज (Agrarian Societies)
3. पशुचारी समाज (Pastoral Societies)
4. परम्परागत राज्य या सभ्यता (Traditional States or Civilization)
5. पहली दुनिया का समाज (First World Societies)
6. दूसरी दुनिया का समाज (Second World Societies)
7. तीसरी दुनिया का समाज (Third World Societies)

जटिल समाज की विशेषताएं इस प्रकार है:

1. विस्तृत क्षेत्र और उसकी विशाल जनसंख्या
2. अधिकाधिक व्यावसायिक विभेदीकरण तथा कार्य और सामाजिक समूहों का विशेषीकरण

Notepad

NET. JRF Manish Singh Sir EC Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

3. उपभोक्ता वस्तुओ के उत्पादन, मकानों और कार्य स्थानों आदि के निमार्ण के लिए उच्च प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल।
4. जटिल समाज की प्रबंध व्यवस्था में अधिकाधिक तालमेल।
5. उपभोक्ता वस्तुओं, शिक्षा के रूपों आदि के संबंध में परिवर्तन की तेज गति

आधुनिक समाज मूल रूप से औद्योगिक समाज है। ऐसे समाजों में तकनीकी कुशलता का बहुत अधिक महत्व होता है और इसके मुकाबले अकुशल मजदूर का बहुत कम महत्व होता है। आधुनिक समाज के कई घटक है। इनमें शमिल हैं-

1. बड़े पूंजीपतियों द्वारा अधिक मनुाफा कमाने की दृष्टि से उत्पादन
2. प्रौद्योगिक उन्नति
3. घनी शहरी आबादी
4. नौकरशाही संगठन तथा
5. शिक्षा का प्रसार

आधुनिक समाजों में तीसरे विश्व में **अति शहरीकरण** के प्रतिकूल पूर्वी यूरोप में **न्यून शहरीकरण** हुआ है। जबकि **अति-नगरीकरण** औद्योगीकरण और देहाती आबादी के रोजगार के कम अवसारों के कारण होता है **न्यून-नगरीकरण** अतिरिक्त या अधिक औद्योगिकरण तथा उस पर निर्भर करने वाली आवास आदि की व्यवस्था के अभाव से होता है। इस तरह न्यून शहरीकरण की प्रक्रिया में अद्योगीकरण का भार कम संपन्न या गरीब लोगों पर ही पड़ता है। नगरीकरण के तीसरे पहलू जिसे **वि-नगरीकरण** कहते हैं, में जनसंख्या बड़े शहरों को छोड़कर छोटे शहरों की ओर लौटने लगी है। इस प्रकार वहां शहरी औद्योगिक संबंधों का ग्रामीकरण होना लगा। इसका कारण सरकार की आर्थिक और औद्योगिक नीतियां होती है जिसने इस प्रक्रिया को ओर बढ़ावा दिया।

जनजातीय समाज (Tribal society) जनजाति को वन्यजाति, आदिम, आदिवासी, वनवासी, गिरीजन तथा अनुसूचित जनजाति आदि नामों से संबोधित किया जाता है। **घुरिये इन्हें पिछड़े हिन्दू कहते है। बेरियर एल्विन** ने इन्हें **आदिम जाति** के नाम से संबोधित किया है।क्योंकि पर्वू मान्यता है कि भारत में द्रविड़ों के आगमन से पूर्व यहां ये लोग निवास करते थे।

जनजाति की परिभाषा

गिलिन एवं गिलिन के अनुसार " स्थनीय आदिम समूहों के किसी भी संग्रह को जो कि एक समान्य क्षेत्र में रहते हो, एक सामान्य भाषा बोलता है और एक सामन्य संस्कृति का अनुसरण करता हो, एक जनजाति कहते है।" **"डॉ .डी. एन मजूमदार के अनुसार"** एक जनजाति परिवार या परिवारों के समूहों का संकलन होता है, जिसका एक समान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित भू-भाग में रहते है, समान भाषा बोलते है और विवाह, व्यवसाय या उद्योग के विषय में निश्चित निषेध ात्मक नियमों का पालन करते है और पारस्परिक कर्त्तव्यों की एक सुविकसित व्यवस्था को मानते है।"

डॉ रिवर्स के अनुसार जनजाति एक ऐसा सरल प्रकार का सामाजि समूह है जिसके सदस्य एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते है तथा युद्ध, आदि सामान्य उद्देश्यों के लिए सम्मिलित रूप से कार्य करते है।" **रात्फ पिडिंगटन के अनुसार** "हम एक जनजाति की व्यक्यिों के एक समूह के रूप में व्याख्या कर सकते हैं जो कि समान भाषा बोलता हो, समान भू-भाग में निवास करता हो तथा जिसकी संस्कृति में समरूपता पायी जाती है।"

हॉबल के अनुसार: हम एक जनजाति की व्यक्तियों के एक समूह के रूप में व्याख्या कर सकते हैं,जो एक विशेष भाषा बोलता हो, तथा एक विशेष संस्कृति रखता है जो उन्हें दूसरे जनजाति समूहों से पृथक करती है। यह अनिवार्य रूप से राजनीतिक संठन नहीं है।**चार्ल्स विनीक के अनुसार** एक जनजाति मे क्षेत्र,भाषा

Notepad

NET/JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

संस्कृतिक संगठन आता है। यह सामाजिक समूहों, जैसे गोत्रों या गांवो को सम्मिलित कर सकता है।"

इम्पीरियल गजेटियर आफ इण्डिया के अनुसार, एक जनजाति परिवारों का एक संकलन है जिसका एक नाम होता है जो एक बोली बोलती है, एक सामान्य भू-भाग पर अधिकार रखती है या अधिकार जताती है और जो प्राय:अन्तर्विवाह नहीं करती रही है।

इस प्रकार हम कह सकते है कि एक जनजाति एक ऐसा क्षेत्रीय मानव समूह है जिसकी एक समान्य संस्कृति, भाषा, राजनीतिक संगठन एवं व्यवसाय होता है तथा जो सामान्यत: अन्तर्विवाह के नियमों का पालन करता हैं

Notepad

जनजातियों की भाषायी विशेषताएं

भारतीय जनजातियों को भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर तीन भाषई क्षेत्रों में बांटा जा सकता है:

(क) उत्तर, उत्तर पूर्व- पूर्वी क्षेत्र
(ख) मध्य क्षेत्र
(ग) दक्षिण क्षेत्र

क. उत्तर उत्तर- पूर्वी क्षेत्र में अधिकांश जनजातियों चीनी-तिब्बती और तिब्बती वर्मी प्रकार की भाषाएं बोलती है। कुछ उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आस्ट्रिया प्रकार की मोनखमेर भाषओं को मिश्रित भाषा भी बोली जाती है। नागओं में 16 प्रकार की भाषा बोली जाती है।

ख. मध्य क्षेत्र की जनजातियां में मुख्य रूप से आस्ट्रिया भाषा बोली जाती है। उरांव, कोलाम, खोड और गोंड आदि जनजातियों में द्रविड भाषएं बोली जाती है।

ग. दक्षिण भारत की जनजातियों में द्रविड, तमिल, तेलगु,मलयालम, कुर्गी,कन्नड आदि भाषा बोली जाती हैं।

कृषक समाज (Peasant Society)

राबर्ट रेडफील्ड ने ग्रामीण समाज की आन्तरिक एवं बाह्य संरचना को कृषक समाज की अवधारणा के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया है।

भारतीय कृषक समाज के अध्येता समाजशस्त्री एवं सामाजिक मानव शास्त्रियों का विचार है कि ग्रामीण भारत कृषक समाज का भौतिक स्थान है।

आन्द्रेबिताई के अनुसार, यद्यपि कुछ समाजों को कृषक समाजों के रूप में चित्रित करना लाभदायक हो सकता है, परन्तु यह संदेहजनक है कि कोई परंपरागत भारत के लिए इस बात को माने जहाँ एक ओर वृहद् जातीय-संस्तरण की प्रणाली पायी जाती है तो दूसरी ओर जटिल सम्बन्धी स्तरीकरण।

रेडफील्ड के अनुसार: कृषक समाज" वे ग्रामीण लोग जो जीवन निवार्ह के लिए अपनी भूमि पर नियंत्रण बनाए रखते है और उसे जोतते हैं तथा कृषि जिनके जीवन के परंपरागत तरीके का एक भाग और जो कुलीन वर्ग या नगरीय लोगों की ओर देखते है और उनसे प्रभावित होते हैं, जिनके जीवन का ढंग उन्हीं के समान है लेकिन कुछ अधिक सभ्य प्रकार था।

डेनियल थार्नर के अनुसार अनेक शक्तियों के समूहों के सामाजिक सम्बन्धों का एक जाल जो कि खेती से अपना जीविकोपार्जन करते हैं को कृषक समाज कहते हैं

कोबर के अनुसार, कृषक समाज मध्यवर्ती स्थिति में है। इनके एक ओर जनजातीय समाज है तो दूसरी ओर नगरीय सामज।

कृषक समाज की विशेषताएं:

राबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज की निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया:

(i) समरूपता
(ii) भूमि के माध्यम से जीवन यापन

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

(iii) स्तरीकरण का स्पष्ट अभाव
(iv) निश्चित अर्थतन्त्र का अभाव
(v) नगरीय सभ्यता से अल्पप्रभावी
(vi) सामान्यत: शोषित

डी. एन. धनाग्रे तथा बिताई के अनुसार कृषक समाज में निम्न विशेषताएं पायी जाती है।

(i) भूमि से गहरा लगाव
(ii) समाज में निम्न स्थिति
(iii) श्रमिकों के समकक्ष मान्यता

बृजराज चौहान ने कृषिक समाज की विशेषतओं में

(i) अथक परिश्रमी
(ii) मितव्ययी
(iii) सादगी
(iv) स्वाबलम्बी को सम्मिलित किया है।

रयूक तथा नाइक ने

(i) घोर दरिद्रता
(ii) अपरिवर्तनशीलता
(iii) सामाजिक तिरस्कार
(iv) असंचय की विवशता आदि लक्षणो का उल्लेख किया है।

अपरिवर्तनशीला के सन्दर्भ में काल मार्क्स ने वर्गीकृत किया है।

गिलवर्त एटिनी ने तीन विशेषताएं बताई है।

(i) यह कृषि जीवी है।
(ii) श्रम विभाजन तथा श्रम विशेषीकरण का अभाव
(iii) पैतृक व्यवसाय की परम्परा

रेडफील्ड ने कृषक समाज की पाँच विशेषताओं का उल्लेख किया है जो इस प्रकार है।

1. कृषक समाज अपेक्षाकृत एक समरूप समाज है।
2. इसके सदस्य अपना जीवन-यापन भूमि को जोतकर एवं उस पर नियंत्रण रखकर करते हैं।
3. कृषक समाज एक अविभेदीकृत एवं अस्तरीकृत समुदाय हैं।
4. कृषक समाज नगरों या कस्बों के कुलीन वर्ग से भिन्न है यद्यपि यह उनके अनेक क्षेत्रों में प्रभावित होता है
5. आर्थिक आधार पर कृषक समाज अन्य समाजों से भिन्नता लिए हुए होता है।

डेनियल थार्नर के अनुसार, कृषक समाज में तीन प्रकार के वर्ग पाए जाते है,

1. मालिक (Proprietors)
2. किसान (The working Peasants)
3. मजदूर (Labourers)

कृषक समाज का वर्गीकरण

डॉ. रामकृष्ण मूकर्जी ने कृषक समाज में तीन वर्गो का उल्लेख किया हैं

1. **प्रथम वर्ग** जीमदारों और निरीक्षक किसानों (Supervisory Farmar) का है जिनका कृषक समाज में उच्च स्थान है।
2. **दूसरे वर्ग में** आत्मनिर्भरता किसान या कृषक (Self sufficient Peasantry of cultivators) आते है। इसमें कारीगार और व्यापारी भी सम्मिलित हैं जो कि आंशिक रूप से कृषक पर निर्भर करते है।
3. तृतीय वर्ग में कृषक-श्रमिक (Agricultural Laboures) और अन्य दूसरे काम करने वाले व्यक्ति आते है।

Notepad

NET : JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

कृषक समाज की आर्थिक संरचना में जातीय संस्तरण के रूप में निम्न वर्ग देखने को मिलती है

1. उच्च जातीय हिन्दू (Upper Cast Hindus)
2. निम्न जातीय हिन्दू (LowCast Hindus)
3. अनुसूचित जातियां (Scheduled cast)
4. सैयद मुसलमान (Sayyad Muslims)
5. खुला मुस्लिम (Khulla Muslims)

डॉ रामकृष्ण मुकर्जी ने उत्तरी बंगाल के **बोबरा जिला** के एक गांव के अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि समान्यत: उच्च जातीय हिन्दू आर्थिक संरचना की प्रथम श्रेणी से सम्बन्धित हैं। निम्न जातीय हिन्दू और सैय्यद मुस्लिम द्वितीय श्रेणी में आते हैं जबकि अनुसूचित जनजातियाँ एवं समूह तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आते है।

जनगणना के आधार पर कृषक समाजों की निम्नलिखित श्रेणीयों का उल्लेख किया है:

1. जमींदार (Lend Lordd)
2. स्वामी किसान (Owner Cultivators)
3. किराएदार किसान (Tenents Cultivators)
4. कृषक श्रमिक (Agricultural Laboures)

एडम स्मिथ और रिकार्डो ने तीन वर्गो का उल्लेख किया है।

क. जमींदार
ख. किसान
ग. श्रमिक

मार्क्सवादियों ने कृषक समाज को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा है-

1. जमींदार
2. स्वामी खेतिहर
3. किराएदार खेतहिर
4. कृषक श्रमिक।

आन्दे बिताई ने तमिलनाडु में **तंजोर जिले के अग्रहरण गांव का उल्लेख किया है** जिसे आपने **श्रीपुरम्** के नाम से पुकार हैं। **श्रीपुरम एक ऐसा गांव है जो कृषक गांव नहीं कहा जा सकता हैं।**

गिल्वर्ट एटीनी ने श्रीपुरम के विपरीत प्रकार के तन्जौर जिले के एक गांव **किलाउलूर** का उल्लेख किया हैं।

कृषक समाज की श्रेणियाँ

क्रोवर ने अपनी पुस्तक "Anthropalogy" में सामान्य तौर पर कृषक समाज को 70 श्रेणी में बाँटा है।

(i) भू-पति या जमींदार
(ii) छोटे-भूपति या भूस्वामी
(iii) कृषक
(iv) **मध्यम कृषक**
(v) निर्धन कृषक
(vi) किरायेदार कृषक
(vii) बढ़ाईदार कृषक
(viii) हलिया या हलवाह
(ix) दिहाडी/ दैनिक कृषि श्रमिक
(x) घूमन्तू खेतिहर मजदूर

भारतीय समाज में कृषकों की श्रेणियाँ

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

बृजराज चौहान ने अपनी पुस्तक "A village in Rajasthan" में निम्न कृषक श्रेणियों का उल्लेख किया है-

(i) मालिक
(ii) किसान
(iii) मजदूर

डेनियल थार्नर की पुस्तक Agrarian Society in india में कृषकों की तीन श्रेणियों का उल्लेख है

(i) मालिक
(ii) जमीदार
(iii) भूस्वामी या भूपति

किसनों एवं मजदूरों की श्रेणी इस प्रकार है

A. पट्टीदार किसान B. छोटे कृषक
(i) बताईदार मजदूर
(ii) भूमिहीन मजदूर
(iii) घुमन्तु या निर्धन मजदूर

आन्द्रेबिताई ने भारतीय किसानों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है।

(i) भू-पति जमींदार बडे आसामी, छोटे आसामी
(ii) बटाईदार पट्टीदार, वास्तविक किसान, हलिया, दिहाड़ी,भूमिहीन, मजदूर और घुमन्तू मजदूर

डी. एन धनाग्रे का भारतीय कृषकों का वर्गीकरण इस प्रकार है।

(i) मालिक या भू-स्वामी
(ii) धनी कृषक
(iii) मध्यम कृषक
(iv) निर्धन कृषक
(v) भूमिहीन कृषक

कृषक समाज तथा लघु समदुाय में अन्तर

1. लघु समुदाय का आकार छोटा होता है। इसमें प्राथमिक सम्बधों की विशेषताएं, घनिष्ठता एवं समुदायिक भावना पायी जाती हैं। कृषक समाज अपेक्षतया बड़े आकार का होता है। तथा इसमें सदैव सामूदायिक भावना का होना आवश्यक नहीं हैं।
2. लघु समुदाय में विशिष्टता पायी पायी जाती है जबकि कृषक समज में सामाजिक, सांस्कृतिक,आर्थिक विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं।
3. लघु समुदाय एक समरूप समुदाय है। यद्यपि रेडफील्ड ने कृषक समाज को समरूप समुदाय कहा है किन्तु आन्द्रे विताई ने इसे समरूप समुदाय नहीं माना हैं
4. लघु समुदाय आत्मनिर्भर होता है। जीवन से लेकर मृत्यु तक सभी आवश्कताओं की पूर्ति लघु समुदाय में हो जाती है। किन्तु कृषक समाज आत्मनिर्भर भी हो सकता है। तथा अन्य समुदायों पर निर्भर भी।
5. लघु समुदाय कृषक समुदाय की तुलना में अधिक प्राचीन हैं
6. लघु समुदाय कृषक परम्परवादी एवं सामान्यत: परिवर्तन से दूर होते है, जबकि कृषि के यंन्त्रों, तरीकों आदि में नवीन अधिकार होने पर कृषक समाजों में परिवर्तन आते हैं।
7. लघु समुदाय की अवधारणा सार्वभौमिक है, जबकि कृषक समाज की अवधारण विभन्नि देशों में भिन्न-भिन्न हैं

कृषक समाज से सम्बन्धित समकालीन अध्ययन:

आन्द्रेबिताई ने तमिलनाडु के **अग्रहरम गाँव** में कृषक समाज का अध्ययन किया। उन्होनें इसे **श्रीपुरम** नाम दिया। **गिलवर्त एटिनी** कर्नाटक में किल्प उल्लूर वेली

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

उड़ीसा का विसीपाड़ी गाँव, M.N श्रीनिवास मैसूर का रामपुरा गाँव

मैकिम मैरियट किसनगढी- दिल्ली मेण्डलबाम कोटा आन्ध्र प्रदेश

किग्सले डेविस ने भारतीय कृषकों की निम्नलिखिति विशेषताएं बताई हैं:

(i) जीवित प्राणियों का संगठन
(ii) जनसंख्या का निरन्तरता
(iii) व्यवस्था की निरन्तरता
(vi) प्रखायें

जानसन ने कृषकों के निम्न तत्वों का उल्लेख किया हैं-

(i) भूमि अथवा भू-भाग
(ii) प्रजनन
(iii) संस्कृति
(iv) परस्पर निर्भरता

औद्योगिक समाज (Industrial Society)

इन समाजों को हम विकसित समाज भी कहतें है। इन समाजों का आधार औद्योगिक अर्थव्यवस्था है। इन समाजों में उच्चस्तर का श्रम विभाजन एवं विशेषकीकरण पाया जाता है। इन समाजों का जीवन तीव्र और यंत्रवत दिखई देता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में तीव्र प्रतिस्पर्धा पायी जाती है।

औद्योगिक समाजों की विशेषताएं-

1. नौकरी में लगी जनसंख्या का अधिकांश भाग कारखनों एवं कार्यालयों में काम करता है न कि कृषि क्षेत्र में।
2. परम्परात्मक समाजों की तुलना में औद्योगिक समाज काफी अधिक नगरीकृत होते हैं।
3. नवीन औद्योगिक क्षेत्रों में सामाजिक जीवन पहले की तुलना में अधिक अवैयक्तिक एवं गुमनाम होता है।
4. औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था परंपरात्मक समाजों की तुलना में काफी विकसित प्रकार की होता है।
5. प्रौद्योगिकी का प्रयोग आर्थिक विकास की शांतिपूर्ण प्रक्रियाओं तक ही सीमित नहीं हैं। औद्योगिकरण के प्रारंभ के समय से ही आधुनिक उत्पादन प्रक्रियाओं का प्रयोग सैन्य कार्य हेतु भी किया गया।

औद्योगिकरण का प्रारम्भ 1850 में माना जाता है जब प्रथम बार कपडे की मिल स्थापना की गयी। किन्तु भारत में तीव्र औद्योगिकरण की शुरूआत आजादी के बाद ही शुरू हुयी।

औद्योगिक अर्थ व्यवस्थाओं की विशेषताएं

1. श्रम के स्थान पर पूंजी को अधिक महत्व तथा बड़ी मशीनों का उपयोग
2. भाप, विद्युत एवं अणुशक्ति का उपयोग
3. उत्पादन इकाई के रूप में बड़े कारखानों का विकास
4. उत्पादन और विनिमय लाभ हेतु बाजार में प्रतिस्पर्धा
5. स्थानीय बाजार के स्थान पर विश्व बाजार का विकास तथा मुद्रा आधारित अर्थ व्यवस्था।
6. यातायात एवं संचार के विकसित साधन
7. उद्योगों का प्रबंधकों द्वारा संचालन तथा एकाधिकार की प्रवृत्ति
8. जटिल श्रम विभाजन व्यवस्था

औद्योगीकरण की आधुनिक प्रवृत्तियां:- विज्ञान और प्रौद्योगिक के क्षेत्र में तीव्र प्रगति के कारण औद्योगिक क्षेत्र में निम्न परिवर्तन हो रहें है। जो इस प्रकार है।

1. नियोजित औद्योगीकरण एवं औद्योगिक सार्वभैमिकता का अन्त

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

2. विशेषीकरण, प्रभावीकरण एवं तकनीकी प्रगति होना
3. मिश्रित अर्थव्यवस्था की स्थापना
4. औद्योगिक प्रबन्ध का व्यवासायीकरण होना
5. पूंजी का अधिकाधिक प्रयोग एवं उत्पादकता आन्दोलन
6. श्रमिकों के साथ मानवीय व्यवहार एवं सामाजिक उत्तराधिकार का प्रसार

Notepad

औद्योगीकरण का प्रभाव

1. आन्तरिक संरचना में परिवर्तन

अ. ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र के आर्थिक विकास के बीच असमानता का बढ़ना

ब. नगरीकरण की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन के साथ मजदूरी और वेतन पाने वाली संख्या में वृद्धि हुई है।

स. औद्योगिक विकास के फलस्वरूप औद्योगिक श्रमिकों की संख्या में वृद्धि।

द. उद्योगों की स्थापना उन क्षेत्रों में हुई जो पूंजी, यातायात के साधनों व आर्थिक संरचना की दृष्टि से उन्नत एवं समृद्धिशाली होते हैं।

र. सार्वजनिक वित्त में प्रत्यक्ष कारों का अंश बढ़ता है।

ल. बैंकिग और बीमा संस्थाओं का विकास होता है।

व. यातायात और संचार के साधनों के अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य शहरों के निवास, गन्दी बस्तियों की सफाई आदि में विनियोग की मात्रा बड़ती है।

औद्योगीकरण के सामाजिक प्रभाव-

1. जनसंख्या में वृद्धि तथा आवास की गंभीर समस्या
2. व्यक्तिवाद की भावना में बढोत्तरी, फलस्वरूप वैयक्तिक एवं सामाजिक सामंजस्य की समस्याएं
3. बड़ी औद्योगिक ईकाईयों का विकास फस्वरूप कुटीर एवं दस्तकारी उद्योगों का पतन
4. प्रबल प्रतियोगिता एवं अधिक विशेषीकरण
5. नगरवाद में वृद्धि एवं तीव्र सामाजिक गतिशीलता
6. एकाकी परिवारों की संख्या में वृद्धि तथा ग्रामीण एकता और आत्मनिर्भरता का अन्त
7. आय में वृद्धि परन्तु सामाजिक परिप्रेक्ष्य में धन का असमान वितरण
8. नवीन मध्य वर्ग का उदय

विदेशी व्यापार के स्वरूप पर औद्योगीकरण का प्रभाव:- औधोगिक रूप से पिछड़े देशों में पुराने उद्योगों का नए सिरे से विस्तार किया जाता हैं। तथा नवीन उद्योगों की स्थापना की जीती है। आयात योग्य वस्तु की मात्रा और प्रवृत्ति में परिवर्तन आता है। आयात तकनीकि और उससे सम्बद्ध जानकारी को प्रश्रय मिलता है।

औद्योगिक समाज की समस्या

1. बेरोजगारी, निर्धनता एवं जनसंख्या घनत्व में वृद्धि
2. व्यक्तिवाद और भौतिकता में वृद्धि तथा पारिवारिक विघटन
3. औद्योगिक श्रमिकों का शोषण एवं औद्योगिक तनाव
4. गन्दी बस्तियों, बाल- अपराध एवं युवा अपराध में वृद्धि
5. मानिसक एवं शारीरिक तनाव एवं अलगाव के फलस्वरूप वैश्यावृत्ति एवं मद्यपान की बढ़ती प्रवृत्ति।

औद्योगिक क्रांन्ति (Industrial Reolution)

औद्योगिक क्रान्ति से तात्पर्य श्रम- संचयी उपायों और मशीनों को उत्पादन विधि में प्रयोग करने से है। औद्योगिक क्रान्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1884 में **आरनोल्ड टायनबी** ने किया था।

औद्योगिक क्रान्ति का परिणाम-

1. लोहा निर्माण में क्रान्ति,
2. इंजीनियरिंग का विकास,

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

3. कोयला उद्योग का विकास,
4. यातायात के साधनों का प्रसार,
5. वस्तु उद्योग में भाप के इंजनों का प्रयोग
6. रासायनिक उद्योगों का विकास।

Notepad

उत्तर औद्योगिक समाज (Post-Industrial society)

डेनियल बेल के अनुसार " उत्तर औद्योगिक समाजों में प्रारम्भ के वर्ग सम्बन्ध निरर्थक हो गए है। प्रारम्भिक सम्बन्ध उत्पादन के साधनों के स्वामित्व पर आधारित थे। औद्योगिक समाजों में मुख्य केन्द्र वर्ग विभाजन का आधार बनती है"।

ऐसे समाजों में घनिष्ठ प्राथमिक सम्बन्धों का अभाव पाया जाता हैं जिसके परिणामस्वरूप लोगों को भावात्मक सुरक्षा प्राप्त नही हो पाती। ऐसे समाज में निर्धानता, बेकारी, मंहगई, गन्दी बस्तियों के भीड़-भाड़ युक्त वातवरण, सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन में भ्रष्टाचार आदि समस्याओं की प्रधानता होती हैं।

इन समाजों में ज्ञान पूंजी की शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जिन व्यक्तियों के पास तकनीकी एवं पेशे से संबंधित दक्षता होती है वे उत्तर- औद्योगिक समाज के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं।

उत्तर औद्योगिक समाजों में संघर्ष भिन्न प्रकृति का होता है। इनमें संघर्ष आर्थिक लाभ की तर्कयुक्तता से होता है न कि पूंजी श्रम से। इन समाजों में तनावों एंव संघर्ष का कारण भौतिक पुरस्कार है।

उत्तर- औद्योगिक समाज भौतिक वस्तुओं के उत्पादन पर आधारित न होकर सूचनाओं के उत्पादन पर आधारित है।

शब्दावली

परंपरागत समाज: इन समाजों में प्रस्थिति और भूमिका का निर्धारण प्राय: परंपराओं और कहीं-कहीं जन्म के आधार पर होता है। ऐसे समाजों में धर्म, नैतिकता, प्रथा, परंपरा, रूढ़ि एवं जनमत का विशेष महत्व होता है। परंपरागत समाजों में प्रौद्योगिकी श्रम- विभाजन व विशेषीकरण को विशेष महत्व नही दिया जाता। इनमे रूढ़िवादिता और भाग्यवादिता अधिक महत्वपूर्ण होती है। परंपरागत समाजों में स्त्रियों की स्थिति पुरूषों की तुलना में निम्न होती है।

मुक्त समाज: ऐसे समजों में धन, शिक्षा वैयक्तिक गुण एवं योग्यता आदि को विशेष महत्व दिया जाता हैं। इन्हीं के आधार पर व्यक्ति की सामजिक प्रस्थिति का निर्धारण होता है।यह समाज रूढ़िवादी न होकर परिवर्तनशील एवं प्रगतिशील होता है। फलस्वरूप इनमें सामाजिक गतिशीलता अधिक पायी है और सामाजिक परिवर्तन की गति तुलनात्मक रूप से तीव्र होती हैं।

सभ्यता की दृष्टि से समाज को आदिम और सभ्य दो भागों में बाँटा जाता है।

आदिम समाज: इन्वास प्रिचार्ड के अनुसार मानवशास्त्री 'आदिम समाज' शब्द का प्रयोग उन समाजों के लिए करते हैं। जो जनसंख्या, क्षेत्र और समाजिक सम्पर्को की परिधि की दृष्टि से छोटे होते है और जिनकी अधिक प्रगतिशीलता समाजों की तुलना में सरल प्रौद्योगिकी तथा सरल प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है और जिनमें सामजिक कार्यो का कम विशेषीकरण पाया जाता है।

आदिम समाज: के अन्तर्गत मुख्यरूप से वे जनजातीय समाज आते हैं जो पहाड़ी पठारी की दृष्टि से काफी पिछडें हुए है। ऐसे समाजों को सरल समाज भी कहा जाता है। भारत में अनेक जनजातियां जैसे टोड़, कमार आदि आदिम समाज के ही उदहारण हैं।

सभ्य समाज: सभ्य समाज वे समाज है जो जनसंख्या, क्षेत्र और सामाजिक सम्पर्को की परिधि की दृष्टि से काफी बड़े होते है और जिनकी प्रौद्योगिकी तथा अर्थव्यवस्था काफी विकसित प्रकार की होती है और जिनमें सामाजिक कार्यो का काफी विशेषीकरण पाया जाता है। इनमें साहित्य, कला और विज्ञान का विशेष महत्व होता हे, द्वितीयक

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

सम्बन्धों की प्रधानता होती है। परिवार, नातेदारी, धर्म, परम्परा एवं रूढ़ि का ऐसे समाज में सापेक्ष दृष्टि से कम महत्व पाया जाता है। ऐस समाज को जटिल समाज कहते हैं

कार्ल मर्क्स द्वारा समाज का वर्गीकरण: मार्क्स ने आर्थिक व्यवस्था को निर्णयक संस्था मानकर अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। **मार्क्स के अनुसार**, "व्यापक रूप से हम एशियाई प्राचीन, सामंतवादी तथा आधुनिक उत्पादन के तरीकों को समाज के आर्थिक निर्माण की प्रगति में कई अवस्थाएं (युग) मान सकते है।" एक अन्य स्थान पर मर्क्स और एन्जिल्स ने आदिम साम्यवादी, प्राचीन समाज, सामन्तवादी समाज और पूंजीवाद को मानव इतिहास का प्रमुख युग कहा है।

बोटोमोर के अनुसार, यदि हम इन दोनो योजानाओं को मिला दे तो हमें समाजों के पांच मुख्य प्रकार मिलते हैं। आदिम, एशियाई, प्राचीन, सामन्तवादी तथा पूंजीवादी।

आदिम समाज- इसे **आदिम साम्यवादी समाज** भी कहा गया। ऐसे समाज में उत्पादन के साधनों पर पूरे समुदाय का समान आधिकार होत है न कि किसी व्यक्ति विशेष या कुछ व्यक्तियों का। उत्पादन प्रणाली आदिम प्रकार की होती है। लोग तीर-कमान एवं पत्थर के कुछ औजारों की सहयता से थोड़ा-बहुत उत्पादन एवं पशुओं का शिकार कर अपनी आवश्कताओं की पूर्ति करते है। संयुक्त श्रम के आधार पर जो कुछ उत्पादन होता है। उसे सब लोग आपस में बाँट लेते है। ऐसे समाज में न तो वर्ग भेद और न ही शोषण पाया जाता है।

एशियाई समाज: मार्क्स के अनुसार, एशियाई समाज एक ऐसा समाज है जिसकी कृषि प्रधान आर्थिक व्यवस्था उत्पादन की छोटी ईकाईयों पर आधारित है। साथ ही जिसमें केन्द्रित राज्य और नौकरशाही है जिसकी शक्ति जलपूर्ति नियमन पर निर्भर करती है। भारत को एशिया समाज का उदाहरण बताया है।

प्राचीन समाज- इन समाजो में परंपराओं का विशेष महत्व होता है। व्यक्ति के व्यवहारों का निर्धारण परंपराओं द्वारा ही होता है। ऐसे समाजों में उत्पादन की प्रणाली अधिक विकसित नहीं होती। कम विकसित औजारों की सहयता से करते हैं ऐसे समाज में निजी सम्पत्ति की धारणा के होने से सम्पत्ति का असमान वितरण पाया जाता है। परिणामस्वरूप आर्थिक अधिकार पर बने वर्ग परिलक्षित होते है। कहीं-कहीं एक वर्ग के द्वारा दूसरे का शोषण और कभी-कभी वर्ग संघर्ष दिखाई पड़ता है।

सामन्तवादी समाज: ऐसे समाजों में भूमि तथा उत्पपादन के अन्य साधनों पर साधारणत: किसानों का अधिकार नहीं होकर कुछ सामन्तों या जमींदारों का अधिकार होता है। ये लोग अर्द्ध- दास किसानों से खेती एवं उत्पादन का कार्य करते है। निजी सम्पत्ति की किसानों से खेती एवं उत्पादन का कार्य कराते है। निजी सम्पत्ति की विकसित धारणा के कारण इस प्रकार के समाजों में सम्पत्ति का आसमान वितरण देखने को मिलता है। ऐसे समाजो में सामन्तों द्वारा किसानों का शोषण किया जाता है। इन समाजों में राजनीतिक शक्ति समाज के कुछ हाथों में केन्द्रित होती है। ग्यारहवी शताब्दी से उन्नसवीं शताब्दी तक के यूरोपीय समाज और जापान सामन्तवादी समाज के ही विभन्नि उप- प्रकारों के अंतर्गत आते है।

पूंजीवादी समाज: पूंजीवादी समाजों की स्थापना में मशीनों के अधिकार एवं बड़े उद्योग-धन्धों का विशेष योगदान है । मशीनों के सहयोग से बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। पूंजीवादी समाजों से उत्पाद के साधनों पर पूंजीपितयों का अधिकार होता है। वेतनभोगी मजदूरों की सहायता से बड़े पैमाने पर उत्पादन का मुनाफा पूंजीपतियों के हाथ में चला जाता है और वे अधिाधिक धनी होते जाते है। दूसरी ओर श्रमिकों का पूंजीपतियों द्वारा शोषण बढ़ता जाता है। इसके फलस्वरूप वर्ग-भेद और वर्ग-संघर्ष बढ़ने लगता है।

उपरोक्त पांच प्रकार के समाजों के अतिरिक्त मार्क्स ने एक और समाज **समाजवादी समाज** की रूपरेखा भी प्रस्तुत की है। साम्यवादी रूस और वर्तमान चीन पूर्वी यूरोप के कुछ देश इस प्रकार के समाज के उदहारण थे।

समाजवादी समाज: मार्क्स के अनुसार, धनी और निर्धन के भेद बढ़ने और तीव्र वर्ग

Notepad

NET/JRF Manish Singh Sir UG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

के जागृत होने पर वर्ग संघर्ष होगा। जिसमें पूंजीपति वर्ग को समाप्त करके वर्ग विहीन समाज की स्थाना की जाएगी। ऐसे समाज में निजी सम्पत्ति का अस्तित्व नहीं होगा। उत्पादन लाभ के बजाय उपभोग के लिए किया जाएगा। समाज के सभी सदस्य अपनी योग्यता अनुसार कार्य करती है और क्षमता के अनुसार प्राप्त करते हैं । इन समाजों में धार्मिक मनोवृत्तियों का स्थान नगण्य होता है ।

मार्क्स ने भारतीय समाज को एशियाई समाज के अंतर्गत रखा है। वर्तमान मे भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा है, जिसमें संयुक्त परिवार, जाति, समुदाय, प्रथा परंपरा, धर्म आदि क्षेत्रों के प्रभाव में तजी से परिवर्तन हो रहा है। वर्तमान तीव्र औद्योगीकरण, शिक्षा का प्रसार तथा व्यक्तिगत उपलब्धियों को महत्ता प्रदान की जा रही है। वर्तमान भारत में इस समय परंपरात्मक और मुक्त दोनों ही प्रकार के समाजों की विशेषताएं एक साथ परिलक्षित हो रही है। यद्यपि इसकी दिशा आधुनिकीकरण की ओर है जो जातीय और मुक्त समाज की ओर इगित करता है।

आखेट और संग्रहण: आखेट और संग्रहण करने वाले समाज अपना निर्वाह छोटे बड़े शिकार करके तथा विभिन्न प्रकार की जड़ो,कंदमूलों और फलों को इकठा करके करते हैं। आखेट और संग्रहण करने वाले इन सभी समाजों का प्रकृति के साथ करीब संबंध होता है।

पशु चारण :पशु चारण अवस्था का मुख्य लक्षण जानवरों को पालतू बनान है। कुछ पशु चारण समुदायों की अर्थ व्यवस्था में कृषि भी शमिल हो जाती है।भारत में पशुचारी समाजों में टोडा, नीलगिरि, तमिलनाडु के भैस चराने वाले तथा जम्मू और कश्मीर के बकरवाल भेड और बकरी चाराने वाले शमिल हैं। पशुचारियों द्वारा पाले गये पशुधनों का उनके धार्मिक और अन्य क्रियकलापों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे- भैंस पालना टोडा जाति में एक पवित्र काम माना जाता है।

झूम कृषि: झूम कृषि में प्रत्येक कुछ सालों के बाद नई फसल उगाने के लिए कृषको द्वारा नया मैदान साफ किया जाता है और पुराने मैदान को प्राकृतिक उर्वरता के लिए छोड दिया जाता है

भूमध्यवर्तीय अफ्रीका की बात जाति, जनजाति मेद्यालय की गारो जाति, जनजाति मध्य प्रदेश की बैगा और अबुझमार जनजाति तथा उड़ीसा की सावरा जनजाति में झूम कृषि का प्रचलन है। अरूणचल प्रदेश की कई जनजातियों में भी झूमकृषि का प्रचलन है।

स्थायी कृषि: सरल समाजों की एक बड़ी संख्या स्थायी कृषि में रत है जो एक ही जमीन पर साल दर साल लगातार खेती करती है। गांवों के आसपास कई देवी देवताओं का उदय हो जाता है। , जो गांवों को धार्मिक महत्ता प्रदान करते है। और निजि संपत्ति की संस्था भी अधिक मजबूत हो जाती है।

प्रौद्योगिकी के आधार पर स्थायी कृषि के दो तरह से विभाजन किये जा सकते है, फावड़ा या कुदाली कृषि तथा हल कृषि।प्रशांत महासागर के ट्रोबियंड द्वीप निवासी कुदाली कृषक हैं भारत में मुड़ा संस्थाल और हो (हल) कृषक हाली हैं। भारत की नागा जनजाति सीढी कृषक करने वालों के बढ़िया उदहारण हैं

औद्योगिक समाज: औद्योगिक समाज वे समाज हैं जो जनसंख्या, क्षेत्र और सामाजिक सम्पर्को की परिधि की दृष्टि से काफी बड़े होते है और जिनकी प्रौद्योगिकी तथा अर्थव्यवस्था काफी विकसित प्रकार की होती है एवं जिनमें सामाजिक कार्यो का अत्यधिक विशेषीकरण पाया जाता है। वर्तमान भारत का महानगरीय समाज और पाश्चात्य समाज प्रमुखत: औद्योगिक समाज के ही उदहारण है। औद्योगिक समाज की संरचना तथा प्रकार्य जटिल प्रकृति के होते हैं। इसके विपरीत , जिस समाज की संरचना तथा प्रकार्य जटिल जितने अधिक विभेदीकृत हैं,विभन्नताएं जितनी कम है, वह समाज उतना ही सलल होगा।

अमेरिका, जाापान, जर्मनी और फ्रांस आदि देश और औद्योगिक समाज के उदहारण हैं।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

परिवार, विवाह तथा नातेदारी (Family, Marriage and Kinship)

Notepad

परिवार (Family)

प्रत्येक समाज में सामाजिक संरचना की आधारभूत इकाई परिवार होती है। प्राणिशास्त्रीय संबंधों के आधार पर बने समहों में परिवार सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राथमिक समूह है। समाजशास्त्रियों का मानना है कि परिवार समाज रूपी भवन के कोने का पत्थर हैं। यह सामाजिक संगठन की मौलिक इकाई है। मौलिकता का प्रमाण यह है कि प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी परिवार का सदस्य रहा है या है। मैकाइवर **एवं पेज ने कहा हैं कि** "समाज में परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया है।"

मानव की समस्त सामाजिक संस्थाओं में परिवार एक आधारभूत और सर्वव्यापी सामाजिक संस्था है। **मैलिनोवस्की** कहते हैं कि "परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया है।" मटडॉपक ने तो 250 आदिम परिवारों का अध्ययन करने पर पाया कि कोई भी समाज ऐसा नहीं था जिसमें परिवार रूपी संस्था की अनुपस्थिति हो।

परिवार का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and definition of family)

'परिवार' का अंग्रेजी रूपान्तरण 'Family' शब्द की उत्पत्ति **लैटिन शब्द** 'Famulus' से हुआ है, जो एक ऐसे समूह के लिए प्रयुक्त हुआ है जिसमें माता-पिता, बच्चे, नौकर और दास हों। सामान्यतया विवाहित युगल को परिवार कह दिया जाता है लेकिन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से परिवार में पति-पत्नी एवं बच्चों का होना आवश्यक है। इनमें से किसी भी एक के अभाव में हम उसे परिवार न कहकर गृहस्थ (Household) कहेंगे।

- प्रत्येक परिवार एक गृहस्थ भी है, किन्तु सभी गृहस्थ परिवार नहीं है।
- **मैकाइवर एवं पेज के अनुसार,** 'परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन-पालन की व्यवस्था करता है।'
- **डा. दुबे के अनुसार**, 'परिवार में स्त्री और पुरुष दोनों को सदस्यता प्राप्त रहती है, उनमें से कम से कम दो विपरीत यौन व्यक्तियों को यौन संबंधों की सामाजिक स्वीकृति रहती है और उनके संसर्ग से उत्पन्न सन्तान मिलकर परिवार का निर्माण करते हैं।'
- **मरडॉक के अनुसार,** परिवार एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसके लक्षण सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग और जनन है। इनमें दो लिंगों के बालिग शामिल है जिनमें कम-से-कम दो व्यक्तियों में स्वीकृत यौन संबंध होता है और जिन बालिग व्यक्तियों में यौन संबंध होता है, उनके अपने या गोद लिये हुए एक या अधिक बच्चे होते हैं।'
- **लूसी मेयर** 'परिवार एक ग्रहस्थ समूह है जिसमें माता-पिता और सन्तान साथ-साथ रहते हैं। इसके मूल रूप में दम्पत्ति और उसकी सन्तान रहती है।'
- **इलियट तथा मैरिल के अनुसार,** 'परिवार पति, पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है।'
- किंग्सले डेविस के अनुसार, 'परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह हैं, जो रक्त के आधार पर एक-दूसरे से संबंधित है तथा जो परस्पर नातेदार है।'

संक्षेप में, हम परिवार को जैविकीय संबंधों पर आधारित एक सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसमें माता-पिता और बच्चे होते हैं तथा जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों के लिए सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग, यौन-संतुष्टि और प्रजनन, सामाजीकरण और शिक्षण आदि की सुविधाएं जुटाना है।

NET JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

परिवार की विशेषताएँ:

मैकाइवर एवं पेज ने परिवार की निम्नलिखित **आठ विशेषताओं** का उल्लेख किया है:

1. **सार्वभौमिकता** (Universality): परिवार की उपस्थिति सार्वभौमिक है। कोई भी समाज चाहे वह आधुनिक हो या प्राचीन, शहरी हो या ग्रामीण, सभी में परिवार रूपी संस्था की उपस्थित देखने को मिलती है। सभी समाजों में परिवार का महत्व यौन व्यवहार के नियंत्रण, प्रजनन, आर्थिक सहयोग एवं समाजीकरण हेतु निश्चित रूप से परिलक्षित होता है। **जॉर्ज पीटर मर्डक** ने भी परिवार के उक्त चार प्रकार्यों के आधार पर परिवार की सार्वभौमिकता की व्याख्या की है।

मर्डक ने 250 परिवारों का अध्ययन किया जिसमें 12 परिवारों के संबंध में उपयुक्त आंकड़े नहीं मिल पाए अत: उनका परीक्षण 238 परिवारों पर ही हो पाया। इन परिवारों में वृत्तिर औद्योगिक समाज से लेकर शिकारी तथा खानाबदोश परिवार तक सम्मिलित थे जिनका अध्ययन करने के पश्चात मर्डक पाते हैं कि प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में परिवार विद्यमान थे।

परिवार की संरचना के विषय में मर्डक यह कहते हैं कि सबसे छोटी परिवार की इकाई मूल परिवार है तथा बड़ा परिवार संयुक्त/विस्तारित परिवार है जो कि ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज दोनो हो सकता है। वस्तुत: मर्डक का निष्कर्ष यह था कि **'मूल परिवार सार्वभौमिक' है।**

मर्डक के परिवार संबंधी विचार या परिवार की सार्वभौमिकता संबंधी विचार का अपवाद:

1. मर्डक के परिवार की परिभाषा में कम से कम एक वयस्क पुरुष एवं एक स्त्री का होना आवश्यक है जबकि इस नियम का अपवाद भी है। वेस्टंडीज के द्वीपों में गुयाना तथा अमरीका के कुछ हिस्सों में काले प्रजाति के परिवारों में वयस्क पुरुष नहीं होते।
2. **मेल्फोर्ड ई. स्पाइरो** (M.E. Spiro) ने **इजराइल के किबुत्ज** (Kibbuts) के अध्ययन के आधार पर परिवार की सार्वभैमिकता का खंडन किया है। किबुत्ज परिवार इजराइल की जनसंख्या का लगभग 4% भाग 240 किबुत्ज समुदायों में रहता है। किबुत्ज सदस्यों द्वारा पूंजी एवं संपत्ति की सामूहिक सामुदायिक भागीदारी होती है। इसकी मुख्य अर्थव्यवस्था कृषि एवं छोटे-मोटे उद्योगों पर आधारित है।

किबुत्ज विचारधारा लैंगिक समानता पर बल देती है तथा पिश्चमी सभ्यता पर आधारित माता-पिता की भूमिकाओं विशेष कर माता की भूमिका का तिरस्कार करती है। किबुत्ज में एक पत्नी विवाह की परम्परा है। पति-पत्नी एक शयनकक्ष में रहते हैं तथा उनके बच्चे सामुदायिक युवागहों में रहते हैं। बच्चो का पालन-पोषण वहीं होता है। वे कभी-कभी अपने माता-पिता से मिल लेते हें लेकिन यह मुलाकात केवल मनोरंजन के लिए होती है। इस प्रकार माता-पिता पारिवारिक उत्तरदायित्वों को नहीं निभाते जो परिवार के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण का संकेत है।

इसके अलावा किबुत्ज में और भी ऐसे पद परम्परागत पारिवारिक व्यवस्था के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण के परिचायक हैं। विवाहित दम्पतियों के बीच घरेलू कार्यों में सहयोग या आर्थिक सहयोग जैसी चीज नहीं दिखाई देती। ये लोग परिवार के लिए नहीं बल्कि किबुत्ज के लिए कार्य करते हैं।

मर्डक की परिभाषा के अनुसार किबुत्ज में परिवार का अस्तित्व नहीं होता। क्योंकि उसके सदस्य न तो बच्चों का सामाजीकरण करते हैं और न ही उनमें आर्थिक सहयोग की भावना पाई जाती है।

इसी प्रकार **कैथलीन गफ** ने **केरल के 'नायर'** के अध्ययन में परिवार के अस्तित्व को अस्वीकार किया है।

2. **संवेगात्मक आधार** (Emotional Basis): परिवार के सदस्य संवेगात्मक या

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

भावात्मक आधार पर परस्पर घनिष्ठ रूप से जुड़े रहते हैं। परिवार में प्रेम, सहयोग, दया, त्याग, बलिदान, सुख-दु:ख आदि की भावनाएं विद्यमान होती हैं जो परिवारिक संगठन को सुदृढ़ करती है। **आई.पी. देसाई ने महुआ (गुजरात)** के अध्ययन में परिवार के इसी संवेगात्मक आधार की चर्चा की है।

3. **रचनात्मक प्रभाव** (Formative Influence): परिवार व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं चरित्र निम्राण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिवार का वातावरण बच्चे पर स्थाई प्रभाव डालता है जिसको जीवन के अंतिम समय तक देखा जाता है। परिवार ही हमारे मनोवृत्तियों, आदतों आदि का निर्माण करता है। इसलिए ही कूले परिवार को **मानव स्वभाव की पोषिका** (Nursery of Human Nature) कहते हैं।

4. **सीमित आकार** (Limited Size): सामाजिक संरचना के औपचारिक संगठनों में परिवार सबसे छोटा है। मूल रूप से परिवार में पति-पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। आधुनिक कारकों ने तो परिवार को और भी छोटा कर दिया है।

5. **सामाजिक संरचना में केन्द्रीय स्थिति** (Nucleur Position in the Social Structure): परिवार की सामाजिक संरचना में केन्द्रीय स्थिति है और समाज का निर्माण भी परिवार रूपी इकाइयों के मिलने से होता है। अरस्तु ने भी समुदाय को परिवारों का योग माना है। इस कारण ही **मैकाइवर एवं पेज** ने कहा है कि **'समाज में परिवार ही अत्यधिक महत्वपूर्ण समूह हैं'**।

6. **सदस्यों का उत्तरदायित्व** (Responsibility of the Members): परिवार के सदस्यों में उत्तरदायित्व की असीमित भावना पाई जाती है। मैकाइवर के अनुसार संकट काल में व्यक्ति देश के लिए कार्य करते हैं, युद्ध लड़ते हैं तथा शहीद हो जाते हैं परन्तु परिवार के लिए तो वे जीवन पर्यन्त परिश्रम करते हैं।

7. **सामाजिक नियंत्रण** (Social Regulation): परिवार में अनेक ऐसे नियम, प्रथाएं एवं रूढ़ियां है जो परिवार एवं समाज को बनाए रखने एवं उस पर नियंत्रण रखने में योग देती हैं। सामाजीकरण के माध्यम से परिवार सामाजिक मूल्य, मानदंड एवं रीतिरिवाजों का संचार अपने सदस्यों में करता है। इसी संदर्भ में **गोल्डस्टीन ने कहा है कि 'परिवार वह झूला है जिसमें भविष्य का जन्म होता है, वह शिशु-गृह है जिसमें नए प्रजातंत्र का जन्म होता है।'**

8. **परिवार की स्थाई व अस्थाई प्रकृति** (Permanent and Temporary Nature of the Family): **मैकाइवर एवं पेज** ने परिवार को एक समिति एवं संस्था दोनो माना है। समिति के रूप में परिवार उसके सदस्यों का समूह है। इस कारण अस्थाई प्रकृति का है क्योंकि सदस्यों की मृत्यु, पृथक्करण, तलाक आदि के कारण परिवार के आकार में परिवर्तन के साथ-साथ उसकी सदस्यता भी समाप्त हो सकती है। लेकिन एक कार्यप्रणाली के रूप में परिवार का अस्तित्व सार्वभौमिक है जो एक संस्था को इंगित करता है।

इसके अतिरिक्त **मैकाइवर एंव पेज** ने परिवार की कुछ सामान्य विशेषताओं का भी उल्लेख किया है जो निम्न हैं:

(i) विवाह संबंध

(ii) **विवाह का एक स्वरूप**-दो विषम लिंगियों को यौन-संबंधों की स्थापना कर उन्हें स्थाई बनाए रखने की समाज द्वारा स्वीकृत संस्थागत व्यवस्था ही विवाह है जो एक विवाह एवं बहु विवाह के रूप में भिन्न समाजों में दृष्टव्य होती है।

(iii) वंशनाम की व्यवस्था।

(iv) **आर्थिक व्यवस्था**-परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण एवं उन्हे जीवित रखने के रूप में।

(v) सामान्य निवास।

परिवार की उत्पत्ति (Origin of the Family)

Notepad

NET JRF Manish Singh Sir EC Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

विभिन्न समाशास्त्रियों एवं मानवशास्त्रियों ने परिवार की उत्पत्ति के विषय में भिन्न-भिन्न मत प्रगट किऐ हैं। हम यहाँ पर इन सिद्धातों का उल्लेख करेंगे:

1. **शास्त्रीय सिद्धांत** (Classical Theory):

- इस सिद्धान्त के प्रतिपादकों में **प्लेटों तथा अरस्तू** आदि प्रमुख हैं।
- 1861 में सरहेनरीमेन ने विश्व के विभिन्न समाजों के अध्ययन के आधार पर इस सिद्धान्त को आगे बढ़ाया।
- इस सिद्धान्त के अनुसार, परिवार का **आरम्भिक रूप पितृ सत्तात्मक के साथ-साथ पितृ स्थानीय एवं पितृवंशीय भी था।**
- हेनरी मेन का मत है कि मातृ सत्तात्मक परिवारों का जन्म बाद में हुआ।

2. **यौन साम्यवाद का सिद्धांत** (Theory of Sex Communisms):

- इस सिद्धान्त के प्रतिपादकों में **मॉर्गन**, **फ्रेजर** एवं **ब्रिफाल्ट** आदि विद्वान प्रमुख हैं।
- इस सिद्धान्त के अनुसार कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री से यौन संबंध स्थापित कर सकता था।
- ऐसी स्थिति को उन्होंने **यौन साम्यवाद** (Sex Communism) **या कामाचार** (Promiscuity) की अवस्था कहा है।
- मार्गन का मानना है कि आदिम समाजों में **'सिब'** (Sib) ही एकमात्र समूह होता था जिसमें यौन स्वछन्दता प्रचलित थी।
- इस सिद्धान्त के अनुसार 'मातृ-सिब' या मातृ-सत्तात्मक परिवार का प्राम्भिक समूह था क्योंकि यौन स्वच्छन्दता का प्रचलन होने के कारण पितृत्व का निर्धारण कठिन था।
- **ब्रीफाल्ट ने 'द मदर्स'** नामक पुस्तक में बताया कि आदिम मनुष्य सामाजिक संकट की अवस्था में रहता था एवं उसका परिवार, माता और बच्चों से निर्मित था।
- अपने मत की पुष्टि हेतु इन्होंने त्यौहारों के अवसर पर स्वेच्छाचार, पत्नी-विनिमय, अतिथि सत्कार के लिए पत्नियों को प्रस्तुत करना आदि प्रमाणों का सहारा लिया।
- यह सिद्धांत **'वर्गात्मक स्वजन व्यवस्था'** से भी प्रभावित था क्योंकि यह व्यवस्था बर्हिविवाह के नियमों का पालन करने की एक विधि थी।

3. मातृ सत्तात्मक सिद्धांत (Matriarchal Theory):

- इस सिद्धांत का प्रतिपादन **'द मदर्स'** नामक पुस्तक में **ब्रिफाल्ट** ने किया। **बैकोफन एवं टायलर** भी इसी सिद्धांत के समर्थक थे।
- ब्रिफाल्ट ने मातृसत्तात्मक एवं मातृवंशीय परिवारों के आधार पर बताया कि आरंभ में यौन संबंध निश्चित नहीं थे।
- ब्रिफाल्ट का मत है कि मानव परिवार तो क्या पशु परिवार का भी आदिम रूप मातृ सत्तात्मक ही था।
- टायलर का मत है कि पहले परिवार मातृ सत्तात्मक था, फिर मातृ सत्तात्मक एवं पितृसत्तात्मक का मिश्रण हुआ और बाद में पितृसत्तात्मक परिवार अस्तित्व में आया।

4. **एक विवाह का सिद्धांत** (Theory of Monogamy):

- 'The History of Human Marraige' नामक पुस्तक में **वेस्टरमार्क** ने अपना एक-विवाह सिद्धान्त प्रस्तुत किया।
- **डार्विन** का कहना है कि परिवार का जन्म पुरुष के आधिपत्य और ईर्ष्या भावना के कारण हुआ।
- डार्विन के विचार से सहमति व्यक्त करते हुए वेस्टरमार्क ने कहा कि पुरुष स्वभाव से ईर्ष्यालु है, वह स्त्री पर सम्पत्ति की भाँति ही अपना एकाधिकार चाहता है। इस एकाधिकार को जब सामाजिक स्वीकृति मिल गयी तो वह एक-विवाह की प्रथा बन गयी।
- वेस्टरमार्क ने इस सिद्धान्त की पुष्टि **जुकरमेन तथा मैलिनोवस्की** ने भी की है।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

- **मैलिनोवस्की** ने अपनी पुस्तक 'Sex and Repression in Savage Society' में लिखा है कि 'मनुष्य पशु अवस्था से ही परिवार को अपने साथ लाया है और वह परिवार एक विवाही परिवार ही है।'
- **मैलिनोवस्की** लिखते हैं कि **"एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप रहा था और रहेगा।"**

Notepad

5. **उद्विकासीय सिद्धांत** (Evolutionary Theory):

- इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में **बैकोफन** मुख्य हैं। मॉर्गन ने इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की है तथा **मैकलेनन, लुबोक** एवं **टायलर** इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक रहे हैं।
- बैकोफन ने परिवार के उद्विकासीय क्रम को निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया है:
 - (i) परिवार का आदिकालीन स्वरूप (कामाचार की स्थिति)
 - (ii) बहुपति विवाही परिवार
 - (iii) बहुपत्नी विवाही परिवार
 - (iv) एक-विवाही परिवार
- **मॉर्गन** ने परिवार के उद्विकास के निम्नांकित 5 स्तर माने हैं:
 - (i) **रक्त संबंधी परिवार** (Consinguineous Family):**यह यौन-स्वच्छदंता** (Sex promixiquity) पर आधारित परिवार था। इस अवस्था में रक्त संबंधियों के बीच विवाह की मनाही नहीं थी।
 - (ii) **समूह परिवार** (Punaluan Family): इस अवस्था में रक्त-संबंधी विवाह पर प्रतिबंध लगे थे। लेकिन विभिन्न संबंधियों के बीच लैंगिक संबंधें की निश्चितता नहीं थी।
 - (iii) **सिडेस्मियन परिवार** (Syndasmian Family): इस अवस्था में एक पुरुष का एक स्त्री के साथ विवाह होता था। लेकिन उसी परिवार की विवाहित स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करने की स्वतंत्रता प्रत्येक पुरुष को रहती थी।
 - (iv) **पितृसत्तात्मक परिवार** (Patriarchal Family): इस अवस्था में पुरुष का आधिपत्य स्थापित हो चुका था। वह एक से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह एवं यौन संबंध रख सकता था।
 - (v) **एकल विवाह परिवार** (Monogamous Family): यह परिवार का वर्तमान रूप है, जिसमें एक पुरुष एक स्त्री के साथ यौन संबंध रखता है जिसके साथ वह विवाह करता है।

मॉर्गन के उपरोक्त वर्णित 5 अवस्थाओं के एक समान रूप को प्रत्येक समाज के लिए स्वीकार करना कठिन है। इसमें भी यौन स्वच्छंदता (प्रथम अवस्था) पर समाजशास्त्रियों ने प्रश्न चिन्ह लगाया जिसमें 'वेस्टरमार्क' प्रमुख हैं।

मैकाइवर और पेज लिखते हैं, "परिवार की इस दृष्टि से कोई उत्पत्ति नहीं हुई है कि मानव जीवन की कभी कोई ऐसी अवस्था थी जिसमें परिवार नहीं पाया जाता था अथवा कोई दूसरी अवस्था ऐसी थी जिसमें परिवार का उदय हुआ।" परिवार की उत्पत्ति में अनेक कारणों का योग रहा है।

परिवार के प्रकार (Types of Family)

संक्षिप्त में परिवारों के वर्गीकरण को हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं:

1. **संख्या के आधार पर:**
 - (क) केन्द्रीय परिवार या नाभिक परिवार
 - (ख) संयुक्त परिवार
 - (ग) विस्तृत परिवार
2. **निवास के आधार पर:**
 - (क) पितृ-स्थानीय परिवार

NET JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

(ख) मातृ-स्थानीय परिवार
(ग) नव-स्थानीय परिवार
(घ) मातृ-पितृ स्थानीय परिवार
(च) मामा स्थानीय परिवार
(छ) द्वि-स्थानीय परिवार

3. अधिकार के आधार पर:
(क) पितृ-सत्तात्मक परिवार
(ख) मातृ-सत्तात्मक परिवार

4. उत्तराधिकार के आधार पर:
(क) पितृ-माग्री परिवार
(ख) मातृ-मार्गी परिवार

5. वंशनाम के आधार पर:
(क) पितृ-वंशीय परिवार
(ख) मातृ-वंशीय परिवार
(ग) उभयवाही परिवार
(घ) द्वि-नामी परिवार

6. विवाह के आधार पर:
(क) एक-विवाही परिवार
(ख) बहु-विवाही परिवार

बहुपत्नीक परिवार बहुपतिक परिवार समूह-विवाही परिवार
भ्रातृ बहुपतिक परिवार अभ्रातृ बहुपतिक परिवार/ ग्राफ

7. अन्य रूप:
(क) जन्म मूलक परिवार
(ख) प्रजनन मूलक परिवार
(ग) समरक्त परिवार
(घ) विवाह संबंधी परिवार
(ड.) ग्रामीण परिवार
(च) नगरीय परिवार

1. **संख्या के आधार पर** (On the Basis of Numbers):

क **केन्द्रीय परिवार या नाभिक परिवार** (Nuclear Family): यह परिवार का सबसे छोटा रूप है। ऐसे परिवार में पति-पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। इस प्रकार के परिवारों में अन्य रिश्तेदारों को सम्मिलित नहीं किया जाता। ऐसे परिवार आधुनिक औद्योगिक समाजों में विशेष रूप से पाए जाते हैं।

ख **संयुक्त परिवार** (Joint Family): विस्तारित परिवार के एक विशिष्ट रूप, जो विशेषत: भारत के हिन्दुओं में पाया जाता है, को संयुक्त परिवार की संज्ञा दी जाती है। यह निकट रक्त संबंध और संयुक्त आवास पर आधारित एक से अधिक प्राथमिक परिवारों का संगठन होता है। प्राथमिक परिवारों की अपेक्षा पीढ़ियों की अधिक गहराई होती है। सामान्यत: इसमें तीन या अधिक पीढ़ियों के व्यक्ति रहते हैं। **इरावती कार्वे** ने अपनी पुस्तक 'Kinship Organisation in India' में संयुक्त परिवार की परिभाषा इस प्रकार दी:

"एक संयुक्त परिवार उन लोगों का समूह होता है, जो साधारणत: एक ही भवन में रहते हैं, जो एक ही रसोई में बना हुआ भोजन करते हैं, जो सम्पति के संयुक्त स्वामी होते है, जो सामान्य पूजा में भाग लेते हैं और किसी न किसी प्रकार एक दूसरे से रक्त संबंधी है।"

- संयुक्त परिवार में रक्त संबंधी के अलावा कुछ अन्य संबंधी भी होते हैं। जैसे-पत्नी का भाई, बहन, अन्य कोई रिश्तेदार। यद्यपि परिवार की सम्पति में इनका कोई हिस्सा नहीं होता तथापि संयुक्त परिवार का सदस्य माना जाता है।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

- सामान्य निवास, सम्मिलित सम्पति, सामान्य पूजा तथा धर्मिक कर्तव्य, बड़ा आकार, सहयोगी व्यवस्था, कर्त्ता (Karta) का सर्वोच्च स्थान, सदस्यों में एक निश्चित स्तरण, स्थायित्व आदि संयुक्त परिवार की मुख्य विशेषता है।
- **आई. पी. देसाई** ने सौराष्ट्र प्रान्त के **महुआ कस्बे** के अध्ययन के आधार पर संयुक्त परिवार को परिभाषित करते हुए कहा है कि हम उस गुह (Household) को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें एकाकी परिवार से अधिक पीढ़ियों (अर्थात तीन या अधिक) के सदस्य रहते हो और जिसके सदस्य एक दूसरे से सम्पति, आय और पारस्परिक अधिकारों तथा कर्तव्यों द्वारा सम्बद्ध हो।
- **डा. देसाई** संयुक्त परिवार के लिये सामान्य पाकशाला एवं समूह के सदस्यों की संख्या को आवश्यक नहीं मानते। इनके अनुसार, पीढ़ियों की संख्या (गहराई), सम्मिलित सम्पति तथा आय और परस्पर कर्तव्यपरायणता संयुक्त परिवार के लिये आवश्यक है। पीढ़ियों की गहराई से उनका तात्पर्य ऐसे परिवार से है, जिसमें दादा, पिता और पुत्र तीनों पीढ़ियों या इससे भी अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रहते हो।

कुछ अध्ययनों में संयुक्त परिवार को साथ मिलकर रहने व खाने वाला परिवार समूह कहा गया है। लेकिन ऐसे संयुक्त परिवार भी पाये गये हैं जिनका साझा चूल्हा तो होता है, लेकिन वे एक साथ एक स्थान पर नहीं रहते। इसके विपरीत ऐसे संयुक्त परिवार भी है जहाँ परिवार से सभी सदस्य एक घर में रहते हैं लेकिन उनकी रसोई अलग होती है, परंतु सामान्यतः सहभोजन (परिवार के सदस्यों का साथ मिलकर खाना) और सामान्य आवास संयुक्तता के आवश्यक घटक माने जाते हैं।

कुछ विद्वानों ने कोई परिवार सहआवासी है या सहयोगी है, इस पर विचार किये बिना संपति के संयुक्त स्वामित्व को संयुक्तता का आधार बताया है। संयुक्त परिवार का निर्धारण करने में यह कानूनी दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण एवं निर्णायक कारण है। एफ. जी. बेली (1963) व टी. एन. मदान (1962) आदि समाजशास्त्रियों ने संयुक्त परिवार शब्द के प्रयोग को नातेदारों के उस समूह तक सीमित रखा है, जिनका सम्पति पर स्वामित्व बनता हो। इसे **सहदायादी** (Coparceners) परिवार भी कह सकते हैं।

(ग) विस्तृत परिवार (Extended Family): विस्तारित परिवार में प्रारंभिक परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त कुछ निकट संबंधियों को भी सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार के परिवार में दो या दो से अधिक पीढ़ियां साथ-साथ रहती है तथा यह एक लिंग (पति अथवा पत्नी) की ओर की सभी विवाहित संतानों, उनके जीवन साथी तथा परिवारों द्वारा बना होता है। उदाहरणार्थ एक विस्तारित परिवार में दादा-दादी, उनकी अविवाहित संताने, विवाहित लड़के, उनके जीवन साथी तथा संताने सम्मिलित होती है। विस्तारित परिवार वस्तुतः संयुक्त परिवार की ही वृहद रूप है।

2. **निवास के आधार पर** (On the Basis of Residence):

(क) पितृ-स्थानीय परिवार (Patrilocal Family): यदि विवाह के बाद पत्नी अपने पति एवं पति के माता-पिता के साथ रहने लगती हो तो उसे हम पितृ-स्थानीय परिवार कहते हैं। हिन्दुओं, मुसलमानों एवं भील, खड़िया तथा कई पितृवंशीय परिवारों में यह प्रथा पायी जाती है।

(ख) मातृ-स्थानीय परिवार (Matrilocal Family): इसके विपरीत जब विवाहोपरान्त पति, पत्नी के माता-पिता के निवास-स्थान पर रहने लगता है तो उसे मातृस्थानीय परिवार कहते हैं। ऐसे परिवार भारत में मालाबार के नायरों, खासी व गारो जनजातियों में देखने को मिले हैं।

(ग) नव-स्थानीय परिवार (Neolocal Family): जब परिवार में पति-पत्नी विवाह के बाद न तो पति पक्ष के लोगों के साथ और न ही पत्नी पक्ष के लोगों के साथ रहते हैं वरन् अपना अलग नया घर बनाकर रहते हैं, तो उसे नव-स्थानीय परिवार कहते हैं।

(घ) मातृ-पितृ स्थानीय परिवार (Matri-Patri Local Family): पितृ-स्थानीय

Notepad

NET/JRF Manish singh Sir UC Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

परिवार के ही एक भिन्न रूप को **प्रो. मर्डक** ने मातृ-पितृ स्थानीय परिवार कहा है। नवदम्पति कुछ समय के लिये पत्नी के माता-पिता के साथ तथा बाद में स्थाई रूप से पति के माता-पिता के साथ रहने के लिये चले जाते हैं।

(च) मातुल स्थानीय परिवार (Avanculocal Family): जब विवाहित दम्पति पति के माँ के भाई (पति के मामा) के साथ या उसके सानिध्य में रहते हैं तो ऐसे परिवार को मातुल स्थानीय परिवार कहते हैं। इस प्रकार के परिवारों का भौगोलिक वितरण अत्यन्त सीमित होता है। ट्रोबियंड द्वीपवासियों में यह प्रथा प्रचलित है।

(छ) द्वि-स्थानीय परिवार (Duolocal Family): कुछ स्थानों पर ऐसे भी परिवार हैं जहां विवाह के बाद पति-पत्नी अपने-अपने जन्म के परिवारों में ही रहते हैं। लक्षद्वीप, केरल और अशांटी जनजाति में इस प्रकार के परिवार पाये जाते हैं। पति रात्रि को अपनी पत्नी के घर जाता है परन्तु दिन में वह अपने जन्म के परिवार में ही रहता है।

3. **अधिकार के आधार पर** (On the Basis of Authority):

(क) पितृ-सत्तात्मक परिवार (Patriachal Family): जब सत्ता पुरुष या पिता के हाथों में होती है यानि इस तरह के परिवार में पति या पिता परिवार का कर्त्ता होता है। खारिया, भील, संथाल, मुरिया तथा अंगामी नागा में इस तरह के परिवार पाये जाते हैं। नृविज्ञानियों के मतानुसार इस प्रकार के परिवार का उदय निजी सम्पत्ति के विकास तथा पुरुषों द्वारा उत्पादन के प्रमुख कार्यों के सम्पादन किए जाने के साथ ही हो गया होगा। परिवार का यह रूप सभी आधुनिक समाजों में देखा जा सकता है किन्तु वर्तमान में कानूनों ने पिता के अधिकारों पर प्रहार कर कई समाजों में उन्हें सीमित कर दिया है।

(ख) मातृ-सत्तात्मक परिवार (Materiarchal Family):जब सत्ता स्त्री वर्ग के हाथों में रहती है पितृसत्तात्मक परिवारों से ऐसे परिवारों में यह अंतर है कि इनमें पुरुष सदस्य पिता से संबंधित नहीं होते, वे माता पक्ष से संबंधित होते है। जैसे-मामा, भाँजे आदि। ऐसे परिवार में पुत्र सम्पति का अधिकारी नहीं होता बल्कि माता का भाई अथवा बहन का लड़का (भांजा) सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होता है। खासी, गारो तथा नायर में मातृसत्तात्मक परिवार पाये जाते हैं।

मालाबार के नायरों में मातृसत्तात्मक परिवार को **तारवाड या तारवाद** के नाम से जाना जाता है। तारवाड मे एक स्त्री के कई पीढ़ियों के वंशज रहते हैं। तारवाड़ में सभी रक्त संबंधी सदस्य ही होते हैं। कोई भी विवाह संबंधी इसमें नहीं रहता है। तारवाड की सम्पत्ति अविभाज्य मानी जाती है, जिस पर सभी सदस्यों का अधिकार होता है। इस सम्पत्ति का प्रबन्धक **'कार्णवान'** कहलाता है, जो परिवार का सबसे वृद्ध पुरुष होता है। तारवाद में मामा से भांजे को उत्तराधिकार मिलता है।

प्रो. कपाड़िया के अनुसार, आधुनिक युग में तारवाड़ के स्थान पर **तवाजी (छोटे परिवार)** का विकास हो रहा है। तवाजी उस परिवारिक इकाई को कहा जाता है, जो एक स्त्री, उसकी संतानों तथा वंशजों से बनता है।

4. **उत्तराधिकार के आधार पर** (On the Basis of Succession):

(क) पितृ-मार्ग्री परिवार (Patrilateral Family): ऐसे परिवार में उत्तराधिकार के नियम पितृपक्ष के आधार पर तय किये जाते हैं।

(ख) मातृ-मार्गी परिवार (Matrilateral Family): इसमें उत्तराधिकार के नियम मातृपक्ष के आधार पर तय किये जाते हैं।

5. **वंशनाम के आधार पर** (On the Basis of Lineage):

(क) पितृ-वंशीय परिवार (Patrilineal Family): ऐसे परिवारों में वंश परम्परा पिता के नाम से चलती है। पुत्रों को पिता का वंशनाम प्राप्त होता है। पितृवंशीय परिवार पितृसत्तात्मक भी होते हैं। परिवार की सम्पत्ति का नियंत्रक पिता होता है तथा बच्चों का पिता की सम्पत्ति पर अधिकार होता है न कि माता की सम्पत्ति पर। हिन्दुओं में परिवार पितृवंशीय है।

Notepad

NET/JRF Manish Singh Sir EC Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

(ख) मातृ-वंशीय परिवार (Matrilineal Family):ऐसे परिवार में वंश परम्परा माता के नाम से चलती है और माँ से पुत्रियों को वंशनाम मिलता है। मातृवंशीय परिवार में यह आवश्यक नहीं कि यह मातृसत्तात्मक भी हो। इनमें संपत्ति केवल माता के द्वारा ही हस्तांतरित होती है और केवल महिला ही उसकी उत्तराधिकारी होती है। यद्यपि संपत्ति का नियंत्रणकर्ता पुरुष भी हो सकता है, जैसे-गारो जनजाति में। साथ ही परिवार में माता या उसके भाई का प्रभुत्व होता है।

(ग) उभयवाही परिवार:कुछ परिवारां में वंश परिचय वंशानुगत न होकर सभी निकट संबंधियों पर समान रूप से निर्धारित होता हैं ऐसे समाजों में पैतृक व मातृक दोनों वंशनाम परंपराएं साथ-साथ चलती हैं। इन परिवारों में एक व्यक्ति अपने दादा-दादी एवं नाना-नानी चारों संबंधियों से समानत: संबंधित रहता है।

(घ) द्वि-नामी परिवार (Bilineal Family):ऐसे परिवारों में एक व्यक्ति एक ही समय में अपने दादा (पिता के पिता) एवं नानी (माँ की माँ) से संबद्ध होता रहता है। अन्य दो संबंधी दादी एवं नाना को छोड़ दिया जाता है।

6. **विवाह के आधार पर** (On the Basis of Marriage):

(क) एक-विवाही परिवार (Monogamous Family): जब एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है, तो ऐसे विवाह से बने परिवार को एक विवाही परिवार कहा जाता है। संथाल, कादर, खासी, हों एक विवाही परिवार के उदाहरण है।

(ख) बहु-विवाही परिवार (Poly gamous Family): जब एक पुरुष का एक से अधिक स्त्रियों के साथ या एक स्त्री का एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह होता है तो ऐसे परिवार का बहुविवाही परिवार कहा जाता है। बहुविवाही के दो प्रकार होते हैं।

1. **बहुपत्नीक परिवार** (Polygynous Family):जब एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह करता है, ऐसे परिवार में एक पुरुष की एक से अधिक पत्नियां होती है। हिन्दुओं में नहीं, बल्कि मुसलमानों में बहुपत्नी परिवार पाये जाते हैं। भारत की नागा, बैगा, तथा गोंड जनजातियों में बहुपत्नी परिवार पाये जाते हैं।

2. **बहुपतिक परिवार** (Polyandrous Family): जब एक स्त्री एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह करती है तो इस विवाह के आधार पर बने परिवार को बहुपति परिवार कहा जाता है। मिस्त्र तथा भारत के कुछ जनजातियों में ऐसे परिवार पाये जाते हैं। खस, टोंडा, कोटा, बोटा, टियान, नायर में बहुपति परिवार पाया जाता है। इसके भी दो रूप हैं:

 (i) **भ्रातृक परिवार** (Fraternal/Adelphic Polyandrous Family):भ्रातृक परिवार में एक स्त्री के सभी पति भाई होते है। जैसे खस, टोडा।

 (ii) **अभ्रातृक परिवार** (Non Fraternal/non adelphic Family): अभ्रातृक परिवार में एक स्त्री के के सभी पति भाई नहीं होते है। इस प्रकार के परिवार नायर, खस एवं टोडा में पाये जाते हैं।

7. **परिवार के कुछ अन्य स्वरूप:**

1. **डब्ल्यू लायड वार्नर** ने दो प्रकार के परिवारों का उल्लेख किया है:

(क) जन्ममूलक परिवार (Family of Orientation): अर्थात वह परिवार जिसमें एक व्यक्ति जन्म लेता है। तथा उसका पालन-पोषण होता है ऐसे परिवार में व्यक्ति के माता-पिता एवं भाई-बहन आते हैं।

(ख) प्रजनन मूलक परिवार (Family of Procreation): अर्थात वह परिवार जिसका निर्माण विवाह के बाद व्यक्ति करता है। प्रथम में एक व्यक्ति की प्रस्थिति पुत्र या पुत्री की होती है। जबकि दूसरे में पति या पत्नि की होता है। व्यक्ति अपने जीवन काल में साधारणत: दो परिवारों का सदस्य होता है एक जन्ममूलक परिवार का और दूसरा प्रजनन मूलक परिवार का।

2. **(क) रक्त सम्बंधी परिवार** (Consanguine Family): रक्त संबंधी परिवार

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir LG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

उस परिवार को कहते हैं, जिसके केन्द्र में रक्त संबंधी होती हैं और जिनमें आपस में किसी प्रकार का यौन संबंध नहीं पाया जाता है। ऐसे परिवार में कुछ अन्य संबंधी भी होते है जिनमें पति-पत्नी भी हो सकते हैं, परंतु ये परिवार के आधार नहीं होते हैं। इनकी स्थिति केन्द्र के बाहर होती हैं ऐसे परिवार की सहायता व्यक्ति को जन्म के आधार पर प्राप्त होती है। ऐसे परिवार में रक्त संबंध पर जोर दिया जाता है, न कि विवाह संबंध पर। रक्त संबंधी परिवार मुख्यतया विस्तारित परिवार बनाता है। मालाबार के नायरों में इस प्रकार के परिवार पाये जाते हैं। इसका सर्वोत्तम उदाहरण भारतीय संयुक्त परिवार है।

(ख) विवाह संबंधी परिवार (Conjugal Family): विवाह संबंधी परिवार उस परिवार को कहते है जिसके केन्द्र में पति-पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे होते हैं। इसमें रक्त संबंधों की अपेक्षा पति-पत्नी के संबंधों को प्राथमिकता दी जाती है। इस प्रकार के परिवार का जन्म विवाह के आधार पर होता है। अन्य संबंधी केन्द्र के बाहर होते हैं। इसका सर्वोत्तम उदाहरण अमरीकी मूल परिवार है।

3. **स्तम्भ परिवार** (Stem Family):प्रो. लीप्ले ने परिवार के एक ऐसे रूप को स्तम्भ परिवार की संज्ञा दी है जिसमें एक नाभिक परिवार के साथ एकाधिक अन्य संबंधी भी रहते हैं। इसमें पितृसत्तात्मक परिवार की अपेक्षा पारिवारिक स्थायित्व एवं निष्ठा के साथ-साथ पारिवारिक सदस्यों को व्यक्तिश: स्वतन्त्रता काफी मात्रा में प्राप्त होती है।

लीप्ले ने पितृसत्तात्मक, अस्थाई एवं विशिष्टीकृत परिवारों की भी चर्चा की है।

4. **सममितिक परिवार** (Symmetrical Family): पति और पत्नी के युग्म से निर्मित एक ऐसा नाभिक परिवार जो अपने संबंधियों से किसी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं करता और न ही सहायता की आशा करता हैं यह पूर्णत: आत्मनिर्भर एक स्व प्रशासित परिवार होता है।

इस संकल्पना का प्रयोग 'यंग एवं विल्मोट' ने लगभग दो हजार परिवारों के एक प्रतिदर्श के आधार पर किए गए एक सर्वेक्षण द्वारा परिवार का जो रूप उभरा, उसी के लिए किया गया।

5. **इवान्स प्रिचार्ड** ने पितृपक्षीय समाजों के लिय परिवारों का एक उपयोगी वर्गीकरण प्रस्तुत किया है।

1. **प्राकृतिक परिवार,** जिसमें माता-पिता, विवाहित या अविवाहित तथा उसकी संताने होती है।
2. **सरल कानूनी परिवार,** जिसमें विवाहित दम्पति और उनकी संताने रहती है।
3. **जटिल कानूनी परिवार,** जिसमें अलग-अलग परिवार होते हैं, जो एक पिता से सम्बद्ध होने के कारण एक दूसरे से संबद्ध है। यह बहुपत्निक परिवार होता है।
4. **प्रेत परिवार,** जिसमें प्रेत पिता या प्रति पुरुष पिता (Proxy Father) उसकी पत्नी व बच्चे होते हैं।

6. **एकान्तिक नाभिकीय परिवार** (Isolated Nuclear Family): आधुनिक औद्योगिक समाज का यह एक विचित्र परिवार है, जो संरचनात्मक रूप से अलग-अलग (Structurally isolated) होता है और वृहत नातेदारी व्यवस्था से जुड़ा नहीं रहता। यह धारणा टालकट पार्सन्स ने प्रतिपादित की।

जिमरमैन द्वारा प्रस्तुत परिवार का वर्गीकरण:

तीन प्रकार के परिवार बताए:

1. **न्यासधारी परिवार** (Trusteeship Family): मूलत: संयुक्त परिवार है। जिसमें व्यक्तिगत अधिकारों का कोई स्थान नहीं है। अत: प्रत्येक सदस्य Trustee अर्थात् परिवार के मुखिया के निर्णयों को मानने के लिए बाध्य होता है। मुखिया का अधिकार निरंकुश नहीं है। बल्कि, उसे Trustee के रूप में यह

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

अधिकार परिवार के उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए प्राप्त है। इसमें रूढ़ीगत लोकाचारो के रूप में कुछ (औपचारिक नियम पालन) प्रत्येक सदस्य के लिए आवश्यक होते हैं।

2. **आणविक परिवार** (Atomistic Family):मूलत: मूल पिरवार है जिसमें रूढ़िगत लोकाचारों की महत्ता समाप्त हो जाती है तथा प्रत्येक सदस्य की स्वइच्छा महत्वपूर्ण हो जाती है। परिवार का अपने सदस्यों पर नियंत्रण काफी कम होता है। eg Am. MF उदहारण- अमरकी परिवार
3. **गृहस्थ परिवार** (Domestic Family): यह न्यासधारी तथा आणविक दोनों के बीच का परिवार है। इसमें दोनो परिवारों की विशेषताए समाहित है। अत: यह परिवार औपचारिकता तथा व्यक्तिवाद के बीच संतुलन बनाये रखता है।

जिमरमैन के अनुसार आधुनिक अमरीकी परिवार न्यासधारी से आणविक परिवार में प्रवेश कर चुका है।

बर्गेस एवं लॉक: 'The Family' परिवार का वर्गीकरण व्यवहार के आधार पर प्रस्तुत किया।

परिवार

संस्थात्मक (Institutional Family) सहचारिता (Companionship Family)

संस्थात्मक (Institutional Family): वह परिवार जिसमे सदस्यों के व्यवहार पर लोकाचारों द्वारा नियंत्रण किया जाता है।

सहचारिता (Companionship Family): इसमें सदस्यों के व्यवहार आपसी स्नेह तथा मतैक्य से बनते है।

बर्गेस का विचार है कि अमेरिकी परिवार संस्थात्मक से सहचारिता में प्रवेश किया है।

परिवार के प्रकार्य (Functions of Family):

- **किंग्स्ले डेविस** ने परिवार के 4 प्रकार्य बताए:
 (i) संतानोत्पत्ति
 (ii) भरण-पोषण
 (iii) निवास स्थान
 (iv) सामाजीकरण
- **ऑगबर्न एवं निमकॉफ** के अनुसार:
 (i) स्नेह संबंधी कार्य
 (ii) आर्थिक
 (iii) मनोरंजनात्मक
 (iv) सुरक्षात्मक
 (v) धार्मिक
 (vi) शैक्षणिक
- **लुण्डबर्ग के अनुसार:**
 (i) लैंगिक व्यवहार का नियमन एवं संतानोत्पत्ति
 (ii) बच्चों की देखभाल एवं पालन-पोषण
 (iii) सहयोग एवं श्रम विभाजन
 (iv) प्राथमिक सहयोग एवं संतुष्टियाँ (भावनात्मक)
- **मैकाइवर एवं पेज** ने प्रकार्यों को प्रधान एवं अप्रधान दो भागों में विभाजित किया

 प्रधान: लैंगिक आवश्यकता की पुष्टि
 संतानोत्पत्ति एवं पाललन पोषण
 घर की व्यवस्था

 अप्रधान: धार्मिक
 शैक्षणिक

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

आर्थिक
स्वास्थ्य संबंधी
मनोरंजन संबंधी

इसके अतिरिक्त **मैकाइवर एवं पेज ने संयुक्त परिवार को उत्पादन की इकाई एवं मूल परिवार को उपभोग की इकाई माना।**

- **जॉर्ज पीटर मर्डक** ने परिवार के चार सार्वभौमिक प्रकार्य बताए:
 (i) लैंगिक व्यवहार का नियमन
 (ii) संतानोत्पत्ति
 (iii) आर्थिक सहयोग
 (iv) सामाजीकरण
- **टालकाट पारसंस** ने परिवार के दो मुख्य प्रकार्य बताए:
 (i) बच्चों का प्राथमिक सामाजीकरण
 (ii) वयस्क व्यक्तित्व का स्थायीकरण

समग्रत: परिवार के प्रकार्यों को जैविकीय एवं सामाजिक प्रकार्य में विभाजित कर सकते हैं:

	जैविकीय प्रकार्य		**सामाजिक प्रकार्य**
(i)	लैंगिक व्यवहार का नियमन	(i)	बच्चों का पालन-पोषण
(ii)	संतानोत्पत्ति	(ii)	सामाजीकरण

(iii) तथा अन्य सांस्कृतिक आर्थिक क्रियाएं सामाजिक प्रकार्य के अंतर्गत आती हैं।

आधुनिक औद्योगिक समाज एवं परिवार

औद्योगीकरण के प्रभाव के कारण पश्चिमी औद्योगीकृत समाजों में परिवार की संरचना विलगित मूल परिवार के रूप में हो गई है।

यह परिवार संरचनात्मक रूप से विलगित है क्योंकि यह अब नातेदारी संबंधों की वृहद व्यवस्था का अभिन्न अंग नहीं है अर्थात उससे नाता तोड़ चुका है।

इस संबंध में पारसंस की मान्यता है कि ऐसे समाजों में व्यक्तियों की स्थितियों की परख या इनका मूल्यांकन उनकी अर्जित प्रस्थितियों के आधार पर किया जाता है अत: परिवार का यह रूप सबसे अच्छा है। (औद्योगिक समाजों में)।

विलगित मूल परिवार सार्वभौमिक मूल्यों पर आधारित है जबकि संयुक्त परिवार में विशिष्टात्मक मूल्य प्रभावी होने से प्रस्थितियाँ आरोपित होती हैं।

नोट: पारसन्स के अनुसार औद्योगिक समाजों में विलगित मूल परिवार को सबसे अच्छा परिवार कहा जा सकता है:

1. बच्चे के बेहतर समाजीकरण के संदर्भ में
2. व्यक्तित्व के स्थायीकरण के संदर्भ में
3. संघर्ष की मात्रा कम होने के संदर्भ में

पारसन्स तर्क देते हैं कि समष्टि स्तर पर परिवार लगभग पूर्णत: प्रकार्यविहीन हो गया है।

इसका अर्थ यह हुआ कि परिवार के सदस्य परिवार के लिए उत्पादन प्रक्रिया कें भाग नहीं ले रहे हैं बल्कि देश के लिए कार्य कर रहे हैं। इसी संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि पहले जहाँ परिवार इकाई में लोग स्वयं बच्चों का समाजीकरण करते थे वहीं अब यह कार्य बाहय अभिकरणों द्वारा पूर्ण किया जाता है। इस प्रकार परिवार के सदस्य परिवार के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। यह परिवार अब अत्यधिक विशेषीकृत हो गया है।

पारसन्स का कहना है कि इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि अब परिवार की महत्ता समाप्त हो गई है। सच्चाई तो यह है कि परिवार की महत्ता अब कहीं अधिक बढ़ गई है क्योंकि इस परिवार में सदस्य अन्य सदस्यों के बेहतर भविष्य के लिए अधिक चिन्तित एवं कार्यरत हैं।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

पारसन्स की इस बात का समर्थन एन. डेनिस ने किया। इसके अलावा टोनाल्ड फ्लेचर ने ब्रिटिश समाज के अध्ययन में यह बताया कि परिवार के प्रकार्य अब कहीं अधिक विस्तृत एवं महत्वपूर्ण हो गए हैं।

विलियम जे. गूडी:

Book - "The World Revolution and the Family"

गूड़ी ने भी परिवार पर औद्योगीकरण के प्रभाव का अध्ययन किया। गूड़ी का मान्यता है कि औद्योगीकरण से भौगोलिक गतिशीलता बढ़ी जिसने विस्तारित परिवार एवं वृहद नातेदारी संबंधों की महत्ता को काफी कम कर दिया है।

नए परिवेश में परिवार के प्रकार्य अब विभिन्न विशेषीकृत अभिकरणों के हाथ में आ गए हैं इससे नातेदारों की आवश्यकता अब काफी कम हो गयी है क्योंकि वह व्यक्ति जिसने ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता को प्राप्त किया, अब नए सामाजिक वर्ग की जीवन शैली, प्रवृत्ति और मूल्यों को अपना लेता है। और इस प्रकार वह अपने श्रमिक वर्ग नातेदारों से पूर्णत: दूर हो जाता है।

गूड़ी का भी मानना है कि औद्योगीकृत समाजों के लिए मूल परिवार ही सबसे अच्छा परिवार है।

गूड़ी का यह विश्वास है कि मूल परिवार का दृष्टिकोण इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि इसे गैर पश्चिमी समाजो में भी अपनाया जाने लगा है। यह वस्तुत: पश्चिमी विचार और जीवन शैली की प्रतिष्ठा के कारण है।

गूड़ी के इस विचार को **केन्नेथ लिटिल** ने पश्चिमी अफ्रीका के अपने अध्ययन में समर्थन प्रदान किया है।

परिवार के अपने अध्ययन में गूड़ी ने **'भूमिका सौदेबाजी'** की अवधारणा को लागू किया। इसके अन्तर्गत पारिवारिक सदस्य स्वयं को परिवार के प्रति समर्पित कर देते हैं ताकि उन पर नियंत्रण हो सके। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इससे उन्हें अधिक से अधिक लाभ की उम्मीद होती है इसलिए वे परिवार में अपने समय, ऊर्जा एवं भावनाओं का निवेश करते हैं। यदि उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें परिवार से कोई लाभ नहीं मिलने वाला तो वे **सौदे बाजी नहीं** करेंगे और इस प्रकार निवेश भी नहीं करेंगे। अपने वैश्विक सर्वेक्षण में गूड़ी पाते हैं कि विस्तारित परिवार प्रतिमान का उच्च वर्ग में पाए जाने की संभावना सर्वाधिक है। गूड़ी ने भूमिका सौदेबाजी की अवधारणा का प्रयोग पारिवारिक संरचना में सामाजिक वर्ग अन्तर की व्याख्या के लिए किया।

परिवार का भविष्य: एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण:

एडमुण्ड लीच: Book - "A Runaway World"

इस शीर्षक के अन्तर्गत अपने अध्ययन में लीच ने औद्योगिक समाज में परिवार के संबंध में एक निराशापूर्ण दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। इन्होंने लघु स्तरीय पूर्व औद्योगिक समाजों का अध्ययन किया तथा उनके परिवारों की तुलना औद्योगिक परिवारों के समाजों से की।

लीच का मानना है कि पहले एक व्यक्ति को अपने नातेदारों एवं पड़ोसियों से नैतिक सहयोग मिलता रहता था। अब इस प्रकार का सहयोग समाप्त हो चुका है तथा परिवार स्वयं के प्रति अधिक संवेदनशील हो गया है। यह परिवार विलगित है। इस परिवार में पति-पत्नी तथा माता-पिता एवं बच्चों के बीच भावनात्मक तनाव में काफी बढ़ोत्तरी हुयी है। यह तनाव हमारे बरदाश्त की सीमा से कहीं अधिक है।

अपने आप में ही संकुचित होने के कारण परिवार के सदस्यों में एक-दूसरे से उम्मीद एवं माँग काफी बढ़ गयी है जिसकी परिणति संघर्ष में है।

लीच कहते हैं कि "माँ-बाप लड़ते हैं, बच्चे विद्रोह करते हैं।"

आर. डी. लैंग: Book - "The Politics of the Family"

लैंग परिवार को एक विनाशकारी और शोषणकारी संस्था मानते हैं।

Notepad

MTF, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

इनके अनुसार परिवार में अहम भूमिका अन्त:क्रिया की है जो परिवार के सदस्य आपस में करते हैं। लैंग के अनुसार प्रत्येक परिवार में एक सदस्य सीज़ोफ्रेनिया का शिकार होता है लेकिन लैंग सीजोफ्रोनिया को असामान्य दशा या मानसिक रोग नहीं मानते। वस्तुत: परिवार एक नेक्सस की तरह ही कार्य करता है जिसमें आपसी अन्त:क्रिया से सदस्यों में पारस्परिक आन्तरीकरण विकसित होता है। सभी सदस्य एक-दूसरे से इस प्रकार घुल-मिल जाते हैं कि प्रत्येक सदस्य एक परिवार के रूप में दिखाई देते हैं।

इसी क्रिया के कारण सदस्य मानसिक रूप से कमजोर होने लगते हैं क्योंकि वे अपने विषय में, व्यक्तित्व के विषय में नहीं सोच पाते। अत: उनका 'स्व' विकसित नहीं हो पाता और इस प्रकार व्यक्तित्व भी नहीं।

वे अपने परिवार के प्रति अधिक तत्पर होते हैं तथा किसी भी प्रकार का बलिदान देने को तैयार होते हैं। इसका कारण यह है कि बचपन में समाजीकरण के दौरान उन्हें ऐसा सिखा दिया जाता है जिसे वे पूरी जिन्दगी नहीं भूल पाते।

डेविड़ कूपर: Book - "The Death of the Family"

कूपर ने भी परिवार को शोषणकारी संस्था माना। कूपर के अनुसार एक शोषणकारी परिवार एक शोषणकारी समाज उत्पन्न करता है। कूपर कहते हैं कि एक बच्चे को स्व को विकसित करने के लिए उसे अकेला छोड़ दिया जाना चाहिए, उसे परिवार के द्वारा लगातार मांगों से मुक्त किया जाना चाहिए तथा उसे बंधनों में जकड़ने वाले तथा द्विअर्थी प्यार से मुक्त किया जाना चाहिए।

डेविड़ ने अपने विचार को मार्क्सवादियों की तरह विकसित किया। उनका कहना है कि **"परिवार एक शोषणकारी समाज में एक विचारधारा रूपी निर्धारक विधि है।"**

इनके अनुसार शोषणकारी समाज, दासत्व समाज, सामन्तवादी समाज तथा पूंजीवादी समाज हैं।

परिवार की व्यवहारपद्धति तथा नियंत्रण एक सही दिशा में निर्धारित तथा आज्ञाकारी सदस्य उत्पन्न करते हैं जिनका समाज के द्वारा आसानी से शोषण किया जा सकता है और इस प्रकार एक शोषणकारी परिवार एक शोषणकारी समाज उत्पन्न करता है।

कूपर के अनुसार निषेधो (Taboo) की एक विस्तृत व्यवस्था के कारण परिवार के द्वारा स्थापित सामाजिक नियंत्रण विशेष रूप से प्रभावी होते हैं तथा जो पारिवारिक जीवन को संकुचित कर देते हैं।

परिवार में आधुनिक परिवर्तन

परिवार में होने वाले परिवर्तनों को दो भागों में बांट सकते है।:

1. वे परिवर्तन जो परिवार के ढाँचे या संरचना में हो रहे हैं।
2. वे परिवर्तन जो परिवार के प्रकार्यों में हो रहे हैं।

परिवार के ढाँचें में परिवर्तन

1. परिवार का सीमित होता आकार एवं नाते रिश्तेदारों का कम होता महत्व
2. पति पत्नी के संबंधों में समानता के भाव की उत्पत्ति
3. पिता के अधिकारों में कमी तथा अन्य सदस्यों का बढ़ता महत्व
4. विवाह एवं यौन संबंधो में परिवर्तन अर्थात् जीवन-साथी के चुनाव में लड़के लड़कियाँ पहले की तुलना में काफी स्वतन्त्र हैं।
5. नगरीय क्षेत्रो में तलाकों की बढ़ी संख्या के कारण परिवारों में उत्पन्न होता अस्थायित्व।
6. व्यक्तिवादिता के उभार के कारण संबंधां में आयी उदासीनता।

परिवार के प्रकार्यों में परिवर्तन:

1. परिवार का उत्पादन के केन्द्र से उपभोग के केन्द्र की ओर परिवर्तन। अब परिवार के विभिन्न सदस्यों को अपनी आजीविका कमाने के लिए अलग-अलग स्थानों

Notepad

NET JRF Manish Singh Sir LG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

पर काम करना पड़ता है।

2. परिवार में धार्मिक उत्सवों का कम होता महत्व।
3. परिवार के मनोरंजन संबंधी कार्यों का स्थान समाज की द्वितीय समूहों ने ले लिया है।

Notepad

विविध:

खरिया परिवार:

- छोटा नागपुर से लगे उड़ीसा के पर्वतीय क्षेत्रों में खरिया जनजाति पाई जाती है।
- यहाँ समाज की प्राथमिक इकाई परिवार होता है जिसकी संरचना माता-पिता तथा उनके पैदायशी या गोद लिए गए बच्चों से होती है। किसी-किसी परिवार में लड़के के अभाव में जमाई को भी सम्मिलित कर लिया जाता है।
- खरिया परिवार एकविवाही होते हैं फिर भी बहुविवाह से ये पूर्णत: अपरिचित नहीं हैं।
- खरिया परिवार एक आर्थिक समूह भी होता है। यह अपने सदस्यों के लिए भोजन, आवास और कपड़ों की व्यवस्था करता है। शिक्षण की व्यवस्था भी परिवार ही करता है।
- कार्य विभाजन लिंग आधारित होता है। जैसे-पति शिकार और मछली पकड़ने का काम करता है तो पत्नी, फल-फूल, कंद-मूल इकट्ठे करने का महिलाएं कृषि कार्य नहीं करती।

हो परिवार:

- हो जनजाति बिहार के सिंहभूमि तथा पड़ोसी जिलों में पाई जाती है। ये अधिंकाशंत: कोल्हन नामक सरकारी जागीर में बसे हुए हैं जिसका प्रशासन मुखियाओं के मार्फत जिलाधिकारी चलाता है।
- कुल को किल्ली कहा जाता है।
- किल्ली और परिवार के बीच स्पष्ट श्रम विभाजन पाया जाता है। बच्चों का शिक्षण-प्रशिक्षण किल्ली द्वारा ही सम्पन्न होता है।
- वधू मूल्य का प्रचलन एवं वधू मूल्य का एक अंश समस्त ग्रामीणों द्वारा दिया जाता है।
- हो में विवाह, मृत्यु और त्यौहार सामूहिक कार्य होते हैं और इनके रस्म,रिवाजों तथा आयोजनों को समूची किल्ली द्वारा संपादित किया जाता है।
- हो परिवार की रचना एक व्यक्ति, उसकी पत्नी तथा बच्चों से है। कभी-कभी इनके परिवार का रूप हिन्दू संयुक्त परिवार जैसा होता है।

खासी परिवार:

- खासी असम के खासी जयन्तिया पर्वतीय जिलो के निवासी है।
- मातृ सत्तात्मक एवं मातृ स्थानीय समाज के उत्कृष्ट उदाहरण।
- खासी अपना वंश क्रम मिथकीय महिला पूर्वजों से जोड़ती है, इनके परिवार के सदस्य होते हैं-माँ, अविवाहित लड़के लड़कियाँ, उसका पति उसकी विवाहित पुत्रियाँ और उनके पति। सभी पुत्रियों के मर जाने की स्थिति में एक परिवार किसी कन्या को पुत्री की तरह गोद भी ले सकता है।
- धार्मिक कर्म-काण्डों व आयोजनों में पुरुषों की कोई भूमिका नहीं होती, इनमें सबसे छोटी पुत्री ही धार्मिक कृत्यों का निर्वाह करती है एवं पैतृक संपत्ति का अधिकांश हिस्सा उसे ही मिलता है। (कनिष्ठ पुत्री अधिकार)।
- स्त्रियों को ऊँची सत्ता व प्रतिष्ठा प्राप्त होती है।

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

नातेदारी व्यवस्था, आवास एवं वंशक्रम के नियम (Kinship System, Rules of Residence and Descent)

Notepad

नातेदारी का अर्थ संबंध से होता है। समाज के सभी सदस्य विभिन्न प्रकार के संबंधो के आधार पर कई समूहों के रूप में एक-दूसरे से बंधे रहते हैं। इन संबंधों में अत्यंत सार्वभौम एवं आधारभूत संबंध वे होते हैं जो रक्त एवं विवाह पर आधारित होते हैं। **रक्त एवं विवाह पर आधारित संबंधों को ही नातेदारी कहा जाता है।**

इसके अलावा Fictive **संबंधों** अर्थात **गोद लिए हुए बच्चे भी** नातेदारी व्यवस्था का हिस्सा होते हैं। इसके बावजूद कि वे न तो रक्त संबंधो और न ही वैवाहिक संबंधो से प्रत्यक्षत: जुड़े होते हैं। चूंकि माता-पिता दत्तक संतानों के साथ पारिवारिक प्रकार्यों का पूर्णत: निर्वहन करते हैं अत: ऐसी संताने वास्तविक संतान के समान ही समझी जानी चाहिए और यह मान लिया जाना चाहिए कि माता-पिता के साथ उनका रक्त संबंध है।

नातेदारी **एक सामाजिक तथ्य है** जिसमें समाज की स्वीकृति है। नातेदारी में सामाजिक मान्यता जैविक तथ्य पर आरोपित है। **लूसी मेयर** का कहना है कि नातेदारी में सामाजिक संबंधों को जैविक शब्दों में व्यक्त किया जाता है।

अंग्रेजी भाषा के Kinship शब्द की हिन्दी संगोत्रता, बंधुत्व, नातेदारी एवं स्वजनता की गयी है। नातेदारी एवं विवाह जीवन के आधारभूत तथ्य हैं। यौन इच्छा विवाह को जन्म देती है और विवाह परिवार एवं नातेदारी को।

कुछ प्रमुख समाजशास्त्रियों ने नातेदारी को निम्न प्रकार से परिभाषित करने का प्रयास किया है:

- **चार्ल्स विनिक** ने संगोत्रता (नातेदारी) को परिभाषित करते हुए लिखा है, 'संगोत्रता (नातेदारी) व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आ सकते हैं जो कि अनुमानित और वास्तविक वंशावली संबंधों पर आधारित हों।'
- **रैडक्लिफ ब्राउन के अनुसार,** 'नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है जो कि सामाजिक संबंधों के परम्परात्मक संबंधों का आधार है।'
- **डॉ. रिवर्स के अनुसार,** 'संगोत्रता (बन्धुत्व) की मेरी परिभाषा उस संबंध से है जो वंशावलियो के माध्यम से निर्धारित तथा वर्णित की जाती है।'
- **लूसी मेयर के अनुसार,** 'बन्धुत्व में सामाजिक संबंधों को जैविक शब्दों में व्यत किया जाता है।'
- **रॉबिन फॉक्स के अनुसार**, 'नातेदारी केवल स्वजन अर्थात् वास्तविक, ख्यात अथवा कल्पित समरक्तता वाले व्यक्तियों के मध्य संबंध है।'

संक्षेप में नातेदारी में उन व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जिनसे हमारा संबंध वंशावली के आधार पर होता है और वंशावली संबंध परिवार से पैदा होते हैं और परिवार पर ही निर्भर है। ऐसे संबंधों को समाज की स्वीकृति आवश्यक है। इस समाज स्वीकृति को **निम्न उदाहरणों में देखा जा सकता है:**

- भारत में प्राचीन समय में विवाह के पूर्व ही किसी लड़की के होने वाला पुत्र या विवाह के बाद पति की स्वीकृति से दूसरे द्वारा उत्पन्न पुत्र जिसे **'क्षत्रेज'** कहते थे, भी नातेदारी में सम्मिलित था।
- बहुपति विवाही टोडा जनजाति में बच्चे का प्राणीशास्त्रीय पिता कोई भी हो सकता हे, परन्तु सामाजिक रूप से वही भाई पिता माना जायेगा, जिसने **'परसुतपिमी'** संस्कार किया हो।
- खस जनजाति में पहल संतान का पिता सबसे बड़ा भाई होता है। उसके बाद उत्पन्न होने वाली संता का पिता क्रमश: छोटे भाई होते हैं। अफ्रीकी आदिम समाजों में पति की मृत्यु की स्थिति में मृतक की गर्भवती पत्नी की संतान के पिता की भूमिका ग्रहण करती है।

इस प्रकार नातेदारी संबंधों में **वास्तविक, मानित** (Putative) **व कल्पित**

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

(Fictive) **समरक्तता द्वारा जुड़े हुए संबंधों का समायोजन होता है जो जैविक तथ्यों के साथ-साथ सामाजिक मान्यताओं के तथ्यों को भी शामिल करते हैं।**

Notepad

नातेदारी के भेद (Types of Kinship)

सामाजिक संबंधों में से सार्वभौमिक एवं आधारभूत संबंध वे हैं जो प्रजनन पर आधारित होते हैं। प्रजनन की कामना दो प्रकार के संबंधों को जन्म देती है:

(i) समरक्त संबंध (Consanguinal Kinship)

(ii) विवाह संबंध (Affinal Kinship)

(i) **समरक्त संबंध** (Consanguinal Kinship): रक्त पर आधारित नातेदारी को समरक्त नातेदारी कहा जाता है तथा इसे संबंधित व्यक्तियों को समरक्त नातेदार। दूसरे प्रकार से माता-पिता एवं संतानों के बीच तथा सहोदरों के बीच पाए जाने वाले संबंध को समरक्त नातेदारी कहा जाता है। माता-पुत्र/पुत्री, पिता-पुत्र/पुत्री, भाई-बहन के बीच समरक्त संबंध पाया जाता है।

(ii) **विवाह संबंध** (Affinal Kinship):विवाह संबंध पर आधारित नातेदारी को विवाह मूलक नातेदारी तथा इससे संबंधित व्यक्तियों को विवाह मूलक नातेदार कहा जाता है। अन्य शब्दों में पति-पत्नी के बीच आपसी एवं एक दूसरे के पक्ष के साथ बनने वाले संबंध को विवाह मूलक नातेदारी कहा जाता है।

नातेदारी की श्रेणियाँ (Categories of Kinship):

नातेदारी व्यवस्था में सभी स्वजनों के बीच समान रूपी संबंध नहीं होते। संबंधो की निकटता, सहयोग, घनिष्ठता तथा आत्मीयता के आधार पर नातेदारी कई श्रेणियों में बांटा जा सकता है। **इसमें तीन श्रेणियां प्रमुख हैं। (मरडॉक ने नातेदारी की श्रेणियों पर गहन अध्ययन किया था)।**

(i) **प्राथमिक नातेदार** (Primary Kin): प्राथमिक नातेदार वे व्यक्ति होते हैं जो रक्त संबंधों या विवाह संबंधों के द्वारा एक-दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ रहते हैं। एस. सी. दूबे ने आठ प्रकार की संबंध श्रंखला में जुड़े हुए व्यक्तियों को प्राथमिक स्वजन कहा है। इनके अनुसार पिता-पुत्र, माता-पुत्री, पिता-पुत्री, माता-पुत्र, भाई-भाई, बहन-बहन तथा भाई-बहन रत संबंध के आधार पर एक-दूसरे के प्राथमिक स्वजन हैं तथा पति-पत्नी विवाह द्वारा स्थापित संबंधों के आधार पर प्राथमिक है।

(ii) **द्वितीयक नातेदार** (Secondary Kin): **ये प्राथमिक के प्राथमिक या प्राथमिक के प्रत्यक्ष नातेदार** होते हैं। जैसे-चाचा, मामा, बुआ, मौसी, ननद, देवर, दादा-दादी, नाना-नानी आदि। जी. पी. मर्डाक ने इनकी कुल संख्या 33 बताई है।

(iii) **तृतीयक नातेदार** (Tertiary Kin): **ये प्राथमिक के प्राथमिक के प्राथमिक या प्राथमिक के द्वितीय या द्वितीयक के प्राथमिक नातेदार** होते हैं। जैसे-दादा के पिता (परदादा), नाना के पिता (परनाना), चचेरे, ममेरे, मसौरे, फुफेरे भाई-बहन, फूफा, मौसी, मामी, चाची आदि। **मर्डाक ने इनकी कुल संख्या 151 बताई है।**

इनके अतिरिक्त एक **दूरस्थ नातेदारों** की भी श्रेणी होती है जो **तृतीयक के प्राथमिक नातेदार** होते हैं जैसे-परदादा के पिता, दादी के दादा। इनकी संख्या बहुत अधिक है।

ये नातेदारी संबंध वस्तुत: नातेदारों के बीच प्रत्येक संबंधों को स्थापित करने एवं पारस्परिक व्यवहारों को निर्धारित करने के रूप में प्रकार्यात्मक है।

नातेदारी परिभाषिक शब्दावलियाँ (Kinship Terms)

- **डी. एन. मजूमदार एवं टी. एन. मदान** ने अपनी पुस्तक "An Introduction to Social Anthropology" में लिखा है कि - "संगोत्र (संबंध) सूचक शब्द ऐसी संज्ञाएं होती हैं जिनका प्रयोग विभिन्न प्रकार के संबंधों के उल्लेख के लिए किया जाता है।"

मॉर्गन पहला विद्वान था जिसने नातेदारी शब्दावलियों के अध्ययन में महत्वपूर्ण योग दिया।

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

- **मॉर्गन** ने न्यूयार्क राज्य की **इराक्विस जनजाति** का जीवन पर्यन्त अध्ययन किया।
- मॉर्गन ने नातेदारी तत्व को समझने के लिए शब्दावली के अध्ययन को राजमार्ग बताया।
- मॉर्गन ने विश्व में प्रचलित नातेदारी शब्दों का अध्ययन करके उन्हें **मुख्य रूप से दो भागों में बाँटा** है।

1. व्यक्तिकात्मक या वर्णनात्मक या विशिष्टात्मक संबंधसूचक संज्ञाएँ (Descriptive Terminology)
2. वर्गात्मक संबंध सूचक संज्ञाएँ (Classificatory Terminology)।

- **विशिष्टात्मक संबंध सूचक संज्ञाएँ** (Descriptive Terminology): ये शब्द 'यथार्थ संबंध सूचक होते हैं और केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होते हैं जिनके संदर्भ में या जिनको संबंधित करते हुए बात की जाती है।' पुत्र, पत्नी, माँ आदि अनेक ऐसे ही विशिष्ट शब्द हैं।
- **वर्गात्मक संबंध सूचक संज्ञाएँ** (classifactory Terminology): इसमें विभिन्न संबंधियां को एक ही श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है तथा सबके लिए समान नातेदारी शब्द प्रयुक्त किया जाता है। **जैसे-अंग्रेजी का अंकल शब्द एक वर्गीकृत शब्द है** जिसका प्रयोग चाचा, मौसा, मामा, ताऊ, फूफा आदि सभी संबंधियों के लिए किया जाता है। इसी प्रकार **आंटी शब्द** का प्रयोग भी चाची, मामी, मौसी, बुऊा आदि के लिए किया जाता है। इसके अलावा cousin, nephew, nice **तथा** in-laws **वर्गीकृत शब्द हैं।**
- **वर्गात्मक पद्धति** के अंतर्गत एक शाखीय एवं भिन्न शाखीय कई व्यक्तियों और प्राय: विवाह मूलक संबंधियां के एक ही संबंध सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। संबंध सूचक शब्द इन सभी संबंधियों को एक वर्ग के रूप में समान मानता है।
- उदाहरण के लिए **असम के सेमानागा 'अपू'** शब्द का प्रयोग पिता, पिता के भाई एवं माँ की बहिन के पति (मौसा) के लिए किया जाता है। **'अजा'** शब्द का प्रयोग माँ, पिता के भाई के पत्नी, मौसी आदि के लिए किया जाता है। **'आमी'** शब्द बुआ और सास के लिए किया जाता है।
- **कूकी लोगों में 'हेपू'** शब्द का प्रयोग दादा, नाना, मामा, ससुर, ममेरा भाई, साला, भतीजा आदि विभिन्न वर्गों एवं पीढ़ियों के लोगों के लिए किया जाता है।
- **अंगामी नागाओं** में **'बूरी'** शब्द बड़े भाई, पत्नी की बहिन, ज्येष्ठ एवं उनकी पत्नी, चाची, ताई आदि सभी के लिए किया जाता है।
- **डॉ. रिवर्स** ने संबंधसूचक संज्ञाओं को एक तीसरी पद्धति का उल्लेख किया है जिसका प्रयोग जैविक परिवार के सदस्य आपस में करते हैं।
- **मॉर्गन** को नातेदारी संज्ञाओं के अध्ययन में अग्रणी माना जाता है इन्होंने इसकी व्याख्या **विकासवादी दृष्टिकोण** से की है।
- **रिवर्स** ने नातेदारी संज्ञाओं की **प्रकार्यात्मक व्याख्या** प्रस्तुत की है।
- **मर्डक** ने अपनी पुस्तक **"सोशल स्ट्रक्चर" (1949)** में निम्न शब्दावली प्रणाली की चर्चा की है:

1. सूडानीज प्रकार (Sudanese System)
2. इस्कीमो प्रकार (Eskimo System)
3. हवाईअन प्रकार (Hawuiian System)
4. ईराकुआ प्रकार (Iraqoia System)

उपरोक्त चारो प्रकारों के अलावा **'क्रो'** और **'ओमाहा'** प्रणाली जो कि वास्तव में ईराकुआ प्रणाली का एक जटिल प्रारूप है, भी बताए गए हैं।

रेडक्लिफ ब्राउन ने भी वर्गीकृत प्रणाली का **प्रकार्यात्मक विवेचन** किया तथा इसे स्पष्ट करने के लिए 3 नियम बताए:

Notepad

NET-JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

1. सहोदर एकता का नियम (Rule of Sibling Unity)
2. वंश एकता का नियम (Rule of Lineage)
3. पीढ़ी नियम (Rule of Generation)

1. **सहोदर एकता का नियम** (Rule of Sibling Unity): Uncle और Aunty की पुष्टि इस नियम से होती है। पिता के सहोदर तथा माँ के सहोदर बच्चों के लिए एक समानता रखते हैं अत: चाचा और मामा के अलावा बुआ और मौसी के पति एक ही श्रेणी में रखे जाते हैं तथा इन सब को Uncle शब्द से संबोधित किया जाता है। यही बात Aunty शब्द पर भी लागू होती है।

2. **वंश एकता का नियम** (Rule of Lineage): यह Newphew और Niece की स्पष्टता के लिए है जो स्व की बहन और भाई के लड़के और लड़कियों के लिए है। यहाँ यद्यपि वंशावलियाँ अलग-अलग हैं तथापि समानता के आधार पर जुड़ाव होने से उन्हें एक ही शब्द से संबोधित किया गया है।

3. **पीढ़ी नियम** (Rule of Generation): **'दादा'** शब्द के प्रयोग के अन्तर्गत इसकी पुष्टि होती है क्योंकि दादा जो स्वयं घर के मुखिया हैं के अलावा पिता के बड़े भाई तथ स्व के बड़े भाई को भी दादा शब्द से संबोधित किया जाता है जो अलग-अलग पीढ़ियों में अपने स्तर पर उच्चता बनाए हुए हैं।

नातेदारी के नियामक व्यवहार (रीतियाँ) या बंधुत्व व्यवहार (Kinship Usages):

बंधुत्व व्यवहार बंधुजनों के मध्य **व्यवहार प्रतिमानों** (behaviour Pattern) को इंगित करता है। प्रत्येक समाज ने स्वजनों के बीच संबंधों के लिये कुछ रीतियां या नियम बनाये हैं। इन्हीं नियमों अथवा रीतियों को बंधुत्व व्यवहार या रीतियां कहा जाता है। सामाजिक मानवशास्त्रियों ने कुछ सार्वभौम बंधुत्व व्यवहारों का विवरण दिया है। मानवशास्त्रियों ने **6 प्रकार** के नातेदारी व्यवहारों का उल्लेख निम्न प्रकार किया है:

1. **परिहार या विमुखता** (Avoidance):

- परिहार का अर्थ है कि **संबंधी आपस में विमुखता बरतें,** एक दूसरे से कुछ दूरी बनाये रखने का प्रयास करें, और पारस्परिक सामाजिक अन्त:क्रिया को टालने का प्रयास करें।
- **लंका की वेड्डायड जनजाति** में भाई-बहिन के बीच परिहार प्रचलित है। यहाँ तक की वे एक ही छत के नीचे सो नहीं सकते एवं साथ-साथ भोजन नहीं कर सकते।
- **ट्रोब्रियाण्डा द्वीपवासियों** में यदि भाई अपनी बहिन को प्रेमाचार करते देख ले तो तीनों को आत्महत्या करनी पड़ती है।
- ओस्टायक जनजाति में जब तक कोई सन्तान पैदा न हो बहू को ससुर के सामने जाने की मनाही है।
- **न्यूगिनी के बुकाऊ जनजाति** में दामाद और सास-ससुर एक-दूसरे के नाम नहीं ले सकते, परस्पर छू नहीं सकते और न साथ भोजन ही कर सकते हैं।
- **आस्ट्रेलिया की जनजातियों में** सास यदि जंगल में लकड़िया चुन रही हो और उधर से दामाद आ जाये तो उसे पेड़ के पीछे छुप जाना होता है।
- **योकाधिर जनजाति में बहु** अपने ससुर एवं जेठ के चेहरे नहीं देख सकती है और दामाद को भी अपनी सास एवं ससुर के चेहरे को नहीं देखना चाहिए।
- **टॉयलर सास-दामाद** परिहार का कारण प्राचीन काल के मातृ सत्तात्मक परिवारों को मानते हैं।
- **फ्रेजर** परिहार का कारण **निषिद्ध यौन-संबंधों** को मानते हैं।
- फ्रॉयड की व्याख्या को यौन निषेधों से संबंधित हैं।
- **लोवी** ने परिहार को **सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ** में देखा है।
- **टर्नीहाई** परिवार की शान्ति के लिए **परिहार एक सामाजिक तथ्य** (Social fact) है, अत: उसकी व्याख्या भी सामाजिक आधार पर की जानी चाहिए।

Notepad

NET-JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

- **चेपल तथा कून** के अनुसार सामाजिक संरचना के विघटन को रोकने एवं कुछ व्यक्तियों के बीच अन्त:क्रिया को रोकने के लिए ही परिहार प्रथा की आवश्यकता महसूस हुई।
- **डा. रिवर्स** का मत है कि परिहार के व्यवहार द्वैध संगठनों के कारण पनपे होंगे।

2. **परिहासीय संबंध** (Joking Relationship):

परिहासीय संबंध की **सर्वप्रथम चर्चा रेडक्लिफ ब्राउन** ने की। यह संबंध समानता और पारस्परिकता का सूचक है। यह परिहार रीति के विपरीत है जिसके द्वारा संबंधों में सुदृढ़ता लाई जाती है। यह मज़ाक करने से लेकर लैंगिक संबंधों की संभावना तक फैला हुआ है। यह संबंध देवर-भाभी तथा जीजा-साली के बीच विशेष रूप में देखे जाते हैं। इस प्रकार के संबंध **मातृवंशीय हो जनजातियों** तथा **मातृवंशीय** ट्रोबियण्ड द्वीप वासियों में देखे जाते हैं। कुछ स्थानों पर परिहासीय संबंध मामा-भांजे और मामी-भांजे के बीच भी होता है।

- **डॉ. दुबे** के अनुसार परिहास या हँसी-मजाक के संबंध विवाहमूलक नातेदारी के संबंधों में पाए जाते हैं।
- **दक्षिणी अफ्रीका** तथा होपी जनजाति में मामा-भानजे के साथ परिहास संबंध की प्रथा है।
- **बैक्सद्वीप** में फूफा एवं भतीजी के बीच परिहास पाया जाता है।
- **अफ्रीका की सौंगा** (Tsonga) जनजाति में यदि भानजा खाना बन जाने के बाद पहुँचता है तो वह पूरा खाना खा सकता है चाहे मामा के लिए कुछ भी न बचे।
- **न्योरो जनजाति** में यदि भानजे को खाना नहीं मिले तो वह चूल्हे पर एक निशान बना देता है और ऐसा करना मामा के लिए शाप है।
- **शरतचन्द्र राय** ने **उराँव जनजाति** में दादी-पोता के बीच शादी का उल्लेख किया है।
- **रैडक्लिफ ब्राउन** परिहास संबंधों को एक ऐसी मित्रता का प्रतीक मानते हैं जिसे शत्रुता पूर्णता व्यवहार के रूप में व्यक्त किया जाता है।
- **चेपल तथा कून** इस प्रथा को कुछ व्यक्तियों के बीच अन्त:क्रिया बढ़ाने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में मानते हैं।
- **वेस्टरमार्क** का मत है कि जिन व्यक्तियों में परिहास के संबंध होते हैं उनमें पारस्परिक समानता रही है और उनमें इतनी घनिष्ठता रही है कि वे कभी विवाह भी कर लेते थे।
- **उरॉव और बैगा जनजातियों** में यह संबंध क्रमश: दादा-पोती और दादी-पोता में देखा गया है। **एस. सी. रॉय** ने उराँव जनजातियों में एक दादा और पोती के बीच हुयी शादी की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसी प्रकार **वेरियर एल्विन ने बैगा जनजाति** में एक दादी और पोता के बीच विवाह की चर्चा की है।

3. **माध्यमिक संबोधन या अनुनामिता** (Teknonymy): कई समाजों में ऐसे नियम है जहाँ संबंधी को उसके नाम लेकर पुकारना मना है। उसे पुकारने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को माध्यम बनाया जाता है, इसलिए इसे माध्यमिक संबोधन कहते हैं। जैसे 'पप्पू के पापा' या 'गुड्डी की मम्मी' आदि कहकर बुलाना।

- **टायलर प्रथम व्यक्ति** था जिसने माध्यमिक संबोधन शब्द को मानवशास्त्रीय साहित्य में प्रयोग किया।
- **टायलर** माध्यमिक संबोधन की रीति की उत्पत्ति **मातृ सत्तात्मक परिवारों के कारण** मानते हैं।

4. **मातुलेय** (Avuculate):

- यह प्रथा **मातृसत्तात्मक** परिवारों में पायी जाती है।
- इस तरह के परिवार में पिता के बजाय **मामा का महत्व** विशेष रूप से होता है।
- संपत्ति मामा से भानजे को हस्तान्तरित की जाती है, भानजे भी पिता की बजाय

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

मामा के लिए कार्य करते हैं।

- इस प्रकार का एक उदाहरण **कैलिफोर्निया के सीरी-इण्डियन** में देख सकते हैं।
- **हैदा तथा ट्रोब्रियाण्डा जनजाति** में दस-बारह वर्ष की आयु में लड़का अपने मामा के घर चला जाता है, वहीं मामा की सेवा करता है।
- **होपी तथा जूनी जनजाति** में पुत्र विवाह योग्य होने तक अपने पिता के यहाँ रहता है, उसके बाद मामा के घर चला जाता है।
- पितृ सत्तात्मक **कोमांचे और थोंगा जनजातियों** में इस प्रथा का प्रचलन है।

5. **पितृश्वश्रेय** (Amitate):

- **पितृसत्तात्मक परिवार** में पिता की बहिन (बुआ) जिसे पितृश्वसा कहते हैं का विशेष महत्व पाया जाता है।
- **डा. रिवर्स** ने **बैक्सद्वीप** में इस प्रथा का प्रचलन पाया है।
- **भारत में टोडा जनजाति** में बच्चे का नामकरण करती है।
- इस प्रथा के बारे में **चैपल तथा कून** का मत है कि जिन संबंधियों से विवाह के बाद सामाजिक अन्त:क्रिया शिथिल होने की संभावना होती है उन्हें सतत बनाये रखने के लिए इस प्रथा का प्रचलन हुआ है।

6. **सह-प्रसविता या सहकष्टी** (Couvade):

- इस प्रथा का संबंध प्रसव काल से है। कुछ जनजातियों में ऐसी प्रथा है कि जब पत्नी की सन्तान होने वाली हो तब पुरुष को उन सारे निषेधों का पालन करना पड़ता है जिनका पालन उसकी पत्नी करती है।
- **भारत में खासी तथा टोडा जनजाति** में यह प्रथा प्रचलित है।
- **मैलिनोवस्की** ने सह-प्रसविता को वैवाहिक संबंधों को अधिक दृढ़ बनाने और पैतृक प्रेम प्राप्त करने का एक सामाजिक क्रिया तंत्र माना है।
- **रेग्लन** ने इसे विवाह के विकास से पूर्व एक विवेकहीन विश्वास और विवाह नामक संस्था के उद्विकास का सहयोगी कारण माना है।
- कुछ विद्वान इसकी **मनोवैज्ञानिक व्याख्या** करते हैं। उनकी मान्यता है कि इससे पति-पत्नी में परस्पर प्रेम का विकास होता है।
- **डा. दुबे** का मत है कि इस प्रथा का प्रचलन सामाजिक पितृत्व निर्धारण करने के लिये हुआ होगा।

वंशानुक्रम और नातेदारी (Descent and Kinship)

नातेदारी और वंशानुक्रम एक ही नहीं है। नातेदारी का अर्थ उन सभी सगे संबंधियों से है जो रक्त और विवाह के आधार पर एक-दूसरे से जुड़े होते हैं।

वंशानुक्रम शब्द का अर्थ उन मान्यता प्राप्त सामाजिक संबंधों से है जिन्हें एक व्यक्ति अपने पूर्वजों के साथ जोड़ता है अर्थात वंशानुक्रम का प्रयोग व्यक्ति तथा पूर्वजों के बीच पाए जाने वाले मान्य संबंधों की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। इसका आधार वास्तविक, जैविक या काल्पनिक जैविक संबंध भी हो सकता है।

रिवर्स ने वंशानुक्रम शब्द को दो अर्थों में प्रयुक्त किया है। एक अर्थ में वंशानुक्रम का तात्पर्य उस विधि से है जिससे किसी समूह की सदस्यता का निर्णय किया जाता है। दूसरे अर्थ में वंशानुक्रम का प्रयोग उन अनुरीतियों के लिये किया जाता है, जिनके द्वारा सम्पति, पदवी और अधिकार का संचारण होता है। **रिवर्स ने वंशानुक्रम की परिभाषा इस प्रकार दी है**-वंशानुक्रम का तात्पर्य ऐसे समूह से है जिसकी सदस्यता जन्मजात है, जहाँ लोग यह निश्चित कर सकते हैं कि वे माता पिता मे से किस पक्ष से है।

- वंशानुक्रम परिभाषित करनते हुए **पिडिंगटन लिखते है**, 'वंशानुक्रम वे नियम हैं जो एक व्यक्ति के सामाजिक समूह में जन्मजात सदस्यता को नियमित करते हैं। यद्यपि इस प्रकार की सदस्यता विशिष्ट स्थितियों में गोद लेने की प्रथा द्वारा प्राप्त की जाती है।'

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

- **बोहनन के अनुसार**, 'जब एक विवाहित जोड़े से एक सन्तान पैदा होती है तो उसका उन दोनों से संबंध वंशानुक्रम संबंध के नाम से पुकारा जाता है।'
- **मरडॉक लिखते हैं**, 'वंशानुक्रम पूर्णत: एक सांस्कृतिक सिद्धान्त की ओर संकेत करता है जिसमें एक व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से एक विशिष्ट रक्त संबंधी बन्धुत्व से जोड़ा जाता है।'
- **फोरटेस के अनुसार**, 'एक वंशानुक्रम समूह व्यक्तियों की ऐसी व्यवस्था है जो वैध सामाजिक एवं वैयक्तिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होती है।'
- **रैडक्लिफ ब्राउन** वंशानुक्रम को एक कानूनी अवधारणा (Jural Concept) मानते हैं।
- **पिडिंग्टन** ने वंशानुक्रम समूह की सदस्यता में जैविकीय और सामाजिक दोनों आधारों को सम्मिलित किया है।
- **बोहनन** ने वंशानुक्रम को माता-पिता एवं बच्चे के संबंधों को प्रकट करने वाली व्यवस्था के रूप में दर्शाया है।

Notepad

वंशानुक्रम निर्धारण की विधियाँ (Methods of Reckoning Descent)

विभिन्न समाजों में वंशानुक्रम निर्धारण की भिन्न-भिन्न विधियाँ प्रचलित हैं जो मुख्यत: तीन पक्षों से संबंधित है:

1. पितृपक्ष
2. मातृपक्ष
3. द्वि-पक्ष

ये नियम मुख्यत: संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित होते हैं। जब वंशानुक्रम की गणना माता एवं पिता में से केवल एक पक्ष के आधार पर ही करते हैं तो यह गणना **एकपक्षीय वंशानुक्रम** (Unilateral Descent) **कहलाती है।**

1. **पितृवंशीय वंशानुक्रम** (Patrilineal Descent): पितृवंशीय वंशानुक्रम का **सर्वप्रथम प्रयोग रोम वासियों ने** किया था। इसके अंतर्गत वंशानुक्रम की गणना पिता पक्ष से की जाती है। पितृवंशीय वंशानुक्रम से संबंधित सभी बंधुओं को **पितृबंधु** (Agnates) कहते हैं।
2. **मातृवंशीय वंशानुक्रम** (Matrinieal Descent): जब एक व्यक्ति के वंश की गणना माता की ओर से की जाती है तो उसे मातृवंशीय वंशानुक्रम कहते हैं तथा इस प्रकार से संबंधित बंधुओं को सहोदर बंधु (Vtarin) कहते हैं।

- मातृवंशीय वंशानुक्रम भारत में **गारो, खासी, नायर, अमरीकन इण्डियन, आस्ट्रेलिया की जनजातियों, इण्डोनेशिया, मलाया, केन्द्रीय अफ्रीका की बाँटू जनजाति तथा घाना की अकान जनजाति में पाया जाता है।** उल्लेखनीय है कि एक व्यक्ति के रक्म से संबंधित सभी रिश्तेदार जिसमें पिता एवं माता दोनों पक्षों के संबंधी होते हैं, **'मातृबन्धु'** (Cognates) **कहलाते हैं।**

3. **द्वि-पक्षीय वंशानुक्रम** (Bilateral Descent): जब वंश का निर्धारण माता अथवा पिता में से किसी एक की अपेक्षा दोनों पक्षों से होता है, तो ऐसे वंशानुक्रम को द्विपक्षीय (Bilineal Descent) कहा जाता है। द्विपक्षीय वंशानुक्रम में एक व्यक्ति स्वंय को माता एवं पिता दोनों के जन्म के परिवारों से समान रूप से जुड़ा पाता है। अर्थात् एक व्यक्ति अपने दादा-दादी और नाना-नानी दोनों से समान रूप से संबद्ध रहता है। आधुनिक परिवार द्विपक्षीय वंशानुक्रम पर आधारित है। इसी कारण परिवार को **द्विपक्षीय समूह** (Bilateral Group) भी कहा जाता है।

जब वंश की गणना (निर्धारण) माता अथवा पिता पक्ष में से किसी भी एक से गिना जा सकता है तो इसे **संदिग्ध वंशानुक्रम** (Ambilateral/Ambilineal) **कहा जाता** है। ऐसी स्थिति में यह पूर्ण निश्चित नहीं होता है कि गणना किस पक्ष से की जायेगी, इसीलिये इसे संदिग्ध वंशानुक्रम कहा जाता है।

इस वंशानुक्रम व्यवस्था में एक व्यक्ति को अपने माता अथवा पिता दोनों में से

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

किसी एक के नातेदारी समूह के साथ अपने को जोड़ने की स्वतंत्रता रहती है। इस प्रकार के वंशानुक्रम व्यवस्था **न्यूजीलैण्ड के हापू माओरियों** (Hapu Maories) में पाया जाता है।

दूसरा वंशक्रम (Double Descent): यहाँ पर एक भिन्न प्रकार के वंशानुक्रम निर्धारण की विधि का उल्लेख किया गया है जिसके अनुसार जब पितृवंशीय एवं मातृवंशीय दोनो वंशक्रम व्यवस्थाओं को एक साथ प्रयुक्त किया जाता है, तब ऐसी व्यवस्था को दूसरा वंशक्रम (Double Descent) कहा जाता है। इस व्यवस्था में एक व्यक्ति एक ही समय में पिता के पैतृक तथा माता के मातृक समूहों से संबद्ध रहता है, किन्तु पिता के मातृक तथा माता के पैतृक समूह से उसका कोई नाता रिश्ता नहीं रहता है। इस प्रकार वह एक ओर अपने दादा और दूसरी ओर से अपनी नानी से संबद्ध रहता है। **नाइजिरिया के याके जनजाति** में दूहरा वंशक्रम की व्यवस्था पायी जाती है।

दूसरा वंशक्रम, जो केवल आदिवासी समाजों में ही पाया जाता है, द्विपक्षीय वंशक्रम में व्यक्ति के अपने पिता की ओर के संबंधी जैविकीय और सामाजिक निकटता की कोटि और अंश में अपनी माता की ओर के संबंधियों के बिल्कुल अनुरुप होते है। उधर दूहरे वंशक्रम में, यद्यपि व्यक्ति के संबंधी दानो ओर से होते है, पर जिन नियमों से वे संबंधित होते है वे नियम समरुप नहीं होते है तथा इन दो प्रकार के संबंधियों के साथ व्यक्ति के सामाजिक संबंधों में भिन्न दायित्व भार जुड़े होते हैं।

- **ज्येष्ठाधिकार** (Primogeniture): इसके अंतर्गत सबसे बड़े पुत्र या पुत्री को संपत्ति हस्तांतरित की जाती है। इसके अनुसार न केवल संपत्ति वरन मुखिया के पद का संचरण भी परिवार के ज्येष्ठ लड़के-लड़की को होता है। जूलू में यह प्रथा पाई जाती है।
- **कनिष्ठाधिकार** (Ultimogeniture): उत्तराधिकार का वह नियम जिसमें सबसे छोटा पुत्र (मातृवंशीय समाजों में पुत्री) अपने माता-पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनता है। **'बारो इंगलिस'** के नाम से प्रसिद्ध यह प्रथा इंग्लैण्ड के कई भागों तथा जर्मनी, रूस, हंगरी में भी देखी गयी है। एशिया में यह प्रथा तुर्की एवं मंगोल जातियों, भारत, सुमाता आदि देशों में भी पाई गयी है।

उत्तराधिकार का यह नियम **'मार्क्वेसा'** एवं **'हैदा'** जनजाति में पाया जाता है। भारत में **खासी, गारो व बड़गा** जनजाति तथा वर्मा की काचीन जनजाति में भी यह उपस्थित है।

नोट: समानाधिकार (Unigeniture) के नियम के अनुसार सहोदरों के समूह में कोई एक माता-पिता की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी बनता है।

आवास या निवास के नियम (Rules of Residence): निकटाभिगमन निषेध समस्त मानव समाजों में पाया जाता है। निकटाभिगमन निषेध के फलस्वरूप विवाह के एक साथी को वह परिवार छोड़ना पड़ता है जिसमें उसने जन्म लिया है और एक दूसरे के घर में जाना पड़ता है। इसका एकमात्र अपवाद नायर व्यवस्था ही है। किसी भी समाज में वह प्रतिमान जिसके आधार पर कि अधिकांश विवाहित दम्पति यह निश्चित करते हैं कि उन्हें कहाँ रहना है, निवास का नियम कहलाता है। **निवास के निम्न आधारभूत नियम है:**

1. **पितृस्थानीय निवास** (Patrilocal Nirilocal): के नियम के अनुसार विवाहित दम्पति दूल्हे के माता पिता के साथ या उनके समीप ही अपना निवास बनाते हैं। पितृस्थानीय निवास के ही एक भिन्न स्वरूप को **मर्डक** ने **'मातृ-पितृ स्थानीय निवास'** कहा है। इस नियम के अनुसार दम्पति कुछ समय तक तो वधू के माता पिता के साथ रहते हैं और फिर स्थायी रूप से वर के माता पिता के साथ रहने के लिये चले जाते है जिसमें कि वह वधू के परिवार में कुछ समय तक कार्य कर वधू मुल्य चुकाता है। ओल्ड टैस्टामेन्ट में वर्णित जेकब के विवाह इसके सुन्दर उदाहरण है।
2. **मातृस्थानीय निवास** (Matri Loca Uxarilocal): वह नियम है जिसमें कि

Notepad

NET JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

विवाहित दम्पति वधू के माता पिता के साथ या उसके समीप ही अपना निवास बनाते है।

3. **उभय स्थानीय निवास** (BiLoca): नियम में दम्पति को चयन करने की छूट होती है कि वे वर अथवा वधू किसी के भी माता पिता के साथ रह सकते हैं।
4. **मातुल स्थानीय निवास** (Avunculoca): नियम में विवाहित दम्पति वर की माता के किसी एक भाई के साथ अर्थात पति के मामा के साथ रहते हैं।
5. **नवस्थानीय निवास** (Neo Local): नियम के अनुसार विवाहित दम्पति अपना स्वतंत्र निवास किसी 'नये' स्थान पर बनाते है, अर्थात् वे न तो वर के माता-पिता के साथ रहते है, न वधू के माता-पिता के साथ
6. **द्विस्थानीयता** (Duolocal Nato Loca): इसके अंतर्गत विवाह के बाद भी पति पत्नी एक साथ नहीं रहते बल्कि अपने जनक परिवार में रहते हैं। अर्थात् पति अपने पिता के यहाँ तथा पत्नी अपनी माता के यहाँ रहती है। उदाहरण-**नायर परिवार।**
7. **द्वैत या द्वैध स्थानीयता** (Ambiloca): इसके अंतर्गत पति-पत्नी कभी पति के माता-पिता के घर तो कभी पत्नी के माता-पिता के घर रहते हैं। इस प्रकार इसमें निवास का स्थायित्व नहीं होता।

मर्डक ने 250 समाजों के अध्ययन में 146-पितृस्थानीय, 38-मातृस्थानीय, 22-मातृ-पितृ स्थानीय, 19-उभय स्थानीय एवं 8 मातुल स्थानीय है।

मेलेनेशिया के डोबू लोगों में विचित्र ही नियम हैं। उनमें दम्पत्ति को बारी-बारी से एक साल बधू के माता-पिता के साथ रहना पड़ता है तो दूसरे साल वर के मामा के साथ, यह मातृ स्थानीय एवं मातुल स्थानीय निवास का मिला-जुला रूप है।

वंश (Lineage) **और गोत्र** (Lean or Sib):एक पक्षीय वंशक्रम से संबद्ध रक्त संबंधियों के सबसे महत्वपूर्ण समूह वंश और गोत्र हैं।

वंश वस्तुतः परिवार का विस्तृत स्वरूप है। यह एक **रक्तमूलक एकपक्षीय** (या तो मातृ पक्ष या पितृ पक्ष) समूह है जिसके सदस्य **ज्ञात सामान्य पूर्वज** से जुड़े होते हैं। ये **पितृवंशीय या मातृवंशीय** होते हैं तथा **बर्हिविवाही** होते हैं। एक वंश के परिवारों के बीच की प्रमुख कड़ी सांस्कारिक समारोह होते हैं जिनमें सभी लोग भाग लेते हैं। वे सभी लोग एक-दूसरे के जीवन चक्र की घटनाओं जैसे-जन्म, मृत्यु आदि में सम्मिलित होते हैं। ये लोग एक ही देवी-देवताओं की पूजा भी करते हैं। वंशज आर्थिक उद्देश्यों के लिए भी सहयोग करते हैं। वंश परिवार से बड़ा किन्तु गोत्र से छोटा समरक्त समूह होता है। पाँच, छह पीढ़ी पूर्व के एक ज्ञात पूर्वज की सभी संताने एक वंश का निर्माण करती है।

गोत्र वंश का विस्तुत रूप होता है जिसके **पूर्वज कल्पित एवं मिथकीय होते हैं।** प्रत्येक व्यक्ति अपने पिता के गोत्र का उत्तराधिकारी होता है। गोत्र भी **बर्हिविवाही** होते हैं। किसी पशु, पौधे या भौतिक वस्तु (टोटेम) से रहस्यात्मक संबंध गोत्र की एक आवश्यक विशेषता होती है। यह काल्पनिक धारणा श्रद्धापूर्वक मानी जाती है कि गोत्र के **सभी सदस्य एक ही टोटम प्राणी पूर्वज से जन्मे हैं।** विश्वासों, निषेधों और धार्मिक संस्कारों के कारण गोत्र के सदस्यों में परस्पर दायित्व की भावना बनी रहती है, चाहे वे अलग-अलग जगह बिखरे हुए ही क्यों न हों।

गोत्र शब्द का प्रयोग अनेक विद्वानों द्वारा निम्न से किया गया है:

रिवर्स - सेप्त (Sept)
लोवी - सिब (Sib)
मार्गन - जीन (Gene) शब्द का प्रयोग किया है।

भारत में हो, मुण्डा, संथाल और खरिया जनजातियों में गोत्र के स्थान पर 'किली' शब्द का प्रयोग होता है। संथाल में 100 से भी अधिक गोत्र हैं। अंडमान द्वीप निवासी तथा कादर जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है।

- **भ्रातृदल** (Phratry): जब कई कुल या गोत्र के लोग आपस में संयुक्त होकर

Notepad

NET JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

एक बड़े समूह का रूप धारण कर लेते हैं तो यही भ्रातृदल कहलाता है। यह एक **बर्हिविवाही** तथा **एक पक्षीय वंशज समूह** होता है।

असम की **गारो** जनजाति मारक एवं **संगमा** नामक दो भ्रातृदलों में बंटी भ्रातृदल को भारत में **कुनबा, गोतिया, खानदान** आदि भी कहा जाता है।

- **गोत्रार्द्ध** (Moiety): जब भ्रातृदल के किसी कारण से दो भाग हो जाते हैं तो यह गोत्रार्द्ध कहलाता है। ऑस्ट्रेलिया के कई भागों में एक जनजाति दो बर्हिविवाही अर्द्धा समूहों में बंटी हुयी है। यह पितृ या मातृ वंशीय कुछ भी हो सकती है।

टोड़ जनजाति के भी दो गोत्रार्द्ध है:

1. तेविलियाल
2. तारथराल

- **बोंदो** (Bondo) जनजाति **ओंताल** और **किल्लो** नामक दो भ्रातृदलों में बंटे हैं। ये अंर्तविवाही है।
- **गारो** सामाजिक संगठन मारक एवं **संगमा** नामक दो भ्रातृदलों में बंटा है।
- **कूकी** जनजाति **नोलटे** एवं **कोल्हन** नामक अर्द्धाशों में विभक्त है।

भारत में नातेदारी (Kinship in India)

- **ए. सी. मेयर, मदान, ई. के. गफ तथा मैकोर्मक** ने भारत के उत्तरी व दक्षिणी क्षेत्र में परिवार, विवाह एवं नातेदारी का अध्ययन किया। किन्तु ये अध्ययन विस्तृत न होकर एक गाँव या प्रदेश तक ही संकुचित थे।
- **लुई ड्यूमा** ने उत्तरी व दक्षिणी क्षेत्र के कुछ गाँवों का तुलनात्मक अध्ययन किया है।
- प्रथमत: **इरावती कर्वे** ने भारत में नातेदारी व्यवस्था का वृहद अध्ययन किया तथा इसके लिए पूरे देश को भाषाई आधार पर चार प्रमुख क्षेत्रों (zones) में बाँटा। ये थे:
 (i) उत्तरी
 (ii) दक्षिणी
 (iii) मध्य
 (iv) पूर्वी

 उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में संस्कृत और इंडो आर्यन भाषा बोली जाती है। दक्षिणी क्षेत्र में द्रविड़ भाषा बोली जाती है तथा पूर्वी क्षेत्र में ऑस्ट्रिक या मुंडारी भाषा बोली जाती है।

 इसके अलावा उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में अन्तर मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों के आधार पर किया जाता है।
- **उत्तरी क्षेत्र में 8 राज्य हैं:** उत्तर प्रदेश, बिहार, प. बंगाल, असम, पंजाब, हरियाणा, काश्मीर एवं मेघालय।
- **मध्य क्षेत्र में 6 राज्य हैं:** राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एवं उड़ीसा।
- **दक्षिण क्षेत्र में 4 राज्य हैं:** आन्ध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु।
- **पूर्वी क्षेत्र में 2 राज्य हैं:** नागालैंड और मिजोरम।
- सामान्यत: नातेदारी की दृष्टि से उत्तरी व दक्षिणी क्षेत्रों में भारत का विभाजन करके उसकी प्रमुख विशेषताओं को देखा जा सकता है:

उत्तरी क्षेत्र में नातेदारी प्रथा

- इस क्षेत्र में एक व्यक्ति के संबंधियों में क्रमश: परिवार, नातेदार एवं जाति के सदस्यों को प्राथमिकता दी जाती है। संकट के समय में नातेदारों में पारस्परिक सहयोग की भावना देखी जा सकती है।
- यहाँ कुलीन विवाह पाए जाते हैं। राजपूतों में अनुलोम विवाह की प्रथा प्रचलित है। पितृसत्तात्मक परिवार बहुतायत में पाए जाते हैं तथा पंजाब एवं दिल्ली के

Notepad

NET/JRF Manish Singh Sir EC Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

आस-पास ग्राम बर्हिविवाह प्रचलित है।

- उत्तर प्रदेश में लड़की पूर्व (East) के गाँवों से ली जाती है जो **'पूर्व की बेटी पश्चिम का बेटा'** कहावत को चरितार्थ करती है।
- गाँवों में बाल-विवाह प्रचलित है किन्तु विवाहोपरांत **'गौना प्रथा'** के द्वारा लड़की को युवावस्था में ही ससुराल भेजा जाता है।
- कुछ निम्न जातियों में कन्या मूल्य की भी प्रथा पाई जाती है। विवाह में **गोत्र बर्हिविवाह एवं सपिण्डता** के नियम का पालन किया जाता है।
- उच्च जातियों में विधवा बर्हिविवाह की स्वीकृति नहीं है।

Notepad

दक्षिणी क्षेत्र में नातेदारी प्रथा

- दक्षिणी क्षेत्रों में पितृसत्तात्मक परिवारों के साथ-साथ मातृसत्तात्मक परिवार भी पाए जाते हैं जिन्हें **'तारावाड़'** कहते है। गोत्र बर्हिविवाह यहाँ भी होता है किन्तु उत्तर की अपेक्षा नातेदारी क्षेत्र अत्यंत सीमित होता है।
- उत्तर की भांति ही गाँव के कुलों में परस्पर विवाह की मनाही है।
- आंध्र व कर्नाटक में दो बहनों के बच्चे परस्पर विवाह कर सकते हैं किंतु शेष भागों में इसे अच्छा नहीं मानते। कहीं-कहीं मामा भांजी और ममेरे-फुफेरे भाई-बहनों में भी विवाह प्रचलित है।
- विवाह संबंधी कुछ निषेधों का भी प्रचलन है। एक व्यक्ति अपनी बड़ी बहन की लड़की से तो विवाह कर सकता है किंतु छोटी बहन की लड़की से नहीं।
- ब्राह्मणों को छोड़ सभी जातियों में विधवा पुर्नर्विवाह प्रचलित है किंतु देवर या जेठ से विवाह की स्वीकृति नहीं है।
- उत्तर में लड़की विवाह के बाद अपरिचित घर में जाती है किन्तु दक्षिण में नहीं। यहाँ अधिक स्वतन्त्र होती है। पति-पत्नी के विवाह संबंधी रक्त संबंधी भी होते हैं।

नातेदारी की भूमिका एवं महत्व

- सरल और आदिम समाजों में नातेदारी एक वास्तविक संस्था है।
- **फर्थ** की मान्यता है कि नातेदारी एक ऐसी छड़ है जिस पर एक व्यक्ति जीवन भर निर्भर रहता है, यह अगणित स्थितियों में उसके व्यवहार को नियन्त्रित करती है।
- नातेदारी की भूमिका को हम निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत प्रकट कर सकते हैं:
 1. विवाह एवं परिवार का निर्धरण
 2. वंश उत्तराधिकार एवं पदाधिकार का निर्धारण।
 3. आर्थिक हितों की सुरक्षा
 4. सामाजिक दायित्वों का निर्वाह
 5. मानसिक सन्तोष
 6. मानवशास्त्रीय ज्ञान का आधार।
- **रैडक्लिफ ब्राउन** ने नातेदारी व्यवस्था का **प्रकार्यात्मक विवेचन** किया। उनकी मान्यता है विवाह एवं नातेदारी एक-दूसरे के मध्य व्यवस्था उत्पन्न करते हैं।
- **मैक्लीनन** की मान्यता है कि प्रारम्भ में नातेदारी की गणना स्त्रियों के माध्यम से होती थी, पुरुषों के माध्यम से गणना का विकास बाद के समय में हुआ।
- नातेदारी के संबंध में भारोपीय परिवारों का अध्ययन **हेनरीमेन** ने किया और बताया कि संयुक्त परिवार ही नातेदारी की प्रमुख कड़ी है।
- **मार्गन** ने न्यूयार्क राज्य के **इरोक्वीस जनजाति** के अध्ययन में बताया कि परिवार एवं विवाह का उद्विकास यौन साम्यवाद से हुआ है।
- **लोवी तथा बोआस** उद्विकासीय योजनाओं के विरुद्ध था।
- **मैलिनोवस्की** में **ट्रोब्रियाण्डा द्वीप** के अध्ययन के फलस्वरूप बताया कि नातेदारी के बीच भावनाओं और मनोभावनाओं का विशेष महत्व है।
- **रैडक्लिफ ब्राउन** ने भी नातेदारी शब्दावली में रुचि दिखायी एवं **तुलनात्मक**

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

उपागम (Comparative approach) का विकास किया।

- **ईवान्स प्रिचार्ड** ने 1940 में दक्षिणी सुडान के न्यूर लोगों पर एक पुस्तक प्रकाशित की जिसमें नातेदारी समूहों पर आधारित समूहों का अध्ययन सम्मिलित था।
- **मेयर फोरटेस** ने 1945 में **टालेन्सी** लोगों के विवाह, वंशानुक्रम एवं नातेदारी का अध्ययन कर एक पुस्तक प्रकाशित की।
- **मरडॉक** ने अपनी पुस्तक 'Social Structure' में उद्विकास के प्रति रूचि दिखायी।

Notepad

भारत में परिवार (Family in India)

सामान्यत: भारत में परिवार के आकार व प्रकार्य को लेकर भिन्नताएं हैं।

कुछ समाजशास्त्रियों का मत है कि भारत में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रबल है, परन्तु साक्ष्य इससे सहमत नहीं है, अध्ययन यह प्रमाणित कर चुके हैं कि संयुक्त परिवार मूलत: उत्तर भारत के मैदानी भागों में भू-स्वामियों के बीच पाया जाता है।

इरावती कर्वे ने भारतीय नातेदारी व्यवस्था को चार भागों में बांटा:

1. उत्तर क्षेत्र संरचना
2. दक्षिण क्षेत्र संरचना
3. पूर्वी क्षेत्र संरचना
4. मध्य क्षेत्र संरचना

1. **उत्तर क्षेत्र संरचना:**
 1. पितृ सत्तात्मक
 पितृ वंशात्मक
 पितृ स्थानीय
 2. पति का महत्व स्त्री से अधिक
 3. रक्त संबंधियों का महत्व विवाह संबंधियों से अधिक।
 4. परिवार के केन्द्र में पिता व पुत्र होते हैं तथा महिलाओं की स्थिति 'सीमान्त' होती है।
 5. प्रमुख सामाजिक राजनैतिक निर्णय पिता व पुत्र लेते हैं, तथा अन्य सदस्यों की भागेदारी इससे मुक्त रहती है।
 6. ज्येष्ठ पुत्राधिकार (Primogeniture)
 7. पूर्वज पूजा का प्रचलन तथा पूर्वजों को पिण्डदान देने की प्रथा।
 8. संपत्ति का **मिताक्षर नियम (विज्ञानेश्वर)** लागू होता है। अर्थात् पिता के जीवन काल में पुत्र को संपत्ति का अधिकार नहीं होता।
 9. संपत्ति पर पुत्रियों का अधिकार नहीं।
 10. भूमि का अत्यधिक सामाजिक, सांस्कृतिक महत्व होता है भूमि का क्रय-विक्रय प्रस्थिति निर्धारक होता है।
 11. **हेराल्ड वुल्ड:** उत्तर भारत में संयुक्त या एकल परिवार अलग-अलग अवधारणाएं नहीं हैं, इन्हे एक ही जीवन चक्र के पड़ावों के रूप में देखना चाहिए।
 12. **एस.सी.दूबे:** उत्तर भारत में एकल परिवार पड़ाव मात्र है, अर्थात् व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन का कुछ ही समय एकल परिवार में बिताता है। वह अपने जीवन का अधिकांश भाग 'संयुक्त परिवार' में व्यतीत करता है।
 13. उत्तर क्षेत्र में **'जाति अंनत:विवाह'** व 'ग्राम बर्हिविवाह' प्रथा पायी जाती है।
 14. वधू पक्ष की प्रस्थिति, वर पक्ष से निम्न होती है।
 15. विवाह संबंध की **'सांस्कृतिक अभिव्यक्ति'** संघर्षात्मक होती है।

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

दक्षिण भारतीय क्षेत्र:

1. सामान्यत: दक्षिण भारत में संयुक्त परिवार प्रथा नहीं पायी जाती, परन्तु सामान्य नियम उत्तर भारतीय क्षेत्र की तरह होते हैं।
2. यद्यपि: ज्येष्ठ पुत्रधिकार)
 पितृ वंशीय) जैसे नम्बूदरी
 पितृ स्थानीय अधिकांश जातियों में प्रबल है परंतु जनसंख्या के महत्वपूर्ण भाग वे भी हैं जो
 - मातृ स्थानीय)
 - मातृ वंशीय हैं।) जैसे नायर।
3. कुछ ऐसी जातियां, जनजातियां है जो दोनो (मातृ-पितृ) लक्षण दर्शाती हैं जैसे टोडा।

मातृ वंशीय परिवार (Matrilineal Family): सभी रिश्ते रक्त संबंधों पर आधारित, विवाह द्वारा संबंध नहीं मिलते।

मातृ वंशी व संयुक्त परिवार (Matrilineal Joint Family): नायर

- संयुक्त परिवार को **'तारावाड़'** (Tarwad) **कहते हैं।**
 - मातृ स्थानात्मक
 - मातुल स्थानीय
- अविवाहित पुरुष माता के 'तारवाड' से संबंधित होते हैं और विवाहित पुरुष 'पत्नी के तारवाड़' से।
- 'तारवाड़' का सबसे वृद्ध पुरुष संपत्ति का प्रबन्धक होता है जिसे **'कर्णावान'** कहते हैं। 'कर्णावान' की पत्नी को **'अम्माई'** कहते हैं।
- 'कर्णावान' परिवार का 'पूर्ण शासक' होता है, उसकी मृत्यु के बाद वरीयत में वृद्ध पुरुष 'कर्णावान' बन जाता है। (पितृ सत्तात्मक परिवार में पितातुल्य अधिकार-संपत्ति संबंधी)
- जब 'तारवाड़' का आकार बहुत विस्तृत हो जाता है, तो उसे **तवाजि** (Tavazhis) में विभक्त कर दिया जाता है। तवाजि में एक स्त्री, उसके बच्चे व स्त्री श्रेणी के सभी उत्तराधिकारी होते हैं।
- नायरों का वैवाहिक संबंध (न कि विवाह) नम्बूदरी ब्राह्मणों से होता है। इसे **संबंधम्** कहते हैं।
- इसमें नम्बूदरी ब्राह्मण, नायर कन्या के हाथ में पवित्र धागा (तालिकेट्टगम) बांधकर संबंधम बनाता है। परन्तु इनसे जनित बच्चों का 'नम्बूदरी संपत्ति' पर कोई अधिकार नहीं होता।
- बच्चे 'मामा के घर' रहते है और मामा की संपत्ति में ही उन्हें अधिकार मिलता है।

नायर परिवार की संरचना:

नम्बूदरी परिवार: ज्येष्ठ पुत्रधिकार (संपत्ति पर)

- ज्येष्ठ पुत्र ही नम्बूदरी ब्राह्मण कन्या से विवाह करता है तथा उससे जनित बच्चे सभी भाइयों के बच्चे कहलाते हैं।
- संपत्ति न बंटे, इसलिए अन्य सभी भाई, नायर कन्या के साथ संबंधम् बनाते हैं।
- 'बालिका हत्या प्रथा': इसलिए लिंगानुपात आनुपातिक होता है।
- एक नम्बूदरी (बड़ा भाई) तीन पत्नियाँ रख सकता है-बहुपत्नि प्रथा।

• 'नायरों' में नम्बूदरी के विपरीत 'बहुपति प्रथा' पायी जाती है।

प्रथा समाप्त होने के कारण:

1. सामाजिक विधान

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

2. संस्कृतिकरण
3. प्रवजन (Migration)
4. आधुनिक प्रभाव

Notepad

दक्षिण भारतीय क्षेत्र में गोत्र संगठन एवं विवाह:

आयु संगठन के आधार पर दो समूहों में नातेदारी संगठनो को बांटा गया है:

टाम मन (Tam-Mun):

Tam = स्व

Mun = पहले या पूर्व (बड़ी)

या अपनी आयु समूह से बड़ी आयु समूह का संगठन।

- लड़की उस व्यक्ति से विवाह कर सकती है जो उसके समूह से वरिष्ठ समूह अर्थात् Tam-Mun का सदस्य हो।
- वह अपने माता-पिता से कम आयु वाले समूह के सदस्य से अथवा बड़े विलिंग सहोदरज (cross cousin) से भी विवाह कर सकती है।

A के लिए Tam-Mun: माता-पिता, उनके भाई, व्यक्ति के स्वयं के बड़े भाई बहिन, तथा बड़े-मौसेरे/चचेरे भाई बहिन।

Tam-Pin टाम पिन: Tam = स्व

Pin = पश्चात (छोटा) या पीछे के

A व्यक्ति के लिए टाम-पिन: छोटे भाई बहिन, अपने बच्चे, छोटे ममेरे/चचेरे भाई-बहिन व उनके बच्चे।

- लड़के को टाम मन या टाम पिन समूह की लड़की से विवाह करना होता है।

पूर्वी क्षेत्र: 'गारो तथा खासी' मुख्यत:

गारो: - मातृ वंश परंपरा माचोंग प्रयोग कहते हैं।

- मातृ स्थानीय
- पुत्री विशेष के पति को **'नोकमा'** कहते हैं, नोकमा, गृहस्थी (नोक) का प्रधान व प्रबंधक होता है। परन्तु 'संपत्ति का अधिकार' पुत्री को ही उत्तराधिकार में मिलता है।
- पुत्र विवाह के बाद अपना घर छोड़ देते हैं।

- गारो समूह दो अंशो (Phratries) में बंटे होते हैं, जिन्हें **'कट्‌ची'** कहते हैं।
 1. मरक
 2. संगमा
 - समूह अन्तर्विवाही नहीं होते।

विवाह के बाद जमाता, सास-ससुर के पास रहता है अर्थात् वह अपने ससुर का **'नोकरम'** बन जाता है।

ससुर की मृत्यु के बाद 'नोकरम' अपनी 'सास' से विवाह कर लेता है। तथा माता व पुत्री दोनो का पति बन जाता है।

'नोकरम' व 'सास' से उत्पन्न सन्तान 'माता' की वंश परम्परा की सदस्य मानी जाती है।

- एक से अधिक पुत्रियों के होने पर माता अपनी "उत्तराधिकारी चुनती है जिसे 'नोकना' कहते हैं। इसी पुत्री का पति नोकमा कहलाता है।
- पति अपनी पत्नी के जीवन काल में 'उसकी संपत्ति' का पूरा उपभोग कर सकता है।
- संपत्ति के विषय में निर्णय लेने का अधिकार (संपत्ति हस्तान्तरण से संबंधित नहीं) पुरुष का होता है चूंकि सत्ता का प्रयोग एक वंश परम्परा ढांचे में ही किया जाता है इसलिए वंश परम्परा के कुछ पुरुषों को गांव में ही रहना पड़ता है, यही (कुछ) लोग अपनी 'बहनो' के परिवारों के रोजमर्रा के कामकाज की व्यवस्था

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

करते हैं-यह व्यवस्था 'नोकपन' कहलाती है। इनका अपने भांजे, भाजिंयो पर कड़ा नियंत्रण होता है, तथा यह उनके साथ पिता तुल्य व्यवहार करता है।

- मातृवंशीय ममेरे भाई-बहनो का विवाह (मामा को पुत्री से विवाह) पाया जाता है।

खासी: मातृ वंशीय

- कुल वहिर्विवाही
- नातेदारी शब्दावलियां **'वर्गात्मक'** होती है।
- ममेरे भाई-बहनो में विवाह स्वीकार्य।

परन्तु साली विवाह (sororate), देवर विवाह (leuirate) प्रतिबंधित होते है।

- अनुलोम विवाह प्रथा नहीं
- बहुपत्नि, बहुपति विवाह नहीं।
- 'रखैल' से उत्पन्न हुयी संतान अपने पिता की 'अर्जित' संपत्ति में बराबर की उत्तराधिकार प्राप्त करती है।
- 'कनिष्ठाधिकार' (ultimogeniture) (पुत्री)।

पश्चिम-भारतीय क्षेत्र: लगभग उत्तर-भारतीय क्षेत्र की तरह।

मध्य-भारतीय क्षेत्र: महाराष्ट्र, हिमाचल, मध्य प्रदेश, गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कुछ भाग।

- इसमें उत्तर व दक्षिण दोनो की विशेषताएं पायी जाती हैं।
- 'मराठो' में मामा अधिमान्य वर होता है। (prepferential husband)
- 'ग्राम अन्तर्विवाह' व 'समानान्तर चचेरा विवाह' प्रचलित है।
- मराठो में 'बहुपत्नि' विवाह भी पाया जाता है।
- 'दहेज प्रथा' नहीं पायी जाती।
- ओक्कालिगा में भ्राता-भमिनी विवाह (मांमा-भांजी विवाह) प्रचलित है।
- 'कर्नाटक' पर मध्य क्षेत्र व दक्षिण क्षेत्र दोनो का प्रभाव पाया जाता है।
- रक्त संबंधियों को प्राथमिकता मिलती है।
- ब्राह्मणों, बनियों, कुन्वियो व कारीगरो में उत्तर भारतीय बंधुत्व (नातेदारी) व्यवस्था प्रचलित है।

काठी, अहिर, घटाना, चारण, गरासिया में दक्षिण भारतीय बंधुत्व व्यवस्था प्रचलित है।

संयुक्त परिवार के मापदण्ड: बी.एस. कोट, एस.सी. दूबे, हैराल्ड वुल्ड, पावलिन कोलेण्डा, आर. के. मुर्खजी:

1. सह निवास
2. सह भोजन

एफ. जी. वेली

टी.एन. मदान: 'संयुक्त संपत्ति'

आई.पी. देसाई: 'नातेदारी के प्रति दायित्वों की पूर्ति'

1. पीढ़ी की गहराई
2. अधिकार व दायित्व
3. संपत्ति

देसाई:

1. प्रकार्यात्मक संयुक्त परिवार
2. आवासीय संयुक्त परिवार
3. सीमान्त संयुक्त परिवार

इलावती कर्वे:

1. सह निवास (मुख्य)
2. सह रसोई
3. सह संपत्ति

Notepad

NET JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

4. सह पूजा
5. नातेदारी संबंध

संयुक्त परिवार से संबंधित अध्ययनः

आई पी. देसाईः 'महुआ शहर' गुजरात

61.47% परिवार 'एकाकी' थे।

38.53% परिवार 'संयुक्त' थे।

- एकाकिता बढ़ रही है, संयुक्तता घट रही है।

एलेन रांसः **'बैंगलौर'**

1. संयुक्त परिवार कमजोर हुये हैं।
2. लघु संयुक्त परिवार अब भारत में पारिवारिक जीवन का विशिष्ट मानक है।

ए.एम. शाहः **'गुजरात' के एक गांव राधवा नाज।**

- **ग्रामीण भारत में संयुक्त प्रणाली टूट रही है।**

आर.के. मुर्खजीः पश्चिम बंगाल

संयुक्त परिवारों की संरचना एकाकी परिवार की संरचना में बदल रही है।

Syluia Vatukः 'मेरठ, के मध्यवर्ग का अध्ययन'

- संयुक्त परिवार की भावना आज भी प्रबल है।

एस.सी. दूबेः उत्तर भारत में संयुक्त परिवार भावना प्रबल तथा एकल परिवार पड़ाव मात्र।

Margret Cormackः **'बैंगलौर के छात्रों का अध्ययन किया'**

एकल परिवार इनकी पहली पसंद है तथा यह विवाह स्वयं की मर्जी व माता-पिता के आर्शीवाद से करना चाहते हैं। साथ ही यह अन्य संबंधियों के प्रति असंवेदनशील है।

एम.एस. गोरेः 'हरियाणा'

एकल परिवार की प्रवृत्ति बढ़ रही है।

एडविन ड्राइवरः 1958 नागपुर का ड्राइवर, शाह के साथ बड़ौदा गया और गारे के साथ हरियाणा गया।

"नागपुर" (तत्कालीन बम्बई राज्य)

नगरीय क्षेत्र में एकाकी परिवार अधिक है।

ग्रामीण क्षेत्र में संयुक्त परिवार अधिक है।

सच्चिदानन्दः शाहाबाद (बिहार)

25.3% परिवार एकाकी

74.2% परिवार संयुक्त।

- एकाकी परिवार की संख्या-उनकी आशा के विपरीत घटता क्रम

 उच्चजातियों में - 30%

 मध्यम जातियों में - 24%

 निम्न जातियों - 11% थी।

- **वी.वी. शाहः** **बड़ौदा (गुजरात)**
- **सुधाकाल दातेः** **पुराना बम्बई राज्य**

•Pauline Kolendaः **लोनी खण्ड (पूना) महाराष्ट्र**

कपाड़ियाः 'नवसारी शहर' गुजरात (सूरत)

49.1% परिवार एकाकी

50.9% परिवार संयुक्त

- संयुक्त परिवार का ढांचा, एकाकी परिवार की ओर नहीं झुका है।
- नगरीय परिवारों में परिवर्तन, जाति प्रथा में आर्थिक कारको में हो रहे परिवर्तनो के फलस्वरूप हो रहे हैं।

परिवारों का नाम जनजातियां/जातियां

तारवाड़ नायर

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

नोक गारो
ओका कुर्ग
इलम नम्बूदरी

इरावती कर्वे ने भाषाई अर्थात् संस्कृति के आधार या पूरे देश को 4 भागो में बांटा

- इण्डो-आर्य भाषाएं (उ. + मध्य क्षे.)
- द्रविड़ भाषाएं (दक्षिणी प्रातों में)
- आस्ट्रिय मंडारी (पूर्वी)
- उत्तर व मध्य क्षेत्र के बीच पहाड़ी आधार पर किया गया।
- **उत्तर क्षेत्रः** असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी बंगाल, पंजाब, हरियाणा, कश्मीर।
- **मध्य क्षेत्रः** राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल, उड़ीसा
- **दक्षिणीः** आन्ध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक
- **पूर्वीः** नागालैण्ड, मिजोरम, बिहार, बंगाल, आसाम, उड़ीसा के कुछ क्षेत्र
- देसाई के **'सीमान्त संयुक्त परिवार'** को कपाड़िया ने **'एकाकी परिवार'** व ऐलेन रास ने **'लघु संयुक्त परिवार'** कहा।

Notepad

NET, JRF
Manish Singh Sir
EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

विवाह
(Marriage)

Notepad

परिवार, विवाह व नातेदारी भारतीय समाज की बुनियादी संस्थाएं हैं। ये संस्थाएं यौन क्रियाकलाप, प्रजनन, बच्चों तथा बूढ़े लोगों की देख भाल तथा नातेदारी के संबंधो के आधार पर बने समूह से जुड़ी हुयी हैं।

विवाह वस्तुतः समाज द्वारा मान्य संबंधो की एक प्रमुख **सामाजिक संस्था** है और ये संबंध कानून तथा रीति-रिवाजों द्वारा परिभाषित व मान्य है।

विवाह द्वारा उत्पन्न बच्चे विवाहित जोड़े के वैद्य सन्तान माने जाते हैं और यह वैद्यता उत्तराधिकार एवं वंशक्रम के मामले में महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार विवाह न **केवल यौन संतुष्टि का साधन** है, वरन् **परिवार की निरन्तरता बनाये रखने की एक सांस्कृतिक क्रिया विधि हैं**। यह बहुत हद तक भारत की एक **सर्वव्यापी सामाजिक संस्था** है।

यद्यपि कि यौन इच्छाओं की संतुष्टि ने ही विवाह, परिवार तथा नातेदारी को जन्म दिया किन्तु विवाह का उद्देश्य यौन-संतुष्टि ही नहीं होता बल्कि कभी-कभी तो यह केवल सामाजिक-सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही किया जाता है।

विवाह का अर्थ एवं परिभाषाः

विवाह का **शाब्दिक अर्थ है-'उद्वह'** अर्थात **वधू को वर के घर ले जाना।** विवाह को परिभाषित करने हुए विभिन्न विद्वानों ने निम्न मत व्यक्त किए:

- **लूसी मेयर लिखते है**, 'विवाह की परिभाषा यह है कि वह स्त्री-पुरुष का ऐसा योग है, जिससे स्त्री से जन्मा बच्चा माता-पिता की वैध सन्तान माना जाय'।
- **डब्ल्यू. एच.आर. रिवर्स के अनुसार,** 'जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है, उन्हें विवाह की संज्ञा दी जा सकती है।'
- **वेस्टरमार्क ने लिखा है कि,** 'विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है, जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है और जिसमें इस संगठन में आने वाले दोनों पक्षों एवं उनसे उत्पन्न बच्चों के अधिकार एवं कर्तव्यों का समावेश होता है।'
- **बोगार्डस के अनुसार,** 'विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है।'
- **मजूमदार एवं मदान लिखते हैं**, 'विवाह में कानूनी या धार्मिक आयोजन के रूप में उन सामाजिक स्वीकृतियों का समावेश होता है जो विषम लिंगियों की यौन-क्रिया और उससे संबंधित सामाजिक-आर्थिक संबंधों में सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान करती है।'
- **जॉनसन ने लिखा है**, 'विवाह के संबंध में अनिवार्य बात यह है कि यह एक स्थायी संबंध है जिसमें एक पुरुष और एक स्त्री, समुदाय में अपनी प्रतिष्ठा खोये बिना सन्तान उत्पन्न करने की सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करते हैं।'
- **हॉबल के अनुसार,** 'विवाह सामाजिक आदर्श-मानदण्डों (Social Norms) की वह समग्रता है जो विवाहित व्यक्तियों के आपसी संबंधों को उनके रक्त-संबंधियों, सन्तानों तथा समाज के साथ संबंधों को परिभाषित और नियन्त्रित करती है।'
- **मैलिनोवस्की ने कहा कि**, 'विवाह बच्चों की उत्पत्ति और देखभाल हेतु इकरारनामा है।'
- **हार्टन एवं हंट के अनुसार,** 'विवाह एक स्वीकृत सामाजिक प्रणाली है, जिसके अनुसार दो या अधिक व्यक्ति परिवार की स्थापना करते हैं।'
- **लोवी ने विवाह को** 'जायज साथियों में अपेक्षतया पक्का संबंध' कहा है।

NET, JRF Manish Singh Sir LC Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

- अर्नेस्ट आर. ग्रोब्ज ने विवाह को 'संगी बनकर रहने की सार्वजनिक स्वीकृति तथा कानूनी पंजीकरण' कहा है।
- **मजूमदार विवाह की परिभाषा इस प्रकार देते हैं,** 'विवाह पुरुष एवं स्त्री का सामाजिक रूप से स्वीकृत मिलन है अथवा पुरुष और स्त्री के सहवास एवं मिलन को स्वीकृति प्रदान करने के लिए समाज द्वारा आविष्कृत एक गौण संस्था है, जिसके उद्देश्य हैं- 1. घर की स्थापना, 2. लैंगिक संबंधों में प्रवेश, 3. प्रजनन, एवं 4. बच्चों का पालन-पोषण।

Notepad

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि विवाह में निम्न तत्व निहित हैं:

1. विवाह एक सामाजिक संस्था है।
2. विवाह विपरीत लिंगी व्यक्तियों के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने तथा उनके बीच स्थापित यौन संबंधों की सामाजिक धार्मिक तथा कानूनी स्वीकृति है।
3. विवाह के माध्यम से पति-पत्नी से उत्पन्न संतान का पालन पोषण व समाज में उचित स्थान मिलता है।

विवाह के उद्देश्य (Aims of Marriage)

मुरडॉक ने 250 समाजों का अध्ययन करने पर सभी समाजें में विवाह के **तीन उद्देश्यों** का प्रचलन पाया - 1. **यौन संतुष्टि,** 2. **आर्थिक सहयोग**, 3. **संतानों का समाजीकरण एवं लालन-पालन।**

विवाह के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. यौन इच्छाओं की पूर्ति एवं समाज में यौन क्रियाओं का नियमन करना।
2. परिवार का निर्माण करना एवं नातेदारी का विस्तार करना।
3. वैध सन्तानोत्पत्ति करना व समाज की निरंतरता को बनाए रखना।
4. सन्तानों का लालना-पालन एवं समाजीकरण करना।
5. स्त्री-पुरुषों में आर्थिक सहयोग उत्पन्न करना।
6. मानसिक सन्तोष प्रदान करना।
7. माता-पिता एवं बच्चों में नवीन अधिकारों एवं दायित्वों को जन्म देना।
8. संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरण करना।
9. धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्ति करना।
10. सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

विवाह का संस्थात्मक महत्व

1. विवाह वैध तरीके से यौन इच्छाओं की पूर्ति में योग देता है। यौन इच्छा एक स्वाभाविक इच्छा है जो सभी प्राणियों में पायी जाती है। विवाह इस इच्छा की पूर्ति का समाज द्वारा मान्य तरीका है।
2. विवाह संस्था सन्तानोत्पत्ति द्वारा समाज की निरन्तरता को बनाये रखने में योग देती है।
3. सन्तानों को समाज में वैधता प्रदान करने और उनकी स्थिति निर्धारण में विवाह संस्था का योगदान महत्वपूर्ण है।
4. बच्चों के समाजीकरण एवं व्यक्तित्व के विकास में विवाह का विशेष महत्व है।
5. पारिवारिक जीवन को सुदृढ़ता प्रदान करता है।
6. सामाजिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने में विवाह संस्था का महत्व है।
7. संस्कृति के हस्तांतरण में विवाह संस्था का महत्व विशिष्ट है। व्यक्ति विवाह के पश्चात् अपने सन्तानों को हस्तान्तरित करता है और उसके ये अनुभव समाज और संस्कृति को समृद्ध बनाते हैं। अत: इस संस्था के माध्यम से वंश परम्परा बनती है और माता-पिता से सांस्कृतिक विशेषताएँ सन्तानों को हस्तान्तरित होती है।

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

विवाह के प्रकार (Kinds of Marriage)

Notepad

एक विवाह:

एक समय में एक पुरुष का एक स्त्री के साथ विवाह। एक विवाह या बहु विवाह का संबंध एक व्यक्ति से न होकर समाज से होता है अर्थात कोई व्यक्ति नहीं बल्कि समाज ही एक विवाही या बहुविवाही होता है। जहाँ स्त्री एवं पुरुषों की संख्या समान होती है वहाँ साधारणत: एक विवाह का प्रचलन होता है। जनजातियों में वधूमूल्य की ऊँची दर ने भी एक विवाही बनने के लिये मजबूर किया है। खासी, कादर, संथाल में यह विवाह प्रथा प्रचलित में है। उदविकासवादियों ने एक विवाह को परिवार एवं विवाह के उदविकास का अंतिम चरण माना है। हिन्दू विवाह अधिनियम (1955) ने इस प्रकार के विवाह को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया है। **वेस्टरमार्क** ने एक विवाह को ही विवाह का आदि रूप माना है। **मैलिनोवस्की** के अनुसार "एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है, रहा था और रहेगा।"

- **क्रमिक एकल विवाह:** अनेक समाजों में व्यक्तियों की पहली पत्नी/पति की मृत्यु हो जाने पर या तलाक के बाद पुनर्विवाह करने की प्राय: अनुमति होती है, किन्तु वे एक ही बार में एक से अधिक पत्नी/पति नहीं रख सकते। ऐसे एक पत्नी के विवाह को क्रमिक एकल विवाह प्रथा के रूप में जाना जाता है। अधिकांश पाश्चात्य समाजों में यह विवाह प्रथा प्रचलित है।
- **एकल विवाह:** जिस समाज में पुनर्विवाह मान्य नहीं होता उसमें केवल एक विवाह (Straight monogamy) ही होता है। अधिकांश उच्चवर्गीय हिन्दू महिलाओं को विधवा पुनर्विवाह अधिनयम 1836 लागू होने से पहले केवल एकल विवाह प्रथा का प्रतिमान रखना पड़ता था, क्योंकि तब तक विधवाओं को पुनर्विवाह करने की अनुमति नहीं की गयी थी।
- **जोड़ा विवाह:** जोड़ा विवाह स्थायी संबंधो पर आधारित होता है, और इसमें पति पत्नी की स्थिति समान होती है।
- **मोनीजिनी:** एक विवाह का वह स्वरूप जिसमें एक पुरुष या स्त्री वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। इस प्रकार के विवाह की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें यौन संबंधों की स्वतंत्रता होती है। पति अन्य स्त्रियों से भी यौन संबंध स्थापित कर सकता है।
- **अस्थायी एक विवाह** (Monondry): विवाह का यह स्वरूप संबंधों की अस्थिरता पर आधारित है। इसमें भी एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है लेकिन इस विवाह की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि स्त्री परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी यौन संबंध स्थायी या अस्थायी रूप से स्थापित कर सकती है।

बहु विवाह:

जब एक पुरुष या स्त्री का एक से अधिक स्त्रियों या पुरुषों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित हो तो ऐसे विवाह को बहुविवाह कहा जाता है।

- **मर्डक ने** 250 समाजों के अध्ययन में 78% परिवारों को बहुविवाही पाया। सरल प्रौद्योगिकी वाले समाजों में बहुविवाह अधिक प्रचलित है।

1. **बहुपत्नी विवाह:** एक पुरुष के एक ही समय में एक से अधिक पत्नियां होती है। बहुपत्नी विवाह का मुख्य कारण आर्थिक पक्ष रहा है। पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य हेतु, अधिक पत्नियां सामाजिक प्रतिष्ठा की प्रतीक, स्त्रियों का पुरुष से अधिक होना, कुलीन विवाह इत्यादि बहुपत्नी विवाह के कारण हो सकते हैं।

- **नागा, गोंड, बैगा, टोडा, लुशाई** और मध्य भारत की अधिकांश **प्रोटोआस्ट्रलायड जनजातियों** में यह प्रथा प्रचलित है।

बहुपत्नी प्रथा का एक रूप **द्विपत्नी विवाह प्रथा** या **युग्म विवाह** (Bigamy) **है।** इसमें एक पुरुष एक साथ दो पत्नियां रखता है साधारणत: पहली पत्नी की

NEET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

अस्वस्थ रहने की स्थिति में दूसरे विवाह की आज्ञा प्रदान की जाती है। **एस्कीमों जनजाति** में तथा **आरेगन जनजाति** में यह प्रथा पायी जाती है।

पत्नी भगिनी या साली असीमित विवाह (Sororal Palajgymy)

इसके अंतर्गत पुरुष अपनी पत्नी के अतिरिक्त उसकी अन्य बहनों से विवाह करता है। स्पष्ट है कि विवाह के समय पत्नी जीवित रहती है तथा पत्नी के रूप में रहती है।

प्रथम पत्नी की मृत्यु के उपरांत उसकी बहन के साथ किया गया विवाह **'सीमित साली विवाह'** कहलाता है किन्तु जब किसी व्यक्ति को परिवार की ज्येष्ठ लड़की के साथ विवाह करने पर उसकी छोटी बहिनों पर भी वैवाहिक अधिकार प्राप्त हो जाता है, तब यह प्रथा **'असीमित साली विवाह'** के नाम से जानी जाती है।

डा. के.एम. कपाड़िया के अनुसार, "भारत वर्ष में बहुपत्नी विवाह का प्रचलन वैदिक युग से वर्तमान समय तक प्रचलित रहा है। **अल्टेकर के मत में** –बहुपत्नी प्रथा धनी, शासक एवं अभिजात वर्ग के लोगों में सामान्य थी।

2. **बहुपति विवाह:**एक समय में एक स्त्री के एक से अधिक पतियों का होना बहुपति विवाह कहलाता है।

- **मैकलेनन ने सर्वप्रथम बहुपति विवाह का उल्लेख किया था। आज कई समाजों में बहुपति विवाह प्रथा का प्रचलन है। उत्तरी अमरीका की अलस्कान, एस्किमों, अमेरीकन इण्डियन, मलाया, पूर्वी अफ्रीका की बाहुमा, तियान (मद्रास) टोंडा, कोटा (तमिलनाडु), बोटा (लद्दाख), खस, नायर कश्मीर से लेकर आसाम तक के क्षेत्र में रहने वाले इण्डोआर्यन और मंगोलायड लोगों में भी इस प्रथा का प्रचलन रहा है।**
 भ्रातृक बहुपति प्रथा: एक स्त्री के सभी पति आपस में भाई होते हैं। तिब्बत में यह प्रथा प्रचलित है, अत: **मैकलेनन** ने इसे तिब्बती बहुपति प्रथा कहा है। **टोडा, खस कोटा** तथा कांगड़ा जिला के **लाहौल एवं स्पीति** परगनों में भ्रातृक बहुपति प्रथा प्रचलन है।
 अभ्रातृक बहुपति प्रथा:स्त्री के सभी पतियों में परस्पर कोई संबंध नहीं होता। मैकलेनन ने इसे नायर बहुपति प्रथा कहा है क्योंकि मालाबार के नायर लोग में यह प्रथा है।
- बहुपति प्रथा को मातृपक्ष एवं पितृपक्ष से जोड़ा जा सकता है। टोंडा, खस, कोटा आदि में पितृपक्षीय बहुपति प्रथा प्रचलित है, जिसमें स्त्री बारी बारी से सभी पतियों के पास कुछ समय के लिये रहती है। नायर में मातृपक्षीय बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है, जिसमें पति ही बारी बारी से स्त्री के घर निवास के लिये आते हैं।

बहुपति प्रथा प्रचलन के कारण:

1. लिंग अनुपात का असंतुलन होना अर्थात स्त्रियों की तुलना में पुरुष की अधिकता का होना।(वेस्टरमार्क) किन्तु यह व्याख्या सर्वत्र सार्थक नहीं है। लद्दाख में स्त्रियाँ बहुत अधिक संख्या में होती हैं, फिर भी बहुपति विवाह की प्रथा है। इसके अतिरिक्त गरीबी, वधूमूल्य की अधिकता, संपत्ति की सामूहिकता बने रहना (टोडा में) की प्रवृति आदि कारण है।
2. बहुपतित्व में प्रजनन दर कम होती है, अत: जनसंख्या की मर्यादित रखने की लालसा के कारण भी इस प्रथा का प्रचलन हुआ है।

- **बहुपति विवाह के निम्न परिणाम पाये गये हैं,** यथा प्रत्येक स्त्री के कम संतान पैदा होना, पैदा होने वाली संतान में पुरुष संतान का अधिक्य और कई स्त्रियों में बाँझपन का विकास हो जाना इत्यादि।
- बहुपति प्रथा ने **नैतिकता के दोहरे मापदण्ड** (Double standard of morality) पैदा किया है खस जनजाति में एक स्त्री को पत्नी की स्थिति में जिसे **रांति** (Ranti) कहा जाता है। वैवाहिक जीवन की कड़े नियमों में **ध्यांति**

Notepad

NET-JRF Manish Singh Sir EC Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

(Dnyanti) कहा जाता है, यानि जब वह पिता के घर आती है, तो यौन व्यवहार की छूट होती है।

- खस लोगों में विवाह केवल बड़ा भाई करता है, किन्तु उसकी पत्नी शेष सभी भाइयों की पत्नी मान ली जाती है। जब बड़े भाई व अन्य छोटे भाइयों की आयु में अत्यधिक अंतर होता है तो छोटे भाइयों के लिये अलग से पत्नी आ सकती है, लेकिन उससे विवाह सबसे बड़ा भाई ही करेगा। प्राणिशास्त्रीय रूप से तो कोई भी संतान का पिता (Genetor) हो सकता है, पर सामाजिक रूप से पिता (Petor) वही भाई माना जायेगा जो क्रम द्वारा निर्धारित है।

 रेडक्लिफ ब्राउन का कहना है कि ऐसे समाजों में **जनक** (Genetor) कोई भी हो, परंतु **पोषक** (Petor) ही संतान का कानूनी पिता घोषित किया जाता है।
- **टोडा** में संतान निर्धारण का एक सांस्कृतिक तरीका प्रचलित है। जब पत्नी गर्भवती होती है। तब संस्कार के माध्यम से भाइयों में से कोई भी भाई पत्नी को पांचवे महीने में एक तीर धनुष भेट करता है। यह प्रथा **पुरसुतपिमी** नाम से जानी जाती है। यही भाई सामाजिक रूप से संतान का पिता माना जायेगा।

समूह विवाह: यह वह विवाह है जिसके अनुसार पुरुषों का एक समूह स्त्रियों के एक समूह से विवाह करता है। प्रत्येक पुरुष प्रत्येक स्त्री के साथ यौन संबंध स्थापित कर सकता है। **वेस्टरमार्क** का कहना है कि समूह विवाह तिब्बत, भारत तथा लंका के बहुपतित्व प्रथा वाले समाजों में पाया जाता है।

विवाह साथी चयन संबंधी नियमावली (Rule of marriage)

- सभी समाजों में विवाह संबंधी कुछ नियम और प्रतिबंध होते हैं। अर्थात कौन किससे विवाह करे और न करे। कौन किससे विवाह करे, इस नियम को विवाह संबंधी विधि नियम (Preference) तथा कौन किससे विवाह न करे, ऐसे नियम को निषेध (Incest) कहते हैं।
- प्राय: सभी समाजों में निकट स्वजनों के बीच यौन संबंध निषिद्ध माना जाता है। इसे ही **निकटाभिगमन निषेध** (Incesat Taboo) कहा जाता है। सामान्यत: माता-पिता और संतान तथा भाई बहन के बीच यौन संबंध वर्जित (निषेध) माना जाता है।
- निकटामिगमन निषेध के कारण ही बर्हिविवाह तथा अन्तर्विवाह (Exogamy and Endogamy) नियम का प्रचलन हुआ।
- **बहिर्विवाह** (Exogamy): बर्हिविवाह नियम के अनुसार, एक व्यक्ति को अपने समूह से बाहर विवाह करने की अनुमति होती है। जैसे, एक ही परिवार, वंश अथवा गोत्र के सदस्यों के बीच विवाह वर्जित है। हिन्दुओं को परम्परागत रूप से एक ही गोत्र (Gotra) प्रवर (Pravor) तथा सपिंड (Sapind) में विवाह करने की मनाही है।

1. **गोत्र बहिर्विवाह** (Gotra Exogamy): हिन्दुओं में सगोत्र विवाह निषेध है। **विज्ञानेश्वर के अनुसार**, वंश परंपरा में जो नाम प्रतिबद्ध होता है, उसी को गोत्र कहते हैं। वर्तमान में सभी जातियों में गोत्र पाए जाते हैं और वे गोत्र बहिर्विवाह के नियमों का पालन करती है। सर्वप्रथम गृहमूल साहित्य में सगोत्र विवाह की मनाही ली गयी।
2. **सप्रवर बहिर्विवाह** (Sopravar Exogamy): **प्रवर का तात्पर्य 'श्रेष्ठ' से ही** था। समान पूर्वज और समान ऋषियों के नामों का उच्चारण करने वाले व्यक्ति अपने को एक ही प्रवर से संबद्ध मानने लगे। एक प्रवर के व्यक्ति अपने को सामान्य ऋषि पूर्वजों से संस्कारात्मक एवं आध्यात्मिक रूप से संबंधित मानते हैं। अत: वे परस्पर विवाह नहीं करते।

 डॉ. के. एम. कपाड़िया के अनुसार, "प्रवर संस्कार अथवा ज्ञान के उस समुदाय की ओर संकेत करता है जिससे एक व्यक्ति संबंधित होता है।" **पी. वी.**

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir IC Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

काणे के अनुसार, सप्रवर विवाह निषेध तीसरी शताब्दी से प्रारंभ हुए और नवीं शताब्दी तक चलते-चलते तो इनका रूप कठोर हो गया।

3. **सपिण्ड बहिर्विवाह** (Sapunda Exogamy): सपिण्ड विवाह निषेध के नियम मातृ एवं पितृ एवं पितृ पक्ष की कुछ पीढ़ियों में विवाह पर रोक लगाते हैं।
 स्मृति में सपिण्ड का प्रयोग दो अर्थों में हुआ है।
 (i) वे सभी व्यक्ति सपिण्डी हैं जो एक व्यक्ति को पिण्ड दान करते हैं।
 (ii) **मिताक्षरा के अनुसार,** वे सभी व्यक्ति जो एक ही शरीर से पैदा हुए हैं सपिण्डी हैं। **वशिष्ठ** ने पिता की ओर से सात व माता की ओर से पाँच तथा **गौतम** ने पिता की ओर से आठ व माता की ओर से छः पीढ़ियों तक के लोगों से विवाह करने पर प्रतिबन्ध लगाया है।
4. **ग्राम बहिर्विवाह** (Vilalge Exogamy): गांवों में इस प्रकार के विवाह को 'खेड़ा बहिर्विवाह' के नाम से जानते हैं इसमें व्यक्ति को अपने गांव में विवाह की मनाही होती है। उत्तरी भारत प्रमुखतः पंजाब एवं दिल्ली के आस-पास ऐसे विवाह प्रचलित हैं।
5. **टोटम बहिर्विवाह** (Totem Exogamy): कोई भी एक पशु, पक्षी, पेड़, पौधा अथवा निजी वस्तु हो सकती है जिसे एक गोत्र के लोग आदर एवं श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, उससे अपना आध्यात्मिक संबंध जोड़ते हैं, टोटम कहलाता है। एक गोत्र का एक टोटम होता है और एक गोत्र वाले स्त्री-पुरुष आपस में भाई-बहन समझे जाते हैं। फलतः वे आपस में विवाह नहीं करते।

कुछ लोग दिशा बहिर्विवाह के नियम का भी पालन करते हैं अर्थात् जिस दिशा विशेष में लड़कियों का विवाह करते हैं उधर लड़कों की शादी नहीं करते हैं।

समरन एवं केलर ने अंतर्विवाह को रूढ़िवादी एवं बहिर्विवाह को प्रगतिवादी बताया है। **पी. वी. काणे ले लिखा है,** "बहिर्विवाह के द्वारा एक पीढ़ी को अपने दोष दूर करने का मौका मिल जाता है, क्योंकि इसके द्वारा रक्त के संयोग हमेशा नवीन रूप ग्रहण करते रहते हैं।

हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत सापिंड (अर्थात माता की ओर से तीन पीढ़ियों तथा पिता की पांच पीढ़ियों) के बीच विवाह निषेध है तथा सगोत्र एवं सप्रवर विवाह का किसी प्रकार के निषेध की कोई चर्चा नहीं है।

- जनजातियों में भी गोत्र के बीच विवाह नहीं किया जाता। साथ ही टोटम बहिर्विवाह (Totem Exogamy) व ग्राम बहिर्विवाह (Village Exogamy) पाया जाता है।
- **अन्तर्विवाह** (Endogamy): अन्तर्विवाह, बहिर्विवाह के ठीक विपरीत है। इस नियम के अनुसार, एक व्यक्ति को अपने समूह के भीतर ही विवाह करने की अनुमति होती है। यहां समूह से तात्पर्य जाति, उपजाति या सांस्कृतिक समूह से है।

जाति व्यवस्था के अंतर्गत एक जाति के सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी ही जाति के अंतर्गत विवाह करें लेकिन इसके साथ ही साथ उनसे बहिर्विवाह की भी अपेक्षा की जाती है कि वे अपने निकट संबंधियों अर्थात अपने ही गोत्र, पिण्ड तथा प्रवर के बीच विवाह न करें।

अधिमान्य विवाह नियम (Preferential Rule of Marriage)

अधिमान्य विवाह नियम के अनुसार यह वांछनीय होता है कि कोई व्यक्ति एक विशेष वर्ग के व्यक्ति से ही विवाह करे। अधिमान्य विवाह नियम के अनुसार यह वांछनीय होता है कि कोई व्यक्ति एक विशेष वर्ग के व्यक्ति से ही विवाह करे। अधिमान्य विवाह नियम मानने वाले समाज में यह पूर्ण तय रहता है कि किसी पुरुष का विवाह एक निश्चित वर्ग की महिला के साथ होगा।

- अधिमान्य विवाह नियम, बिहित विवाह नियम (Prescribe) से भिन्न होता है।
 - **विहित विवाह नियम के अनुसार,** एक व्यक्ति को किसी विशेष वर्ग

Notepad

Manish Singh Sir NET, JRF EC Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

के व्यक्ति से विवाह करना चाहिये। इस नियम के अनुसार, विवाह के एक से अधिक विकल्प हो सकते हैं जबकि अधिमान्य विवाह नियम में विकल्प की अनुपस्थिति रहती है। अधिमान्य विवाह के विभिन्न रूप या उदाहरण हैं:

- **विलिंग सहोदरज विवाह: क्लाड लेवी स्ट्रास** ने इसे व्याख्यायित किया। यह तीन तरीके से हो सकता है:
 1. उभयपक्षी
 2. पितृपक्षी
 3. मातृपक्षी

1. **उभयपक्षी**

इसे अदला-बदली विवाह भी कहते हैं। यह ब्राजील के करेरा जनजातियों में पाया जाता है। इसलिए इसे करेरा प्रकार का विवाह भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे **'प्रत्यक्ष सम्मितिय विवाह'** (Direct Symmetrical Exchange) भी कहा जाता है।

2. **पितृपक्षी**

- **एडमण्ड लीच** ने हाइलैंड वर्मा के **काचिन जनजाति** के लोगों का अध्ययन किया। यह जनजाति तीन स्तरों में बंटी हुयी है:
 1. प्रमुख
 2. कुलीन
 3. आम आदमी

यहाँ विवाह का प्रकार **मातृपक्षीय विलिंग सहोदरज** है जो सभी स्तरों में पाया जाता है। लेकिन इसके अलावा 'प्रमुख' का एक समूह 'कुलीन' के एक समूह को लड़की देता है तथा 'कुलीन' का एक समूह 'आम आदमी' के एक समूह को लड़की देता है।

यहाँ स्पष्टत: लड़की देने वाला सदैव लड़की देने वाला होता है। लड़की देने वाले को मायू (Mayu) तथा प्राप्त करने वाले को दामू (Damu) कहते हैं।

इसमें एक पीढ़ी में लड़की देने वाला दूसरी पीढ़ी में लड़की प्राप्त करता है।

यह भी सम्मितीय विनियम ही है लेकिन उभयपक्षी जैसा नहीं। इसमें लड़की प्राप्त करने वाले की प्रस्थिति लड़की देने वाले की तुलना में उच्चतर होती है। लेकिन अगली पीढ़ी में इसे वापस कर दिया जाता है। इसे **'विलम्बित प्रत्यक्ष विनिमय'** तथा **'प्रतिबंधित प्रत्यक्ष विनिमय'** भी कहा जाता है।

इसमें स्व का विवाह पिता की बहन की लड़की अर्थात् बुआ की लड़की से होता है।

नोट: गोंड जनजातियों में यह प्रथा पाई जाती है तथा इसे 'दूध लौटावा' कहते है।।

3. **मातृपक्षीय:** इसमें स्व का विवाह माँ के भाई की लड़की अर्थात मामा की लड़की से होता है।

इसमें प्रत्येक पीढ़ी में लड़की देने वाला लड़की देने वाला ही होता है। **स्ट्रॉस** ने इसे **'असम्मितीय विनिमय'** कहा है। इसमें चुनाव की संभावना अधिक होती है।

दक्षिण भारत के कई हिन्दू जातियों और कतिपय जनजातियों में विलिंग सहोदरज विवाह प्रचलित है। गोंड जनजाति में इस विवाह की प्रमुखता दी जाती हैं यदि दोनो पक्षों में से कोई एक पक्ष इसे स्वीकार नहीं करता तो उसे दूसरे पक्षों को हर्जाना देना पड़ता है। गोंड के अतिरिक्त **खासी, खरिया, उरांव, कादर** जनजातियों में इस तरह का विवाह पाया जाता है। इस तरह के विवाह का उद्देश्य जनजातीय अतंरग एकात्मकता को सुदृढ़ करना होता है।

2. **समलिंग सहोदरज विवाह** (Parrallel-cousin Marriage): पिता के भाई के बच्चे और माता के बहिन के बच्चे समलिंग सहोदरज कहे जाते हैं। इनके बीच विवाह को समलिंग सहोदरज विवाह कहते हैं। इस विवाह को **चचेरे मौसेरे भाई बहनों के बीच विवाह** कहा जाता है। मुसलमानामें इस तरह के विवाह का प्रचलन है। अरब के खानावदोश जनजाति **बेड़ोइन** इस विवाह को शुभ मानते हैं।

Notepad

NET : JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

– ममेरे और फुफेरे भाई बहन विपरीत लिंग के सहोदर (Sibling of opposite sex) के बच्चे होते हैं, जबकि चचेरे मौसेरे भाई बहन उसी लिंग के सहोदर (Sibling of same sex) के बच्चे होते हैं।

– उत्तर भारत में पितृपक्षीय तथा मातृपक्षीय ममेरे फुफेरे भाई बहनों के बीच विवाह की मनाही है, अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने पिता की बहिन (बुआ) की पुत्री से विवाह नहीं कर सकता। इसे **विपर्यय मुक्त नियम** (Rule of no Reversal) कहा जाता है।

– उत्तर भारत में विवाह निषेध संबंधि एक अन्य नियम जिसे **पुनरावृत्ति मुक्त नियम** (Rule of no Repetition) कहा जाता है। इसका अर्थ है कि यदि पिता की बहन का किसी परिवार (खानदान) में विवाह हुआ है तो बहन का विवाह उसी परिवार में नहीं किया जा सकता है।

3. **देवर विवाह** (Levirate): कुछ जनजातीय समाजों में पति की मृत्यु हो जाने पर स्त्री को पति के भाई से विवाह करने की वरीयता दी जाती है जिसे देवर विवाह कहा जाता है। जब स्त्री मृत पति के छोटे भाई से विवाह करती है तो उसे **जुनियर लेविरेट** (Junior Levirate) तथा बड़े भाई से शादी करती है तो **उसे सीनियर लेविरेट** (Senior Levirate) कहा जाता है। **संथाल, भील, भोटिया, थारु तथा कोटा** जनजाति में इस प्रकार के विवाह का प्रचलन पाया जाता है।

4. **साली विवाह** (Sororate): पुरुष का अपनी पत्नी के बहन से विवाह साली विवाह कहलाता है। इस विवाह के दो रुप हैं:

(i) **सीमित साली विवाह** (Restricted Sororate Marriage): जिसमें एक व्यक्ति पत्नी के मृत्यु के पश्चात उसकी दूसरी बहन से विवाह करता है। राजस्थान के **भील में** सीमित साली विवाह का प्रचलन है।

(ii) **समकालीन साली विवाह** (Simultaneous Sororate Marriage): जिसमें व्यक्ति परिवार की सबसे बड़ी लड़की से तो विवाह करता हे, परंतु उस लड़की की सभी बहनें अपने आप उस व्यक्ति की पत्नियां बन जाती है।

नोट: गोंड लोगों में दादा-पोती विवाह होता है। लाखेट जनजाति सेमी नागाओं में एक पुत्र अपनी सगी माँ को छोड़कर अपने पिता की सभी विधवा स्त्रियों से विवाह कर लेता है।

अफ्रीका की न्यूर जनजाति में **प्रेत** विवाह का **इवान्स प्रिचार्ड** ने उल्लेख किया है।

पारिवारिक निकटाभिगमन या निषिद्ध निकटाभिगमन (Family Incest or Incest Taboo): प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में अतिनिकट के संबंधियों में विवाह संबंध या यौन-संबंध स्थापित करना निषिद्ध निकटाभिगमन कहते हैं। सामान्यत: पिता-पुत्री, माता-पुत्र, सगे भाई-बहनों में इस प्रकार के निषेध पाए जाते हैं किन्तु माता-पुत्र के बीच पाया जाने वाला निषेध सार्वभौमिक है।

पेरू की इन्का, प्राचीन मिश्र देशवासी, हवाई प्रायद्वीप के अनेक घरानों में निकट संबंधियों से ही विवाह करने का नियम पाया जाता है।

अनुलोम विवाह (Hypergamy/Morganatic): उच्च कुल या उप जाति का लड़का और निम्न कुल या उपजाति की लड़की का विवाह अनुलोम विवाह कहलाता है और इसे समाज की स्वीकृति मिली होती है।

प्रतिलोम विवाह (Hypogamy): इसमें उच्च कुल या उप जाति की लड़की का विवाह निम्न कुल या उपजाति के लड़के से होता है और यह समाज द्वारा स्वीकार्य नहीं है।

हिन्दू विवाह वैधता अधिनियम 1949 एवं हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 में अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह दोनों को ही वैध माना गया है।

विवाह में परिवर्तन के कारण (Causes of Changes in Marriage)

1. औद्योगीकरण

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir PG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

2. नगरीकरण
3. नवीन कानूनों का प्रभाव
4. पाश्चात्य शिक्षा, संस्कृति एवं विचारधारा
5. धर्म के प्रभाव में कमी
6. स्त्रियों की आर्थिक स्वतन्त्रता
7. महिला आंदोलन
8. राज्यों के कार्यों का बढ़ना।

Notepad

विवाह में आधुनिक परिवर्तन

1. विवाह में वैयक्तिक पक्ष की प्रधानता का बढ़ना
2. विवाह की अनिवार्यता नहीं रही
3. विवाह की संस्कारात्मक प्रकृति में परिवर्तन
4. विवाह के उद्देश्यों में अंतर
5. वैवाहिक अधिकारों में समानता
6. बाल-विवाहों का घटना एवं विलम्ब विवाहों का बढ़ना
7. दहेज या वर-मूल्य प्रथा की बाहुल्यता
8. विधवा संबंधी निषेधों में अंतर
9. जीवन साथी के चुनाव में स्वतंत्रता
10. रोमांस पर आधारित प्रेम विवाहों में वृद्धि
11. अन्तर्जातीय विवाहों में वृद्धि
12. पत्नी की स्थिति में परिवर्तन
13. विवाह के रीति-रिवाजों एवं विधियों में अन्तर
14. जीवन-साथी के खोज के तरीकों में अंतर
15. जनजातीय विवाह

जनजातीय विवाह के रूप (Farms of Tribal Marriage)

1. **परिवीक्षा-विवाह** (Probationary Marriage): इसमें भावी पति-पत्नी को विवाह पूर्व कुछ समय एक साथ रहने और एक दूसरे के समझने को मौका दिया जाता हैं। यदि वे सहमत हों तो उनका विवाह कर दिया जाता है। **दारलुंग** और **कूकी** जनजाति में यह विवाह पाया जाता है।
2. **हरण विवाह** (Marriage by Capture): इसमें वर कन्या के भ्राता-पिता की सहमति के बिना उसका जबरन हरण करके उससे विवाह कर लेता है। **बुशमैन** और **अफ्रीकन बहिमा** तथा भारत में **'नागा', हो, भील, गोंड, खरिया, संथाल, विरहोर, भूमिज, मुण्डा** आदि जनजातियों में यह विवाह प्रचलित है।
3. **परीक्षा विवाह** (Marriage by Trial): इस विवाह का मुख्य उद्देश्य नवयुवक के साहस और शक्ति की परीक्षा करना होता है। भील और कोमांचों समाज में यह विवाह प्रचलित है। लम्बाडा और खासी जनजातियों में भी यह विवाह पाया जाता है।
4. **क्रय विवाह** (Marriage by Purchase): विवाह के इच्छुक नवयुवक को लड़की के माँ-बाप को वधू-मूल्य देना पड़ता है।
 दक्षिण-पश्चिम साइबेरिया की **किरगीज**, दक्षिण अफ्रीका की **थोंगा** और **बॉटू** जनजातियों में यह प्रचलित है। थोगा और बांटू वधू-मूल्य को **'लावोला'** कहते हैं। भारत में **संथाल, हो, ओरांव, खरिया, गोंडा, नागा, कूकी, भील** आदि जनजातियों में भी क्रय विवाह का प्रचलन है।
5. **सेवा-विवाह** (Marriage by Purchase): इसान्स प्रिटचार्ड ने 241 जनजातियों का अध्ययन किया और उनमें से 30 में सेवा विवाह कीप्रथा सिद्ध हुई। कुछ जनजातियों में विवाह करने से पूर्व ही युवक को अपनी भावी ससुराल में रखकर

Manish Singh Sir NET, JRF EC Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

सेवा प्रदान करनी पड़ती है। साइबेरिया की **चुकची, कोरमक और युकाधिक कोमांचे इण्डियन तथा भारत में गोंडा, बैगा, विरहोर जनजातियों में** प्रचलित हैं। गोंड ऐसे व्यक्ति को 'लामा नाई' और बैगा 'लामसेना' कहते हैं। हिमाचल प्रदेश के गूजरों और उत्तर प्रदेश के खस में भी यह विवाह प्रचलित है।

6. विनिमय विवाह (Marriage by Exchange): इस विवाह में एक परिवार के एक भाई और एक बहन का विवाह क्रमशः दूसरे परिवार की एक लड़की ओर उसके भाई से हो जाता है।

 सोसोन इण्डियन में यह विवाह स्वीकार्य है। भारत की **खासी जनजाति को छोड़कर यह विवाह सभी जनजातियों में प्रचलित है।**

7. **सहमति औस सह-पलायन विवाह** (Marriage by Mutual Consent an Elopment): जब युवक-युवती आपसी सहमति से समाज की अवहेलना करके पलायन करके विवाह कर लेते हैं। बिहार की **'हो'** जनजाति में इसे **'राजी-खुशी'** विवाह कहते हैं। राजस्थान के भीलों में भी यह प्रचलित है।

8. **हठ विवाह** (Marriage by Intrusion): किसी युवक से विवाह करने को इच्छुक युवती जब जबरदस्ती युवक के घर में घुस जाती है और उत्पीड़न के बाद भी उस घर से बाहर नहीं निकलती तो उसे वधू के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है।

इसे **'अनादर विवाह'** भी कहते हैं। **हो, विरहोर, ओराव, कमार तथा मुण्डा** में यह विवाह पाया जाता है। **ओरांव इसे 'निर्वोलाक' और 'हो' इसे 'अनादर' कहते हैं।**

एक विवाह-आसाम की खासी, बिहार की संथाल, हो तथा केरल की कादर जनजातियों में। **बहुपत्नी विवाह**-नागा, गोंड, बैगा, टोडा आदि में। यूगाण्डा की बगन्डा जनजाति में भी। **बहुपति विवाह**-एस्किमों, पूर्व अफ्रीका की वाहिमा उत्तरी नाइजीरिया की ग्वारी जनजाति में जौनसार बावर और टोडा में भ्रातृके बहुपति विवाह। नायर, कादर, चेंचू, वेड्डा और लामा में **अमातक के बहुपति विवाह। समूह विवाह**- भील, कमार, गोंड, नागा, जनजातियों में पाया जाता है।

जनजातीय विवाहों के नाम:

अनादर-'हो' और थारू जनजाति में हठ विवाह, **दूध लौटवा**-गोंड जनजाति में विनिमय विवाह, **निर्बोलक**-ओरांव जनजाति में हठ विवाह, **उधरा**-थारू जनजाति में विधवा विवाह, **घुसपैठ**-थारू जनजाति में प्रेम-विवाह, **चुटकुटा**-थारू जनजाति में हठ विवाह, **पैठ**-कमार जनजाति में हठ विवाह, **गोल गधेड़ों**-गुजरात के भीलों में परीक्षा विवाह, **राजी-खुशी**-हो तथा भीलों में सहमति-पलायन विवाह, **मांगा-पडम**-लम्बाडियों का परीक्षा विवाह, **लुइया सुइयां**-खासी जनजाति में परीक्षा विवाह, **पोजियाथुर-गोंड** जनजाति का हरण विवाह।

युवागृह (Youth Organization, or Youth Dormitories)

एल्विन तथा ग्रिगसन: युवागृह जीवन साथी के चुनाव तथा युवा पीढ़ी को यौन शिक्षा देने का कार्य करते हैं। इसमें बड़े आयु के लड़के-लड़कियां, कम आयु के लड़के-लड़कियों को ज्ञान प्रदान करते हैं युवा गृहों की बातें गुप्त रखी जाती हैं। युवतियों में प्रेमालाप तथा यौन क्रियायें होती हैं। अतः उन्हें गुप्त रखा जाता है।

वैरियर एल्विन के अनुसार, मध्य प्रदेश के मुरिया गोंड लोगों में युवागृह (गोटुल) में वयस्क लड़के-लड़कियां कम उम्र के लड़के-लड़कियों को यौन शिक्षा देते हैं। इन गोटुलों में संभोग तो किया जाता है लेकिन गर्भ रहना उचित नहीं माना जाता, मुरिया, गोंड लोगों की ऐसा धारणा है कि गर्भ धारण न होने में गोटुल का देवता 'लिंगों' उनकी सहायता करता है।

हट्टन, मजूमदार व राय-युवागृहों को शिक्षा का केन्द्र मानते हैं। जहाँ जनजातीय लोगों को आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक व जादुई क्रियाओं का प्रशिक्षण दिया

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

जाता है तथा सदस्यों में नैतिकता की भावना उत्पन्न की जाती है तथा उत्तरदायित्व निभाने को प्रेरित किया जाता है।

हडसन के मत में: युवागृह प्राचीन समय में पाए जाने वाले सूहिक या समुदायिक गृहों का ही अवशेष है।

भारत में युवागृह, मुण्डा, हो, उराव, खड़िया, गोंड, भुइया, नागा, ओ, लहोट, विरहोर, अगामी सीमा, चाग, कोनयाक, कूकी, भोटिया, ज्वांग, कोण्ड, गड़वा, बोण्डो, दिदाई, पोरो जी एवं सवारा आदि जनजातियों में पाए जाते हैं।

प्रमुख जनजातियों के युवाग्रह

युवाग्रह	जनजाति
सोलानी डिगो	बोण्डो
चम्पो	लाहोट
चांग	खासी
टिसोमट	मिकिट

हिन्दू विवाह (Hindu Marriage)

भारत में परम्परागत हिन्दू कानून के अनुसार विवाह एक **धार्मिक संस्कार है, न कि एक सामाजिक समझौता**। यह प्रत्येक हिन्दू के लिए एक आवश्यक संस्कार अथवा अनुष्ठान है। विवाह जन्म-जन्मान्तर का संबंध है। यह संबंध पवित्र तथा आजीवन अभेद्य है जो पति की मृत्यु के बाद भी चलता रहता है। 'धर्म, प्रजा और रति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु धार्मिक कृत्यों द्वारा सम्पन्न एवं प्रथा द्वारा मान्य एक स्त्री व पुरुष का विधिवत् संबंध ही हिन्दू विवाह है।'

डॉ. के. एम. कपाड़िया ने हिन्दू विवाह को एक संस्कार कहा है। **डॉ. पी.एन. प्रभु के अनुसार**, "हिन्दुओं के लिए विवाह एक संस्कार है, अतः विवाहित पक्षों का परस्पर संबंध पवित्रता से परिपूर्ण होता है न कि समझौता परक।"

कपाड़िया - हिन्दु विवाह एक संसकर है, धार्मिक कृत्य है।

अन्तर्विवाह के पीछे यह नियम है कि प्रत्येक समूह अपनी पहचान बनाये रखना चाहता है, उसकी शुद्धता को अखण्ड रखना चाहता है।

रविन्द्रनाथ मुखर्जी के अनुसार, "कुछ धार्मिक संस्कारों के द्वारा समाज से मान्यता प्राप्त दो स्त्री-पुरुष का विधिवत् मिलन ही हिन्दू-विवाह है। जिसका उद्देश्य धर्म-कार्य, पुत्र प्राप्ति और नीति के प्रयोजन को पूरा करना है।"

हिन्दू-विवाह के उद्देश्य (Aims of Hindu Marriage)

1. धार्मिक कर्त्तव्यों का पालन, 2. पुत्र प्राप्ति, 3. रति, 4. परिवार के प्रति कर्त्तव्यों का पालन, 5. समाज के प्रति कर्त्तव्यों का पालन, 6. व्यक्तियों के विकास में सहायक।

डा. के. एम. कपाड़िया ने हिन्दू विवाह के तीन प्रमुख उद्देश्य बताए हैं:

1. धर्म
2. प्रजा (संतान)
3. रति (आनन्द)

हिन्दू विवाह के परंपरागत स्वरूप (Traditional Forms of Hindu Marriage)

मनु तथा अन्य स्मृतिकारों ने हिन्दू विवाह के आठ और वशिष्ठ ने छः प्रकार बताएं हैं:

1. **ब्रह्म विवाह:** इस प्रकार के विवाह में कन्या के माता-पिता अपनी खुशी से एक विद्धान् और योग्य वर को अपनी कन्या के लिए चुनते हैं। **मनु के अनुसार**-"वेदों के ज्ञाता शीलवान वर को स्वयं बुलाकर, वस्तु एवं आभूषण आदि से सुसज्जित कर पूजा एवं धार्मिक विधि से कन्यादान करना ही ब्रह्म विवाह है।"
2. **दैव विवाह:** सद्कर्म में लगे पुरोहित को दान के रूप में लड़की देना ही दैव

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

विवाह है। **गौतम एवं याज्ञवल्क्य के अनुसार,** वेदों में दक्षिणा देने के समय पर यज्ञ कराने वाले पुरोहित को अलंकारों से सुसज्जित कन्यादान ही "देव विवाह" है।

मनु के अनुसार, सद कर्म में लगे पुरोहित को जब वस्त्र और आभूषणें से सज्जित कन्या दी जाती है ता`इसे दैव विवाह कहते हैं। **ए.एस. आल्टेकर के अनुसार,** "दैव विवाह वैदिक यज्ञों के साथ-साथ लुप्त हो गए।"

3. **आर्ष विवाहः** जब कोई ऋषि एक गाय और एक बैल अथवा इनके दो जोड़े कन्या के पिता को देता था तो कन्या का पिता यह समझ लेता है कि ऋषि ने विवाह का मन बना लिया है तब वह ऋषि को अपनी कन्या-दान कर देता है। **आल्टेकर के अनुसार,** लड़की के पिता को गाय और बैल भेंट-स्वरूप देने की प्रथा कन्या-मूल्य प्रथा का ही अवशेष है।
4. **प्रजापत्य विवाहः** वर और वधू को वैवाहिक जीवन के संबंध में उपदेश देकर और "तुम दोनों मिलकर गृहस्थ धर्म का पालन करना और तुम दोनों का जीवन सुखी और समृद्धिशाली हो" यह कहकर विधिवत् वर की पूजा करके कन्या का दान हीप्रजापत्य विवाह है। ब्रह्म और प्रजापत्य विवाह में विशेष अंतर नहीं है।
5. **असुर विवाहः** इस विवाह में विवाह के इच्छुक वर को कन्या के पिता को वधू मूल्य चुकाना पड़ता है।
6. **गान्धर्व विवाहः** यह विवाह कन्या और वर के परस्पर प्रेम के फलस्वरूप और उनकी इच्छा के अनुसार होता है तथा वे बिना अपने माता-पिता की अनुमति के ही एक दूसरे को पति और पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। 'कामसूत्र' में गान्धर्व के विवाह को आदर्श विवाह माना गया है। शकुन्तला-दुष्यन्त का विवाह इसी श्रेणी में आता है।
7. **राक्षस विवाहः** शक्ति द्वारा कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह करना राक्षस विवाह है। मनु के अनुसार, युद्ध में कन्या का हरण करके उसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करना ही राक्षस विवाह है। श्रीकृष्ण-रूक्मिणी, अर्जुन के सुभद्रा के विवाह के उदाहरण है।
8. **पैशाच विवाहः** जब सोई हुई, नशे में उन्मत्त अथवा मानसिक रूप से असन्तुलित लड़की को चुपचाप भ्रष्ट कर, उसकी शील भंग कर और फिर उसके साथ विवाह संबंध स्थापित कर लिया जाय तो ऐसे विवाह को पैशाच विवाह कहते हैं।

इसमे प्रथम चार को प्रशस्त या स्वीकार्य विवाह एवं अंतिम चार को अप्रशस्त या अस्वीकार्य विवाह कहते हैं।

'सत्यार्थ प्रकाश' में उपर्युक्त आठ प्रकार के विवाहों में से ब्रह्म विवाह को सर्वश्रेष्ठ और प्रजापत्य को मध्यम, आर्ष, असुर और गन्धर्व को निम्न कोटि का राक्षस को अधम तथा पैशाच को महाभ्रष्ट माना है।

डॉ. मजूमदार के अनुसार, "हिन्दू समाज अब केवल दो स्वरूपों को मान्यता देता है-ब्रह्म तथा असुर। उच्च जातियों में पहले प्रकार का और निम्न जातियों में दूसरे प्रकार का प्रचलन है, यद्यपि उच्च जातियों में असुर विवाह प्रथा पूर्णतः नष्ट नहीं हुई है।

भारत में विवाह संबंधी प्रमुख विधान

- 1829, सती उन्मूलन अधिनियम
- 1856, विधवा पुर्नविवाह अधिनियम (हिन्दुओं के लिए)
- 1869, भारतीय तलाक (ईसाई) अधिनियम
- 1872, भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम
- 1872, विशेष विवाह अधिनियम (ब्रह्म समाज के लिए जिससे अर्न्तजातीय विवाह संभव हुआ)
- 1880, काजी अधिनियम

Notepad

NET/JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

- 1891, विवाह उम्र अधिनियम (पहली बार विवाह हेतु उम्र निर्धारित, लड़का-14 वर्ष और लड़की-12 वर्ष)
- 1909, आनन्द विवाह अधिनियम
- 1929, शारदा एक्ट (बाल विवाह प्रतिबंधित, लड़का-18 वर्ष और लड़की-14 वर्ष)
- 1936, पारसी विवाह एवं तलाक अधिनियम
- 1937, शरीयत अधिनियम (केरल के मोपला मुसलमान इसके अपवाद हैं)
- 1939, मुस्लिम तलाक अधिनियम
- 1954, विशेष विवाह अधिनियम (अंर्तजातीय एवं अंर्तधार्मिक विवाह को मान्यता मिली)
- 1955, हिन्दू विवाह अधिनियम (बहु विवाह प्रतिबंधित, एकपत्नी विवाह को मान्यता, तलाक को मान्यता, उम्र का पुनः निर्धारण, लड़का - 18 वर्ष और लड़की-15 वर्ष इसे 1978 में संशोधिक करके लड़को के लिए 21 वर्ष एवं लड़कियों के लिए 18 वर्ष कर दिया गया)
- 1956, हिन्दू उत्तराधिकार गोद एवं भरण-पोषण अधिनियम (पत्नी को भी गोद लेने का अधिकार दिया गया)
- 1961, दहेज प्रतिषेध अधिनियम (1984 एवं 1986 में संशोधित)
- 1969, विदेशी विवाह अधिनियम
- 1971, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेन्सी एक्ट
- 1984, फैमिली कोर्ट अधिनियम
- 1987, सती प्रतिषेध अधिनियम
- 1994, भ्रूण परीक्षण रोक (नियमन अधिनियम)

Notepad

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955

इस अधिनियम ने हिंदुओं में विवाह की 5 शर्तें निर्धारित की हैं जो निम्न हैं:

1. विवाह के समय किसी भी पक्ष का पति या पत्नी जीवित न हो।
2. दोनो पक्षों में से कोई भी विवाह के समय **विकृत मस्तिष्क का या पागल** न हो तथा **एपिलेप्सी (मिर्गी) के दौरे का शिकार न हो।**
3. वर ने 21 वर्ष तथा वधू ने 18 वर्ष (संशोधित) की आयु विवाह के समय पूरी कर ली हो।
4. दोनो पक्ष **'निषेधात्मक संबंधो की श्रेणी'** में न आते हों, जब तक कोई प्रथा, जिसके द्वारा वे नियंत्रित होते हों, इस प्रकार के विवाह की आज्ञा न देती हो।
5. दोनो पक्ष एक-दूसरे के सपिण्ड नहीं होने चाहिए, जब तक कि कोई प्रथा, जिसके द्वारा वे नियंत्रित होते हों, इस प्रकार के विवाह की अनुमति न देती हो।

तलाक का प्रावधान:

तलाक के लिए पति या पत्नी में से कोई भी निम्न आधारों में से किसी भी एक पर अपनी अर्जी दे सकता है। **यह प्रावधान अधिनियम की धारा 13 में विद्यमान है।**

आधार:

1. पर व्यक्ति गमन (Adultry)
2. किसी लाइलाज बीमारी या विषाक्त कुष्ठ रोग का शिकार हो।
3. संक्रामक यौन रोगों से ग्रसित हो।
4. लाइलाज पागलपन की स्थिति में हो।
5. धर्म परिवर्तन की स्थिति में
6. सन्यास ले लिया हो।
7. सात सालों से जीवित न सुना गया हो।
8. अर्जी देने के समय प्रार्थी को लगातार पिछले दो सालों से छोड़ रखा हो।

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

9. निर्दयता के आधार पर।

इसके अतिरिक्त दो अन्य आधारों पर भी तलाक प्राप्त किया जा सकता है:

1. विवाह के एक साल या उससे अधिक तक पति-पत्नी के बीच में यौन संबंध न स्थापित हुआ हो।
2. विवाह के एक साल बाद या उससे अधिक तक दोनो के बीच दाम्पत्य भूमिकाओं का निर्वहन न किया गया हो।

इसके अतिरिक्त पत्नी निम्न आधारों पर तलाक प्राप्त कर सकती है:

1. प्रार्थी के विवाह के समय उसके पति की दूसरी पत्नी जीवित हो या उसने दूसरा विवाह कर लिया हो।
2. पति विवाहोपरान्त बलात्कार, अमर्यादित यौन संबंध का अपराधी हो।

Notepad

हिन्दू कौन

हिन्दू के अंतर्गत हिन्दू, बौद्ध, जैनी, सिक्ख तथा अन्य जो मुसलमान, इसाई, पारसी एवं यहूदी न हों सम्मिलत हैं।

- **हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के पारित होने से पहले भारत में हिन्दुओं के लिए मुख्यतः तीन नियम थे:**

1. **मिताक्षरा नियमः** इसके जनक हैं विज्ञानेश्वर। यह नियम उत्तर भारत, मध्य भारत तथा पश्चिमी भारत के अलावा दक्षिण भारत के कुछ भागों में लागू था। इस नियम के अनुसार एक पुरुष बच्चे के जन्म के साथ ही उसे संयुक्त परिवार की पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त हो जाता था तथा इसमें भी सबसे बड़े बेटे को विशेष अधिकार मिलता था।
2. **दायभाग नियमः** इस नियम के संस्थापक जीमूतवाहन हैं। यह नियम भारत के पूर्वी भागों और विशेषकर बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के कुछ भागों में लागू था। इसमें बच्चे के पैदा होते ही संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता था।
 उपरोक्त दोनो नियमों में स्त्रियों की स्थिति अन्य पर निर्भरता के रूप में थी।
3. **मारूमक्कट्टयम या नम्बूदरी नियमः** यह दक्षिण भारत के मातृवंशीय समुदायों में लागू था। इसमें उत्तराधिकार माता की तरफ होता था लेकिन संपत्ति में लड़का-लड़की दोनो का हिस्सा होता था।

मुस्लिम विवाह (Mulsim Marriage)

मुसलमानों में विवाह को एक धार्मिक संस्कार नहीं बल्कि एक **सामाजिक समझौता** माना जाता है।

मुस्लिम विवाह कानून के अनुसार, "स्त्री-पुरुष के बीच किया गया वह बिना शर्त का समझौता है जिसका उद्देश्य सन्तानोत्पत्ति के बच्चों को वैध रूप प्रदान करना है।

मुस्लिम विवाह एक समझौता इस अर्थ में है कि विवाह संबंधी दोनो पक्षों में जो समझौता होता है उसमें निम्न तत्व शामिल रहते हैं:

1. एक पक्ष से निकाह का प्रस्ताव आता है। प्रायः लड़के के पक्ष से **खितवा (माँग)** के रूप में यह प्रस्ताव आता है।
2. दूसरे पक्ष से इस प्रस्ताव की स्वीकृति होती है। प्रस्ताव और स्वीकृति एक ही बैठक में होती है। अतः यदि ऐसा अलग-अलग बैठकों में संपन्न होता है तो विवाह वैध नहीं हो सकता।
3. लड़के के पक्ष से समझौते के प्रतिफल के रूप में **मेहर** धनराशि लड़की को भेंट स्वरूप वचन के रूप में दिया जाता है। मेहर **मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं:**
 (i) निश्चित मेहर
 (ii) उचित मेहर
 (iii) सत्वर मेहर

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

(iv) स्थगित मेहर

निश्चित मेहर: विवाह के समय या विवाह के पूर्व पति द्वारा पत्नी को दिया जाता है। इसमें रकम पाँच रूपये से लेकर हजारों रूपए तक हो सकती है।

उचित मेहर: ऐसा मेहर होता है जिसमें मेहर की राशि यदि विवाह के समय तय न हुआ हो तो अदालत लड़के के पिता की आर्थिक स्थिति के अनुसार इसे तय करती है।

सत्वर मेहर: को विवाह से पूर्व या सहवास से पूर्व पति को चुकाना पड़ता है।

स्थगित मेहर: विवाह के समय तय तो हो जाता है किन्तु तलाक होने अथवा किसी पक्ष के मरने के अवसर पर इसे दिया जाता है।

Notepad

मूस्लिम विवाह के उद्देश्य (Aims of Muslim Marriage)

1. स्त्री-पुरुष को यौन संबंध स्थापित करने का अधिकार प्रदान करना।
2. संतानों को जन्म देना और उनका पालन-पोषण करना।
3. मेहर द्वारा पति-पत्नीके पारस्परिक अधिकारों को स्थायी बनाना।
4. संतानों के उचित पालन-पोषण हेतु बहुपत्नी विवाह को स्वीकृति प्रदान करना।
5. एक समझौता के रूप में पति-पत्नी को यह अधिकार देना कि यदि उनमें से कोई समझौते का पालन नहीं करता है तो दूसरा पक्ष भी उसे छोड़ सकता है।

विवाह के प्रकार

1. **निकाह:** निकाह को सही विवाह भी कहते हैं। यह पति-पत्नी की आपसी सहमति से चलते हैं तथा विवाह-विच्छेद नहीं होने तक चलता है। सुन्नियों में विवाह का यह प्रकार अधिक प्रचलित और मान्यता प्राप्त है।
2. **मुताह:** यह अस्थाई प्रकार विवाह है। यह शिया लोगों में प्रचलित है। इसमें सहवास का समय पहले से निश्चित कर लिया जाता है। यह एक दिन, एक मास, एक वर्ष या किसी निश्चित अवधि के लिए होता है। अवधि की समाप्ति पर यह स्वत: समाप्त हो जाता है। पति-पत्नी इसके स्थायी रूप भी दे सकते हैं।
 मुहम्मद साहब ने ऐसे विवाह को वैश्वावृत्ति की बहन कहा है।
3. **फासिद विवाह:** विवाहों के बीच कोई कठिनाई आए अर्थात किन्हीं कारणों से कुछ अनियमितताएं रह जाएं और उन्हें दूर किए बिना ही विवाह कर लिया जाय तो ऐसे विवाह को फासिद विवाह कहते हैं।
4. **वातिल या अवैध विवाह:** मुस्लिम समाज में शरियत के नियमों के अनुरूप न किया गया विवाह वातिल विवाह कहलाता है। अकबर और जोधा बाई का विवाह इसका उदाहरण है।

तलाक के प्रावधान

न्यायिक हस्तक्षेप के अलावा पति की इच्छा या पति-पत्नी की आपसी सहमति से तलाक हो सकता है। इसे **'खुला' या 'मुबारत'** कहते हैं। खुला से तात्पर्य है कि तलाक में पहल पत्नी की होती है तथा मुबारत से तात्पर्य है कि पहल किसी की भी हो सकती हैं पहल के बाद तलाक तीन तरीको से होता है:

1. **तलाक-ए-अहसन:** इसके अंतर्गत तलाक की अधिघोषणा मासिक धर्म की अवधि **'तुहर'** में एक ही बार की जाती है और **इद्दत** की अवधि तक यौन संबंध स्थापित नहीं किया जाता।
 शिया मुसलमानों में इस प्रकार के तलाक को मान्यता नहीं मिली है। सुन्नियों में भी नशे की हालत में या गंभीर धमकी की अवस्था में की गयी तलाक की घोषणा निरर्थक होती है।
2. **तलाक-ए-हसन:** इसमें तीन घोषणाएं सम्मिलित होती है जो लगातार तीन मासिक धर्मों अर्थात 'तुहर' की अविध में की जाती है इस अवधि में किसी भी प्रकार का यौन संबंध नहीं किया जाता है।
3. **तलाक-ए-उल-बिदत:** एक ही तुहर की अविध में तीन बार तलाक कहने से

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

तलाक हो जाता है।

1937 के शरीयत अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित प्रकार के तलाकों का भी उल्लेख है:

1. **इला:** यदि पति यौन परिपक्वता प्राप्त करने के बाद 4 माह तक या निश्चित अवधि तक यौन संपर्क से अलग रहने की सौगन्ध लेता है तो इला करता है। यदि वह इस अवधि में यौन समागम नहीं करता है तो विवाह-विच्छेद वैध मान लिया जाता है जैसा कि तलाक-ए-उल-विदत के अंतर्गत होता है।
2. **ज़िहर:** इसके अंतर्गत यौन परिपक्वता प्राप्त पति दो गवाहों के समक्ष अपने पूरे होशो-हवाश में यह घोषणा करता है कि उसकी पत्नी उसकी माँ की पीठ के समान है तो वह ज़िहर तलाक होता है।
3. **लियान:** इसके अंतर्गत पति अपनी पत्नी पर व्याभिचार का लांछन लगाता हैं यदि वह इस लांछन पर न्यायालय में शपथ लेता है तो इसे लियान कहते हैं। शपथ के बाद पति को यह विकल्प मिल जाता है कि वह न्यायालय के माध्यम से तलाक ले।

नोट:

1. **इद्दत:** वह समय होता है जिसमें महिला के तीन मासिक धर्मों को उसकी पति की मृत्यु के पश्चात या तलाक के पश्चात यह सुनिश्चित करने के लिए होता है कि वह कहीं गर्भवती तो नहीं।
2. **जलाला:** तलाक के बाद यदि तलाकशुदा पति-पत्नी पुन: विवाह करना चाहते हैं तो इसके लिए तरीका यह है कि उस स्त्री की दूसरी शादी करके तलाक प्राप्त किया जाए तत्पश्चात वह अपने पूर्व पति के साथ पुन: विवाह हेतु सक्षम होगी।

मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939: इस अधिनियम के प्रावधान निम्नलिखित हैं:

1. जब चार वर्ष से पति का कोई पता न चल रहा हो।
2. जब पति जानबूझकर अथवा अपनी असमर्थता के कारण दो वर्ष से पत्नी के भरण-पोषण की व्यवस्था न कर रहा हो।
3. जब पति को सात वर्ष या उससे भी अधिक अवधि की कैद का दण्ड मिला हो।
4. जब बिना उचित कारण के पति तीन वर्ष की अवधि से अपने वैवाहिक दायित्व का निर्वाहन न कर रहा हो।
5. विवाह के समय से ही पति नपुंसक हो।
6. दो वर्ष की अवधि से पति पागल हो अथवा कोढ़ या विषाक्त गुप्त रोग से पीड़ित हो।
7. जब 15 वर्ष की आयु से पहले पत्नी का विवाह पिता या संरक्षक द्वारा कर दिया गया हो और पत्नी ने यौन-संबंध स्थापित होने से पूर्व तथा अपनी 18 वर्ष की आयु होने के पूर्व विवाह का प्रत्याख्यान कर दिया हो।
8. जब पति की ओर से शारीरिक या आचरण संबंधी क्रूरता हो या उसका बनाम स्त्रियों से संपर्क हो या वह बदनाम जीवन व्यतीत करता हो या पत्नी को अनैतिक जीवन जीने के लिए बाध्य करता हो या उसकी संपत्ति को बेचता हो, या उसे अपनी संपत्ति के उपभोग से रोकता हो या पत्नी के धार्मिक कार्यों में बाधा पहुंचाता हो, या अन्य पत्नियों की तुलना में बराबर का व्यवहार नहीं करता हो।

विविध

खरिया विवाह

- खरिया गोत्र बहुर्विवाही हैं तथापि वे जनजाति व उपजनजाति के बाहर विवाह नहीं करते। विषमलिंगीय सहोदरज विवाह इनमें वैवाहिक संबंधों का एक मान्य रूप है। खरिया में पितृबंधुओं के बीच विवाह नहीं होता, न एक स्त्री अपने पति के बड़े भाइयों से ही विवाह कर सकती है और न ही एक पुरुष अपनी पत्नी

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

की बड़ी बहनों या सहोदरों या उसकी माँ और चाचियों से ही विवाह कर सकता है।

- इनमें वयस्क विवाह का नियम है। विवाह तभी होता है जब पति आजीविका कमाने और पत्नी घर का काम करने की आयु प्राप्त कर चुके हों।
- सभी नियमित विवाह माता-पिता द्वारा तय किए जाते हैं। अनियमित विवाह निम्न स्थितियों में होते हैं:
 1. सहपलायन
 2. हठ या अनधिकार प्रवेश द्वारा
 3. हरण विधि द्वारा जिसमें मेले में लड़के द्वारा अपनी पसंद की लड़की को जबरन सिंदूर लगा दिया जाता है।
- नियमित विवाह दोनों पक्षों के बीच बातचीत से होती है। **डांडिया** कहा जाने वाला एक बिचौलिया दोनो पक्षों के बीच संपर्क साधने का कार्य करता है।
- खरिया में विधवा-विवाह का भी प्रचलन है। ऐसे विवाह को सगाई कहा जाता है। विधवा के साथ विवाह करने वाला वधू को एक नया वस्त्र तथा उसके घरवालों को शराब भरा पात्र भेंट देता है।

Notepad

हो विवाह

- जनजातीय चलन के अनुसार संपादित होने वाला सांस्कारिक विवाह **अंडी** कहलाता है। इसी का हिन्दू विवाह जैसा रूपांतर **दिक-अंडी** कहलाता है।
- गोत्र बहिर्विवाह के नियम का पालन किया जाता है।
- विवाह केवल उसी लड़के या लड़की के बीच हो सकता है जो वयः संधि अवस्था पार कर चुके हों। लड़कियों का विवाह 18 वर्ष एवं लड़के का 24 वर्ष की आयु के पहले नहीं होता।
- लड़का अपनी पसंद की लड़की का चुनाव प्रायः कर सकता है। ऐसी स्थिति में उसके किल्ली दोस्त उसके माता-पिता को इसकी सूचना देते हैं जो किसी को इतम नियत कर आपसी बातचीत प्रारंभ कर देते हैं।
- जब वधू पक्ष वर पक्ष के यहाँ आता है तभी वधू-मूल्य (गोनोंग) भी तय किया जाता है।
- सिंह भूमि से लेकर यहाँ के दक्षिणी पड़ोस में रहने वाले हो विवाह आयोजन के अवसर पर देखरी कहे जाने वाले एक स्थानीय पुरोहित को बुलाते हैं जो विवाह संबंधी पूजा और जनजातीय देवी-देवताओं तथा बोंगा देवता को चढ़ाए जाने वाले भेंट के कार्य का संपादन करता है।
- आर्थिक कठिनाइयों तथा वधू-मूल्य की बढ़ी-चढ़ी दरों के कारण सामान्य हो के लिए अंडी प्रकार के नियमित विवाह का निर्वाह करना कठित हो गया है। इस कारण दो ही विकल्प रह जाते हैं-या तो अविवाहित रहें या अपहरण के चक्कर में आ जाएं।
- परस्पर प्रेम तथा सहपलायन पर आधारित विवाह को सामाजिक मान्यता प्राप्त है। इन्हें राजी-खुशी विवाह कहा जाता है।
- घुसपैठ विवाह को अनादर कहा जाता है।

खासी विवाह

- जनजाति अर्न्तविवाही किन्तु गोत्र बर्हिविवाही होते हैं। अनुलोम विवाह का प्रचलन इनमें नहीं है।
- पिता के भाई के बच्चों के साथ किसी भी हालत में विवाह नहीं होता किन्तु पिता की बहन के बच्चों के साथ विवाह, पिता की मृत्यु के पश्चात किया जा सकता है।
- खासी में बहुपत्नी और बहुपति विवाह देखने में नहीं आते। यू एक व्यक्ति अपनी मृत पत्नी की छोटी बहन से विवाह कर सकता है फिर भी वह एक समय में

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

दो पत्नियाँ नहीं रख सकता।

- बांझपन, वैवाहिक अक्षमता आदि की स्थिति में तलाक संभव है। यदि तलाक आपसी रजामंदी से नहीं होता तब तलाक चाहने वाले पक्ष को दूसरे पक्ष की क्षपतिपूर्ति करनी पड़ती है।
- गर्भवती स्त्री को तलाक नहीं दिया जा सकता। तलाक के बाद संतान माँ के पास रहती है। तलाक की घोषणा जनता के बीच करनी पड़ती है।

Notepad

NET, JRF
Manish Singh Sir
EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

सामाजिक स्तरीकरण
(Social Stratification)

Notepad

मनुष्य स्वभावत: ही स्वप्न दृष्टा रहा है, वह शुरू से एक ऐसे समतावादी समाज की परिकल्पना करता रहा है जिसमें सभी बराबर हो कोई ऊँच-नीच, भेद-भाव न हो, लेकिन यह सब आदर्श वाक्य हैं।

सभी समाजों में किसी न किसी रूप में सुविधा, शक्ति और प्रतिष्ठा को लेकर श्रेणियों व स्तरों का अस्तित्व पाया जाता रहा है, जिनके पास सुविधा और शक्ति अधिक है उनका सामाजिक स्तर उच्च होता है, उसकी प्रतिष्ठा भी अधिक होती है। सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा के विकास में कार्ल मार्क्स (1848), वेब्लेन (1899), मैक्स वेबर (1922), सोरोकिन (1927), वार्नर (1941), डेविस व मूर (1956) बर्नार्ड बार्बर (1957) तथा रीजमैन (1960) के योगदान प्रमुख हैं।

सदरलैण्ड और मैक्सवेल के अनुसार स्तरीकरण अंत: क्रिया अथवा विभेदीकरण की प्रक्रिया है जिसके आधार पर कुछ लोगों का स्थान क्रम, अन्य लोगों की तुलना में उच्च होता है।

विलियम जे. गुडे के अनुसार वह पद्धति जिससे संसाधनों और पुरस्कारों का वितरण होता हैं, स्तरीकरण कहलाती हैं।

सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएं

1. समाज में सुविधाओं, संसाधनों, पुरस्कारों, शक्ति और प्रतिष्ठा का वितरण होता है।
2. स्तरीकरण के आधार पर समाज में श्रेणी तथा स्तर का निर्माण होता है
3. सामाजिक संरचना में इन श्रेणियों, स्तरों के सोपानक्रम का निर्धारण इनकों प्राप्त सुविधा, शक्ति तथा प्रतिष्ठा के आधार पर होता है
4. इन स्तरों के परस्पर अंत: क्रिया तथा सम्बन्धों में उच्चता व निम्नता का भाव पाया जाता है।
5. श्रेणियों, स्तरों के पारस्परिक सम्बन्धों में असमानता होती है।

 समाजशास्त्र में स्तरीरण शब्द भू विज्ञान से लिया गया है जिस प्रकार पृथ्वी की संरचना में विभिन्न तत्वों का असमान वितरण पाया जाता है।

 उसी प्रकार मानव सामज में भी शक्ति, सुविधा, प्रतिष्ठा का असमान वितरण पायाा जाता हैं।
6. स्तरण 'व्यक्तियों के समूहों' में होता है। दो व्यक्तियों के बीच धर्म,जाति, व्यवसाय आदि को लेकर विभेद विभेदीकरण होगा, स्तरीकरण नहीं। जब असमानता को सामूहिक स्तर पर देखा जाता है तभी स्तरीकरण होता है।

सामाजिक संरचना और स्तरण

सामाजिक संरचना के मुख्य आधार आवश्यकता, भूमिका, प्रस्थित तथा प्रतिमान हैं। समाज में सभी आवश्यकताएं एक सामान नहीं होती कुछ आवश्यकताओं का महत्व अधिक होता है और कुछ का कम। इन आवश्यकताओं के महत्व का निर्धारण संरचना के प्रतिमान और मूल्यों से होता है। जो आवश्यकता समाज के अधिक मूल्य संगत होगी उसका स्थान स्तरण में पूरा होगा। जैसे जनजातीय समाजों और आधुनिक समाजों में ओझा, वैद्य, डाक्टर का स्थान उच्च होता है क्योंकि ये लोग स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं, अगर लोग स्वस्थ रहेगें तो समाज में निरंतरता बनी रहेगी। यहां एक बात और ध्यान देने योग्य है कि यदि ज्यादा लोग बीमार हैं और डाक्टर एक ही है या आवश्यता बड़ी है और उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है तो जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा उसे समाज अधिक पुरस्कार, शक्ति, प्रतिष्ठा, संसाधन, सुविधा देगा। चूकिं समयानुसार समाज की आवश्कताओं में परिवर्तन होता रहता है इसलिए सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन होता

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

रहता हैं इसी कारण स्तरण में भी बदलाव देखा जा सकता है।

ऐतिहासिक दृष्टि से औद्योगिक सामाजिक संरचना का विकास सर्वप्रथम इंग्लैण्ड में हुआ, लेकिन आज भी इंग्लैण्ड में प्रभु वर्ग के लोंगो का स्तर निर्धारण जन्म के आधार पर होता है। साथ ही सामाजिक स्तर की प्राप्ति लोग अपनी योग्यता एवं क्षमता के आधार भी करते हैं इसी प्रकार यहां स्तरण के पारम्परिक व आधुनिक दोनो प्रभाव देखे जा सकते हैं। दूसरी ओर अमेरिकी समाज एक तरह से प्रवासियों का समाज है, इसलिए जन्म आधारित स्तर निर्धारण का प्रश्न ही नहीं उठता।

Notepad

सामाजिक स्तरीकरण से सम्बन्धित अन्य जानकरियां

किसी सामाज में किसी समूह का स्तरीकरण में क्या स्थान है, इससे उसके सम्बध में तीन बातें पता चलती हैं।

1. **उसे प्राप्त जीवन अवसर** (Life chance) **कितना है।**
2. उसकी **सामाजिक हैसियत** (social statas) कैसी है।
3. उसका **राजनीतिक प्रभाव** (Political Influence) कितना हैं।

खुले समाज अर्थात वर्ग व्यवस्था में एक चौथा तथ्य भी जोड़ा जा सकता हैं वह है- **'समूह की आर्थिक स्थिति**

सामाजिक स्तरण, सामाजिक असमानता के एक पक्ष को दर्शाता है। स्तरण या स्तरीकरण व्यक्तियों के मध्य असमानता को नही दर्शाता बल्कि यह "समूहो" के मध्य पाया जाता है। दो या दो से अधिक " व्यक्तियों" के मध्य पायी जाने वाली (जाति धर्म, पेशा, शिक्षा, प्रजाति आदि) असमानता को विभेदीकरण कहा जाता है स्तरीकाण नहीं।

जब समाज में पायी जाने वाली असमानता को सामूहिक स्तर पर देखा जाता है तो उसे स्तरीकरण कहते हैं।

सामान्यतः पाँच प्रकार के स्तरण पाये जाते हैं:-

(i) दास प्रथा (Salvery System)
(ii) वर्ण व्यवस्था (varna System)
(iii) वर्ग व्यवस्था (class System)
(iv) जाति प्रथा (Caste system)
(v) इस्टेट प्रणाली (Estate System)

सामाजिक स्तरण में चार प्रकार की प्रक्रियाएं साम्मिलित होती है

1. **विभेदीकरणः**- स्तरण के सम्बन्ध में विभेदीकरण का अर्थ :- भूमिकाओं, अधिकरों, दायित्वों के बंटवारे से है
2. **क्रम विन्यासः**- हैसियत, दक्षता, गुण, उपल्बधियों के अनुसार समूह को स्तरीकरण में एक स्तर प्राप्त होता है।
3. **मूल्यांकनः**- समूह के गुणों, उपलब्धियों दक्षता आदि का सामाज अपने मूल्यों के अनुसार मूल्यांकन करता हैं और उस समूह को समाज में एक स्तर प्रदान करता है।
4. **पुरस्कारः**- समूह के कार्यो का मूल्यांकन कर समाज उसे एक स्तर प्रदान करता है और प्रत्येक स्तर पर कुछ पुरस्कार व दंड़ जुड़े होते है।

स्तरीकरण एवं विभेदीकरण में अंतरः-

- सामाजिक स्तरण जानबूझकर स्थापित व्यवस्था है जबकि विभेदीकरण स्वाभविक है।
- विभेदीकरण एक तटस्थ प्रक्रिया है। ऊँच-नीच का भेदभाव हो सकता है और नही भी स्तरीकारण अनिवार्यता: ऊंच-नीच को दर्शाता है।
 विभेदीकरण- ।।।।।।।।। (vertical)
 स्तरीकरण - (Horizontal)
- सामाजिक स्तरण के आधार जटिल होते हैं विभेदीकरण के आधार स्पष्ट होते हैं।
- मात्र जैविक आधार पर विभिन्नता को विभेदीकरण कहा जाएगा जैसे रूप-रंग,उम्र, यौन विभेद, स्वास्थ आदि स्तरीकरण बड़ी संकल्पना है।

NET/JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

- स्तरीकरण का स्वरूप सामाजिक होता है।
- स्तरीकरण सामूहिक होता है। दो व्यक्तियों, दो परिवार के मध्य अन्तर विभेदीकरण है स्तरीकरण नहीं। यदि जैविक आधार को समाज मे प्रतिष्ठा प्राप्त है तो उसे स्तरीकरण का आधार माना जा सकता हैं। भारतीय समाज में उम्र के आधार पर स्तरण पाया जाता है। पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री पुरुष के आधार पर स्तरीकरण पाया जाता है। लेकिन यदि जैविक आधार को प्रतिष्ठा नही प्राप्त है तो किया गया विभाजन विभेदीकरण होगा स्तरीकरण नहीं। स्तरीकरण के साथ पुरस्कार व दण्ड अनिवार्य रूप से जुडे होते है।
- स्तरीकरण प्राचीन तथा सर्वव्यापक (सभी समाजो में) है। अफ्रीका की बुशमेन जो 50-100 के झुण्डो में रहते है में भी स्तरीकरण पाया जाता है।

सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार:- बोटोमोर के अनुसार ऐतहिसिक व संरचनात्मक दृष्टि से **स्तरीकरण के चार रूप देखे जा सकते है:-**

1. दास प्रथा (slavery)
2. इस्टेट (ESTATE)
3. जाति (CAST)
4. वर्ग (CLASS)

वहीं **प्रो० जे० पी० सिंह** नें एक पांचवे प्रकार **'वर्ग'** का भी उल्लेख किया है। इन सभी का विवरण अध्याय में उचित जगहों पर दिया गया है।

- असमानता के अध्ययन की शुरूआत प्लेटों व अरस्तु से मानी जा सकती है।
- प्लेटों ने सर्वप्रथम समाज की अवधारण व वर्ग विभाजन का तथ्य सामने रखा।
- प्लेटो के अनुसार व्यक्ति की हैसियत का निर्धारण मसलन कुशलता, बुद्धिमत्ता और शारीरिक शक्ति पर निर्भर करता है।
- जबकि अरस्तु का मानना था कि व्यक्ति प्रकृति से ही असमान होता है। परन्तु प्लेटो व अरस्तु ने सामाजिक असमानता की नहीं बल्कि प्राकृतिक असमानता की बात की।
- असमानता की पहली समाजशास्त्रीय व्याख्या रूसो ने की। रूसों के अनुसार असमानता सम्पति के कारण आती है।
- डर्कहाइम ने सर्वप्रथम श्रम विभाजन को प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से विभाजित किया तथा व्यवहारिक माना।

सामाजिक स्तरण के अध्ययन के दो दृष्टिकोण हैं

1. प्रकार्यात्मक
2. संघर्षात्मक

प्रकार्यवादियों का मानना है कि स्तरण से समाज में एकता स्थापित होती है, इससे सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा मिलता है, स्तरण से योग्यताओं को उचित स्थान मिलता है तथा सामाजिक संरचना की आवश्कताओं की पूर्ति होती है इसलिए स्तरीकरण समाज का सकारात्मक व व्याहारिक पक्ष है। प्रकार्यात्मक पक्ष के कुछ प्रमुख विचारकों के सिद्धान्त निम्नवत है

पारसंस (प्रकार्यवादी दृष्टिकोण)

सर्वसम्मति से समाज कुछ **'मूल्यों'** की स्थापना करता है जो व्यक्ति सामाजिक आचारों व मूल्यों के जितने अनुकूल होते है उनका स्तर उतना ही ऊंचा होता है। लोग इन मूल्यों को मानदंड़ मानते हैं। ये मानदंड़ सभी समाजो के लिए अलग- अलग हो सकते है। Parsons (1975) ने स्तरण के छः निर्धारकों की चर्चा की है, इनसे मात्र स्तरण का ही निर्धारण नही होता बल्कि व्यक्यिों की हैसियत का भी निर्धारण होता है-

पारसंस के छः निर्धारक तत्व

1. नातेदारी समूह की सदस्यता (Membership in a Kinship unit)
2. व्यक्तिगत विशेषताएं या गुण (Personal Qualities)

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir FG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

3. उपलब्धियाँ (Achievements)
4. स्वामित्व (Possession)
5. सत्ता (Authority)
6. शक्ति (Power)

Parson ने शक्ति छः को **"शक्ति की अवशिष्ट श्रेणी" (Residual categvery Power)** कहा। इस प्रकार की शक्ति को **सामाजिक वैधता** प्राप्त **नहीं** होती या इसे संस्थागत अधिकार नहीं कहा जा सकता। उदाहरण – समाज में बहुत से लोग जिन्हें पद या समाज से मान्यता प्राप्त अधिकार नही होते, अपनें बलबूते पर लोगो को प्रभावित कर अपना काम करवा लेते हैं।

Notepad

किग्सले डेविस व विल्मर्ट ई० मूर

- सभी कार्य (पद) समाज के समान महत्व में नहीं होते और न ही उनके लिए समान योग्यता व दक्षता की जरूरत होती है।
- कुछ कार्यो के लिए विशेष दक्षता होनी चाहिए।
- सामान्य कार्य सभी कर सकते है लेकिन विशेष कार्यो के लिए विशेषज्ञता होनी चाहिए।
- कार्यो का यह बंटवारा समाज का आवश्यक अंग है और यही स्तरीकरण है।
- स्तरीकरण व्यवस्था का मुख्य काम योग्य और दुर्लभ लोंगो को उनकी योग्यता के अनुसार काम दिलवाना है।
- विशेषज्ञतापूर्ण कार्य के लिए व्यक्ति को दक्ष होना पड़ता है, प्रशिक्षण में पैसा, उर्जा, समय तीनों खर्च होता है।
- पद के पारिश्रमक से लोग पद की ओर आकर्षित होते है, प्रशिक्षण लेते है और दक्षता प्राप्त करते है। यह पारिश्रमिक तथा सुविधाएं उत्प्रेरक का काम करती है। साथ ही यह परिश्रामिक व सुविधाएं उस 'त्याग' की भरपाई भी है जिसे व्यक्ति ने प्रशिक्षण प्राप्त करने के किया है।

डेविस तथा मूर ने बताया कि यह जानने के लिए कौन सा पद प्रकार्यात्मक रूप से महत्वपूर्ण है, के दो पैमान हैं –

1. **कार्य की विशेषज्ञता:**– विशेषज्ञता का तात्पर्य 'उस काम को कोई कर सकता है या नहीं' से है। जिस काम को जितने कम लोग कर पाएंगे वह उतना ही विशेषीकृत होगा
2. **उस पद पर दूसरों की निर्भरता:**– जिस पद पर जितने ज्यादा लोग निर्भर रहेंगे वह उतना ही महत्वपूर्ण होगा। मैनेजर का पद इसलिए महत्वपूर्ण है कि उस पर कम्पनी के अन्य पद निर्देश के लिए निर्भर रहते है।
 - पदों पर नियुक्ति प्रतियोगिता के माध्यम से होनी चाहिए।

डेविस- मूर के सिद्धान्त की मेल्विन टयूमिन द्वारा आलोचना

1. पद के प्रकार्यात्मक महत्व को मापने का कोई तरीका नहीं है, इंजीनियर व मजदूर कारखाने में समान रूप से महत्वपूर्ण है।
2. किसी पद को अधिक या कम महत्वपूर्ण मानना देखने के नजरिये पर निर्भर करता है।
3. कोई भी समाज अभी तक पूर्ण रूप से दक्षता और योग्यता मापने का मापदंड़ विकिसित नहीं कर पाया हैं।
4. प्रशिक्षार्थियों को खास त्याग नहीं करना पड़ता, प्रशिक्षण के दौरान उन्हे केवल वेतन नही मिलता और प्रशिक्षण खर्च उठाना पड़ता है। प्रशिक्षण खर्च समृद्ध लोग ही उठा सकते है।
5. एक मजदूर अपने काम से जितना अधिक जुड़ाव महसूस करेगा वह अपने काम के प्रति उतना ही जिम्मेदार होगा और ऐसा असमान पारिश्रमिक व्यवस्था के

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

आभाव में ही संभव है।

6. सामाजिक स्तरीकरण वास्तव में विशेषाधिकार प्राप्त लोगो और विशेषाधिकार हीन लोगो के बीच संदेह, द्वेष और अविश्वास पैदा करता है, जिससे सामाजिक एकीकरण में बाधा पड़ती है।
7. सामाजिक स्तरीकरण का निषेधात्मक पक्ष सभी समाजों में पाया जाता है।

• **योग्यता तंत्र (MERITOCRACY) - माइकल यंग Book - "The Rise of Meritocracy**

"आने वाले समय में (ब्रिटेन में) व्यक्ति अपनी सामाजिक प्रस्थिति अपने गुणों (Merits)के आधार पर प्राप्तकरेगा। जन्म के आधार पर नहीं" ये स्तरीकरण के प्रकार्यवादी दृष्टिकोण के विरोधी है।

इवा रोजेन फील्ड (EVAROSENFIELDS) :"kibutzim" (इजराइल)

इजरायल में लगभग 4% आबादी 240 किबुट्ज में रहती है। इसकी औसत आबादी 200- 700 के बीच होती है। ये कुछ हल्के उद्योगो के साथ मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर होते है। बहुत सारे किबुट्ज मार्क्स के सिद्धात **" From everyone according to ability to every one according to need "** के अनुसार रहते हैं इनकी सम्पति जैसे मकान, छोटी मशीन आदि सामुदायिक होती हैं। समुदाय ही सभी को उनकी आवश्यकता के अनुसार वस्तुएँ, सेवाएं (जूता, कपडा, शिक्षा, भोजन) प्रदान करता है।

इसके बाद भी यहां सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है

दो वर्ग:-

1. उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त :- Leader Manager (निर्वाचित)
2. मजदूर व मशीन चलाने वालों का

सामाजिक वर्ग:- चूंकि स्तरीकरण की अधिकतर अवधारणाएं वर्ग से सम्बन्धित है इसलिए वर्ग के बारे में जानना आवश्यक है।

विशेषता:-

1. एक वर्ग के लोगों की सामाजिक प्रस्थिति समान होती है।
2. एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग के प्रति उच्चता या हीनता का भाव रखते है।
3. वर्गो की एक श्रेणी होती है, जिसमें कुछ वर्ग मध्यम एवं कुछ निम्नतम स्थान पर होते हैं।
4. प्रत्येक वर्ग के लोगो में वर्ग चेतना पाई जाती है। एक वर्ग के सदस्य अपने को अन्य वर्ग के सदस्यों से भिन्न मानते है।
5. वर्ग पूर्णतया अर्जित होता है।
6. वर्ग व्यवस्था में अपेक्षाकृत कम स्थिरता पाई जाती है।
7. वर्ग के लोगो के सामाजिक सम्बन्ध प्राय: अपने ही वर्ग के लोगो तक सीमित होते है।
8. वर्ग की वस्तुपरक विशेषता के आधार पर अर्थात रहने के ढंग, मकान, पड़ोस आदि के आधार पर दूसरे से भिन्नता स्थापित की जा सकती है।
9. वर्ग एक मुक्त व्यवस्था है जिसका अर्थ यह है कि एक व्यक्ति एक वर्ग से दूसरे वर्ग में आ जा सकते है।

एन्थनी गिडेन्स:- वर्ग के तीन प्रकार बताए:-

1. **उच्च वर्ग** : उत्पादन के साधनों पर और सम्पत्ति पर नियंत्रण
2. **मध्यय वर्ग** : जिसके पास शैक्षणिक व तकनीकी योग्यता है।
3. **मजदूर वर्ग** : शारीरिक श्रम

बोटामोर:-

1. उच्च वर्ग
2. मध्यम वर्ग

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

3. श्रमिक वर्ग
4. कृषक वर्ग

थर्सटीन वेब्लेन: फुर्सत वर्ग (Leisure class) की अवधारणा दी। यह वर्ग दिखावे के लिए उपभोग करता है। वेब्लेन ने दो प्रकार के वर्गो की चर्चा की है।

1. उत्पादक वर्ग।
2. अनुत्पादक वर्ग।

कार्ल मार्क्स:-

1. बुर्जुआ
2. पेट्टी बुर्जुआ
3. सर्वहारा

- **वर्ग व्यक्ति की बाजार स्थिति है- वेबर**
- **एक वर्ग के लोगों को कुछ विशिष्ट अवसर व सुविधाए मिलती है- वेबर**
- **सामाजिक वर्ग एक सांस्कृतिक समूह है- लेपियर**

Benedix & Lipset (1967) प्रकार्यवादी सिद्धान्त की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की। आलोचको ने इनके सिद्धान्त को **वृत्ताकार तर्क (Circular Logic)** कहा। उदाहरण- उच्च वेतन समाज के लिए आवश्यक है क्योंकि कुछ लोगो को उच्च वेतन प्राप्त है।

संघर्षवादी दृष्टिकोण

मार्क्स:- (1963)

औद्योगिक युग के पूर्व:-

(i) भू स्वामी
(ii) उत्पादक वर्ग

औद्योगिक युग:-

(i) उद्योगपति या पूंजीपति (Capitalist)
(ii) मजदूर वर्ग (Working class)

मार्क्स ने एक **'तीसरे वर्ग'** की भी परिकल्पना की जिसे उन्होने **संक्रमणशील वर्ग (Tramsetional Class)** कहा:- समाज जब एक ऐतिहासिक काल से दूसरे काल में प्रवेश करता है तब पिछले काल के कुछ अवशेष पूर्ववत से रह जाते है उदहारण- सामंती मानसिकता। लेकिन इन अवशेषों का जीवनकाल लम्बा नहीं होता।

Ralph daherendorf

मार्क्स का विचार मात्र पूंजीवाद को समझने के लिए पर्याप्त है। डहेरेनडॉर्फ ने बताया कि वर्ग संघर्ष कभी भी पूरे समाज के स्तर पर नही होता बल्कि समाज के अन्तर्गत पाए जाने वाले छोटे-छोटे समूहों के बीच पाया जाता है। इन्होने इसके सम्बन्ध में ICA की अवधारण दी।

डेहरेनडॉर्फ के अनुसार निम्नलिखित कारणों से पूंजीवादोत्तर समाज में मार्क्स के आर्थिक आधार अप्रासंगिक हो गये:-

1. **पूंजी का अपघटन: Share**
2. **परिश्रम का अपघटन:** दक्ष व अदक्ष मजदूर
3. **नये मध्य वर्ग का उदय:** पेशेवर, प्रशासनिक आधिकारी आदि
4. सामाजिक गतिशीलता

डेहरेनडॉर्फ ने कहा कि मार्क्स ने आर्थिक, सामाजिक राजनीतिक कारकों को **'उत्पादन के साधन'** में सम्मिलित कर दिया है-

- सामाजिक वर्ग अनिवार्य रूप से अर्थिक वर्ग नही होते
- सामाजिक संघर्ष सिर्फ सम्पति के कारण नही होता
- राज्य की नीतियां कार्यवाइयाँ अनिवार्य रूप से आर्थिक मसलों पर निर्भर नहीं होती।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

अधिकार संरचना में ऊपर वाला नीचे वाले को आदेश देता है। **"समान हित से बंधे"** आदेश देने वाले व आदेश ग्रहण (पालन) करने वाले लोगो को **"अर्द्ध समुदाय"** कहा जा सकता है। संघर्ष इन्ही अर्द्ध समुदाय में उत्पन्न होता है।

सामाजिक वर्ग दो प्रकार के होते है।

1. संगठित
2. असंगठित

Notepad

वेस्टर गार्ड

आधुनिक औद्योगिक समाज, पूंजीवादी समाजों से मूलत: भिन्न नहीं हैं। अभी भी व्यवस्था स्वामित्व व मजदूरों पर आधारित है।

C.W MILLS:- (1956) Book "The Power etites" में शक्ति कुलीन की अवधारणा दी।

U.SA मे सत्ता तीन अभिजनों के पास होती है इन्होने कुलीन तंन्त की व्याख्या संस्थात्मक अर्थो में की

1. प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठान (पूंजीपति) (आर्थिक अभिजन)
2. सेना (सैनिक अभिजन)
3. संघीय परिवार (राजनैतिक अभिजन)

- ये अपने कार्यो के प्रति जिम्मेदार नहीं होते।
- जनता के पास वैकल्पिक चुनाव का अभाव होता है, वह चाहे , डेमोक्रेट्स को चुने या रिपब्लिकन को। जनता को निष्क्रिय चीज समझ लिया जाता है, जिसे शक्तिशाली व सामन्त (अभिजन) नियंत्रित करते है

U.S.A मे (Mills के अनुसार) संघर्ष की दो स्थितियाँ सामने आती है-

1. संभ्रान्त वर्ग की तीनों इकाइयों के बीच
2. संभ्रान्त बनाम जनता

राबर्ट ए० डैहल व एफ० हण्टर ने Mills की आलोचना की तथा बताया कि U.S.A मे सत्ता में मात्र अभिजन ही नही बल्कि अनेक प्रकार के लोग शमिल हैं।

C.W MILLS :-

कुलीनों की एकता का कारण-

(i) उनकी सामाजिक वह शैक्षणिक पृष्ठभूमि क एक होना।

(ii) तीनों कुलीन वर्गो के व्यक्तियों तक एक दूसरे की पहुंच होना बताया।

परिणामस्वरूप उनके मूल्य, विचार एक से होते है, जिससे उन्हे आपसी भरोसे व सहयोग के लिए आधार मिल जाता है।

जी० लेंस्की:- ने प्रकार्यवाद व संघर्षवाद का मिला जुला सिद्धान्त प्रस्तुत किया।

वितरण के दो नियम प्रचलित है-

1. **अधिशेष नहीं**- उदाहरण: आदिम समाज
2. **अधिशेष**- उदाहरण: विकसित समाज

- पहले में सहयोग होता है जबकि दूसरे में संघर्ष (अधिशेष के लिए)
- जिसके पास उत्पादन का अधिशेष (Surplus) होगा वही शक्तिशाली समुदाय, विशेषाधिकार पायेगा।
- सामाजिक असमानता शक्ति और विशेषधिकार के बंटवारे के कारण आती है।
- डेहरेनडॉर्फ, मिल्स, लेंस्की 'शक्ति' को असमानता का मूल कारण मानते हैं।

मार्क्सवादी दृष्टिकोण के समर्थक:-

या

वर्ग स्तरीकरण के समर्थक (भारत में)

(i) D. P. Mukherjee
(ii) A.R Desai
(iii) V.I Povlove

NET. JRF Manish Singh Sir EC Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

(iv) R.P. Dutt

(v) Charls Betelhime

प्रकार्यवादी और संघर्षवादी दृष्टिकोणों के मध्य स्तरण के एक संकलवादी सम्प्रदाय को भी देखा जा सकता है।

Notepad

मैक्स वेबर

- व्यक्ति की बाजार स्थिति ही उसकी प्रस्थिति है।
- समाज में स्तरण का निर्धारण शक्ति (Power) और सम्मान (Prestige) से प्राप्त होती है।
- शक्ति का स्रोत दल (Party) है।
- वेबर ने औधोगिक समाज में चार वर्गो की चर्चा की है
 1. धनवान उच्च वर्ग (Propertied upper class)
 2. धनहीन सफेद पोश कर्मचारी (Property less white-collar worker)
 3. निम्न मध्यवर्ग (Petty Bourgeoise).
 4. श्रमिक वर्ग (Manual working class)

ऐरिक ओलिन राइट:- (Eric olin wright):

- मार्क्स से ज्यादा, वेबर से कम प्रभावित
- आधुनिक पूँजीवादी समाजो में आर्थिक स्रोतों पर तीन प्रकार का नियंत्रण देखा जा सकता है:-
 1. निवेश या पूँजी पर नियंत्रण
 2. उत्पादन के भौतिक साधनों पर नियंत्रण
 3. मजदूर शक्ति पर नियंत्रण

पूँजीपतियों का इन तीनों पर नियंत्रण होता है तथा मजदूरों का अपने आप पर भी नियंत्रण नहीं होता। तीसरे वर्ग (जो दोनो के बीच होता है) के बारे में उन्होने बताया कि उसकी स्थिति पूंजीवादी समाज में स्पष्ट नही होती इसके लिए उन्होने **द्विविधापूर्ण वर्ग स्थिति (Contradictury class Location)** शब्द का प्रयोग किया है।

फ्रैंक पार्किन (Franc Parkin):- (वेबर से ज्याद, मार्क्स से कम प्रभवित) पार्किन ने अपनी वर्ग सम्बन्धी विचारधारा को स्पष्ट करने के लिए **" सामाजिक समापन" (Social Closure)** की अवधारणा दी। वास्तव में सामाजिक समापन की अवधारण मैक्स वेबर की है। समाज पर नियंत्रण ही नहीं बल्कि कुछ लोगों को विशेष प्रकार के अधिकारों या सुविधाओं से वंचित रखना 'सामाजिक समापन' कहलाता है।

धर्म, भाषा, प्रजाति आदि के आधार पर, U.S.A मे गोरे लोगों, काले लोगो के लिए, प्रजाति आधार पर-सामजिक समापन (Social clcesure) का निमार्ण करते हैं।

- Parikin ने **'पेशागत संरचना'** (व्यवसायिक संरचना) को वर्ग संरचना की रीढ़ माना'
- **व्यवसायिक संरचना**=उस व्यवसाय से कितना 'भौतिक' पुरस्कार मिलता हैं तथा उसकी प्रतिष्ठा कितनी है।

समाजवादी समाजो में स्तरीकरण:- के सम्बन्ध में पार्किन ने पूर्वी यूरोपीय देशो में (जो समाजवादी है)में चार वर्ग देखे:-

(i) श्वेत पोश बुद्धिजीवी (प्रबन्धक, प्रशासन तथा विभिन्न पेशे से सम्बन्द्ध पद)

(ii) कुशल शारीरिक श्रमिक (सुपरवाइजर)

(iii) निम्न स्तरीय श्वेत पोश श्रमिक (लिपिक)

(iv) अकुशल शारीरिक श्रमिक

भारत जैसे समाजों मे लिपिक को सुपरवाइजर से अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त है।

प्रस्थिति, वर्ग पर पश्चिमी परिप्रेक्ष्य :-

U.S.A- व्यक्तिनिष्ठ निर्धारण (समानता के मत से प्रभावित)

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

Europe- वस्तुनिष्ठ (आर्थिक) निर्धारण (मार्क्स से प्रभवित)

रेमन्ड आरन:- वर्ग निर्धारण दृष्टिकोण:-

1. **नामवादी दृष्टिकोण**- U.S.A
2. **यथार्थवादी दृष्टिकोण** - Europe

ओसोत्स्की:-

1. **श्रेणीबद्ध**-USA
2. **द्विविभाजनकारी** - European view

- **Warner** (1949) ने **यांकीसिटी** के अध्ययन में American view को आधार बनाया
- **American view:-** वर्ग एक वास्तविक समष्टि नहीं होता।
- डी० डी० कोशाम्बी (1956), डी० पी० मुखर्जी, A.R.Desai ने भारतीय वर्गीय स्तरीकरण के लिए **" ऐतहासिक द्वन्दात्मक "** दृष्टिकोण का प्रयोग किया है।
- वर्ग मूलत: ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिसके आर्थिक और व्यवसायगत हित समान होते हैं। (मार्क्स)
- **शक्ति:**- व्यक्ति या समूह की वह क्षमता जिसके माध्यम से वह दूसरों के विरोध के बावजूद अपनी इच्छा पूरी कर लेता है।

जब शक्ति को समाज की स्वीकृति मिल जाती है तो वह **'वैध'** हो जाती है। अगर यह **'वैध शक्ति'** समाज के व्यापक हित में किसी समूह को दे दी जाती है तो यह **" वैध अधिकार "** हो जाता है।

मार्क्स ने शक्ति को **'मुक्त होने की क्षमता'** से जोड़ा

पालजान्स ने वेबर की शक्ति की परिभाषा में समूह (व्यक्ति) की जगह 'वर्ग' का प्रयोग किया।

पैरेन्टी:- शक्ति निर्णयों का स्वरूप तय करने व उन्हें लागू करने की सामर्थ्य का नाम है।

अमोस हाले:- हरेक सामाजिक कार्य, एक शक्ति समीकरण होता है, और हरेक समाजिक समूह या वयवस्था शक्ति का संगठन होती है।

इसलिए शक्ति स्तीकरण का एक अहम (मुख्य) और विस्तृत आयाम है। स्तरीकरण वाले हरेक कारक में शक्ति का एक तत्व होता है, शक्ति के बिना स्तरीकरण का स्वरूप और तीखापन ही जाता रहेगा।

शक्ति और कुलीन वर्ग

कुलीन वादी सिद्धान्त- प्रतिपादक मोस्का एवं परेटो

मैकियाविली:-

शेर
नेतृत्व क्षमता
साहसी
जोखिम उठाने वाले
लोमड़ी
चालाक
अवसरवादी

परेटो -1935

समाज दो वर्गों में बंटा रहता है-

1. **कुलीन (Elite)** : शासक कुलीन एवं गैर शासक कुलीन
2. जनसाधारण

- परेटो ने Elite शब्द का प्रयोग उन व्यक्तियों के लिए किया जो अपने क्षेत्र में सर्वोच्च स्तर पर हैं। उदाहरण- विख्यात लेखक, डॉक्टर वकील आदि
- इन्होने **'शासक कुलीन'** की आवधारण दी।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

- Pareto ने बताया कि कुलीनो के बीच संचरण मनोवैज्ञानिक गुणों में बदलाव के कारण आता है।
- परेटो ने दोनो Elites में पाए जाने वाले गुणों के लिए **प्रेरक (Residues)** शब्द का प्रयोग किया।
 (i) **प्रथम श्रेणी के प्रेरक:**- 'संयोजन के विशिष्ट चालक' (Residues of combenation)
 उदाहरण- Speculator
 (ii) **द्वितीय श्रेणी के प्रेरक :** 'समूह के स्थायित्व के विशिष्ट चालक' (Persistence of aggregates) होते है।
 उदाहरण- Rentiers (किराया भोगी)
- **परेटो** ने अपनी पुस्तक **"Mind and Socicty"** में कहा **''इतिहास विशिष्ट वर्ग की कब्रगाह है।'' (History is a grave yard of arestocracies)**
- चूंकि परेटो विशिष्ट वर्ग के हितों के पोषक थे इसलिए उन्हें **'' बुर्जुआजी का कार्ल मार्क्स''** कहा जाता है। **(Karl Marx of Bourgeaisie)**
- परेटो तानाशाही के समर्थक थे।

Mosca:- (1939)

- पुस्तक **-The Ruling class.**
- कुलीन वर्ग को इन्होंने **'राजनैतिक वर्ग'** कहा।
- **संचरण की मनोवैज्ञानिक व समाजशास्त्रीय अवधारणा** प्रस्तुत की
- बहुसंख्यक जनसाधारण पर अल्पसंख्यक राजनैतिक वर्ग का शासन सरल नहीं होता,बल्कि दोनों के बीच एक अन्त:क्रिया होती है। (लोकतंत्रीय शासन)
- ये मार्क्स के करीबी माने जाते है।
- इन्होंने **'शासक वग'** की अवधारणा दी। (शब्द का प्रयोग किया)
 शासक वर्ग नयी शक्तियां
 (Governing) (Non Governing)
 (Class)

वेबर :- नौकरशाही के विवरण के लिए राजनीतिक प्रक्रिया वाले अध्याय में देखें

- समाजवाद का परिणाम भी **'नौकरशाहों की तानाशाही'** होगा **'सर्वहारा'** की नही।

रॉर्बट मिचेल्स :- Book ''राजनीतिक दल'' (Poetical Party)

- मिचेल्स ने **''कुलीन तंत्र का लौह नियम''** की अवधारणा दी
- मिशेल (मिचेल्स) ने अपनी पुस्तक **'राजनीतिक दल'** में लोकतांत्रिक मूल्यों पर प्रश्नचिन्ह लगाया। **मिचेल्स ने कहा कि** "लोकतंत्र बिना संगठन के कार्य नहीं कर सकता, संगठन 'नौकरशाही' को जन्म देता है, जो अपने आप में 'अलोकतांत्रिक' है"।

मिचेल्स ने बताया कि- संगठन ही, चुनने वालों पर चुने हुओं के, जनादेश देने वालो पर जनादेश पाने वालों के, प्रतिनिधि बनाने वालों पर प्रतिनिधियों के, प्रभुत्व को जन्म देता है। जो संगठन की बात करता है, वह कुलीन तंन्त्र की बात करता है।

- **समाजवादी अधिनायक वादी गुट :- (USSR) Book- "New Class" मिलोवन जिलास (1957)**

USSR में निजी सम्पत्ति की धारणा समाप्त होने के बाद एक ''नया वर्ग'' उठ खड़ा हुआ है। इस ''नये वर्ग'' की शक्ति अपेक्षाकृत अधिक पूर्ण है।''

'जिलास' के अनुसार 'नये वर्ग' में वे लोग आते है जिनके पास, प्रशासन (सरकार) पर एकाधिकार होने के कारण, विशेषाधिकार है, वे ही आर्थिक प्राथमिकताओं के मालिक हैं।

प्रजातीय स्तरीकरण :- हिटलर की ''नेशनलिस्ट सोसलिस्ट पार्टी' (नाजी) ने

Notepad

NET JRF Manish Singh Sir PG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

'प्रजातिवाद' नामक विचार को जन्म दिया तथा प्रसारित किया।

प्रजातिवाद ऐसा मिथक है, जिसे सामाजिक श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए गढ़ा गया।

- प्रजातीय स्तरीकरण एक ऐसी व्यवस्था रही है, जिससे शरीर सम्बन्धी तर्क देकर लोगों के बीच असमानता बरकरार रखी गयी।
- यह शारीरिक अंतर (जिसके आधार पर स्तरीकरण किया जाता है- Eg:- कालों के पास कम दिमाग होता है) **'जीव वैज्ञानिक'** नहीं बल्कि **'सामाजिक'** है।
- एक राष्ट्र एक प्रजातीय प्रकार की अभिव्यक्ति होता है। प्रजातीय वर्गीकरण की अवधारणा को सबसे पहले **'डार्विन'** ने अवैध ठहराया

रावर्ट० ई० पार्क:-इन्होंने प्रजातीय स्तरीकरण के सम्बन्ध में **''पर्यावरणीय सिद्धान्त''** दिया।

लैंगिक स्तरीकरण

गिडेन्स :- "ऐसा कोई समाज नहीं जिसमें सामाजिक जीवन के पक्षों में पुरूषों के पास महिलाओं से अधिक धन सम्पन्ति, हैसियत व प्रभाव न हो।''

योगेन्द्र सिंह :- एक श्रेणी के रूप में महिलाएं भारतीय समाज में एक वंचित और भेद भाव के पात्र वाले वर्ग में आती है।

- स्त्री पुरूष के मध्य जैविक भेद (Sex) (नर-मादा) एक शारीरिक अंतर है, जबकि लिंग (Gender) (स्त्रीलिंग/पुल्लिंग) सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर को दर्शाता है।

मार्गरेट मीड:- **'न्यू गिनी'** के एक क्षेत्र का अध्ययन किया। इन्होंने अपने अध्ययन में स्पष्ट किया कि लैगिक आधार पर कर्त्तव्यों (कार्यों) का विभाजन **'सामाजिक'** व **'सांस्कृतिक'** कारकों के कारण होता है।

'न्यू-गिनी' क्षेत्र में इन्होंने तीन जनजातायिों-

1. अपरेश
2. मुंडुगमोर
3. चांवुली का अध्ययन किया।

- 'अपरेश' जनजाति में स्त्री-पुरूष दोनों में स्त्रियोंचित गुणों (हमारी मान्यता के अनुसार) की प्रधानता थी।

 उदाहरण : दब्बू, सीधी, भावुक आदि
- मुंडुगमोर' में, दोनों में पुरूषोचित गुणों की प्रधानता थी। इन दोनों जनजातियों में लिंग आधारित कर्तव्यों में असमानता नहीं पायी जाती।
- तीसरी' जनजाति 'चांवुली' में, पुरुषों में 'स्त्रियोंचित' व महिलाओं में 'पुरुषोचित' गुणों की प्रधानता पायी।
- अत: स्त्रियां प्रभाव शाली थी।

स्तरीकरण के उपागम

1. **नवविकासवादी उपागम: 'लेंस्की'**
 (a) आखेटक एवं खाद्य संग्राहक
 (b) उधानकर्मी
 (c) कृषि
 (d) औद्योगिक समाज
2. **नृ वैज्ञानिक उपागम** - युग, Sex ,नातेदारी के आधार पर स्तरीकरण पर बल देता है।
3. **मार्क्सवादी उपागम:-**

(i) **आदिम साम्यवाद** - (वर्ग हीन समाज)
(ii) **प्राचीन समाज** - मालिक - गुलाम
(iii) **सामंतवाद** - जमीदार - किसान
(iv) **पूंजीवाद** - पूंजीपति - मजदूर

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

1. आखेटक एवं खाद्य संग्राहक
2. पशुचारण एवं उद्यानकर्मी
3. कृषि समाज एवं पारम्परिक समाज

1. आखेटक एवं खाद्य संग्राहक समाजः- 7000 B.C तक (लेंस्की)

- लोग 30-40 समूह में रहते थे।
- हथियार आदि व्यक्तिगत सम्पत्ति होते थे।
- जंगल-मैदान आदि सामुदायिक सम्पत्ति थे।
- आखेट व्यक्तिगत था, परन्तु जो उस दिन आखेट करने में असफल होते थे, उन्हें 'हिस्सेदारी' मिलती थी, इस प्रकार 'हिस्सेदारी' को 'संस्थानीकृत' कर दिया गया था।

''फ्रायडल'' ने **'आखेटक एवं संग्राहक'** समाज में **"श्रम के लिंगबद्ध''** विभाजन की प्रमुख स्थितियों का वर्णन किया है।

1. संग्रह :- स्त्री व पुरुष दोनों
 आखेट - पुरूष, उदाहरण- तंजानिया के हादजा
2. संग्रह - दोनों
 आखेट - दोनों, उदाहरण- रैन फारेस्ट के पिग्मीज
3. संग्रह - सिर्फ स्त्री
 शिकार - पुरूष, उदाहरण- कैलिफोर्निया व नेवदा घाटी के वाशो इंडियन

- आखेटक व संग्राहक संस्कृति, अब भी ब्राजील न न्यू गियाना के जंगलों में बची हुयी है। वर्तमान में कुल जनसंख्या से 2.5 लाख के करीब है। 1001%

2. पशुचारण एवं उद्यान कर्मी समाज

पशुचारण समाजः- इस समाज का एक शास्त्रीय विवरण **'ईवान्स प्रिचार्ड'** ने **'सूडान'** की **'न्यूर'** जनजाति के अध्ययन में प्रस्तुत किया

- कुछ पुशचारण समाज तो 2-2.5 लाख लोगों के समूह हुआ करते थे।
- जन समूह के नेता को विशेष स्थान प्राप्त था औरतों की स्थिति 'दयनीय' थी।
- 'न्यूर' में केन्द्रीय सत्ता का अभाव था

उधान कर्मी समाजः- भोजन आंशिक रूप से खुद उपजाता था।

सर्वप्रथम 'आखेटक' एवं 'संग्राहक' समाज ने फसलों को 'बोना' प्रारम्भ किया, इसी का विकास 'उधान समाज' में हुआ। कुदाली एवं खोदने वाले औजारों की सहायता से छोटे-2 उद्यानों (बगीचो) का उपयोग करता था।

- स्थायी जीवन का प्रारम्भ
- अतिरिक्त उत्पादन का प्रारम्भ

उदाहरण :- गुरूरूम्बा की 'न्यू गिनी' जनजाति, 6 गांवों में 1 हजार की जनसंख्या में रहती है, सभी गांवो में कई उद्यान है जो वाड़ों के सहारे विभक्त है। उपहार की पेचीदा **'अनुष्ठान प्रणाली'** प्रचलित है, सभी परिवारों के पास कई 'प्लाट' है, कुछ 'प्लाटों' में दैनिक उपभोग के लिए फसल उगायी जाती है और कुछ में 'प्रतिष्ठा के लिए'। 'प्रतिष्ठा' वाले -प्लाट' पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। यह (गुरूरूम्बा) सुअर भी पालते है, परन्तु उपहार के लिए एक उत्सव होता है जिससे 100 सुअरों को मारा जाता है।

- उधानकर्मी समाज 'समाजवादी' (व समतावादी) होता है। एक नेता दूसरो को दण्ड नहीं दे सकता
- मध्य व दक्षिणी अमेरिका के **'मेयंस' व इंकास'** विकसित उधान कर्मी समाज के उदाहरण हैं।

ब्राजील की 'समुन्दुस्कु' जनजाति, जो कि उधान समाज का उदाहरण है में पुरूष व महिलाएं अलग-अलग जीवन विताती है। पुरूष अलग मकान में रहते हैं, महिलाएं व बच्चे अलग मकान में।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

3. **कृषक समाज या पारम्परिक राज्य :-** (3000 ई० पू० - 1800 ई० तक)

• कृषि क्रान्ति (उन्नति) को सामन्यतः प्रगतिवादी घटना माना गया जिसे **''सभ्यता का सूर्योदय''** कहा गया है।

- एक विकसित समन्वित सरकार ने राज्य को एक संस्था का रूप दिया।
- हल व जानवरो की शक्ति से इस समाज का उत्थान हुआ।
- पुरूष सत्ता का सर्वेसर्वा।

टी० कैपला : व्यावसायिक क्रमविन्यास के निर्धारकः

कैपला ने स्तरीकरण के **''व्यावसायिक प्रतिष्ठा दायक''** निर्धारको को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया-

1. उत्तरदायित्व
2. कार्य की प्रकृति
3. औपचारिक शिक्षा
4. प्रशिक्षण
5. सत्ता
6. वर्ग की विशेषताएं
7. आय

इसके अतिरिक्त तीन और तत्व हैं जो व्यवसाय को प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं-

- ऐतिहासिक कारक
- पृथक्करण का पक्ष
- व्यवहार नियंत्रण

सामाजिक गतिशीलता

क्षैतिज गतिशीलताः- आय, जीवन स्तर, विशेषाधिकार, व्यवसाय एवं कर्तव्यों में कोई बदलाव नहीं, क्षैतिज प्रस्थिति बदलाव समान स्तर के व्यक्तियों में मात्र सीमांत विभेद उत्पन करता है।

लम्बवत गतिशीलता :- साधारण स्कूल का शिक्षक पब्लिक स्कूल में पढ़ाने लगे

अन्तर अंतः पीढ़ी गतिशीलता (Inter Generational Mobility):- पीढ़ियो के मध्य पायी जाने वाली गतिशीलता। उदाहरण पिता-पुत्र

अन्तरा पीढ़ी गतिशीलता (Intra Generational Mobility) :-एक ही पीढ़ी के अन्दर पायी जाने वाली गतिशीलता।

उदाहरण - एक ही व्यक्ति-IAS व्यवसायी - नेता (स्वयं की प्रस्थितियों में तुलना)

लम्ववत गतिशीलता को प्रभावित करने वाले कारक

संरचनात्मक कारकः-

- प्रौद्योगिकी
- जीवन स्तर में वृद्धि
- नगरीय क्षेत्रों में वृद्धि

विघटित श्रम बाजार की स्थिति ने लम्बवत गतिशीलता का प्रभावित किया है, विघटित श्रम बाजार वह स्थिति है जिसमें कुछ सेवाएं/ नौकरियाँ उच्चस्तरीय गतिशीलता को उत्पन्न करती है, तथा कुछ सेवाओं/ नौकरियों के साथ ऐसा नहीं है।

वैयक्तिक कारक

- पारिवारिक पृष्ठभूमि, स्कूल में प्राप्त अंक, श्रेणी, विद्यालय, अन्य शैक्षणिक संस्थान एवं व्यक्तित्व आदि जैसे कारक (वैयक्तिक)
- पारिवारिक पृष्ठभूमि सबसे महत्वपूर्ण वैयक्तिक कारक है।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

सामाजिक गतिशीलता के पक्ष

स्तरीकरण **'मुक्त' व 'अमुक्त'** हो सकता है। अमुक्त स्तरीकरण मे **''गतिशीलता के अभाव''** की विशेषता होती हैं जबकि मुक्त स्तरीकरण व्यक्तियों व समूहों में सरल/ सामान्य गतिशीलता को महत्व प्रदान करता है। वास्तव में पूर्णत: मुक्त या अयुक्त स्तरीकरण किसी कि समाज में नहीं पाया जाता। अत: पूर्ण बन्द गतिशीलता व पूर्ण खुली गतिशीलता का भी किसी समाज में पाया जाना सम्भव नहीं है।

दासता एवं सामाजिक गतिशीलता: रोम, एथेन्स

- एक दास वह व्यक्ति है जो कानून एवं प्रथाओ के द्वारा, विधि-सम्मत रूप से दूसरे की संपति है।
- दास एक अधिकार विहीन व्यक्ति था।
- मनुष्य एक सम्पत्ति के रूप में बनाम मनुष्य एक व्यक्ति के रूप में, संघर्ष का प्रमुख कारण था।

दास:- कोई अधिकार नहीं।

स्वतन्त्र दास: कुछ अधिकार प्राप्त (राजनीतिक अधिकार)

ऋणी दास:- यह 'अपराधी' होता था।

प्राचीन दासता: प्राचीन समाज में दास को नागरिक की विपरीत इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता था। दास की कोई प्रस्थिति नहीं थी जबकि प्रत्येक 'गैर दास' को स्वतन्त्र सामाजिक प्रस्थिति प्राप्त थी।

प्राचीन दासता में:

1. कोई अधिकार नही, समाज या राज्य में दास को।
2. दास वह व्यक्ति था जो नागरिको से सम्बंधित था।
3. दास की वैधानिक प्रस्थिति नहीं थी।
4. दास को राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे।

प्राचीन रोम: दो समूह थे।

पैट्रिशियन : भू-स्वामी थे।

प्लेवियन : किरायेदार थे, प्लेवियन नागरिक नहीं थे, परंतु पूर्ण रूपेण दास भी नहीं थे। दोनो के बीच विवाह वैधानिक रूप से निषिद्ध था।

दासो में भी कुछ उच्च दास (सम्राट से सम्बंधित) मध्यम दास, निम्न दास होते थे।

'पैकुलियन' एक संस्था थी, जहां से कुछ राशि व सम्पत्ति दास को स्वामी द्वारा प्रदान की जाती थी। पैकुलियन प्रबंधक के रूप में दास की योग्यता भी उसकी प्रस्थिति का निर्धारण करती थी।

Manumission: यह एक सामान्य व स्वीकृत प्रणाली थी, जिसके अंतर्गत दास को बिना शर्त मुक्त कर दिया जाता था।

दास विद्रोह: दास विद्रोह का मुख्य लक्ष्य व्यवस्था परिवर्तन कभी नहीं रहा। बल्कि वे अपनी असहनीय प्रस्थिति से मुक्ति चाहते थे। जब दास विद्रोह मे सफल हुए तो उन्होंने वैसी ही व्यवस्था अपनापयी वे स्वयं स्वामी बन गये और पराजित लोग दास।

प्राचीन रोम व एथेंस में दासो को प्रबंधक, लिपिक, दुकानदार के अधिकार प्राप्त थे परंतु राजनैतिक व सैन्य व्यवसायों मे प्रवेश की अनुमति नहीं थी।

जागीर व्यवस्था मे सामाजिक गतिशीलता:जागीर की अवधारणा मूल रूप से क्रांति के पूर्व 'फ्रांस' मे प्रयुक्त हुयी।

विशेषताएं:

1. एक **प्रस्थिति व्यवस्था जो वैधानिक रूप से परिभाषित** थी। इस व्यवस्था मे कर्तव्यों, उत्तरदायित्वो एवं विशेषाधिकारों का प्रावधान था।
2. यह एक **सामान्य श्रम विभाजन की व्यवस्था** थी।
3. सामन्ती जागीर एक **राजनैतिक इकाई** भी थी।
4. क्लासिकल सामन्तवाद मे केवल **दो वर्ग** थे:-

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

1. शासक/योद्धा
2. पुरोहित/पादरी

जागीर व्यवस्था मे स्वतन्त्र व्यक्तियो को चार स्तरो में विभाजित किया गया था:

1. **राजा एवं कुलीन वर्ग**–कानुनी रूप से वंशानुगत
2. **योद्धा** – कानूनी रूप से वंशानुगत
3. **पुरोहित** – कानुनी रूप से वंशानुगत नहीं, परंतु वंशानुगत
4. **सामान्य जन** – कानूनी रूप से वंशानुगत।

चारों स्तरों का आर्थिक आधार भूमि स्वामित्व था।

बन्द व्यवस्था, प्रदत्त प्रस्थिति।

परंपरागत चीन मे दो वर्ग थे : निर्धन (कृषक), समृद्ध (कुलीन)

- कृषक से कुलीन मे उच्च स्तरीय गतिशीलता।
- कुलीन से कृषक मे निम्न स्तरीय गतिशीलता।

वर्ण: प्राचीन हिन्दू ग्रंथो पर आधारित जाति का अखिल भारतीय प्रारूप।

जाति: स्थानीय या गांव स्तर पर विद्यमान जाति समूह।

- **कुलीन विवाह:**- अनुलोम विवाह
- **वर्ण एक अखिल** भारतीय अवधारणात्मक स्कीम है।

सामाजिक गतिशीलता: सामाजिक गतिशीलता वह स्थिति है जिसके अन्तर्गत नवीन सांस्कृतिक उद्देश्यो, मूल्यों एवं तत्वों को सामाजिक प्रस्थिति को उच्च बनाने वाले वांछनीय पक्षो के रूप मे स्वीकारा जाता है, अथवा स्थापित उद्देश्यो, मूल्यों एवं तत्वों को नवीन संदर्भ देकर पुन: परिभाषित किया जाता है।

सांस्कृतिक वस्तुओं, संस्कृति तत्व, संस्कृति मूल्यो में परिवर्तन 'लम्बवत गतिशीलता' की स्थिति मे उत्पन्न होता है।

पी.ए. सोरोकिन ने अपनी पुस्तक **'SOCIAL MOBILITY'** में लिखा कि जब कोई व्यक्ति या समूह एक स्थान से दूसरे स्थान या एक स्तर से दूसरे स्तर मे जाता है तो इसे सामाजिक गतिशीलता कहते हैं।

मेलविन ट्यूमिन ने गतिशीलता को स्पष्ट करने के लिए **छ: कारको** की चर्चा की है:

1. गतिशीलता को समय के आयाम मे समझना चाहिए। परिवर्तन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की प्रस्थितियों मे आए अन्तर मे देखा जा सकता है।
2. गतिशीलता मे कितना समय लगा है।
3. गतिशीलता किस संस्था अथवा किस संदर्भ मे हुयी है।
4. प्रस्थिति को ग्रहण करने का तरीका क्या है।
5. गतिशीलता की इकाई व्यक्ति, संस्था, समूह, परिवार या पूरा समाज भी हो सकता है।
6. गतिशीलता मापने के लिए वस्तुपरक व व्यक्तिपरक दोनो मानदण्डो पर ध्यान देना चाहिए।

लिपसेट व वेनेडिक्स ने अपने अध्ययन मे बताया कि औद्योगिक समाजो मे अधिक गतिशीलता पायी जाती है। अधिक गतिशीलता के कारण औद्योगिक समाज को 'खुला' व कम गतिशीलता के कारण कृषक समाज को 'बन्द' समाज कहा जाता है।

डी.वी. ग्लास ने 'इंग्लैण्ड' मे गतिशीलता का अध्ययन किया तथा बतलाया कि "वास्तविक व सार्थक गतिशीलता बहुत कम होती है, लोग अपनी सामाजिक तथा वर्गीय स्थिति में मामूली या संख्यात्मक परिवर्तन ही कर पाते हैं।"

सामाजिक स्तरण एक भूवैज्ञानिक रूपक है।

जाति व्यवस्था भारतीय समाज मे स्तरित समाज व्यवस्था का उदाहरण है; हिन्दुओ मे प्रचलित पवित्रता अपवित्रता की धारणा इसका आधार है।

सामाजिक मूल्यांकन अपने आप मे सामाजिक स्तरीकरण नहीं होता, यद्यपि उसके अस्तित्व के लिए यह जरूरी शर्त तो है। जब असमान हैसियत के आधार पर मनुष्यों अथवा उनके समूहों को वर्गीकृत किया जाता है तब सामाजिक स्तरीकरण का जन्म

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

होता है। असमानता की अवधारणा सामाजिक स्तरण का अविभाज्य अंग है।

जनजातीय समाज समतावादी हैं, जिसमें विभेदीकरण या तो है ही नहीं और अगर है भी तो वह नाम मात्र का है। वर्ग, श्रेणी तथा हैसियत प्रस्थिति समूह जैसी बातों को इनकी संस्कृति के लिए अजनबी माना गया है।

Notepad

पी.के.बोस ने 'पश्चिम बंगाल' की जनजातियों में सामाजिक स्तरण का अध्ययन किया।

मेघालय का खासी समाज 16 राजनैतिक इकाइयो में बंटा है, इन्हें साइएम कहते है, साइएम का मुखिया **यू साइएम** कहलाता है। यह सत्ता में सबसे ऊपरी सीढ़ी पर होता है इसके नीचे मंत्रिपरिषद होती है जिसे **'काई मिंत्री'** कहते हैं।

घनश्याम शाह ने गुजरात की **चौधरी जनजाति** का अध्ययन किया। भूमि के मालिकाना हक के आधासर पर 3 वर्ग पाएं:

1. संपन्न किसान
2. मध्यम किसान
3. गरीब किसान

पश्चिम बंगाल की जनजातियों में **पी.के. बोस** ने 5 स्तर पाए:

1. भू-स्वामी
2. धनी किसान
3. मध्यम किसान
4. गरीब किसान
5. खेत मजदूर

वर्ग: कुछ खास समानताओ अथवा विशेषताओ के आधार पर एक साथ रखे लोगो का समूह, आर्थिक हैसियत, रोजगार या सामाजिक प्रस्थिति के आधार पर बनाये गये समूह।

विशेषता: किसी व्यक्ति को दिये गये गुण या विशेषता।

गिरिजन: दबे कुचले लोग, SC, ST दोनो के लिए इस शब्द काप्रयोग किया जाता है।

जन: एक निश्चित भू-भाग के भीतर लोगों का ऐसा समूह जिसकी संस्कृति और एक रहे हों और प्रशासन भी एक हो।

- ऋग्देव-सामवेद-यजुर्वेद-अथर्ववेद
- ऋग्वेद की रचना के बाद का समय उत्तर वैदिक काल (छठी शताब्दी ई. पू. तक इसका विस्तार माना जाता है।)
- ब्रह्मचर्य-ग्रहस्थ-वानप्रस्थ-सन्यास-चार आश्रम
 चौथा आश्रम सन्यास केवल ब्राम्हणो के लिए माना गया है। नालंदा बौद्ध विश्व विद्यालय था चैत्य पूजा के लिए बड़ा कमरा रिहार छात्रवास
- याज्ञवल्क ने अनुलोम विवाह से 6 जातियों व प्रतिलोम विवाह से 7 जातियो की उत्पत्ति मानी है।

जाति: CASTE - CASTUS से = शुद्ध

किसी विशेष जाति मे जन्म के आधार पर सामाजिक हैसियत निर्धारित होती है।

विशेषताएं

- विशिष्ट आनुवांशिक समूह
- कर्मकांडीय प्रस्थिति
- सोपानवत क्रम विन्यास
- अंतर्विवाह
- पारम्परिक जाति व्यवसाय
- सामाजिक अंत:क्रिया पर निषेध
- खान-पान व हुक्के-पानी पर निषेध

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

- सुविधाएं व निर्योग्यताएं
- जाति संगठन

ड्यूमा:

1. शुद्ध व अशुद्ध के मध्य द्विशाखीकरण जातिगत सोपान के विभिन्न स्तरो मे व्यक्तियों के क्रम विन्यास का निर्धारण करता है।
2. यह आवश्यक नहीं कि राजनैतिक व आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली जाति की कर्मकांडीय प्रस्थिति भी उच्च हो।
3. जातिगत सोपान आधारभूत रूप से शुद्ध व अशुद्ध के धार्मिक विचारो पर आधारित है।

जाति का क्रम विन्यास निर्धारित करने वाले 5 कारक:

1. कर्मकांडीय प्रस्थिति
2. पारंपरिक सुविधाएं तथा निर्योग्यताएं
3. भोजन की वस्तुएं
4. प्रथाएं
5. उत्पत्ति के मिथक

- 3 गुण (दार्शनिक विचारधारा)

सत्व: अच्छाई, सत्य, विद्धता, सौंदर्य, उत्तमता का गुण है-ब्राम्हणो में।
रजस: उन्माद का गुण है, भयावह, उग्र, सशक्त, एवं सक्रिय - क्षत्रियों, वैश्यो में।
तमस: मंदबुद्धि, उदासी, मूर्खता का गुण-शूद्रो में।

पदक्रम निर्धारण के चार गुण:

1. पवित्रता संबंधी प्रकार्य A
2. आधिपत्य (मनुष्य, पशुओ पर) B
3. द्विज C
4. आर्य D

- ब्राम्हण - 4 (A+B+C+D)
- क्षत्रिय - (B+C+D) A नहीं
- वैश्य - (C+D)
- शूद्र - (D) (आर्य है)
- अनार्य - कोई गुण नहीं।

जाति की स्वरूपात्मक व्याख्या

मार्क्स: सामाजिक व्यवस्था के आधार पर जाति के स्वरूप का वर्णन।

भू-स्वामित्व के आधार पर मार्क्स ने दो प्रकार की जातियों का वर्णन किया - पारस्परिक अंत: निर्भर:

1 भूमि पर काम करने वाली जातियां
2. दस्तकार व सेवक जातियां

पहली अतिरिक्त उत्पादन करती थी, दूसरे को देती थी। बदले मे दूसरे - पहली को सेवा प्रदान करती थी।

- संघर्ष व परिवर्तन का अभाव था।
- जातियां उत्पादन के तरीको से उत्पन्न हो रही थी।

वेबर: सांस्कृतिक विचारधारा के आधार जाति का वर्णन

जाति को इसकी विशेषताओ के आधार पर परिभाषित करने का प्रयास किया। (सामाजिक एवं कर्मकाण्डीय आधार पर)।

जाति एक प्रस्थिति समूह है - **वेबर**

अर्थात् ऐसा समूह जिसमे सदस्यों को उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति तथा

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

जीवन स्तर के आधार पर जाना जाता था। ऐसे समूहों पर सामाजिक अंत:क्रिया **सम्बंधी** प्रतिबंध लगाए जाते हैं।

जातियों को सोपानक्रम मे रखने का महत्वपूर्ण कारण जातियों मे विद्यमान 'शुचिता' की मात्रा है।

वेबर: "सामाजिक संगठन ब्राह्मण विचारधारा पर आधारित था।"

विशेषताएं:

- कर्म, धर्म व संस्कारो की मान्यता। (सांस्कृतिक विचारधारा)
- प्रदूषित तत्व से दूर रहना।
- सोपान क्रम
- शुचिता (शुद्धता)
- शुचिता व प्रदूषण की स्थिति के बीच धार्मिक संस्कारों के स्तर पर विरोध था।

सेलेस्टिन बूग्ले: काफी हद तक वेबर को दोहराया:

1. जाति व्यवस्था ने संपूर्ण समाज को समूहों मे विभक्त कर दिया। (सोपानक्रम)
2. समूह "आनुवांशिक" थे।
3. समूह 'निषेधो' द्वारा एक दूसरे से दूरी बना कर रखते थे।
4. निषेध -(i) विवाह संबंधी निषेध (अंतर्विवाह को महत्व देते थे)
 (ii) खान-पान पर निषेध।
5. इनके बीच व्यवसायों की विशिष्टीकृत प्रकृति या श्रम विभाजन पर आधारित आत्मनिर्भरता पायी जाती है।
6. ये कारक या गुण धर्म मिलकर एक ही निष्कर्ष निकालते हैं - "शुचिता व प्रदूषण के मध्य कर्मकांडीय विपरीतता।"

गुण धर्मो द्वारा जाति की स्वरूपात्मक व्याख्या:

जी.एस. घूरिये: जाति के 6 **गुण धर्म** अत्यंत महत्वपूर्ण है:

1. समाज का खण्डात्मक विभाजन
2. सोपान क्रम
3. भोजन, पोशाक, भाषा, प्रथा पर निषेध
4. प्रदूषण
5. व्यावसायिक संघ
6. अंतर्विवाह

जे.एच. हट्टन: "CASTE IN INDIA"

"जाति बहुत जटिल संस्था है जिसका मूल आधार अंत:विवाह मे है।" अर्थात् जातियां वैवाहिक निषेध द्वारा अलग-अलग बनी हुयी हैं।

भोजन निषेध उनके बीच दूरी बनाए रखने का दूसरा प्रमुख आधार है।

एम.एन. श्रीनिवास: जाति को एक खण्डात्मक व्यवस्था के रूप मे देखते हैं।

1. सोपानक्रम जाति व्यवस्था का सार है-श्रीनिवास ने बताया कि सोपानक्रम मे ब्राह्मणो व शूद्रो की ही स्थिति स्पष्ट है। मध्यक्रम मे काफी लचीलापन है।
2. "जाति, व्यावसायिक विभेदीकरण के व्यवसयीकरण से अधिक कुछ नहीं है।" - श्रीनिवास
3. खान-पान, पोशाक, भाषा, एवं प्रथा सम्बंधी निषेध
4. प्रदूषण
5. जाति पंचायत व सभाएं

संस्कृतिकरण: मैसूर गांव के अध्ययन मे यह अवधारणा दी।

प्रभुत्वशील जाति:

1. संख्यात्मक शक्ति
2. भू स्वामित्व के माध्यम से आर्थिक शक्ति

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

3. राजनीतिक शक्ति

जो जाति इन तीन गुण-धर्मो को रखेगी (ग्रामीण समुदाय में) प्रभुत्वशील जाति होगी।

लुई ड्यूमा: "होमो हायरारकीस"

"जाति व्यवस्था की व्याख्या का आरंभ बिन्दु 'बुग्ले' की कृति है।" ड्यूमा ने 3 गुण धर्मो पर बल दिया:

1. सोपान क्रम
2. दूरी
3. श्रम विभाजन

जाति व्यवस्था का आधारभूत सिद्धांत **शुचिता व प्रदूषण के मध्य विपरीतता का सिद्धांत है।**

जाति को विभक्त रूप मे देखा। जाति प्याज के समान है व उपभाग प्याज के छिल्के के समान। प्रत्येक खण्ड (उपभाग) दूसरे खंड के साथ सोपानबद्ध सम्बंध मे व्यवस्थित होता, तथा दूसरा खण्ड पहले मे सिमटा रहता है।

"जाति व्यवस्था खण्डो का योग है।" ड्यूमा

ड्यूमा ने इस संबंध को

मैकिम मैरियट: किशनगढ़ी एवं रामनागला गांव-सोपानक्रम गुण धर्मो के आधार पर नहीं।

- "जाति एक स्थानीय प्रघटना है।" **मैरियट:**
- जाति का सोपानक्रम अंत:क्रिया के दोनो कर्मकांडीय व गैर कर्मकांडीय सोपानक्रमों से प्रभावित होता है परंतु कर्मकांडीय सोपानक्रम अधिक महत्वपूर्ण होता है।

एफ.जी. वेली: बिसिपारा (उड़ीसा)

बिसिपारा मे सभी जातियां मांसाहारी थी (ब्राह्मण भी) परंतु सबको अलग-अलग पदक्रम मिला था।

एड्रियन मेयर: रामखेड़ी (म. प्र.)

जातियों का क्रम विन्यास कहीं पर भी इतना स्पष्ट नहीं दिखायी देता जितना, खान-पान व हुक्का पानी मे दिखता है।

लुई ड्यूमा

- समानता व असमानता विपरीत प्रकृति की अवधारणाएं हैं।
- 'संस्तरण' जाति का आवश्यक मूल्य है।
- जाति की सभी विशेषताओं का आधारभूत तत्व **"शुचिता व प्रदूषण"** है। शुचिता, प्रदूषण से उच्च है।
- संस्तरण क्रम विन्यास को अभिव्यक्त करते हैं,यहां संस्तरण शक्ति व सत्ता को अभिव्यक्त नहीं करता।
- प्रस्थिति का शक्ति पर नियंत्रण होता है।
- जाति व्यवस्था का आधार **'मूल्य व्यवस्था' (विचारधारा)** है।
- जजमानी व्यवस्था आर्थिक प्रणाली के साथ-साथ सांस्कारिक अभिव्यक्ति है। जजमानी व्यवस्था की इकाई "गांव" है। आश्रित जाति समुदाय को सेवा प्रदान करती है न कि व्यक्ति को।
- **'वेरमेन'** ने ड्यूमा की आलोचना की तथा कहा कि: "शक्ति व प्रस्थिति एक सिक्के के दो पहलू हैं।"

सोरोकिन: "सामाजिक गतिशीलता का अभिप्राय व्यक्ति, सामाजिक वस्तु अथवा मूल्य मे उत्पन्न उस संक्रमण से है, जिसे मानव क्रिया द्वारा उत्पन्न किया गया अथवा संशोधित किया गया है, यह संक्रमण एक पद से दूसरे पद की तरफ है।"

लिपसेट-बैंडिक्स: "सामाजिक गतिशीलता का अभिप्राय उस शक्ति से है, जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में एक सामाजिक पद से दूसरे सामाजिक पद की तरफ बदलाव करते हैं, यह पद सामान्य सहमति के आधार पर विशिष्ट संस्तरणात्मक मूल्य

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

प्रदान करते हैं एवं संस्तरणात्मक मूल्य प्राप्त करते हैं।"

सामाजिक गतिशीलता के महत्वपूर्ण तत्व:

वेबर

शक्ति (power)

संपत्ति (property)

प्रतिष्ठा (prestige esteem)

सोरोकिन राजनीतिक पक्ष

व्यावसायिक पक्ष

लम्बवत गतिशीलता को 'सोरोकिन' ने दो भागों में बांटा - आरोही व अवरोही

संस्कृतिकरण - श्रीनिवास **(पहले ब्राह्मणीकरण कहा)**। संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होता।

पश्चिमीकरण : श्रीनिवास

क्षत्रियकरण : डी.एफ. पोकाक

समर्थक : सुरजीत सिन्हा, स्टीफन बर्नाट, के. एम. पाणिकर।

मिल्टन सिंगर: अन्य जातियों के लिए केवल ब्राह्मण व क्षत्रिय ही संदर्भ जाति प्रारूप नहीं है, बल्कि व्यापारी, कृषक व अन्य जातियां भी संदर्भ प्ररूप बन सकती हैं।

अभिजन अनुकरण प्रारूप: **ओवन लिंच** - स्वतन्त्रता बाद संस्कृतिकरण प्रासंगिक नहीं रह गया है। जातियां **'अभिजन समूह'** की 'जीवनशैली' का अनुसरण करती हैं।

अधोगामी सामाजिक गतिशीलता

जनजातियकरण: एस. एल. कालिया

- यह प्रक्रिया जौनसार बावर व मध्य प्रदेश के बस्तर क्षेत्र में क्रियाशील है।
- जाति-जनजाति का अनुसरण करती है।

समर्थक: मिश्रा व बरूआ ने उड़ीसा के जनजातिय क्षेत्र में तीन शिल्पी जातियों लोहार, कुम्हार, जुलाहा के सम्बंध मे जनजातियकरण की प्रक्रिया देखी।

वि-संस्कृतिकरण: मजूमदार

- ड्यूमा ने तमिलनाडु के प्रमालाई कल्लर समूह में विसंस्कृतिकरण देखा।
- अधोगामी गतिशीलता देखी।
- अनुसूचित जाति को एम. एन. श्रीनिवास ने 'परंपरागत हिन्दू सामाजिक संगठन' की "पांचवी श्रेणी" माना।
- तमिलनाडु मे अस्पृश्यो (हरिजनो) के आवासीय स्थलो को 'चेरी' कहते हैं।
- 1935 के भारत शासन अधिनियम मे पहली बार अस्पृश्यो के 'अनुसूचित जाति' शब्द का प्रयोग हुआ।

सोरोकिन ने स्तरीकरण को निर्धारित करने मे तीन आधारो की चर्चा की।

1. आर्थिक
2. राजनैतिक
3. व्यावसायिक

व्यावसायिक आधार को उन्होने पुन: दो भागों में बांटा

(a) अन्तर व्यावसायिक स्तरीकरण (inter occupational Stratification)

(b) अन्तरा व्यावसायिक स्तरीकरण (intra occupational Stratification)

वेस्टर गार्ड व एच रोसलर: वेस्टर गार्ड ने आधुनिक इंग्लैण्ड के समकालीन पूंजीवादी समाज मे वर्ग संरचना का विश्लेषण **'मार्क्सवादी दृष्टिकोण'** से प्रस्तुत किया।

1. Property
2. Power
3. Market

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir LG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

ये तीनो पूजींवादी समाज की केन्द्रिय संस्थाएं है, जो इस समाज मे असमानता को निर्धारित करती है।

इनके अनुसार wealth and income के क्षेत्र में असमानता पूंजीपति वर्ग की शक्ति द्वारा बरकरार रखी जाती है,यह शक्ति निजी संपति या पूंजी पर निजी मालिकाना या निजी स्वामित्व के कारण संभव होती है। इस क्षेत्र मे पुनर्वितरण के संदर्भ में राज्य की भूमिका नगण्य होती है।

वेस्टर गार्ड व रोसलर ने ब्रिटिश समाज में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था द्वारा सृजित वर्ग के संदर्भ मे दो प्रमुख वर्गो की पहचान की।

1. **Dominate Class:** जो कि जनसंख्या का 5-10% भाग है और जिसके अंतर्गत, उत्पादन के साधनो के स्वामी, MD, CEO वृहद शेयर धारक, प्रशासनिक अधिकारी आदि शामिल है।
2. **Sub-ordiante class:** जिसमे जनसंख्या का वृहद भाग जो मजदूरी व कम आय पर निर्भर होता है शामिल है।

'एड्रियन मेयर': 'रामखेड़ी गाँव' का अध्ययन

- राम खेड़ी गाँव म. प्र. के छोटे से कस्बे देवास मे स्थित है
- एड्रियन मेयर 'गांव' को एक ठोस यथार्थ मानता है, क्योंकि यह मानवीय सम्बंधों को प्रभावित करता है।
- सोपानक्रम मे सर्वाधिक महत्वपूर्ण खान-पान के कारक हैं।
- "जातियों का क्रम विन्यास कहीं पर भी इतना महत्वपूर्ण नहीं दिखायी देता, जितना खान-पान व हुक्का-पानी के नियमो मे दिखायी देता है।"
- 'ड्यूमा' का मत है कि जजमानी व्यवस्था "वंशानुगत व्यक्तिगत सम्बंधों के माध्यम से श्रम विभाजन को व्यक्त करती है।"
- **बीडलमान** ने जजमानी व्यवस्था की एक शोषणकारी व्याख्या प्रस्तुत की है।

सोरोकिन: "सामाजिक गतिशीलता का अभिप्राय, व्यक्ति, सामाजिक वस्तु अथवा मूल्य मे उत्पन्न उस संक्रमण से है जिसे मानव क्रिया द्वारा या तो उत्पन्न किया गया है या संशोधित किया गया है। यह संक्रमण एक सामाजिक पद से दूसरे सामाजिक पद की तरफ है।"

सोरोकिन (पी.ए. सोरोकिन) ने अपनी पुस्तक **'Social and Cultural Mobility'** मे गतिशीलता के निम्न प्रकार बताएं हैं:

1. क्षैतिज या समरैखिक सामाजिक गतिशीलता (Horizontal Social Mobility)
2. उदग्र या रैखिक सामाजिक गतिशीलता (Vertical Social Mobility)

क्षैतिज या समरैखिक सामाजिक गतिशीलता: इस प्रकार के गतिशीलता मे एक व्यक्ति समान सामाजिक स्तर के समूहों या पदों में गमन करता है। जैसे श्रमिक द्वारा एक फैक्टरी छोड़कर दूसरी फैक्टरी में काम करना।

सोरोकिन ने क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता के निम्नलिखित प्रकारों का उल्लेख किया है:

1. प्रजातीय, लैंगिक तथा आयु-समूहों में क्षैतिज गतिशीलता।
2. क्षेत्रीय समूहों में गतिशीलता
3. अन्त: पारिवारिक एवं अन्त: नातेदारी गतिशीलता।
4. अन्त: व्यवसायी तथा बाह्य व्यवसायी गतिशीलता।
5. अन्त: राज्यीय गतिशीलता
6. अन्त: धार्मिक गतिशीलता
7. अन्तर्दलीय गतिशीलता
8. अन्तर्राष्ट्रीय गतिशीलता।

उदग्र या रैखिक सामाजिक गतिशीलता: जब किसी व्यक्ति या समूह द्वारा एक सामाजिक स्तर से दूसरे सामाजिक स्तर मे गमन होता है तो उसे उदग्र सामाजिक गतिशीलता कहते हैं।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir LC Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

सोरोकिन ने उदग्र सामाजिक गतिशीलता को दो भागों में विभाजित किया है:

1. ऊर्ध्वगामी (Upward or Ascending) और
2. अधोगामी (Downward or Descending)

इसे क्रमशः सामाजिक उत्थान (Social Climbing) तथा सामाजिक पतन (Social Sinking) भी कहते हैं।

डा. एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतीकरण की प्रक्रिया द्वारा जातियों की ऊर्ध्वगामी गतिशीलता को व्यक्त किया है।

फिचर ने ऊर्ध्वगामी गतिशीलता के लिए निम्नांकित कारकों को उत्तरदायी माना है:

1. आप्रवास,
2. उच्च वर्ग मे कम प्रजनन क्षमता,
3. संघर्ष का महत्व,
4. अवसर की उपलब्धि,
5. समानता और विषमता के प्रतिमान।

सोरोकिन ने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में उदग्र सामाजिक गतिशीलता के लिए कुछ स्रोतों का उल्लेख किया है जो इस प्रकार है:

1. सेना,
2. धार्मिक संस्था,
3. स्कूल,
4. राजनीतिक संस्थाएँ
5. व्यावसायिक संगठन,
6. संपत्ति उत्पादक संगठन तथा
7. परिवार।

एल्विन बर्ट्राण्ड ने उदग्र सामाजिक गतिशीलता के लिए निम्नांकित पाँच स्रोतों का उल्लेख किया है:

1. व्यावसायिक उन्नति,
2. आर्थिक सफलता,
3. शैक्षणिक उपलब्धि,
4. शक्ति पर नियंत्रण,
5. विधिक कारक।

पीढ़ी के आधार पर सामाजिक गतिशीलता के दो प्रकारों का उल्लेख किया जा सकता है:

1. अन्तः पीढ़ी गतिशीलता तथा
2. अन्तर पीढ़ी गतिशीलता।

अन्तर पीढ़ी गतिशीलता (Intergenerational Mobility) का तात्पर्य है एक पीढ़ी मे धारण किये गये पद को त्यागकर दूसरी पीढ़ी के पदों को ग्रहण करना। अन्तर पीढ़ी गतिशीलता प्राकृकतिक एवं स्वाभाविक है।

अन्तःपीढ़ी गतिशीलता (Intragenerational Mobility) जब एक व्यक्ति एक पीढ़ी में कए पद को त्याग कर दूसरा पद ग्रहण करता है तो उसे हम अन्तःपीढ़ी गतिशीलता कहते हैं।

लिपसेट तथा वेन्डिक्स ने व्यवसाय के आधार पर सामाजिक गतिशीलता के दो भागों 1. अन्तर पीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता और 2. अन्तः पीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता का उल्लेख किया है।

गतिशीलता को निश्चित करने वाले कारकः

एल्विन एल. बर्ट्राण्ड ने सामाजिक गतिशीलता की दर को प्रभावित करने वाले चार आधारों का उल्लेख किया है:

1. अवसर संरचना
2. जनांकिकी प्रक्रियाएँ,

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

3. स्वचालित यन्त्रों का प्रभाव,
4. महत्वाकांक्षा के स्तर

हेजेज का मत है कि किसी भी समाज में सामाजिक गतिशीलता की मात्रा एवं दर समाज में विद्यमान अवसर संरचना पर निर्भर करती है।

ब्रूम तथा सेल्जनिक ने सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करने वाले पाँच आधारों का उल्लेख किया है:

1. व्यावसायिक एवं आर्थिक संरचना में परिवर्तन,
2. सन्तानोत्पत्ति की दर में अन्तर आना,
3. प्रवासी लोगों का केन्द्रीकरण,
4. शिक्षा में वृद्धि,
5. महत्वाकांक्षा में वृद्धि

Notepad

सामाजिक गतिशीलता के प्रभाव

सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता के तीन प्रभावों का उल्लेख किया है:

1. समाज की प्रजातीय संरचना में प्ररिवर्तन
2. मानव व्यवहार एवं मनोविज्ञान में परिवर्तन
3. सामाजिक प्रक्रिया में परिवर्तन।

दुर्खीम ने 'आत्महत्या' के अध्ययन के दौरान गतिशीलता का उल्लेख करते हुए कहा है कि ऊर्ध्वगामी अधोगामी गतिशीलता समाज में नियमहीनता को जन्म देती है जिसके फलस्वरूप आत्महत्या की दर बढ़ जाती है।

होलिंग्सहेड, ऐलिस, ऐरबी आदि के अनुसार सामाजिक गतिशीलता बीमारियों एवं नसों के टूटने के लिए उत्तरदायी है।

- गतिशीलता बढ़ने से सामाजिक संगठन टूटने लगते हैं। प्राथमिक समूह की दृढ़ता समाप्त होने लगती है।
- सामाजिक गतिशीलता समाज में सामाजिक नियंत्रण को भी प्रभावित करती है।
- सामाजिक गतिशीलता व्यक्ति की समूह-सदस्यता में परिवर्तन के लिए भी उत्तरदायी है।
- सामाजिक गतिशीलता व्यक्ति को उच्च प्रस्थिति प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। ये स्थितियाँ व्यक्ति में तनाव एवं निराशा भी पैदा करती है।

भारत में सामाजिक गतिशीलता के प्रतिमान

- भारत एक परंपरात्मक समाज होने के नाते उदग्र गतिशीलता के उदाहरण यहाँ कम ही दिखायी देते हैं।
- गाँवों की अपेक्षा नगरों में सामाजिक गतिशीलता अधिक पायी जाती है।
- जाति व्यवस्था के प्रचलन के कारण भारत में उदग्र गतिशीलता अपेक्षतया कम पायी जाती है।
- **एम.एन. श्रीनिवास** ने दक्षिण के कुर्ग में तथा पश्चिमी भारत के भीलों एवं मध्य भारत के गोंड एवं उराँव लोगों की सामाजिक गतिशीलता के रूप में संस्कृतीकरण की प्रक्रिया की चर्चा की है।
- डा. श्रीनिवास ने बताया है कि अतीत में जातियों के एक दूसरे से पृथक् होने की और वर्तमान में एक-दूसरे से जुड़ने की प्रक्रिया ज्यादा तेज है।
 नये व्यवसायों ने सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाने में योग दिया है।
 प्रदत्त के बजाय अर्जित प्रस्थिति के महत्व को बढ़ावा दिया है।

जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाले कारक:

1. पाश्चात्य शिक्षा एवं बढ़ता हुआ ज्ञान
2. पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव
3. नवीन आर्थिक व्यवस्था

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

4. आवागमन के साधनों का प्रभाव
5. नवीन पेशों का प्रभाव
6. नगरीकरण
7. औद्योगिकरण का प्रभाव
8. कानूनों का प्रभाव

सन् **1850 में जाति असमर्थता उन्मूलन अधिनियम** ने धर्म परिवर्तन को, संपत्ति के अधिकार को प्रभावित किये बिना अनुमति दी। **1872 में विशेष विवाह अधिनियम,** जिसने किसी भी जाति अथवा धर्म के व्यक्ति को किसी अन्य जाति अथवा धर्म में विवाह करने की अनुमति दे दी।

जाति व्यवस्था के उत्पत्ति सम्बंधी सिद्धांत:

1. **परंपरागत सिद्धांत:** जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हिन्दू परम्परा के अनुसार हुई है। **इस सिद्धांत के समर्थक हट्टन, ऋगवेद के पुरुष सूत्र एवं एस.पी. नगेन्द्र हैं।**
2. **धार्मिक सिद्धांत:** इसके **समर्थक होकार्ट एवं सेनार्ट है।** होकार्ट का मत है कि धार्मिक क्रियाओं अथवा कर्मकाण्डों के कारण जाति व्यवस्था की उत्पति हुई। सेनार्ट ने भोजन, विवाह और सामाजिक सहवास से सम्बंधित निषेधों के आधार पर जाति व्यवस्था की उत्पत्ति को समझाया है इनकी मान्यता है कि पारिवारिक पूजा तथा कुल देवता में भिन्नता के कारण भोजन संबंधी प्रतिबन्ध प्रारंभ हुए। **किताब: Cast in India**
3. **राजनैतिक सिद्धांत:** इसके **प्रतिपादक अबेडुबाय** है। इसे **ब्राह्मणवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है।** इस सिद्धांत के समर्थक इबेट्सन, **धुर्ये** है। इस सिद्धांत के अनुसार जाति प्रणाली ब्राह्मणों द्वारा आयोजित एक चतुर राजनैतिक योजना मानी गयी है। धुर्ये ने लिखा है कि मै यह निष्कर्ष निकाल सकता हूँ कि भारत में जाति इण्डो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणों का बच्चा है जो गंगा और यमुना के मैदान में पला और वहाँ से देश के अन्य भागों में ले जाया गया। अब्बे डुबाय की पुस्तक का नाम **"A Discription of the People of India"** है।
4. **व्यवसायिक सिद्धांत:** इसके प्रतिपादक नेसफिल्ड तथा समर्थक डालमैन व ब्लंट है। इनकी मान्यता है कि विभिन्न प्रकार के व्यवसायों तथा उद्योग धन्धों के आधार पर जाति प्रणाली की उत्पत्ति हुई।
5. **उद्विकासीय सिद्धांत:** इसके प्रतिपादक इबेट्सन है। जाति की उत्पति आर्थिक संघों से हुई।
6. **प्रजातीय सिद्धांत: हरबर्ट रिजले, मजूमदार, धुर्ये, क्रोबर, मैकाइवर, मेक्स वेबर, एस.सी.राय, एन.के. दत्त** इस सिद्धांत के समर्थक है। इस सिद्धांत के अनुसार भारत में विभिन्न प्रजातियों के मिश्रण एवं अनुलोम विवाहों के परिणाम स्वरूप जाति प्रणाली की उत्पत्ति हुई। **रिजले की पुस्तक का नाम "The People of India"** है।
7. **आदिम संस्कृति या माना का सिद्धांत:** हट्टन के अनुसार माना एक अलौकिक शक्ति होती है, जो प्रत्येक वस्तु में पायी जाती है।

जाति के सम्बंधा में महत्वपूर्ण दृष्टिकोण

1. संरचनात्मक दृष्टिकोण
2. सांस्कृतिक दृष्टिकोण

1. **संरचनात्मक दृष्टिकोण: समर्थक:** किंग्सले डेविस, एम.एन. श्रीनिवास, ए.आर. देसाई, एडमंड लीच आदि।

मान्यताएं:

1. जाति सामाजिक संरचना की एक इकाई है।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

2. जाति स्तरीकरण का एक स्वरूप है।
3. देसाई व डेविस का मानना है कि जाति आने वाले समय मे समाप्त हो जाएगी।
4. जाति भारतीय समाज का विशिष्ट संरचनात्मक स्वरूप है: एडमंड लीच

2. **सांस्कृतिक दृष्टिकोण:** समर्थक वेबर, लुईड्यूमा, वूगले आदि।

सांस्कृतिक दृष्टिकोण के अनुसार 'जाति भारतीय सांस्कृतिक प्रणाली की एक विशेषता है।'

Notepad

अन्य विशेष बातें

- जाति शब्द की उत्पत्ति 1665 में **ग्रेसियस डी ओरेटा (Gracious de oreta)** नामक विद्वान ने खोजी थी।
- सर्वप्रथम जाति पर व्यवस्थित कार्य जी.एस. धुर्ये द्वारा किया गया था। जाति से तात्पर्य एक ऐसे संवर्ग (category) से है जिसकी सदस्यता जन्म के आधार पर निर्धारित होती है। प्रत्येक जाति का एक नाम होता है और सदस्यों की एक जीवन शैली होती है। जाति एक अन्तर्विवाही परिवारों का एक समूह है जो शुद्ध अशुद्ध के विचार को मानते हैं।
- **फ्रेंच समाजशास्त्री (ड्यूमा) के अनुसार,** जाति प्रणाली का मुख्य आधार शुद्धता एवं प्रदूषण की अवधारणा है। शुद्धता की कसौटियों पर जो अधिकतम शुद्ध है, उसे सामाजिक स्तरीकरण के स्थान क्रम में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया जाता है। जिन समूहों में शुद्धता के तत्व कम पाये जाते है, उन्हें पदानुक्रम में निम्न श्रेणी प्राप्त होती है।
- **ड्यूमा** की मान्यता है कि जाति को सांस्कारिक सोपान (Ritual Hierarchy) की दृष्टि से भी देखा जाना चाहिये। जाति का केन्द्रीय आधार पदसोपान (Hierarchy) है जो पवित्रता एवं अपिवत्रता के विचारों से सम्बधित है।
- **ड्यूमा** जाति व्यवस्था को सामाजिक स्तरीकरण की बन्द व्यवस्था (closed system of stratification) मानते हैं अर्थात जाति की सदस्यता व्यक्ति न तो स्वेच्छा से ग्रहण कर सकता है, न ही त्याग सकता है। उसकी जाति सदैव के लिये निश्चित रहती है। वह एक जाति से दूसरी जाति में प्रवेश नहीं पा सकता। इसलिये जाति बन्द स्तरीकरण है।
- **एम.एन. श्रिनिवास** ने जाति को सावयवी व्यवस्था (organic system) कहा है। एक.एन. श्रिनिवास के अनुसार जाति में गतिशीलता की तीन संभावनाएं हैं:
 1. अनुलोम विवाह
 2. प्रतिलोम विवाह
 3. संस्कृतिकरण
- **एफ.जी. बेली (F.G. Bailey)** भी जाति को बन्द सावयवी स्तरीकरण (closed organic stratification) मानते है। बन्द व्यवस्था के रूप में जाति की प्रकृति 'सावयवी' है अर्थात विभिन्न जातियां सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के वास्ते एक दूसरे पर निर्भर रहती है। (Caste and economic frontier)
- **मजुमदार एवं मदान,** वेबर, क्रोबर तथा गुन्नार मिर्डल ने जाति को वर्ग के रूप में स्वीकार किया है।
- **मजूमदार एवं मदान** के अनुसार जाति एक बन्द वर्ग है। (Caste is a closed class)
- वेबर के अनुसार जाति एक बन्द समुदाय है। (Caste is a closed community)
- मिर्डल ने जाति को पूर्णरूप से कठोर वर्ग माना है।
- जब एक वर्ग पूर्णत: वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहेंगे। – 'कूले'
- जब प्रस्थिति पूर्णतया पूर्वनिश्चित हो, ताकि मनुष्य बिना किसी परिवर्तन की आशा से अपना भाग्य लेकर उत्पन्न होते हैं, तब वर्ग जाति का रूप धारण कर लेता है। – **'मैकाइवर एवं पेज'**

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

जाति परिवारों या परिवारों के समूहों का एक संकलन है, जिसका एक सामान्य नाम है, जो एक काल्पनिक पूर्वज, मानव या देवता से सामान्य उत्पत्ति का दावा करता है समान आनुवंशिक व्यवसाय को करने पर जोर देता है, और उन लोगों के मत में जो इसके योग्य है, एक सजाति समुदाय माना जाता है। – **'रिजले'**

- **केतकर (History of caste in India)** के अनुसार जाति एक सामाजिक समूह है जिसकी दो विशेषताएं हैं
 1. वंशानुक्रम सदस्यता और
 2. अन्तर्विवाह।

Notepad

प्रभुजाति (Dominant Caste)

'प्रभुजाति' की अवधारणा, **डा. एम.एन. श्रीनिवास ने मैसूर के 'रामपुरा' गाँव के अध्ययन के दौरान 'The Dominant Caste in Rampura' नामक पुस्तक में दिया।**

प्रभुजाति होने के लिए किसी भी जाति में निम्नलिखित तीन विशेषताएँ आवश्यक हैं:

1. स्थानीय समुदाय में उपलब्ध कृषि योग्य भूमि में से एक बड़े भाग पर उस जाति का स्वामित्व हो।
2. उस जाति की सदस्य संख्या काफी हो।
3. स्थानीय सोपान में उस जाति को उच्च स्थान प्राप्त हो।

अन्य विशेषताएं:

1. अधिक शिक्षित
2. राजनीतिक सत्ता
3. आनुष्ठानिक स्थिति (Ritual Status) उच्च।
4. आधुनिक शिक्षा एवं नवीन व्यवसाय
5. संपूर्ण गाँव की एकता, न्याय और कल्याण के लिए कार्य
6. आर्थिक ससाधनो पर अधिक अधिकार।

- **एस.सी. दूबे ने** Dominant Cast की जगह **Dominant Individual (प्रभावी व्यक्ति)** शब्द का प्रयोग किया है।
- **ए.सी.मेयर 'Dominant Kingroup' (प्रभावी नातेदारी समूह)** की बात करते हैं।
- **श्रीनिवास कहते हैं कि,** 'प्रभुजाति का कार्य केवल बहुत्ववादी संस्कृति के संरक्षक होने तक ही सीमित न था, वह निम्न जातियों में प्रभुजाति की अपनी प्रतिष्ठादायक जीवन-शैली का अनुकरण करने की इच्छा भी जगाती है।'
- **रजनी कोठारी ने** जाति को एक **दबाव समूह के रूप में** परिभाषित किया है। उन्होंने जाति के तीन पक्षो का उल्लेख किया है:
 1. धर्म निरपेक्ष
 2. विचारधारात्मक
 3. एकीकरण संबंधी
- जाति एक धार्मिक ही नहीं बल्कि आर्थिक राजनीतिक समूह भी है; प्रत्येक जाति की अपनी एक विचारधारा होती है।
- **इरावती कर्वे** ने 'जाति को एक नृजातिय समूह' माना है।
- **वेस्टरमार्क ने** 'अन्तर्विवाह' को जाति का सार तत्व कहा है।

प्रमुख पुस्तके

दीपांकार गुप्ता:	Interogating Caste
एम.एन. श्रीनिवास:	**Cast in Twenteenth Centuary Awatar Caste**
आन्द्रे बेत्ते:	Caste-old and new
नर्मदेश्वर प्रसाद:	The Myth of Caste system

NET, JRF Manish Singh Sir LG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

पावलिन कोलेण्डा: Caste in contemporary India

रजनी कोठारी:Caste in Indian Politics

"जाति व्यावसायिक विभेदीकरण के व्यवसायीकरण से अधिक कुछ नहीं है।"

– **'एम.एन. श्रीनिवास।**

Notepad

C. Wright Mills: The Power Elite

- शक्ति के आधार पर ही सामाजिक स्तरीकरण होता है।
- शक्ति ही सामाजिक सम्बधो को समझने का मुख्य आधार है।
- स्तरीकरण शक्ति या सत्ता को समाज के सदस्यों में बांटने की एक व्यवस्था है।
- परेटो ने आम जनता पर Elite के प्रभुत्व को स्वीकार किया वहीं Mills ने इस प्रवृत्ति की निंदा की।
- Mills: उच्च स्थिति प्राप्त अभिजात वर्ग का आधार संस्थात्मक (institutional) है, न कि मनोवैज्ञानिक।
- **Parsons:** स्तरीकरण किसी भी समाज व्यवस्था में इकाइयों का क्रयविन्यास है जो कि **'सामान्य मूल्य व्यवस्थाओं'** के अनुरूप है।

पद की महत्ता:

1. समाज के मूल्य
2. समाज के लक्ष्यों पर निर्भर करती है।

डब्लू लायड वार्नर ने 'मैक्स वेबर' की विचारधारा को आगे बढ़ाया।

वार्नर ने प्रस्थिति का निर्धारक

1. आय
2. व्यावसायिक प्रतिष्ठा
3. शिक्षा, को माना।

लेस्की: Power and Privelege स्तरीकरण में तीन विशेषताएं मिलती हैं:

1. शक्ति
2. विशेषाधिकार
3. प्रतिष्ठा

दासता (Slavery): दास- पूर्णतया अधिकारों से वंचित, शुद्ध व्यक्तिगत संपत्ति है। – **'हाबहाउस'**

एच.जे. निवोर: Slavery as an Industrial system

- दास प्रथा का आधार सदैव आर्थिक रहा है और यह एक औद्योगिक व्यवस्था है।
- दास के पास कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे।
- अगर दास के पास कुछ वंशागत संपत्ति है तो वह Serf है।
- रोम, ग्रीस, USA आदि में भी।
- स्वतन्त्र लोगों से दासों की स्थिति निम्न थी।
- दास कार्य करने के लिए मजबूर थे।
- दास का एक स्वामी होता था जिसके अधीन वह रहता था।

Estate: यूरोपीय समाज की स्तरीकरण व्यवस्था के तीन वर्ग

1. कुलीन (Nobelity)
2. पुजारी (Clergy)
3. सामान्य जन (Commoners)

वोटोमोर: Estate प्रथा की 3 विशेषताएं थी

1. इस्टेट की 'वैधानिक परिभाषा' थी।
2. इस्टेट 'विस्तृत श्रम विभाजन' का प्रतिनिधित्व करते थे।
3. इनके प्रकार्य भी होते थे

कुलीन रक्षा, पुजारी-प्रार्थना, सामान्य जन-भोजन जुटाते थे।

स्तरीकरण सापेक्षिक महत्व के आधार पर पदो का क्रम विन्यास होता है न कि व्यक्तियों का- **डेविस**

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

सामाजिक स्तरीकरण मानव की मनोवृत्तियों का निर्धारण करता है।

ओल्सन–सामाजिक स्तरीकरण

1. सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करता है।
2. सामाजिक एकीकरण को प्रोत्साहित करता है।
3. सामाजिक प्रगति को संभव बनाता है।
4. सामाजिक संघर्षों एवं तनावो को कम करता है।

उत्पादन शक्तियों से तात्पर्य 'उत्पादन मे प्रयुक्त औजार व प्रौद्योगिक ज्ञान से है।

वेबर: सामाजिक स्तरीकरण का मुख्य आधार **'शक्ति के असमान वितरण'** से है। शक्ति से वेबर का तात्पर्य संस्थात्मक शक्ति (Institutionalized Power) से है।

वेबर: शक्ति के तीन आयाम होते हैं:

1. आर्थिक – वर्ग को जन्म देता है।
2. सामाजिक आयाम – प्रस्थिति को जन्म देता है।
3. राजनैतिक आयाम – दल को जन्म देता है।

तीनो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं।

वर्ग, प्रस्थिति, बल तीनो स्तरीकरण के आधार है।

वर्ग में:

1. समान आर्थिक स्थिति
2. समान जीवन स्तर पाया जाता है।

वर्ग का निर्धारण बाजार स्थिति (Market Situation) से होता है।

किसी व्यक्ति की वर्ग स्थिति मूलत: उसकी बाजार स्थिति है।

प्रस्थिति समूह व्यक्तियो का वह संकलन होता है जिसमें

1. समान सामाजिक प्रतिष्ठा
2. समान जीवन शैली

दल: समान राजनैतिक हित

विभेदीकरण स्तरीकरण की तुलना में अधिक प्राचीन है।

विभेदीकरण की प्रक्रिया पूर्णतया तटस्थ है। इसमें ऊंच नीच का भाव नहीं होता है।

मेलविन ट्यूमिन: स्तरीकरण की 5 विशेषताएं बतायीं:

1. सामाजिक स्तरीकरण सामाजिक होता है।
2. स्तरीकरण पुरातन है। खानाबदोश झुंड़ो में भी लिंग व आयु के आधार पर स्तरीकरण पाया जाता था।
3. सार्वत्रिफता
4. स्तरीकरण के स्वरूप में भिन्नताएं पायी जाती है।
5. सामाजिक स्तरीकरण के सामाजिक परिणाम होते हैं।

स्तरीकरण से असमानता होती है, असमानता के दो परिणाम होते हैं:

1. **जीवन अवसर:** बाल मृत्यु, जीवन अवधि, शारीरिक मानसिक बीमारी, वैवाहिक संघर्ष, तलाक आदि।
2. **जीवन शैली:** मकान, पड़ोस, मनोरंजन के साधन, माता–पिता व बच्चो में सम्बंध, उन समस्त प्रकार की पुस्तकों से है जिनका 'व्यक्तित्व' पर प्रभाव पड़ता है।

मैकाइवर व पेज ने स्तरीकरण की 3 विशेषताएं बतलायी हैं:

1. प्रस्थिति समूहों का संस्तरण
2. श्रेष्ठ–हीन स्तरीकरण की पहचान
3. कुछ हद तक संरचना या ढांचे का स्थायित्व।

सामाजिक स्तरीकरण की प्रकृति सामाजिक सांस्कृतिक दोनो है।

स्तरीकरण का सामाजिक सांस्कृतिक आधार होता है।

प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था मे कुछ आवश्यकताएं अधिक महत्वपूर्ण होती है, तो कुछ कम, जिनके महत्व का निर्धारण संरचना के मूल्यों व प्रतिमानो के आधार पर होता

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

है। अधिक महत्वपूर्ण आवश्यकताओ की पूर्ति से सम्बंधित भूमिकाओ की प्रस्थिति उच्च होती है।

Notepad

स्तरीकरण की उत्पत्ति

गम्लोविच, ओपनहीमर: एक समूह द्वारा दूसरे पर विजय से।

सोरोकिन: स्तरीकरण मानव में वंशागत भिन्नताओ के कारण होता है।

सामाजिक पदो के अनुसार पुरस्कारों का विवरण सामाजिक स्तरीकरण को जन्म देता है।

1. **Althusor - Ideological apparatous:** 'वैचारिकी संयत्र'
2. **Evon Ellich:** De Schooling Society (गैर विद्यालयी समाज)
3. **Gramci:** विद्यालय से 'कुशल श्रमिक' पैदा किये जाते हैं।
4. वह समूह जिसका उत्पादन के साथ निश्चित व समान संबंध होता है, वर्ग कहलाता है-**मार्क्स**।
5. 'मानव समाज का इतिहास मूलत: वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है।' - **मार्क्स**
6. 'व्यक्ति की बाजार स्थिति ही उसकी वर्ग स्थिति है।' - **वेबर**
7. **W. L. Warner: Yanki city का अध्ययन**
 (Reputational approach) ख्याति सूचक उपागम से 6 वर्ग पाए
 UU, UL, MU, ML, LU, LL
 उच्च - उच्च- वर्ग
 उच्चा - निम्न- वर्ग
 मध्य - उच्च- वर्ग
 मध्य - उच्च -वर्ग
 मध्य - निम्न- वर्ग
 'समाज मे स्तरीय सामूहिकता होती है।' - **वार्नर**
8. "जाति एडवांस प्रस्थिति समूह है।" - **वेबर**
9. प्रस्थिति समूह का अर्थ समान जीवन शैली, से है व जीवन अवसरो है।
10. जाति का सम्बंध: जीवन शैली से है वर्ग का संबंध: जीवन अवसर से।
11. जब वर्ग आनुवांशिक हो जाता है तो वह जाति बन जाता है-**कूले**
12. **आन्द्रे बेत्ते : श्रीपुरम तंजौर का अध्ययन किया:** "जाति व वर्ग मे Permulation-canbenation का संबंध होता है।"
 (ब्रिटिश काल व उसके बाद)
13. सच्चिदानन्द: शाहाबाद (बिहार) का अध्ययन किया।
14. **Lock wood and Gold Therp: "Affluent Worker"** पुस्तक लिखी।
15. **Thomra wood:** Valing and Background पुस्तक लिखी
16. **गोल्डहैमर तथा शिल्स** ने शक्ति को स्तरीकरण का आधार माना है।

घूर्ये: Caste, Class and Occupation: जाति के संस्थात्मक, संरचनात्मक पहलुओ पर प्रकाश डाला।

6 विशेषताएं बतलायी।

4 संस्थात्मक,	2 संरचनात्मक
1. भोजन, सहवास, सम्बंधी प्रतिबंध	1. समाज का खण्डात्मक विभाजन
2. पेशों का स्वतन्त्र चुनाव का अभाव	2. संस्तरण
3. सामाजिक, धार्मिक निर्योग्यताएं	
4. विवाह सम्बंधी प्रतिबन्ध	

वेस्टर मार्क ने "जाति प्रणाली मे अंतर्विवाह सम्बंधी नियम को जाति व्यवस्था का सारतत्व कहा।"

नर्मदेश्वर प्रसाद ने 'खानपान व छुआछूत संबंधी नियम को जाति व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता माना है।'

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

डा. घूर्ये ने जातिवाद को समाप्त करने के लिये अंतर्जातीय विवाहों को अधिकाधिक कराने का सुझाव दिया है।

मजुमदार का कहना है कि एक जाति का दुसरी जाति के द्वारा शोषण और इस प्रकार की दूसरी सहयोगी प्रथाओ को नष्ट कर देना चाहिये न कि संपूर्ण व्यवस्था को। टूटी हुई या दोषपूर्ण अंगुली को ही काटना चाहिये न कि संपूर्ण हाथ को।

Notepad

जाति व्यवस्था के प्रकार्य:

हट्टन ने जाति व्यवस्था को **'प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण'** से समझा है, उन्होंने जाति के तीन प्रकार के प्रकार्य बताये हैं:

1. **व्यैक्तिक सदस्यों के लिये प्रकार्य:** जैसे सामाजिक स्थिति को निर्धारण, वैवाहिक समूह का निर्धारण, व्यवसाय का निर्णय, मानसिक सुरक्षा प्रदान करना, सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण।
2. **सामुदायिक प्रकार्य:** प्रत्येक जाति की जातीय संस्तरण में एक निश्चित स्थान। प्रत्येक जाति एकता के सूत्र में बँधे रहते है। सुप्रजनन की शुद्धता बनाये रखना।
3. **राज्य और संपूर्ण समाज के लिये प्रकार्य:**
 1. हिन्दू समाज के विकास में योगदान
 2. राजनैतिक स्थिरता को बनाये रखना
 3. श्रम विभाजन एवं विभेदीकरण का पूर्ण लाभ।

जाति व्यवस्था से हानियाँ:

1. राष्ट्रीयता में बाधक
2. राजनैतिक एकता में बाधक
3. सामाजिक समस्याओं के लिये उतरदायी
4. अस्पृश्यता के लिये उत्तरदायी
5. प्रजातंत्र के लिये गंभीर चुनौती।

जाति व वर्ग में अंतर:

1. जाति समाज को लम्बरुप (Vertical) में विभाजित करती है, जबकि वर्ग विभाजन क्षैतिज (Horizontal) होता है।
2. जाति परंपरागत समाज की विशेषता है, जबकि वर्ग पूँजीवादी समाज की विशेषता है।
3. जाति अंतर्विवाही होती है, वर्ग नहीं।
4. जाति मे व्यक्ति की प्रस्थिति जन्म के आधार पर निश्चित होती है, जबकि वर्ग व्यवस्था में व्यक्ति की प्रस्थिति उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति के अनुसार निश्चित होता है।
5. जाति बंद स्तरण की व्यवस्था है, जबकि वर्ग मुक्त स्तरण की व्यवस्था है।

जाति व गोत्र मे अन्तर

	जाति	गोत्र
1.	वास्तविक समूह	काल्पनिक समूह
2.	अन्तर्विवाही	वहिर्विवाही
3.	उंच नीच का संस्तरण पाया जाता है।	संस्तरण नहीं पाया जाता
4.	जाति प्रबिन्धात्मक है	तुलनात्मक रूप से कम प्रतिबंधात्मक है

जाति व जनजाति में अंतर

	जाति	जनजाति
1.	निश्चित भू-भाग की बाध्यता नहीं	सामान्यता एक निश्चित क्षेत्र में पायी

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

	जाती है।	
2. जाति की कोई सामान्य भाषा नहीं होती।	सामान्य भाषा होती है।	
3. सामान्य जीवन व संस्कृति का पाया जाना अनिवार्य नहीं।	सामान्य जीवन व संस्कृति पायी जाती है।	

Notepad

जजमानी व्यवस्था (JAJMANI SYSTEM)

- सर्वप्रथम जजमानी प्रथा का उल्लेख **'विलियम वाइजर'** ने उत्तर प्रदेश के **'करीमपुर'** गाँव के अध्ययन मे किया।
- विलियम वाइजर ने अपनी पुस्तक **'The Hindu Jajmani System'** मे जजमानी प्रथा की परिभाषा दी है। उनके अनुसार "जजमानी प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक जाति का कोई निश्चित कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है तथा इस कार्य पर उसका एकाधिकार होता है, इसमें एक जाति दूसरी जाति की आवश्यकताओ की पूर्ति करती है।"
- समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से जजमानी व्यवस्था के अध्ययनों में **विलियम एच. वाइजर, ऑस्कर लुईस, ओपलर तथा योगन्द्र सिंह, एन.एस. रेड्डी, एम. एन. श्रीनिवास तथा डा. श्यामाचरण दुबे के नाम प्रमुख हैं।**
- भारतीय जजमानी प्रथा में मुख्यत: दो प्रकार की जातियाँ होती हैं-एक को **'जजमान'** और दूसरे को **'कमीन'** कहा जाता है। सेवा प्राप्त करने वाली जातियाँ जजमान हैं तो सेवा प्रदान करने वाली जातियाँ कमीन।
- जजमानी प्रथा में **मुद्रा का विनिमय कम** होता है क्योंकि यह खुली **बाजार अर्थव्यवस्था नहीं** है और न ही जजमान के कमीन से सम्बंध पूँजीवाद व्यवस्था की तरह सेवायोजक एवं सेवाकारी की तरह है। जजमान अपने कमीन को समय समय पर नगद या अनाज में भुगतान करता है। कमीन को सेवा के बदले भोजन, वस्त्र, निवास स्थान एवं कुछ औजारों का उपयोग करने एवं कच्चे माल की सुविधाएं प्राप्त होती है।
- **ऑस्कर लुईस के शब्दों** में, 'इस जजमानी-व्यवस्था के अंतर्गत यह आशा की जाती है कि प्रत्येक जाति समूह, अन्य जातियों के परिवारों के लिए विशेष प्रकार की सेवाएँ प्रदान करेगा।'
- **योगेन्द्र सिंह** की धारणा है कि, 'जजमानी-व्यवस्था जाति के समस्त खण्डों को आदान-प्रदान के सिद्धांत पर अन्त: सम्बंधित करती है।'
- **एन.एस. रेड्डी** के अनुसार, 'ये सेवा सम्बंध जो आनुवंशिक अधिकरण द्वारा शासित होते हैं जजमान, परजन संबंधों के नाम से पुकारे जाते हैं।'
- विलियम एच. वाइजर प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम ग्रामीण भारत में जजमानी प्रथा का उल्लेख अपनी पुस्तक 'The Hindu Jajmani System' मे किया।
- भारत में अन्त:जातीय संबंधो का विश्लेषण डब्ल्यू.एच. वाइजर ने मुख्यत: जजमानी संबंधों के आधार पर किया।
- भारतीय जजमानी प्रथा का अध्ययन करने वालों में ऑस्कर लुईस प्रमुख है।
- जजमानी प्रथा के विशेषज्ञ-ऑस्कर लुईस।
- ऑस्कर लुईस ने भारतीय जजमानी-व्यवस्था का अध्ययन 'सहभोजी सम्बंध' के आधार पर किया।
- जजमानी प्रथा को महाराष्ट्र में **'ब्लूटे'** तथा मद्रास में **'मिरासी'**, मैसूर में **'अद्दे'** कहा जाता है।
- **विलियम एच. वाइजर** ने मैनपुरी जिले के **करीमपुर गाँव** का अध्ययन किया। आस्कर लुईस ने आगरा के पास रामपुर गाँव का अध्ययन किया तथा बताया कि जजमानी व्यवस्था में अनुबन्धात्मक सम्बंध पाया जाता है।

NET JRF Manish Singh Sir EC Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

जजमानी प्रथा की विशेषताएं

1. जजमानी प्रथा उदग्र सम्बंधो की व्यवस्था है।
2. जजमानी प्रथा में सेवाओं का लेन-देन पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। जजमानी अधिकार पिता से पुत्र को हस्तान्तरित होते हैं।
3. पारितोषण की एक परम्परात्मक व्यवस्था पायी जाती है। जजमानी व्यवस्था मे पारितोषण तीन रूपों में दिया जाता है।
 (i) **सेवा के बदले सेवा के रूप में** अर्थात एक जाति का परिवार दूसरी जाति के परिवार की सेवा करता है और बदले में उससे सेवाएं प्राप्त करता है। उदाहरण के लिये नाई, धोबी व कुम्हार के बाल काटता है। बदले में उनसे वस्त्र धुलाने और बर्तन प्राप्त करने के रूप में सेवा लेता है।
 (ii) काम करने वाली जातियाँ अपने जजमानों से **दैनिक, मासिक, वार्षिक और कुछ अवसरों तथा त्योहारो पर** एवं मृत्यु, विवाह, जन्म, दिवाली, होली दशहरा, रक्षा बन्धन आदि अवसरों पर खाना, कपड़ा अथवा नकद पारितोषिक प्राप्त करती है।
 (iii) पारितोषिक कभी कभी **विशेष प्रकार की छूट के रूप में भी** होता है। लेविस ने रामपुर में खटीक, लुहार, नाई, भंगी और चमार आदि की सेवाओं और बदलें में उन्हें दिये जाने वाले पारितोषण का उल्लेख किया है।
4. वंशानुगत परम्परा।
5. प्राथमिक संबंध।
6. अधिकार तथा कर्तव्यों का संकुल।
7. मुद्रा का अप्रचलन।
8. वस्तु-भुगतान
9. उपयोगिता मूल्य में भिन्नता।
10. जजमानी प्रथा के अंतर्गत विभिन्न जातियों के पारस्परिक संबंधों में अपेक्षाकृत स्वामित्व पाया जाता है। जजमानी संबंध प्रत्यक्ष एवं पारिवारिक आधार पर बने होते है, अतः कोई भी परिवार इन संबंधों का साधारणतः तोड़ नहीं सकता।

डा. दुबे ने शमीरपेट गाँव में इस बात को देखा। वे लिखते हैं कि किसान के लिये यह संभव नहीं है कि वह अपने परिवार को सेवा प्रदान करने वाले एक परिवार को हटा सके और उसके स्थान पर किसी दूसरे परिवार की सेवा प्राप्त करसके। सेवा करने वाली प्रत्येक जाति की एक पंचायत होती है कोई भी व्यक्ति पंचायत के दण्ड के भय के कारण किसी दूसरे स्थान पर कार्य करने के लिये तैयार नहीं होता।

11. विलियम एच. वाइजर के अनुसार जजमानी प्रथा गाँव वालों को शांति एवं संतोष प्रदान करती है। यह व्यवसायिक प्रतिस्पर्द्धा से मुक्ति दिलाकर लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, जिसमें सदस्यों में मानसिक संघर्ष और तनाव पैदा नहीं होता।

जजमानी प्रथा के गुण निम्नलिखत हैं:

1. वंशानुगत व्यवसायों का संरक्षण
2. आर्थिक सुरक्षा
3. व्यावसायिक संबंधों में कमी
4. सावयवी एकता
5. जातिवाद में कमी
6. सामाजिक सुरक्षा

जजमानी प्रथा के अवगुण निम्नांकित हैं:

1. आर्थिक शोषण
2. रूढ़िवादिता
3. जजमानों का दुर्व्यवहार
4. असमानता को प्रोत्साहन

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir PG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

5. व्यावसायिक प्रगति में बाधा।

वर्तमान में जजमानी प्रथा टूट रही है और उसके स्थान पर मौद्रिक संबंध बढ़ रहे है। मुद्रा के प्रचलन, शिक्षा के प्रसार, संचार साधनों का विकास, शहरीकरण, औद्योगीकरण, निम्नजातियों की दी जाने वाली सुविधाओं, समानता की भावना और संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के कारण जातियों के परंपरागत कार्यो और संबंधों में परिवर्तन आ रहे है। अब व्यवसाय परंपरागत नहीं रहें। फिर भी हम यह नहीं कह सकते कि जजमानी प्रथा बिल्कुल समाप्त हो गयी है। गाँव में आज भी जजमानी प्रथा का प्रचलन पाया जाता है।

जजमानी व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं:

1. औद्योगीकरण
2. धन का महत्व
3. साक्षरता में वृद्धि
4. जीमीदारी प्रथा की समाप्ति
5. जाति-व्यवस्था में परिवर्तन
6. समानता का मूलाधिकार।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

सामाजिक परिवर्तन
Social Change

Notepad

परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है, सब कुछ परिवर्तनशील है इसलिए समाज और संस्कृति भी। बिना परिवर्तन के गतिशीलता सम्भव नहीं है और न बिना गतिशीलता के समाज का अस्तित्व।

सर्वप्रथम **आगस्ट कौंत** (August Comte) ने सामाजिक परिवर्तन का उल्लेख किया लेकिन इसे उन्होंने Social dynamics **(सामाजिक गतिकी)** कहा था, परन्तु **सामाजिक परिवर्तन का समाजशास्त्री मार्क्स** (Karl Marx) को माना जाता है।

परिवर्तन का तात्पर्य अन्तर से हे तथा समाज के संदर्भ में परिवर्तन का आशय सामाजिक दशाओं या स्थितियों में अन्तर से है, यह अन्तर दो संदर्भों में हो सकता है:

1. स्थान सापेक्ष
2. समय सापेक्ष

तात्पर्य यह है कि दो समाजो, दो समूहों में अन्तर हो सकता है या एक ही समाज, समूह में समय के दो बिन्दुओं में अन्तर हो सकता है। लेकिन सामान्यत: सामाजिक परिवर्तन को समय सापेक्ष ही माना जाता है इसलिए समायान्तर के कारण परिवर्तन को **द्विकालिक** (Dychronic) **या बहुकालिक** माना जाता है, एक कालिक नहीं।

सामाजिक परिवर्तन दो प्रकार का हो सकता है:

1. पूर्ण परिवर्तन
2. आंशिक परिवर्तन

1. पूर्ण परिवर्तन:

इस प्रकार के परिवर्तन मे समस्त समाज बदल जाता है, इसे **'समाज का परिवर्तन'** या **सामाजिक प्रणाली का परिवर्तन** या **संरचनात्मक परिवर्तन** भी कहा जाता है। इस प्रकार के परिवर्तन की अवधारणा **कार्ल मार्क्स** के विश्लेषण में मिलती है, इसे ही **क्रान्तिकारी परिवर्तन, आमूल-चूल परिवर्तन** (Radical change), **उग्र परिवर्तन** आदि विभिन्न नामो से जाना जाता है।

2. आंशिक परिवर्तन:

जब समाज के कुछ अंशो, कुछ पक्षों आदि में परिवर्तन होता है तो इसे आंशिक परिवर्तन कहते हैं। सामान्यत: यह परिवर्तन अनुकूलात्मक होता हे, इसे समाज में परिवर्तन, या सामाजिक प्रणाली, संरचना में परिवर्तन कहा जाता है।

सर्वप्रथम सामाजिक परिवर्तन का उल्लेख **हेनरी समनर मेन** (Henry Sumner Maine) ने अपनी पुस्तक 'Ancient Law' में किया और बताया कि समाज एक सरल व्यवस्था से जटिल व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है।

सामाजिक परिवर्तन समाज के आन्तरिक तथा वाहय दोनो पक्षों में हो सकता है:

वाह्य परिवर्तन:

इसे **'संरचनात्मक परिवर्तन'** भी कहते है। किसी समाज की संरचना में परिवार, वर्ग, जाति, समूह स्वरूप आदि आते हैं। अत: जब परिवर्तन इन सबमे दिखायी देता है तो उसे वाह्य या संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं।

आंतरिक परिवर्तन:

आंतरिक परिवर्तन का आशय मूल्य, मानदंड, प्रतिमान आदि में परिवर्तन से होता है।

सामाजिक परिवर्तन से संबंधित प्रमुख परिभाषाएं:

मकीवर व पेज: "सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संबंधो में होने वाला परिवर्तन है।"

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

किंग्सले डेविस: "सामाजिक परिवर्तन से हम केवल उन्हीं परिवर्तनो को समझते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात् सामाजिक ढांचे और प्रकार्यों में घटित होते हैं।"

जानसन (H.M. Jonson):

'बुनियादी अर्थों में सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य सामाजिक संरचना में परिवर्तन से है।

सांस्कृतिक तथा सामाजिक परिवर्तन: मैरिल तथा एल्ड्रज, डासन व गेटिस जिलिन तथा जिलिन, जिटलिन (J.M. Zeitlin), मैलिनास्की आदि ऐसे समाजशास्त्री है जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन व सांस्कृतिक परिवर्तन (Cultural change) में विभेद नहीं किया है। लेकिन इन दोनो परिवर्तनो में कुछ मूलभूत अंतर पाए जाते हैं जो निम्नवत हैं:

Notepad

सामाजिक परिवर्तन (Social Change)	**सांस्कृतिक परिवर्तन** (Cultural Change)
सामाजिक परिवर्तन समाज में होने वाला परिवर्तन है।	सांस्कृतिक परिवर्तन संस्कृति में होने वाला परिवर्तन है। चूंकि संस्कृति शब्द समाज की तुलना में अधिक व्यापक है अत: सांस्कृतिक परिवर्तन का अर्थ समाज के सभी पक्षों में होने वाले परिवर्तन के रूप में लिया जाता है।
सामाजिक परिवर्तन शब्द सांस्कृतिक परिवर्तन की तुलना मे कम व्यापकता वाला शब्द है। यह सांस्कृतिक परिवर्तन सभी क्षेत्रों में परिवर्तन शामिल किया जाता है।	इसके अंतर्गत धर्म, कला, विश्वास, कानून दर्शन, साहित्य, ज्ञान आदि का ही एक अंग है।
सामाजिक परिवर्तन स्वत: व नियोजित दोनो प्रकार से हो सकता है।	सांस्कृतिक परिवर्तन स्वत: नहीं होता बल्कि इसे सचेत रूप से नियोजित करके नापा जाता है।
परिवर्तन की गति तीव्र होती है।	परिवर्तन की गति अपेक्षाकृत धीमी होती है।
सामाजिक परिवर्तन के द्वारा सांस्कृतिक परिवर्तन होना सांस्कृतिक जरूरी नहीं है।	परिवर्तन अनिवार्य रूप से सामाजिक परिवर्तन को जन्म देता है।

सामाजिक परिवर्तन की गति:

सामाजिक परिवर्तन की दर को जानने से संबंधित तकनीकि का विकास अभी तक नहीं हो पाया है। अत: सामाजिक परिवर्तन की गति को सापेक्ष रूप से जाना जाता है। यह दो प्रकार से जानी जा सकती है। स्थान सापेक्ष तथा समय सापेक्ष।

स्थान सापेक्ष गति से अर्थ एक समाज से दूसरे समाज के बीच परिवर्तन की दर से है जैसे भारत का समाज अफ्रीका के समाज से ज्यादा गतिशील (परिवर्तनशील) है। प्रतापगढ़ का समाज दिल्ली के समाज की तुलना में कम परिवर्तनशील है।

समय सापेक्ष परिवर्तन की गति से तात्पर्य एक ही समाज में समय के दो भिन्न-बिन्दुओं पर तुलनात्मक परिवर्तन से है। जैसे भारतीय समाज में वर्तमान में सामाजिक परिवर्तन की गति प्राचीन काल से अधिक है।

सांस्कृतिक विलम्बन (Cultural Lag): **आगबर्न**

सामाजिक परिवर्तन की गति से ही संबंधित धारणा सांस्कृतिक विलम्बन की है।

आगबर्न ने संस्कृति के दो भाग माने है भौतिक संस्कृति तथा अभौतिक संसुति।

अभौतिक संस्कृति: धर्म, कला, साहित्य आदि।

भौतिक संस्कृति: कल-कारखाने, मशीने इत्यादि आगवर्न ने बताया कि भौतिक संस्कृति में परिवर्तन अधिक तीव्र होता है अत: परिवर्तन (विकास) की इस दौड़ में अभौतिक संस्कृति, भौतिक संस्कृति से पिछड़ जाती है, इसी पिछड़ने को आगवर्न ने 'सांस्कृतिक विलम्बन' कहा। आगवर्न का परिवर्तन की गति का आशय-सापेक्ष गति से है।

तकनीकि विलम्बन (Technological Lag): **मकीवर तथा पेज** ने अपनी पुस्तक 'Society' में आगवर्न के सांस्कृतिक विलम्बन के सिद्धान्त को सही नहीं माना है।

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

मकीवर तथा पेज कहते हैं कि भौतिक और अभौतिक संस्कृति की तुलना उचित नहीं है क्योंकि दो भिन्न वस्तुओं के बीच परिवर्तन की गति को नहीं मापा जा सकता, तुलना एक ही संस्कृति में आए परिवर्तनो मे हो सकती है।

मकीवर व पेज ने कहा कि भौतिक संस्कृति में परिवर्तन की गति को भौतिक संस्कृति के ही सापेक्ष देखना चाहिए जैसे तकनीकि क्षेत्र या उद्योग धन्धों में कोई कारक जो एक दूसरे पर आश्रित हों अपने आप को दूसरे कारक से सामंजस्य की स्थिति में नहीं पाता तो पिछड़ जाता है।

जैसे:1. टेलीविजन का आविष्कार हो जाए और बिजली का न हो पाए।

2. फर्नीचर, ईंधन के लिए जंगल तेजी से काटे जाएं लेकिन पेड़ लगाए न जाऐ।

इसी को मकीवर तथा पेज ने तकनीकि विलम्बन, तकनीकि प्रतिबन्ध संस्कृति संघर्ष आदि उपनामो से पुकारा है।

मकीवर तथा पेज ने आगवर्न की भौतिक संस्कृति को सभ्यता कहा है।

टी.वी. वोटामोर (T.B. Bottomore) ने 'सांस्कृतिक विलम्बन' को भारतीय समाज में देखने का प्रयास किया है। 'भारत में जाति-प्रथा शैक्षणिक प्रणाली तथा उद्योग की मान्यता से संघर्ष दिखायी पड़ता है।' आज का पूरा भारतीय सामाजिक ढांचा अनुकूलन संस्कृति (Adoptive Culture) की प्रक्रिया में भौतिक संस्कृति तथा उसकी प्रतिपादित मान्यताओं में संघर्ष में दिखायी पड़ता है। पुरानी मान्यताएं और नवीन मूल्यों में टकराहट सांस्कृतिक विलम्बन के अतिरिक्त और किसी भी प्रघटना की सूचक नहीं है।

सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं

1. सामाजिक परिवर्तन का संबंध किसी व्यक्ति विशेष या समूह विशेष के जीवन में होने वाले परिवर्तनो से नहीं है। अन्य शब्दों मे सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक है न कि वैयक्तिक-तात्पर्य यह है कि समाज की किसी एक ईकाई में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन नहीं कहा जा सकता। वह पूरे समुदाय में घटित होता इसलिए इसे **सामुदायिक परिवर्तन** भी कहते हैं।
2. सामाजिक परिवर्तन **संसार के सभी भागों में होता है**-इसलिए इसे **सार्वभौमिक प्रक्रिया** (Universal Process) या **सार्वभौतिक घटना** (Universal Phenomenon) कहते हैं।
3. सामाजिक परिवर्तन की **गति असमान व तुलनात्मक है।** (Irregular and Relative) सामाजिक परिवर्तन **स्थान व समय सापेक्ष** होता है।
 जैसे ग्रामीण समुदाय में परिवर्तन अपेक्षाकृत शहरी समुदाय में परिवर्तन से धीमा होता है।
4. सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है इसलिए इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती।
 चूंकि सामाजिक परिवर्तन का संबंध गुणात्मक परिवर्तनों (Qualitative Change) से है जिसकी मापतौल सम्भव नहीं है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि किसी सामाजिक घटना के बाद समाज में कौन कौन से परिवर्तन आएंगे।
5. यदि परिवर्तन लाने वाले कारक, परिवर्तन विरोधी कारकों की तुलना में कमजोर हैं तो परिवर्तन धीमा होगा, और यदि परिवर्तनकारी कारक अपेक्षाकृत ज्यादा सशक्त हैं तो परिवर्तन तीव्र होगा।
6. सामाजिक परिवर्तन समाज में चलने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे सहयोग, संघर्ष, समायोजन, प्रतियोगिता आदि के कारण आते है इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि आने वाला परिवर्तन एक रेखीय (Unilinear) या बहुरेखीय (Multilinear) होगा, यह दोनो हो सकता है। इसी तरह परिवर्तन **कभी चक्रीय,कभी,**

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

समस्यामूलक, कभी कल्याणकारी, कभी दीर्घकालिक, कभी अल्पकालिक आदि विभिन्न रूपों में हो सकता है।

मूर (Willbert-E-Moore) **ने सामाजिक परिवर्तन की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है:**

1. सामाजिक परिवर्तन एक अनिवार्य नियम है।
2. सामाजिक परिवर्तन तुलनात्मक होता है। जैसे प्राचीन समाज की तुलना में आधुनिक समाज में परिवर्तन की गति तेज है।
3. यद्यपि सामाजिक परिवर्तन जीवन के सभी क्षेत्रों में होता है लेकिन भौतिक क्षेत्र (मशीनो, कल कारखानो आदि) में परिवर्तन की गति विचारों और संस्थाओं में परिवर्तन की गति से अधिक है।
4. वे परिवर्तन जो एक निश्चित क्रम व समान गति से होते हैं, हमारे विचारो व सामाजिक संरचना में अधिक तेज परिवर्तन लाते है।
5. सामाजिक परिवर्तन के संबंध में सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती।
6. सामाजिक परिवर्तन गुणात्मक होता है।
7. आधुनिक समाजो में परिवर्तन एक नियोजित ढंग से लाया जाता है।

सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रतिमान (Different Patterns of Social Change): मकीवर तथा पेज ने सामाजिक परिवर्तन के तीन प्रतिमानों का उल्लेख किया है।

1. प्रथम प्रतिमान: अचानक खोज या आविष्कार
 (Linear Change)
 रेखीय तथा क्रमबद्ध सामाजिक परिवर्तन

 इस प्रकार का सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न तो अचानक होता है लेकिन फिर क्रमिक विकास की ओर अग्रसर हो जाता है।

 जैसे पहिये का विकास तो अचानक हुआ लेकिन इस आविष्कार के बाद यातायात के साधनो का एक क्रमिक विकास देखने को मिलता है। इसे रेखीय परिवर्तन भी कहते हैं।
2. **द्वितीय प्रतिमान:** उतार-चढावदार परिवर्तन (Fluctuating Change)

 इस प्रतिमान के अंतर्गत परिवर्तन ह्रास (पतन) या प्रगति की दिशा में बढ़ने के बाद उसकी विपरीत दिशा में बढ़ता है (अग्रसर होता है)। इस प्रतिमान में यह निश्चित नहीं होता कि परिवर्तन की दिशा कब किस ओर (उतार या चढ़ाव) मुड़ जाएगी।

 जैसे: जनसंख्या आध्यात्म के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन।
3. **तृतीय प्रतिमान:** तरंगकीय (Wave Like Change)

 जैसे: 'फैशन' में आने वाले परिवर्तन।

 इस प्रकार के प्रतिमान के अंतर्गत सामाजिक परिवर्तन में यह नहीं कहा जा सकता कि वर्तमान चरण, पिछले चरण की तुलना में ह्रास मे है या प्रगति में।

 यद्यपि मकीवर तथा पेज ने केवल तीन प्रतिमानो का उल्लेख किया है लेकिन सामाजिक परिवर्तन के एक और प्रतिमान की चर्चा की जाती है।

सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय प्रतिमान (Cyclical Pattern of Social Change):

परिवर्तन जहां से प्रारंभ होता है फिर उसी स्थान पर लौट आता है।

जैसे: व्यापार, राजनैतिक, सामाजिक, कला, साहित्य आदि क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन। आभूषण की डिजाइन जो बहुत पहले प्रयोग में होती थी लौट आयी है।

सामाजिक परिवर्तन के स्त्रोत (Sources of Social Change):

सामाजिक परिवर्तन के मुख्यत: चार स्त्रोत माने जाते हैं।

1. आविष्कार (Invention)
2. खोज (Discovery)

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

3. प्रसार (Deffusion)
4. आन्तरिक विभेदीकरण (Internal Differenciation)

1. **आविष्कार** (Innention): आविष्कार का अर्थ नये **'तरीके से उपयोग या संयोजन'** से है। नये यंत्रो, नयी तकनीकि, नये विचारो आदि के आविष्कारो ने सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को तीव्र कर दिया है। जैसे रेल, वायुयान, प्रेस, दूर संचार आदि आविष्कारों के कारण समाज में व्यापक परिवर्तन देखने को मिलता है।
2. **खोज** (Discovery): खोज से तात्पर्य, जो पहले से मौजूद है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने से है। जैसे रक्त परिवहन तंत्र, पोषण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, पृथ्वी की जगह सौरमंडल के केन्द्र मे सूर्य है आदि बहुत सी खोजो ने मानव जीवन को विशद रूप से प्रभावित किया है।
3. **प्रसार** (Deffusion): प्रसार का अर्थ फैलना होता है वर्तमान में भूमण्लीकरण, भूमण्डलीय गाँव (Global Village) की संकल्पना प्रसार के कारण ही संभव हो पायी है।

 खोज व आविष्कार को संयुक्त रूप से नवीकरण कहते हैं।
4. **आन्तरिक विभेदीकरण** (Internal Defferenciation): सामाजिक परिवर्तन में आन्तरिक विभेदीकरण के महत्व पर मुख्यत: उद्विकासवादियों ने प्रकाश डाला है। उद्विकासवादियों के अनुसार समाज की आवश्यकताएं समय के साथ बदलती रहती है, और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज में भी परिवर्तन आता रहता है।

सामाजिक परिवर्तन के कारक (Factors of Social Change)

जानसन (H.M. Johnson) ने सामाजिक परिवर्तन के स्त्रोतो को ध्यान में रखकर, सभी कारकों को तीन भागों में बाँटा:

1. आन्तरिक कारक (Internal Factor)
2. बाह्य कारक (External Factor)
3. गैर-सामाजिक कारक (Non-Social Environment)

1. **आन्तरिक कारक** (Internal Factor):
 ऐसा परिवर्तन समाज में आन्तरिक विरोध के फलस्वरूप जन्म लेता है। लोग पुरानी व्यवस्था से ऊब चुके होते हैं और इसे बदलना चाहते हैं। ऐसे कारक साधरणतया बन्द समाज में प्रभावशाली होते हैं। जैसे हिन्दू समाज में विभिन्न धर्म सुधार आंदोलन।
2. **बाह्य कारक** (External Factor): जब दो अलग-अलग प्रकार की सामाजिक व्यवस्था, मूल्य, प्रतिमान, विचार आदि एक दूसरे से मिलते हैं तो सामाजिक परिवर्तन को जन्म देते हैं। वर्तमान समय में सामाजिक परिवर्तन के बाहय कारक, आन्तरिक कारकों की तुलना में अधिक प्रभावशाली है क्योंकि विभिन्न खोजों, आविष्कारो, मूल्यो आदि का संचार के साधनो के विकास के साथ तीव्र प्रसार हुआ है।

 जैसे:पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण आदि।
3. **गैर-सामाजिक कारक** (Non-Social Environment): ऐसे कारक भी सामाजिक परिवर्तन को तीव्र करते हैं जो सामाजिक नहीं है जैसे भौगोलिक स्थितियां, इन्हें जानसन ने गैर सामाजिक कारक कहा है। उदाहरणार्थ प्राचीन काल में सभ्यताओं का विकास वहीं हुआ जहाँ नदियां थी, जब ये नदियां सूख गयी तो वहां से लोगों का पलायन हो गया।

ऐन्थनी गिडेन्स ने 'स्वरूप के आधार पर' सामाजिक परिवर्तन के 3 कारकों पर प्रकाश डाला है:

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

1. भौतिक पर्यावरण (Physical Environment)
2. राजनीतिक व्यवस्था (Political Organisation)
3. सांस्कृतिक कारक (Cultural Factor)

1. **भौतिक पर्यावरण** (Physical Environment): गिडेन्स ने इसके अन्तर्गत भौगोलिक स्थितियां, प्रौद्योगिकी, औद्योगीकरण, संचार के साधन, ज्ञान-विज्ञान आदि के कारण समाज में आने वाले परिवर्तनो को रखा है।
2. **राजनीतिक व्यवस्था** (Political Organisation): राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक संरचना के बीच सीधा सम्बन्ध है, राजनीतिक संरचनाओ में परिवर्तन के साथ सामाजिक संबंधो में परिवर्तन आया है। सामन्तशाही में सामाजिक संबंधो और लोकतंत्र में सामाजिक संबंधो में व्यापक अन्तर दिखायी पड़ता है।
3. **सांस्कृतिक कारक** (Cultural Factor): इसके अन्तर्गत धर्म, विज्ञान, सांस्कृतिक प्रसार, परसंस्कृति ग्रहण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, आदि के कारण समाज में आए परिवर्तनो को रखा जा सकता है।

मकीवर तथा पेज ने सामाजिक परिवर्तनो के तीन कारको की चर्चा की है:

1. प्रौद्योगिकी कारक (TEchnological Factor)
2. सांस्कृतिक कारक (Cultural Factor)
3. जैविकीय कारक (Biological)

सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रियाएँ (Processes or Modes of Cultural Change)

संस्कृति: संस्कृति ऐसे प्रतीकों, विचारों तथा भौतिक उत्पादो का समुच्चय है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तान्तरित होती है।

सांस्कृतिक परिवर्तन एक बहुत ही व्यापक अर्थ वाला शब्द है जो अपने आप में सामाजिक परिवर्तन को सम्मिलित करता है। भारत में सांस्कृतिक परिवर्तन में बाहय व आन्तरिक दोनो स्त्रोतो का प्रभाव पड़ा है, भारत में सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं को निम्न अवधारणाओं के अंतर्गत समझा जा सकता है:

1. संस्कृतिकरण
2. इस्लामीकरण
3. पश्चिमीकरण
4. धर्मनिरपेक्षीकरण
5. अमरीकीकरण
6. क्षत्रियकरण
7. जनजातियकरण
8. सार्वभौमीकरण तथा संकीर्णीकरण
9. लघु एवं वृहद परम्परा
10. परसंस्कृतिग्रहण
11. विसंस्कृतिकरण
12. पुन: संस्कृतिकरण
13. संस्कृतिकरण का अभिजन प्रारूप

वैचारिकी में परिवर्तन, इन तीनो के कारण आता है:

14. नवाचार (Innovation)
15. परसंस्कृतिग्रहण
16. प्रसार।

नवाचार संस्कृति का प्रमुख अंग है, **लेपियर** ने इसे निम्न ढंग से परिभाषित किया है-"नवाचार एक ऐसा विचार है जिसका उपयोग मान्यता प्राप्त सामाजिक लक्ष्य को

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

नये ढंग से प्राप्त करने के लिए किया जाता" मतलब साध्य वही रहता है, साधन बदल जाता है।

संस्कृतिकरण: **एम.एन. श्रीनिवास**

"Religion and Society Among the Coorgs of South India"

सर्वप्रथम एम.एन. श्रीनिवास ने 'संस्कृतिकरण' शब्द का प्रयोग मैसूर की पूर्व रियासत (वर्तमान कर्नाटक) में 'कुर्गो' के अपने अध्ययन में किया था।

"संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई 'निम्न' हिन्दू जाति या कोई जनजाति अथवा अन्य समूह, किसी उच्च और प्रायः 'द्विज' जाति की दिशा में अपने रीति-रिवाज, कर्मकाण्ड, विचारधारा और जीवन पद्यति को बदलता है।"

प्रारंभ में श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण को 'ब्रामहणीकरण' कहा था, ब्राम्हणी आदर्श से श्रीनिवास का तात्पर्य 'उत्तर-वैदिक कालीन' ब्राम्हणो से था, उत्तर वैदिक काल में ब्राम्हण गौ मांस भी खाते थे और शराब भी पीते थे। बाद में एम.एन. श्रीनिवास ने माना कि-संस्कृतिकरण, ब्राम्हणीकरण की तुलना में अधिक व्यापकता वाला शब्द है जिसमें ब्राम्हणीकरण अपने आप सम्मिलित हो जाता है। संस्कृतिकरण किसी जाति की उच्च स्थिति के लिए एक आंतरिक स्त्रोत है, इस प्रक्रिया से उत्पन्न गतिशीलता से व्यवस्था में केवल **स्थिति का बदलाव होता है।** इससे **संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होता** तात्पर्य यह है कि **संस्कृतिकरण से जाति अनुक्रम के अन्दर ही बदलाव होता है, जाति व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता।**

संस्कृतिकरण की प्रक्रिया जनजातियों में भी होती है, जनजातियां संस्कृतिकरण से जाति स्वरूप को प्राप्त करती है। संस्कृतिकरण की यह प्रक्रिया पश्चिम भारत के भीलो में, मध्य भारत के गोंडो, हो तथा उरावों में देखने को मिलती है। इस अर्थ में संस्कृतिकरण, परसंस्कृति ग्रहण की सामान्य प्रक्रिया है।

श्रीनिवास ने यह भी कहा है कि किसी स्थानीय **प्रभु जाति** (Dominat Caste) को आदर्श मानकर, अपनी जीवन-शैली में परिवर्तन लाना भी संस्कृतिकरण है।

एम.एन. श्रीनिवास ने प्रभु जाति (Dominant Cast) के तीन आवश्यक तत्व बताए हैं:

1. उस जाति की उपलब्ध स्थानीय कृषि योग्य भूमि के बड़े भाग पर अधिकार हो (भूमि अधिकार)
2. उस जाति का आबादी अधिक होनी चाहिए (संख्या बल)
3. उस क्षेत्र के सामाजिक अनुक्रम में ऊंचा स्थान होना चाहिए। (पारम्परिक प्रतिष्ठा)

एक समय में एक स्थान विशेष में एक से अधिक प्रभावी जातियां हो सकती हैं।

यदि स्थानीय प्रभु जाति ब्राम्हण है तो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया ब्राम्हणीकरण को दर्शाएगी और यदि क्षत्रिय है तो क्षत्रियकरण को और अगर जाट है जाटवादी विशिष्टताओं (जाटीयकरण) की प्रक्रिया संस्कृतिकरण मे देखने को मिलेगी। इस अर्थ में यह कहा जा सकता है कि **"संस्कृतिकरण सांस्कृतिक परिवर्तन की अतिक्षेत्रीय प्रक्रिया है।"**

यहां एक और ध्यान देने वाली बात है कि प्रभु जाति के लिए आवश्यक तत्व श्रीनिवास द्वारा बताए गए तीन क्षेत्रों के अतिरिक्त भी हो सकते हैं। जैसे-शिक्षा, प्रशासनिक पद और आय के नगरीय स्त्रोतों का भी ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त करने में योगदान रहता है।

संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में निम्न जाति सिर्फ नये रीति रिवाजों, आदतों, संस्कार को नहीं अपनाती बल्कि लोगों की मनोवृत्ति में भी परिवर्तन संस्कृतिकरण के अंतर्गत आता है।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

यह आवश्यक नहीं है कि यदि निम्न जाति, अनुसरण प्रक्रिया के बाद उच्च स्थान का दावा करें तो वह स्वीकार ही कर लिया जाय, जब यह स्वीकार नहीं किया जाता तब उच्च स्थान चाहने वाली और स्वीकृति न देने वाली जाति में असामंजस्य उत्पन्न हो जाता है।

श्रीनिवास ने बताया कि संस्कृतिकरण में प्रभाव के स्त्रोत अन्य क्षेत्रों जैसे भारतीय परम्परा में भी खोजे जा सकते हैं जैसे तीर्थ यात्रा, हरिकथा, धार्मिक नाटक इत्यादि इसके लिए श्रीनिवास ने गुजरात के पाटीदारों का उदारहण दिया है जिन्होंने इन स्त्रोतो और वल्लभाचारी व स्वामीनारायण सम्प्रदाय से काफी कुछ ग्रहण किया।

Notepad

संस्कृतिकरण की विशेषताएं

1. संस्कृतिकरण का संबंध निम्न जातियों की जीवन शैली में परिवर्तन से है।
2. संस्कृतिकरण से सिर्फ पदमूलक (Positional Change) परिवर्तन होता है, संरचनात्मक नहीं।
3. संस्कृतिकरण का **संबंध समूह से है, एक व्यक्ति से नहीं।**
4. **मिल्टन सिंगर** ने संस्कृतिकरण के अनेक मॉडलो की चर्चा की है:
 कृषक माडल, वैश्य मॉडल, व्यापारी मॉडल अन्य प्रभावी जाति मॉडल।
5. भारत में संस्कृतिकरण एक **सार्वभौमिक घटना रही है। के.एम. परिणक्कर** तथा **श्रीनिवास** ने प्राचीन काल से अब तक के संस्कृतिकरण प्रक्रिया के अनेक उदाहरण दिये है।
6. संस्कृतिकरण की प्रक्रिया **विशेषकर बन्द हिन्दू समाज** में चलती है।
7. संस्कृतिकरण एक प्रकार का विरोधी आंदोलन है। संस्कृतिकरण के अन्दर एक ऐसी प्रतिस्पर्द्धा की प्रक्रिया चलती है जिसमें जाति अपने स्थान से ऊंचा उठना चाहती है।
8. हिन्दू धर्म में हर जाति का निर्धारण जन्म से होता है इसलिए यह कहा जा सकता है कि यह **'महान हिन्दू परम्परा के सोपानक्रम' का विरोध करती है।**
9. संस्कृतिकरण एक **"अनुभवाश्रित प्रक्रिया"** है।
10. श्रीनिवास मे संस्कृतिकरण को **एकतरफा प्रक्रिया** (Unilenear Process) माना है। लेकिन यह एक **दुतरफा प्रक्रिया** (Two-way process) है इसके पक्ष में **मैरियट** ने सकीर्णीकरण व **कालिया** ने जनजातीयकरण का उल्लेख किया है।
11. **योगेन्द्र सिंह** ने संस्कृतिकरण को **प्रत्याशी समाजीकरण** (Anticipatory sociolisation) कहा। साथ ही इसे विचारधाराओं को ग्रहण करने वाली प्रक्रिया (Ideology Borrowing Process) माना है।
12. संस्कृतिकरण की **व्याख्या संदर्भ समूह के माध्यम** से की जा सकती है।
13. भक्ति आंदोलन संस्कृतिकरण का उदाहरण है।

क्षत्रियकरण: डी.एफ. पोकाक

समर्थक: सुरजीत सिन्हा
स्टीफन बर्नाट
मिल्टन सिंगर
ए.एम. शाह व आर.जी. श्राफ (Shroff)

D.F. Pocock ने अपनी पुस्तक "The Movement of Caste" मे संस्कृतिकरण के क्षत्रिय आदर्श की चर्चा की और इसे 'क्षत्रियकरण' कहा।

विसंस्कृतिकरण (De-Sanskritization): **डी.एन.मजूमदार**

विसंस्कृतिकरण की प्रक्रिया उच्च जातियों द्वारा परम्परागत जीवन शैल को त्यागने की प्रक्रिया है जो अप्रत्यक्ष रूप से आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर होती है।

लुई ड्यूमा ने तमिलनाडु के प्रमालाई कल्लर समूह में विसंस्कृतिकरण की प्रक्रिया देखी।

NET JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

पुनः संस्कृतिकरण (Re-Sanskritization):

योगेन्द्र सिंह

योगेन्द्र सिंह ने अपने **'चानुखेड़ा'** के अध्ययन में बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के राजपूतों ने अपने आपको आजादी के पूर्व पश्चिमी संस्कृति में ढाल लिया था। आजादी के बाद पुनः भारतीय जीवन शैली अपनायी।

'पुनः संस्कृतिकरण के अंतर्गत पहले से पश्चिमीकृत या आधुनिकीकृत समूह, आधुनिकीकरण के बहुत से प्रतीकों जैसे जीवन शैली, वेष-भूषा भाषा, खान-पान और राजनैतिक वैचारिकी आदि का त्याग करता है और पुनः अपने प्राचीन और परम्परागत संस्कृति प्रतीकों और विश्वासों की ओर लौटता है।'

जनजातियकरण (Tribalization):

एस.एल. कालिया

किसी सभ्य मानव समुदाय द्वारा जनजातियों के ऐसे रीति-रिवाजों, कर्मकांड़ो, विश्वासों को अपना लेने की प्रक्रिया जनजातियकरण कहलाती है, जो उनके अपने रीति-रिवाजों एवं विश्वासों आदि से सर्वथा भिन्न होते है।

कालिया ने यह प्रक्रिया **उत्तर प्रदेश के जौनसार बाबर व मध्य प्रदेश के बस्तर क्षेत्र में क्रियाशील देखी।**

मिश्रा व बरूआ ने उड़ीसा के जनजातिय क्षेत्र में तीन शिल्पीजातियों 'लोहार, कुम्हार व जुलाहा' के संबंध में जनजातियकरण प्रक्रिया का उल्लेख किया है।

इस्लामीकरण:

इस्लामीकरण का अर्थ **'इस्लाम के प्रचार-प्रसार की प्रक्रिया'** से है। इसके दो प्रमुख पक्ष हैं:

1. वे परिवर्तन जो मुसलमानो के जीवन में, भारत में इस्लाम की परम्पराओं के आन्तरिक परिवर्तनों के फलस्वरूप आए।

2. हिन्दू धर्म और इस्लाम के बीच एक लम्बे समय तक चली अंत:क्रिया ने एक मिली जुली संस्कृति को जन्म दिया। इस परिवर्तन का काल मुख्यत: 1206-1818 को माना जाता है, इस काल के संबंध में **योगेन्द्र सिंह** ने कहा है कि:

'इस काल में न केवल संघर्ष और तनाव के दौर आए बल्कि हिन्दुओं और इस्लाम की परम्पराओं के बीच अनुकूलन और समन्वय भी स्थापित हुआ।'

भारत में प्रवेश के समय से ही मुसलमानो से सामाजिक संगठन बदलने लगा था, समाज के भीतरी सामाजिक वर्गीकरण सामने आ चुके थे लेकिन 'समानता और भाई चारा' अभी भी उनके आदर्श थे। शासक वर्ग जो उच्च वर्ग से संबंधित थे अशरफ कहलाते थे **अशरफों में चार पदस्थिति समूह थे:**

सैयद
शेख
मुगल
पठान

इस्लामीकरण की प्रक्रिया में सर्वाधिक योगदान सूफी सिलसिलो (सम्प्रदायों) को माना जाता है, इन सिलसिलो की उत्पत्ति के फलस्वरूप इस्लाम की विभिन्न धर्मो परम्पराओं से अंत:क्रिया की प्रक्रिया तेज हो सकी।

लेकिन इस्लामीकरण की प्रक्रिया का कारण सिर्फ-सांस्कृतिक सहअस्तित्व को ही नहीं माना जा सकता। चूंकि स्थानीय स्तर पर मुसलमानो की संख्या का एक बड़ा भाग धर्मान्तरित मुसलमानो का था, जिन्हें उच्च सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति प्राप्त नहीं थी, इसलिए धर्मान्तरित मुसलमानो में उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए गतिशीलता देखी जा सकती है, इस संदर्भ में इस्लामीकरण, संस्कृतिकरण से साम्य रखता है।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

पश्चिमीकरण (Westernisation) (M.N. Srinivas)

एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक 'Social Change in Modern India' में इस अवधारणा का प्रतिपादन किया।

"इस शब्द में 150 वर्षों से अधिक के अंग्रेजी शासन के फलस्वरूप भारतीय समाज और संस्कृति में आए परिवर्तन तथा विभिन्न स्तरों पर प्रौद्योगिकी, संस्थाओं, विचारधारा तथा मूल्यों में आए परिवर्तन सम्मिलित है।" – **श्रीनिवास।**

पश्चिमीकरण की विशेषताए:

1. पश्चिमीकरण अवधारणा का तात्पर्य **सांस्कृतिक परिवर्तन से है संरचनात्मक परिवर्तन से नहीं।**
2. यह एक **तटस्थ अवधारणा** है, इससे अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता जबकि आधुनिकीकरण शब्द यह बताता है कि क्या अच्छा है। इसलिए श्रीनिवास ने इसके प्रयोग पर बल दिया।
3. पश्चिमीकरण **भारतीय संस्कृति पर अंग्रेजो के प्रभाव** को स्पष्ट करता है।
4. पश्चिमीकरण का प्रभाव भारतीय समाज पर अचेतन तथा अचेत दोनो रूपो से पड़ा है। कुछ अंग्रेजी प्रभावों को हमने जानबूझकर अपनाया तथा कुछ हमारे जीवन में अपने आप शामिल हो गये।
5. पश्चिमीकरण एक **जटिल तथा बहुआयामी प्रक्रिया** है। पश्चिमीकरण का प्रभाव हम राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक प्रौद्यागिकी तथा अन्य बहुत से क्षेत्रों में, बहुत से स्तरों पर देख सकते हैं।
6. पश्चिमीकरण प्रक्रिया की गति व स्वरूप, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक जनसंख्या के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में भिन्न रही है। कुछ समूहों में पश्चिमीकरण तीव्र तो कुछ में धीमा रहा है।

पश्चिमीकरण के सांस्कृतिक परिवर्तन के कुछ प्रभाव:

1. खान-पान व रहन सहन में परिवर्तन
2. सामाजिक जीवन व संस्थाओं में परिवर्तन
3. जाति प्रथा में परिवर्तन: सहभोजिता को बढ़ावा आदि।
4. विवाह में परिवर्तन।
5. परिवार में परिवर्तन।
6. स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन।
7. राजनीतिक जीवन में परिवर्तन।
8. साहित्य, ललित कला में परिवर्तन।
9. शिक्षा, आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन।
10. मानवतावाद:

श्रीनिवास ने बताया कि पश्चिमीकरण ने भारत में मानवतावादी मूल्यों को बढ़ावा दिया। मानवता का अर्थ जाति, लिंग, धर्म, आयु, आर्थिक स्थिति आदि पर ध्यान न देते हुए, सबके कल्याण के बारे में सोचना हैं।

मानवतावाद (Humanitarianism) मे **समानतावाद** (Equalitarianism) एवं **लौकिकीकरण** (Secularization) दोनो के मूल्य निहित होते हैं मानवतावाद का शाब्दिक अर्थ होता है **'सभी मानव समान है'**। मानवतावाद के **प्रमुख संस्थापक दांते, पैट्रार्क, ब्रूनो, मातेन कापरनिकस, बेकन रहे हैं**। तथा **मानवतावादी समाजशास्त्र का जनक सी.डब्लू. मिल्स को माना जाता है।**

पश्चिमीकरण प्रक्रिया से सांस्कृतिक परिवर्तन निम्न प्रक्रियाओं के माध्यम से आता है:

1. आत्मसातीकरण (Assimilation)
2. समायोजन (Accommodation)

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

3. पुनरूत्थान (Revivalism)

अमरीकीकरणः जे.पी. सिंह

जे.पी. सिंह ने लिखा है कि एम.एन.श्रीनिवास की प्रभुत्व सम्पन्न जति की तरह एक **प्रभुत्व सम्पन्न देश** (Dominat Country) और **प्रभुत्व सम्पन्न संस्कृति** (Dominant Culture) की बात की जा सकती हैं। अमीरकन संस्कृति को एक **सकारात्मक संदर्भ संस्कृति** (Positive Reference Culture) के रूप में लिया जा सकता है जिसने भारतीय संस्कृति पर विशद प्रभाव डाले हैं।

अमरीकीरकरण, पश्चिमीकरण आदि की व्याख्या 'परिसंस्कृति ग्रहण' (Acculturation) के अंतर्गत की जा सकती है।

Notepad

धर्मनिरपेक्षीकरण (Secularization)

धर्म निरपेक्षीकरण सामाजिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सार्वजनिक मामलो में धर्म का प्रभाव कम होता जाता है। धर्म का स्थान अन्य स्पष्टीकरण करने वाले तथ्यो द्वारा ले लिया जाता है। व्यावहारिक दृष्टि का विकास होता जाता है।

एम.एन. श्रीनिवास ने धर्मनिरपेक्षीकरण का निम्न ढंग से परिभाषित किया:

"धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द में यह बात निहित हे कि जिसे पहले धार्मिक माना जाता था, वह अब वैसा नहीं माना जाता और अब उसमें विभेदीकरण की एक प्रक्रिया भी निहित है जिसके परिणामस्वरूप समाज के विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, कानूनी और नैतिक्ष पक्ष एक दूसरे के मामले में अधिकाधिक सावधान होते जा रहे हैं।"

इस परिभाषा में तीन बाते सामने आती हैं:

1. धार्मिकता मे कमी
2. तार्किकता में वृद्धि
3. सामाजिक व्यवस्थाओं में विभेदीकरण।

एम.एन. श्रीनिवास ने हिन्दू समाज में धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया तीव्र होने के दो कारणों का उल्लेख किया है:

1. हिन्दू धर्म में पवित्रता, अपवित्रता की भावना काफी प्रबल रही है। पवित्रता-अपवित्रता की भावना जाति के संस्तरण को निर्धारित करती है, तथा यह विभिन्न जातियो के मध्य सामाजिक दूरी को भी परिभाषित करती है। लेकिन पवित्रता, अपवित्रता में परिवर्तन की संभावना अत्यधिक होती है।
2. हिन्दू धर्म में कोई केन्द्रीय संगठन कभी नही रहा जैसे इस्लाम में खलीफा होता था। केन्द्रीय संगठन के अभाव के कारण हिन्दू धर्म में ऐसे प्रधान का भी हमेशा अभाव रहा जो धार्मिक कार्यकलापो को निर्देशित और नियंत्रित कर सके इसलिए हिन्दू धर्म में परिवर्तन की संभावना बलवती रही।

धर्मनिरपेक्षीकरण प्रक्रिया का हिन्दू धर्म में तीव्र होने के कारण के रूप में **'धर्म की उदारवादी प्रकृति'** को भी रखा जा सकता है। लेकिन एक विडम्बना यह है कि जहां जाति व्यवस्था से संबंधित धार्मिक मूल्य कमजोर हुए हैं वही राजनीति में धर्म की भूमिका बढ़ी है।

धर्म निरपेक्षीकरण के कारकः एम.एन. श्रीनिवास ने निम्न कारकों की चर्चा की है:

1. पश्चिमीकरण
2. धार्मिक सुधार आंदोलन
3. पश्चिमी शिक्षा पद्यति का प्रचार प्रसार
4. स्त्री शिक्षा
5. बुद्धिवाद को बढ़ावा
6. नगरीकरण तथा औद्योगीकरण
7. नये सामाजिक नियम कानूनो का विकास

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

8. यातायात तथा संचार के साधन

धर्मनिरपेक्षीकरण के कारको में कुछ अन्य को भी रखा जा सकता है:

1. स्वतन्त्रता आंदोलन
2. लोकतंत्र की स्थिरता आदि

लघु एवं वृहद परम्पराएं: (Robert Redfield)

Little and Great Tradition:

राबर्ट रेडफील्ड ने लघु एवं वृहद परम्परा की अवधारणाओं का प्रतिपादन **'मेक्सिको'** के कुछ समुदायो में होने वाले सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में किया था।

Notepad

लघु परम्परा

यह सामान्य लोगों की परम्परा है, इसके अन्तर्गत ग्रामीण लोगों के जीवन-यापन की क्रियाएं, शिल्प, संबंधित संगठन, प्रकृति पर आधारित धर्म, रीति-रिवाज, लोक नृत्य, जादू आदि क्रियाएं जिनका लिखित साहित्य नहीं है रखी जाती हैं अन्य शब्दो में ऐसी परम्पराएं जिनका लिखित स्त्रोत नहीं है लघु परम्पराएं कहलाती हैं। ये स्थानीय, अल्पविकसित, अलचिन्तनशील होती हैं तथा स्वत: सिद्ध मानी जाती है। इनका परिमार्जन व सुधार संभव नहीं होता। इनका उल्लेख धर्म ग्रन्थों में नहीं मिलता। भारतीय संदर्भ में लघु परम्पराएं जनजातियों, अनपढ़ ग्रामीणों में देखी जा सकती हैं।

वृहद परम्परा

जिन परम्पराओं का उल्लेख धर्म ग्रन्थों में मिलता है, जो लिखित होती हैं, जो व्यवस्थित, चिन्तनशील है तथा वृहद क्षेत्र (सम्पूर्ण देश) में पायी जाती है: वृहद परम्पराएं कहलाती हैं।

जैसे: रक्षा बन्धन, होली, दीपावली, दशहरा आदि। **मिल्टन सिंगर** ने वृहद परम्परा के भारतीय संदर्भ की चर्चा की और कहा कि ये परम्पराएं विद्यालयों व मंदिरो में पोषित होती हैं तथा ब्रम्हज्ञानी एवं साहित्यिक व्यक्तियों की परम्परा है। हिन्दुओं में विभिन्न धर्म-ग्रन्थ, मुसलमानो में कुरान, आदि इन परम्पराओं के आधार हैं।

रेडफील्ड ने इन अवधारणों का प्रयोग कृषक तथा शहरी समाज में अन्तर स्पष्ट करने के लिए किया था रेडफील्ड ने ग्रामीण समाज की परम्परा को अनौपचारिक तथा शहरी समाज की परम्परा को औपचारिक परम्परा कहा, यद्यपि ग्रामीण (कृषक समाज) व शहरी परम्पराएं एक दूसरे की पूरक हैं फिर भी इनके बीच कुछ संघर्षात्मक संबंध भी पाया जाता है इसी संदर्भ में रेडफील्ड ने **लोक-शहरी निरंतरता** (Rural Urban Continuum or Folk Urban Continuum) की अवधारणा का प्रतिपादन किया।

वृहद परम्परा	लघु परम्परा
1. लिखित होती हैं।	1. अलिखित होती हैं।
2. राष्ट्रीय स्तर पर पायी जाती हैं।	2. स्थानीय स्तर पर पायी जाती हैं।
3. शास्त्रीय, सांस्कृतिक होती हैं।	3. अशास्त्रीय अर्थात शास्त्रों में उल्लेख नहीं मिलता।
4. अधिक व्यवस्थित।	4. कम व्यवस्थित होती हैं।
5. अधिक चिन्तशील होती हैं।	5. कम चिन्तनशील होती हैं।

सार्वभौमीकरण तथा संकीर्णीकरण (Universalization and Parochilization):

मैकिम मैरियट

वैसे ये दोनो अवधारणाएं मैकिय मैरियट से संबंधित मानी जाती हैं लेकिन **संकीर्णीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 'मौरिस ओपलर'** (Morris E. Opler) ने किया था।

बाद में मैरियट ने स्थानीय धार्मिक विश्वासों पर अधिक बल दिया। इन अवधारणाओं का प्रयोग मैरियट ने लघु एवं वृहद परम्परा के मध्य सम्प्रेषण की प्रक्रिया को समझाने के लिए किया।

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

सार्वभौमीकरण (Universalization)

"मै इस पद का प्रयोग न केवल सांस्कृतिक चेतना बल्कि सांस्कृतिक विषय-वस्तुओं को आगे तथा ऊपर ले जाने वाली प्रक्रिया के रूप में करता हूं। जब लघु परम्परा के तत्व (स्थानीय देवी देवता, प्रथाएं, अनुष्ठान आदि ऊपर की ओर बढ़ते हैं, उनके फैलाव का क्षेत्र बढ़ता है तब वे वृहद परम्परा के स्तर तक पहुंच जाते हैं और उनका मूल स्वरूप परिवर्तित हो जाता है, तब इस प्रक्रिया को सार्वभौमीकरण कहते हैं।"-**मैरियट**

इससे निम्न बातें स्पष्ट होती है:

1. सार्वभौमीकरण का संबंध सांस्कृतिक प्रसार (Cultural Diffusion) से है।
2. सार्वभौमीकरण का तात्पर्य लघु एवं वृहद परम्पराओं के मध्य परस्पर अंत:क्रिया से है।
3. लघु परम्पराएं, वृहद परंपरा में परिवर्तित तो हो जाती हैं लेकिन स्थानीय स्तर पर अपना भी अस्तित्व बनाए रखती हैं।
4. सार्वभौमीकरण की प्रक्रिया मे निर्मित वृहद परम्पराएं, लघु परम्पराओं का ही परिष्कृत रूप होती है।

सार्वभौमीकरण की प्रक्रिया को मैरियट ने अपने **किशनगढ़ी के अध्ययन मे सौरती पूजा के रूप में बताया है**, सौरती देवी के साथ किशनगढ़ी के लोग लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं, समय बीतने के साथ ही यह सौरती देवी, लक्ष्मी में बदल गयी। लेकिन स्थानीय स्तर पर अभी भी दोनो की पूजा साथ-साथ होती है।

संकीर्णीकरण (Parochialization):

मैकिम मैरियट के शब्दों में "बोधगम्यता के क्षेत्र को सीमित करने, चिन्तनशील आयामो मे कमी लाने, स्थानीयकरण तथा साहित्यिक रूपों के अभाव की प्रक्रिया को संकीर्णीकरण कहेंगे।"

इससे संकीर्णीकरण के संबंध में निम्न बाते स्पष्ट होती हैं:

1. वृहद परम्परा के तत्व लघु परम्परा में शामिल हो जाते हैं।
2. चिन्तनशीलता में कमी होने लगती है तात्पर्य यह है कि विवेक व तर्को के आधार पर लघु परम्परा में वृहद परम्परा से आए तत्वों की व्याख्या नहीं हो सकती।
3. संकीर्णीकरण प्रक्रिया में स्थानीय विश्वासों व कर्मकांडो का महत्व बढ़ता जाता है।
4. संकीर्णीकरण प्रक्रिया में साहित्यिक रूपो का अभाव पाया जाता है तात्पर्य यह है कि यह अव्यवस्थित तथा कम चिन्तनशील होती है। जबकि वृहद परम्परा व्यवस्थित व चिन्तनशील होती है।

इस संबंध में **मैरियट ने अपने किशनगढ़ी के अध्ययन में 'नौरता पूजा' का उदाहरण दिया है**। मैरियट ने 'नौरता' को 'नवरात्रि' का अपभ्रंश माना और कहा कि 'नौरता' को 'संकुचित देवी' की संज्ञा दी। इस प्रकार दुर्गा का नौरता देवी में परिवर्तन संकीर्णीकरण का उदाहरण है। इस तरह निम्न जातियों द्वारा, गोवर्धनपूजा, नव दुर्गा पर्व, शुक्राचार्य में विश्वास, रक्षा बन्धन, सरस्वती पूजा, विजयादशमी पर्व आदि का मनाना 'संकीर्णीकरण' माना जाएगा।

संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रियाएं:

'सामाजिक परिवर्तन की संरचनात्मक प्रक्रियाएं सामाजिक संबंधों के जाल में होने वाले परिवर्तन है। जाति, नातेदारी, परिवार व व्यावसायिक समूह संरचनात्मकता के कुछ विशिष्ट पहलू हैं, इनके पूर्व निश्चित संबंधों में होने वाले परिवर्तन को संरचनात्मक परिवर्तन की श्रेणी में रखेगे। संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रियाओं के अंतर्गत निम्न को रखा जा सकता है:

1. औद्योगीकरण
2. नगरीकरण

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

3. आधुनिकीकरण

1. **औद्योगीकरण** (Industrialization):

विज्ञान: किसी वस्तु के विषय में क्रमबद्ध व सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं।

प्रौद्योगिकी (तकनीकि): प्रोद्यौगिकी वह तत्व है जो विज्ञान के उपयोग से संबंधित है। प्रौद्योगिकी का एक व्यावहारिक लक्ष्य होता है, तथा इसका विकास मानव को लाभ पहुंचाने के लिए हुआ है।

औद्योगीकरण:औद्योगीकरण प्रौद्योगिकी उन्नति की वह प्रक्रिया है जो सामान्य उपकरणों से चलने वाले घरेलू उत्पादन से लेकर-वृहद् स्तरीय कारखानो के उत्पादन तक सम्पन्न हुयी है।

Notepad

समाजशास्त्र में औद्योगीकरण

समाजशास्त्र में औद्योगीकरण उद्योगों के संरचनात्मक बदलाव के फलस्वरूप होने वाले सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया को व्यक्त करता है।

'मार्गन' प्रथम समाजशास्त्री थे जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन के तकनीकि कारणो पर प्रकाश डाला।

तकनीकि कारक के कारण सामाजिक परिवर्तन एक बड़ी संकल्पना है। औद्योगीकरण द्वारा सामाजिक परिवर्तन मात्र इसका एक हिस्सा है। औद्योगीकरण का तात्पर्य उत्पादन के नये साधनो के विकास से है। जैसे-जैसे उत्पादन के नये-नये साधनो का विकास होता गया है वैसे-वैसे 'श्रम विशेषीकरण' भी बढ़ता गया है। व्यक्ति की मानसिकता भौतिकवाद की ओर उन्मुख हो गयी है, एकल परिवारो की संख्या में तेजी से वृद्धि हुयी है, वर्ग की अवधारणा बलवती होती गयी है, जाति की जगह आर्थिक स्थिति व्यक्ति के स्तर का निर्धारण कर रही। तात्पर्य यह है कि औद्योगीकरण के कारण मानवीय संबंधो में वृहद परिवर्तन देखने को मिल रहा।

जाति एवं व्यवसाय में अलगाव एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है। स्त्रियों में स्वावलम्बन की भावना का विकास हुआ है। **प्रोफेसर सक्सेना** (R.N. Saxena) ने कहा है कि औद्योगीकरण के कारण द्वितीयक समूहो का महत्व बढ़ गया है। तकनीकि कारको के करण आए परिवर्तनो को भी संरचनात्मक परिवर्तन के अन्तर्गत रखा जाता है, औद्योगीकरण के अलावा संरचनात्मक परिवर्तन की अन्य प्रमुख कारक निम्नवत हैं:

मार्क्स ने तकनीकि को निम्न ढंग से परिभाषित किया है:

"तकनीकि प्रकृति के साथ मनुष्यों के व्यवहार एवं उत्पादन करने की प्रक्रिया को व्यक्त करती है, जिसके द्वारा वे अपेन जीवन का निर्वाह करते हैं। इसके द्वारा वे अपने सामाजिक संबंधों के प्रकार तथा उससे उत्पन्न होने वाली मानसिकता को व्यक्त करता है।"

अन्य शब्दो में: तकनीकि एक ज्ञान या विधि है जिसके सहारे व्यक्ति प्रकृति के साथ अभियोजन स्थापित करता है।

तकनीकि कारक:

1. औद्योगीकरण
2. यातायात तथा संचार:

आगवर्न तथा निमकॉफ ने रेडियो आविष्कार के फलस्वरूप हुये 150 परिवर्तनों पर प्रकाश डाला है।

नगरीकरण: समाज वाले Chapter में। लुई वर्थ-शिकागो स्कूल से संबंधित है।

आधुनिकीकरण:

आधुनिकीकरण अवधारणा का संबंध वैज्ञानिक मूल्यों से है यह किसी समाज और

NET, JRF Manish Singh Sir PG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

संस्कृति के घेरे में बन्द नहीं है, इस्र कई स्तरो पर देखा जा सकता है जैसे-व्यक्ति, समूह तथा समस्त समाज के स्तर पर आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति देखी जा सकती है।

अर्थशास्त्र में आधुनिकीकरण: प्राकृतिक संसाधनो का आधुनिक तकनीकि द्वारा समाज के अधिकतम आर्थिक कल्याण के लिए दोहन।

राजनीतिशास्त्र में आधुनिकीकरण: राष्ट्र निर्माण, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, प्रशासनिक सुधारों एवं सत्ता का विकेन्द्रीकरण।

Notepad

समाजशास्त्र में आधुनिकीकरण

1. समता मूलक समाज की स्थापना
2. जीवन-स्तर को ऊपर उठाना।

अत: स्पष्ट है कि आधुनिकीकरण एक मूल्य-धारित अवधारणा है (Value-leader-concept) है।

आधुनिकीकरण का प्रमुख विचारक वेबर को माना जाता है वेबर ने आधुनिकीकरण का अभिप्राय तर्कसंगतीकरण से माना।

आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया से पहले एक विचार है।

Rustow: आधुनिकीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक ज्ञान-मानवीय जीवन के उत्थान के लिए प्रयोग किये जाते हैं।

James O'Connel: O' Connel ने आधुनिकीकरण के अंतर्गत चलने वाली प्रक्रियाओं को तीन भागों में बांटा:

1. खोजी मनोवृत्ति (Inventive Outlook) का विकास।
2. खोजी मनोवृत्ति के कारण व्यक्ति समस्याओं के हल के लिए नये उपकरणों व तकनीकि का विकास करता है जिससे अंधविश्वासों में कमी आती है।
3. आधुनिकीकरण के कारण सामाजिक संरचना में लोचपन व खुला पन आता है।

योगेन्द्र सिंह: आधुनिकीकरण सार्वजनिक दृष्टिकोण से मुद्दो और उनके मूल्यांकन की तार्किक प्रवृत्ति है।

Parsons: आधुनिकीकरण का अभिप्राय सार्वभौमीकरण और अर्जन की ओर परिवर्तन से है।

वैरिंगटन मूर: वैरिंगटन मूर ने अपनी पुस्तक Dictetorship & Democracy में आधुनिकीकरण के तीन Path बतलाए:

1. Democratic revolutionary path
2. Dictetorship path
3. Communist revolution.

- इंकेल्स ने आधुनिकीकरण के मापन के लिए एक scale विकसित किया जिसे om scale कहते हैं।
- आधुनिकीकरण वह प्रक्रिया है जो किसी देश को अविकसित से विकसित की ओर ले जाती हैं।
- आधुनिकीकरण पारंपरिकता से आधुनिकता की ओर परिवर्तन है।
- Parsons ने कहा कि परम्परागत और आधुनिक समाजो में विरोधात्मक संबंध होता है, परम्परागत समाजों में विशिष्टता एवं प्रदत्त पर बद दिया जाता है। जबकि आधुनिकीकरण में सार्वभौमीकरण तथा अर्जन पर बल दिया जाता है। इंकेल्स ने इसी को आधार बनाकर 'om scale' बनायी।

भारत में आधुनिकीकरण

भारत में आधुनिकीकरण से संबंधित सामाजिक परिवर्तन का विचार **सर्वप्रथम एम.एन. श्रीनिवास** ने दिया।

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

Social change in modern India: में इन्होंने आधुनिकीकरण के संबंध में तीन प्रक्रियाओं का उल्लेख किया है:

1. संस्कृतिकरण
2. लौकिकीकरण (Secularisation)
3. पश्चिमीकरण

भारत में Secularisation का अर्थ: सर्वधर्म सम्भाव्य से लिया जाता है।

वेबर ने इसे Disinchantment कहा।

Srinivas:

1. आधुनिकीकरण Muti Dimensional process **(बहु आयामी प्रक्रिया)** है।
2. Value free है। आधुनिकीकरण **मूल्य धारित प्रक्रिया नहीं है।** परन्तु कभी-कभी इसका अर्थ अच्छाई या इच्छित परिवर्तन से लिया जाता है।

Srinivas ने आधुनिकीकरण की जगह पश्चिमीकरण को महत्वपूर्ण माना। तथा कहा कि "पश्चिमीकरण बाहय कारक है।"

D.P. Mukherjee:

भारत में आधुनिकीकरण दो संदर्भ में हुआ है:

1. परम्परा
2. पश्चिमी सभ्यता

Mukherjee, भी Parsons की तरह परम्परा और आधुनिकीकरण को परस्पर विरोधी मानते हैं। Mukherjee भारतीय परम्परा पर बल देते हैं।

"भारत में आधुनिकीकरण भारतीय परम्परा के संदर्भ में होना चाहिए अर्थात् परम्परा का आधुनिकीकरण होना चाहिए।"

Yogendra Singh:

'Modernisation in Indian Tradition'

"पारम्परिक संस्थाओं का स्वरूप अक्षुण हो सकता है परनतु आधुनिकीकरण को समाहित करने के लिए उनमें तात्विक रूप से भारी बदलाव आ सकते हैं।"

योगेन्द्र सिंह की दृष्टि एकीकरण पर थी। (Integrated approach of Modernity)

योगेन्द्र सिंह का मानना है कि भारत में आधुनिकीकरण, सामाजिक संरचना और संस्कृति में विश्लेषित किया जाना चाहिए।

योगेन्द्र सिंह ने भारतीय सामाजिक संरचना को दो भागों में बांटा:

1. सूक्ष्म (Micro)
2. वृहद (Macro)

इन्होंने माना की Micro label **पर आधुनिकीकरण नहीं हुआ** योगेन्द्र सिंह का सूक्ष्म (Micro) से आशय जाति, परिवार, नातेदारी और ग्रामीण समाज से है।

Macro **स्तर पर आधुनिकीकरण हुआ:**

1. वर्ग प्रणाली, राजनैतिक प्रणाली मे आधुनिकीकरण हुआ है।
2. नवीन अभिजन विकसित हुये हैं।
3. सीमित रूप से औद्योगीकरण हुआ है।
4. नगरीय समाज का विकास हुआ है।

योगेन्द्र सिंह ने संस्कृति के विश्लेषण में भारतीय समाज की 4 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया है:

1. पदसोपान (Hirarchy)
2. समग्रता (Wholism)
3. पारलौकिकता
4. निरन्तरता (Continuity)

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

भारत में सीमित अर्थ में सांस्कृतिक आधुनिकीकरण हुआ है-योगेन्द्र सिंह

S.C. Dubey:

- एस.सी. दुबे ने मुख्य रूप से मानवीय या सामाजिक विकास को आधुनिकीकरण की संज्ञा दी।
- आधुनिकीकरण value free है। इसके लिए कोई निश्चित मॉडल नही होना चाहिए-दुबे।
- परम्पराएं और आधुनिकीकरण विरोधाभासी हैं, आधुनिकीकरण का अभिप्राय उन्नत आर्थिक स्थिति या जीवन जीने का गुण, साक्षरता एवं शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनैतिक एवं मानवीय अधिकार से है।
- आजादी के बाद राज्य के हस्तक्षेप के कारण सीमित अर्थो में आधुनिकीकरण हुआ है।
- आधुनिकीकरण के अन्दर एस.सी. दूबे ने मुख्यत: तीन बातों का उल्लेख किया है:
 1. समस्याओं के हल के लिए जड़-शक्ति का प्रयोग।
 2. जटिल संगठनों का निर्माण।
 3. जटिल संगठनों में कार्य करने के लिए समाज तथा संस्कृति में बदलाव।

रूडोल्फ एवं रूडोल्फ:

1. Modernity and Tradition
2. Gandhi

रूडोल्फ ने **राजनैतिक आधुनिकीकरण** की बात कही अंग्रेजो ने भारत में आधुनिकीकरण की नींव रखी, भारत में जाति व राजनीति के बीच संबंध तीन रूपों में मिलता है।

1. **उदग्र गतिशीलता** (Vertical Mobility): (संबंध) उच्च जाति/परम्परागत वफादारी
2. **क्षैतिज गतिशीलता** (Horizontal Mobility): हर जाति का अपना संगठन।
3. Differential Mobility: राजनीति, जाति को राजनैतिक स्वार्थ के लिए अलग कर देती है।

Milton Singer: When a great tradition Modernises

जब महान परम्परा आधुनिकीकृत होती हे तो उसका आधुनिकीकरण नहीं होता बल्कि आधुनिकीकरण का परम्परायीकरण हो जाता है।

सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं

उद्विकास (Evolution)

उद्विकास शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जीव विज्ञान में चार्ल्स डार्विन द्वारा किया गया।

"प्रत्येक जीव की संरचना सरलता से जटिलता की ओर बढ़ती है। तथा यह प्रक्रिया प्राकृतिक चयन (Natural Selection) पर आधारित है।"-**डार्विन**

स्पेन्सर ने डार्विन के सिद्धान्त का प्रयोग सामाजिक परिवर्तन के सिद्धान्त में किया:

"सामाजिक परिवर्तन कुछ आंतरिक शक्तियों (Internal Forces) के कारण होता है तथा उद्विकास की प्रक्रिया-चरणबद्ध होता है"। - **स्पेन्सर**

उद्विकास: विशेषताएं:

1. **सरल से जटिल की ओर** परिवर्तन उद्विकास है।
2. यह **आन्तरिक शक्तियों** के कारण होता है।
3. **चरणबद्ध प्रक्रिया** है।
4. **निश्चित दिशा** में होता है। (लेकिन दिशा कौन सी होगी यह निश्चित नहीं होता)

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

5. **सिंधी गोस्वामी: गुणात्मक** (Qualitative Change) **परिवर्तन है। संख्यात्मक** (Quantitative) भी होता है।
6. **निरन्तर** होता रहता है। **धीमी गति** से।
7. जैसे-जैसे उद्विकास होता जाता है वस्तु या जीव के अंगों में कार्य का पृथक व स्पष्ट विभाजन होता जाता है।
8. **उद्विकास** = आन्तरिक बल+ निरंतर परिवर्तन + निश्चित दिशा + गुणात्मक अन्तर (परिवर्तन) + ढांचे व कार्य में भिन्नता।
 "उद्विकास विकास के आगे की चीज है" - **मकीवर व पेज**
 "Evolution Means More Than Growth" - **मकीवर व पेज**
9. "उद्विकास किसी तत्व का समन्वय या उससे संबद्ध वह गति है जिसके दौरान वह तत्व एक निश्चित असम्बद्ध भिन्नता में बदलता है।" Spencer।अर्थात् उद्विकास में परिवर्तन की दिशा समता से विषमता की ओर होती है।
10. उद्विकास **विभेदीकरण की एक प्रक्रिया है।**
 - उद्विकास के कारण ही प्रत्येक अंग का एक विशिष्ट कार्य निर्धारित हुआ है।
11. उद्विकास में चरणो की पुनरावृत्ति नहीं होती।
12. उद्विकास **सार्वभौमिक** प्रक्रिया है।
13. यह एक **मूल्य रहित** (value-free) प्रक्रिया है, अर्थात् इसमें अच्छाई या बुराई का ज्ञान नहीं होता।

उद्विकास के स्वरूप (Forms of Evolution):

1. **समरेखीय** (Unilinear Evolution): मार्गन, काम्ट, बैकोफन, टायलर, डेड्डन, लेविब्रुहल

 A उद्विकास B C D

2. **बहुरेखीय** (Multilinerr): **जुलियन स्टीवर्ड**
 विश्व के सभी समाज और संस्कृतियां उद्विकास के समान क्रम से नहीं गुजरी।
 उद्विकास क्रम पहला समाज: A B C D
 दूसरा समाज: A C D B भी हो सकता है।
3. **चक्रीय या पैरावोलिक उद्विकास** (Cyclic or Parabolic Evolution): **लेस्ली व्हाइट**
 उद्विकास घड़ी के पेन्डुलम की तरह।
 यह उद्विकास का नवीनतम मत है अत: इसके समर्थकों को **नव उद्विकास** वादी कहा जाता है।

कोई भी सामाजिक संस्था एक विशिष्ट रूप में प्रारंभ होती है- धीरे-धीरे उत्पत्ति के विपरीत दिशा में विकसित होती है, लेकिन इस समय उद्विकास होता रहता है अर्थात् संस्था जटिल होती जाती है, जब यह अन्त में अपनी उत्पत्ति की दिशा में पहुंचती है तब यह अधिक विकसित (जटिल) हो चुकी होती है।

प्रगति PROGRESS

समाजशास्त्र में प्रगति की अवधारणा Comte **व** Hobhouse **ने प्रयोग की।**
हाबआउस: प्रगति के साथ एक नैतिक उपयुक्तता भी आवश्यक है।
Necessarity of Ethical Load in Progress - Hobhouse:
उद्विकास मे दिशा तो होती है, लेकिन यह दिशा कौन सी होगी इसका निश्चय नहीं हो पाता। जब यह बता दिया जाय कि यह दिशा कौन सी होगी, या दिशा समाज के स्वीकृत मूल्यों की होगी तब इसे प्रगति गहते हैं। **अन्य शब्दों में:**

"प्रगति समाज द्वारा स्वीकृत मूल्यों को ओर परिवर्तन है जिसका अन्तिम लक्ष्य

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

मानव कल्याण करना है।"

1. प्रगति सामाजिक परिवर्तन की एक **निश्चित दिशा** को बताती है।
2. इसकी दिशा **समाज कल्याण तथा सामूहिक हित** की ओर होती है।
3. प्रगति एक **योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन** है। (Planned Social Change)
4. प्रगति **तुलनात्मक** है।

"एक समाज में वही घटना प्रगति तो दूसरे में प्रगति नहीं मानी जाएगी तात्पर्य यह है कि प्रगति **स्थान व समय सापेक्ष** होती है। जैसे: जर्मनी में जनसंख्या वृद्धि प्रगति मानी जाती है।

भारत में जनसंख्या वृद्धि प्रगति नहीं मानी जाएगी।

5. प्रगति मूल्य धारित (value-loaded) अवधारणा है।

अच्छाई का मूल्य है।

6. प्रगति व्यक्तिगत नहीं होती, उद्विकास व्यक्तिगत हो सकता है। प्रगति में **सामूहिकता की भावना** होती है।

किसी का ज्ञान संचय उद्विकास होगा प्रगति नहीं।

7. प्रगति की गति उद्विकास से तीव्र होती है।

उद्विकास प्रगति में तुलना।

	उद्विकास	**प्रगति**
1.	स्वत: होने वाली प्राकृतिक प्रक्रिया।	1. सुनियोजित परिवर्तन।
2.	सामूहिक कल्याण की भावना नहीं होती।	2. सामूहिक कल्याण अन्तिम लक्ष्य होता है।
3.	मूल्य-स्वतन्त्र (value-free) अवधारणा है।	3. मूल्य-धारित (value-loaded) अवधारणा है।
4.	जीव विज्ञान से संबंधित अवधारणा है।	4. इतिहास-दर्शन से संबंधित अवधारणा है।
5.	गति धीमी होती है।	5. गति तीव्र होती है।
6.	विश्वव्यापी प्रक्रिया है।	6. समाज, समय, स्थान विशेष से संबंधित प्रक्रिया है।
	- सभी समाजो में होगा।	- एक समाज के लिए अच्छी तो दूसरे के लिए बुरी भी हो सकती है।

सामाजिक प्रगति के मापदण्ड (Tests of Social Progress)

पीगू:

आर्थिक कल्याण।

हार्नेल हार्ट:

1. आयु का अधिक होना
2. मानसिक स्वास्थ
3. अवकाश का अधिक होना।

हाव हाउस:

1. उचित जनसंख्या
2. कार्यकुशलता
3. स्वतन्त्रता
4. पारस्परिक सेवा की प्रवृत्ति

विकास (Development)

सामाजिक विकास समाज का विकास की ओर उन्मुख परिवर्तन है जिसमे निश्चित उद्देश्यो की प्राप्ति के लिए नियंत्रित व जागरूक प्रयत्न किये जाते हैं।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

हाब हाउस ने प्रगति, विकास, उद्विकास का प्रयोग एक ही अर्थ में किया था।

सामाजिक आर्थिक विकास की माप:

PQLI: Physical Quality of Life Index: जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक

मारिश डी. मॉरिश, टिन वर्जन

तीन सूचकांको का प्रयोग होता है:

1. जीवन प्रत्याशा
2. बाल मृत्युदर
3. साक्षरता

मानव विकास सूचकांक (Human Development Index-HDI):

महबूबुल हक

1. जन्म के समय जीवन प्रत्याशा
2. शैक्षणिक उपलब्धि
3. प्रति व्यक्ति आय

0.8 या इससे ऊपर HDI: उच्च मानवीय विकास वाले देश

0.5-0.799 HDI:मध्यम मानवीय विकास वाले देश

0.5 से कम HDI: निम्न मानवीय विकास वाले देश

वर्तमान में भारत का स्थान 128 वां है। भारत एक मध्यम मानवीय विकास वाला देश है।

Human Poverty Index (HPI):

उद्विकास (Evolution)	**विकास** (Development)
1. किसी भी दिशा मे हो सकता है।	1. केवल ऊर्ध्वगामी (upward) दिशा में होता है।
2. यह स्वत: होता है।	2. नियोजित होता है।
3. मानव के सम्पूर्ण सामाजिक जीवन से संबंधित है।	3. सामाजिक जीवन के कुछ पक्षो से संबंधित है।
4. तटस्थ तथा मूल्य रहित (value-free) अवधारणा अर्थात अच्छाई-बुराई का ज्ञान नहीं होता।	4. तटस्थ प्रक्रिया नहीं है तथा कुछ हद तक मूल्य-धारित है।
5. अचेतन प्रक्रिया	5. जागरूक प्रयत्नो द्वारा किया जाता है।
6. सभी समाजो में निश्चित क्रम में घटित होता है।	6. निश्चित क्रम नहीं होता।

प्रगति-विकास में समानताएं:

1. दोनो से अच्छाई का ज्ञान होता है-मूल्य धारित है।
2. दोनो से गुणात्मक (Qualitative Change) परिवर्तन का बोध होता है।
3. दोनो नियोजित परिवर्तन है। अर्थात सचेत व जागरूक प्रयत्नो द्वारा लाये जाते हैं।

अन्तर:

प्रगित (Progress)	**विकास** (Drvrlopment)
1. साध्य है।	1. साधन है।
2. बिना प्रगति के विकास संभव है।	2. बिना विकास के प्रगति नहीं हो सकती।
3. प्रगति, अभौतिक संस्कृति से संबंधित है। - मूल्यो, विचारों में प्रगति होती है विकास नहीं।	3. भौतिक संस्कृति से संबंधित है। - यातायात के साधनो का विकास होता है प्रगति नहीं।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

4. सीमित अवधारणा, परिवर्तन के छोटे क्षेत्र को दर्शाती है।	4. व्यापक अवधारणा, बड़े क्षेत्र से संबंधित है।
5. प्रगतिशील अवधारणा है। सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन के साथ प्रगति के लक्ष्य बदल जाते हैं।	5. अपेक्षाकृत स्थायी अवधारणा है।

- वृद्धि Growth वृद्धि में सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन होता है।

Notepad

सामाजिक आंदोलन (Social Movement)

"सामाजिक आंदोलन को एक ऐसे सामूहिक प्रयास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका लक्ष्य सामान्य हित बढ़ाना होता है। सामान्य हित को प्राप्त करने के लिए किया गया सूहिक प्रयास कभी-कभी मान्य या स्थापित संस्थाओ से बाहर चला जाता है।"

- एन्थेनी गिडेन्स

विशेषताएं:

1. सामूहिक प्रयास
2. सामान्य हित
3. परम्परागत व्यवस्था के विरोध में स्थापित/नव व्यवस्था की स्थापना के लिए
4. कुछ नियम कानून होते है लेकिन नौकरशाही जैसे नहीं।

विश्वविद्यालय एक औपचारिक संगठन है आंदोलन नहीं-नियम कानूनो की अधिकता, नियमो के बाहर नहीं जा सकते।

(Interest Group) **स्वार्थ समूह (हित समूह):**

आंदोलन परंपरागत व्यवस्था के विरोध में होता है जबकि हित समूह का निर्माण नीति-निर्धारको को अपने हित में प्रभावित करने के लिए होता है।

प्रकार:

(David Aberle) **आबर्ली ने चार प्रकार के सामाजिक आंदोलन बताएं हैं:**

1. **रूपान्तरकारी आंदोलन** (Transformative Movement):
 उद्देश्य: बुनियादी सामाजिक परिवर्तन
 फ्रांसीसी क्रांति:, नक्सलवादी आंदोलन, तेलंगाना, तेभागा।
2. **सुधारात्मक आंदोलन** (Reformative Movement): 'समाज, धर्म में सुधार'- उद्देश्य
 - ब्रम्हसमाज, सूफी आंदोलन।
 - थियोसोफिकल सोसायटी, सत्यशोधक समाज।
3. **मुक्ति आंदोलन** (Redemptive Movement): 'बुराईयों से मुक्ति' . उद्देश्य
 - विभिन्न धर्म सुधार आंदोलन
 - रिश्वतखोरी के विरोध में चलाए आंदोलन।
 - अछुतोद्धार आंदोलन।
4. **वैकल्पिक आंदोलन** (Alternative Movement): व्यक्ति के जीवन मे आंशिक परिवर्तन के लिए चलाए गए आंदोलन।
 - शराब खोरी।
 - नशा खोरी के विरोध में चलाए गये आंदोलन।
 - वैकल्पिक आंदोलन मुख्यत: आदतो व मानदण्डासे में परिवर्तन के लिए चलाए जाते हैं।

हर्टन तथा हांट ने 6 प्रकार के आंदोलनो की चर्चा की है:

1. प्रवासीय आंदोलन
2. स्वप्न चिन्तनीय आंदोलन
3. अभिव्यक्ति पूर्ण आंदोलन

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

4. प्रतिरोधक आंदोलन
5. सुधारात्मक आंदोलन
6. क्रान्तिकारी आंदोलन (रूपान्तरकारी)

Rush and Deni Soff **(रश एवं डेनी सोफ) आंदोलनो के दो प्रकार की चर्चा की:**

1. अभिक्रियावादी आंदोलन
2. प्रतिक्रियावादी आंदोलन

Notepad

आंदोलन

मर्टन: सामाजिक आंदोलन सापेक्ष वंचना के कारण होते हैं।

स्पेन्सर: किसी समाज में नया दबाव या तनाव आंदोलन को जन्म देते हैं।

जानसन: आंदोलन असंतुलन से पैदा होते हैं।

चार्ल्स टिली: जब समाज में ऐसे संगठन उत्पन्न हो जाते हैं जो लोगों का Mobelization, इकट्ठा करने तथा जनजागरण करने मे सक्षम होते हैं तभी आंदोलन होते हैं।

'नयी विचारधारा' भी आंदोलन को जन्म देती है।

सहस्त्राब्दि आंदोलन (Millenium Movement): जिस आंदोलन में धार्मिक व सामाजिक मुद्दे एक साथ मिले हो उसे सहस्त्राब्दि आंदोलन कहते हैं। जैसे कि दलित आंदोलन

नव आंदोलन (Allen Touraine):

- नव आंदोलन, नये मुद्दो के आंदोलन कहे जाते हैं।
- यह मात्र आर्थिक मुद्दो के आंदोलन नहीं होते।
- इसके अंतर्गत हरित आंदोलन, शांति आंदोलन, राजनीतिक स्वायत्तता के आंदोलन आदि आते हैं।

The May Movement: Allen Touraine

इसके अंतर्गत विद्यार्थियों के आंदोलन आते हैं।

Neil Smelser **ने सामाजिक आंदोलन की 6 दशाओं की चर्चा की है:**

1. संरचनात्मक व्यवधान (Structural Incondicineness)
2. संरचनात्मक तनाव (Structural Strain)
3. सामान्य विश्वास (Generalized Belief)
4. उत्प्रेरक कारक (Precipitating Factor)
5. समन्वित समूह (Co-ordinate Group)
6. नियन्त्रणात्मक एजेन्सियो का विचार (Operation of S.C.)

1. **संरचनात्मक व्यवधान** (Structural Incondicineness): जब समाज की सामान्य दशाएं किसी समूह विशेष के विकास या आकांक्षाओं को अवरूद्ध करती हैं तो ऐसे में सामाजिक आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार होती है।
 जैसे कि: महार आंदोलन
2. **संरचनात्मक तनाव** (Structural Strain):जब पुराने मूल्यों व नये मूल्यों में विरोधाभास होता है तो ऐसे में सामाजिक संरचना में तनाव उत्पन्न हो जाता है फलत: आंदोलन।
 पुराने मूल्य: नये मूल्य:
 नारी की निम्न स्थिति स्वतन्त्रता, समानता
 तनाव
 नारीवादी आंदोलन
3. **सामान्य विश्वास** (Generalized Belief): जब समाज का सामान्य मत किसी विशेष विचारधारा से प्रभावित होकर आंदोलन के लिए क्रियाशील हो जाता है।

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

- सामान्य विश्वास: प्रदूषण समाज के लिए हानिकारक है फलत: प्रदूषण मुक्ति आंदोलन।

4. **उत्प्रेरक कारक** (Precipitating Factor): जब कोई विचारधारा या नेतृत्व जनता को सामाजिक आंदोलन के लिए कहे और जनता उत्प्रेरित होकर आंदोलन की शुरूआत करे।
 - बन्द का आह्वान।
5. **समन्वित समूह** (Co-ordinate Group): नेतृत्व व संगठन आंदोलन के लिए आवश्यक होते हैं, ये वातावरण का निर्माण करते हैं।
 - पशुओं से संबंधित क्रूरता, विरोधी आंदोलन।
6. **नियन्त्रणात्मक एजेन्सियो का विचार** (Operation of S.C.): सरकारी एजेन्सियां प्रेरक का काम करें।
 - पोलियो मुक्ति आंदोलन।
 - परिवार नियोजन आंदोलन।

MSA Rao **ने** 'Social Movement in India' **में 4 प्रकार के आंदोलन बताएं:**

1. Migratory Movement
2. Sequential Migration
3. क्रान्तिकारी आंदोलन
4. प्रतिक्रियावादी आंदोलन (परिवर्तन के विरोध में आंदोलन)

1. Migratory Movement: जनता अपने भविष्य के लिए एक जगह से दूसरी जगह प्रवजन कर जाती है।
 - यहूदियों का इज्राएल जाना।
 - हिन्दुओं का विभाजन के समय भारत आना।

सामाजिक आंदोलन के सिद्धान्त:

द इन्टरनेशनल इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज के अनुसार आंदोलन: सामाजिक आंदोलन, परिवर्तन लाने के सामूहिक प्रयासों का एक प्रकार है। ये प्रयास इस बात के हो सकते हैं कि कुछ सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन लाया जाय या एक पूर्णतया सामाजिक व्यवस्था का सृजन किया जाय अथवा ये प्रयास उस सामाजिक रूप से साझी मांग का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं जो सामाजिक व्यवस्था के कुछ पक्षों में परिवर्तन लाएं।

सामाजिक आंदोलन की विशेषताए

1. सामाजिक आंदोलन मे अनायासता व निरंतरता एक साथ पायी जाती हैं:

अनायासता: अनायासता से तात्पर्य अचानक उत्पत्ति से है। ये किसी समस्या, परिवर्तन के विरोध में अचानक उत्पन्न होते हैं। ये Pre planed (पूर्व नियोजित) नहीं होते। अनायासता के कारण ही सामाजिक व संस्थाकृत आंदोलन (श्रमिक संघ, सहकारी संघ) से अलग हो जाते हैं।

संस्थाकृत आंदोलन (रमिक संघ, सहकारी संघ) आदि अनायास उत्पन्न नहीं होते लेकिन इनमे भी निरंतरता पायी जाती है।

निरंतरता: निरंतरता का अर्थ लगातार लम्बे समय तक बने रहने से है।

निरंतरता के कारण ही भीड़ व सामाजिक आंदोलन में अन्तर किया जाता है। भीड़ में अनायासता तो पायी जाती है लेकिन निरंतरता नहीं।

2. सामाजिक आंदोलन जनता की सामूहिक क्रियाओं के परिणाम है:
 लोगो की लघु क्रिया नहीं बल्कि सामूहिक (वृहद) क्रिया सामाजिक आंदोलन है। लेकिन हर सामूहिक क्रिया आंदोलन नहीं होती–भीड़, संस्थाकृत आंदोलन आदि।
3. दीर्घकालिक सामूहिकता: निरंतरता।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir FG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

4. सामाजिक आंदोलनों में पदक्रम की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती।
कभी-कभी हो सकती है, लेकिन निश्चित नहीं है।

"सामाजिक आंदोलन लोगो के वृहद समूह द्वारा की गयी वह सामूहिक क्रिया है जो समाज में परिवर्तन लाना या रोकना चाहती है तथा इसमे अनायासता व निरंतरता एक साथ पायी जाती है।"

Notepad

सामाजिक आंदोलन के सिद्धान्त (Factor or Theories of social Movements)

1. **सापेक्षिक वंचन सिद्धान्त** (Relative Deprivation theory): इस सिद्धान्त के सर्वप्रथम उल्लेख का श्रेय अमेरिकी विद्वान **स्टॉफर** (Stawffer) को जाता है। इन्होंनें अपनी पुस्तक 'The American Soldiers' में इसकी सविस्तार चर्चा की है।

यह सिद्धांत मानता है कि जब कोई समूह दूसरे समूह की अपेक्षा वंचित महसूस करता है तब संगठित होकर किसी न किसी आन्दोलन को जन्म देते हैं।

आलोचनाएं:

(i) **रूनसीमैन के अनुसार**, विश्व की आधी आबादी घोर वंचनाओं की शिकार है। ऐसे में तो लाखों आन्दोलन होते रहने चाहिए।

(ii) **एबाटले** ने इससे बेहतर मार्क्स के संघर्षवादी आन्दोलन को माना।

2. **तनाव सिद्धांत** (Strain theory) **(1962)**

यह सिद्धांत अमेरिकी समजाशास्त्री **स्मेलसर** (Neil j Smelser) ने प्रतिपादित किया। यह **संरचनात्मक प्रकार्यवादी दृष्टिकोण** प्रतीत होता है।

इनके अनुसार, किसी भी समाज की स्थिरता को बनाए रखने में समाज के मूल्य, मानदंड़ों, प्रतिमानों आदि की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। सभी समूह इसके प्रति अपनी स्वीकार्यता रखते है। फलस्वरूप सामाजिक स्थिरिता बनी रहती है।

परन्तु यही मूल्य, मानदंड आदि सामाजिक संरचना में किसी समूह या भाग के लिए तानाव का कारण बन जाता है । यह समूह इन मूल्यों, मानंदडों पर प्रश्न करने करने लगता है, तथा संगठित प्रयास से उससे निकलने का प्रयास करने लगता है।

पश्चिम में नारीवादी आन्दोलन या भारत में ब्रिटिश काल के जाति आन्दोलन इसके उदहारण हो सकते हैं। यह सिद्धांत उन समाजों पर अधिक लागू होता है, जो परंपरा तथा आधुनिकता के संक्रमण से गुजर रहे हैं।

3. **पुनर्निर्माण सिद्धांत** (Revitalization theory) 1956: इस सिद्धांत के प्रतिपादक **वॉलेश** (Wallance) हैं। 'सापेक्षिक वंचन' तथा 'तनाव सिद्धांत' से यह प्रतीत होता कि 'सामाजिक आन्दोलन' सदैव नकरात्मक कारणों से होते हैं। जब कि वॉलेश मानते है कि "सामाजिक आन्दोलन एक समाज के सदस्यों द्वारा अपने लिए एक अधिक संतुष्टि प्रदान करने वाली संस्कृति के निर्माण के लिए किया जाने वाला स्वैच्छिक, संगठित एवं जागरूक प्रयत्न है।"

वॉलेश ने सामाजिक आन्दोलन के चार चरणों की चर्चा की है।-

(i) सांस्कृति स्थिरता का काल
(ii) तनाव काल
(iii) सांस्कृतिक विघटन का काल
(iv) पुनर्निर्माण का काल

एम. एस. ए राव ने इन तीनों सिद्धांतों में सापेक्षिक वंचन सिद्धांत को सबसे बेहतर माना। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह संघर्ष के द्वारा परिवर्तन के प्रयासों पर बल देता है, जो संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से वास्तविक प्रतीत होता हैं।

NET, JRF Manish Singh Sir PG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत
(Theories of Social Change)

Notepad

सामाजिक परिवर्तन क्यों और कैसे होता है, यह समाजशास्त्र की एक प्रमुख विषय वस्तु है। प्रारंभ में तो सामाजिक परिवर्तन दार्शनिकों की विषय-वस्तु रही, पर आज दार्शनिकों का स्थान समाजशास्त्रियों ने लिया है। वस्तुतः समाजशास्त्र का उद्भव भी सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या के लिए ही हुआ। अधिकांश पश्चिमी समाजशास्त्रियों एवम मानवशास्त्रियों ने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या अपने-अपने ढंग से की है। फलस्वरूप, सामाजिक परिवर्तन के अनेक सिद्धान्त विकसित हुए। समाजशास्त्रीय सिद्धांत की प्रकृति के अनुसार इसे हम मुख्यतः चार भागों में बाँटते हैं:

- उद्विकासीय सिद्धान्त
- चक्रीय सिद्धान्त
- संघर्ष सिद्धान्त
- प्रकार्यात्मक सिद्धान्त

उदविकासीय सिद्धान्त को भलीभांति स्पष्ट करने के लिए इसे दो भागों में विभक्त करते हैं, वे है-रेखिक एवम बहुरेखिक सिद्धान्त के प्रमुख प्रणेताओं की श्रेणी में अगस्त कौंत, हर्बट स्पेन्सर, एल .एच. मार्गन, एल.टी. हॉबहाउस आदि।

मैक्स वेबर भी उद्विकासीय सिद्धांत में विश्वास रखते थे इसलिए उन्हें भी रेखिक परिवर्तन की श्रेणी में रखा जा सकता है। समाजशास्त्री **आगर्बन** ने अपनी रचना में उद्विकास को एक बहुरेखीय प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया है। कुछ मानव-शास्त्रियों ने भी इस तथ्य को स्वीकारा है। उनके अनुसार परिवर्तन सदा एक ही क्रम एवम दिशा में नहीं होता है।

बहुरेखिक सिद्धान्त के प्रणेताओं की श्रेणी में गर्डन चाइल्ड, लेस्ली ह्वाइट, जे. एच. स्टूवर्ड, विलियम एफ. ऑगबर्न आदि हैं। इन लोगों को बहुधा **नव उद्विकासवादी** कहा जाता है। 19वीं सदी के विकासवादी विचारकों के उद्विकास के सिद्धान्त में प्रगति की बात अंतर्निहित थी। वहीं आज के उद्विकासीय सिद्धान्त के समर्थक विकास की जगह **समायोजित क्षमता** (Adaptive Capacity) की बात करती हैं। आज बहुरेखिक उद्विकास के सिद्धान्त के प्रखर समर्थकों में टालकाट पारसन्स का नाम सबसे आगे आता है।

यहाँ प्रमुख उद्विकासीय सिद्धान्तों की एक ऐतिहासिक क्रम में चर्चा की जा रही है।

ऑगस्त कौंत (1798-1857)

समाजशास्त्र के तथाकथित जनक, इनका समाजशास्त्रीय योगदान, उद्विकास सिद्धान्त की पुष्टि करता है। इनके अनुसार मानव का बौद्धिक विकास तीन चरणों से गुजरता है। मानव समाज के एक चरण से दूसरे चरण में प्रवेश करने से, समाज में जटिलता एवम गहनता बढ़ती जाती है। यहाँ संक्षेप में 3 **अवस्थाओं** की चर्चा की जा रही है जो इस प्रकार है:

धर्मशास्त्रीय (Theological), तात्त्विक (Metaphysical) एवम् प्रतयक्षवादी (Positivistic)।

1. **धर्मशास्त्रीय या काल्पनिक स्तर** (Theological or Fictitious Stage):
 इस स्तर में समस्त घटनाओं के पीछे अलौकिक शक्ति का हाथ माना जाता है। कौंत ने इस धार्मिक स्तर के भी तीन उप-स्तरों की चर्चा की
 (i) वस्तु पूजा
 (ii) बहुदेववाद
 (iii) एकेश्वरवाद।
2. **तात्विक या अमूर्त स्तर (Metaphysical or Abstract stage) :** इस स्तर में प्रत्येक घटना के पीछे अमूर्त एवं निराकार शक्ति का हाथ माना गया। इस स्तर

NET, JRF Manish Singh Sir PG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

में सत्ता का आधार दैवी अधिकार के सिद्धान्त होते थे। राजा की सत्ता की जगह धनिक तंत्र या कुबेर तंत्र की व्यवस्था चलने लगी।

3. **प्रत्यक्षवादी स्तर** (Positivistic Stage): यह समाज एवं मानव मस्तिष्क के उद्विकास का अंतिम चरण है। इस स्तर में ही मानवता का धर्म एवम प्रजातंत्र का विकास होता है।

यदि कौंत के विज्ञानों के सोपानक्रम को देखा जाये तो गणित, खगोलशास्त्र, भौतिकशास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणिशास्त्र एवं समाजशास्त्र का सिद्धान्त भी एक उद्विकासीय सिद्धान्त है।

Notepad

एल.एच. मॉर्गन

अमरीकी मानवशास्त्री मार्गन ने सामाजिक-सांस्कृतिक उद्विकास की चर्चा की है। उन्होंने अपनी पुस्तक Ancient Socials1872 में उद्विकास की 3 मुख्य स्तरों का उल्लेख किया है।

1. जंगली
2. बर्बर
3. सभ्य

1. **जंगली स्तर:**
 - यौन संबंधों में स्वच्छन्दता
 - सरल जीवन
 - जंगलों में भटकाव।
2. **बर्बर स्तर (धातु युग):**
 - बर्तनों के बनाने एवम उसके प्रयोग की कला माना है।
 - संपत्ति की धारणा का विकास
 - परिवार का स्वरूप थोड़ा विकसित।
3. **सभ्य स्तर (अन्तिम स्तर)**
 - सभ्य अवस्था की शुरूआत अक्षरों के लिखने और पढ़ने की कला से मानी जाती है।
 - समाज में प्रजातंत्रात्मक सिद्धान्तों की स्वीकृति मिली राज्य को एक कल्याणकारी संस्था माना गया।
 - मार्गन ने प्रौद्योगिक विकास को सामाजिक उद्विकास का मुख्य कारक माना है। कार्ल मार्क्स के विचारों पर मार्गन का महत्वपूर्ण प्रभाव था।

परिवार का उद्विकास बताते हुए मार्गन ने आरंभ में परिवार एवं विवाह नाम की संस्था होने से इंकार किया, व आरंभिक काल में **यौन साम्यवाद** की स्थिति को दर्शाया।

मॉर्गन (1870) ने परिवार के उद्विकास के **पाँच स्तरों** का उल्लेख किया है:

1. **समरक्त परिवार:**
 - प्रथम चरण है उद्विकास का
 - यौन संबंध के स्थापित नियमों का सर्वथा अभाव
2. **पुनालुअन परिवार:**
 - समूह विवाह का प्रचलन
 - एक परिवार के सभी भाइयों का विवाह दूसरे परिवार की सभी बहनों के साथ होता था।
3. **सिण्डियास्मियन परिवार:**
 - एक पुरुष का विवाह एक स्त्री से होता था, लेकिन परविार के सभी पुरुष सभी विवाहित स्त्रियों के साथ समान रूप से यौन संबंध स्थापित कर सकते थे।

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

4. **पितृसतात्मक परिवार:**
 - पुरुषों का वर्चस्व।
5. **एक-विवाही परिवार:**
 - उद्विकास का अंतिम और आधुनिक स्तर है
 - एक पुरुष किसी एक ही स्त्री से विवाह करता है।

Notepad

कार्ल मार्क्स (1818-1883)

जर्मन दार्शनिक मार्क्स ने भी सामाजिक परिवर्तन की उद्विकासीय व्याख्या प्रस्तुत की है। उनके अनुसार समाज का एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने की प्रक्रिया के पीछे वर्ग संघर्ष का मुख्य योगदान होता है।

उन्होंने अपनी पुस्तक German Ideology में स्वामित्व के विकास के संबंध में **चार सोपानों** की चर्चा की है:

- जनजातीय
- पुरातन
- सामंती
- पूंजीवादी

उन्होंने अपनी पुस्तक Critique of Political Economy एवं Pre-Capitalist Economic Formation में उत्पादन के तरीकों के चार स्तरों की चर्चा की, वे इस प्रकार है एशियाई, पुरातन, सामन्ती एवम पूंजीवादी।

उनके द्वारा दिए गए उद्विकास के विभिन्न स्तरों का विवरण निम्न प्रकार है:

1. **आदिम साम्यवादी समाज:**
 - मानव समाज का प्रथम चरण।
 - उत्पादन के साधनों पर समुदाय का पूर्ण नियंत्रण।
 - व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा का अभाव।
 - न शोषण था।
 - न वर्ग व्यवस्था।
 - वर्गविहीन समाज था।
2. **दास-मूलक समाज:**
 - निजी स्वामित्व का विकास हुआ।
 - आर्थिक विकास तीव्र हुआ।
 - व्यापार, नगरों का निर्माण।
 - धातुओं का प्रयोग।
3. **सामंती समाज:**
 - सामन्त और कृषि दास दो वर्ग थे।
 - सामन्त उत्पादन के साधनों के स्वामी थे।
 - कृषि दास सामंतो के अधीन कार्यों में हाथ बंटाते थे।
4. **पूंजीवादी समाज:**
 - सामन्तों एवम कृषिदासों के बीच पारस्परिक संघर्ष के परिणाम स्वरूप उत्पत्ति।
 - इस समाज में भी मुख्य दो वर्ग है-पूंजीपति और श्रमिक या सर्वहारा।
 - इससे दोनो वर्गों के बीच वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया चलती रहती है।

मार्क्स ने साम्यवाद को उद्विकास का अन्तिम चरण माना है। उनके अनुसार इस समाज में वर्ग-संघर्ष की प्रक्रिया का अंत संभव है। उनका मानना था कि विकास के चरण के साथ राज्य की समाप्ति हो जायेगी।

हर्बर्ट स्पेन्सर (1820-1903)

स्पेन्सर ने जीव एवं समाज के बीच समानता के आधार पर समाज के उद्विकासी

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार पदार्थ अविनाशी एवं गतिमान होता है। गत्यात्मकता ही उद्विकास के मूल में है। समाज ब्रहमाण्ड की गत्यात्मकता के कारण ही सदा परिवर्तनशील है। मुख्यत: उद्विकास में दो प्रक्रियाएं काम करती है-एक विखंड़न की और दूसरी एकीकरण की। मूलत: स्पेन्सर के विकास की प्रक्रिया को एकीकरण की प्रक्रिया मानते हैं।

उद्विकास की प्रक्रिया में समाज के विभिन्न अंग जैसे-जैसे विकसित होते जाते हैं, वैसे-वैसे इनके विभिन्न अंगों के बीच श्रम-विभाजन और विशिष्टीकरण भी बढ़ते जाते हैं।

स्पेन्सर के अनुसार आधुनिक समाज **3 चरणों** से गुजरा है, वे हैं - 1. आदिम, 2. जंगली, 3. औद्योगिक।

संक्षेप में हम कह कसते हैं कि स्पेन्सर ने एक रेखीय उद्विकास की चर्चा की है। लेकिन बाद में उन्होंने बहुरेखीय उद्विकास को भी स्वीकार किया।

Notepad

ई.बी. टायलर

ब्रिटिश मानवशास्त्री टायलर ने अपनी पुस्तक Primitive Culture 1924 में विश्व के सभी समाजों का उद्विकास हुआ है, यह बताया है। उन्होंने धर्म का भी उद्विकास बताया जिससे प्रभावित होकर जेम्स फ्रेजर ने भी अपनी पुस्तक The Golden Bough में धर्म के उद्विकासीय स्वरूप को स्वीकार किया।

टायलर के अनुसार धर्म की उत्पत्ति का मुख्य कारण आत्मा में विश्वास रहा है। विभिन्न धार्मिक संस्कारों एवं कृत्यों की उत्पत्ति पूर्वज पूजा से हुई है, जिसका मूल आधार डर या भय था। इसी कारण धर्म का आरंभिक और सरलतम रूप बहुदेववादी था। इसके उपरान्त धर्म एकेश्वरवाद की स्थिति में आया।

जेम्स फ्रेजर का कहना है कि धर्म की उत्पत्ति जादू से हुई है और उसका अंत विज्ञान से होता है। दूसरे शब्दों में दुनिया का हर एक समाज तीन स्तरों से गुजरता है-जादू, धर्म एवं विज्ञान।

राबर्ट बेलास (Robert Bellas)

एक आधुनिक समाजशास्त्री है और उन्होंने भी धर्म के संबंध में उद्विकासीय सिद्धान्त को माना है। इनके अनुसार धर्म पाँच स्तरों से गुजरता है:

- आदिम
- पुरातन
- ऐतिहासिक
- प्रारम्भिक आधुनिक
- आधुनिक

ए. कॉस्ट (Adolphe Coste)

फ्रांसीसी समाजशास्त्री कॉस्ट के अनुसार सामाजिक उद्विकास का मुख्य कारण जनसंख्या में वृद्धि है। जैसे-जैसे जनसंख्या में वृद्धि या किसी स्थान की जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि होती है वैसे-वैसे समाज का उद्विकास होता है। इसलिए उनके सिद्धान्त को **जनांकिकीय उद्विकास का सिद्धान्त** (Demographic Evolution-ism) कहा जाता है।

कास्ट के अनुसार समाज पाँच उद्विकासीय स्तरों से गुजरता है, जैसे-छोटा शहर (Teh Barough), नगर, महानगर, राजधानी नगर एवं संघीय राजधानी नगर।

एमिल डर्कहाइम

डर्कहाइम ने अपने श्रम विभाजन के सिद्धान्त में सामाजिक परिवर्तन को उद्विकासीय परम्परा में स्पष्ट किया। उनके अनुसार समाज का परिवर्तन यांत्रिक या सहज एकता (mechanical solidarity) से सावयवी एकता की ओर होता है।

Manish Singh Sir
MEF JRF
EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

सहज एकता:

- प्राचीन व सरल समाजो की विशेषता।
- ऐसे समाज में व्यक्तियों की स्थिति, भूमिका मूल्य, विश्वास, जीवन शैली, नैतिकता आदि में एकरूपता पायी जाती है।
- परम्परा, लोकमत और धर्म का अत्यधिक प्रभाव होता है।
- दमनकारी कानून।

सावयवी एकता:

- विकसित, जटिल, उद्योगीकृत और आधुनिक है।
- श्रम विभाजन एवम विशिष्टीकरण का प्रभाव।
- क्षतिपूर्ति कानून
- यांत्रिक एकता का आधार सामूहिकता की भावना है।
- सावयवी एकता का आधार वैयक्तिक स्वतंत्रता एवम भिन्नता है।
- यांत्रिक एकता व्यक्ति और समाज के बीच प्रत्यक्ष एवं सीधा संबंध स्थापित करती है, जबकि सावयवी एकता समाज में अप्रत्यक्ष संबंध स्थापित करती है।

Notepad

बेन्जमीन किड़ (Benjamin Kidd)

किड ने अपनी पुस्तक Social Evolution में बताया है कि समाज के उद्विकास के पीछे धर्म की भूमिका सर्वप्रमुख है। सामाजिक उद्विकास सिर्फ धार्मिक परिवर्तनों से ही संभव हुआ है। किड़ के अनुसार उद्विकास अनेकता से एकता की ओर बढ़ना है। इसलिए उनके सिद्धान्त को **धार्मिक उद्विकास का सिद्धान्त** कहा है।

टी.बी. वेबलन (1857-1929)

वेबलन ने भी अन्य उद्विकासीय विचारकों की तरह मानव समाज के उद्विकास की चर्चा की है, लेकिन उनके विचार का आधार द्वन्द्वात्मक परिप्रेक्ष्य है। उन्होंने बताया है कि आधुनिक समाज चार चरणों से गुजरा है:

1. शांतिमय जंगली स्तर (Peaceable Savage Stage)
2. निम्न बर्बर स्तर (Lower Babaric Stage)
3. उच्च बर्बर स्तर (Higher Barbaric Stage)
4. आर्थिक चरण (Pecuniary Stage)

उद्विकास के अनितम चरण आर्थिक चरण में प्रदर्शन उपभोग (Conspicuous consumption) का स्तर काफी बढ़ जाता है। नौकरशाही अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच जाती है विकास के इस चरण को उन्होंने नकारात्मक दृष्टि से देखा है।

एल.टी. हाबहाउस (L.T. Hobhouse) 1864.1929

उद्विकास को दो भागों में बांटा जैविक उद्विकास, सामाजिक उद्विकास। जैविक उद्विकास की तुलना हर्बर्ट स्पेन्सर के यांत्रिक एवम भौतिक उद्विकास (Machanical and Physico-evolution) से की जा सकती है।

समाज में उद्विकास के अलग नियम है यह न तो स्वत: घटित होता है और न ही एक निरंतर प्रक्रिया है। सामाजिक उद्विकास तो मानव के प्रयत्नों का एक फल है। हाबहाउस के अनुसार मनुष्य अपने अस्तित्व की हिफाजत एवम सुख-सुविधाओं को बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रकृति से लड़ता रहता है। इस संघर्ष में समाज का प्रत्येक व्यक्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक दूसरे को सहयोग करता है। मानव की इसी सामाजिक सहयोग की भावना और प्रकृति से संघर्ष के कारण समाज में उद्विकास की प्रक्रिया चलती है।

हाबहाउस के अनुसार उद्विकास की प्रक्रिया में मानव मस्तिष्क के विकास की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके अनुसार किसी समुदाय को तब विकसित कहा जाना चाहिए, जब उसके आकार, कार्यक्षमता, स्वतन्त्रता एवं सेवा की पारस्परिकता में वृद्धि होती है।

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

हाबआउस ने बताया है कि समाज के विकास के साथ-साथ तीन किस्म के तत्व क्रमशः विकसित हुए, जिसके चलते लोग एक सूत्र में बंधे रहे, वे है-नातेदारी, तानाशाही (Despotic Authrite) एवम नागरिकता।

Notepad

टलकॉट पारसन्स (1902-1979)

आधुनिक समाजशास्त्रियों में पारसंस एक ऐसे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने उद्विकास के सिद्धान्त का स्पष्ट रूप से समर्थन किया है। पारसंस की एक चर्चा **प्रकार्यात्मक सामाजिक उद्विकासवादी** के रूप में की जाती है।

पारसंस के अनुसार उद्विकास की यांत्रिकी अलग है पर इस भिन्नता के बावजूद सामाजिक एवं जैविक उद्विकास में समानता भी है। इस समानता को स्पष्ट करने के लिए उनहोंने कुछ उद्विकासीय सार्वभौमिक तत्वों की चर्चा की है जैसे-**दृष्टि** (vision) पारसंस के अनुसार विभिन्न किस्म के प्राणियों के बीच दृष्टि एक उद्विकासीय सार्वभौमिक तत्व हैं। जैसे-जैसे जैविक उद्विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ी, वैसे-वैसे विभिन्न प्रकार के जानवरों में दृष्टि आती गई। दृष्टि जैविक उद्विकास की जटिलता का एक लक्षण है।

पारसंस ने बताया है कि **संचार** मानव समाज के विकास का दूसरा प्रमुख उद्विकासीय सार्वभौमिक तत्व है। भाषा संचार का प्रमुख साधन है। दुनिया का कोई भी समाज ऐसा नहीं है, जहाँ कोई भाषा बोली न जाती हो। **नातेदारी** एवम **धर्म** भाषा की ही तरह कुछ प्रमुख उद्विकासीय सार्वभौमिक तत्वों मे से है।

डर्कहाइम की तरह पारसंस ने भी कहा है कि प्रारंभिक मानव समाज आस्ट्रेलिया की आदिम जाति से मिलता जुलता रहा होगा। वहाँ के लोगों की जो संस्कृति है उसे पारसंस ने मानव की संस्कृति के उद्विकास का **पहला चरण** माना है। इसे निम्नतर आदिम स्तर के लनाम से भी जाना जाता है। विभिन्न किस्म के प्रतीकों के सहारे लोग अपने विचारों, धार्मिक विश्वासों ,अपनी इच्छाओं और मनोवृतियों को स्पष्ट किया करते थे। इस स्थिति को पारसंस ने **संघटक प्रतीकवाद** (Constitutive Symbolism)। **कहा**

दूसरे चरण को पारसंस ने **उन्नत आदिम समाज** कहा है। इस समाज में सामाजिक स्तरण की उत्पत्ति हुई, वर्ग की अवधारणा का जन्म हुआ, खेती और पशुपालन जैसे पेशों का जन्म भी हुआ।

तीसरा चरण मध्यवर्ती समाज (Intermediate society) पुकारा जाता है। इसके **दो उपचरण** है-पुरातन समाज एवम ऐतिहासिक समाज। इस चरण में धर्म का अधिक प्रभाव था जो लोगों के रोजमर्रे के जीवन को प्रभावित करने लगा। भाषा और साहित्य का विकास हुआ। समाज में पढ़ाई-लिखाई शुरू हो गयी।

- पारसंस के अनुसार प्राचीन मिस्त्र, चीन, रोम की सभ्यता मध्यवर्ती समाज का अच्छा उदाहरण है।

उद्योगीकृत समाज (Industrialized Society)

पारसंस के **उद्विकासीय सिद्धान्त का अंतिम चरण है।**

- इसमे सर्वाधिक विभेदीकरीण, विशिष्टीकरण का विकास।
- विभिन्न व्यवस्थाओं के बीच आपसी निर्भरता।
- राष्ट्रों के बीच अंतराष्ट्रीय सीमाएं बिल्कुल स्पष्ट हो जाती हैं।

- **श्री अरोविन्दो** आज के मनुष्य के क्रमिक विकास की स्थिति को अन्तिम स्थिति नहीं मानते हैं उनके अनुसार विकास के आने वाले चरणों में अतिमानव का उद्भव होगा।

चक्रीय सिद्धान्त (Cyclical Theory)

चक्रीय सिद्धान्त के अनुसार सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया भी चक्रीय होती है। जैसे-हिंदू धर्म में विभिन्न युगों की चर्चा एक चक्रीय ढंग से की गई है। सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलियुग की व्याख्या समाज में परिवर्तन की एक व्याख्या है। परिवर्तन के

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

चक्रीय सिद्धान्त का मूल आधार यह है कि सामाजिक परिवर्तन जहाँ से प्रारंभ होता है अत: में वहीं पहुँचकर समाप्त होता है। यह स्थिति चक्र की तरह पूरी होने के बाद भी बार-बार दोहराई जाती है।

विको, परेटों, स्पेंग्लर, सोरोकिन, टॉइनबी ने प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति के अध्ययनों के आधार पर चक्रीय परिवर्तन को सष्ट करने का प्रयास किया है।

Notepad

जोवानी विको (Giovanni Vico) (1660.1744)

इटैलियन दार्शनिक विको का मानना है कि समाज का एक चक्रीय दिशा में उद्विकास होता है। **बोगार्डस** ने इन्हें **समाजशास्त्र का जनक** कहा है।

इनके अनुसार सामाजिक परिवर्तन सर्पिल प्रक्रिया (Spiral process) में होता है। इसलिए इनके सिद्धान्त को सर्पिल सिद्धान्त कहा जाता है।

वी. पारेटो (1848-1923)

इटैलियन समाजशास्त्री पारेटो को उद्विकास के सिद्धान्त में कतई विश्वास नहीं था। उद्विकास के सिद्धान्त से असंतुष्ट होकर उन्होंने सामाजिक गत्यात्मकता के कई सिद्धान्त दिए हैं। **सभ्रांत या विशिष्ट वर्ग का परिभ्रमण** (Circulation of Elites) उन्हीं सिद्धान्तों में से एक है।

- **शासी विशिष्ट वर्ग** की अवधारणा पारेटो के पहले उनके समकालीन विद्वान मोस्का ने दिया था।

विशिष्ट वर्ग के परिभ्रमण के सिद्धान्त में उन्होंने शेर (lion) लोमड़ी (fox) एवं प्रेरक (Residues) की अवधारणाओं को दिया है। उन्होंने बताया है कि विशिष्ट वर्ग को वैयक्तिक गुणों के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है जैसे-शैर (lion) एवम लोमड़ी (fox) शेर में द्वितीय श्रेणी के प्रेरक समूह के **स्थायित्व के विशिष्ट चालक** (residues of persistence of aggregates) की प्रधानता होती है।

लोमड़ियों में प्रथम श्रेणी के प्रेरकों **(संयोजन के विशिष्ट चालक)** (Reidues of Combination) की प्रधानता होती है। ये लोग योजना बनाने, जोड़-तोड़ करने में काफी निपुण होते हैं।

परेटों ने अपनी पुस्तक (mind and society) में कहा है कि **"इतिहास विशिष्ट वर्ग की एक कब्रगाह है।"** चूँकि पारेटो विशिष्ट वर्ग के हितों के समर्थक और गैर विशिष्ट वर्ग के विरोधी थे, इसलिए उन्हें **बुर्जुआजी का कार्ल मार्क्स** कहा जाता है। वे प्रजातंत्र के विरोधी और तानाशाही के घोर समर्थक थे।

पारेटो ने अपने चक्रीय सिद्धान्त के सिलसिले में यह भविष्यवाणी की है कि जहाँ कही संसदीय प्रजातंत्र है, उसका पतन होना निश्चित है। उसकी जगह पर निम्न वर्ग के अभद्र, शक्तिशाली एवं सामरिक अभिजात वर्ग के शासन की स्थापना होती वैसे नये प्रकार के विशिष्ट वर्ग के लोगों को उन्होंने Lion Elites कहा है।

ओजवाल्ड़ स्पेंग्लर 1880-1936

स्पेंग्लर ने अपनी पुस्तक "The Decline of West (1926)" में यह बताया है कि किसी भी संस्कृति का विकास चक्रीय रीति से होता है। उनका यह सिद्धान्त दुनिया की **आठ प्रमुख संस्कृतियों** के अध्ययन पर आधारित था। संस्कृतियाँ हैं - Egyptian, Mesopotamian, Hindu, Chinese, Classical, Arabian, Mayan एवम Western। उन्होंने रूसी संस्कृति का भी अलग से जिक्र किया है।

उन्होंने आदिम जातीय समाज को इतिहास हीन कहा है। संस्कृति की तुलना सावयव से करते हुए उन्होंने कहा है कि **"संस्कृति सावयव की तरह है और विश्व इतिहास उसकी सामूहिक जीवनी।"**

स्पेंग्लर का मानना है कि जैसे व्यक्तियों के जीवन में उत्थान और पतन होता है, वैसे ही संस्कृति का भी उत्थान एवम पतन होता है। स्पेंग्लर ने बताया है कि किसी संस्कृति का जीवन लगभग 1000 साल का होता है। उन्होंने जो अध्ययन प्रस्तुत किया

NET-JRF Manish Singh Sir EC Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

है वह सभ्यता शब्द से जाना जाता है, न कि संस्कृति शब्द से, मजे की बात तो यह है कि विकास के चरण को संस्कृति और पतन की स्थिति को सभ्यता कहकर पुकारा है।

Notepad

पिट्रिम ए. सोरोकिन

अमरीकी समाजशास्त्री सोरोकिन ने भी चक्रीय सिद्धांत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है जिसकी चर्चा उन्होंने अपनी पुस्तक
Social and cultural dynamics में की सोरोकिन ने समाज की संस्कृति को मुख्यत: तीन भागों में बाँटा है वे है:

आदर्शवादी संस्कृति (Idealistic Culture), आदर्शात्मक संस्कृति (Ideational), एवंम इन्द्रियपरक संस्कृति (Sensate Culture)।

इन्द्रियपरक संस्कृति (Sensate Culture) : का संबंध अनुभवाश्रित सत्य से होता है। इस अवस्था में ज्ञान इन्द्रियों द्वारा होता है। समाज में प्रौद्योगिकी विकास की संभावना बहुत बढ़ जाती है। न्याय की प्रकृति भी यथार्थ एवम भौतिकवादी हो जाती है। सोरोकिन के अनुसार पश्चिमी समाज इन्द्रियपरक संस्कृति के दौर से गुजर रहा है।

आदर्शात्मक संस्कृति: इस संस्कृति में ज्ञान, कला, दर्शन, धर्म, साहित्य आदि को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। उपयोगितावाद एवं सुखवाद का महत्व घट जाता है।

आदर्शवादी संस्कृति (Idealistic Culture) में इन्द्रियपरक संस्कृति एवं आदर्शात्मक संस्कृति दोनों के तत्व पाए जाते हैं।

इन्द्रियपरक संस्कृति एवम आदर्शात्मक संस्कृति सांस्कृतिक व्यवस्था के दो ध्रुव है। प्रत्येक सांस्कृतिक व्यवस्था उपव्यवस्थाओं का एक संकलन होती है, जिसके अंतर्गत उसके विशिष्ट तत्व एवं लक्षण समाविष्ट होते हैं। सोरोकिन का यह विचार सीमाओं के सिद्धान्त के नाम से जाना जाता है।

ऑर्नाल्ड जे. टाइनबी

ये भी चक्रीय सिद्धांत के सर्मथक है। इन्होंने दुनिया की 21 प्रमुख सभ्यताओं का गहन अध्ययन किया, जिसका वर्णन उनकी पुस्तक A study of history में मिलता है पर उन्होंने स्पेंग्लर की तरह यह स्पष्ट नहीं किया कि सभ्यता का जीवन चक्र कितना लम्बा होता है। उनका चक्रीय सिद्धान्त **चुनौती एवम प्रतिक्रिया का** सिद्धांत पर आधारित है। किसी भी सभ्यता को चुनौती दो क्षेत्रों से मिलती है–एक भौगोलिक परिस्थिति एवं दूसरी सामाजिक परिस्थिति। टाइनबी का आंतरिक स्त्रोत से तात्पर्य स्वदेशी सर्वहारा वर्ग से है। जो ज्यादा लंबे समय तक अपने ही समाज के **सृजनशील अल्पसंख्यकों** (creative minority) के इशारे पर काम नहीं करना चाहता है। बाह्य स्त्रोतों के अंतर्गत उन्होंने बाहरी आक्रमणकारी बर्बर जाति के लोगों को रखा है जिसे **बाह्य सर्वहारा वर्ग** (External Proletariat) भी कहा गया है।

संक्षेप में हम यही कह सकते हैं कि प्रत्येक सभ्यता का भविष्य सृजनशील अल्पसंख्यकों पर निर्भर करता है।

संघर्ष सिद्धान्त

संघर्ष संबंधी विचार प्राचीन काल से ही सामाजिक चिंतकों का मुख्य विषय रहा है। जिसमें **चार्ल्स डार्विन** (1809–1882) के जैविक उद्विकास के सिद्धान्त ने संघर्ष विचारकों को एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। डार्विन द्वारा प्रतिपादित **'अस्तित्व के लिए संघर्ष'** तथा **योग्यतम की उत्तरजीविता** का इसमें प्रमुख योगदान है। संघर्षवादी चिंतकों के अनुसार सामाजिक व्यवस्था आम राय से नहीं, उत्पीड़न से उत्पन्न हुई है।

इस सिद्धान्त के प्रवर्तक यह नहीं मानते हैं कि समाज निर्विहन उच्च और जटिल

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

स्तर तक पहुंच सकता है। उनके अनुसार समाज की हर क्रिया, विश्वास और अन्त:क्रिया की विरोधी प्रतिक्रिया अवश्य होती है।

Notepad

हेगल (G.W.F. Hegel 1770-1831)

हेगल के अनुसार **'विचार'** ही वास्तविक जगत का निर्माता है। उनके अनुसार विवेक (wisdom) जगत में सबसे अधिक शक्तिशाली है। आगे उन्होंने वोदी (Jean Bodin) के इस विचार पर जोर दिया की मानव समाज सदा प्रगति की ओर अग्रसर रहा है।

हेगल ने **द्वन्द्ववादी चिंतन प्रणाली** को मूलत: फिक्ट से ग्रहण किया फिक्ट ने तर्क-निर्माण की प्रक्रियाओं में तीन अवस्थाओं का जिक्र किया है, वे हैं-स्थापना (Thesis), प्रतिस्थापना (Anti-thesis) एवं समन्वय (Synthesis)।

कार्ल मार्क्स 1818-1883

मार्क्स ने हेगल के द्वन्द्वात्मक विकास को तो स्वीकार किया लेकिन उसमें विचार (Idea) की भूमिका की कटु अलोचना की। मार्क्स ने अपनी कृति **कैपिटल** (capital) में लिखा है, **"मैने हीगल के द्वन्द्ववाद को सिर के बल खड़ा पाया, मैने उसे पैरों के बल खड़ा कर दिया।** मार्क्स ने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया की वर्ग संघर्ष द्वारा ही सामाजिक परिवर्तन संभव है।

मार्क्स ने सामाजिक संरचना के दो तत्व मुख्यत: बताये हैं:

1. आधारभूत संरचना (Sub Structure)
2. अधिसंरचना (Super Structure)

समस्त उत्पादन प्रणाली को उन्होंने आधारभूत संरचना माना है और समाज के अन्य अंग जैसे-सरकार, धर्म, परिवार, आदर्श, दर्शन इत्यादि को आश्रित संरचना कहा है।

मार्क्स ने आधारभूत संरचना को दो उपभागों में बांटा है:

1. उत्पादन के साधन (जिसमें भूमि, प्रौद्योगिकी एवं अन्य पूँजी सम्मिलित है)
2. उत्पादन के संबंध (इसके अंतर्गत उत्पादन प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न वर्ग के लोगों के बीच के संबंध)

मार्क्स ने इन संबंधों को दो उप भागों में बांटा है:

1. उत्पादन-साधन के मालिक (बूर्जुआ या पूँजीपति)
2. श्रमिकगण जिसे मार्क्स ने सर्वहारा कहा।

मार्क्स के अनुसार संघर्ष की प्रक्रिया से ही समाज में परिवर्तन संभव होता है इसी अर्थ में उन्होंने अपने साम्यवादी घोषणा पत्र में लिखा है-**"अभी तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है।"**

मार्क्स की दृष्टि में पूंजीवादी व्यवस्था में निहित कुछ ऐसी खासियत है, जो इसके पतन का मार्ग प्रशस्त करती है। पूँजीपति आपस में एक-दूसरे के गला-काट प्रतियोगी होते हैं। अत: उनके बीच **मिथ्या वर्ग चेतना** (False class consciousness) होती है। पूंजीपति सदा छोटे पूँजीपतियों को निगलने में लगे रहते हैं। मांग और प्रतियोगिता की खींचातानी से पूंजीपतियों के लाभ भी कम होने लगते हैं। उधर मजदूरों के बीच वर्ग चेतना **'अपने-आप में वर्ग'** (class in it self) वर्ग के लिए वर्ग में बदल जाता है। ऐसी स्थिति में वर्ग संघर्ष तीव्र हो जाता है और साम्यवादी समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। मार्क्स ने अपने विचारों में **आर्थिक निर्धारणवाद** पर कुछ ज्यादा ही जोर दिया है।

वाल्टर बैजांट 1826-1877

इनके अनुसार संघर्ष व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि समूहों के बीच होता है। इसी भावना के कारण कभी-कभी दो राज्यों के बीच भी संघर्ष होता है।

दो समूहों के बीच संघर्ष होने से समूह के अंदर एकता और सहयोग की भावना का विकास होता है उनकी यह एकता की भावना **टार्ड** के **अनुकरण का सिद्धान्त** पर आधारित है।

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

गुस्ताव रात्सेन हांफर (Gustav Ratzenhofer) 1842-1904

रात्सेनहॉफर ऑस्ट्रिया के महान समाजशास्त्री थे। उन्होंने **सामाजिक गत्यात्मकता** की व्याख्या संघर्ष-सिद्धान्तों पर की। उनके संघर्ष का आधार मार्क्स की तरह वर्ग संघर्ष नहीं, बल्कि अनन्त इच्छाओं के बीच संघर्ष होना है। **रात्सेनहॉफर के अनुसार** "यह इच्छाओं की कुंजी ही है जो सभी समाजशास्त्रीय विचारों की धरोहर के दरवाजे को खोलता है।

इच्छाशक्ति सारे सामाजिक कार्यकलापों एवं व्यवहारों का मुख्य कारण है। रात्सेनहॉफर ने पाँच किस्म की मानवीय इच्छाओं की चर्चा की है, वे हैं:

1. प्रजातीय व यौन इच्छा
2. शारीरिक इच्छा-आहार या पोषण के अर्थ में
3. वैयक्तिक इच्छा
4. सामाजिक इच्छाएँ
5. आध्यात्मिक व धार्मिक इच्छा।

फ्रिडरीकनिच या निची - 1844-1900

निच ने अपने सिद्धान्त को **व्यक्ति पर केन्द्रित** किया है। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ प्रभुत्व की इच्छा अवश्य पायी जाती है। पर सभी में प्रभुत्व की इच्छा समान नहीं पायी जाती है। जिन व्यक्तियों में प्रभुत्व की इच्छा कम पायी जाती है, वे अधिक प्रभुत्व की इच्छा वाले व्यक्तियों से शासित होते हैं।

लुडविग गम्पलेविक्च (Luduzing Gumplowicz 1838-1909)

गम्पलोविक्च डार्विन के योग्यतम की उत्तरजीविता के विचार में कुछ ज्यादा ही विश्वास रखते थे। गम्पलोविक्च का समूह से तात्पर्य प्रजातीय समूह से या समुदाय से था, किसी और प्रकार के सामाजिक समूहों से नहीं।

जे. नोविकॉव 1849-1912

नोविकॉव ने बताया है कि समाज में संघर्ष उद्विकासीय रीति से चलता है। नोविकॉव ने उद्विकास के चार चरणों की चर्चा की है, जो इस प्रकार है। मानव के इतिहास के **प्रथम चरण** में संघर्ष का स्वरूप शारीरिक था। इस समूह के लोग दूसरे समूह को पूरी तरह मिटा देने की कोशिश करते थे। **द्वितीय चरण** में संघर्ष का कारण आर्थिक था। **तीसरे चरण** में पहुँचा तो इसका स्वरूप राजनीतिक हो गया।

बौद्धिक द्वन्द्व **चौथा और अन्तिम चरण है।** उनके अनुसार संघर्ष का स्वरूप समय के साथ-साथ रूखा से नेक एवं सूक्ष्म स्वरूप का होता गया। उनके अनुसार शीत युद्ध एक नेक किस्म का संघर्ष है।

एल्बीयन डब्लयू. स्मॉल, 1854-1926

स्मॉल के अनुसार संघर्ष सामाजिक संरचना की एक मौलिक एवम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। संघर्ष का आधार मानव का व्यक्तिगत स्वार्थ है। विज्ञान में जितना स्थान परमाणु की अवधारणा का है, उतना ही समाजशास्त्र के क्षेत्र में स्वार्थ की अवधारणा का है। मानव की संपूर्ण जीवन-लीला अन्ततोगत्वा अपने स्वार्थ के विकास, अनुकूलन एवं संतुष्टीकरण की प्रक्रिया है। उन्होंने व्यक्तियों के सभी स्वार्थों को मुख्य रूप से 6 भागों में विभाजित किया है, वे हैं-स्वास्थ्य संबंधी स्वार्थ, संपत्ति-स्वार्थ, प्रतिष्ठा संबंधी स्वार्थ, ज्ञान-स्वार्थ, सुंदरता संबंधी स्वार्थ एवम अधिकार संबंधी स्वार्थ।

स्माल ने संघर्ष को विकासवादी नजरिए से देखा है, उन्होंने बताया है कि सामाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा समाज मौलिक संघर्ष की स्थिति से धीरे-धीरे शांति की ओर बढ़ता है।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

टी. वेबलेन

मार्गन की तरह वेबलने ने बताया है कि सामाजिक परिवर्तन का मुख्य स्त्रोत नयी प्रौद्योगिकी का विकास है। प्रत्येक समाज की संस्कृति का स्वरूप उस समाज के अंतर्गत पाए जाने वाले प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। उन्होंने बताया है कि प्रौद्योगिकी तथा सामाजिक संस्थाओं के बीच हमेशा संघर्ष चलता रहता है।

वेबलन का कहना है कि **अविष्कार हमारी जरूरतों की उपज रही है** (Invention is the mother of necessity) नयी प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए नयी किस्म की योगयता, आदतों एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। पुरानी सामाजिक संस्थाएँ नयी प्रौद्योगिकी से मेल नहीं खाती है, क्योंकि सामाजिक संस्थाएं बहुत देर से बदलती है। अत: परम्परागत संस्थाओं एवं नयी प्रौद्योगिकी पर आधारित मूल्यों के बीच समाज में संघर्ष होता और इस संघर्ष में नये मूल्य की जीत होती है। यहाँ संघर्ष का आधार मनुष्य की अपनी रचनात्मक प्रवृत्ति है।

वेबलने का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धान्त मात्र संघर्ष पर ही आधारित नहीं है, बल्कि उनके विचारों में उद्विकास सिद्धान्त के तत्व भी मौजूद हैं।

टी.एन.कार्वर 1865

इन्होंने संघर्ष का प्रमुख कारण मानवीय स्वार्थों का द्वन्द्व माना है। कार्वर ने कहा है कि संघर्ष 3 स्तरों पर होता है:

1. व्यक्ति एवं प्रकृति के बीच
2. व्यक्ति एवं व्यक्ति के बीच
3. एक ही व्यक्ति के स्वार्थों के बीच

कार्वर राज्य, संपत्ति तथा परिवार जैसी संस्थाओं की उत्पत्ति व्यक्तियों के स्वार्थों के संघर्ष के चलते हुई है। कार्वर ने संघर्ष शब्द का प्रयोग बहुत ही व्यापक अर्थ में किया है। समाज में जितने भी किस्म के विरोध, झगड़े और आपस में मिल जाने की प्रक्रियाएँ है, उसको उन्होंने संघर्ष की श्रेणी में रखा है।

लुविस ए. कोसर

इनके विचारों में प्रकार्यवाद एवं संघर्ष संबंधी दोनों सिद्धान्तों के तत्व मौजूद है। इसलिए टर्नर ने उन्हें **संघर्ष-प्रकार्यवादी** कहा है। कोसर ने अपनी पुस्तक The Functions of Social Conflict 1956 में डारेनडार्फ एवं पारसन्स का काफी विरोध किया है।

कोसर ने अपने सिद्धान्त में सामाजिक संघर्ष के प्रकार्यात्मक पहलुओं पर प्रकाश। सामाजिक संघर्ष के मुख्यत: दो परिणाम होता है। संगठनात्मक एवं विघटनात्मक। कोसर के अनुसार संघर्ष सदा विघटनकारी ही नहीं बल्कि संगठनात्मक भी होता है। सामाजिक संघर्ष से परिस्थितियों के अनुसार सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण दोनो ही होता है। जार्ज जिमेल की भाँति ही कोसर ने यह समझाने का प्रयास किया है कि किस तरह संघर्ष नई खोज एवम रचनात्मक कार्यों को प्रेरित कर सामाजिक व्यवस्था को गतिशील बनाए रखती है।

कोसर के अनुसार संघर्ष का मुख्य कारण **'स्वार्थों की टकराहट'** है। वे पहले प्रकार्यात्मक समाजशास्त्री है, जिन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि संघर्ष समाज की व्यवस्था के लिए हानिकारक होते हुए भी कभी-कभी **सुरक्षा-कपाट** (safety value) का काम करता है।

रैल्फ डारेनडॉर्फ 1929

इन्होंने ने अपनी पुस्तक 'Class and class conflict in Industrial Society' में संघर्ष-सिद्धान्त को समर्थन दिया है। उनके विचार न तो ज्यादा मार्क्सवादी है और न ज्यादा प्रकार्यात्मक। डारेनडॉर्फ का मानना है कि हर एक सामाजिक व्यवस्था का

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

आधार शक्ति का सोपानकृम होता है। डारेनडार्फ के अनुसार समाज में अनुरूपता एवं एकमतता स्वभाविक रूप से पैदा नहीं होती बल्कि उत्पीड़न से पैदा किया जाता है।

उनके अनुसार शक्ति और सत्ता (Power and Authority) प्रत्येक समाज की प्रमुख विशेषता है। इसलिए इसे सामाजिक व्यवस्था की प्रकार्यात्मक पूर्व शर्ते भी कहा जाता है। उनके अनुसार संघर्ष का कारण सत्ता के द्वारा व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति है। उनका यह विचार **उत्पीड़न का सिद्धान्त** (Theory of Coercion) पर आधारित है।

डारेनडॉफ ने आर्थिक संरचना की जगह **'सत्ता संरचना'** की चर्चा की है। सत्ता-संरचना में मुख्यत: दो हिस्से होते हैं-शासन एवं दमन। डारेनडॉफ ने बताया है कि संघर्ष को निर्देशित एवं संस्थाकृत किया जा सकता है, पर संघर्ष को समाज से अलग नहीं किया जा सकता है।

Notepad

प्रकार्यवाद (Functionalism)

प्रकार्यवादियों का मानना है कि समाज या समस्त सामाजिक संरचना का आधार सहमति है। उनके अनुसार किसी इकाई का विश्लेषण समस्त समाज के संदर्भ में होना चाहिए। किसी ईकाई का अलग से कोई अपना महत्व नहीं है।

हर्बर्ट स्पेन्सर 1820-1903

स्पेन्सर को प्रकार्यवाद का जनक माना गया है, उन्होंने अवयवी संरचना (Organismic structure) एवं सामाजिक संरचना के बीच बहुत बातों की समानताएँ पायी है। अवयवी संरचना की तरह ही सामाजिक संरचना के विभिन्न अंगों के अपने विशिष्ट प्रकार्यों में परिवर्तन होने से सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे-जैसे सामाजिक संरचना का विकास होता है, वैसे-वैसे उसके अंगों के प्रकार्यों में घनिष्ठता भी बढ़ती जाती है। सामाजिक संरचना के अंगों में विशिष्टीकरण एवं विभेदीकरण बढ़ने के साथ ही संरचना पर निर्भरता बढ़ती जाती है।

एमिल डर्कहाइम (Emile Durkheim)

डर्कहाइम के अनुसार सामाजिक संरचना का निर्माण सामाजिक तथ्यों से होता है। प्राचीन सामाजिक संरचना में सामाजिक तथ्यों के बीच संबंध मशीन के पुर्जों की भाँति था। इस कारण समाज में श्रम-विभाजन स्पष्ट नहीं था। समाज सरल था। इससे समाज के अंगों के कार्य भी सीमित थे। डार्कहाइम ने इसे यांत्रिक एकता का समाज कहा है।

डर्कहाइम ने धर्म का प्रकार्यात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया है उनके अनुसार धर्म का अस्तित्व समाज में आज भी बना हुआ है। आस्ट्रेलिया की आदिम जनजातियों के अध्ययन में उन्होंने धर्म का प्रकार्यात्मक महत्व बताया साथ ही धर्म सामाजिक एकात्मकता (social solidarity) भी पैदा करता है। डर्कहाइम ने जनजातियों के जीवन में टोटम को महत्वपूर्ण माना है। डर्कहाइम ने यहाँ धार्मिक क्रियाकलापों में छिपे हुए सकारात्मक प्रकार्यों को उजागर किया है। B.K. Merton ने इसे अप्रत्यक्ष प्रकार्य कहकर पुकारा है।

बी.मालिनॉफस्की 1884-1942

इन्होंने सांस्कृतिक व्यवस्था की प्रकार्यात्मक व्याख्या **संरचनात्मक-प्रकार्यवाद** के सिद्धान्त (Structural Functional Theory) के विकास की दृष्टि से की है। इन्होंने प्रकार्यात्मक विचारधारा का विकास **अनुभवपरक वास्तविकता** (Empirical Reality) के आधार पर किया है।

मालिनॉफसकी ने जनजातीय संस्कृति को समझने के लिए जो एक विशिष्ट दृष्टिकोण विकसित किया, उसे **हम आवश्यकताओं का सिद्धान्त** (theory of needs) कहते हैं। इसकी चर्चा उन्होंने अपनी पुस्तक A scientific theory of culture में की उनके अनुसार आवश्यकताएं दो प्रकार की होती है:

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

व्यक्तिगत (individual) **एवं सामाजिक** आवश्यकताओं को मालिनॉफस्की ने तीन भागों में बांटा है वे हैं-मूल, व्युत्पन्न और समाकलनकारी आवश्यकताएँ मूल आवश्यकताएँ वे परिस्थितियां है, जो व्यक्ति एवं समूह के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। मूल आवश्यकताओं को पहले स्तर का निर्धारक तत्व (primary determinant) भी कहा जाता है।

मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के दौरान संस्कृति कुछ अपनी जरूरतें पैदा करती है। इन्हें ही मालिनॉफस्की ने व्युत्पन्न आवश्यकताएं या आदेशक हा है। व्युत्पन्न आवश्यकताओं के अंतर्गत सांस्कृतिक उपकरणों के अनुरक्षण, मानव-आचरण का नियमन, समाजीकरण एवम सत्ता का प्रयोग की आवश्यकताएं है, जिनकी प्रतिक्रियाएं क्रमशः अर्थव्यवस्था, सामाजिक नियंत्रण, शिक्षा तथा राजनीतिक संगठन है।

समाकलनकारी आवश्यकताओं के माध्यम से आदतें प्रथा में बच्चों का लालन-पालन अगली पीढ़ी के प्रशिक्षण में तथा आवेग, मूल्यों में बदलते है। परम्परा, मूल्य, प्रतिमान, धर्म, कला तथा प्रतीक आदि इसी श्रेणी में आते हैं।

द्वितीयक आवश्यकताएं है-संचार, सहयोग, संघर्ष पर नियंत्रण इत्यादि मनुष्य ने द्वितीयक जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रवर्तन अभिकरण (Enforcement agency) इत्यादि को जन्म दिया है।

मालिनॉफस्की का विचार था कि विभिन्न समाजों में लोग अलग-अलग ढंग से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते है, इसलिए हर एक समाज की सांस्कृतिक विशेषताएँ अलग-अलग होती है। मालिनॉफसकी ने अपनी आवश्यकताओं के सिद्धान्त के माध्यम से संस्कृति को एक गत्यात्मक व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया है। मालिनॉफस्की मूलतः सामाजिक संरचना को मानव की मूल व्युत्पन्न एवम् समाकलनकारी आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन मातने हैं। संस्कृति की व्याख्या उन्होंने एक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से की है। उन्होंने ट्रोबियाण्ड **द्वीप समूह** (Trobriand Islands) में नृजातिविवरण (Ethnological data) का संकलन एवं विश्लेषण व्यवस्थित ढंग से किया। मालिनॉफस्की ने प्रकार्यवाद को एक व्यवस्थित अवधारणा के रूप में विकसित नहीं किया, पर वे पहले मानवशास्त्री थे जिन्होंने प्रकार्यवाद शब्द का प्रयोग किया।

ए.आर. रैडक्लिफ ब्राउन (1881-1955)

रैड़क्लिफ ब्राउन का मानना है कि सभी अवधारणाएँ एवं सिद्धान्त यथार्थ से संबंद्ध होने चाहिए उनके अनुसार "एक विशिष्ट क्षेत्र और समयावधि में सामाजिक जीवन की प्रक्रिया ही वह **अनुभव सिद्धयथार्थ** है, जिसका नृशास्त्रीय विश्लेषण और तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। दूसरी ओर सामाजिक संरचना के मूल तत्व सामाजिक जीवन से संबद्ध सभी व्यक्ति है। वस्तुतः परस्पर संबद्ध व्यक्तियों की व्यवस्था ही सामाजिक संरचना कहलाती है।

एल.एच मार्गन की पुस्तक Systems Consanguinity and affinity सामाजिक संरचना का प्रथम मानवशास्त्रीय अध्ययन माना जाता है। समाजशास्त्र में संरचना का एवं प्रकार्य जैसे शब्दों के प्रयोग का प्रथम श्रेय स्पेन्सर को जाता है। रैडक्लिफ ब्राउन ने संरचना संबंधी विचार भी डर्कहाइम से ग्रहण किया।

दूसरी ओर संरचनावादी **लिवी-स्ट्रॉस** ने संरचना को एक नया आयाम देने की कोशिश की। उन्होंने संरचना का अर्थ भाषा-विज्ञान (Linguistcos) से लिखा है। लिवी-स्ट्रास के लिए संरचना की अवधारणा अमूर्त एवम विश्लेषणात्मक है। रैडक्लिफ ब्राउन की नजर में सरंचना एक अमूर्त कल्पना न होकर एक अनुभवाश्रित तथ्य है।

रैडक्लिफ-ब्राउन का विचार है कि सामाजिक संरचना का वर्णन उन संस्थाओं के संदर्भ में किया जाना चाहिए जो एक से अधिक व्यक्ति एवम समूह के संबंधो को नियमित करती है। रैडक्लिफ ब्राउन के अनुसार सामाजिक संरचना में सदा परिवर्तन की स्थिति बनी।

डर्कहाइम ने **'प्रकार्य'** की अवधारणा का प्रयोग सामाजिक संस्थाओं के

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

अध्ययन में सफलतापूर्वक किया। उन्होंने प्रकार्यशब्द की व्याख्या मानव की आवश्यकताओं के अर्थ में किया। रैडक्लिफ ब्राउन ने आवश्यकताओं की जगह अस्तित्व की अनिवार्य स्थितियों जैसे शब्द का प्रयोग किया। उनके अनुसार मानव समाज को अपने अस्तित्व के लिए कुछ मौलिक शर्तों को पूरा करना होता है। रैडक्लिफ ब्राउन का मानना है कि **'अस्तित्व की अनिवार्य स्थितियों'** की पहचान हम वैज्ञानिक विधि से कर सकते हैं।

सामाजिक व्यवस्था में एक प्रकार की एकता होती है जिसे रैडक्लिफ ब्राउन ने प्रकार्यात्मक एकता का नाम दिया R. Brown ने संरचना में विकार की संभावना भी व्यक्त की है जिसे मर्टन ने **दुष्प्रकार्य** (Dysfunction) कहा है।

अन्य प्रकार्यवादियों की तरह रैडक्लिफ ब्राउन ने भी संस्कृति को विभिन्न किस्म के तत्वों का एक समग्र माना है। उनके मुताबिक **सामाजिक संरचना आदर्शों संबंधों का एक जाल** (A network of normative relationship) इन आदर्शात्मक संबंधों का आधार सहभागी मूल्य व्यवस्था (Shared value system)।

जहाँ मालिनोफस्की ने अपने प्रकार्यवादी चिन्तन के अंतर्गत व्यक्ति की बुनियादी जरूरतों को रखा है। वही रैडक्लिफ ब्राउन ने संरचना की समग्रता पर जोर दिया है। इसीलिए R. Brown एवम उनके शिष्य अपने-आपको प्रकार्यवादी की जगह संरचनावादी कहां जाना उपयुक्त मानते थे। जहाँ मालिनोफस्की के विश्लेषण का केन्द्रबिन्दु व्यक्ति था, वहीं रैडक्लिफ ब्राउन के विश्लेषण का केन्द्रबिन्दु समस्त समाज था। मालिनॉफस्की आवश्यकताओं पर अधिक जोर देते हैं, तो रैडक्लिफ ब्राउन संस्कार विधियों पर ज्यादा जोर देते हैं।

टैलकॉट पारसंस (1902-1979)

पारसंस ने अपने प्रकार्यात्मक विचार को अपनी पुस्तक The Social System में अधिक स्पष्ट किया है। इनके अनुसार समाज व्यवस्था को हमें एक गतिशील व्यवस्था के रूप में देखना चाहिए।

पारसंस का मत है कि सामाजिक व्यवस्था या संरचना के बने रहने के लिए कुछ **प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाएं** होती है। उन प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाओं का संबंध सामाजिक व्यवस्था एवं व्यक्तित्व व्यवस्था दोनो से होता है। पारसंस के अनुसार किसी भी सामाजिक व्यवस्था को बनाने
ाले अनेक वैयक्तिक कर्त्ता (individual actors) होते है जो एक परिस्थिति विशेष में एक दूसरे के साथ अन्त:क्रिया करते रहते हैं तथा जिनके पारस्परिक संबंध सांस्कृतिक स्तर पर निर्धारित संरचना और सहयोगी प्रतीकों की एक व्यवस्था के संदर्भ में परिभाषित और परिवर्तित होते रहते हैं। स्पष्टत: पूरी सामाजिक व्यवस्था का अस्तित्व समाज के वैयक्तिक कर्ताओं के प्रकार्यात्मक अन्त: संबंधों तथा अन्त:क्रियाओं पर निर्भर होता है।

पारसंस के अनुसार **अनुकूलन** (Adaptation)**, लक्ष्य अभिविन्यास** (Goal Orientation), **एकीकरण** (Integration) तथा **अव्यक्तता** (Latency) प्रक्रियाओं एवं संरचनाओं के परिणामों के लक्ष्यों को **सोद्देश्यवाद** (Teleology) के नाम से जाना जाता है। पारसंस के अनुसार उद्देश्यों एवं मूल्यों का अभिविन्यास (orientation) समाज में सामंजस्य एवं तनाव दोनो को जन्म देता है। उन्होंने दो स्तरों पर सामाजिक परिवर्तन की कल्पना की है। **प्रथम,** सामाजिक व्यवस्था के भीतर की प्रक्रियाओं से उभरने वाला परिवर्तन तथा **दूसरा** सामाजिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन की प्रक्रियाएँ हैं।

प्रथम, परिवर्तन का अध्ययन प्रतिमानों (paradigms) की सहायता से किया जाय। प्रतिमानों के अंतर्गत पारसंस ने अभिप्रेरणात्मक (motivational), मूल्यपरक उन्मुखता तथा सामाजिक व्यवस्था की प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाएँ, जैसी श्रेणियों के विश्लेषण को सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।

पारसंस के अनुसार दूसरा पहलू यह है कि सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

विशिष्ट ऐतिहासिक स्तर पर किया जाना चाहिए न कि सामान्य स्तर पर जो सभी समाजों पर लागू हो। पारसंस ने संपूर्ण सामाजिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन का विश्लेषण विकासात्मक सार्वभौमिक तत्वों (Evolutionary Universals) की अवधारणा के माध्यम से करने की कोशिश की। पारसंस ने सामाजिक व्यवस्था के भीतर होने वाले सामाजिक परितर्वनों की व्याख्या जैविक जीवन चक्र के भीतर होने वाले परिवर्तनों के आधार पर की है।

पारसंस के अनुसार सांस्कृतिक मूल्यों एवं विश्वासों की बुद्धिसंगत व्याख्या (Rationalization) की प्रक्रियाओं के द्वारा भी सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत परिवर्तन होते हैं।

Notepad

आर.के. मर्टन (1910-2003)

आधुनिक समाजशास्त्र के संरचनात्मक प्रकार्यवाद को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने का महत्वपूर्ण श्रेय मर्टन को जाता है। मर्टन ने प्रकार्य ने प्रकार्य के पाँच प्रचिलत अर्थो में चर्चा की है, जो इस प्रकार है:

1. सार्वजनिक उत्सव या सम्मेलन के अर्थ में
2. व्यवस्था के रूप में
3. एक सामाजिक पद पर आसीन व्यक्ति के कार्यलाप (Activity)
4. गणित शास्त्रीय अर्थ में और
5. व्यवस्था बनाए रखने में सहायक प्रणाशास्त्रीय या सामाजिक कार्य प्रणालियों के अर्थ में

मर्टन ने **'अवलोकनीय वस्तुगत'** (Obseravbale objective conseques) को ही प्रकार्य कहा है। मर्टन ने प्रकार्य को दो भौतिक अर्थो में प्रयोग किया वे हैं

1. एक जैव व्यवस्था के अर्थ में प्रकार्य एवं
2. जैव व्यवस्था के अंतर्गत किसी लक्ष्य आदि के परिणामों के अर्थ में प्रकार्य। मर्टन के अनुसार कुछ इकाईयों **प्रकार्यत्मक** होती है तो कुछ इकाइयाँ **आंशिक रूप से दुष्प्रकार्यत्मक** (Partially Dys functional) भी कुछ अप्रकार्यात्मक (none functional) तो कुछ पूर्णरूपेण **दुष्प्रकार्यात्मक** TotallyDysfunvtional

मर्टन ने प्रकार्यत्मक व्याख्या के निमित्त चार अवधारणाओं को विकसति किया वे है, **प्रकार्य** (Function), **दुष्प्रकार्य** (Dysfuncetion), **प्रकट प्रकार्य** (Manifist function) और **अप्रकट प्रकार्य** (leaent function)। मर्टन ने प्रकट प्रकार्य एवं प्रकार्य के बीच के अन्तर को स्पष्ट करने के लिए **न्यू मैक्सिकों के होपी इन्डियंस** के बीच पाए जाने वाले **वर्षा नृत्य** (rain dance) का उहारण दिया है।

दुष्प्रकार्य को भी- प्रकट दुष्प्रकार्य (Manifeast Dynsfunction)

एवं- अप्रकट दुष्प्रकार्य (latent dysfunction)

सकारात्मक कार्यो को (या प्रकार्यो को) Eufunction, एवं नकारात्मक को Dysfunction के नाम से जाना जाता है।

NET, JRF Manish Singh Sir LLC Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

Notepad

नगरीकरण (URBANIZATION)

अर्बन (Urban) और **अर्बेन** (Urbane) दोनो शब्दों की उत्पत्ति **लैटिन शब्द अर्बनस** से हुयी। जिनके अर्थ हैं **'नगर में रहने वाला'**। अर्बेन (Urban) शब्द का आशय **"विशेषीकृत, सभ्य, विनम्र या सुरूचिपूर्ण"** से लिया जाता है। अत: इन गुणों को गांवों की अपेक्षा नगरों की विशेषता माना जाता है। गांव के निवासी को 'देहाती' या ग्रामीण व नगर के निवासी को नगरीय कहा जाता है।

यद्यपि कि नगरों की उत्पत्ति कोई 10 हजार वर्ष पूर्व मानी जा सकती है। फिर भी नगर में वैज्ञानिक रूचि कुछ सौ वर्ष पूर्व ही पैदा हुयी है और नगरीय समाज शास्त्र तो और भी नया है। ऐसा माना जाता है कि इटली निवासी **जिओवान्नी बोटेरो** ने नगर से संबंधित पहली पुस्तक (डेले कॉज डेल्ला ग्रण्डेजा डेल्ला सिट्टा, 1598) लिखी। इस किताब का अंग्रेजी अनुवाद 1806 में **'ए ट्रीटीस कन्सर्निंग द काउजेज ऑफ द मैग्निफिसेन्स ऑफ एण्ड ग्रेटनेस ऑफ सिटीज'** नाम से प्रकाशित हुआ। फिर भी इस पुस्तक का महत्व एक वैज्ञानिक जिज्ञासा से अधिक कुछ नहीं माना जा सकता।

विज्ञान की एक शाखा के रूप में नगरीय समाजशास्त्र की स्थापना के बाद भी इस विषय पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। **समाजशास्त्री रेने मांरियर** ने सर्वप्रथम नगर पर एक 'मोनोग्राफ' 'L' origine et la fonction economique des villes लिखा जो 1910 में प्रकाशित किया। लेकिन मॉरियर का दृष्टिकोण एक समाजशास्त्री की तुलना में अर्थशास्त्री अधिक था। तीन प्रारम्भिक समाजशास्त्री कृतियां:

जी. जिम्मेल (G. Simmel) **की "डाई ग्रास टाअे अन्ड डास जीस्टेस्लेबेन" अर्थात् 'ए मेट्रोपोलिस एण्ड मेन्टल लाइफ'** (A Metropolis and Mental life, 1903), **मैक्स वेबर की दाइ स्टाट अर्थात् द सिटी** (The city, 1921) **और आर. मारियर की ले विलेज एट ला विले** - (R. Mauricer's Le village et la ville, 1929) **वृहदकृतियों के अंशमात्र थे।** हॉसर मैन (Hausser man) और हालिया (Hallia, 2005) के अनुसार "यह कहना ठीक है कि जार्ज जिम्मेल पहले वैज्ञानिक थे जिन्हे नगरीय - समाजशास्त्री कहा जा सकता है।" जिम्मेल (Simmel) ने नगरीय (urban) शब्द की समाजशास्त्रीय परिभाषा दी थी और स्थानिक घनत्व, सामाजिक व्यवहार व आर्थिक विभेदीकरण के बीच अन्तर्क्रिया का विश्लेषण किया था। समकालीन उल्लेखनीय अध्ययनों मे जेन एडम (Jane Addam) **का 'हल हाउस मैप्स एण्ड पेपर्स'** (Hull House Maps and Papers, 1893) **व राबर्ट बुड** (Robert Wood) **की द सिटी वाइल्डरनेस** (The city wilderness 1899) **विशेष है।**

1888 में **चार्ल्स बूथ** ने लंदन में **"जीवन और श्रमिक"** का युगान्तरकारी अध्ययन किया। **राउन्ट्री** (Rowntree) 1901 मे पावर्टी: ए स्टडी ऑफ टाउन लाइफ (Poverty: A study of Town Life) व ए स्टडी ऑफ ए डेस्टीट्यूशन इन यार्क, इंग्लैण्ड (A study of Destitution in York, England) लिखी। परन्तु नगरीय अध्ययनों की वास्तविक प्रेरणा **राबर्ट ई. पार्क के निबंध "द सिटी" से मिली**। यह निंबध पहली बार 1915 में 'अमेरिकन जनरल ऑफ सोशियोलॉजी' में प्रकाशित हुआ। लेकिन दुर्भाग्यवश इसकी ओर उस समय बहुत कम लोगों का ध्यान गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में नगरीय समाजशास्त्र को मान्यता 1925 में 'अमेरिकन सोशियोलाजिकल सोसायटी' की बैठक के बाद ही मिल सकी। यह बैठक नगरीय समाजशास्त्र को समर्पित थी। यह बैठक नगरीय समाजशास्त्र को समर्पित थी। इस बैठक के निबंधो को ई. डब्लू. बर्गेस ने **"द अर्बन कम्युनिटी"** शीर्षक से प्रकाशित किया। इससे पहले **पार्क, बर्गेस व मैकेन्जी ने 1925 में 'द सिटी' नाम पुस्तक लिखी।** इस पुस्तक मे इन लोगों के पहले प्रकाशित हो चुके निबंधो का संग्रह किया गया था। पार्क, बर्गेस

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

के छात्रों ने भी नगरीय समाजशास्त्र पर काफी काम किया। आगे चलकर यह लोग "शिकागो सम्प्रदाय" के जमा से प्रसिद्ध हुये।

नगर क्या है?

नगरीय क्षेत्र, नगरीय केन्द्र, नगर या कस्बा आदि की परिभाषाओं में पर्याप्त भिन्नता देखी जा सकती है। नगर सम्बन्धी परिभाषाएं एक देश में कुछ और तो दूसरे देश में कुछ और होती हैं। साथ ही इनमे एक ही देश में दो भिन्न जनगणना वर्षों में भी अन्तर देखा जा सकता है। तात्पर्य यह है कि ये सभी परिभाषाएं स्थान व समय कालिक होती हैं। यद्यपि की समझने की दृष्टि से नगरीय आबादी में नगरों व कस्बों की आबादी शामिल कर ली जाती हैं फिर भी 'नगरीय' क्या है, इसको परिभाषित करना अपने आप में एक दुरूह कार्य है।

भारतीय संदर्भ में 'नगर' या नगरीय की परिभाषा

1901 की जनगणना से 1951 की जनणगना तक भारतीय संदर्भ में कस्बों की परिभाषा लगभग एक समान रही। इस अवधि में कस्बों की परिभाषा पूर्णत: वस्तुनिष्ठ नहीं रही, क्योंकि इस अवधि में कस्बों की परिभाषा सिर्फ जनसांख्यिकीय आधारों तक ही सीमित नहीं थी बल्कि कस्बों की पहचान के संदर्भ में जनगणना अधीक्षक को विशेषाधिकार प्राप्त था। वह अपने विवेक से कुछ क्षेत्रों को कस्बा घोषित कर सकता था। स्वतन्त्रता पश्चात 1961 की जनगणना में नगरीय क्षेत्र को वस्तुनिष्ठ तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया गया जो कि निम्नलिखित हैं:

(क) सभी स्थान जहां नगरपालिका, निगम, छावनी बोर्ड, अथवा अधिसूचित कस्बा क्षेत्र समिति इत्यादि हैं।

(ख) अन्य सभी स्थान जो निम्नलिखित मानदंडो को पूरा करते हैं:

1. न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो।
2. कार्यरत जनसंख्या मे से कम से कम 75 प्रतिशत पुरूष गैर कृषि कार्य मे लगे हों।
3. जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग कि.मी. कम से कम 400 व्यक्ति हो।

इस परिभाषा मे 1981 व 1991 के दौरान थोड़ा परिवर्तन किया गया। जहां 1961 व 1971 की जनगणना वानिकी, मत्स्यन, पशुपालन, आखेट, लॉगिगं, बगान और फलों के उद्यान आदि कार्यों मे लगे श्रमिकों को गैर कृषि कार्यकलाप में संलग्न श्रमिकों के अन्तर्गत रखा गया। वहीं 1981 व 1991 की जनगणनाओं मे इन्हें 'कृषि कार्यों में संलग्न श्रमिकों' (पुरुषों को) के अन्तर्गत रखा गया।

ऐसे क्षेत्र जो (ख) मानदण्डो की पूर्ति नहीं करते थे उन्हें भी 1991 के पूर्व जनगणना अधिकारी अपने विवेक से नगर क्षेत्र घोषित कर सकता है। लेकिन 1991 की जनगणना में जनगणना अधिकारी के इस विवेकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। 2001 की जनगणना मे 1991 की स्थिति बरकरार रही। जनगणना 2001 में नगरीय (जनगणना कस्बा) परिभाषा को निम्न रूप में प्रस्तुत किया गया:

(क) संवैधानिक कस्बा वे सभी स्थान जिनमे नगरपालिका या नगर निगम या कैंटोमेंट एरिया या नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी है।

(ख) **जनगणना कस्बा :** वे सभी स्थान जो निम्न कसौटियों पर खरे उतरते हैं:

(i) जिनकी जनसंख्या कम से कम 5000 है।
(ii) जिनकी 75 प्रतिशत कार्यशील पुरुष जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में लगी हो।
(iii) जिनकी जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग कि. मी. हो।

भारतीय जनगणना में 100000 या अधिक आबादी वाले किसी भी क्षेत्र को नगर माना जाता हैं तथा उपर्युक्त (ख) श्रेणी के मानदंडो को पूरा करने वाले क्षेत्र को जनगणना कस्बा माना जाता है। जनगणना के अनुसार नगरीय क्षेत्र को भारत में 6 भागों में बांटा गया है:

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

जनसंख्या

वर्ग I	–	1 लाख या 1 लाख से अधिक
वर्ग II	–	50000 से 99999
वर्ग III	–	20000 से 49999
वर्ग IV	–	10000 से 19999
वर्ग V	–	5000 से 9999
वर्ग VI	–	5000 से कम

Notepad

वर्ग एक की नगरीय इकाइयों को सामान्यतया 'नगर' कहा जाता है। अन्य शब्दों में नगरीय समुच्चयों/कस्बों, जिनकी आबादी एक लाख या उससे अधिक है को नगर कहा जाता है। नगरीय समुच्चयों/कस्बों, जिनकी आबादी 10 लाख (1 मिलियन) या उससे अधिक है, को **"मिलियन प्लस"** नगर या **महानगरीय (मेट्रोपालिटन)** कहा जाता है। कस्बे जिनकी आबादी 20000 से 99000 के बीच है, (वर्ग II और वर्ग III) को मध्यम आकार का कस्बा कहा जाता है तथा वर्ग (श्रेणी) IV, V व VII को सामान्यतया छोटे कस्बे कहा जाता है। यहां एक बात ध्यान देने योग्य है कि **"भारत में नगरीय क्षेत्रों के वर्गीकरण की इकाई करना है।"** 2001 की जनगणना के अनुसार कुल नगरीय आबादी का 67-68 प्रतिशत भाग प्रथम वर्ग/श्रेणी के नगरों में रहता है।

परन्तु समाजशास्त्री नगर की परिभाषा में जनसंख्या के आकार को अधिक महत्व नहीं देते। क्योंकि न्यूनतम जनसंख्या मापकों में काफी भिन्नता पायी जाती है। अनेक अन्य समाजशास्त्रीय श्रेणियों की तरह नगर अमूर्त है; लेकिन जिन तत्वों से इसकी रचना हुयी-निवासी, संरचनाएं, परिवहन के साधन आदि अलग अलग प्रकृति के ठोस अस्तित्व है। नगर के कार्यात्मक तत्वों के एक सम्पूर्ण एकीकरण से इसकी रचना होती है।

कुछ विद्वानों ने नगर की परिभाषा एक ऐसे स्थान के रूप मे की है कि नगर वह स्थान है जिसका प्रसार इतना अधिक हो गया है कि लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं है। **सोम्बार्ट** (Sombart) इसे समाजशास्त्रीय परिभाषा मानते हैं। परन्तु अत्यन्त छोटे आकार के नगरो के बारे में सोम्बार्ट का यह 'अपरिचितता' सम्बन्धी कथन स्वत: ही गलत सिद्ध हो जाता है। दूसरी ओर **सोरोकिन, जिम्मरमैन** जैसे समाजशास्त्रियों का विचार ठीक इसके विपरीत है, वे अधिक संख्या में सम्पर्क को नगरीय-विशेषता मानते हैं। लेकिन भारत में छोटे कस्बे लगभग गांवों की ही विशेषता रखते है जहां यह परिभाषा लागू नहीं हो सकती। वहीं **विलकॉक्स** ने व्यवसाय (कृषि) के आधार पर नगर को परिभाषित करने का प्रयास किया है। जब एक मानदंड के प्रयास सफल नहीं हुये तब कुद लेखकों ने नगर की परिभाषा बहुल मानदंडो पर देने का सुझाव रखा। इन लेखकों मे - सोरोकिन व जिम्मरमेन, मॉनियर और सोम्बार्ट उल्लेखनीय है। **मॉनियर के अनुसार** "एक नगर, एक पूर्ण समाज है, जिसका भौगोलिक आधार विशेष रूप से इसकी आबादी के लिए सीमित होता है अथवा जिसका भू-भागीय घटक इसके मानवीय घटक की तुलना में अपेक्षाकृत कम मात्रा में होता है।" लेकिन यह परिभाषा यह नहीं बता पाती की वह न्यूनतम घनत्व क्या होगा जहां से गांव नगर बन जाता है। **सोरोकिन व जिम्मरमेन** ने इसे अधिक स्पष्टता से प्रस्तुत किया है। उन्होंने आठ विशेषताएं बतायी है जो ग्राम व नगर को पृथक करती हैं:

1. व्यवसाय
2. पर्यावरण
3. समुदाय का आकार
4. जनसंख्या का घनत्व
5. आबादी की सजातीयता या विषमजातीयता
6. सामाजिक विभेदीकरण या स्तरीकरण
7. गतिशीलता
8. अन्त:क्रिया की पद्धति

लेकिन इसमें भी और विशेषताएं गिनायी जा सकती हैं।

NET, JRF Manish Singh Sir IG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

डिकिन्सन : नगरीय विशेषताओं को काफी हद तक जोड़ने मे सफल रहे। उनके अनुसार "सर्वप्रथम नगर एक संस्थागत केन्द्र है, समाज जिसका यह प्रतिनिधित्व करता है की संस्था का, धर्म का, संस्कृति का और सामाजिक सम्पर्क का तथा राजनीतिक व प्रशासनिक संगठन का स्थान है। दूसरा यह कृषि और औद्योगिक उत्पादन का (जिसमें औद्योगिक उत्पाद ज्यादा महत्वपूर्ण है) स्थान है तीसरा यह वाणिज्य और परिवहन का स्थान है। चौथा नगर शासकों, धनवानों और सेवानिवृत्त लोगों के रहने का स्थान है, जहां वे अपने समाज की संस्थाओं द्वारा प्रदत्त सभ्य जीवन की सभी सुख सुविधाओं का उपभोग कर सकते हैं। पांचवा, यह उन लोगों के लिए, जो यहां काम करते हैं, का निवास स्थान है।

Notepad

महानगर (मेट्रोपॉलिस) की अवधारणा:

मेट्रोपॉलिस **एक ग्रीक शब्द है** जो वास्तव में दो शब्दों **मेटर** (Meter) **अर्थात् मदर** (Mother) **और पॉलिस** (Polis) अर्थात् सिटी (City) से बना हुआ है। इसलिए **मेट्रोपॉलिस का अंग्रेजी अनुवाद मदर सिटी** किया जा सकता है।

प्राचीन काल में मेट्रोपॉलिस शब्द का प्रयोग विशेष प्रकार के नगर जैसे साम्राज्य, राज्य, राज्य की राजधानी, वह भू भाग जहां से अन्य भागों पर शासन किया जाता था आदि के लिए किया जाता था। स्पष्ट है कि प्राचीन काल मे मेट्रोपॉलिस किसी अन्य नगर की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण था।

आधुनिक काल मे कोई भी बड़ा नगर मेट्रोपॉलिस कहलाता है। भले ही वह सत्ता का केन्द्र न हो।

ग्रामीण-नगरीय सातत्यक (Rural-urban continuum)

विश्व को मोटे तौर पर दो प्रकार की मानव बसावटों ग्रामीण व नगरीय में वर्गीकृत किया जाता है। ग्राम से नगर का विकास कैसे हुआ? इसके संबंध में समाजशास्त्रियों ने विभिन्न उपागमों का निर्माण किया है। इन उपागमों मे प्रमुख उपागम निम्नवत है:

1. **ट्रेट काम्प्लेक्स उपागम:**इस उपागम मे ग्राम से नगर को अलग करने के लिए व्यवसाय, आकार, घनत्व, सजातीयता, पर्यावरण आदि विशेषताओं का मात्रात्मक परीक्षण किया जाता है।
2. **आदर्श प्ररूप** (Ideal Type) **उपागम :** इस उपागम के अंतर्गत अध्ययन किये जाने वाले विषय का एक आदर्श रूप बना लिया जाता है। फिर उससे विषय की तुलना करके वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाता है। समाजशास्त्र मे आदर्श प्ररूप उपागम के निर्माण का श्रेय "मैक्स वेबर" को प्राप्त है। इस उपागम में आदर्श प्ररूप के साथ विषय की तुलना की दो विधियां है:
 (i) **नॉन पोलर आदर्श प्ररूप उपागम :** यह जानने के लिए कि वास्तविक अनुभवजन्य उदाहरण, आदर्श प्रकार के कितना नजदीक है। वास्तविक उदाहरण की तुलना आदर्श प्रकार से की जाती है। इसमे तुलना करने के लिए सिर्फ एक ही आदर्श प्रकार की कल्पना की जाती है।
 (ii) **पोलर** (Polar) **आदर्श प्ररूप उपागम :** इसमे विपरीत ध्रुवों पर स्थित दो आदर्श प्ररूप की कल्पना की जाती है। फिर वास्तविक उदाहरण की दोनो आदर्श प्ररूपों से अलग-अलग तुलना करके यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि वास्तविक उदाहरण किस छोर से कितना नजदीक है।

ग्राम का आदर्श प्ररूप विषय की वास्तविक स्थिति नगर का आदर्श प्ररूप राबर्ट रेडफील्ड की लोक-नगरीय या ग्रामीण नगरीय सातत्यक की अवधारणा नॉन पोलर उपागम के अन्तर्गत आती है। सातत्यक दी गयी विशेषताओं के क्रमिक विस्तार की निर्बाध श्रृखंला होती है। इसे क्रमश: डिग्रियो के माध्यम से दर्शाया जाता है। रेडफील्ड का मानना है कि ग्रामीण व नगरीय समुदायों को बिल्कुल अलग करके नहीं देखा जा सकता। इन दोनो के बीच निरंतरता होती है। एक समुदाय जैसे जैसे ग्रामीण से नगरीय

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

होता जाता है, इसमे निम्नलिखित दिशा में परिवर्तन आते जाते हैं:

1. सांस्कृतिक घनिष्ठता और संगठन से विसंगठन की ओर
2. सामूहिक या सामुदायिक अभिमुखीकरण (orientation) से वैयक्तिक अभिमुखीकरण की ओर

रेडफील्ड ने लोक-नगरीय सातत्यक अपनी अवधारणा का विकास-मेरिडा सिटी में (1930 के दशक में) युकाटन में, जिटास टाउन मे, चान कोम की माया कृषक गांव और तुसिक के जनजातीय गांव के अध्ययनों मे किया।

रेडफील्ड ने ग्रामीण समाज को नगरीय समाज के विपरीत ध्रुव के रूप में परिभाषित किया है। अपने यूकाटन अध्ययन में **'द फोल्क कल्चर यूकाटन'** पुस्तक लिखी व ग्रामीण समाज (folk society) के आदर्श प्ररूप की निम्नलिखित विशेषताएं बतायी हैं।

- यह एक लघु, पृथक, निरक्षर, सजातीय समूह है, जिसमें समूह के एकता की भावना बलवती होती है।
- जीवन शैली परम्परागत होती है।
- लोगों का व्यवहार परम्परागत, नैसर्गिक, अविवेचित और व्यक्तिगत होता है।
- प्रकृति या बौद्धिक उद्देश्यों के सम्बन्ध में प्रयोग नहीं किये जाते।
- पारिवारिक समूह कार्य की इकाई के रूप में कार्य करता है। बंधुत्व की भावना प्रबल होती है।
- यह एक पवित्र समाज है। पंथनिरपेक्षता पर पवित्रता प्रभावशाली होती है।
- अर्थव्यवस्था बाजार की अपेक्षा एक प्रस्थिति होती है।

रेडफील्ड ने नगरीय आदर्श प्ररूप को ग्रामीण आदर्श प्ररूप के विपरीत कहकर छोड़ दिया है। उनका मुख्य ध्यान ग्रामीण समाज की प्रशंसात्मक विशेषताओं पर था। रेडफील्ड नगरीय समाज को **"आधुनिक नगरीय समाज"** कहते हैं।

इसी क्रम में रेडफील्ड ने **शिकागो विश्वविद्यालय** के अपने एक विश्लेषण (The Folk Society) मे **जनजातीय-नगरीय सातत्यक** की भी चर्चा की है। इसके सम्बन्ध में उन्होने एक रेखाचित्र भी प्रस्तुत किया है।

लेविस ने रेडफील्ड के सिद्धान्त की वृहद आलोचना प्रस्तुत की है। उन्होने कहा कि सांस्कृतिक परिवर्तन ग्राम-नगरीय प्रगति का विषय नहीं हो सकता। विशेषकर स्पैनिश ग्रामीण तत्वों 'जैसे प्लो' की बढ़ती या घटती हुयी विषमजातीयता ने **टेपोजलान** (Tepoztlan, **रेडफील्ड का अध्ययन**) को अधिक नगरीय तो नहीं बनाया लेकिन इसे अधिक विविधीकृत ग्रामीण संस्कृति प्रदान की है।

शहरीकरण या नगरीकरण (Urbanisation): सामान्यतया नगरीकरण को औद्योगीकरण का परिणाम माना जाता है। परन्तु यह बात हमेशा सत्य साबित नहीं हुयी है। नगरीकरण वस्तुतः शहरी बन जाने, शहरों का स्थानान्तरण हो जाने, कृषिगत व्यवसायों का गैर कृषिगत व्यवसायो में बदलने, व्यवहारो के तरीको (प्रतिमानो) मे परिवर्तन आदि से संबंधित प्रक्रिया है। यहां एक बात ध्यान रखने योग्य है कि कुल आबादी मे नगरीय आबादी की प्रतिशतता का बढ़ना ही नगरीकरण का सबसे महत्वपूर्ण आयाम है।

नगरीकरण: एक सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया: नगरीकरण एक सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का नाम है। जिससे लोगों की संस्कृति व विचारो में परिवर्तन आता है। **टाइनबी** का मानना है कि शहरीकरण, 'पश्चिमीकरण' में देखा जा सकता है। विसरण (Diffusion) और पुर्नसंस्कृतिग्रहण (Reculturation) की अवधारणों से नगरीकरण को और भी अधिक स्पष्ट किया जा सकता हैं तात्पर्य यह है कि व्यापक अर्थों में शहरी संस्कृति का प्रसार व लोगों द्वारा शहरी संस्कृति को अपनाना शहरीकरण/नगरीकरण कहलाता है।

भारत में 600 ई. पू. से ही नगरीकरण की प्रक्रिया का एक सतत् इतिहास रहा है। इस काल मे तीन प्रमुख सामाजिक-सांस्कृतिक प्रक्रियाओं ने नगरीकरण के स्वरूप

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

को निर्धारित किया:

1. आर्थीकरण/आर्थिकीकरण
2. पारसीकरण
3. पश्चिमीकरण

नगरीकरण की आर्थिकीकरण प्रक्रिया ने तीन प्रकार के नगरो को जन्म दिया:

1. **राजधानी नगर** : यहां क्षत्रियों की धर्मनिरपेक्ष सत्ता थी।
2. **व्यापारिक नगर** : जहां वैश्यों का प्रभाव था।
3. **पवित्र नगर** : ये नगर एक समय तक बौद्ध धर्मावलम्बियों के प्रभाव मे रहे जो कि क्षत्रिय थे, बाद मे ये ब्राम्हणों के प्रभाव में आ गये।

पारसीकरण: 10वीं शताब्दी ईस्वी से मुस्लिम शासन के सूत्रपात के साथ ही भारत में शहरी केन्द्रो ने पूरी तरह से एक नया सामाजिक सांस्कृतिक रूप ग्रहण कर लिया था। नगर इस्लाम धर्मावल्बी बन गये थे पहले फारसी फिर उर्दू राज काज की भाषा बन गई तथा फारसी संस्कृति ही शहरी अभिजात वर्ग के व्यवहार पर हावी रही।

पश्चिमीकरण: पश्चिमीकरण, भारत में 150 वर्षीय अंग्रेजी शासन का परिणाम था। प्रशासन, शिक्षा, भाषा, वेशभूषा आदि में अंग्रेजो का स्पष्ट प्रभाव था। नगरवाद व पश्चिमीकरण मे स्पष्ट संबंध देखा जा सकता है।

नगरीकरण: एक राजनीतिक-प्रशासनिक प्रक्रिया

प्रशासनिक व राजनीतिक कारक शहरो के विकास के लिए प्राय: एक प्रारंभिक प्रेरणा का काम करते हैं। फिर व्यापारिक एवं औद्योगिक क्रियाकलाप प्रक्रिया को गति प्रदान करते हैं।

अतीत में राजनीतिक प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अनेक नगरो का जन्म हुआ जो आज भी प्रासंगिक है।

नगरीकरण: एक आर्थिक प्रक्रिया।

आधुनिक नगरीकरण अनिवार्यत: एक आर्थिक प्रक्रिया है। वर्तमान समय मे नगर उत्पादक गतिविधियों के केन्द्र बन चुके हैं।

नगरीकरण: एक भौगोलिक प्रक्रिया

प्रवसन (migration) ने नगरो के विकास मे अति महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। नगरीकरण प्रक्रिया में प्रवसन मुख्यत: तीन रूपो में देखने को मिलता है:

1. लोगों का ग्रामीण क्षेत्रों से नगर की ओर पलायन करना: नगरीकरण
2. लोगों का छोटे नगरों एवं नगरों से बड़े नगरों की ओर प्रवसन: महानगरीकरण महानगरीकरण की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय/राज्यीय राजधानियों में प्रशासनिक, राजनीतिक व आर्थिक शक्तियों के केन्द्रीकरण का परिणाम होती है।
3. महानगरीय जनसंख्या का महानगर के परिधीय इलाकों की ओर पलायन: उपनगरीकरण।

नगरीकरण के प्रकार

1. **अतिनगरीकरण** (Over urbanisation): (विकासशील देशों में)

"औद्योगिकरण के बिना ही शहरीकरण हो जाता है।" विनिर्माण क्षेत्रक (Manufacturing sector) की तुलना में सेवा क्षेत्रक service sector का महत्व बढ़ जाता है।

महानगरीय संस्कृति का विकास विदेशी पूंजी से होता है ऐसे में विकासशील देश की अपनी नगरीय संस्कृति का ह्रास होने लगता है।

अतिनगरीकरण के प्रभाव

1. अपर्याप्त आवास
2. असुरक्षित अपर्याप्त पेय जल
3. अप्रभावी व अप्रर्याप्त परिवहन

Notepad

Manish Singh Sir NET, JRF EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

4. प्रदूषण का आधिक्य
5. पर्यावरण संबंधी गिरावट

2. **न्यून नगरीकरण** (Under urbanisation): औद्योगीकरण तो अधिक परन्तु उस पर निर्भर करने वालो के लिए 'आवास' आदि की व्यवस्था नहीं हो पाती। ऐसी जगहो, शहर के बाहरी क्षेत्रों की तुलना में मंहगाई भी अधिक होती है। अत: लोगों को काम पर आने और जाने के लिए लम्बा सफर तय करना पड़ता है। केवल ऊंचे वर्ग के लोग ही शहरो में रह पाते हैं। अत: न्यून शहरीकरण की प्रक्रिया मे औद्योगीकरण का भार गरीब लोगो पर पड़ता है।

विनगरीकरण (De-urbanisation): **(विकसित देशो में)**

शहरी आबादी, गांवो में लौटने लगती है, इसे 'ग्रामीकरण' भी कहते हैं।

'ग्रामीकरण' विशेष रूप से उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रो में दिखायी पड़ता है।

गंदी बस्तियां

गंदी बस्तियों के पनपने के कारण:

1. नगर की जनसांख्यिकी गतिशीलता (Demographic dynamism) जिससे शहरो में अधिक रोजगार पाया जाता है और लोग नगरों की ओर अधिक आकर्षित होते हैं।
2. आवासीय उपलब्धता, मांग से काफी कम।
3. नगरीय भूमि नीति, जिससे गरीब भूमि बाजार तक नहीं पहुंच पाता।

गंदी बस्तियों के प्रमुख लक्षण

1. बेढंगें तथा बेकार सामग्री से बने घर, जो मुख्यत: अवैध भूमि पर बने होते हैं।
2. घरों में जनघनत्व अत्यधिक रहता हे, एक कमरे में कई-कई लोग रहते हैं।
3. जन सुविधाओं जैसे गटर, सीवर लाइन, बिजली, स्वास्थ्य केन्द्र, नल, सुलभ शौचालय आदि का अभाव होता है।
4. विचलित व्यवहारो जेसे अपराध, नशाखोरी, जुआ आदि की अधिकता पायी जाती है।
5. झोपड़ पट्टियों की अपनी एक संस्कृति होती है जिसे **आस्कर लुइस ने गरीबी की संस्कृति** तथा **मार्शल क्लीनार्ड "जीवन की एक शैली" कहते हैं।**
6. उदासीनता (Apathy) तथा सामाजिक अलगाव की अधिकता देखी जा सकती है।

नगरीकरण तथ्यात्मक

- समाजशास्त्र में ग्रामीण समाज या परिवेश का शहरी पर्यावरण में परिणित होना या ग्रामीणो द्वारा नगरीय मूल्यो (urban values) को अपने जीवन मे अपनाना नगरीकरण कहलाता है।
- सामाजिक मानवशास्त्र में लोक संस्कृति (Folk Culture) का शहरी संस्कृति (urban culture) मे परिवर्तित होना नगरीकरण कहलाता है।

टी.जी. मक्गी (T.G. Mcgee): नगरीकरण एक वैलून की तरह है जिसमे प्रत्येक समाज वैज्ञानिक अपना ही अर्थ भरते हैं।"

P.M. Hauser एवं Hope Tisdale: जनसंख्या केन्द्रण को नगरीकरण का प्रमुख आधार माना।

मेल्स एण्डर्सन:"नगर प्रभाव का बाह्य विस्तार" की बात कही। "Out-reaching of urban influence"

अगर ग्रामीण लोग वहीं रहकर, नगरीय जीवन शैली अपनाते हैं तो उसे भी नगरीकरण कहा जाएगा।

Davis: "नगरीकरण समस्त जनसंख्या की, नगरीय आबादी में समानुपातिक वृद्धि है।"

Davis के अनुसार अगर ग्रामीण आबादी की तुलना मे नगरीय आबादी तेजी से बढ़ती है तो उसे नगरीकरण कहा जाएगा, परन्तु यदि दोनो की आबादी समानुपातिक ढंग से बढ़ती है तो उसे नगरीकरण नहीं कहा जाएगा।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

अतः नगरीकरण से अभिप्रायः

- प्रवास के द्वारा शहरों की आबादी में वृद्धि।
- कृषि केन्द्रित पेशो से निकलकर औद्योगिक पेशों को अपनाना।
- कृषि प्रधान या प्राकृतिक भू-दृश्य का नगरीय भू दृश्य मे परिवर्तित होना।
- ग्रामीण आबादी की तुलना में शहरी आबादी में तीव्र वृद्धि।
- लोगों द्वारा नगरीय जीवन शैली को अपनाना।
- पुराने शहरो की आबादी में वृद्धि तथा नये शहरो की उत्पत्ति।

Notepad

विशेषताएं:

- मशीनों पर अधिक निर्भरता।
- श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण।
- परम्परागत आदर्शो व मूल्यों से लोगों के व्यवहार का नियंत्रण बहुत कम।
- आपसी संबंध छिछले व अस्थायी।
- सामाजिक गतिशीलता अधिक।
- पर्यावरण मानव निर्मित व परिवर्तनशील।
- लोगो का जीवन घड़ी की सुई से निर्धारित।
- शहरी जीवन के लोगों में एक प्रत्याशा अधिक पायी जाती है।
- जब कभी लोगों को लगता है कि शहरों में कुछ परिवर्तन होने वाला है तो वहां के लोगों को लगता है कि कुछ और भी परिवर्तन होने जा रहे है, और जैसे-जैसे परिवर्तन आता है लोग अपने को समायोजित कर लेते हैं।
- अविश्वास व बेइमानी की तुलनात्मक अधिकता। सभी कार्य लिखित।

आधुनिक नगरीकरण (Modern urbanisation): ऐसा नगरीकरण जो उद्योगों पर आधारित होता है।

औद्योगिक क्रान्ति के पूर्व हुये नगरीकरण को परम्परागत नगरीकरण कहा जाता है।

आधुनिक नगरीकरण की विशेषताएं:

1. Metropolis (10 लाख से अधिक जनसंख्या)
 Megalopolis (1 करोड़े से अधिक जनसंख्या)
 भारत में 3 Megalopolis - दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता।
2. Conurbation: **(नगरीय श्रंखला या उनगरीय समूहन)** इस अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम पैट्रिक गिड्स ने अपनी पुस्तक "सिटीज इन इवाकल्यूशन" में दक्षिणी लंकाशायर के साथ विकसित हुये नगरों के लिए की।
 जब बहुत सारे छोटे-छोटे नगर आपस मे इस प्रकार मिल जाते है कि उनमे अन्तर स्पष्ट नहीं रह जाता।
 ऐसे नगरो की आबादी 1 करोड़ होना अनिवार्य है।
 USA मे वोस्टन से वाशिंगटन डी.सी. तक 450 मील लंबी नगरो की पट्टी विकसित है, इसे USA की सबसे बड़ा Conurbation माना जाता है। इसकी आबाद लगभग 40 करोड़ है।

- विकासशील देशो के समक्ष Brain-drain की समस्या उत्पन्न हो गयी है।
- आधुनिक नगर वाद ने Brain-drain, आर्थिक-साम्राज्यवाद (Economic Imperialism), अर्थ-पलायन (Economic drain) या आर्थिक उपनिवेशवाद (Economic colonialism) को बढ़ावा दिया है।
- शहरो सर्वदेशीय मन (cosmopolitan mind) व मिश्रित-संस्कृति मे वृद्धि हुयी है। परन्तु अब भी जातिवाद, नृजातिवाद और प्रजाजिवाद देखने को मिलता है।
 अब विभिन्न देशो के बीच की दूरी इतनी कम हो गयी है कि Global village की कल्पना की जा सकती है।

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

नगरीकरण के सिद्धान्त

1. **राबर्ट ई. पार्क का मानव परिस्थितिकी सिद्धान्त :** पर्यावरण, भौगोलिक परिस्थिति, प्राणी तथा पौधों के पारस्परिक संबंध को पारिस्थितिकी कहा जाता है। मानव पारिस्थितिकी, मनुष्य तथा पर्यावरण के संबंध पर प्रकाश डालती है। इस संबंध में हावली का कथन बिल्कुल सत्य प्रतीत होता है।

पारिस्थितिकी की अवधारणा प्राणीशास्त्र से सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में आयी। सबसे पहले भूगोलविद **हण्टिंगटन** (1924) ने समाज, संस्कृति और सभ्यता पर भौगोलिक परिस्थितियों के प्रभाव पर विचार किया। लेकिन भौगोलिक परिस्थितियों के प्रभाव के संबंध में इन्होने जो तर्क दिये वे अतिवादी हैं। इसके पूर्व मानवशास्त्री **"रोबर्ट लोनी"** (1917) का दृष्टिकोण इसके बिल्कुल विपरीत था। लोनी ने संस्कृति और पर्यावरण के परस्पर संबंधो पर विचार करते हुए, सांस्कृतिक विकास की पर्यावरणवादी व्याख्या की-आलोचनी की थी। **समाजशास्त्र मे पारिस्थितिकी के अध्ययन की शुरूआत का श्रेय पार्क, बर्गेस, मैकेंजी व आयो ओली को जाता है।** ऑगवर्न व निमकॉफ का मानना है कि पारिस्थितिकी समुदायों व पर्यावरण के संबंध का अध्ययन है।

– "कि प्राणी का जीवन पर्यावरण की दशाओं से बंधा है।"

राबर्ट ई. पार्क ने सर्वप्रथम नगरीय स्थानो (नगरीय पारिस्थितिकी) के विश्लेषण के लिए प्राकृतिक विज्ञान (पारिस्थितिकी) के सिद्धान्तो का प्रयोग किया। पार्क ने प्राकृतिक पर्यावरण में वनस्पति समुदायों और नगरो के अन्दर प्राकृतिक क्षेत्र (जहां नगरीय पर्यावरण के एक ही प्रकार के घटक एकत्रित थे) के बीच अनुरूपता देखी। प्रत्येक प्राकृतिक क्षेत्र या समुदाय के बीच कार्यात्मक एकता देखी जा सकती है। इस कार्यो की एकता या कार्यात्मक एकता के साथ-साथ उस समुदाय मे एक नैतिक एकता उत्पन्न होती है, यह नैतिक एकता उस समुदाय मे प्रचलित मूल्यों व मानदंड़ो को विशिष्ट बना देती है। या उस समुदाय को एक अलग पहचान प्रदान करती है। **पार्क नगरीय पर्यावरण की तुलना मोजैक से करते हैं,** जिसमें प्रत्येक खण्ड एक दूसरे से सांस्कृतिक व सरंचनात्मक दृष्टि से अलग है। लेकिन यह आपस में परस्पर अन्तनिर्भर भी हैं।

डर्कहाइम के श्रम विभाजन सिद्धान्त की तरह पार्क भी यह तर्क देते हैं कि 'एक क्षेत्र विशेष मे जनसंख्या का बढ़ता घनत्व/केन्द्रीयकरण, लोगों के कार्यो में विशेषीकरण को जन्म देता है। तथा कार्यो के विभेदीकरण द्वारा, एक खास प्रकार के विशेषीकृत लोगो को नगरो मे खास भाग मे स्थापित कर दिया जाता है।

पार्क, डार्विन के 'योग्यतम की उत्तर जीविता' सिद्धान्त (प्रतिस्पर्द्धा मे सफल प्राणी ही जीवित रहता है) से भी प्रेरित हैं। पार्क बताते है लोंगो के बीच प्रतिस्पर्द्धा ने प्रतिस्पर्द्धात्मिक सहयोग और सामुदायिक संतुलन को जन्म दिया है। यह असंतुलन किसी आंतरिक हस्तक्षेप या सामान्य जीवन चक्र के क्रम में बिगड़ता है। धीरे-धीरे उसमे फिर संतुलन आता है। इस तरह एक चक्रीय क्रम में नगरों का विकास होता है।

पारिस्थितिकी दृष्टिकोण के विद्वानो का मानना है कि नगरों का विकास अचानक या याद्वच्छिक रूप से नहीं होता बल्कि यह क्रमबद्ध रूप से उस प्रतिक्रिया का परिणाम है जो उनके लिए लाभकारी होती है। जैसे नदियों के किनारे, प्राकृतिक संसाधनो के पास, व्यापार भागों के चौराहे आदि पर नगरों का विकास देखा जा सकता है।

पारिस्थिति प्रक्रिया: आर.डी.मैकेन्जी

सामुदायिक परिवर्तन के सिद्धान्त को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से मैकेन्जी ने प्रस्तुत किया। मैकेन्जी पार्क के सहयोगी थे। मैकेन्जी ने अपने विचारो का केन्द्र बिन्दु गतिशील नगरीय प्रकृति को बनाया तथा **"परिवर्तनशील भूमि प्रयोग सिद्धान्त"** का विकास किया। उन्होने ऐसी सात प्रक्रियाओं को चिन्हित किया है जिनके कारण जनसंख्या स्थानान्तरण तथा भूमि प्रयोग के पैटर्न मे परिवर्तन आता है। ये सात परिस्थितिकी प्रक्रियाएं निम्नवत हैं:

Notepad

Manish Singh Sir NET JRF PG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

1. संकेन्द्रण
2. विसंकेन्द्रण
3. केन्द्रीकरण
4. विकेन्द्रीकरण
5. पृथक्करण
6. आक्रमण
7. अनुक्रम।

मैकेन्जी ने समुदायों को उनके कार्यों के आधार पर 4 भागों में बांटा:

1. प्राथमिक सेवा समुदाय
2. वाणिज्यिक समुदाय
3. औद्योगिक कस्बा
4. विनिर्दिष्ट आर्थिक आधार रहित समुदाय

मैकेन्जी का तर्क था कि किसी भी मानव समुदाय का आकार उसकी उत्पादन क्षमता और उसके वितरण साधनों की कुशलता से निश्चित होता है। तात्पर्य यह है कृषि आधारित समुदाय का आकार 5000 से अधिक नहीं हो सकता जबकि किसी कस्बे का आकार इससे कई गुना बड़ा हो सकता है।

उनके अनुसार किसी विशेष प्रकार का आकार तब तक बढ़ता है जब तक कि वह अपने चरम बिन्दु पर नहीं पहुंच जाता। चरम बिन्दु का तात्पर्य उस बिन्दु से है जिस पर समुदाय के आकार व उत्पादन की क्षमता में संतुलन रहता है। यह संतुलन तब तक बना रहता है जब तक कि कोई नया तत्व समुदाय में प्रवेश नहीं करता। नये तत्व से मैकेन्जी का आशय संचार के नये साधन, प्रौद्योगिकी नवीनता आदि से है। संतुलन बिगड़ जाने पर 'जैव समायोजन' के एक नये चक्र की शुरूआत होती है। अब एक बार फिर जनसंख्या की गतिशीलता व कार्यों के विभेदीकरण की पुनर्निश्चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है। पुन: प्रतिस्पर्द्धा के द्वारा प्रकार्यात्मक और स्थानिक दृष्टि से जनसंख्या का चयन होना शुरू होगा। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी तब तक समुदाय नये चरम संतुलन पर नहीं पहुंच जाता है। इन गतिशीलताओं को स्पष्ट करने के लिए मैकेन्जी ने आक्रमण व अनुक्रम की संकल्पनाओं का प्रयोग किया है।

1950 के दशक के बाद से नगरीय पारिस्थितिक सिद्धान्त मे प्रमुख विकास का श्रेय डंकन (1959) और हावली (1950, 1986) के पारिस्थितिक सिद्धान्तो को जाता है।

डंकन ने अपेन पारिस्थितिक प्रणाली (Ecological Complex) के सिद्धान्त को विकसित करने मे टॉलकॉट पारसन्स के पारिस्थितिक मॉडल व संरचनात्मक प्रकार्यवाद का सहारा लिया। डंकन ने पारिस्थितिक प्रणाली के भाव का विकास किया। जो कि पारिस्थितिक प्रणाली के चार घटकों:पर्यावरण, जनसंख्या, प्रौद्योगिकी तथा सामाजिक संगठन की अन्तक्रिया की दृष्टि से सामाजिक प्रणाली के रूप में समुदाय के विनियमन और परिवर्तन का भी सिद्धान्त है।

हावली के अनुसार पारिस्थितिकी का मुख्य क्षेत्र स्थान नहीं है लेकिन मानव जनसंख्या के प्रकार्यात्मक-विभेदीकरण तथा अनुकूलन पर अवश्य फोकस करना चाहिए। हावली का पारिस्थितिक सिद्धान्त भी पारसन्स के प्रकार्यावाद के नजदीक था।

डिजायन उपागम: इस उपागम का नगर के वास्तु से निकट संबंध है। यह किसी स्थान की प्राकृतिक विशेषताओं पर ध्यान केन्द्रित करता है। इस उपागम का संबंध मुख्यत: भवन, सड़क, नालियों, जन सुविधाओं आदि के आकार तथा प्रकार्यो से है।

जीवनशैली के रूप में नगरवाद: लुईवर्थ

लुई वर्थ ने 1938 मे प्रकाशित अपने निबंध **'अर्बनिज्म एज ए वे ऑफ लाइफ'** में नगरवाद के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। वर्थ नगरवाद/शहरवाद का अध्ययन करने वाले-पुरोधाओ मे से एक थें वे पहले विद्वान थे जिसने नगर व नगरवाद मे क्रमबद्ध

Notepad

NET JRF Manish Singh Sir PG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

विभाजन किया। वर्थ के अनुसार **"नगर सामाजिक रूप से विषमांगी व्यक्तियों का एक अपेक्षाकृत वृहद, सघन व स्थायी रूचि निवास स्थान होता है।"**

उनका विश्वास था कि जिस क्षेत्र की जनसंख्या जितनी विशाल, सघन और विषमजातीय होगी उस क्षेत्र के लोगों की जीवन शैली उतनी ही नगरीय होगी। इस प्रकार वर्थ के अनुसार नगरीकरण के मुख्य तत्व:

1. जनसंख्या आकार
2. जनसंख्या घनत्व
3. विषमजातीयता हैं।

वर्थ ने विश्लेषित किया है कि अत्यधिक जनघनत्व व विषमजातीयता के कारण नगर एक नई संस्कृति को जन्म देता है। जिसकी विशेषता प्राथमिक से द्वितीयक संबंधो में संक्रमण, भूमिका पृथक्करण, गुमनामी, अलगाव, प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण की कमी, पारिवारिक बंधनो का कमजोर होना, व्यक्तिवादी प्रतिस्पर्द्धा आदि है। इस विषमजातीयता के परिणामस्वरूप लोग पारिस्थितिकीय दृष्टि से खंडित क्षेत्रो जैसे घेटो, निर्धनता क्षेत्रो व मध्यम वर्गीय सामाप्य में समूह बनाकर रहने लगे।

वर्थ के अनुसार "नगरवाद गुणदोषों का वह समूह है जो नगरो के जीवन की विशिष्ट शैली से स्पष्ट होता है।" एक जीवन शैली के रूप में नगरवाद तीन अर्न्तसंबंधित पहलुओं से स्पष्ट होता है:

1. **एक भौतिक संरचना के रूप में:** इसके अंतर्गत एक जनसंख्या एक पारिस्थितिकी तथा एक प्रौद्योगिकी होती है।
2. **सामाजिक संगठन की एक व्यवस्था के रूप में** जिसमे एक विशिष्ट संरचना, सामाजिक संस्थाएं, तथा विशिष्ट प्रतिमानो पर आधासरित सामाजिक संबंध होते हैं।
3. **व्यक्ति या समूह के रूप में:** विचारों, अभिवृत्तियों, सामूहिक व्यवहारों आदि की एक श्रृंखला देखी जा सकती है।

लुई वर्थ ने नगरीय समाज में **प्रभावी दो प्रकार के बलों की चर्चा की है:**

1. पार्थक्य बल:
2. कुठाली प्रभाव (Melting Pot effect)

उन्होने नगर की जनसंख्या को fuild mass की संज्ञा दी है। जिसमें समान आवश्यकता वाले लोगों का सामूहीकरण हो जाता है।

- रिचर्ड लेवी ने लुई बर्थ की आलोचना मे कहा कि जीवन शैली के रूप मे जो नगरवाद है, वह हमेशा ऊँची जनसंख्या वाले क्षेत्रों में ही नहीं पाया जाता।
- वर्थ की आलोचना मे **हर्बर्ट गौस ने** urban village की अवधारणा का प्रतिपादन किया।

नगरवाद की राजनीतिक अर्थव्यवस्था: (1960 के दशक के अन्त में)

पारिस्थितिकीविदों (पार्क, वर्गेस, हावली आदि) के सिद्धान्त इस मान्यता पर आधारित थे कि नगरीय सामाजिक व्यवस्था मे एक संतुलन होता है। परन्तु इसके विपरीत नगरवाद की राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम इस तथ्य पर आधारित है कि नगरीय सामाजिक व्यवस्था के केन्द्र में द्वन्द्व होता है। इस उपागम के प्रवर्तकों का मानना है कि नगर लाभ प्रणाली द्वारा उत्पन्न होता है। जो कि सम्पत्ति व शक्ति की असमानताओं का प्रतीक होता है।

इस उपागम को मानने वाले समाजशास्त्रियों में-मैनुअल कास्टेल, डेविड हार्वे, रेक्स तथा मूर, फाल (phal) आदि प्रमुख हैं। वास्तव में यह उपागम पारिस्थितिकी उपागम के विकल्प के रूप में विकसित हुआ है और 1970 व 1980 के दशकों में महत्वपूर्ण बना।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

नगरवाद एवं उत्पन्न पर्यावरण: हार्वे एव कैसल:

आधुनिक नगरवाद के संबंध मे **हार्वे** बताते हैं कि स्थान निरंतर फिर से निर्मित होते हैं, संरचित होते हैं। लेकिन यह प्रक्रिया बड़े व्यापारिक समुदायों द्वारा निर्धारित की जाती है। यह व्यापारिक समुदाय यह निर्धारित करते हैं कि वे अपने व्यापार केन्द्र, कारखाने कहां खोलेंगें। इन्हे सरकारी नीतियों का समर्थन प्राप्त होता है जिससे किसी नगर का भू दृश्य बदल जाता है। हार्वे का तर्क है कि नगर पूंजी संचय की प्रक्रिया का विवेकसम्पत परिणाम है।

कैसल, हार्वे की बात को आगे बढ़ाते हैं। वे नगरों के निर्माण में संघर्षो व कलहों के महत्व को स्पष्ट करते हैं। कैसल ने समलैंगिक समुदाय का उदाहरण दिया है, जिसने सैन फ्रांसिस्को शहर को पुनर्गठित किया। उनका मानना है कि शहर के स्वरूप के निर्धारण मे केवल निगम, व्यापार व सरकार ही नहीं होती। बल्कि शहरो मे रहने वाले समुदायों एवं समूहों का भी महत्व होता है। **मैनुअल कैस्टेल** ने अपनी पुस्तक **"द अर्बन क्वेश्चयन** (1977)" मे कहा कि नगरवाद एक अवधारणा नहीं बल्कि एक मिथक है क्योंकि यह मानवजाति के इतिहास की सैद्धान्तिक रूप से पुनर्गणना करता है। उनके अनुसार नगरवाद पूंजीवादी औद्योगीकरण-की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति, बाजारीय अर्थव्यवस्था का उदय और आधुनिक समाज को युक्तिसंगत बनाने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को कुछ लोगो ने आधुनिकीकरण तथा कुछ ने पश्चिमीकरण कहा।

रेक्स तथा मूर (1967) के नगरीय विश्लेषण ने एक नये समाजशास्त्रीय उपागम का विकास किया। उन्होने एक ब्रिटिश नगर के आंतरिक नगर क्षेत्र के आवासी तथा प्रजातीय संबंधो का अध्ययन किया। उन्होने वर्गेस के अंचल संक्रमण (जोन 21 ट्रांजिशन) तथा वेबर के व्यक्तियों के उद्देश्य पूर्ण कार्यो पर बल को आधार बनाकर एक सैद्धान्तिक ढांचे का विकास किया।

रेक्स तथा मूर ने अपनी पुस्तक **रेस कम्युनिटी एण्ड कनफ्लिक्ट** (race community and conflict) ने संपत्ति के आधार पर तीन वर्गो क्रमश: उच्च मध्यम कर्मकार व निम्न मध्यम वर्ग की चर्चा की है। उन्होने बताया कि ये तीनो वर्ग संपत्ति पर कब्जे की दृष्टि से अलग अलग क्षेत्रों में स्थित हैं तथा इन्होने अपनी अपनी सामुदायिक जीवन शैली का विकास किया है। संकेन्द्रित अंचल सिद्धान्त की तरह इन्होने भी माना है कि नगरीय वृद्धि अन्दर से बाहर की ओर होती है क्योंकि उपनगरों की ओर जाने की आकांक्षा लोगों में स्वाभाविक रूप से पायी जाती है। चूंकि उपनगरीय आवासों की उपलब्धता सीमित होती है इसलिए इन आवासों के वितरण से लोगों के प्राप्त जीवन अवसर को आसानी से समझा जा सकता है। साथ ही उपनगरो मे आवासों सीमित उपलब्धता द्वन्द को भी जन्म देती है। इस प्रकार उपलब्धता और द्वन्द के माध्यम से नगरीय प्रक्रिया को समझा जा सकता है। रेक्स और मूर के लिए आवास बाजार एक ऐसा विश्लेषणात्मक बिंदु है जहाँ पर नगर का सामाजिक संगठन और स्थानिक संरचना एक दूसरे को विभाजित करते हैं।

फाल (Pahl 1970) यह तर्क देते हैं कि नगरों ने कार्य की असमानताओं (मजदूरी) के अतिरिक्त बहुत सी नयी असमानताओं को जन्म दिया है। उनका मानना है कि नगरीय समाजशास्त्र का कार्य नगरीय असमानताओं के विभाजन के पैटर्न का अध्ययन करना है। क्योंकि असमानताओं का विभाजन बाजार व नौकरशाही दोनो के द्वारा प्रभावित होता है।

यद्यपि की 1970 के दशक मे राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम ने नगरीय समाजशास्त्र को व्यापक रूप से प्रभावित किया। लेकिन यह बहुत अधिक समय तक स्थायी नहीं रह पाया। समाजशास्त्रीयों को इसमे बहुत सी कमियाँ दिखने लगीं। परिणामत: 1980 के दशक में नगरीय समाजशास्त्रियों ने अपने विचारो, सिद्धान्तो में गैर मार्क्सवादी तत्वों को भी शामिल करना शुरू कर दिया।

गारडिएनर (1985) ने नगरीय विश्लेषण के पारिस्थितिक और संरचनात्मक

Notepad

NET JRF Manish Singh Sir BG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

मार्क्सवादी दोनो उपागमो की आलोचना की। गारडिएनर आगे कहते है कि नगरीय स्थान की उत्पत्ति को समझने के लिए आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक प्रभावों को सामूहिक रूप से देखने की आवश्यकता है। वहीं **लेफेब्रे** (Lefebvre; 1979) ने नगरीय स्थान की परिभाषा को पुर्नपरिभाषित करने में, लोगों व उनके कार्यो को महत्व देने की बात कही।

कास्टेल्स (1983) अपनी पुस्तक **"द सिटी एण्ड द ग्रास रूट्स"** मे अपनी पहले की मार्क्सवादी विचारधारा से हटते हुए यह तर्क देते हैं कि नगर का विकास 'हित समूहों का नगर पर आशिंक नियंत्रण हेतु संघर्ष' के साथ-साथ राज्य की स्वायत्त भूमिका, लिंग विषयक सम्बन्ध, जातीय व राष्ट्रीय आंदोलन, नागरिक आंदोलन आदि से भी प्रभावित होता है।

भारत में नगरीय से सम्बन्धित अध्ययन व नगरीकरण के सामाजिक प्रभाव:

एम.एस. राव नगरीकरण व नगरवाद का विश्लेषण भारतीय समाज की वृहद सामाजिक संरचना को ध्यान में रखते हुये करते हैं। राव के अनुसार गांव व नगर का द्विविभाजन गलत है। क्योंकि दोनो समाज की संरचना जाति व नातेदारी संबंधो से बनती है। दोनो एक ही सभ्यता के हिस्से होते हैं। लेकिन राव शहरीकरण/नगरीकरण व पश्चिमीकरण के बीच स्पष्ट अन्तर करते हैं। उनके अनुसार नगरीकरण से परम्परागत सामाजिक संरचना अनिवार्य रूप से समाप्त नहीं होती। लेकिन पश्चिमीकरण से होती है। नगरीय वातावरण में परम्परागत व आधुनिक संरचना सहअस्तित्व मे रहती है। **राव नगरीकरण को एक द्विमार्गी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं जिसकी पहचान नगरीकरण व नगरीय जीवन शैली के केन्द्र के रूप में की जा सकती है।**

आशीष बोस ने नगरीकरण को परिभाषित करने के लिए गुणात्मक की जगह मात्रात्मक (जैसे जनसंख्या) कारको पर बल दिया है। उनके अनुसार नगरीकरण एक समयावधि में कुल जनसंख्या (T) के अनुपात मे नगरीय जनसंख्या (U) मे वृद्धि है।

भारत मे नगरीकरण कोई आधुनिक प्रघटना नहीं है। भारत मे नगरीकरण प्रक्रिया की पहचान सिंधु घाटी सभ्यता (2500 ई. पू.) से की जा सकती है। परन्तु भारत मे नगरीकरण प्रक्रिया का क्रमबद्ध अध्ययन 20वीं शताब्दी में उस समय प्रारम्भ हुआ जब अमरीकी व यूरोपीय विश्व विद्यालयों मे नगरीय समाजशास्त्र को समाजशास्त्र की विशिष्ट शाखा के रूप मे मान्यता मिल रही थी। फिर इसके आगे के समय मे भी भारतीय नगरीय अध्ययन अधिक नहीं हो सके।

नगरीकरण के प्रकार्यात्मक/प्रकार्यवादी सिद्धान्तो मे समाज की तुलना जीव से की गयी है। इन सिद्धान्तों मे यह माना गया कि जिस प्रकार शरीर के अस्तित्व के लिए यह आवश्यक है कि सभी अंग मिलकर काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार समाज के अस्तित्व और अनुरक्षण के लिए सामाजिक संस्थाएं मिलकर प्रकार्यात्मक ढंग से कार्य करती है। इस सिद्धान्त को **साम्यावस्था सिद्धान्त** (Equilibrium Theory) भी कहा जाता है।

अधिकांश प्रकार्यवादियों ने अपने सिद्धान्तो में द्विविभाजन पद्यति को अपनाया है। इस द्विविभाजन मे नगरीय समाज को ग्रामीण समाज के विपरीत विशेषताओं वाले समाज के रूप में परिभाषित किया गया है।

हेनरी मेन (Henry Maine, 1885) का प्रस्थिति व संविदा (Status and Contract) **एल.एच. मार्गन** (L.H. Morgan 1877) की असभ्यता, बर्बरता व सभ्यता (Savagery, Barbarism and Civilisation) की संकल्पनाए इसी द्विविभाजन पर आधारित रहीं। इल लोगों ने उद्विकासवाद के आधार पर अपने सिद्धान्तो को समझाया। इस उपागम का आगे चलकर टॉनीज, डर्कहाइम, रेडफील्ड आदि ने अनुसरण किया।

फर्डिनान्ड टॉनीज ने नगरीय समाज को **गेज़ेल शाफ्ट** (Gesselschaft) व ग्रामीण समाज को **गेमीन शाफ्ट** (Gemein schaft) कहा। टॉनीज के अनुसार गेज़ेल शाफ्ट ने गेमीनशाफ्ट के बीच द्विविभाजन सिर्फ बसावट के आकार को लेकर ही नहीं

Notepad

NET/JRF Manish Singh Sir PG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

है बल्कि दोनो में जीवन यापन के तरीके व संगठन के भाव मे भी होता है। टॉनीज ने दोनो में निम्नलिखित विभाजन किया है:

गेमीन शाफ्ट	**गेज़ेल शाफ्ट**
1. समूह/सामूहिक पहचान होती है।	1. व्यक्तिगत पहचान व स्वहित की प्रधानता या समूह विशिष्टता की प्रधानता होती है।
2. मानव अन्त:क्रिया भावनात्मक, वैयक्तिक, सामुदायिक होती है।	2. मानवीय अंत:क्रियाएं युक्तिसंगत, संविदात्मक,व संविदात्मक, व व्यक्तिगत होती है।

इन दो अवधारणाओं का प्रयोग किसी कालावधि मे समाज के अन्दर भौगोलिक क्षेत्रों मे विभेद करने की अपेक्षा सामाजिक परिवर्तन को समझाने के लिए किया जाता है।

टॉलकाट पारसन्स ने इस द्विविभाजन को और भी अधिक स्पष्टता व लचीलेपन के साथ प्रस्तुत किया है। पारसन्स के अनुसार पारसन्स ने गेमीन शाफ्ट (ग्रामीण समाज) की विशेषताओं में अनन्यता (1) गुणवत्ता (2) प्रभाववित, व विसारिता (3) का उल्लेख किया है। वहीं वे गेज़ेल शाफ्ट (नगरीय समाज) की विशेषताओं में विश्ववाद (4) कार्य निष्पादन (5) प्रभावी उभय निष्ठता (6) व विशेषज्ञता (7) का उल्लेख करते हैं।

डर्कहाइम ग्रामीण समाज को **'यांत्रिक एकता,** तथा नगरीय समाज को **"सावयवी एकता"** से संचालित मानते है।

यांत्रिक एकता का अर्थ है ऐसा सरल खंडीय समाज, जिसमे प्रारंभिक रूप का श्रम विभाजन, दमनकारी कानून और सशक्त 'सामूहिक चेतना' पायी जाती है। वहीं सावयवी एकता का अर्थ ऐसे समाज से है जिसकी जनसंख्या अधिक है, सामाजिक भूमिकाओं का विभेदीकरण है, कानून प्रतीकात्मक या प्रत्यास्थापनीय है।

डर्कहाइम अपनी पुस्तक **'द डिविजन ऑफ लेबर' (1933)** मे नगरीकरण की प्रक्रिया को ओर भी अधिक स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि जनसंख्या आयतन (जनसंख्या आकार) बढ़ने से **भौतिक घनत्व (जन घनत्व)** बढ़ा, **जिससे नैतिक घनत्व (अन्त:क्रिया घनत्व)** भी बढ़ा। समाज का यही बढ़ता हुआ नैतिक घनत्व नगरीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। नगर में बढ़ते हुए जनसंख्या घनत्व के कारण व्यावसायिक विशेषीकरण की आवश्यकता होती है, यह व्यावसायिक विशेषीकरण लोगो के साझा अनुभवो से निर्मित, सामूहिक चेतना की एकता को भंग कर देता है। तथा इसके स्थान पर कार्यात्मक अन्तनिर्भरता की एक नयी व्यवस्था का जन्म होता है। डर्कहाइम ने नगरीकरण के विकास के लिए परिवहन, संचार व श्रमविभाजन जैसे कारकों की पहचान की है।

मैक्स वेबर 'नगर को बाजार के स्थान' के रूप मे परिभाषित करते हैं। उनके लिए नगर विनिमय की एक विस्तृत व्यवस्था है जिसके निवासियों मे इस आर्थिक कार्यस्थल के प्रति एक स्वाभाविक निष्ठा का विकास हो जाता है। और यह स्थान एक आंशिक रूप से स्वायत्त राजनीतिक इकाई के रूप में स्थापित हो जाता है। स्पष्ट है कि वेबर ने नगर के विश्लेषण मे दो पहलुओं पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है:

1. आर्थिक संगठन के रूप में।
2. राजनीतिक संगठन के रूप में।

वेबर ने नगर के आदर्श प्ररूप की निम्नलिखित विशेषताएं बतलायी है। नगर में:

1. अपेक्षाकृत व्यापार की प्रधानता।
2. वाणिज्यिक सम्बन्धों की मोर्चाबंदी।
3. एक बाजार।
4. न्यायालय।
5. कम से कम आंशिक रूप से स्वायत्तता व स्वर्शीषता पायी जाती है।

Notepad

NET JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

नगरीकरण के प्रभाव

नगरीकरण व सामाजिक परिवर्तन के आपसी संबंधो को बताने वाले जितने भी विचार है उन्हे दो भागों में बांटा जा सकता है:

1. विघटन मॉडल (Break-down model)
2. कृत्रिम या अनुकरण मॉडल (Simulation Model)

विघटन मॉडल का संबंध शिकागो विश्वविद्यालय (USA) के समाजशास्त्रियो से है। इस मॉडल को मानने वाले समाजशास्त्रियों के अनुसार नगरीकरण से परम्परागत सामाजिक संरचना की समाप्ति हो जाएगी और उसके स्थान पर नवीन नगरीय मूल्यों वाले आधुनिक समाज की स्थापना होगी।

मार्क्स तथा एंजेल्स ने भारत मे उपनिवेशवादी शासन के संदर्भ मे कहा था कि **'उपनिवेशवाद भारत मे परम्परागत सामाजिक संरचना की समाधि होगा।"** इस मॉडल या विचारधारा के समर्थको में पार्क, वर्जेस, वर्थ, हाजलिट्स, मकेन्जी, सोवर्ग (Gideon sjobery) बोग (D.J. Bogue) आदि प्रमुख हैं।

दूसरी ओर अनुकरण मॉडल के विचारकों के अनुसार नगरीकरण से परम्परागत मूल्य व्यवस्था व सामाजिक संरचना की समाप्ति नहीं होगी बल्कि परम्परागत व आधुनिक मूल्य व्यवस्था आपस मे सहगामी होंगी। तात्पर्य यह है कि नयी व पुरानी व्यवस्थाएं साथ-साथ चलती रहेगी। समाजशास्त्र मे इसे **संरचनात्मक सहवर्द्धन** (Structural Accretion) कहते हैं। नगरो मे रहकर भी लोग पूरी तरह नगरीय नहीं हो पाते। इस स्थिति को **अनवरतता या सामाजिक पुनरूत्पादन** (Continuity or social reproduction) कहा जाता है। भारतीय नगरो के संबंध में यह मॉडल अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुआ है।

नगरीकरण के प्रभाव को संक्षेप मे निम्न प्रकार समझा जा सकता है:

- **जातिगत पेशा:** तुलनात्मक रूप से कमी
- छुआ छूत मे कमी।
- **जातिवाद में वृद्धि:** जाति का घोर राजनीतिकरण हुआ है।
- संयुक्त परिवार मे कमी: मूल परिवारो में वृद्धि।
- **शहर गांव संबंधो में वृद्धि:** Semiurban or periurban pocket (अर्ध शहरी) Rurban Pocket (अर्द्ध ग्रामीण, अर्द्ध शहरी)
- प्रारम्भिक समूहो का विघटन, द्वितीय समूह प्रभाव मे वृद्धि।
- गांवो मे **नये पेशो की उत्पत्ति,** कृषि का व्यापारीकरण।
- **उप नगरीकरण** (Sub urbanisation)
- गांवो मे **उपभोक्ता संस्कृति का प्रसार** हुआ है।
- **आधुनिक शिक्षा के महत्व** में वृद्धि हुयी है।
- शहर **धार्मिक व सांस्कृतिक आंदोलन के केन्द्र बिन्दु** के रूप में उभरे हैं।
- **आधुनिकीकरण व भौतिकवादी संस्कृति को बढ़ावा।**
- **नारियों की भागीदारी व सामाजिक स्थिति** मे परिवर्तन।
- **धर्म का राजनीतिकरण**
- कर्मकांड से भक्ति की ओर अभिविन्यास।

संबंधित अन्य अवधारणाएं/तथ्य

उपनगर (Suburb):

- बड़े नगर की परिधि पर बसा हुआ एक लघु समुदाय।
- आर्थिक आवश्यकताओ के लिए बड़े नगर पर आश्रित।
- परन्तु राजनैतिक रूप से स्वतन्त्र।

उप नगरीय क्षेत्र (Sub urban): ऐसे क्षेत्र जो बहुधा आकार की दृष्टि से ग्रामीण लगते हैं, किन्तु आचार-विचार, रूप रंग, व्यवहार की दृष्टि से नगर की विशेषताओं को प्रकट करते हैं। अधिकांश लोग आस-पास के बड़े नगरों मे नौकरी करने जाते हैं।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

उप नगरवाद (Suburbanism): उपनगर के निवासी एक विशेष प्रकार की सामाजिक व सांस्कृतिक विशेषताएं प्रकट करते हैं:

- युवाओं व मध्य वर्ग का आधिक्य
- परिवार अभिमुखी कार्य का स्वरूप
- सामाजिक जीवन
- नातेदारी की अपेक्षा मित्रता को अधिक महत्व
- अनुरूपता का आधिक्य

उप नगरीकरण (Sub urbanization): एक प्रक्रिया जो नगरो के परिधीय विस्तार को प्रकट करती है।

- शहरो गांवो (सीमा पर बसे) मे प्रवेश कर जाता है।
- गांव के जनजीवन मे सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन होता है।
- यातायात के विकास ने इसे द्रुत गति प्रदान किया है।

पार्क व बर्गेस ने नगरीय समाजशास्त्र के क्षेत्र को तीन भागों में बांटा

1. पारिस्थितिकी (i)(मानव परिस्थितिकी) (ii)(सामाजिक परिस्थितिकी)
2. सामाजिक संगठन
3. सामाजिक विघटन।

सोरोकिन व जिमर मैन ने 1928 मे सबसे पहले Rural Urban Sociology नामक पुस्तक लिखी।

- **सोरोकिन के अनुसार** – नगर व ग्राम दो भिन्न व्यवस्थाएं है।
- ये दोनो, समानान्तर प्रणालियां है तथा इनमे मिलन सम्भव नहीं है।

इसके विपरीत Robert Redfield की Rural Urbancontinnum की अवधारणा है। यह दृष्टिकोण ग्रामवासियों व नगर वासियों के बीच सामाजिक संरचना, मूल्यों, धर्म तथा दृष्टिकोण आदि की निरंतरता को प्रकट करती है।

R.K. Mukherjee: Rural-Urban-Dichotomy: ग्राम व नगर मे कोई संबंध नहीं है।

ग्राम: कृषि आधारित समाज भावनात्मक संबंधो की प्रधानता।

नगर: औपचारिक संबंध, गैर कृषि कार्य, वृहद जनसंख्या।

तत्व की कुछ जनजातियो को छोड़कर, ग्राम नगर सांतत्य ही अधिक दिखायी पड़ता है।

Ecology: जीव विज्ञान की अवधारणा, **सर्वप्रथम हैकल** ने प्रयोग की।
Human Ecology: रावर्ट पार्क, वर्गेस
Cultural Ecology: जुलियन स्टीवर्ट
Social Ecology: पार्क, वर्गेस
Urban Ecology: शिकागो स्कूल

- Ecology Fallacy **पारिस्थितिकीय भ्रांति** : W.S. Robinson

नगरो की भौगोलिक स्थिति के बारे में सर्वप्रथम – **सर फ्लाइन्डर** ने अपना सिद्धान्त प्रस्तुत किया – **"प्राचीन नगर संग्रह के केन्द्र थे।"**

मैकेन्जी: "नगर विस्तृत ग्रामीण बसावट का 'शिशु' व दास है।"

– ग्राम के अतिरिक्त उत्पादन से नगर का जन्म होता है, बदले मे नगर ग्राम को सेवाएं प्रदान करता है।

बर्गेस: नगरों के स्थान को निर्धारित करने वाले 3 कारक हैं।

1. प्रकृति
2. संस्कृति
3. प्रकार्य

नगरीयता (Urbanity): जब ग्रामीण क्षेत्रों मे रहने वाले लोग, नगरीय वेशभूषा, खान-पान, आदि का अनुसरण करते है तो उसे नगरीयता कहते हैं।

Notepad

NET ; JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

Charls Glab: इन्होने Metropolitanठ (1820)

वह नगर जो किसी क्षेत्र विशेष मे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक सभी गतिविधियों का केन्द्र होता है, Metropolitan City कहते हैं। Eg: कोलकाता

Goph Man : Megalopolis

जब दो Metropolitan City अपने विकास के क्रम मे बढ़ते-बढ़ते अपनी सीमाएं खो देते है, Megalopolis कहलाते हैं। Eg: Newyork - Pheladelphia मुम्बई-पूना

- हैदराबाद-सिकन्दराबाद के Megalopolis बनने की संभावना है।

Satellite City: **उपग्रह नगर** = Suburb

- **डगलस** ने उपनगर तथा Satelite मे भेद किया है।
- डगलस के अनुसार "Suburb (उपनगर) का तात्पर्य उपभोग का उप नगर है। Satellite का अर्थ 'उत्पादन का उप नगर' है।
- उपनगर (Suburb) को Dormentory Town या Residencial Town या Residencial Suburb भी कहते हैं।

 Rose ने उपनगर को Residencial suburb, satellite को Industrial suburb कहा।
- Walter & Martin ने Satellite Town के बारे मे लिखा, कि 'इस प्रकार के कस्बे बड़े नगरीय केन्द्रो के समीप अवस्थित होते हैं, एवं समुदाय के रूप में स्वयं को केन्द्रीय नगर से अलग रखते हैं।

महानगरीय फैलाव (Metropalitan Fringe): जब कोई महानगर अपने विस्तार के क्रम मे ग्रामीण क्षेत्रो मे प्रवेश कर जाता है तो वह ग्रामीण क्षेत्र Metropalitan फैलाव कहलाता है।

Region: Odum: क्षेत्र का तात्पर्य भौगोलिक विशेषताओ से है।

- एक क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताएं समान होती हैं।
- एक क्षेत्र के अन्तर्गत महानगीर, कस्बा, ग्राम सभी आते हैं।
- पर्वतीय क्षेत्र, दो भाव क्षेत्र, पठारी क्षेत्र etc.

Gentrification: नगर मे पुराने मकानो को तोड़कर उसकी जगह नये बनाये जाते है। गरीबों की जगह मध्यम आय वर्ग या उच्च आय वर्ग के लोग बसाये जाते हैं। इसे urban recycling भी कहते हैं।

- इससे पड़ोस, फैशनेवल हो जाता है।
- समाज के अमीर लोग समाज का जीवन स्तर ऊपर उठाते हैं।
- यह काम सरकार के द्वारा नहीं होता।
- भद्रीकरण के नाम पर शोषण भी होता है। अत: इसकी सकारात्मकता या नकारात्मकता इसके प्रयोग पर निर्भर करती है।

Rural urban Integration: नगर नियोजन के संदर्भ मे यह एक दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण के अनुसार नगर व गांव को एक ही दृष्टि से देखा जाना चाहिए। जिससे कि दोनो का विकास समान रूप से हो।

Neighbourhood concept/theory: यह एक वातावरण है जिसमे मानव जीवन की एकरूपता परिलक्षित होती है।यह भारतीय गांवो का एक विकसित स्वरूप है, जहां मनुष्य प्रकृति के साथ रहकर भी वर्तमान सुविधाओं।

Eg: खेल, शिक्षा, यातायात, दुकानो आदि का लाभ उठाता है।

Urban Renewal: नगर की कुछ आवश्यक दशायें होती हैं; परन्तु बहुत ऐसे नगर भी है जो आवश्यक शर्तो या दशाओं को पूरा नहीं कर पाते है, उन शर्तो को पूरा करना ही urban renewal है।

Urban Sprawl: जब नगर से बाहर की ओर 'कम घनत्व' वाले नगरीय क्षेत्रो पर (जो कृषि के लिए प्रयुक्त होते है) अनियोजित ढंग से नगर का विस्तार urban sprawl कहलाता है।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

- Metropalis-satellite relationship: Frank
- Sorokin and Zimmerman ने 'व्यवसाय' के आधार पर गांव एवं नगर में भेद किया-"ग्रामीण समुदाय तालाब मे शांत जल के समान है, जबकि नगरीय समुदाय केतली मे उबलते पानी के समान।" एक का लक्षण-स्थिरता है दूसरे का गतिशीलता।
- K.L. Sharma: ने नगरीकरण की प्रक्रिया को चक्रीय रूप मे परिभाषित, विश्लेषित किया।
- Milton Singer : दीर्घ परंपरा एक 'शहरी घटना' है और लघु परम्परा का दीर्घ परम्परा मे परिवर्तन ही नगरीकरण है।
- भारत मे कस्बा या नगर औद्योगीकरण के परिणाम नहीं है। परन्तु भारत मे नगरीकरण औद्योगीकरण का परिणाम है।

जीवन निर्वाह परक नगरीकरण (Subsistence Urbanization): भारत में गांव से नगर की ओर प्रवासित व्यक्ति नगरो के साथ पूर्ण रूप से समायोजित नहीं हो पाये हैं, और उन्हें झुग्गी-झोपड़ी या शहरी क्षेत्रों से जुड़े खोलियों मे जीवन गुजारने के लिए विवश होना पड़ा है।

स्थूल रूप से वे नगरो मे ही रहते है, परन्तु वे इस अर्थ मे वहां अनुपस्थित रहते है कि उनके पास न तो नगरीय जीवन मे किसी तरह का योगदान देने की क्षमता है और न ही सुख सुविधा भोगने की क्षमता व साधन सम्पन्नता होती है।

यही अवस्था Subsistence urbanization कहलाती है।

Pesantisation of cities/town/urban area: (नगरो का कृषिकरण:) L.M. Holpern

बड़े पैमाने पर देहातियों द्वारा, शहरी जीवन शैली अपनाये बिना, नगरो मे जाकर रहने की प्रक्रिया Pesantisation कहलाती है।

Urban Growth: यह urbanisation नहीं है।

- यह मानव की आखेट अवस्था से नगरीय अवस्था तक की यात्रा का परिणाम है।

- Herd **ने नगरीय विकास की तीन अवस्थायें बतलायी हैं:**
 1. पूर्व औद्योगिक अवस्था।
 2. औद्योगीकृत नगरीकृत अवस्था।
 3. महानगरीकरण की अवस्था।
- Envumeno Polis: **विश्व नगर काल्पनिक अवस्था**
 - नगर के विकास की अन्तिम अवस्था जो Megalqoolis के बाद विकसित होगी।
- Slums: नगर का वह स्थान जहां आवश्यक सुविधाओं-स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क का अभाव होता है; अनेक प्रकार की मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, शारीरिक समस्याओं का उद्भव होता है, गंदी बस्ती कहलाता है।
 - यह over-urbanisation का परिणाम होता है।

मुम्बई	-	चाल
कोलकाता	-	बस्ती
कानपुर	-	अहाता
चैन्नई	-	चेरी
दिल्ली	-	झुग्गी

- 1 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले शहर को Megacity कहते हैं।
- Metropolis को ग्रीक भाषा में 'Mother City' कहते हैं।
- Urban Village: Gans का Concept विकसित करने का श्रेय Pahl को
- Inner City: Zone of transition का आधुनिक नाम है।
- सी.वी. फासेट ने Conurbation (नगर माल) को Millionaire city कहा।
- R.E. Dickenson: Urban Tract कहा।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

नगरीय क्षेत्र (Urban Area)

- USA मे नगर का बोध 'महापालिका' से ही होता है। यद्यपि अधिकांश नगरो का विस्तार नगरपालिका की सीमा से बाहर तक होता है अत: नगर को नगरीय क्षेत्र (urban area) कहना अधिक उपयुक्त माना जाता है।
- जब नगरीय क्षेत्र काफी विकसित हो जाते हैं, नगर पालिकाएं एक दूसरे से जुड़ जाती है तो इन्हें 'महानगरीय क्षेत्र' कहा जाता है।
- नगरीय क्षेत्र वह क्षेत्र है जो नगरीय जनसंख्या की प्रमुखता के साथ-साथ, थोड़ी बहुत ग्रामीण जन संख्या भी रखता हो।
- अलग-अलग देशों में इन्हे अलग-अलग मापदण्डो के आधार पर देखा जाता है।

Notepad

भारत में:

नगरीय पुंज (Urban Agglomeration): 1961 की जनगणना मे, समीप के दो या दो से अधिक वैधिक नगरो के समूह को Town Group कहा गया। जिसे 1971 मे urban Agglomeration कहा गया। यह पुंज केन्द्रीय नगर के साथ सतत् रूप से फैला होता है तथा नगरीकरण की विशेषता रखता है। इसमे वह क्षेत्र शामिल होता है जिस पर उस नगर का प्रभाव होता है। कुछ मामलो मे कई गांव या गांव के कुछ भाग भी इसमे शामिल हो जाते हैं।

प्रमाणिक नगरीय क्षेत्र (Standard Urban Area):1971 में भारतीय जनगणना विभाग ने इस नगरीय क्षेत्र की तीन विशेषताएं बतायी:

1. एक ऐसा Coretown जिसकी जनसंख्या कम से कम 50 हजार हो।
2. फैला क्षेत्र जो अन्य नगरीय व ग्रामीण इकाइयों से संबंध रखता हो, लेकिन आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से पूर्णत: Core Town से संबंध रखता हो। संबंधित हो।
3. इस बात की स्पष्ट संभावना हो कि, यह लगातार फैला क्षेत्र 2-3 वर्षो मे पूर्णत: नगरीय हो जाएगा।

Standard Urban Area को ही भारत मे नगर माल (Conurbation) कहा जाता है।

ग्रामीण नगरीय उपांत (Rural-urban fringe)

- किसी नगर के ऐसे सीमावर्ती क्षेत्र ग्रामीण-नगरीय उपांत कहलाते हैं जहां की आबादी गांव और नगर की मिश्रित विशेषताओं को प्रदर्शित करती है।
- ऐसे क्षेत्र के लोगों का मुख्य धंधा कृषि अथवा कृषि से जुड़े अन्य कार्य जैसे पशुपालन, मुर्गीपालन आदि होते हैं तथा इनकी जीवन शैली और संस्कृति पर ग्रामीणता का प्रभाव नगरीयता की अपेक्षा अधिक होता है।

यहां नगरीय सेवाओं की उपलब्धि बहुत कम होती है।

T.L. Smith **ने सर्वप्रथम** Urban Fringe **शब्द का प्रयोग किया था**। Smith ने इस शब्द का प्रयोग प्रशासकीय सीमा से बाहर निर्मित क्षेत्र के लिए किया था। जिसमें ग्रामीण विशेषताओ को समाहित करते हुये Rural-urban fringe के रूप मे परिभाषित किया गया।

- यह नगर के लगातार निर्मित क्षेत्र व ग्रामीण पृष्ठ प्रदेश के बीच फैले भू-भाग तक विस्तृत होता है।

ग्रामीणता (Rurality): किसी समुदाय अथवा क्षेत्र मे ग्रामीण होने के लक्षणों की मात्रा उसकी ग्रामीणता की घोतक है।

ग्राम्य नगरीकरण (Rurbanization): **चार्ल्स.जे. गाल्पिन**

ग्रामीण व नगरीय समुदायों की पारस्परिक अंतक्रिया द्वारा जनित एक पुनर्मेल की मध्यवर्ती प्रक्रिया को ग्राम्य नगरीकरण कहते हैं।

ऐसे क्षेत्र न तो शुद्ध ग्रामीण होते है न शुद्ध नगरीय।

Urban Village: R.E. Pahel

नगरीय गांव, नगरो के केन्द्र मे या केन्द्र के नजदीक घिरा वह गांव होता है, जो

NET, JRF Manish Singh Sir IG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

अपनी ग्रामीण विशेषताओं को नहीं खोता।

Umland: Andre Alire

किसी नगर के चारो ओर का वह भाग, जिससे सांस्कृतिक संबंध होता है या वह सांस्कृतिक (आर्थिक, राजनैतिक भी) दृष्टि से जुड़ा होता है।

पृष्ठ प्रदेश (Hinter land): F.H. Green

इस शब्द का प्रयोग उन नगरो के प्रभाव क्षेत्र के लिए किया जाता है, जहां माल का आदान-प्रदान होता है, और इस दृष्टि से हर नगर का अपना Hinterland होता है।

1. नगर के समीप का क्षेत्र unland तथा नगर के दूर का क्षेत्र Hinterland कहलाता है।
2. वह निकटतम ग्रामीण क्षेत्र जो नगर के चारों ओर हो umland तथा उसके आगे के क्षेत्र में Hinterland स्थित होता है।

नगरो का वर्गीकरण (Classification of City): **लोगन व मोलोच** (Logan and Molotch)

1. **मुख्यालय नगर** (Headquarters City): मुख्यालय नगर में विभिन्न उद्योगों, व्यापारों, प्रशासन आदि के मुख्यालय (मुख्य दफ्तर) होते हैं। यह नगर यातायात व संचार के साधनों से दूसरे नगरो से पूरी तरह जुड़ा रहता है।

 eg: मुम्बई, कराची, बैकांक, लंदन

 मुख्यालय नगर को **'ससेन'** (Sassen) ने Global City कहा।

 ससेन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र को ध्यान में रखकर ये धारणा दी। eg: टोकियो, न्यूयार्क लंदन।

2. **नये इजाद केन्द्र** (Innovation Centre): ये वह नगर है जहां मुख्य रूप से **"वैज्ञानिक शोध"** होते रहते हैं। यह शोध प्राय: किसी विश्वविद्यालय या अनुसंधानशाला के अंतर्गत होता है।

 eg: इग्लैण्ड मे कैम्ब्रीज USA की कैलिफोर्निया में सिलिकान घाटी (Silicon Valley)

3. **मापांक उत्पादन नगर** (Module Production City): यहां पर आधुनिक वस्तुओं का उत्पादन या संकलन होता है। हांगकांग, सिंगापुर, वेलफास्ट (इंग्लैण्ड) etc.

4. **तीसरी दुनिया का गोदाम** (Third World Entxepot **(ऑनट्रेपो)**: ये सिर्फ विकसित देशो में पाये जाते हैं।

 यहां विकासशील देशों से प्रवासी आकर निवास करते हैं। विकसित देशो मे ऐसे कई नगर हैं जहां विकासशील देशो के लोगों की अच्छी-खासी तादात में लोग रहते हैं।

 USA में Miami, Los Angeles

 France - Marseilles

5. **एकांतवास केन्द्र** (Retirement Centres): सेवानिवृत्त व्यक्तियों का आवास (मुख्यत:) होता है। कुछ व्यक्ति स्वास्थ लाभ के लिए ऐसे नगरो में आते हैं।

नगरो के प्रकार: लुई ममफर्ड ने तकनीकि आधारों पर नगर विकास को 4 भागों में बांटा:

1. EO TECNIC:नगर का विकास 'खनन' द्वारा + जबलपुर, धनबाद झरिया।
2. POLIO TECNIC: नगर का विकास 'लौह विकास' द्वारा + जमशेदपुर, बोकारो।
3. NIO TECNIC: नगर का विकास 'नव तकनीकी' द्वारा + बैंगलौर।
4. BIO TECNIC: नगर का विकास 'जैव तकनीकी' द्वारा + मनीपाल, सीतापुर, वेल्लौर।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

इसके आधार पर ममर्फड ने विकास के छः चरण बताए:
लुई ममर्फड , पैट्रिक गेड्स (इन्होने भी छः प्रकार बताए)

Notepad

1. EOPOLIS:
 Table बने गई
 - खनन के कारण विकास
 - धातु विज्ञान, अग्नि का ज्ञान
 - शिक्षा, संस्कृति और कारीगरी की आवश्यकता पूर्ति हेतु केन्द्रीय गाँव का विकास होता है।

 1. PARASITO POLIS
 2. RATHELO POLIS
 3. Metropolis
 4. Megalopolis
 5. Tyranopolis
 6. Nekropolis

2. POLIS: Support Population के कारण
 - यातायात के साधनो का विकास
 - गांव-कस्बे में बदलते हैं।
 - विधिवत श्रम विभाजन प्रारंभ
3. Metropolis: नगर सभी प्रकार की क्रियाओं का केन्द्र हो जाता है।
 वर्ग संघर्ष प्रारंभ।
4. Megalopolis: नगरो का पतन प्रारम्भ।
5. Tyranopolis: अपराध बहुत ज्यादा, महानगरीय आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह नष्ट हो जाती है, पूंजीवाद का अति विकास, शोषण चरम पर। ममफर्ड ने हिटलर, मुसोलिनी जैसे तानाशाहो का जन्म इसी अवस्था से माना।
6. Nekropolis: 'City of Death'
 युद्ध, अकाल, महामारी।
 ममफर्ड ने यह अवधारणा बेबीलोन व रोम को ध्यान में रखकर दी।
 ममफर्ड व स्पेंग्लर ने नगरीय विकास को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखा।
 J.N. Housten:**ने नगरीय विकास की तीन चरणो में देखा:**
 1. Nuclear stage
 2. Formative stage
 3. Modern stage

सोवर्ग ने नगरो के दो प्रकार बताए:
1. Pre Industrial City
2. Post Industrial City

B.F. Hoselitz: 1. Parasyte City (निर्भर नगर के संदर्भ में)
2. Generative City (केन्द्रिय नगर के संदर्भ में)

Robert Redfield and Milton Singer: 1. Ortho Genetic:
परम्परागत मूल्य, निम्न सामाजिक व्यवस्था निम्न सामाजिक भेद।

2. Hetro Genetic
 नवपाषाण गाँव से नगर की उत्पत्ति हुयी- Thomas
 नगर की उत्पत्ति 'धातु युग' से हुयी- Moore

S. Reamer: "The Modern City"
5 प्रकार
1. संस्थाओं का प्रधान स्थल
2. व्यापारिक केन्द्र
3. औद्योगिक केन्द्र
4. महानगरीय क्षेत्र
5. अवलम्बित नगर - कश्मीर, ऊटी, माउंट आबू (पराश्रित नगर)

R.D. Mekenjee: **4 प्रकार**
1. Primary Service Cities
2. Commercial Cities

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

3. Industrial Cities
4. Diversified Cities (विविध कार्य परन्तु किसी मे विशेषीकरण नहीं)

Burgell: Urban Sociology

1. आर्थिक केन्द्र
2. राजनीतिक केन्द्र
3. धार्मिक केन्द्र
4. धर्म निरपेक्ष सांस्कृतिक केन्द्र eg: शांति निकेतन
5. निवास केन्द्र - ऋषिकेष, वृंदावन
6. सांकेतिक केन्द्र - मास्को, रोम, जयपुर।

Philip M. Hauser

1. Political-Intelectual Centre
2. Economic Centre

Henri Pirenne

1. Pre Industrial
2. Industrial
3. Metropolitan

- भारतीय नगरों को उनकी विशेषताओं के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है:
 1. Primate City
 2. Log-normal City
 3. Poly Nucleated City

Primate City **(मुख्य नगर):** जब कोई नगर किसी क्षेत्र विशेष की पहचान बन जाता है। अर्थात् वह नगर आर्थिक, राजनैतिक सांस्कृतिक सभी प्रकार की गतिविधियों का केन्द्र बन जाता है।

जैसे कलकत्ता गुवाहाटी

क्षेत्र की सेवा करने के लिए ही जन्म लेते हैं, इसलिए इन केन्द्रो को 'ग्रामीण सेवा केन्द्र' भी कहा जाता है।

गाल्पिन ने इन्हे Rurban Centre **(ग्राम्य नगर) कहा,** क्योंकि यह ग्राम व नगर के बीच संक्रमण (Transitional) या मध्यवर्ती स्थिति का काम करते हैं।

रूसो ने सर्वप्रथम 'कार्यो' के आधार पर नगर को दो भागों में बांटा:

1. Active
2. Non-active

- Mckenge **ने 'कार्यो' के आधार पर 4 भागो में:**
 1. प्राथमिक सेवा केन्द्र
 2. व्यापारिक केन्द्र
 3. औद्योगिक केन्द्र
 4. अन्य केन्द्र
- R.B. Hall **ने 'कार्यो' के आधार पर:**
 1. सुरक्षा एवं प्रशासनिक नगर (Castle Town)
 2. धार्मिक एवं श्रद्धा वाले नगर (Shrine City)
 3. व्यापारिक नगर
 4. आधुनिक औद्योगिक नगर
- Gist & Halbert ने Diversified Town का concept दिया।
- Medio Polis: **मुरे एच. लीफर**

इस अवधारणा का प्रयोग 'लीफर' ने उस नगरीय यथार्थ को व्यक्त करने के लिए किया था, जासे नगर व महानगर के बीच की स्थिति को दर्शाते हैं और इस अवस्था मे लम्बे समय तक बने रहते हैं।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

कमजोरवर्ग तथा अल्पसंख्यक
Weaker Section and Minorities

Notepad

भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व (अनुच्छेद 36 से 51 तक) यद्यपि की न्यायालयों द्वारा लागू नहीं कराये जा सकते लेकिन संविधान मे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये 'देश के शासन' के मूलभूत आधारहै, तथा कानून का निर्माण करते समय इन तत्वो को ध्यान मे रखे। अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य (सरकार) ऐसी प्रभावी सामाजिक व्यवस्था कायम करके लोगों के कल्याण के लिएए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगी, जिससे राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय का पालन हो। सरकार ऐसी नीति निर्देशित करेगी जो सभी स्त्री-पुरुषों को जीवन-यापन के लिए यथेष्ट अवसर दे, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करे; अपनी आर्थिक क्षमता, विकास की सीमाओं के अनुसार सबको काम तथा शिक्षा दिलाने की प्रभावी व्यवस्था करे और बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी और अपंगता या अन्य प्रकार की अक्षमता की स्थिति में सबको वित्तीय सहायता दे। सरकार श्रमिकों के लिए निर्वाह-वेतन, कार्य की मानवोचित दशाओं, रहन-सहन के अच्छे स्तर तथा उद्योगों के प्रबंधन में उनकी पूर्ण भागीदारी के लिए प्रयत्न करेगी।

आर्थिक क्षेत्र में सरकार को अपनी नीति ऐसे ढंग से लागू करनी चाहिए जिससे कि समाज के भौतिक संसाधनों पर अधिकार और उन पर नियंत्रण का लोगों के बीच इस प्रकार वितरण हो कि वह सब लोगों के कल्याण के लिए उपयोगी सिद्ध हो और यह सुनिश्चित हो कि आर्थिक व्यवस्था को लागू करने के परिणामस्वरूप सर्वसाधारण के हितों के विरुद्ध धन और उत्पादन के साधन कुछ ही लोगों के पास केंद्रित नहीं हों।

वंचित वर्ग की अवधारणा : ऐतिहासिक दृष्टि से प्रत्येक समाज में कुछ सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक अथवा शैक्षणिक दृष्टि से कमजोर या वंचित समूह पाए जाते हैं।

भारत समाज में वंचित वर्ग के अंतर्गत:

1. अनुसूचित जाति
2. अनुसूचित जनजाति
3. अन्य पिछड़े वर्ग
4. महिलाएं
5. धार्मिक अल्पसंख्यक-आदि आते हैं।

एम.डी.देसाई, जी. पार्थसारथी, जी.डी. रामाराव, बी.एस. मिन्हास एवं योगेश अटल आदि अर्थशास्त्रियों एवं समाजशास्त्रियों ने कमजोर वर्ग को परिभाषित करने के लिए मुख्य रूप से आर्थिक-सामाजिक पामदण्ड निर्धारित किया है। इन विद्वानों के अनुसार कमजोर या दुर्बल वर्ग के अंतर्गत निम्नांकित विशेषताओं वाले व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है:

1. वे व्यक्ति जो अपने जीवन की न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा न कर सकें। भोजन, वस्त्र, आवास तथा चिकित्सा की सुविधाएँ जुटाने में असमर्थ हों और उनकी आय निर्धनता रेखा (Power Line) से बहुत नीचे हो।
2. वे व्यक्ति जो मुख्यतया दैनिक मजदूरी पर ही आश्रित हों और वह भी अनियमित तथा ऋतुओं के परिवर्तन पर आश्रित हों।
3. वे व्यक्ति जिनके उत्पादन में सक्रिय सहयोग प्रदान करने के उपरान्त भी निरन्तर श्रम का शोषण किया जाता रहा हो और जो अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋणग्रस्त हों।
4. वे व्यक्ति जिनके पास इतनी लागत पूँजी भी नहीं है कि वे कच्चे माल तथा अन्य उत्पादित वस्तुओं को खरीद सकें।

NET, JRF Manish Singh Sir BG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

5. लघु तथा सीमान्त कृषक जो सिंचाई आदि की सुविधाओं से वंचित हों।
6. वे व्यक्ति जो मानवीय ऊर्जा (जिसमें परिवार के सदस्य ही कार्य करें) तथा पशु ऊर्जा के सहारे ही जीवन-यापन करें।

उपर्युक्त सभी मापदण्डों के आधार पर कमजोर वर्ग के अंतर्गत समाज के उस वर्ग को सम्मिलित किया जाता है जो सामाजिक-आर्थिक सुविधाओं से वंचित, शोष्टिा एवं पिछड़ा हुआ हो। इन मापदण्डों के आधार पर अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, लघु तथा सीमान्त कृषकों, भूमिहीन मजदूरों, बंधुआ मजदूरों, बंधुआ मजदूरों एवं परम्परागत कारीगरों को कमजोर वर्ग के अंतर्गत माना गया है।

भारत में पिछड़े वगै के लोगों को विशेष सुविधा देने की व्यवस्था है, जिसे **क्षतिपूरक विभेदनीति** (Compansationary Discrimination) कहा जाता है।

इसके अर्थ **'समानता व योग्यता के नियमों से हटकर समहों में विभेद करना'** है। इसे निम्नलिखिा आधारों पर देखा जा सकता है:

1. विशेष व्यवहार से अप्रत्यक्ष और सूक्ष्म (Miro) विभेदों को समाप्त किया जाय।
2. इसके अच्छे परिणामों में, सामाजिक एकीकरण, उपेक्षित प्रतिभावों को मुख्यधारा मे लाना एवं शक्ति स्रोतों का समान वितरण हो सकते हैं।
3. एक लम्बे समय से चले आ रहे वंचन को समाप्त या कम किया जाना।

क्षति पूरक विभेद नीति का दूसरा नाम 'आरक्षण' है, भारतीय समाज में इस नीति के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, महिलाएं व धार्मिक अल्पसंख्यक आते हैं।

क्षति पूरक विभेद नीति एक प्रावधान है जिसके तहत सब के लिए समान अवसरों (equal opportunity) के अतिरिक्त, कुछ के लिए विशेष अवसरों (special opportunity) का प्रावधान किया जाता है।

स्पष्ट रूप से समान अवसर व विशेष अवसर एक दूसरे के विरोधी है और इसमे तनाव देखा जा सकता है, इनके मध्य यदि संतुलन की स्थिति आती है तो सामाजिक विषमता में व्यापक क्रमी देखी जा सकेगी।

पिछड़ा वर्ग:पिछड़े वर्ग के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति तथा 'अन्य पिछड़ा वर्ग' आते हैं।

संवैधानिक प्रावधान: (कमजोर वर्ग तथा अल्पसंख्यकों के लिए) धर्म, जाति, नस्ल, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेद भाव का निषेध

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-15 का संबंध सामाजिक समानता से है। अनुच्छेद-15 के अनुसार राज्य के द्वारा धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर किसी नागरिक के साथ असमानता अथवा भेद-भाव नहीं किया जायेगा। इन आधारों पर सार्वजनिक स्थानों तथा कुएं, तालाब, स्नानघर, सड़क आदि पर नागरिकों के मध्य भेद-भाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद-15 में दो शब्द नागरिक और राज्य का प्रयोग किया गया है। जिसका विशेष अर्थ होता है। जो व्यक्ति राज्य का नागरिक नहीं है उसके विरुद्ध ऊपर दिये गये आधार पर भी भेद-भाव किया जा सकता है। अनुच्छेद-15 में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इसलिये यह बंधन राज्य पर ही लागू होता है। अन्य व्यक्तियों पर नहीं। अनुच्छेद-15 में स्पष्ट कहा गया है कि केवल जाति, मूलवंश, धर्म, लिंग तथा जन्मस्थान के आधार पर भेद भाव नहीं किया जा सकता है। जिसका आशय यह है कि अन्य आधारों तथा भाषा इत्यादि पर भेद-भाव किया जा सकता है। अनेक राज्यों में मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश के लिये निवास स्थान की अर्हता के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है।

यद्यपि सामान्यत: धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। परंतु प्रत्येक धर्म के अपने-अपने सिद्धांतो, रीति-रिवाजो पर आधारित कुछ व्यक्तिगत कानून है जिनका राज्य द्वारा आदर एवं सम्मान किया जाता है। हिंदू धर्म के अनुयायी

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir LG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

एक समय में एक ही पत्नी रख सकते हैं परंतु इस्लाम धर्म के अनुयायी एक समय में एक से अधिक पत्नियां रख सकते है।

अनुच्छेद-15(2) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार किसी भी नागरिक को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर **दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन** के स्थानामें में भेदभाव करने से अथवा सार्वजनिक कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों तथा सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग से वंचित नहीं किया जा सकता है; जिनको **पूर्णतः या अंशतः राज्य निधि से पोषित किया गया है और सामान्य जनता के लिये समर्पित है।**

अनुच्छेद-15(/) में वर्णित आधारों के अतिरिक्त अन्य आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप यदि किसी व्यक्ति को ऐसी बीमारी है जो दूसरों को लग सकती है तो उस व्यक्ति को उक्त स्थानों के प्रयोग से वंचित किया जा सकता है। कोढ़ रोग से पीड़ित व्यक्ति को तालाब का प्रयोग करने से वंचित किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति शराब के नशे में होटल जाता है तो उसे भी होटल में प्रवेश से रोका जा सकता है।

भारतीय संविधान में कुछ संरक्षणात्मक भेदभाव का प्रावधान किया गया है। जहां अनुच्छेद-15 के खण्ड (1 और 2) में भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया है तो वहीं दूसरी ओर **अनुच्छेद** 15 **के ही खण्ड 3 और 4 में भेदभाव को मान्यता दी गयी। इनको संरक्षणात्मक भेदभाव कहा जाता है। अनुच्छेद**-15(3) **में स्त्रियों तथा बच्चों के लिये और अनुच्छेद**-15 (4) **में सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों तथा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का आरक्षण किया जा सकता है।** इन वर्गों के लिये शैक्षणिक संस्थानों में स्थान आरक्षित करने की व्यवस्था संविधान के प्रथम संशोधन द्वारा 1951 में इसलिये करनी पड़ी क्योंकि चम्पाकम इराई राजन तथा श्रीनिवासन के मुकदमें में सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास राज्य की इस नीति को अवैध घोषित कर दिया जिसके अनुसार अनुच्छेद-46 में दिये गये राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लागू करने का प्रयत्न किया गया था। जिससे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षिण और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि हो सके। **संविधान के प्रथम संशोधन के बाद ही मेडिकल कालेजों तथा इंजीनियरिंग कालेजों में आरक्षण की नीति अपनायी गयी।**

यद्यपि भारतीय संविधान के **अनुच्छेद**-15 (4) में सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के वर्गों के लिये संरक्षणात्मक भेदभाव की व्यवस्था की गयी है। परंतु इसके बाद भी सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों की संविधान में कोई भी परिभाषा नहीं दी गयी है। इसका अर्थ है कि सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के राज्यों के संबंध में निर्णय राज्यों द्वारा लिया जायेगा। बालाजी बनाम मैसूर राज्य के मुदकमें में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के संबंध में जाति एक प्रासंगिक तत्वह ो सकता है। परंतु जाति के आधार पर इसका निर्णय नहीं किया जा सकता है। गरीबी, व्यवसाय तथा निवास स्थान इत्यादि आदि ऐसे प्रासंगिक तत्व है जिनके आधार पर उक्त वर्गो की पहचान की जानी चाहिए। मंडल आयोग ी सिफारिशों को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने जाति को एक प्रासंगिक तत्व के रूप में स्वीकार तो किया है परंतु इन जातियों के आर्थिक रूप से संपन्न लोगों को इस वर्ग से हटाने का भी निर्णय दिया।

सार्वजनिक नौकरियों (रोजगार अवसर) में समान अधिकार (अनुच्छेद-16)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-16 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सरकारी नौकरियों में सब नागरिक को अवसर की समानता है तथा राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसके साथ-साथ यह भी प्रावधान है कि राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संसद उस राज्य में निवास स्थान की अर्हता से संबंधित विधेयक

Notepad

NET/JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

पास कर सकती है। परंतु इसका आशय यह नहीं है कि कोई भी राज्य जिलों या ब्लाक के आधार पर नौकरियां देना प्रारंभ कर दे। यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है कि राज्य उपर्युक्त वर्णित आधारों पर ही नौकरियां प्रदान करने में भेद-भाव नहीं कर सकता है परंतु अन्य आधारों शैक्षणिक अर्हताएं, राज्य की भाषा की जानकारी, शारीरिक स्वास्थ्य तथा साक्षरता के आधार पर भेदभाव कर सकती हैं समाज के कमजोर वर्गों, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों के लिये नौकरियों में आरक्षण किया जा सकता है। भूत पूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों तथा स्त्रियों के लिये भी सार्वजनिक सेवाओं में स्थान आरक्षित किये जा सकते हैं।

अनुच्छेद 16 (4) ए 70वें संविधान संशोधन 1995 द्वारा जोड़ा गया इसमे कहा गया है कि अगर राज्य को लगता है कि अनुसूचित जाति (SC) व अनुसूचित जनजाति (ST) की संख्या सरकारी नौकरियों में पर्याप्त नहीं है तो वह उन्हें आरक्षण दे सकता है। SC, ST को पदोन्नति (promotion) में भी आरक्षण दे सकता है।

अनुच्छेद 16 (4) बी मे बैकलॉग से संबंधित प्रावधान है तथा यह कहा गया है कि जो स्थान पिछले वर्षो में नहीं भरे जा सके हैं उन्हें इस साल भरा जा सकता है। तथा इन स्थानो को इस साल की रिक्तियों (vacancies) मे नहीं जोड़ा जाएगा वे अलग से मानी जाएंगी। इसका तात्पर्य यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय मे कहा था कि आरक्षण 50% से ज्यादा न हो, तो यह 50% पिछली रिक्तियों को छोड़कर माना जाएगा।

अस्पृश्यता का अंत (अनुच्छेद-17): भारतीय संविधान में अस्पृश्ता को एक सामाजिक बुराई के रूप में स्वीकार किया गया है तथा अनुच्छेद-17 के अंतर्गत इसको समाप्त कर दिया गया है। 1955 में संसद द्वारा अस्पृश्यता कानून पारित किया गया जिसके अंतर्गत अस्पृश्यता को एक दण्डनीय अपराध घोषित किया गया। 1976 में अस्पृश्यता अधिनियम, 1955 में संशोधन भी किया गया। ध्यातव्य है कि यहां पर उल्लेखित अस्पृश्यता शब्द का प्रयोग शाब्दिक अर्थों में नहीं किया गया है। बल्कि ऐतिहासिकता के आधार पर किया गया है। अस्पृश्यता हिंदू धर्म की जातिवादी प्रथा पर आधारित है। इसी अर्थों में अस्पृश्यता शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में किया गया है। यदि किसी व्यक्ति को कोई ऐसा रोग या बीमारी है जो छूने से दूसरे व्यक्ति को लग सकती है तो इस रोगी को छूने से इंकार करना अस्पृश्यता नहीं हैं। परंतु कोई दुकानदार किसी व्यक्ति को इस आधार पर समान देने से इंकार कर देता है कि वह हरिजन है, तब यह अस्पृश्यता होगी। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को दण्डनीय अपराध माना गया है। इसमें आर्थिक जुर्माना के साथ-साथ 6 माह की जेल की सजा भी हो सकती है।

व्यवसाय करने की स्वतंत्रता (Freedom of Profession or Occupation): भारतीय संविधान के **अनुच्छेद-19 (6) के** अंतर्गत भारत के सभी नागरिकों को कोई भी व्यवसाय या पेशा करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। परंतु इस स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया गया है। यथा राज्य व्यवसायों एवं नौकरियों के संदर्भ में निश्चित योग्यताएं निर्धारित कर सकता है अथवा राज्य किसी व्यवसाय या उद्योग को पूर्णतया या आंशिक रूप से अपने हाथ में ले सकता है। इस संबंध में जो बंधन लगाये जाये वे युक्ति युक्त होने चाहिए। ऐसा न होने पर बंधनों को अवैधानिक घोषित किया जा सकता है।

शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right against Exploitation) (अनुच्छेद-23, 24)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-23 और 24 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया गया है। अनुच्छेद-23 का संबंध मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात श्रम के प्रतिरोध से है। अनुच्छेद-23 के अंतर्गत मनुष्य के क्रय-विक्रय को निषिद्ध कर दिया गया है और इस व्यवस्था के उल्लघंन को दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है। इस प्रावधान

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

का उद्देश्य व्यभिचार के उद्देश्य से महिलाओं के क्रय-विक्रय पर रोग लगाना है। **अनुच्छेद**-23 (ii) में किसी व्यक्ति द्वारा किसी से जबरदस्ती बिना पगार के (अर्थात् बिना मजदूरी दिये) कार्य करवाने को दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है। परंतु इस प्रावधान का अपवाद यह है कि राज्य सार्वजनिक उद्देश्य से अनिवार्य श्रम योजना लागू कर सकता है।

अनुच्छेद-24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखाने, खानों या किसी जोखिम भरे काम पर नहीं नियुक्त किया जा सकता है। इसका उद्देश्य कम आयु के बच्चों की स्वास्थ्य की रक्षा करना है। वस्तुतः बच्चे ही देश के भावी नागरिक तथा कर्णधार है। इसलिये संविधान के अनुच्छेद-39 द्वारा राज्य पर यह कर्त्तव्य आरोपित किया गया है कि वह अपने देशवासियों के स्वास्थ्य एवं कार्य क्षमता को सुरक्षित रखे तथा इस बात का ध्यान रखे कि आर्थिक आवश्यकता से मजबूर होकर वे अपनी आयु एवं शारीरिक क्षमता को हानि वाले व्यवसाय को न अपनाये।

4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom of Religion):

भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद-25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों का समावेश किया गया है। **भारत संविधान के अनुसार भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है। ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान में धर्म निरपेक्ष शब्द 42 वें संविधान संशोधन** द्वारा जोड़ा गया। इसके पहले धर्म निरपेक्ष शब्द के स्थान पर पंथ निरपेक्ष था। धर्म निरपेक्ष राज्य का यह अर्थ नहीं है कि लोगों का धर्म में विश्वास नहीं है बल्कि इसका आशय यह है कि राज्य का अपना कोई सरकारी धर्म नहीं है। भारत में अनेक धर्म के अनुयायी रहते है। इसलिये भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गयी है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के संबंध में वर्णित प्रावधान निम्नवत है:

(a) **अंतःकाल, धर्मपालन और प्रचार की स्वतंत्रता** (Freedom of conscience, Practice and Propagation of religion): भारतीय संविधान के अनुच्छेद-/5 के अंतर्गत प्रत्येग व्यक्ति को सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार, और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए अंतःकाल की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म पालन करने की तथा उसका प्रचार-प्रसार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। सिखों द्वारा कृपाण धारण करना उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है।

अनुच्छेद-/5 के अनुसार राज्य को धार्मिक आचरण से संबंद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या अन्य लौकिक क्रिया-कलापों का नियोजन या निर्बधन करने का अधिकार भी है। सरकार का यह अधिकार भी है कि हिंदूओं की धार्मिक संस्थाओं में सुधार हेतु कदम उठा सकती है तथा उन्हें हिंदुओं के सभी वर्गों तथा भागों के लिये खोल सकती है।

(b) **धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता** (Freedom to manage Religious affair): अनुच्छेद-26 के अंतर्गत प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को धार्मिक मामलों का प्रबंध करने, धर्म के निमित्त दान प्राप्त करने तथा धार्मिक संपत्ति के प्रबंध का अधिकार प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद 32 अनुसार प्रत्येक संप्रदाय के लोगों को धार्मिक तथा परोपकार संबंधी प्रयोजनार्थ संस्थाओं की स्थापना तथा उनकी देख भाल करने का अधिकार दिया गया है। परंतु यह अधिकार केवल उन्हीं धार्मिक संस्थाओं तक सीमित है जिनकी स्थापना धार्मिक संप्रदाय के लोगों ने की है। परंतु जिन संस्थाओं की स्थापना संसद द्वारा पारित विधि के आधार पर की गयी है वे इस क्षेत्राधिकार से बाहर है। यथा अजीज बाशा बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय की स्थापना संसद द्वारा पारित विधि के आधार पर की गयी है। इसलिये वह अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित संस्था नहीं है।

(c) **धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिये कर देने से स्वतंत्रता** (Freedom as to Payment of taxes for Promotion of any religion) (अनुच्छेद-27):

Notepad

NET JRF Manish Singh Sir EC Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

अनुच्छेद-27 में यह प्रावधारित है कि किसी धर्म विशेष के प्रचार-प्रसार के लिये राज्य द्वारा नागरिकों को चंदा देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद-27 ऐसा कर देने के बारे में स्वतंत्रता देता है जो किसी विशेष धर्म के विकास के लिये व्यय किया जाता है। परंतु यदि किसी धार्मिक संप्रदाय के लिये राज्य कोई सेवा करता है तो इस प्रकार से की गयी सेवा के लिये राज्य शुल्क ले सकता है। ध्यातव्य है कि शुल्क और कर में अंतर है। शुल्क सरकार सेवा करने के लिये देती है परंतु कर सरकार बिना किसी सेवा के लेती है। यथा आयकर

(d) **शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने से स्वतंत्रता** (Freedom as to receive religious instruction in educational institutions)

अनुच्छेद-28 में प्रावधारित किया गया है कि राजकीय निधि से संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्था में किसी विशेष की शिक्षा नहीं दी जायेगी और न किसी को धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने के लिये बाध्य किया जा सकता है। परंतु यह प्रावधान ऐसी संस्थाओं पर लागू नहीं होता है जिनका प्रशासन तो राज्य के हाथों में है परंतु उनकी स्थापना किसी ट्रस्ट द्वारा की गयी है जिनके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य है।

5. **सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार** (Cultural and Educational Rights): भारतीय संविधान के अनुच्छेद-29 एवं 30 में नागरिकों विशेषकर अल्पसंख्यकों के संस्कृति और शिक्षा अधिकारों को प्रावधानित किया गया है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकारों की विशेषता निम्नवत है:

(i) **अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार** (Right to Protect its Language, dialect and culture to minorities): अनुच्छेद-29 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त राजकीय सहायता से पूर्णतया या आंशिक रूप से संचालित शेक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश का भाषा।

अनुच्छेद-38 में कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक न्याय की स्थापना से संबंधित उपबंध बनाएगा। राज्य विशेष रूप से आय की असमानता को कम करेगा, प्रतिष्ठा, सुविधाओं, अवसरों मे असमानता समाप्त करेगा।

अनुच्छेद-42 राज्य काय की न्याय संगत तथा मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता (Maternity relief) के लिए उपबन्ध (provision) करेगा।

अनुच्छेद-43 में यह कहा गया है कि राज्य इस बात का प्रयास करेगा कि कृषि, उद्योग और अन्य सभी क्षेत्रों में लगे हुये कर्मचारियों के लिए ऐसे उपबन्ध बनाएगा जिससे कि

1. सभी को काम मिल सके।
2. मजदूरी इतनी हो कि जीवन चल सके (निर्वाह मजदूरी)
3. सभ्य जीवन स्तर मिल सके
4. काम की अच्छी दशाएं हों
5. सामाजिक व सांस्कृतिक अवसर मिल सकें
6. ग्राम व कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिल सके।

अनुच्छेद 43 (क): राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करवाएगा।

अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि राज्य SC, ST तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा तथा आर्थिक हितों की रक्षा करेगा।

अनुच्छेद 44 में सभी के लिए समान नागरिक संहिता होने की बात कही गयी है।

अनुच्छेद 39 (घ) में पुरुषों और स्त्रियों के लिए **समान कार्य के लिए समान वेतन** की व्यवस्था की गयी है। वहीं इसके पहले अनुच्छेद 39 (क) मे पुरुषों व स्त्रीयों को जीविका के लिए पर्याप्त साधन प्राप्त करने के अधिकार के बारे में बतलाया गया है।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

अनुच्छेद 21-ए जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया हS] मे कहा गया है कि राज्य 6-14 वर्ष के बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा।

अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोग सहायता पाने के अधिकार से संबंधित प्रावधान है, इसमें कहा गया है कि राज्य अपनी विकास व सामर्थ्य की सीमाओं को देखते हुये था अन्य शब्दो में राज्य अपनी क्षमतानुसार लोगों के लिए काम शिक्षा के लिए उचित दशाएं बनाएगा तथा बेगारी, बुढ़ापा कमजोरी (निशक्तता) आदि स्थितियों में लोगों को सहायता प्रदान करेगा।

अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि राज्य प्रारंभिक शैशवास्था की देखरेख और सभी बच्चों के लिए जब तक वे 6 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते शिक्षा की व्यवस्था के लिए उपबंध बनाएगा।

अनुच्छेद 47: राज्य लोगों के पोषाहर स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा उठाएगा तथा मादक पदार्थों (शराब आदि) पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा।

National Commission for Scheduled Cast: 338: पहले अनुच्छेद 338 में एक ऐसे ऑफिसर की नियुक्ति का प्रावधान था जो कि SC संबंधी सभी मामलो में संवैधानिक अधिकारो की जांच करता तथा राष्ट्रपति को इससे अवगत कराता।

65वें संविधान संशोधन (1990) द्वारा ऑफिसर की जगह एक आयोग के गठन के संबंध में बात कही गयी।

इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 89वें संशोधन द्वारा 3 सदस्य कर दिये गये अन्य सदस्य होते हैं।

इन सभी की नियुक्ति व सेवा शर्ते राष्ट्रपति द्वारा अपनी मुहर व हस्ताक्षर द्वारा निर्धारित की जाती है। (सीलबंद वारंट द्वारा)

आयोग के पास इतनी शक्ति होती है कि अपने कार्यो को अपने अनुसार चला सके।

आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौपंता है तथा राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को दोनो सदनो के समक्ष रखवाता है। यदि आयोग की रिपोर्ट किसी राज्य के संबंध में है तो राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को इस राज्य के राज्यपाल के पास भिजवाता है तो राज्य पाल रिपोर्ट को राज्य विधान मंडल के समक्ष रखवाएगा।

संसद या राज्य विधानमंडल यदि इस रिपोर्ट को या इसके किसी भाग को अस्वीकृत करते हैं तो उन्हें अस्वीकृति के कारणो से संबंधित ज्ञापन भी देना होगा। आयोग के निम्नलिखित कर्तव्य होते हैं:

1. SC के लिए जो संवैधानिक उपाय किये गय है, जा कानून बनाये गये हैं या सरकार ने कोई आदेश दिया है, इन सभी रक्षा उपायों का विश्लेषण (investigation) करे तथा इनके कार्यकरण का मूल्यांकन करे।
2. ऐसी शिकायतों की जांच करे जो कि SC के अधिकारो, रक्षा उपायो से वंचित करने के संबंध मे होगी।
3. SC के सामाजिक आर्थिक विकास के संबंध में जो योजनाएं बनायी जा रही है/चलायी जा रही हैं, उनमे हिस्सा ले,ख तथा केन्द्र या राज्य मे हो रही योजना की प्रगति का मूल्यांकन भी करे।
4. सभी रक्षोपायों के कार्यकरण के संबंध में प्रत्येक वर्ष, या उससे पहले जा आयोग ठीक समझे, राष्ट्रपति को सूचित करे।
5. अपनी रिपोर्ट में उन उपायो के बारे मे बताए जिससे कि संघ व राज्य के द्वारा रक्षोपायो का प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन किया जा सके। साथ ही SC के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये अन्य उपाय भी बताए।
6. ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन करे जिन्हे राष्ट्रपति ने, संसद द्वारा बनायी गयी विधि के अंतर्गत रहते हुये निर्दिष्ट किया है।

उपर्युक्त: 1 मे बताये गये विषय का investigation (अन्वेषण) करते समय तथा

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir PG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

2 मे निर्दिष्ट किसी complaint (परिवाद) की inquiry (जांच) करते समय आयोग के पास वे सभी शक्तियां होगी जो उस समय (परिवाद के समय) एक civil (सिविल) न्यायालय की होती है; अर्थात्:

1. भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन जारी करना, हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना।
2. किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना।
3. शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना
4. किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख (Public record) या उसकी प्रति की अपेक्षा (requisitioning) करना।
5. साक्षियों (witness) और दस्तावेजो (documents) की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना।
6. कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति नियम द्वारा निर्धारित करे।

अनुच्छेद 338 में यह भी प्रावधान है कि संघ और प्रत्येक राज्य सरकार SC को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण, नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श करेगी।

अनुच्छेद 338 में SC के लिए दिये गये निर्देशों का अर्थ यह लगाया जाएगा कि: जो कार्य आयोग SC के संबंध में कर रहा है वही काम (रिपोर्ट) उसे अनुच्छेद 340 (1) मे बताये गये BC तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए भी करना होगा। उनके संबंध में रक्षोपाय राष्ट्रपति को बताने होंगे।

नोट: 340 (1) मे: सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के बारे में बताया गया है। इनके लिए राष्ट्रपति को एक आयोग गठित करने की शक्ति दी गयी है। (socially and educationaly backward classes)

338 A: National Commission for Scheduled Tribes (ST)**: सारे प्रावधान:** SC Commission **की तरह।**

SC, ST आयोग संवैधानिक संस्थाएं हैं:

जबकि: राष्ट्रीय महिला आयोग: 1990

राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग: 1992

पिछड़े वर्गो के लिए राष्ट्रीय आयोग: 1993

सफाई कर्मचारियों के लिए आयोग: 1993

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग: 1993 - वैधानिक संस्थाएं है।

नागरिक अधिकार संरक्षण विधेयक (1955): इसमे ऐसे किसी भी व्यक्ति को सजा देने का प्रावधान है, जो किसी व्यक्ति को अस्पृश्यता निवारण के बाद मिले अधिकारो का उपयोग करने से रोकने का प्रयास करता है।

अनुसूचित जाति तथा जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (1989):इसमे अत्याचार की श्रेणी मे आने वाले अपराधों के उल्लेख के साथ-साथ कड़े दण्ड की व्यवस्था भी की गयी है।

1995 में इसमे अन्य उपनियम भी जोड़े गये, जिसमे अन्य बातों के अलावा प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास की भी व्यवस्था है।

अरूणाचल व नगालैण्ड को छोड़कर अन्य सभी राज्यो तथा केन्द्रशासित प्रदेशां ने इस प्रकार के मामलो के लिए विशेष न्यायालयों का गठन किया है।

11 राज्यो की पहचान SC, ST पर अत्याचार आशंका वाला क्षेत्र घोषित किया गया है। (आन्ध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तरांचल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश)।

दोनो कानूनो को लागू करने मे लगे कुल खर्च के राज्यो व केन्द्र की हिस्सेदारी अनुपात 50:50 होगा। केन्द्रशासित प्रदेशो मे पूरा खर्च (100 प्रतिशत) केन्द्र उठाएगा।

2001 की जनगणना के अनुसार ST **की** Total Population=8.43 Cr. **यानि की** 8.2% **है।**

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

भारतीय संविधान:

भाग: 10 'अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र' "The Scheduled and Tribal Area"

अनुच्छेद: 244 व 244 (A)

अनुच्छेद 244 (1): मे कहा गया है कि "पांचवी अनुसूची" के उपबंध चार राज्यो को छोड़कर (असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम) लागू होंगे।

अनुच्छेद 244 (2): छठी अनुसूची के उपबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए लागू होंगे।

पांचवी अनुसूची: भाग (क) - Article 244 (1)

पांचवी अनुसूची मे 'राज्य' के अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को सम्मिलित नहीं किया जाएगा, जब तक कि इनके बारे मे कोई विशेष बात नहीं कही जाती है।

किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उसके अंतर्गत आने वाले अनुसूचित क्षेत्रों तक होगी।

इस अनुसूची के अंतर्गत आने वाले राज्यों के राज्यपाल को प्रत्येक वर्ष या जब राष्ट्रपति मांगे, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे मे राष्ट्रपति को सूचित करेगा। और इन क्षेत्रों के संबंध में केन्द्र की शक्ति सिर्फ निर्देश देने की होगी।

भाग (ख)

ऐसे राज्यो में जहां अनुसूचित जातियां तो है लेकिन अनुसूचित क्षेत्र नहीं है तथा ऐसे राज्य जहां दोनो हैं राष्ट्रपति के निर्देश पर एक **"जनजातिय सलाहकार परिषद"** (Tribes Advisary Council) गठित की जाएगी।

- इस "जनजातिय सलाहकार परिषद" मे 20 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, इन 20 में 3/4 भाग उस राज्य की विधानसभा के ST सदस्यों का होगा। अगर यह 3/4 भाग पूरा नहीं है तो 3/4 के बचे स्थान अन्य जनजातिय सदस्यो से भरा जाएगा।
- परिषद राज्यपाल को सलाह देगी, अर्थात् परिषद की प्रवृत्ति सलाहकारी होगी।
- परिषद के अध्यक्ष, सदस्यों (संख्या भी) कार्यविधि सभी से संबंधित विधि राज्यपाल बनायेगा।
- इन जनजातियों या क्षेत्रों से संबंधित संसद या विधानसभा के नियमो को राज्यपाल निरस्त कर सकता है।
- राज्यपाल इन क्षेत्रो/जनजातियो के भूमि हस्तातरण से संबंधित कानूनो को निरस्त कर सकेगा, नये कानून बना सकेगा, तथा पुराने को विनियमित भी कर सकेगा।
- ऐसे व्यक्तियो जो संबंधित क्षेत्र के ST को धन उधार देते हैं (साहूकार) के संबंध में राज्यपाल कानून बना सकता है। लेकिन अन्ति निर्णय "राष्ट्रपति" का होगा। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई कानून प्रभावशाली नहीं होगा।

साथ ही यह भी व्यवस्था की गयी है कि जिन राज्यो में Tribe Advisory Council है, राज्यपाल को किसी भी निर्णय मे परिषद से अनिवार्य रूप से परामर्श करना पड़ेगा।

भाग: ग अनुसूचित क्षेत्र (Scheduled Area): राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति किसी भाग को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकेगा, अनुसूचित क्षेत्र के किसी हिस्से को हटा सकेगा, सीमाओ मे परिवर्तन कर बड़ा सकेगा, नये राज्य के निर्माण पर उस जनजातिय क्षेत्र को राज्य मे प्रवेश दे सकेगा।

भाग घ: अनुसूची का संशोधन (Amendment of the Schedule): संशोधन संसद करेगी। (पांचवी अनुसूची का संशोधन) लेकिन इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा।

संविधान में अनुसूचित क्षेत्रो की घोषणा से संबंधित कोई मानदण्ड नहीं निर्धरित किये गये है। फिर भी व्यवहार्य मे मानदण्ड निम्नवत हैं:

1. जनजातिय संख्या का बाहुल्य
2. क्षेत्र का तर्क संगत आकार और सघनता (घनत्व)
3. व्यवहार प्रशासनिक सत्ता जैसे जिला, ब्लाक, तालुक

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir PCG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

4. पड़ोसी क्षेत्र की तुलना में आर्थिक पिछड़ापन।

छठवी अनुसूची: Art 244 (2) and Art 275 (1)

- छठी अनुसूची मे चार राज्यो (असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम) के संबंध में Autonomous districts **(स्वशासी जिलो)** की बात कही गयी है।
 अगर एक स्वशासी जिले मे अनेक जनजातियां है तो राज्यपाल जिले के अंतर्गत स्वशासी प्रदेशो (autonomous regions) को बना सकेगा।
- लेकिन ऐसे Autonomous regions का निर्माण "वोडो लैण्ड" जिले में नहीं किया जा सकता।
- राज्यपाल स्वशासी जिलो, क्षेत्रों के प्रशासन की जांच करने के लिए एक "आयोग गठित" करेगा।
- इस आयोग से परामर्श करके राज्यपाल जिले या क्षेत्र मे, परिवर्तन कर सकेगा नया बना सकेगा, नाम बदल सकेगा, दो को मिलाकर एक कर सकेगा, किसी जिले/क्षेत्र को सम्मिलित कर सकेगा, बाहर निकाल सकेगा।
- प्रत्येक स्वशासी जिले के लिए एक "जिला परिषद" (District Council) होगी,। की सदस्य संख्या 30 से ज्यादा नहीं होगी। इन 30 मे 4 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किये जाएंगे तथा शेष वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होंगे।
 लेकिन वोडोलैण्ड की जिला परिषद 46 सदस्यों से बनेगी इसमे 40 का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, इस 40 मे 30 ST, 5 गैर ST, के लिए आरक्षित है। 5 अनारक्षित है। राज्यपाल 6 को मनोनीत करेगा जिसमें 2 स्त्रियां होंगी।

स्वशासी क्षेत्रो (regions) **की स्वतंत्र क्षेत्रीय परिषद होगी।**

स्वशासी जिले: 6वीं अनुसूची के पैरा 20 मे:

भाग 1 "असम":
1. उत्तरी **कछार** पर्वतीय जिला
2. कार्वी आंगलोंग जिला
3. वोडो लैण्ड क्षेत्रीय जिले

भाग 2 "मेघालय":
1. खासी पर्वतीय जिला
2. जयंतिया पर्वतीय जिला
3. गारो पर्वतीय जिला

भाग 2 (A) "त्रिपुरा":
1. त्रिपुरा जनजातिय जिला

भाग 3 "मिजोरम":
1. चकमा जिला
2. मारा जिला
3. लई जिला।

- परिषदों को विधायी तथा न्यायिक प्रशासन के अधिकार भी दिये गये हैं।
- जिला/क्षेत्रीय परिषदों को जिले/क्षेत्र मे प्राथमिक विद्यालय, औषधालय, बाजारो, पोखरो, नौकाओं, मत्स्य क्षेत्रों, सड़क, भूतल परिवहन, जलमार्गो की स्थापना, निर्माण-प्रबंधन के संबंध में राज्यपाल की मंजूरी से कानून बनाने का अधिकार दिया गया है।
- उत्तरी कद्दार पर्वतीय जिला तथा कार्वी-आंगलोंग जिला (असम) की स्वायत्त परिषदो को माध्यमिक शिक्षा, कृषि, सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक बीमा जन स्वास्थ सफाई, लघु सिंचाई आदि क्षेत्रो के संबंध में भी कानून बनाने का अधिकार दिया गया है।
- परिषदों को कुछ मामलो (अपराधो, मुकदमो) की सुनवाई के लिए IPC व CrPC के तहत अधिकार दिये गये है। परिषदो को अपने क्षेत्र में राजस्व वसूली, कर एकत्रण के लिए राजस्व प्राधिकरण के अधिकार और प्राकृतिक संसाधनो के नियम तथा प्रबंधन के लिए अन्य अधिकार भी दिये गये हैं।
- संसद समय-समय पर 6वीं अनुसूची का संशोधन कर सकेगी। यह संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा।

Notepad

NET/JRF Manish Singh Sir UG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

Art 366 मे परिभाषाएं दी गयी हैं

Art **366 (24):** 'अनुसूचित जातियो' से ऐसी जातियो, मूलवंश (races) या जनजातियां अथवा ऐसी जातियों, मूलवंशो या जनजातियो के भाग या उनमे से यूथ अभिप्रेत है जिन्हे इस संविधान के प्रायोजनो के लिए अनुच्छेद 341 के अंतर्गत अनुसूचित जातियां समझा जाता है।

Art **366 (25):** 'अनुसूचित जनजातियो' में ऐसी जनजातियां या जनजाति समुदाय या ऐसी जनजातियों या जनजातिय समुदायों के भाग या उनमे से यूथ अभिप्रेत हैं जिन्हें इस संविधान के प्रायोजनो हेतु अनुच्छेद 342 के अधीन ST समझा जाता है।

Art **341 (1):** SC: राष्ट्रपति राज्यो में राज्यपाल से परामर्श करके तथा केन्द्र शासित प्रदेशो में लोग अधिसूचना (public matigication) द्वारा वहां की (राज्यो तथा केन्द्रशासित प्रदेशो की) जातियों, जनजातियों, मूलवंशो या जनजातियों के भागो, को संविधान के प्रायोजनो के लिए SC घोषित कर सकेगा।

Art **341** (2): संसद विधि द्वारा सूची (SC सूची) को संशोधित कर सकेगी (घटा सकेगी, बढ़ा सकेगी)।

Art **342** (1): ST: राष्ट्रपति राज्यो में राज्यपाल से परामर्श करके तथा केन्द्र शासित प्रदेशो में लोग अधिसूचना (public matigication) द्वारा वहां की (राज्यो तथा केन्द्रशासित प्रदेशो की) जातियों, जनजातियों, मूलवंशो या जनजातियों के भागो, को संविधान के प्रायोजनो के लिए ST घोषित कर सकेगा।

Art **342 (2):** संसद विधि द्वारा सूची (ST सूची) को संशोधित कर सकेगी (घटा सकेगी, बढ़ा सकेगी)।

ST को राज्यवार/केन्द्रशासित प्रदेश वार घोषित किया जाता है, न कि अखिल भारतीय स्तर पर।

किसी समुदाय को ST घोषित करने के आधार:

(संविधान में ये आधान नहीं बताए गये है, लेकिन व्यवहार्य मे स्थापित हो चुके हैं)

1. आदिम विशेषताएं
2. भिन्न संस्कृति
3. कुल मिलाकर सार्वजनिक संपर्क से बचना
4. भौगोलिक अलगाव

इन मानदण्डो को:

1931 की जनगणना

प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग: 1955 (काका कालेलकर आयोग)

SC/ST सूचिया समिति: 1965 (लोकुर समिति)

SC/ST संशोधन विधेयक: 1967 (चंदा समिति)

– मे अपनाया गया।

Art 342 **के तहत 600 से अधिक जनजातियां है।**

हरियाणा, पंजाब (राज्य) तथा चंडीगढ़, दिल्ली, पांडिचेरी (केन्द्रशासित प्रदेश) में ST **समुदाय नहीं है। या** Art 342 **मे तहत सूची मे नहीं है।**

अनुसूची जातियों को सूची मे सम्मिलित करने तथा हटाने की प्रक्रिया:

इस प्रक्रिया को सरकार ने जून 1999 में मंजूरी दी:

जब भी किसी समुदाय को ST सूची मे शामिल करने का कोई भी प्रतिवेदन मंत्रालय को प्राप्त होता है तो मंत्रालय अनु. 342 के तहत सिफारिशों को संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के पास भेजता है।

यदि राज्य सरकार सिफारिश करती है (स्वीकृति देती है) तो उसे भारत के महा पंजीयन के पास भेज दिया जाता, महा पंजीयन यदि सिफारिश से संतुष्ट होते हैं तो उसे SC/ST आयोग के पास भेज दिया जाता है, आयोग की स्वीकृति के बाद,

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय मे परामर्श के बाद प्रतिवेदन को मंत्रिमण्डल के पास भेज दिया जाता है।

ST: **जनसांख्यिकीय विवरण:**

प्रतिशत की दृष्टि से 5 राज्य:

		ST (कुल जनसंख्या का प्रतिशत)
1.	मिजोरम	: 94.5
2.	लक्षद्वीप	: 94.5
3.	नागालैण्ड	: 89.1
4.	मेघालय	: 85.9
5.	अरूणाचल प्रदेश	: 64.2

संख्या की दृष्टि से 5 राज्य:

		(राज्य की कुल जनसंख्या का प्रतिशत)		
1.	मध्य प्रदेश	: 12,23,34,740	:	20 प्रतिशत
2.	महाराष्ट्र	: 85,77,276	:	8.9 प्रतिशत
3.	उड़ीसा	: 81,45,081	:	22.1 प्रतिशत
4.	गुजरात	: 74,81,160	:	14.8 प्रतिशत
5.	राजस्थान	: 70,97,706	:	12.6 प्रतिशत

ST **की सबसे कम संख्या-गोवा मे है।**

% **मे सबसे कम जनसंख्या (कुल जनसंख्या का %) - उत्तर प्रदेश में है** (0.1%)

5 राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश जहां ST की संख्या 0 (शून्य) है:

1. हरियाणा
2. पंजाब
3. चंडीगढ़
4. दिल्ली
5. पांडिचेरी

जनजातिय समुदाय देश के कुल 15 प्रतिशत भाग मे फैले हुये है तथा उनकी कुल जनसंख्या 8,43,26,240 है जो कुल जनसंख्या का 8.2 प्रतिशत है।

देश के ST बहुल राज्य: जहां ST population 50% से अधिक है।

1. अरूणाचल प्रदेश
2. मेघालय
3. मिजोरम
4. नागालैण्ड
5. दादरा तथा नगर हवेली
6. लक्षद्वीप

आदिम जनजातिय समूह: कुछ जनजातियो ने जीवन शैली की मुख्य धारा को अपना लिया है लेकिन अब भी 75 आदिम समूह हैं: जिनकी विशेषताएं निम्न हैं:

1. प्रौद्योगिकी का कृषि-पूर्व स्तर
2. घटती या स्थिर जनसंख्या
3. साक्षरता की अत्यधिक कमी
4. गुजारे लायक आर्थिक स्थिति

1991 जनगणना के अनुसार आदिम जनजातियो की कुल संख्या 24.12 लाख थी।

ST के संबंध मे प्रमुख तथ्य:

Population Growth:

- 1981-1991 के बीच ST जनसंख्या 31.94% से वही भारत की जनसंख्या वृद्धि 23.51%

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

- 1991-2001 के बीच ST जनसंख्या 24.45% से वही भारत की जनसंख्या वृद्धि 22.66%

 लिंग अनुपात ST का 977 भारत का 933

साक्षरता:

- 1991-2001 के बीच ST साक्षरता 29.62 से बढ़कर 47.10% हो गयी।
- 1991-2001 के बीच भारत की साक्षरता 52.2 से बढ़कर 65.38% हो गयी।

महिला साक्षरता दर:

- 1991-2001 मे ST महिला साक्षरता 18.19 से 34.76 हो गयी जो संपूर्ण भारत में महिला साक्षरता से 20% कम है।
- ST पढ़ाई बीच मे छोड़ देते हैं, इससे उच्चशिक्षा और कुल शिक्षा अनुपात मे विषमता बढ़ी है।
- 87% ST प्राथमिक क्षेत्र (कृषि तथा संबंधित क्षेत्र) मे रोजगार प्राप्त करते हैं।
- BPL-ST की संख्या बहुत अधिक है। वे कुपोषित है, बीमारियों के शिकार है, विस्थापन की आशंका बनी रहती है।

 चूकिं ST दुर्गम क्षेत्रो में रहते है इसलिए इनका विकास कम हो पाया है।

अनुच्छेद 275 (1):

केन्द्र भारत की संचित निधि से ST कल्याण से संबंधित योजनाओ तथा जनजातिय प्रशासन उन्नत करने के लिए अनुदान देगा। संसद यह निर्धारित करेगी कि किसे (राज्य) को कितना अनुदान दिया जाय।

अनुच्छेद 275 (1) के अनुदान के तहत ही "एकलव्य मॉडल रेजिडेशियल स्कूल" नामक योजना 1997-1998 से चलायी जा रही है। Residencial School खोले जा रहे हैं।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातिय वित्त निगम (NSTFDC):

- 2001 मे गठित, भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है।
- 10 लाख तक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है।

भारतीय जनजातिय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड):

- 1987 मे एक सहकारी समिति के रूप मे गठित।

जनजातिय उत्पादो के विपणन विकास के लिए स्व-सहायता और परस्पर सहयोग बढ़ाना जिससे आर्थिक-सामाजिक स्थिति बेहतर हो सके।

पंचायतों का प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रो का विस्तार) कानून 1996 (पेसा): पेसा के तहत संबंधित स्थानीय समुदायो को छुट पुट बनोत्पादो पर मालिकाना हक दिया गया है।

वन ग्राम: वे ग्राम जिनकी स्थापना ब्रिटिश काल मे वन कार्यो के लिए निरंतर कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिए दूर-दराज, दुर्गम वन क्षेत्रों मे की गयी थी।

इस समय देश मे 3000 वन ग्राम है।

अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण:

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (1993): मंडल निर्णय (1992) के बाद एक स्थायी निकाय तथ वैधानिक संस्था के रूप मे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गयी।

यह पिछड़े वर्ग सूची मे नागरिकों को शामिल करना तथा हटाने की प्रक्रिया मे सरकार को सलाह देता है।

सरकार सलाह को मानने के लिए साधरणतया बाध्य होगी।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (1993): राष्ट्रीय अल्पसंख्या आयोग अधिनियम 1992 के तहत गठित एक वैधानिक संस्था।

आयोग को संवैधानिक दर्जा दिये जाने के लिए नवम्बर 2004 में संविधान मे

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

संशोधन किया गया।

यह पुलिस द्वारा की गयी ज्यादतियो तथा नौकरी संबंधी मामलो, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों तथा धार्मिक संस्थाओं संबंधी विवादो को निपटाता है।

राष्ट्रीय धार्मिक तथा भाषायी अल्पसंख्यक आयोग: इसने मार्च 2005 से कार्य करना प्रारंभ किया।

धार्मिक-भाषायी अल्पसंख्यको की पहचान, सामाजिक आर्थिक कल्याण, शिक्षा, सरकारी नौकरियों मे आरक्षण के बारे मे सरकार को सुझाव देना तथा लागू करने के लिए संवैधानिक, प्रशासनिक, कानूनी उपाय बताना इसके कार्य हैं।

केन्द्रीय वक्फ परिषद: "सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय" के अंतर्गत आता है। वक्फ ऐसे कार्यों के लिए स्थायी रूप से दान की गयी ऐसी चल व अचल संपत्तियां हैं जो मुस्लिम कानून के अनुसार धर्मसम्मत व पवित्र माने जाते हैं।

वक्फ धार्मिक के साथ सामाजिक व आर्थिक उत्थान मे भी मदद करते हैं।

1964 मे अधिनियम के माध्यम से स्थापित एक वैधानिक संस्था है।

देश भर की वक्फ संस्थाओं के संबंध मे सरकार को सलाह देता है।

Art 350 (B): भाषायी अल्पसंख्यको के लिए विशेष अधिकारी। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा।

इसकी नियुक्ति 1957 मे की गयी।

भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त का कार्यालय इलाहाबाद मे है।

राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है।

विकलांग व्यक्ति अधिनियम:1995

भारतीय पुनर्वास परिषद: 1992

एक वैधानिक निकाय है।

Art 330: लोकसभा मे SC, ST के लिए आरक्षण

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश मे कम से कम SC, ST के लिए उतनी सीट आरक्षित होगी, जितनी की संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश मे उनकी जनसंख्या है।

2001 की जनगणना के आधार पर आरक्षण होगा।

Art 331: लोकसभा मे आंग्ल भारतीयो के लिए आरक्षण:

अगर राष्ट्रपति को लगता है कि लोकसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह दो सदस्यो को मनोनीत कर सकता है।

Art 332: राज्यों की विधान सभाओं में SC, ST के लिए आरक्षण

330 की तरह

Art 333: विधान सभाओ मे आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व:

राज्यपाल (1) सदस्य मनोनी कर सकता है।

Art 340: पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति।

सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए।

Art 341: अनुसूचित जाति

Art 342: अनुसूचित जनजाति

Art 164: बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा मे अनुसूचित जनजाति मे एक मंत्री की नियुक्ति की जाएगी।

105वां संविधान संशोधन के द्वारा बिहार को निकाल दिया गया और छत्तीसगढ़ व झारखण्ड को जोड़ दिया गया, इस प्रकार अब मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखण्ड के एक मंत्री की नियुक्ति जनजातिय कल्याण मंत्री के रूप में की जाएगी।

अनुच्छेद 335: मे कहा गया है कि राज्य सेवाओ में SC, ST के स्थानो को भरते समय, प्रशासन की दक्षता मे कमी न आने पाए, की बात का ध्यान रखेगा। इसी अनुच्छेद मे (335 (2)) आगे यह भी कहा गया है कि इस अनुच्छेद का यह प्रावधान राज्य को इस बात से नहीं रोकेगा कि वह निम्न बातों के लिए उपबंध बना सके:

1. अर्हता अंक मे शिथलीकरण (relaxation) से संबंधित।
2. किसी श्रेणी मे आरक्षण (reservation) व पदोन्नति (promotion) से

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

संबंधित अर्थात् राज्य SC, ST मे relaxation, reservation, promotion से संबंधित नियम-कानून बना सकता है।

अनुच्छेद 337: मे आंग्ल भारतीयों के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान देने का उपबंध। यह उन शिक्षण संस्थाओं को दिया जाता है जिसमें कम से कम 40% ऐसे छात्र भी हो जो आंग्ल-भारतीयों से संबंधित नहीं है।

अनुच्छेद 336: रेलवे, सीमा शुल्क, डाक-तार विभागों में आंग्ल भारतीयों की नियुक्तियां उसी आधार पर होगी जिस आधार पर 15 अगस्त 1947 मे पहले होती थी।

अनुच्छेद 334: लोकसभा व विधान सभाओं में SC, ST व आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व संबंधी आरक्षण संविधान के प्रारंभ से 60 वर्ष तक रहेगा।

अनुच्छेद 339: राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रो व ST कल्याण के लिए आयोग बना सकेगा।

Notepad

भारत मे जनजातियां

1874 मे अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम पास हुआ। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत जनजातियों की स्थानीय जनसंख्या मे पूर्ण रूप से पृथक तथा आंशिक रूप से पृथक क्षेत्र बने।

एफ.जी.बेली (1960) ने जनजातिय परिभाषा की समस्या के संदर्भ मे कहा कि - 'जनजातियों को एक ऐसे सतत सेतु (Continuum) की तरह माना जाए जिसमे एक ओर जनजातियां, दूसरी ओर जातियां है।'

सुरजीत सिन्हा (1965) ने भी जनजातियों को सतत सेतु की तरह देखा है, उन्होने जनजाति को सभ्यता के माध्यम से समझाया।

हिमालयन क्षेत्र की जनजातियां: गद्दी, जौनसार, नागा आदि।

पश्चिम भारतीय क्षेत्र की जनजातियां: भील, ग्रसिया।

दक्षिण भारतीय क्षेत्र की जनजातियां: टोटा, कोटा, चेंचू।

लक्षद्वीप (अरब सागर) की: मिनिकॉयन तथा अनुमान व निकोबार (बंगाल की खाड़ी) की ओंज तथा सेनीनल, जाखा आदि।

गुहा ने भारतीय जनजातियों को तीन प्रजातियों से संबंधित माना:

1. **प्रोटो आस्ट्रेलायड:** त्वचा कांरग काला, चपटी नाक छोटा मापा।
 मध्य प्रदेश की गोंड, छोटा नागपुर की मुंडा, झारखण्ड की हो जनजातियां।
2. **मंगोलाभ:** उत्तरी-पूर्वी भारत जी जनजातियां त्वचा कांरग हल्का, चौड़ा सिर-चेहरा, तिरछी आंख, चपटी चौड़ी नाक।
 मध्य हिमालय की भोरिया, अरूणाचल की वांचू, नागालैण्ड की नागा, मेघालय की खासी आदि।
3. **नेग्रटों:** त्वचा का रंग काला, गोल सिर, चौड़ी नाक, घंघराले वाल अंडमान की ओंज तथा जाखा, केरल की कादर।

जनजातिय लोग 105 तरह की भाषाएं बोलते है तथा इनकी 225 उप भाषा भारतीय जनजातियों के द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं को चार प्रमुख परिवार में बांटा जाता है:

1. **आस्ट्रो एशियाटिक परिवार:दो प्रकार की**
 1. **मोनख्वेर:**खासी, व निकोबार की जनजातियां।
 2. **मुण्डारी:** संभाल, गोंड, खारिया।
2. **तिब्बती-चीनी परिवार: दो प्रकार की:**
 1. **स्थायी चीनी:** पूर्वोत्तर की खाम्टी अब समाप्ति की ओर है।
 2. **तिब्बी वर्मी:** दार्जिलिंग के लेप्था, नागा, तथा पूर्वात्तर की लगभग जनजातियां।
 3. **इंडो यूरोपीय परिवार:** इसमें हजोंग व भीली भाषाएं सम्मिलित है।
 4. **द्रविड़ परिवार:** दक्षिण भारत की जनजातियां, केरल के कादर तथा मैसूर की येरूवा आदि।

इस वर्गीकरण का अर्थ यह नहीं है कि एक ही भाषा परिवार के लोग ऐ दूसरे की भाषा समझ सकते हैं। जैसे नागा लगभग 50 समूहो मे रहते है और लगभग प्रत्येक

NET JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

समूह एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाता।

कुछ वर्ष पूर्व नील गिरि के टोडा लोग जैविक और सामाजिक संकट से गुजर रहे थे, उनकी कुल संख्या 475 रह गयी थी। इसी प्रकार अंडमान के अंडमानी की संख्या 31 थी। इसके विपरीत कुछ जनजातियां ऐसी है जिनकी जनसंख्या लाखों मे है जैसे: मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के गोंड, राजस्थान, गुजरात व मध्य प्रदेश के भीम, झारखण्ड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की संथाल। वही ज्यादातर जनजातियों की जनसंख्या इन दोनो के बीच की है। जैसे गुजरात की दुब्ला, दक्षिण भारत की चेंचू, इरूला तथा उत्तरी पूवी भारत की बोरो कचारी।

बड़े जनजातिये समूहों का फैलाव विभिन्न राज्यों मे होने के कारण वे लोग विभिन्न नीतियों व कायक्रमों के द्वारा शासित होते है जिसका प्रभाव उनकी जनजातिय संरचना पर पड़ता है।

यह कहना कि जनजातियां सदैव सभ्यता से पृथक रही हैं ऐतिहासिक दृष्टि से सही नहीं है।

घूर्ये (1943) ने भारत की जनजातियों को 'पिछड़े हिन्दू' कहा। ऐसी जनजातियां जो पूर्ण रूप से पृथक रहती हैं बहुत कम है जैसे अंडमान व निकोबार की जाखा व सेंटीनल, कुछ लोग तो इन्हे वहां की भूल निवासी भी नहीं मानते तथा यह कहते हैं कि इनका पृथक्करण बाद में हुआ।

भोटिया: व्यापारी है।

गूजर: चरवाह

केरल की चोलामाइकन: खाद्य संग्राहक तथा आखेटक है।

बगाडा, बिरहोर: कारीगर है।

टोडा, हिमाचल प्रदेश के गुजर।

नकरवाल, व गद्दी: पशुपालक है।

प्रधान (म. प्र.): लोक कलाकार हैं, ये गोंडो के लिए पण्डे (पुरुष) व दाई (महिला) का काम करते हैं।

विविध:

वैरियर एल्विन ने जनजातियों कास सांस्कृतिक वर्गीकरण करके उन्हें चार भागों में बांटा।

19वीं शताब्दी के अन्तिम वर्षो में सर्वप्रथम ज्योतिराव फूले ने अस्पृश्यों को अनेक अधिकार दिलाने हेतु पूना में 'सत्य-शोधक समाज' की स्थापना की।

- डा. भीमराव अम्बेडकर ने अस्पृश्य जातियों के लिए आंदोलन चलाया। इसके लिए उन्होंने सन 1920 में 'अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ' की स्थापना किये।
- महात्मा गाँधी ने 1932 में 'हरिजन सेवक संघ' की स्थापना की।
 सवर्ण हिन्दुओं द्वारा चलाये गये अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, ईश्वर सरल आश्रम आदि का काफी योगदान रहा।
- **डा. भीमराव अम्बेडकर** ने अनुसूचित जातियों के **क्षैतिज संघटन** पर बल दिया।
- **'दलित वर्ग कल्याण लीग'** की स्थापना **डॉ. भीमराव अम्बेडकर** ने की।
- **'बेरियर एल्विन'** ने जनजातियों के विकास के लिए सरकार को **'राष्ट्रीय उपवन'** (National Park) का सुझाव दिया।
- जनवरी 1976 में सरकार द्वारा पारित **'बन्धक श्रमिक उन्मूलन कानून'** का विशेष लाभ अनुसूचित जातियों को ही मिला है।
- सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ देश की 471 अनुसचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो को मिला है।

सन् 1955 से **'अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम 1955'** संपूर्ण देश में लागू किया गया। इस अधिनियम की 17 धाराओं के द्वारा अस्पृश्यों की सभी प्रकार की निर्योग्यताओं को समाप्त किया जा चुका है।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir PG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

- **नागरिक अधिकार संरक्षण कानून:** 19 नवम्बर 1976 से सारे देश में लागू कर दिया गया। यह अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 का ही संशोधित रूप था।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत **'मंडल आयोग'** का गठन किया गया था।
- वर्तमान समय में लोकसभा के 543 सीटों में से 79 और राज्यों की विधान सभाओं के 4047 सीटों में से 557 स्थान अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित रखे गये हैं।
- सरकारी सेवा में अखिल भारतीय आधार पर की जाने वाली नियुक्तियों में 15 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित है।

जनजातिय समाज में 'अवस्था समुच्चय' (Age-sets) सामाजिक विभेदीकरण का आधार है।

- **वेरियर एल्विन** ने जनजातियों के संदर्भ में कहा कि 'हमें जनजातियों के जीवन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। एक तरह से जनजातियों के क्षेत्र को राष्ट्रीय पार्क के रूप में बदल देना चाहिए।'
- सर्वप्रथम **आदिम जातियों** को अनुसूचित करने का प्रयास 1931 की जनगणना के समय हुआ था।

26 जनवरी, 1950, में भारतीय संविधान लागू होने के बाद ही जनजातियों तथा जनजाति समुदाय को अनुसूचित जनजाति की विशिष्ट संज्ञा देने की आवश्यकता महसूस हुई।

1960-61 ई. में यू.एन. ढेबर की अध्यक्षता में **अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजाति आयोग'** की स्थापना की गयी थी।

- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) अधिनियम 1989 बनाया गया है जो 30 जनवरी, 1990 से लागू किया गया।
- वर्तमान में लोकसभा में 41 और विधानसभाओं में 527 स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित किये गये हैं।
- **आन्द्रे बिताई** कृषक वर्ग को पिछड़े वर्गों का सार मानते हैं।
- बिहार सरकार ने **'मुगेरी लाल आयोग'** और कर्नाटक सरकार ने **'एल.जी. हवानूर आयोग'** की स्थापना की जिसका मुख्य उद्देश्य था पिछड़े वर्गों का पता लगाना। केरल सरकार ने **पी.डी. नेट्अूर** की अध्यक्षता में आयोग की स्थापना की।
- राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति ने 29 जनवरी, 1953 को **काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त** किया।
- यह आयोग 2,399 जातियों व समुदायों को पिछड़ा वर्ग मानने की सिफारिश की।
- जनता पार्टी सरकारी ने **वी.पी. मण्डल की अध्यक्षता** में पिछड़े वर्गों की समस्याओं के संदर्भ में एक आयोग की स्थापना की।
- 1976 में **'बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम'** पारित किया गया।

अस्पृश्यता तथा अन्य सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए **गोपाल कृष्ण गोखले ने 'भारत सेवक समाज'** की स्थापना की।

- ब्रिटिश काल में अछूतों या अस्पृश्यों को दलित वर्ग (Depressed Class) के नाम से पुकारा गया। इनकी आर्थिक स्थिति के अत्यन्त दयनीय होने के कारण ही इनके लिए अछूत शब्द के स्थान पर दलित वर्ग शब्द का प्रयोग किया गया।
- सन् 1931 की जनगणना के समय जनगणना अधीक्षक ने दलित शब्द के स्थान पर **'बाहरी जातियाँ'** (Exterior Castes) शब्द का प्रयोग किया।
- पूना पैक्ट के समय ही महात्मा गाँधी ने इनके लिए 'हरिजन' शब्द का प्रयोग किया।
- **'हरिजन' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डॉ. लोहिया ने किया।**
- वर्तमान में अनुसूचित जातियों की समस्या मुख्यत: सामाजिक और आर्थिक है न कि धार्मिक और राजनीतिक।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

- तमिलनाडु मे 69 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णयानुसार 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता।
- जनजातियों की वर्तमान सांस्कृतिक स्थिति के संबंध में **एस.सी.दुबे ने 'पांचकोणीय वर्गीकरण'** प्रस्तुत किया। यह एल्विन के ही विश्लेषण का विस्तार है। दुबे **'संयुक्त गांव'** नामक ऐसे वर्ग का भी उल्लेख करते हैं जहां जनजातियां, अपने विशिष्ट सामाजिक संगठन को बनाये रखते हुये अन्य जातियों, संप्रदायों एवं धार्मिक समूहों के साथ मिल जुलकर रहती हैं।
- जनजातिय सांस्कृतिक स्तर के संबंध में **'मजूमदार'** ने भी एक वर्गीकरण सुझाया है, **वर्तमान सांस्कृतिक स्तर को मजूमदार ने दो भागों में बांटा है:**
 1. आत्मसात्य
 2. अनुकूलनरत

 मजूमदार ने अनुकूलनरत (परिवर्ती संस्कृति) को तीन उप प्रकारो में भी बांटा है।
 1. सहभोजी (कमेन्सलिक): पड़ोसियों के साथ मिलकर आर्थिक क्रियाएं करना।
 2. सहजीवी (सिम्बिओटिक): परस्पर आश्रितता।
 उत्संस्करणी (एकल्चरेटिव): एकतरफा सांस्कृतिक प्रभाव।

एक तरफ तो गोंड, भील, संथाल जैसी बड़ी जनसंख्या वाली जनजातियां है तो दूसरी तरफ कोआ, टोडा, ओंज जैसी लुप्तप्राय जनजातियां है, **इसका कारण क्या है (जनसंख्या मे कमी का):**

गिलबर्ट मूरे का मानना है कि इन जनजातियों में जीवन के प्रति विरक्ति (मनोवैज्ञानिक कारण) पायी जाती है, इसे मूरे ने **'नब्ज टूटना'** (toss of Nerves) कहा। जासे कि अतिरायोक्ति पूर्ण लगता है, वास्तव में नई बीमारियां कुपोषण आदि इसके ज्यादा महत्वपूर्ण कारण रहे हैं।

वेरियर एलिवन ने जनजातियों के लिए पुररूत्थान की नीति पर बल दिया उन्होने एक ऐसी **राष्ट्रीय संरक्षित क्षेत्र** (National Tribal 200) नामक योजना बनायी जिसमें कि जनजातिय क्षेत्रों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करने एवं इनके निवर्तन (Revival) की बात कही गयी।

इन पुनरूत्थानवादी विचारों को **'घूरिये'** ने दकियानूसी करार दिया, घूरिये ने जनजातियों के **'सात्मीकरण'** पर बल दिया। घूरिये ने कहा कि जनजातियों को मूल निवासी कहना भ्रामक है वास्तव में ये **'पिछड़े हिन्दू'** है। और इनकी सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याओं को खत्म करने का एकमात्र तरीका **'इनका पूर्ण आत्मसाती करण'** है।

कृटन, मजूमदार-मदन आदि ने अत्यधिक अलगाव की नीति (एल्विन) व पूर्ण आत्मसातीकरण की खूब निंदा की।

मदन व मजूमदार ने जनजातियों के संदर्भ में निम्न नीतियों पर बल दिया है:

1. **आंशिक सात्मीकरण (नियंत्रित व सीमित):**जनजातियों की उपयोगी-संस्थाओ, रीति रिवाजो, मूल्यो, प्रचलनो आदि को संरक्षण देने हुए सात्मीकरण।
2. परासांस्कृतिक (Transculturation) को बढ़ावा।
3. ग्रामीणकीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
4. जनजातिय पुनर्वास की योजना समग्रात्मक होनी चाहिए: सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याओं का हल इसमे शामिल किया जाना चाहिए।

हटन भी आंशिक सात्मीकरण के समर्थक है।

ऐतिहासिक संदर्भ में 1917-18 मे सबसे पहले "Backward Classes" शब्द का प्रयोग किया गया।

1937 में त्रावणकोर मे "शैक्षणिक आर्थिक रूप से पिछड़ा समुदाय" शब्द का प्रयोग किया गया था।

Notepad

NET JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

1934 में मद्रास प्रांत ने "प्रांतीय पिछड़ा वर्ग संघ" की स्थापना की।
1947 में बिहार राज्य ने "पिछड़ा वर्ग महासंघ" की स्थापना की।
1950 में अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ की स्थापना की।
1951 बिहार राज्य ने 'पिछड़े वर्गों' की सूची घोषित की भी।

Notepad

OBC: **अन्य पिछड़ा वर्ग से तात्पर्य व्यक्ति नही अपितु समूहो के पिछड़ेपन से होता है।**

- काका कालेलकर आयोग: 1955 रिपोर्ट दी। Backward classes
 स्थापित: 1953 में (1953-55)

1979-80 विंदेश्वरी प्रसाद मण्डल आयोग: OBC **से** Related
उस समय लोक सभा के सदस्य थे।

काका कालेलकर आयोग: 1953 में गठित किया गया।

उद्देश्य: BC की 'अस्मिता' (identity) के लिए सामाजिक-शैक्षणिक आधार तय किये जाएं।

आयोग ने 2399 जातियो/समुदायो की सूची तैयार की, आयोग ने निम्न आधारो पर पिछड़े वर्गों को निश्चित करने की संस्तुति की थी:

1. जाति सोपान मे सामाजिक स्थिति
2. शैक्षणिक प्रगति का अभाव
3. सरकारी सेवाओं मे अपर्याप्त प्रतिनिधित्व
4. व्यापार, उद्योग मे अपर्याप्त प्रतिनिधित्व

राज्यो में भी BC Commission बनाये गये: Art 340 के आधार पर भी।

मंडल आयोग: मंडल आयोग का एक राजनैतिक इतिहास है, जनतापार्टी ने चुनावी घोषणा मे कहा था कि वह "जातिगत गैर बरारी को समाप्त कर" देना था।

मानदण्ड:

1. मुद्दे जो सा. शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को परिभाषित करने की कसौटी तय करने थे।
2. मुद्दे जो सा. शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के विकास के लिए उठाए जाने वाले कार्यक्रमों की सिफारिश।
3. प्रतिनिधित्व से संबंधित: केन्द्रीय, राज्य सरकार व केन्द्रशासित राज्यो मे उन सेवाओ की जांच करना जिनमे पिछड़ो का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है।

सिफारिशे: Social Educational Backward Class (SEBC):

- गैर हिन्दू जातियो सहित SC, ST को छोड़कर, पिछड़े वर्ग भारत की कुल जनसंख्या का 52% है अर्थात् इन्हे 52% आरक्षण दिया जाय।
- जो लोग योग्यता के आधार पा नौकरी नहीं पाते-27% आरक्षण दिया जाए।
- आरक्षित कोटा यदि न भरा जाए तो उसे अगले 3 वर्ष के लिए बड़ा दिया जाए। तत्पश्चात आरक्षण हटा देना चाहिए।
 SC, ST की भांति आयु मे छूट दी जानी चाहिए।
- आरक्षण सिद्धांत सार्वजनिक प्रतिष्ठानो, बैंको, केन्द्रीय राज्य सरकार से सहायता प्राप्त निजी संस्थानो, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों मे लागू किया जाना चाहिए।
- पिछड़े वर्गों की एक सूची बनानी चाहिए।
- आरक्षण को क्रियान्वित करने के लिए सरकार को आवश्यक कानूनी प्रावधान करना चाहिए।
- **मंडल आयोगन ने "क्रीमीलेयर" की बात नहीं कही थी।**

5 नवम्बर 1992 मे सुप्रीम कोर्ट का फैसला:

1. आरक्षण जातिगत आधार पर सही है।
2. किसी राज्य में आरक्षण का लाभ 50% से अधिक न दिया जाए।
3. पिछड़े संपन्न वर्गों को आरक्षण के लाभ से हटा दिया जाए।
4. तकनीकि नौकरियो मे आरक्षण उचित नहीं।

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

5. पदोन्नति मे आरक्षण न दिया जाए।

आलोचना:

1. यह व्यक्ति की उपेक्षा करता है।
2. यह अयोग्यता को वैध ठहराता है।
3. यह पिछड़ो को और पिछड़न प्रदान करता है।

Notepad

अल्पसंख्यक:

अंतराष्ट्रीय विश्व कोष मे **अर्नार्ड रोज** ने अल्पसंख्यक को इस प्रकार परिभाषित किया:

"अल्पसंख्यक समुदाय वह समुदाय होता है जो अपने को, राष्ट्रीयता, धर्म, प्रजाति या भाषा के आधार पर समाज के अन्य तमगो से अलग मानता है, और समाज के दूसरे लोग भी नकारात्मक अर्थो मे अपने से अलग मानते हैं।"

संक्षेप में ऐसे समूह में अपेक्षाकृत कम शक्तिशाली होते हैं जिससे अलगाव, भेद-भाव तथा अन्य पक्षपात पूर्ण व्यवहार का शिकार होना पड़ता है।

रोज की परिभाषा में संख्यात्मक आधार अनुपस्थित है।

मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत गठित भेदभाव की रोकथाम तथा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के उपायों की परिभाषा के अनुसार केवल वे समूह या समुदाय ही अल्पसंख्यक कोटि मे आते हैं जिनकी आम जनसंख्या के अन्य लोगो के जातिय, धार्मिक, भाषायी या चारित्रक विशेषताएं होती है और इन विशेषताओं को बनाये रखने की इच्छा भी रखते हो।

जगन्नाथ पाठि: अल्पसंख्यक समूह की पहचान प्रभुत्वशाली संघो द्वारा भेदभाव, पूर्वाग्रह एवं प्रवंचना और अल्पसंख्यक समूह द्वारा आत्मवंचना के आधार पर की।

आपने अल्पसंख्यक समूहो की परिभाषात्मक विशिष्टताओं का उल्लेख किया है जो इस प्रकार हैं:

1. किसी न किसी रूप में बहुसंख्यक समूह के
2. सामाजिक जीवन मे समग्र रूप से भागीदारी से वंचित होते हैं।
3. सांस्कृतिक या भौतिक विशेषताओं के आधार पर बहुसंख्यकों से भिन्न होते है तथा हीन भी होते हैं।

अन्य विशेषताएं

1. सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन की विशिष्टताओं को संरक्षित रखना किसी अल्पसंख्यक समुदाय की अनिवार्य विशेषता होती है।
2. प्रभुता, अलगाव व प्रवसन की निरन्तरता के चलते प्रजातीय भाषायी जातीय या धार्मिक विभाजन के साथ राजनैतिक विभाजन संभव नहीं है।
3. प्रभुत्वशाली समूह सदैव अल्पसंख्यक समूह को आत्मसात करने का प्रयास करता है, जो इसका विरोध करते है वे दमन का शिकार होते हैं।
4. बहुसंख्यक समूह की यह प्रवृत्ति अल्पसंख्यकों में अलग पहचान बनाये रखने की चेतना को गति प्रदान करने को गति करती है।
5. जब किसी समूहों के धार्मिक समूहों को भाषायी समूहों मे और भाषायी समूहों को धार्मिक समूहों में बांटा जाता है तो इस प्रक्रिया को अन्तस्तरीय विभाजन कहते हैं।
6. अल्पसंख्यकों की अलग पहिचान की इच्छा राजनैतिक मांगो को जन्म देती है। अल्पसंख्यकों की मांगे या तो विशेष सुविधाओं के लिए होती है या पहिचान को मान्यता देने के लिए या क्षेत्रों मे अलगाव के लिए होती है।
7. अत: दो समूहो (अल्पसंख्यक बहुसमूहों) का विभेदीकरण संख्या के आधार पर नहीं किया जा सकता अपितु आधार सामान्य गुण होते हैं।
8. अल्पसंख्यक वर्ग भी अवधारणा प्रभुत्व एवं भेदभाव के कारण परिवर्तनीय है।
9. भारतीय संविधान में अल्पसंख्यको का तो जिक्र है लेकिन परिभाषा नहीं।

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

10. सर्वोच्च न्यायालय मे फैसलो का आधार सांख्यिकीय जनसंख्या रहा है। जैसे किसी राज्य मे 50% से कम आबादी वाले समूहों को अल्पसंख्यक समूह कहा जाता है।
11. भारतीय संविधान में दो तरह के अल्पसंख्यकों का जिक्र है:

(i) भाषायी

(ii) धार्मिक: मुसलमान, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी।

Notepad

अल्पसंख्यक समूह के रूप में महिलाएं:

लुई वर्थ (1972): एक अल्पसंख्यक समूह व्यक्तियों का ऐसा कोई भी समूह होता है जिन्हे शारीरिक या सांस्कृतिक विशिष्ट लक्षणों के कासरण, ग्गिन्नता सूचक और असमान व्यवहार के लिए, उन समाजो में दूसरो से अलक करके देखा जाता है, जिसमे वे रहते हैं, और इस कारण वह अपने आप को सामूहिक भेदभाव का पात्र मानते हैं।

हेंकर: (USA) 'महिलाओ व अश्वेतो (अल्पसंख्यको) को एक ही वर्ग मे रखना चाहिए'।

इंदु प्रकाश सिंह: भारतीय समाज मे महिलाओं की घेरा बंदी की हुयी है।

मेरी वाना स्टोन क्राफ्ट: "स्त्रियों ने सभ्यता की सभी मूर्खताओं और बुराइयों को उपार्जित किया है, और लाभदायक परिणाम को नहीं पा सकीं"।

मदन व मजूमदार ने दलित या अछूत जातियों की वर्तमान स्थिति का संक्षिप्त सारांश प्रस्तुत किया है:

1. कतिपय दलित जातियां सभी राज्यों में दलित नहीं है। कुछ दलित जातियां ऐसी हैं जो एक राज्य में तो दलित हैं किन्तु अन्य राज्य में सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक दृष्टि से दलित नहीं है। उदाहरणार्थ, मध्य प्रदेश में, एक ही तथाकथित दलित जाति के सामाजिक अधिकारों एवं नियोग्यताओं में, एक से दूसरे जिलों तक में, अंतर देखा गया है।
2. जहां दलित जातियों की जनसंख्या कम है वहां निर्योग्यताएं कड़ी हैं; और जहां जनसंख्या अधिक है तथा सशक्त जातीय संगठनों का विकास हुआ है वहां ये नियोग्यताएं कम हैं, एवं क्षीण भी होती जा रहीह हैं।
3. जहां सभी जातियों की सामाजिक स्थिति एक सी है वहां सामाजिक नियोग्यताएं अधिक नहीं पाई जाती। ऐसी स्थिति में नियोग्यताएं केवल उन्हीं जातियों तक सीमित रह जाती है जिनका धंधा नीचा माना जाता है।
4. जहां ऊंची जातियां कम और दलित जातियों की जनसंख्या काफी अधिक तादाद में होती है वहां धार्मिक अपवित्रता के अवसर काफी कम हो जाते हैं और नीची जातियों पर लागू होने वाली नियोग्यताएं भी काफी कम प्रचलित देखी जाती हैं।
5. ऐसा भी देखने में आता है कि नीची जातियों के कतिपय सदस्य राजनीतिक नेता, मंत्री, उच्च अधिकारी आदि पद प्राप्त कर ऊंची सामाजिक प्रतिष्ठा अर्जित कर लेते हैं, और कभी-कभी ऊंची जातियों के साथ वैवाहिक रिश्ते तक स्थापित कर लेते हैं।
6. जनजातीय लोगों पर अछूत जातियों जैसे सामाजिक अभिशाप लागू नहीं होते। किंतु ज्यों ही जनजातियां जातीय आर्थिकी के क्षेत्र में प्रवेश करती हैं त्यों ही उनकी प्रस्थिति धंधे की जातिगत ऊंच-नीच के अनुसार बढ़-घट जाती है। बंगाल, बिहार और संथाल परगना के स्वास्थ्य केंद्रों में काम करने वाले संथालों पर यों किसी प्रकार की सामाजिक नियोग्यता लागू नहीं होती, किंतु ये संथाल स्वयं उन ऊंची जातियों तक से भोजन-पानी ग्रहण नहीं करते जिन्हें इन संथालों की सेवा की जरूरत पड़ती है। साहा तथा तेलियों ने बंगाल की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था पर विभिन्न दबाव डालकर ऐसे कुछ अधिकार अर्जित कर लिए हैं जो अन्य

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

क्षेत्रों के साहा तथा तेलियों को उपलब्ध नही हैं।

भारतीय मुसलमानों की हालत पर सच्चर समिति की सिफारिशें

Notepad

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की 17 मई, 2007 की बैठक में अल्पसंख्यकों के उत्थान से संबंधित राजिंदर सच्चर समिति की अधिकांश सिफारिशों को मंजूरी दे दी गई। इन सिफारिशों को एक आयोग की सिफारिशों के समान माना गया है तथा इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के निर्देश भी सभी मंत्रालयों को जारी किए गए हैं। इस संदर्भ में सरकार ने देश में अल्पसंख्यक बहुल 90 जिलों की पहचान कर उनका सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ापन दूर करने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया। इन जिलों को सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन और बुनियादी सुविधाओं के पैमाने से दो श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें 'ए' श्रेणी में 53 जिले रखे गए हैं, जहां साक्षरता दर व महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। जबकि 'बी' श्रेणी में 37 जिले रखे गए हैं। भारतीय मुसलमानों के सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक हालात की पड़ताल के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा मार्च 2006 में गठित सात सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को 17 नवम्बर, 2006 को सौंपी थी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ए.आर. अंतले ने 404 पृष्ठों की इस रिपोर्ट को 30 नवम्बर, 2006 को लोकसभा में पेश किया था। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मुस्लिम समाज दूसरे समुदायों के मुकाबले पिछड़ता जा रहा है। उनके सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक सुधार के लिए सरकार को ठोस कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिम समुदाय में निर्धनता एवं निरक्षरता अपेक्षाकृत अधिक है तथा शिक्षा के लिए इसकी पहुंच अपेक्षाकृत कम है। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की नौकरियों में इस समुदाय का प्रतिनिधित्व तथा स्वरोजगार के लिए बैंक ऋण की उपलब्धि भी अन्य समुदायों की तुलना में कम है। रिपोर्ट के अनुसार देश में 88 लाख से अधिक सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व मात्र 4.9% है तथा उसका इससे भी कम मात्र 3.2% प्रतिनिधित्व देश की सुरक्षा एजेंसियों में है। रिपोर्ट के अनुसार 15.4% मुस्लिम जनसंख्या वाले राज्यों में मात्र 5.7% मुस्लिम ही उच्च पदों पर हैं, जबकि 12 घनी मुस्लिम आबादी वाले राज्यों में न्यायपालिका में इनकी संख्या 7.8% है। असम व पश्चिम बंगाल में जहां मुस्लिम जनसंख्या क्रमशः 9.4% व 5% है। जबकि आंध्र प्रदेश में जहां मुस्लिम जनसंख्या 12.4% है, वहां न्यायपालिका में मुस्लिम 9.2% हैं। रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र व गुजरात सहित कुछ राज्यों में जेलों में मुस्लिमों की संख्या उसकी कुल जनसंख्या के अनुपात में काफी अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार शहरी क्षेत्रों में जहां 28% जनसंख्या निर्धनता रेखा से नीचे है, वहीं मुस्लिमों में यह अनुपात 40% है। ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे मुस्लिमों में 94.9% निर्धनता रेखा से नीचे हैं। देश में कृषि में कार्यरत लोगों में 43% भूमिहीन है। जबकि मुस्लिमों में यह अनुपात 60.2% है। ग्रामीण मुस्लिमों में 54.6% तथा शहरी मुस्लिमों में 60% ने कभी किसी स्कूल में प्रवेश नहीं लिया। राष्ट्रीय स्तर पर यह औसत ग्रामीण क्षेत्रों में 40.8% तथा शहरी क्षेत्रों में 19.9% है। 90% मुस्लिम कक्षा 10 तक नहीं पहुंच पाते, जबकि ग्रामीण मुस्लिमों में 0.8% तथा शहरी मुस्लिमों में 3.1% ही स्नातक की उपाधि प्राप्त है। शहरी क्षेत्रों में मुस्लिमों में मात्र 1.2% ही स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त है।

धार्मिक आधार पर आरक्षण की 'राजनीतिक धारण' से अलग सच्चर समिति की रिपोर्ट में मुस्लिम समुदाय को चार निम्नलिखित व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है-अशरफ, उच्च वर्णीय हिन्दू से धर्मांतरित समूह, अरजाल और अजलाफ। स्वतंत्रता के बाद यह पहला अवसर है, जब सरकार द्वारा गठित किसी समिति ने मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक दशा के गंभीर समाजशास्त्रीय विश्लेषण के बाद पिछड़े समाजों के उन्नयन के लिए ठोस सुझाव दिए हैं। **सच्चर समिति की कुछ प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं:**

NEET JRF Manish Singh Sir UC Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

- दलितों के समान पारंपरिक पेशे में लगे अरजाल श्रेणी के मुसलमानों को अति पिछड़ा समुदाय जैसा आरक्षण।
- मुस्लिम समुदाय की शिकायतों पर तुरंत ध्यान देने के लिए समान अवसर आयोग (EOC)।
- शासन में मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए नामांकन प्रक्रिया।
- परिसीमन में आरक्षित चुनाव क्षेत्रों की विसंगतियां दूर हों।
- मुस्लिम बहुल इलाकों का परिसीमन ऐसा हो कि चुनावों में वे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित न हों।
- स्थानीय निकाय में प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए आंध्र की तरह राज्यवार कानून।
- सरकारी नौकरी में 4.9% और सुरक्षा एजेंसियों में 3.2% असंतोषप्रद हिस्सेदारी दूर हो।
- सरकारी और नीजि नौकरियों में बढ़े प्रतिनिधित्व।
- विभिन्न सामाजिक-धार्मिक वर्गों से जुड़ी जानकारी के लिए राष्ट्रीय डेटा बैंक का गठन।
- अल्पसंख्यकों के संदर्भ में स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली किताबों का मूल्यांकन।
- कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को उनके छात्रों की आबादी के विविधीकरण के हिसाब से यूजीसी ग्रांट।
- विश्वविद्यालयों और स्वायत्त कॉलेजों में मुसलमानों के प्रवेश के लिए प्रवेश के वैकल्पिक मानदंड।
- मुस्लिम समुदाय के छात्रों को उचित कीमत पर प्राथमिकता से छात्रावास सुविधा।
- अध्यापक प्रशिक्षण में देश की विविधता और बहुलता बताने वाली जानकारी शामिल हो।
- अध्यापकों को मुसलमानों और दूसरे उपेक्षित समुदायों के प्रति संवेदनशील बनाया जाए।
- मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा के लिए उर्दू माध्यम के माध्यमिक स्कूलों को प्रोत्साहन।
- मदरसों को उच्च शिक्षा से जोड़ने वाला तंत्र बनाया जाए, जिससे मदरसों के छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें।
- मदरसों की उपाधि और प्रमाणपत्र को विभिन्न प्रतियोगी परिक्षाओं में मान्यता।
- मुसलमानों को मिलने वाले लाभों के आकलन के लिए स्वायत्त आकलन और निगरानी प्राधिकार का गठन।
- व्यावसायिक बैंको और वित्तीय संस्थानों में अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों की पहुंच आसान हो।
- मुसलमानों के ट्रस्टों जैसे वक्फ, मस्जिद और समितियों को और सुविधाएं।
- विभिन्न समहों और बोर्डों में मुसलमान समुदाय के विशेषज्ञ भी शामिल किए जाए।
- मुस्लिम बहुल इलाकों में आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए वित्तीय और दूसरे सहयोग उपलब्ध कराए जाएं।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

सामाजिक जनांकिकी
(Social Demography)

Notepad

जनसंख्या: किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले व्यक्तियों के समूह को जनसंख्या कहते हैं।
जनांकिकी: जनांकिकी जनसंख्या का विज्ञान है जिसमे जन्म, विवाह, मृत्यु एवं प्रवास के सांख्यिकीय विश्लेषण द्वारा जनसंख्या की दशा, दर, एवं गतिशीलता का अध्ययन किया जाता है। उसे मानवीय जनसंख्या के आकार, संरचना तथा विकास के विश्लेषण के रूप में भी परिभाषित किया जाता है।

जनांकिकी के दो प्रमुख भाग हैं:

1. **अकारिक जनांकिकी:** इसमें सरंचना के पैरामीटर और गतिकी का आकारिक सांख्यकीय विश्लेषण किया जाता है।
2. **जनसंख्या अध्ययन:** इसमें जनसंख्या की संरचनाओं और परिवर्तन के कारणों और परिणामो की खोजबीन की जाती है। समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से जनांकिकी का दूसरा भाग ही महत्वपूर्ण होता है।

डेमोग्राफी (Demography) शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस के विद्वान **ई.गूइलर्ड** ने किया। इसके पूर्व यह Political arthamatic के नाम से जाना जाता था।

SOCIAL DEMOGRAPHY

सामाजिक जनांकिकी: सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं से जुड़े हुये हैं व किस प्रकार जनन क्षमता, विवाह के रूप, आयु संरचना, **जीवनप्रत्याशा** आदि को प्रभावित करते हैं, ये विषय ही सामाजिक जनांकिकी का प्रमुख अध्ययन क्षेत्र हैं। साथ ही इसमे जनसांख्यिकीय-परिवर्तन के सामाजिक परिणामों का भी अध्ययन किया जाता है।

JOHN GRANT **को जनांकिकी का पिता माना जाता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम** life table **का निर्माण किया था।**

थामसन व लेविस: इन्होंने जनांकिकी के अध्ययन मे निम्न पक्षो का समावेश किया है:

1. **जनसंख्या का आकार:** किसी समय, किसी स्थान विशेष मे रहने वाले जनसमुदाय की सम्पूर्ण संख्या को उस स्थान विशेष की जनसंख्या का आकार कहा जाता है।
2. **जनसंख्या की संरचना** (Composition of Papu): जनसंख्या के स्वरूप का जिसमे व्यक्तियों के प्रकार, उनकी विशेषताएं, आयु, लिंग, जाति, धर्म, निवास संबंधी पक्ष जनसंख्या की संरचना है।

 जनसंख्या के आकार का अध्ययन जनसंख्या का समष्टिगत चित्रण प्रस्तुत करता है। व संरचना का अध्ययन व्यष्टिगत अध्ययन प्रस्तुत करता है।
3. **जनसंख्या का वितरण:** विश्व अथवा उसके किसी हिस्से मे जनसंख्या का वितरण अथवा फैलाव का स्वरूप क्या है, इसमें किस तरह का परिवर्तन हो रहा है, व इसके क्या कारण हैं यह जनसंख्या का वितरण कहलाता है।

 उपरोक्त के अलावा जनांकिकी अध्ययन के अन्य पक्ष भी हैं।
4. जनसंख्या को प्रभावित करने वाले तत्व।
5. जनसंख्या नीति।

सामाजिक जनांकिकी समाजशास्त्र की एक शाखा है और जनांकिकी एक स्वतन्त्र विषय है।

जनांकिकी विषय के इतिहास का प्रथम चरण माल्थस से प्रारंभ माना जाता है जिसने जनांकिकी अध्ययन के क्षेत्र में समस्या मूल्क दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। (1798)

जनसांख्यिकीय अध्ययन: जनांकिकी, जनसंख्या की वह सांख्यिकीय पद्धति है

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

जिसके अंतर्गत आंकड़ो (Data) का एकत्रीकरण, सारणीयन, व्याख्या तथा विश्लेषण किया जाता है और इन आंकड़ों का संकलन मानव समुदाय से किया जाता है, जिसके लिए मुख्यत: तीन विधियों का प्रयोग किया जाता है:

Source of Demogratic Data:

1. Census Method
2. Registration Method
3. Sample Survay.

1. **जनगणना विधि** (Census Method): जनगणना जनसंख्या के आंकड़ों को संकलित करने की सबसे विश्वसनीय विधि है। जनगणना से अभिप्राय किसी देश या उसके द्वारा सीमांकित आय मे, किसी विशिष्ट समय पर, सभी व्यक्तियों से संबंधित, जनांकिकीय, आर्थिक एवं सामाजिक आंकड़ो को एकत्रित करने, संकलित करने और प्रकाशित करने की संपूर्ण क्रिया है।

जनगणना विधि के लक्षण

- सार्वभौमिकता
- नियमितता
- स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र
- एक साथ गणना
- व्यक्तिगत सूचना (प्रत्येक व्यक्ति के बारे में)
- सरकार द्वारा संचालित
- संपादन व प्रकाशन

जनगणना की विधिंया

1. De-facto Method **(तथ्य सिद्धि पद्धति):** इस पद्धति के अनुसार सारे देश में सभी व्यक्तियों की गणना एक साथ पूर्वनिश्चित रात्रि या दिन में उसी स्थान पर कर ली जाती है, जहां वे जनगणना के समय उपस्थित रहते हैं। चूंकि गणना का कार्य एक ही रात या दिन में पूरा किया जाता है, इसलिए इसे 'One Night' **(एक रात्रि गणना)** या 'Data System' भी कहते हैं, इसमें जो व्यक्ति जहां उपस्थित होता है उसे वहीं का निवासी मान लिया जाता है, चाहे वह कही का भी रहने वाला हो।
 यह खर्चीली पद्धति है जनगणना करने वालों की अधिक संख्या में आवश्यकता पड़ती है, तथा इसमें बहुत से व्यक्ति जनगणना से छूट जाते हैं। भारत में 1931 तक यही पद्धति प्रचलित थी।
2. De-Jure Method **(विधि सिद्धि पद्धति):** व्यक्तियों की गणना उनके निवास-स्थान के आधार पर, एक पूर्व निर्धारित अवधि में की जाती है। यह कार्य लगभग 2-3 सप्ताह में पूरा किया जाता है।
 दो प्रकार से सूचनाएं एकत्र की जाती हैं:
 1. Canvasser Method: इसके अंतर्गत प्रशिक्षित प्रगणक, सूचना के स्तोत के पास अर्थात् घर-घर जाकर सूचना प्राप्त करके अनुसूची में भरती हैं।
 2. Self-Enumeration Method or (House Holder Method): इस विधि में परिवार के मुखिया को अनुसूची वोट दी जाती है, जब मुखिया या परिवार के सदस्य अनुसूची को भर देते हैं, तो उसे एकत्र कर लिया जाता है।
2. Registration Method: जनांकिकीय घटनाओं के घटित होते ही, उसे निकट के निर्धारित कार्यालय में पंजीकृत कराया जाता है। जिसे उस कार्यालय में एकत्रित कर अध्ययन किया जाता है।
 UNO **ने** जनांकिकीय घटनाओं के पंजीकरण के अंतर्गत निम्न-सूचनाओं को आवश्यक माना है:
 1. जन्म संबंधी पंजीकरण

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

2. मृत्यु संबंधी पंजीकरण
3. विवाह संबंधी पंजीकरण
4. भ्रूण मृत्यु की गर्भावधि

भारत में पंजीकरण प्रणाली सर्वप्रथम मद्रास में 1844 में लागू की गयी 1968 में पंजीकरण के संबंध में एक अधिसूचना पारित कर, प्रथम बार राष्ट्रीय स्तर पर अनिवार्य पंजीकरण की व्यवस्था की गयी।

3. Sample Survey: इसके अंतर्गत किसी क्षेत्र या गांव या भू-भाग का कोई सर्वेक्षक आकड़े एकत्रित करता है और इस प्रकार से प्राप्त आंकड़ों के परिणामों को सान्यीकरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस तरह ये सर्वेक्षण वैज्ञानिक विधियों पर आधारित होते हैं तथा नमूने जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं।

इस पद्धति के अंतर्गत स्तरीय निर्देशन के आधार पर (या अन्य भी) कुछ स्थानों को चुन लिया जाता है तथा इन चुने हुये स्थानों या नमूनो का सर्वेक्षण किया जाता है।

भारत में 1964-65 में Sample-Registration Method **को लागू किया गया।**

जनसंख्या पिरामिड

आयु तथा लिंग के आधार पर बनाये जाते हैं।

दो प्रकार:

1. Absolute Pyramid: इसमें वास्तविक जनसंख्या के आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है।
2. Relative Pyramid: इसमें पिरामिड को प्रतिशत के आधार पर निर्मित किया जाता है, अत: तुलनात्मक अध्ययन हेतु अधिक उपयुक्त होता है।

- भारत का जनसंख्या पिरामिड शंकु के आकार का है, जिसका आधार बहुत विस्तृत परंतु ऊँचाई कम है।
- जिस देश की स्वास्थ सुविधाएं बहुत विकसित होंगी, वहां पर पिरामिड की ऊँचाई (आयु पर आधारित होने के कारण) अधिक होगी।
- अल्पविकसित देशों में स्वास्थ सुविधाएं कम विकसित होती हैं, अत: जन्म-दर भी ज्यादा व मृत्यु- दर भी ज्यादा अत: आधार बहुत चौड़ा व ऊँचाई कम, शंकु के आकार का पिरामिड बनेगा।

जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में, (विकासशील देश)

- आधार 1 की अपेक्षा कम
- ऊचाई अधिक
- आश्रितता अनुपात अधिकतम
- जन्म दर- यथगत
- मृत्यू दर में कमी स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित

DR, BR दोनों नियंत्रित

विकसित देशों में: (मधुमक्खी के छत्ते की तरह)

आधार छोटा,

दोनो भुजाएं लम्बवत आश्रितत अनुपात न्यूनतम

ऊंचाई अधिक

वर्तमान USA कनाडा

यहां जन्म दर को थोड़ा प्रोत्साहित किया गया है। घंटी आकार

मृत्यु दर- यथगत

BR में बहुत कमी आ गयी है।

जर्मनी:?

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

प्रव्रजन (Migration)

Notepad

स्थायी या अर्द्धस्थायी आवास परिवर्तन ही प्रव्रजन है। अस्थायी प्रव्रजन को प्रव्रजन के अंतर्गत नहीं रखा जाता। प्रव्रजन का तात्पर्य एक भौतिक या भौगोलिक ईकाई से दूसरी भौतिक या भौगोलिक इकाई में जाने से है। प्रव्रजन की अवधारणा मे इस बात से प्रभाव नहीं पड़ता कि लोगों का स्थान परिवर्तन किसी दबाव, प्राकृतिक आपदा, आदि से तो नहीं हुआ है इस अर्थ में प्रव्रजन एक मूल्यरहित अवधारणा है।

प्रव्रजन लोगो का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है। लेकिन अस्थाई नहीं जैसे किसी काम से कोई दूसरे शहर गया और लौट आया तो इसे प्रव्रजन नहीं कहा जाएगा।

यह लोगो का स्थायी या अर्द्ध स्थायी आवास परिवर्तन होता है। गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए दो माह के लिए शिमला में रहना प्रव्रजन नहीं है।

प्रव्रजन के स्वरूप (Types of Migration):

प्रव्रजन

आंतरिक प्रव्रजन बाह्य प्रव्रजन

अंत: प्रव्रजन बाह्य प्रव्रजन आप्रवासन उत्प्रवासन

आंतरिक प्रव्रजन: एक देश की सीमा के अन्दर प्रव्रजन।

बाह्य प्रव्रजन: एक देश से दूसरे देश में प्रव्रजन इसे 'अन्तराष्ट्रीय प्रव्रजन' भी कहते हैं।

आप्रवासन व उत्प्रवासन

व्यक्ति या समूह ने अपने जिस मूल देश को छोड़ा है, उसमे उत्प्रवासी कहलाते है। इसे देशान्तर गमन भी कहते हैं। और जिस देश में बसते हैं, उसमे आप्रवासी हैं। इसे दूसरे देश में प्रव्रजन कहा जाता है।

अगर कोई व्यक्ति भारत छोड़कर ब्रिटेन में बस जाता है तो वह भारत के उत्प्रवासी होंगे वहीं ब्रिटेन के अप्रवासी होंगे।

अन्त: प्रव्रजन व बाह्य प्रव्रजन

अन्त: प्रव्रजन किसी विशेष क्षेत्र में प्रव्रजन को दिखाता है। यह शब्द 'प्रव्रजक जहां जा रहें है' को इंगित करता है। वहीं 'बाह्य प्रव्रजन' का प्रयोग प्रव्रजकों में जन्म स्थान के संदर्भ में प्रयुक्त होता है।

जैसे 'बिहारियो का दिल्ली आना'। दिल्ली के लिए बिहारी अन्त: प्रव्रजक हैं वहीं बिहार के लिए दिल्ली आने वाले बिहारी वाह्य प्रव्रजक है।

समय के आधार पर

1. स्थायी प्रव्रजन या लम्बी अभिसीमा प्रव्रजन।
2. अस्थायी प्रव्रजन या छोटी अभिसीमा प्रव्रजन।विशेष रूप से मौसमी प्रव्रजन।

अन्य प्रकार

1. **बल पूर्वक प्रव्रजन या अनैच्छिक प्रव्रजन:** जवान कुशल लोगों को प्रव्रजित करना, शरणार्थियों का प्रव्रजन, विस्थापितो का प्रव्रजन।
2. **स्वैच्छिक प्रव्रजन:** ऐसे प्रव्रजन जो अपनी इच्छा से भरे जाएं।

- प्रव्रजन, प्राव्रजकों मे उम्र सापेक्ष होता है। युवा लोगों में अधिक प्रव्रजन व वृद्धो में कम प्रव्रजन देखा जा सकता है।
- विकासशील देशों में बहुत अधिक प्रव्रजन पाया जाता है वही विकसित में काफी कम।
- 15-35 वर्ष के आयुवर्ग मे लोगों के अधिक प्रव्रजन देखा जाता है।
- नये प्रव्रजफ सामान्यत: वहीं जाने का प्रयास करते है जहां पहले जा चुके हैं इसे "श्रृंखलाबद्ध प्रव्रजन" कहते हैं। जैसे बिहारियों का दिल्ली व मुम्बई में श्रृंखलाबद्ध

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

प्रव्रजन देखा जा सकता है। लोग आंखमूंदकर प्रव्रजन नहीं करते जैसे-दिल्ली में अधिकतर रिक्शा चालक बिहारी है। अधिकतर खाना बनाने वाले नेपाली और बिहारी है।

Notepad

भारत में आन्तरिक प्रव्रजन के प्रकार: (स्थान, काल, आयतन और दिशा के आधार पर)

1. **ग्रामीण से ग्रामीण प्रव्रजन:** 1961 के बाद से ग्रामीण से ग्रामीण प्रव्रजन ने मुख्य आन्तरिक प्रव्रजन की भूमिका निभायी है, इस अवधि में यह सर्वाधिक रहा है। इसमें भी सबसे ज्यादा औरतो का विवाह के बाद नये स्थान पर जाना रहा है। 1981 की जनगणना में कुल आन्तरिक प्रव्रजन में इसका भाग 70% तक रहा है। यह आन्तरिक प्रव्रजन का एक मात्र ऐसा प्रव्रजन है जिसमें स्त्रियों के प्रव्रजन की अधिकता देखी जा सकती है में पुरुषों के प्रव्रजन का वर्चस्व रहा है।
2. **ग्रामीण से शहरी:** ग्रामीण से शहरी प्रव्रजन में लगातार वृद्धि देखी जा रही है यह अपने पहले के दशकों से उत्तरोत्तर दशकों में बढ़ रहा है। जैसे 1960 के दशक से 1970 का दशक और उससे 1980 के दशक में प्रव्रजन क्रमश: अधिक रहा है। नगरो में उद्योगों का विकास इस प्रकार के प्रव्रजन का मुख्य कारण रहा है, जहां लोग रोजगार की तलाश में आते रहे है। NSSO के आंकड़ों के अनुसार 46% से अधिक शहरी प्रव्रजन भी विवाह के कारण होता है।
3. शहरी से शहरी।
4. शहरी से ग्रामीण।

विकसित देशों में जिनमें अध्यधिक नगरीकरण देखा जा सकता है मे प्रव्रजन का एक और प्रकार 'नगर से उपनगर' भी देखा जा सकता है।

प्रव्रजन के कारण

1. **आर्थिक कारण:** विकासशील देशों में प्रव्रजन का मुख्य आर्थिक कारणों को दो प्रकार में बांटा जा सकता है:
 (i) Push Factor (**ढकेलते कारक**): ये वे कारक हैं जो व्यक्ति को अपना जन्म स्थान छोड़कर जाने के लिए विवश करते हैं।
 जैसे: बेरोजगारी, गरीबी, निम्न उत्पादकता, प्राकृतिक संसाधनों की समाप्ति, प्राकृतिक आपदाएं, कभी कभी विकास परियोजनाएं भी इस प्रकार के प्रव्रजन को बढ़ाती है जैसे सरदार सरोवर परियोजना, टिहरी परियोजना में विस्थापित लोग। सम्पत्ति का बंटवारा न होना, और हिस्से में आए छोटे खेत भी इसे बढ़ावा देते हैं। जैसे: बिहारियों का दिल्ली आना।
 (ii) Pull Factor (**खींचते कारक**): बेहतर रोजगार, उच्च जीवन स्तर की लालसा, उच्च मजदूरी, अधिक पैसा, व्यापार के त्वरित विकास की संभावना ऐसे कारक है जो व्यक्तियों को प्रव्रजन के लिए अपनी ओर आकर्षित करते है, व्यक्ति इसी लालच में दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। जैसे लोगों का अच्छी शिक्षा के लिए इलाहाबाद आना।
 कभी-कभी Push Factor व Pull Factor सामूहिक रूप से प्रव्रजन पर प्रभाव डालते हैं।
 (iii) Push Back Factor (**वापस ठेलते कारक**): आशीष बोस की अवधारणा है। शहरो में आए लोग अर्द्ध बेरोजगारी से ग्रसित है इसे **आशीष बोस 'सीमान्त रोजगार'** कहते हैं जिसके कारण लोग वापस जाने लगते हैं।

सामाजिक-सांस्कृतिक और राजनीतिक कारण

- कभी-कभी पारिवारिक झगड़े भी प्रव्रजन को बढ़ावा देते हैं।
- रेडियो, टी.वी., सिनेमा, शहरीकृत शिक्षा के कारण सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन देखा जा सकता है जिससे प्रव्रजन को बढ़ावा मिलता है।

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

- हाल ही में राज ठाकरे के द्वारा मचाए गये क्षेत्रीयता के पाखंड के कारण भी प्रव्रजन देखा जा सकता, लोक वापस लौट रहे हैं। दंगे, आतंकवाद, हिंसात्मक आंदोलन आदि भी राजनैतिक प्रव्रजन के कारण हैं।

Notepad

अन्य विशेष बातें

- ऐसा क्षेत्र जहां अधिक श्रम पाया जाता है, प्रव्रजन (आप्रवासन) औसत उत्पादकता को बढ़ाएगा क्योंकि इससे श्रम का कुशल उपयोग हो सकेगा। वहीं उत्प्रवास का विपरीत प्रभाव पड़ेगा।
- कम विकसित क्षेत्र से कुशल लोगों का विकसित क्षेत्र में प्रव्रजन सामाजिक असमानता को बढ़ाता है।
- अगर प्रव्रजन बेरोजगारों और अर्द्ध बेरोजगारों का होता है तो यह वहां के बाकी बचे लोंगों के लिए लाभकारी होता है।
- ग्रामीण-शहरी प्रव्रजन से पैसा गांवों में जा रहा है जिससे गांवों में विकास हो रहा है।
- कई प्रव्रजनों में पुरुष सदस्य अधिक समय तक घर के बाहर रहते हैं, इससे परिवार विखंडन को बढ़ावा मिल रहा है बच्चो व स्त्रियों पर अधिक भार पड़ता है उन्हें पहले से ज्यादा काम करना पड़ता है। इससे स्त्रियों में कुण्ठा व हिस्टीरिया जैसी समस्याएं बढ़ रहीं हैं।
- प्रतिभा-पलायन से देश को नुकसान होता है, इसलिए भारत इसके संबंध मे एक विश्व व्यापी नीति को बनवाने में लगातार प्रयासरत है।
- प्रव्रजन के कारण शहरों में जनसंख्या घनत्व बढ़ रहा है, जिससे अनेक समस्याएं जैसे अति नगरीकरण, गंदी बस्तियां, आदि समस्याएं बढ़ रही है। साथ ही ग्रामीण पुरुष अपनी स्त्रियों से लम्बे समय तक दूर रहते है इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म दर में कमी देखी जा सकती है। प्रव्रजन से लिंग अनुपात में भी असंयोजन देखा जा सकता है।
- प्रव्रजन सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देता है।

जनसंख्या का सिद्धान्त

प्लेटों एवं अरस्तू: इन्होने उतनी ही जनसंख्या को वांछित बताया है जितनी की किसी समाज को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने तथा अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक हो।

- इससे कम होने पर निर्धनता आएगी और अधिक होने पर आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होगी।
- दोनो ने ही जनसंख्या मे कमी लाने के लिए:
 1. आत्मसंयम पर बल दिया।
 2. उपनिवेशों की स्थापना का सुझाव दिया।
- अरस्तु ने जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए:
 1. गर्भपात
 2. शिशु त्याग पर बल दिया।
- प्लेटो ने 5040 जनसंख्या वाले नगर राज्य को आदर्श माना तथा अरस्तू ने 4 लाख से अधिक जनसंख्या न होने की बात कही।
- **सिसरो** ने प्लेटो की पत्नी व बच्चों संबंधी **"पारिवारिक साम्यवाद"** का खंडन करते हुए-**"एक पत्नी विवाह पद्धति"** द्वारा राज्य की जनसंख्या बढ़ाने का समर्थन किया है।

इब्न खाल्दून: Cyclical Various Theory

इब्न खाल्दून ने अपने जनसंख्या संबंधी सिद्धान्त में 'आर्थिक'-'राजनैतिक' व 'सामाजिक' दशाओं (मनोदशाओ) में संबंध स्थापित किया है:

"अधिक जनसंख्या से श्रम विभाजन संभव होता है जिससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है।"

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

जनसंख्या संबंधी Merchantis **(पणिकवादी) सिद्धान्तः**

जो आर्थिक विचार यूरोप में 16वीं से 18वीं सदी तक प्रचलित थे, वणिकवादी विचार के नाम से जाने जाते हैं।

वणिकवादी विचारक बढ़ती जनसंख्या को:

1. आर्थिक विकास में सहायक
2. सुरक्षा की दृष्टि से उचित
3. देश की संप्रभुता को बनाये रखने के लिए आवश्यक मानते हैं।

अतः वणिकवादियों ने जनसंख्या वृद्धि के लिए अपनाये जाने वाले विभिन्न साधनो का पक्ष लिया।

NOTE: J.B. **कोलवर्टः** (लुई 14वां का वित्तमंत्री) ने प्रजनन शीलता मे वृद्धि के लिए 10 या उससे अधिक बच्चों पर कर की छूट का प्रस्ताव रखा।

Sussmilch **के अनुसार** जन्म या मृत्यु नियमानुसार क्रमबद्ध होती है और जनसंख्या में क्रमानुसार वृद्धि होती जाती है जिसके परिणामस्वरूप एक शताब्दी में यह सामान्यतः दुगुनी हो जाती है।

जनसंख्या संबंधी प्रकृतवादियों के विचार

- इनकी विचारधारा को **फिजियोक्रेसी** के नाम से जाना जाता है।

प्रकृतिवादी प्रकृति के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप को अनुचित मानते हैं, अतः वे जन्म शक्ति के स्वाभाविक विकास पर प्रतिबन्ध लगाने की बात को स्वीकार नहीं करते।

इनका विचार था कि बढ़ती हुयी जनसंख्या किसी भी देश के लिए, किसी भी दशा में हानिकारक नहीं हो सकती। अतः उसमे किसी भी तरह का विघ्न डालना मनुष्य के हित में नहीं है।

Biological or Naturical Theory of Population

- इन सिद्धान्तों के अंतर्गत यह सिद्धान्त दिया गया है कि मनुष्य का जन्म या मरण उसी प्रकार होता है जैसे कि पेड़-पौधों व अन्य जीव जन्तुओं का, मानव में भी अन्य जीवो की तरह खाना, सोना, संयोग, गर्भाधान, भय, जन्म एवं मृत्यु आदि प्रकृति प्रदत्त मूल प्रवृत्तियां विद्यमान हैं।

इससे संबंधित सिद्धांत

माल्थस का जनसंख्या सिद्धान्तः

- माल्थस के पूर्ववर्ती विचारकों यथा प्रकृतिवादियों वणिकवादियो का विचार था कि देश की समृद्धि के लिए जनसंख्या की वृद्धि उचित है।
- कान्डर का विचार था कि विज्ञान की प्रगति से मनुष्य की प्रसन्नता तथा तर्क शक्ति का विकास होगा, अतः जनसंख्या की वृद्धि किसी भी दशा में हानिप्रद नहीं होगी।
- उपरोक्त विचारो के विपरीत 'माल्थस का विचार' निराशावादी था। माल्थस का जनसंख्या सिद्धान्त जनसंख्या वृद्धि व खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि के मध्य संबंध की व्याख्या करता है।
- "जनसंख्या में जीवन निर्वाह साधनो की अपेक्षा तीव्र गति से बढ़ने की प्रवृत्ति होती है।"
- माल्थस का यह सिद्धान्त निम्न मान्यताओं पर आधारित है:
 1. स्त्री व पुरुष के बीच काम-भावना स्वाभाविक है, अतः पुरुष की Fecundity (प्रजनन शक्ति) तथा सन्तान उत्पन्न करने की इच्छा यथा स्थिर रहती है। तथा प्रवृत्ति 'शिक्षा' व 'सभ्यता की प्रवृत्ति' से अप्रभावित रहती है।
 2. कृषि मे उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है।
 3. आर्थिक सम्पन्नता में वृद्धि के साथ-साथ मनुष्य में संतानोत्पादक इच्छा भी

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

तीव्र होती जाती है, तथा जीवन स्तर में कमी होने पर वह घटती जाती है।

4. यदि जनसंख्या वृद्धि पर किसी प्रकार का नियंत्रण न लगाया गया तो जनसंख्या 25 वर्षों में दुगुनी हो जाती है। क्योंकि जनसंख्या गुणोत्तर या ज्यामितीय श्रेणी (1,2,4,8,16,32...) में बढ़ती है, जबकि खाद्य पदार्थ में वृद्धि अंकगणितीय (1,2,3,4,5,...) श्रेणी में होती है।

इस प्रकार उत्पन्न असंतुलन से अति जनसंख्या हो जाती है, और इस अति जनसंख्या या जनाधिक्य को पुनः संतुलन में लाने के लिए प्रकृति स्वयं क्रियाशील हो जाती है और **प्राकृतिक अवरोध** (Positive Cheak) जैसे-भुखमरी, बीमारी, युद्ध, बाढ़, अकाल आदि आते हैं, और जनसंख्या खाद्यान्न के अनुरूप संतुलित हो जाती है।

माल्थस के अनुसार Positive Cheak परिणाम में भयंकर होते हैं अतः मनुष्य को **कृत्रिम अवरोध** को अपनाना चाहिए।

कृत्रिम अवरोधः

- ब्रम्हचर्य
- विलम्वित विवाह
- सतीत्व
- आत्मसंयम
- नैतिकता
- विवेकशीलता
- माल्थस ने परिवार नियोजन से संबंधित कृत्रिम साधनों के बारे में कुछ नहीं कहा।

प्रो. कैनन: "वह यह भूल गया कि शिशु दुनिया में केवल एक मुंह और एक पेट ही नहीं बल्कि दो हाथ भी लेकर आया है।"

नवमाल्थस वाद (Neo-Malthusianism)

नव माल्थस वाद माल्थस के अनुयायियों द्वारा चलाया गया वह आंदोलन है जो परिवार नियोजन तथा संतति निग्रह के कृत्रिम उपाय अपनाकर (गर्भ निरोध के कृत्रिम उपाय, गर्भपात, आपरेशन आदि भी) जनसंख्या को सीमित रखने पर बल देता है।

इन्होंने माल्थस से भिन्न संतानोइच्छा व कामेच्छा मे अन्तर किया है, कामेच्छा एक प्राकृतिक इच्छा व मूल प्रवृत्ति है जो सभी प्राणियों में समान रूप से पायी जाती है जबकि सन्तानोच्छा सामाजिक व आर्थिक कारणों से उत्पन्न होती है तथा सभी प्राणियों में समान रूप से नहीं पायी जाती।

माथक्ल थामस सैडलर

- सैडलर माल्थस के समकालीन थे।
- सैडलर का विचार था (माल्थस के विपरीत) "मानव की प्रजनन शक्ति उसके घनत्व की प्रतिलोमानुपाती होती है।" या - "मानव मे जनसंख्या वृद्धि की इच्छा एवं जनसंख्या घनत्व में ऋणात्मक सह संबंध है।"
- अन्य चीजे समान रहने पर जनसंख्या वृद्धि वहां रूक जाती है जहां पर अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण और खुशहाली होती है या जहां "वह अधिकतम सुख भोगता है।"
- सैडलर के अनुसार प्रजननशीलता को बनाये रखने के लिए दो बातें आवश्यक होती हैं:
 1. शारीरिक श्रम
 2. एकांत
- कम जनघनत्व वाले कृषि प्रधान एवं अविकसित देशो में प्रजनन दर अधिक होती है, क्योंकि यहां के लोग अधिक शारीरिक श्रम करते हैं, जबकि आर्थिक विकास एवं सभ्यता में वृद्धि के साथ शारीरिक श्रमों में कमी आयी है (मशीनो के

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

आविष्कार से) फलतः विकसित देशों में प्रजनन दर कम होती है।

इस तरह सैडलर के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि के साथ प्रजननशीलता में कमी आ जाती है, और जनसंख्या में कमी होने पर प्रजनन दर बढ़ती है, तथा जनसंख्या स्वतः वातावरण के साथ स्वयं को समायोजित कर लेती है।

आशावादी विचारक

सैडलर ने एक और मत व्यक्त किया है कि यदि मृत्यु दर अधिक है तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए जन्म दर भी अधिक होगी और मृत्युदर कम होने पर जन्म दर भी कम होगी।

Notepad

Double Day's Theory of Diet

इस सिद्धांत में Doubleday ने जनसंख्या वृद्धि के निर्धारण में Food Supply के तत्व को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। Doubleday के अनुसार, जनसंख्या वृद्धि और Food Supply मे विपरीत संबंध होता है। खाद्य पूर्ति जितनी अधिक होगी जनसंख्या वृद्धि दर उतनी की कम होगी अर्थात् अधिक भोजन संतानोत्पादक प्रवृत्ति में बाधक होता है।

डबलडे ने आहार की उपलब्धता की दो स्थितियों की चर्चा की:

1. बाहुल्यता की स्थिति (Plethoric State)
2. रिक्तता की स्थिति (Deplethoric State)

बाहुल्यता की स्थिति में जब लोगों को प्रचुर मात्रा में भोजन मिलता है तो संतानोत्पादक क्षमता कम और जहां प्रचुरता की मात्रा में पौष्टिक भोजन नहीं मिलता प्रजननशीलता बढ़ती है।

Doubleday ने उपलब्ध आहार की मात्रा के आधार पर जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा:

1. आहार बहुलता वाला धनीवर्ग-कम प्रजनन शीलता
2. रिक्तता का वर्ग अर्थात् गरीब वर्ग-प्रजननशीलता अधिक
3. मध्यमवर्ग: जनसंख्या प्रायः स्थिर

Doubleday **के अनुसार** "मांसाहारी जातियां, अल्पसंख्यक रही हैं, जबकि शाकाहारी जातियां बहुसंख्यक।"

धनी व्यक्ति अपनी संपत्ति को अधिक समय तक भावी पीढ़ी को हस्तांतरिक नहीं कर सकेंगे, उनके पास संपत्ति तो होगी परन्तु उत्तराधिकारी नहीं होगें, इसके विपरीत गरीबों के पास उत्तराधिकारी तो होंगे परन्तु संपत्ति नहीं। अतः धनी व्यक्तियों के उत्तराधिकारी न होने के कारण ऐसे व्यक्तियों को संपत्ति प्राप्त होगी जो निर्धन हैं, इस प्रकार असमानता के मध्य इतनी सुन्दरता पूर्वक समानता आ जाएगी, जिसका प्रबुद्ध वर्ग स्वागत करेगा।

आशावादी विचारक।

Herbert Spencer: Fertility Function Theory

- इस सिद्धान्त को Spencer **का प्राणिशास्त्रीय सिद्धान्त भी कहा जाता है।**
- सैडलर, डबलडे की भांति स्पेन्सर भी जनसंख्या वृद्धि की दर को प्रकृति का कार्य मानते हैं।
- "प्राकृतिक नियम मनुष्यों की संख्या निर्धारित करता है, अतः मनुष्यों को अपनी संख्या के बारे में चिन्ता नहीं करनी चाहिए।"-**स्पेन्सर**
- जैसे जैसे सामाजिक जीवन की जटिलता बढ़ती जाती है वैसे-वैसे प्रजनन दर में कमी आती जाती है।

 प्रकृति मनुष्यों की संख्या निर्धारित करने के लिए उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन लाती है। वह मनुष्य का ध्यान व्यक्तिगत, वैज्ञानिक तथा आर्थिक विकास की ओर आकर्षित करती है।
- इस संबंध में स्पेन्सर ने दो तत्वो का उल्लेख किया है:

 1. व्यक्तिगतकरण (individuation)

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

2. उत्पत्ति (Genesis)

- Spencer: Individuationr 1/Genesis (विपरीत संबंध)
- व्यक्तिकरण का तात्पर्य व्यक्तिगत विकास से है, व्यक्तिगत विकास के अंतर्गत, रहन-सहन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर ध्यान दिया जाना सम्मिलित होता है।
- उत्पत्ति से अर्थ किसी जीव द्वारा नये सदस्यों को उत्पन्न करने से होता है।
- स्पेन्सर के अनुसार व्यक्तिकरण अर्थात् व्यक्तिगत विकास में समय और शारीरिक श्रम अधिक लगता है अत: उसी अनुपात में विशेषकर स्त्री की सन्तानोत्पादक शक्ति में कमी आएगी। अर्थात् स्त्री जितनी रूचि व्यक्तिगत विकास में लेगी उसकी सन्तानोत्पादकता में उसी अनुपात में कमी आएगी।
- "अधिक शिक्षित स्त्री में स्तनो का आकार प्राय: छोटा होता है जो उनकी घटती हुयी प्रजननशीलता को दर्शाता है।"
- स्पेन्सर के अनुसार किसी भी वर्ग में व्यक्तिगत विकास तथा सन्तानोत्पादन शक्ति दोनो एक साथ अधिक नहीं होते:
 1. यदि व्यक्तिगत विकास अधिक है तो उत्पादन शक्ति कम होगी।
 2. यदि उत्पादन शक्ति अधिक तो व्यक्तिगत विकास निम्न होगा।
 3. यदि सन्तानोत्पादन शक्ति अर्थात् जन्म दर कम है तो व्यक्तिगत विकास अधिक होगा।
 4. यदि व्यक्तिगत विकास कम है अर्थात् मृत्युदर अधिक है या जीवन काल कम है तो स्थानापन्न के लिए बच्चो की उत्पत्ति आवश्यक होगी अर्थात् सन्तानोत्पादन शक्ति अधिक होगी।
- स्पेन्सर ने प्रजनन क्षमता के आधार पर मनुष्य को तीन भागों में विभाजित किया:
 1. गरीब व सरल जीवन व्यतीत करने वाले।
 2. मध्य श्रेणी के व्यक्ति
 3. सम्पन्न व जटिल जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति।
- व्यक्ति जैसे- जैसे आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से विकसित होता जाता है- वैसे-वैसे उसके व्यक्तिगत विकास में भी वृद्धि होती जाती है।
- Spencer ने प्रजनन दर की प्रवृत्तियों के लिए **"उद्विकासीय सिद्धान्त"** का सहारा लिया है तथा प्रजनन दर व जीव के विकास को संबंधित करते हुये कहा कि जो जीव जितना छोटा होगा उसकी प्रजनन शक्ति उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि बहुत छोटे जीवो की उत्पत्ति, नर व मादा के संयोग के परिणाम स्वरूप न होकर उनके शरीर के कोशिका-विभाजन के कारण होती है।

Carrado Gini: Biological Stage Theory

इन्होने जनसंख्या विकास को एक सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन न मानकर प्राणीशास्त्रीय गुणो में परिवर्तन माना है। Gini के अनुसार-"जिस प्रकार किसी व्यक्ति के जीवनकाल में अनेक अवस्थायें होती है, उसी प्रकार समाज भी अनेक अवस्थाओं से हो कर गुजरता है।"

1. **प्रथम अवस्था:** प्रजनन दर अधिक, जनसंख्या में वृद्धि।
2. द्वितीय अवस्था: आर्थिक व सामाजिक जटिलताओं से जनसंख्या व प्रजनन दर कम।
3. **तीसरी (परिपक्वता की) अवस्था:** प्रजनन दर का ह्रास-पहले धनी वर्ग में फिर पूरे समाज में।
4. **चौथी (नष्टकाल की) अवस्था:** परिपक्वता की अवस्था धीमे-धीमे नष्टकाल की अवस्था में बदल जाती है।

GINI: जनसंख्या में वृद्धि या कमी चक्रीय आधार पर होती है। पहली अवस्था में बढ़ना, और चक्रीय परिवर्तन से चौथी अवस्था में जनसंख्या में कमी, सभ्यता का क्षीण होना यह सब ईश्वरीय प्रक्रिया से होता है।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir FG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

CASTRO: Book: Geography of Hunger

Protein Consumption Theory:

J.D. Castro ने चूहो पर किये गये प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष दिया कि, प्रजनन दर तथा प्रोटीन उपभोग में विपरीत सह संबंध है।

प्रोटीन उपभोग1/प्रजनन दर

- अधिक मात्रा में प्रोटीन खाने से मोटापा बढ़ जाता है और एस्ट्रोजेन निष्क्रिय हो जाते है जिससे सतनोत्पादकता कम हो जाती है।
- CASTRO के अनुसार जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए आर्थिक विकास के द्वारा जीवन स्तर ऊंचा उठाना होगा।
- भारत के बारे में Castro ने कहा कि – "यहाँ पैदा होने वाले अधिकांश बच्चे केवल भुखमरी, आहार के रूप में पाते है और स्वयं कुछ पैदा करने की स्थिति आने से पहले ही मर जाते हैं।"

Raymond Pearl: Logistic Curve Theory **(वृद्धिघात सिद्धान्त)**

- Book: The Biology of Population Growth
- Pearl ने फलों की मक्खियों के ऊपर किये गये प्रयोग के आधार पर कहा कि – "जनसंख्या सदैव समान गति से नही बढ़ती बल्कि इसके बढ़ने की गति समय समय पर बदलती रहती है।"
- "जनसंख्या बढ़ती और घटती है, चढ़ती और गिरती है और तेजी से या धीमी गति से बढ़ती है, फिर भी कुल मिलाकर यह हमेशा बढ़ती ही रहती है।"
- इस प्रकार जनसंख्या के विकास का चक्रीय क्रम चलता रहता है, इसी को Pearl ने Logistic Curve के माध्यम से व्यक्त किया।

Kuezynski: Net Reproduction Rate Theory

इस सिद्धान्त के अनुसार, "किसी भी देश में जनसंख्या की वृद्धि दर, जन्म दर या मृत्यु दर के अन्तर पर निर्भर न करके, शिशु जनन आयु की स्त्रियों की संख्या पर निर्भर करती है।" अर्थात् "जिस दर पर स्त्री जनसंख्या अपने आप को प्रतिस्थापित करती है, वह शुद्ध पुनरुत्पादक दर कहलाती है।"

Net Reproduction Rate = **शिशु जनन आयु की स्त्रियों की कुल संख्या / शिशु जनन करने वाली स्त्रियों की कुल संख्या।**

Optimum Population Theory

- Optimum Population: स्वीकृत एवं मान्यता प्राप्त सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा उन्हे बनाये रखने की दृष्टि से यथेष्ठक मात्रा वाली जनसंख्या को Optimum Population कहते हैं।
- Edwin Cannon ने अपनी पुस्तक Wealth में **सर्वप्रथम 'अनुकूलतम' शब्द का प्रयोग कर 'अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धान्त'** की स्थापना की।
- अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धान्त में देश की आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये इस बात का अध्ययन किया जाता है कि उस देश की बढ़ती हुयी जनसंख्या लाभदायक है या हानिकारक।
- यह सिद्धान्त Law of Returns पर आधारित है। यदि जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है तो ह्रासमान प्रतिफल नियम (Law of Diminishing Return) लागू हो जाएगा।

 Note: चीनी दार्शनिक कनफ्यूशियस ने विचार प्रस्तुत किया कि जनसंख्या और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाये रखना चाहिए। वास्तव में कन्फ्यूशियस पहला विद्वान था जिसने Optimum Population Lavel की संकल्पना प्रस्तुत की।
- अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धान्त के अनुसार: यदि किसी देश की जनसंख्या कम है तो कार्यशील जनसंख्या भी कम होगी, अत: देश के अन्य उत्पादन के साधनों का प्रयोग समुचित रूप से न हो सकेगा जिससे प्रति व्यक्ति औसत उत्पादन व

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

प्रति व्यक्ति आय कम होगी।

- जब जनसंख्या बढ़ती है तो परिणामस्वरूप कार्यशील जनसंख्या मे भी वृद्धि होती है और श्रम विभाजन बढ़ता है, देश में उपलब्ध साधनो का प्रयोग अच्छी तरह होने लगता है, और प्रतिव्यक्ति उत्पादन व आय में वृद्धि हो जाती है।
- प्रारंभ में जनसंख्या वृद्धि के साथ Law of Increasing Return लगेगा। श्रम की सीमांत उत्पादकता बढ़ेगी, कुछ समय पश्चात उत्पत्ति के साधनो के साथ जनसंख्या का इष्टतम संतुलन स्थापित हो जायेगा।
- यदि इसके बाद भी जनसंख्या बढ़ेगी तो उत्पत्ति का ह्रास मान नियम लागू होगा। अर्थात् प्रति व्यक्ति औसत उत्पादन घटेगा।
- अनुकूलतम जनसंख्या का स्तर वह है जहां प्रति व्यक्ति आय या उत्पादन अधिकतम होगा।
- यदि जनसंख्या इस स्तर से कम है तो इसे Under Population और अगर अधिक है तो Over Population कहा जाता है।

Dalton: अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है।

J.R. Hicks: अनुकूलतम जनसंख्या वह स्तर है, जिस पर प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिकतम होता है।

Robbins:

1. "अनुकूलतम जनसंख्या वह है, जिससे अधिकतम उत्पादन संभव होता है।"
2. "जनसंख्या का वह स्तर अनुकूलतम है जहां पर कुल उत्पादन व कुल उपभोग अधिकतम होता है।"

Boulding:"वह जनसंख्या अनुकूलतम है, जहां जीवन स्तर अधिकतम होता है।"

Carr sanunders "अनुकूलतम जनसंख्या वह है, जो अधिकतम आर्थिक कल्याण उत्पन्न करती है।"

T.R. Bye: जनसंख्या का वह आकार अनुकूलतम है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय के अतिरिक्त, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन को भी उच्चतम बना दे।

David Recardo बाजार तंत्र का मानिकी (Normative) मॉडल

- रिकार्डो ने अपने बाजार तन्त्र में श्रम को अन्य वस्तुओं की भांति एक अमूर्त वस्तु माना।
- मनुष्य बाजार तंत्र के अनुसार क्रियाशील होता है, अत: श्रम की मांग में वृद्धि होगी तो जनसंख्या कम होने के कारण मजदूरी बढ़ जाएगी।
- मजदूरी बढ़ने से जनसंख्या आपूर्ति में भी वृद्धि हो जाएगी, जनसंख्या बढ़ने से श्रम आपूर्ति भी ज्यादा हो जाएगी, जिस कारण मजदूरी दर घट जाएगी।
- मजदूरी घटने की सीमा के बारे में रिकार्डो ने बताया कि, यह उस प्राकृतिक सीमा तक घटेगी जो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है।
- इस प्रकार श्रम की मांग व पूर्ति में एक संतुलन स्थापित हो जाएगा। रिकार्डो ने बताया कि जनसंख्या वृद्धि या ह्रास पूंजी संयम के अनुसार होता है। एक बार संतुलन स्थापित हो जाने पर पूंजी संचय प्रक्रिया स्थगित हो जाएगी।
- चूंकि मजदूरी की दर जीवन-निर्वाह स्तर है अत: सर्वव्यापक गरीबी होगी।
- माल्थस की तरह रिकार्डो ने भी गरीबी और प्राकृतिक आपदा को जनसंख्या वृद्धि के अवश्यमभावी फल के रूप में स्वीकार किया है।

Karl Marx :

Surplus Population Theory

- अतिरेक मूल्य, exchange value और जीवन निर्वाह मूल्य (subsistence value) जो मजदूरी है, का अन्तर होता है।
- मार्क्स के अनुसार, क्रियाशील जनसंख्या पूंजी संचय को प्रभावित करने के

Notepad

NET. JRF Manish Singh Sir EC Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

साथ-साथ उत्पादन साधन (मशीनो) का निर्माण करती है जो स्वयं उसे ही निरर्थक बनाती है।

Surplus Population यह जनसंख्या अतिरिक्त जनसंख्या बन जाती है।

अर्थात् जनसंख्या की अधिकता प्रजनन दर की अधिकता के कारण न होकर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कारण होती है।

- गरीबी और आपदा स्वाभाविक है क्योंकि यह पूंजीवादी बुराइयों का प्रतिफल है।
- मार्क्स ने बेरोजगारी या सापेक्षिक अतिरिक्त जनसंख्या (relative surplus population) के तीन स्वरूपों का उल्लेख किया है।

1. **तैरने वाली** (floating): जो मशीनो के प्रयोग से बेरोजगार हो गयी।
2. **प्रच्छन्न** (Hidden): कृषि जनसंख्या का वह भाग जो शहरो की ओर नौकरी की तलाश में आता है।
3. **प्रवाहहीन** (Stagnant): जो अनियमित रूप से नौकरी करती है।

मार्क्स के अनुसार जनसंख्या वृद्धि की समस्या साम्यवाद मे समाप्त हो जाएगी, जहां उत्पादन के साधनो पर सामूहिक स्वामित्व होगा।

Henry George:Social Malajustment Theory

जार्ज के अनुसार यदि जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी जाए तथा भूमि पर किसानो का अधिकार हो जाए अर्थात् जब पृथ्वी के साधनो पर कुछ का अधिकार न होकर समाज का अधिकार हो जाएगा और सभी लोग उत्पादन करेंगे, तो खाद्यान्न का उत्पादन पहले की अपेक्षा अधिक बढ़ेगा, जिससे राष्ट्र की अति जनसंख्या की समस्या समाप्त हो जाएगी।

जार्ज के अनुसार, जनसंख्या का नियम मानव जाति के बौद्धिक विकास के नियम से संबंधित तथा अधीन है और बौद्धिक स्तर के विकास के साथ जनसंख्या में स्वत: कमी आएगी।

जनसंख्या समस्या के सुधार के लिए जार्ज ने समाज सुधार को आवश्यक समझा तथा भूमि व्यवस्था सुधार व जमींदारी प्रथा के उन्मूलन का सुझाव दिया।

"मानव जीवन को खतरा प्रकृति उत्पन्न नहीं करती, बल्कि उसका मुख्य कारण गलत सामाजिक समायोजन होता है।"

Arsene Dumot : Theory of Social Capillarity

भौतिक कोशिकीयता की भांति व्यक्तियों में भी उच्च स्तर प्राप्त करने की चाह होती है जिसे सामाजिक कोशिकीयता कहा जा सकता है। मानव में उच्च स्तर प्राप्त करने की इसी भावना के कारण उसकी प्रजनन क्षमता घटती जाती है। अत:किसी देश की जनसंख्या वृद्धि और व्यक्ति विशेष के विकास में विपरीत (उल्टा) संबंध होता है। जिन समाजो में उच्च वर्ग में परिसंचरण सहज है, वहां सामाजिक कोशिकीयता उसी प्रकार बनी रहती है जैसे गुरुत्व का नियम।

"जिस प्रकार किसी तरल पदार्थ को ऊपर चढ़ने के लिए नली का पहले से पतला होना आवश्यक होता है उसी प्रकार समाज में ऊपर उठने के लिए परिवार का छोटा से छोटा होना अनिवार्य है।"

DUMOT ने सामाजिक विकास की तीन भिन्न अवस्थाओं के अनुरुप जनसंख्या के तीन सिद्धान्त बतलाए हैं:

1. Malthusian Theory: सामाजिक विकास की प्रारंभिम अवस्था-जनसंख्या वृद्धि ज्यामितीय दर से।
2. Quillards Theory: जब समाज असभ्यता से सभ्यता की ओर बढ़ता है तो-जनसंख्या खाद्य सामग्री के अनुपात में बढ़ती है।
3. Theory of Social Capillarity : **यह सिद्धान्त तब लागू होता है जब समाज पूर्णत: विकसित हो जाता है। जनसंख्या वृद्धि दर कम हो जाती है।**

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

Frank Fetter: Theory Volunteerism

Fetter ने प्रजनन को वैयक्तिक इच्छा या स्वैच्छिक क्रिया से सम्बद्ध करते हुये मनुष्य की इन प्रवृत्तियों (मनोवृत्तियों) का वर्णन किया है जो मानव के पुनरुत्पादन व्यवहार को प्रभावित करती है। इन्होने धनी व निर्धन व्यक्तियों की प्रजनन प्रगति को अलग-अलग समझाया है:

- धनी व्यक्ति स्वेच्छा से कम बच्चे पैदा करते है, क्योंकि वे भौतिक सुखों की प्राप्ति हेतु बच्चों की संख्या कम रखना चाहते हैं।
- निर्धन व्यक्ति स्वेच्छा से अधिक बच्चे पैदा करना चाहते हैं क्योंकि बच्चे, बचपन से ही धनोपार्जन करने लगते हैं।
- Fetter के अनुसार आर्थिक उन्नति के साथ-साथ जन्म दर गिरने लगती है।

Francisco S. Nitti:Theory of Individuality

Book: Population and the Social System

- Nitti के अनुसार, जनसंख्या की प्रत्येक वृद्धि हानिकारक नहीं होती, जनसंख्या वृद्धि से ही सभ्यता का विकास भी हुआ है।
- जनसंख्या की प्रजनन दर को निर्धारित करने में सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, नैतिक तथा जैविक पक्ष महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन तत्वों में आर्थिक तत्व अधिक प्रभावकारी तथा जैविक तत्व सबसे अधिक प्रभावकारी भूमिका निभाते हैं।
- Nitti के अनुसार जब समाज में व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास हो जाएगा तब आर्थिक असमानताएं समाप्त हो जाएंगी। तब जनसंख्या वृद्धि दर, खाद्य सामग्री की वृद्धि दर से अधिक नहीं होगी और जनसंख्या वृद्धि की समस्या भयावह नहीं रह जाएगी।

L. Brento:Increasing Prosperity and Pleasure Theory

- प्रजनन दर व सुख समृद्धि में विपरीत संबंध होता है।
- मानव जीवन का प्रमुख उद्देश्य सुख और समृद्धि को प्राप्त करना है।
- समाज के विभिन्न वर्गो के बीच सुख व समृद्धि की दृष्टि से असमानता पायी जाती है। जैसे-जैसे व्यक्तियों की सुख समृद्धि में वृद्धि होती जाती है वैसे-वैसे उसकी प्रजनन दर में कमी आती जाती है। इसके विपरीत जिनके पास सुख समृद्धि के साधन उपलब्ध नहीं होते उनकी प्रजनन दर अधिक होती है।

Ungern Sternberg:Theory of Rationalism

- प्रजनन दर का कम या अधिक होना मानसिक तत्वो पर निर्भर करता है।
- इन्होने पहली बार यह मत व्यक्त किया कि, गरीबो में प्रजनन दर कम या अधिक दोनो हो सकती है।
- Stenberg ने अपने जनसंख्या सिद्धान्त में पूंजीवादी मनोवृत्ति को ही जन्मदर में कमी लाने का प्रमुख कारक माना है। अर्थात्- आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप जन्मदर में कमी आती है, तथा प्रजनन दर कम होने पर विकास होता है।
- Stenberg: "समानता की खोज में स्त्रियां भी (जब वे पूंजीवादी मनोवृत्ति से संक्रमिक हो जाती है) पुरुषोचित हो जाती है प्रेम संबंध भी व्यवसाय की तरह हो जाता है।"

Harvey Leibenstein:Population Growth Theory

जनसंख्या और विकास के संबंध में लेवेन्स्टीन ने कहा कि:

1. जनसंख्या के घनत्व का आर्थिक विकास से कोई संबंध नहीं होता।
2. जन्म दर में कमी होना विकास के लिए आवश्यक नहीं है।
3. सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तकनीकि उन्नति, सा. गतिशीलता में वृद्धि, समाज में स्त्रियों की दशा में सुधार तथा नगरीकरण आदि जन्म दर को कम करने में सहायक होते हैं।

लेवेन्स्टीन ने जनसंख्या विकास की चार अवस्थायें बतायी हैं:

1. Stage of Low Lavel of Income: प्रति व्यक्ति निम्न आय, जन्म दर

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

अधिक, परन्तु मृत्यु दर भी अधिक, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर शून्य।

2. Stage of Rise of Income Lavel: प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, मृत्यु दर में भी कमी, जन्म दर यथावत, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि।

3. Stage of Further Rise in Income Lavel: प्रति व्यक्ति आय और वृद्धि-मृत्यु दर में और गिरावट, जन्म दर में भी कमी, जनसंख्या वृद्धि दर कम।

4. Stage of very High Per Capita Income: जन्मदर-मृत्यु दर दोनो बहुत निम्न-जनसंख्या वृद्धि दर बहुत कम।

लेवेन्स्टीन के अनुसार: "जनसंख्या वृद्धि दर पर नियंत्रण के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रयास (minimum effort) आवश्यक हैं।"

The Model of Becker and Eastli

Becker: बेकर ने मानव प्रजनन व्यवहार को समझाने के लिए अर्थशास्त्र के **"टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु का नियम"** (law of durable consumer goods) का सहारा लिया।

बेकर ने बताया कि:

"बच्चा भी एक टिकाऊ वस्तु की तरह है क्योंकि उससे उपयोगिता भी मिलती है तथा उसकी लागत भी होती है, अत: कोई बच्चा तभी उत्पन्न किया जाएगा जब उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिताएं उस पर लगने वाली लागतों से अधिक होती है।"

बेकर के अनुसार:

आय में वृद्धि होने से, बच्चों की गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है और उससे प्राप्त उपयोगिताएं अधिक होंगी, इसलिए यदि आय बढ़ेगी तो प्रजनन दर में भी वृद्धि हो जाएगी।

बेकर ने इसे New Home Economics कहा, और पारिवारिक आधार पर एक Micro Economic Model की रचना की जिसमें परिवार का उद्देश्य न्यूनतम लागतों पर अधिकतम लाभ कमाना होता है।

Eastli: **आकांक्षा सिद्धान्त** (Aspiration Theory)

इस्टली के अनुसार, बच्चों को उत्पन्न करने के संबंध में माता-पिता का आचरण इस बात पर निर्भर करता है कि, वे स्वयं किस तरह के जीवन स्तर की अकांक्षा रखते हैं-न कि इस पर कि वे बच्चों को कौन सा जीवन स्तर देना चाहते हैं।

Becker-Thomas: Inter Generation Fertility Model

यदि आय से अधिक महत्वाकाक्षाएं बढ़ती है तो जन्म दर घटती है। इसके विपरीत यदि आय की अपेक्षा महत्वाकांक्षाएं कम बढ़ती है तो जन्म दर बढ़ेगी।

DEMOGRAPHIC TRANSITION THEORY: **डब्लू एम. थाम्पसन, फ्रैंक डब्लू. नोएस्टीन**

यूरोप, अमेरिका, आस्ट्रेलिया के अध्ययन के आधार पर।

Demographic Transition **(जनांकिकी संक्रमण):** दो जनांकिकी क्षेत्रों में होने वाले ऐसे जनसंख्या परिवर्तन को जनांकिकी संक्रमण नाम दिया गया है, जिसमें प्रथम क्षेत्र में प्रजनन क्षमता और नैतिकता दोनो के स्तर उच्च होते है तथा द्वितीय में प्रजनन क्षमता और नैतिकता दोनो के स्तर निम्न होते हैं।

प्रथम को **पारंपरिक संक्रमण** (Traditional Transition) तथा

दूसरे को **आधुनिक संक्रमण** (Modern Transition) कहा जाता है।

जनांकिकी संक्रमण सिद्धान्त

जनांकिकी विदो की नवीनतम सोच है कि जनसंख्या का विकास विभिन्न अवस्थाओ में होता है और प्रत्येक जनसंख्या को इन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है इसी को आधार बनाकर जनांकिकी सक्रमण के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया।

जनांकिकी संक्रमण के सिद्धान्त के अनुसार प्रजनन क्षमता में कमी आने से पहले

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

नैतिकता स्तर में ह्रास होना अनिवार्य है, नैतिकता के ह्रास से तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि होती है तत्पश्चात जनन क्षमता में उसी अनुपात में कमी आती है।

जनांकिकी संक्रमण के सिद्धान्त द्वारा ऐसे सामान्य नियमों को प्रतिपादित करने का प्रयास किया गया है जो औद्योगीकरण के फलस्वरूप जनसंख्या मात्रा और संरचना में होने वाले परिवर्तनो की व्याख्या करते हैं।

इस सिद्धान्त में यह माना गया है कि, जनसंख्या विकास तीन अवस्थाओ से गुजरा है:

प्रथम अवस्था (Pre Transitional Stage):पूर्व औद्योगिक समाजो में जनसंख्या स्थिर थी अर्थात् इस काल में मृत्यु दर और जन्म दर दोनो ही ऊंची थी।

इस काल में जनसंख्या वृद्धि तो नहीं होती परन्तु संभावना बनी रहती है।

द्वितीय अवस्था (Transitional Stage): स्वास्थ, पोषण, स्वच्छता आदि में प्रगति के फलस्वरूप मृत्यु दर में कमी आती है, परन्तु जन्म दर स्थिर रहती है।

तृतीय अवस्था (Post Transitional Stage): जीवन स्तर में सुधार और सामाजिक विकास के कारण जन्म दर व मृत्यु दर दोनो में कमी आती है। फलत: जनसंख्या स्थिर होती है।

विभिन्न विद्वानों के विचार

C.P. Blaker: जनसंख्या परिवर्तन की 5 अवस्थाएं बतलायी

द्वितीय अवस्था: कुछ आर्थिक विकास, कृषि की दशा में सुधार, चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध फलत: मृत्यु दर में कमी।

समाज प्रथा न परंपराओ द्वारा ही शासित। फलत: जन्म दर में कमी नहीं।

जनसंख्या विस्फोट।

भारत में 1921-1970 तक यही अवस्था रही।

तृतीय अवस्था: औद्योगिक विकास, आधुनिकीकरण प्रारंभ

जीवन स्तर में सुधार।

BR (Birth rate), DR(Deth Rate) दोनो में कमी, परन्तु जनसंख्या विस्फोट की स्थिति (अल्प मात्रा में) बरकरार।

1971 के बाद भारत।

चतुर्थ अवस्था: उच्च विकसित अवस्था, आधुनिक समाज की अवस्था।

DR, BR दोनो नियंत्रित, कम फलत: जनसंख्या में स्थिरता।

यूरोप के विकसित देश।

पांचवी अवस्था: DR, BR से ज्यादा, फलत: जनसंख्या का आकार घटने लगता है। थाम्पसन, Bouge व नोएस्टीन ने बेकर की पहली व पांचवी अवस्था को असाधारण बताया।

LAUNDRY: Laundry ने खाद्यान्न आपूर्ति व आर्थिक विकास के आधार पर जनांकिकी परिवर्तन को तीन भागो में बांटा:

1. Primitive Regine: यहां जनसंख्या की मात्रा खाद्यान्नो की आपूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। अर्थात् खाद्यान्न पूर्ति बढ़ने पर जनसंख्या बढ़ती है। और घटने पर घट जाती है।
2. Inter Mediate Stage: जनसंख्या की मात्रा आर्थिक विकास द्वारा निर्धारित। जीवन स्तर उच्च, BR, DR दोनो में गिरावट आती है।
3. Modern Approch : (आर्थिक विकास की उत्कर्ष अवस्था)
 इस अवस्था में जनसंख्या न तो आर्थिक विकास से प्रभावित होती है और न तो खाद्यान्न आपूर्ति से। BR गिरने लगती है, जनसंख्या आकार घटने लगता है।

KARL SAX: चार अवस्थाएं बतलायी।

डोनाल्ड ओलेन काउगिल (Donald Olen Cowgill): **"वृद्धि चक्र"** (Growth Cycle)

जनसंख्या विकास की अवस्थाएं एक के बाद एक क्रमश: चक्रीय क्रम में आती हैं।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

1. Primitive or Malthusian Cycle:
 जन्म दर ऊँची
 मृत्यु दर में उतार चढ़ाव, परिणामस्वरूप जनसंख्या में भी उतार चढ़ाव:
2. Modern Cycle:
 BR, DR दोनो में गिरावट,
 परन्तु DR अधिक तेजी से गिरती है, फलत: जनसंख्या वृद्धि भी तेजी से।
3. Future Cycle:
 DR: निम्नतम स्तर पर
 BR: उतार चढ़ाव
 परिणाम स्वरूप बच्चो की संख्या अधिक।
 Cowgill **ने इसे** Baby Boom **कहा**।
4. Probable Cycle:
 संभावित चक्र
 BR में वृद्धि DR की अपेक्षा अधिक होती है।
 फलत: जनसंख्या वृद्धि होती है।
5. Population Cycle in the Long Run: S. Curve
 दीर्घकालीन अवस्था में जनसंख्या में वृद्धि
 DR में कमी या
 BR में वृद्धि होने पर होती है।
 इसके विपरीत स्थिति होने पर जनसंख्या में कमी आती है।
 भारत की जनसंख्या वृद्धि से संबंधित Model **का नाम** Coole-Hoover Model **है।**

Notepad

भारत की जनसंख्या का आकार और वृद्धि

किसी भी देश की जनसंख्या परिवर्तन के **तीन कारक** होते हैं।

1. जनन क्षमता 2. मृत्यु दर 3. प्रव्रजन।

भारतीय संदर्भ में प्रव्रजन कोई खास प्रभाव नहीं डालती।

11 मई, 2000 को भारत की जनसंख्या 1 अरब के आंकड़े को पार कर गयी। ध्यातव्य है कि इसी तिथि को भारत को 1 अरबवां बच्चा "आस्था" नाम की बालिका के रूप में दिल्ली के अस्पताल में पैदा हुआ। भारत की जनसंख्या विश्व की समग्र जनसंख्या का 16% है। जबकि भारत के पास विश्व की समस्त भूमि खण्ड का मात्र 2.4% है। इस प्रकार विश्व के प्रत्येक 6 व्यक्तियों में 6वां व्यक्ति भारतीय है। भारत जनसंख्या के आकारिक दृष्टिकोण से विश्व का दूसरा देश है। ध्यातव्य है कि 1999 में चीन की जनसंख्या का आकार 1.25 अरब था।

भारतीय जनसंख्या का आकार

एक अनुमान के अनुसार ईसा के 3000 वर्ष पूर्व तक भारत की जनसंख्या 4 करोड़ थी जो ईसा के 300 वर्ष पूर्व तक बढ़कर 14 करोड़ हो गयी। चन्द्रगुप्त मौर्य (ईसा के 300 वर्ष पूर्व) के समय से लेकर ब्रिटिश शासन के प्रारंभिक वर्षों तक भारतीय उप महाद्वीप की जनसंख्या लगभग 13 करोड़ पर स्थिर बनी रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले जहां संयुक्त भारत (भारत, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश की जनसंख्या 1945 में 39 करोड़ थी) वहीं आज अकेले भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक हो गयी है। भारत की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 1.7 करोड़ की वृद्धि होती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जनसंख्या के आकारिक दृष्टिकोण के आधार पर भारत प्रतिवर्ष एक आस्ट्रेलिया पैदा करता है।

NET JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

भारत में जनसंख्या वृद्धि

भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास को अध्ययन में सुविधा की दृष्टिकोण से निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है:

(i) 1891 से पूर्व भारत की जनसंख्या
(ii) 1891 से 1921 के मध्य भारत की जनसंख्या
(iii) 1921 से 1961 के मध्य भारत की जनसंख्या
(iv) 1961 से 1991 के मध्य भारत की जनसंख्या
(v) वर्तमान में भारत की जनसंख्या

ध्यातव्य है कि भारत में 1872 के पूर्व जनगणना नहीं करायी जाती थी। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में की गयी परन्तु व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक पद्धति पर भारत में पहली जनगणना 1881 में की गयी और 1881 की जनगणना को भारत की पहली जनगणना माना जाता है। 1872 के पूर्व भारत में जनसंख्या के आकार के संबंध में सिर्फ अनुमान लगाया जाता था। मोरलैंड के अनुसार अकबर की मृत्यु के समय 1605 में भारत की जनसंख्या का आकार 10. करोड़ था। राधा कमल मुखर्जी का अनुमान है कि 19वीं शताब्दी के आरंभ में भारत की जनसंख्या 10.5 करोड़ थी। 1872 के पूर्व भारतीय जनसंख्या के संबंध में अनेकों अनुमानों लगाये गये है परन्तु उन सभी अनुमानों में किंग्सले डेविस द्वारा लगाया गया अनुमान सर्वाधिक उपयुक्त है। **किंग्सले डेविस** द्वारा पुस्तक "Population of India & Pakistan" में भारत की 300 ईसा पूर्व से लेकर 1871 तक की जनसंख्या के संदर्भ में जो अनुमान लगाया गया है वह सारणी में नीचे प्रदत्त है:

भारत की जनसंख्या

समय	जनसंख्या (करोड़ में)	समय (वर्ष)	जनसंख्या (करोड़ में)
3000 ई. पूर्व	4	1834	13
300 ई. पूर्व	10-14	1845	13
1600 ई.	10	1855	17.5
1800 ई. पूर्व	12	1867	19.4
		1871	20.3

उपर्युक्त सारणी में प्रदत्त जनसंख्या के आंकड़े भी अनुमान पर आधारित है। उक्त आंकड़ों से भी स्पष्ट होता है कि पूर्व में भारत की जनसंख्या निरंतर रूप से बढ़ती रही है पर वृद्धि दर काफी न्यून थी। उस समय भारत की आबादी वाला क्षेत्र भी बदलता रहा है। परन्तु इन आकड़ों से किसी निष्कर्ष पर पहुँचना संभव नहीं है।

1881 में जब भारत की पहली जनगणना सम्पन्न की गयी तो उस समय भारत की जनसंख्या 28 करोड़ थी जो 1891 की जनगणना तक बढ़कर 28 करोड़ हो गयी। इस प्रकार 1881 से 1891 की अवधि में भारत की जनसंख्या में मात्र 3 करोड़ की वृद्धि हुई। अत: 1881-91 के दशक में भारत की जनसंख्या 12% बढ़ी।

1891 से 1921 के मध्य भारत की जनसंख्या

1881 के बाद भारतीय जनसंख्या के संबंध में नियमित जानकारी मिलना शुरू हो गयी और आंकड़ों का प्रमुख स्रोत जनगणना बन गयी। भारत की जनसंख्या के संदर्भ में इस अवधि में भी कुछ अनुमान लगाये गये परन्तु उनको कोई महत्व नहीं दिया गया। जनगणनाओं से प्राप्त आकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 1891 से 1921 की 30 वर्षों की अवधि में जनसंख्या में वृद्धि तो हुई है परन्तु वृद्धि की दर काफी धीमी रही है। 1891 में भारत की जनसंख्या का आकार 28 करोड़ था जो 1921 में बढ़कर 30.6 करोड़ हो गया। इस प्रकार 30 वर्षों की अवधि में भारतीय जनसंख्या के आकार में मात्र 2.6 करोड़ की वृद्धि हुई।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir UG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

1891 से 1921 के मध्य भारत की जनसंख्या एवं इन दशकों में जनसंख्या में वृद्धि दर

वर्ष	जनसंख्या	दशक	दशकीय वृद्धि
1891	28	1881–1891	1.2%
1901	28.4	1891–1901	1.4%
1911	30.3	1901–1911	6.6%
1921	30.6	1911–1921	0.9%

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि 1891 के बाद 1901–1911 दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर सर्वाधिक 6.6% रही है।

उक्त 30 वर्षों की अवधि में भारत की जनसंख्या में धीमी गति से वृद्धि के कारण अकाल और महामारियां थी।

महान विभाजक वर्ष: भारत की नहीं विश्व जनसंख्या के इतिहास में 1921 को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गयी है। इसका कारण यह है कि 1921 के बाद विश्व जनसंख्या परिदृश्य में तीव्र गति से बदलाव आया और विश्व की जनसंख्या निर्बाध गति से बढ़ती गयी। 1921 के बाद भारत की जन्मदर मृत्युदर से अधिक होना शुरु हो गयी। ध्यातव्य है कि इसके पहले भारत की जन्म तथा मृत्यु दर दोनों लगातार बराबर ही रहती थी। 1921 के बाद जन्मदर में तीव्र वृद्धि तथा मृत्युदर में गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया। यही से शुरू होता है जनसंख्या वृद्धि का क्रम और आज जो जनसंख्या विस्फोट का रूप ले चुका है।

1921 से 1961 के मध्य भारत की जनसंख्या

वर्ष	जनसंख्या	दशक	दशकीय वृद्धि
1921	30.6	1911–1921	0.9%
1931	33.8	1921–1931	10.4%
1941	38.9	1931–1941	15.08%
1951	36.1	1941–1951	(–) 7.19%
1961	44	1951–1961	21.88%

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि 1921 के बाद भारत की जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। 1921 से 1961 तक जनसंख्या में वृद्धि का मूल कारण भारत में मृत्युदर में तीव्र गिरावट का होना बताया जाता है। इस अवधि में जहां एक ओर भारत में खाद्यान्न के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई वहीं दूसरी ओर जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी सेवाओं का विस्तार हुआ। कृषि उपज में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ दिनो-दिन वृद्धि होती गयी। उत्पादन की वृद्धि तथा समुचित वितरण व्यवस्था से अभाव और इस अवधि में पड़ने वाले अकालों का सामना अपेक्षाकृत सरल हो गया। साथ ही बीमासरियों का प्रकोप भी स्वास्थ्य सुविधाओं से काफी सीमा तक नियंत्रित किया जा सका। फलत: मृत्युदर में सतत गिरावट आयी जबकि जन्मदर अनियंत्रित एवं अस्थिर ही रही। फलत: जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई।

1961 से 1991 के मध्य भारत की जनसंख्या

1961 में सम्पन्न जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 41 करोड़ थी जो 1971 में 54.81 करोड़, 1981 में 68.34 करोड़ तथा 1991 में बढ़कर 84.63 करोड़ हो गयी। 1960 से 1971 के मध्य में जनसंख्या में कुल 24.80% की वृद्धि हुई जबकि वार्षिक वृद्धि 2.480% रही। 1971 से 1981 की 10 वर्ष की अविध में जनसंख्या में 24.66% की वृद्धि हुई। 1981–91 की 10 वर्ष की अवधि में जनसंख्या में 23.85% की वृद्धि हुई। 1981–91 के दशक में जनसंख्या में वृद्धि गत दशक की तुलना में लगभग 1% कम हुई थी।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

1961 से 1991 तक जनसंख्या वृद्धि दर

वर्ष	जनसंख्या	दशकीय वृद्धि	वार्षिक वृद्धि
1961	43.92	21.51%	2.15%
1971	54.41	24.8%	2.48%
1981	68.33	24.36	2.46%
1991	84.63	23.85	2.11%

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि 1981 से 1991 के मध्य 16.29 करोड़ अतिरिक्त जनसंख्या भारत में जुड़ गयी। भारत की जनसंख्या में 1981-1991 के दशक में वृद्धि पश्चिमी यूरोप की कुल जनसंख्या से अधिक की हुई है।

1919 के बाद भारत की जनसंख्या

26 मार्च 2001 को केन्द्रीय जनगणना आयुक्त जी.के. बंठिया ने राष्ट्रीय जनगणना 2001 के अंतरिक आंकड़े जारी किए। अंतरिक आंकड़ों के अनुसार 1 मार्च, 2001 की आधी रात को भारत की कुल जनसंख्या 1027015247 हो गयी। इसमें पुरुषों की संख्या 531277078 तथा महिलाओं की जनसंख्या 495738169 है। 1991-2001 की अवधि में भारत की जनसंख्या में 18.10 करोड़ की वृद्धि हुई। जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1991-2001 की अवधि में घटकर 1.95% रह गयी। ध्यातव्य है कि 1981-91 के दशक में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 2.14% थी। 1991-2001 की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 21.34% हो गयी है जबकि 1981-91 के दशक में वह वृद्धि 23.86% थी। इससे स्पष्ट है कि भारत की जनसंख्या में गिरावट का सिलसिला शुरु हो चुका है। ध्यातव्य है कि भारत विश्व का दूसरा देश बन गया है जिसकी आबादी 1 अरब के आंकड़े को पार कर गयी है।

1901 से 2001 तक भारत की जनसंख्या

(करोड़ में)

नोट: काले रंग का भाग एक जनगणना से दूसरे जनगणना की अवधि में जनसंख्या को व्यक्त करता है।

1881 से 2001 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि

वर्ष	जनसंख्या (करोड़)	दशक में जनसंख्या में वृद्धि (करोड़)	दशकीय वृद्धि का प्रतिशत	वार्षिक वृद्धि
1881	25	--		
1891	23.6	--		
1901	23.6	0	0	0.30
1911	25.2	1.6	5.7	0.50
1921	25.1	-0.1	-0.3	-0.03
1931	27.9	2.8	11.0	1.06
1941	31.9	4.0	14.2	1.34
1951	36.1	4.2	13.3	1.26
1961	43.9	7.8	21.5	1.98
1971	54.8	10.9	24.8	2.20
1981	68.3	13.5	24.7	2.25
1991	84.4	16.1	23.5	2.11
2001	102.70	18.10	21.34	1.93

उपरोक्त सारणी में प्रदत्त आंकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 1921 तक भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर काफी अनियमित, अस्थिर तथा धीमी थी। परन्तु 1921 के बाद इसमें त्वरित वृद्धि शुरू हो गयी जो निरंतर जारी है।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। क्योंकि इससे पूर्व जनसंख्या में अकाल, मलेरिया एवं अन्य महामारियों के कारणों से वृद्धि नहीं हो सकी थी। बल्कि 1911-21 की अवधि में जनसंख्या में गिरावट आयी। 1921-51 की अवधि में जनसंख्या में दशकीय वृद्धि 11 से 14% के मध्य रही। परन्तु नियोजन काल में चिकित्सा की सुविधा बढ़ने तथा खाद्यान्नों की सभी लोगों को आवश्यकता पूर्ति के कारनण मृत्यु दर में कमी आयी और जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रही है। 1950-61 की अवधि में जनसंख्या में 21.6% की वृद्धि हुई। बाद के दशकों में जनसंख्या में और अधिक वृद्धि हुई, जिसका उल्लेख पीछे किया जा चुका है।

भारत में जनसंख्या की वार्षिक चक्रवृद्धि दर

भारत में 1981-91 की अवधि में जनसंख्या की वार्षिक चक्रवृद्धि दर 2.14% रही जबकि इसके पूर्व के दशक में जनसंख्या की वार्षिक चक्रवृद्धि दर 2.22% रही। इस प्रकार 1981-91 में गत दशक की तुलना में जनसंख्या की वार्षिक चक्रवृद्धि दर में गिरावट आयी है। इसे अगले दशक में और कम होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। विश्व विकास रिपोर्ट 2000-01 के अनुसार 1990-99 की अवधि में जापान की वार्षिक वृद्धि दर 0.3%, सं. रा. अमेरिका की 1.0%, ब्रिटेन की 0.3%, स्विटरजरलैंड की 0.6%, फ्रांस की 0.5% तथा आस्ट्रेलिया की 1.5% जनसंख्या वृद्धि दर रही है। जबकि भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1.8% रही है।

विभिन्न राज्यों में 1991-2000 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि की दरें

विभिन्न राज्यों में जनसंख्या की 10 वर्षीय वृद्धि दरों में समानता का दर्शन नहीं होता है। 1991-2001 की अवधि में समग्र रूप से देश की जनसंख्या की वृद्धि दर 21.34% रही है जबकि गत दशक में 23.8% थी। 1991-2001 में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि नागालैण्ड की जनसंख्या में 64.41% की हुई है। उल्लेखनीय है कि गत दशक में नागालैण्ड की ही जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि 56. 05% की हुई थी। 1991-2001 की अवधि में सबसे कम वृद्धि केरल की जनसंख्या में 9.42% की हुई है। जबकि गत दशक में तमिलनाडु की जनसंख्या में 15.39% की वृद्धि हुई थी। जनगणना 2001 के अनुसार जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले पाँच राज्य हैं-नागालैण्ड (64.41%), सिक्किम (32.98%), मणिपुर (30.02%), मेघालय (29.94%) तथा मिजोरम (29.18%)। जनगणना 2001 के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले पाँच राज्य हैं-केरल (9.42%), तमिलनाडु (11.19%), आन्ध्र प्रदेश (13.86%), गोवा (14.84%), तथा त्रिपुरा (15.74%)। 1991-2001 की अवधि में केन्द्र शासित प्रदेशों में दादरानगर हवेली में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक 59.20% रही है, जबकि न्यूनतम लक्ष्यद्वीप में 17.19% रही है।

विभिन्न राज्यों की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि

राज्य	1991-2001 में दशकीय वृद्धि (%) में	1981-91 में दशकीय वृद्धि (%) में
आन्ध्र प्रदेश	13.86	24.20
अरुणाचल प्रदेश	26.21	36.83
असम	18.85	24.24
बिहार	28.43	23.38
गोवा	14.89	16.08
गुजरात	22.48	21.19
हरियाणा	28.06	27.41
हिमाचल प्रदेश	17.53	20.79
जम्मू-कश्मीर	29.04	30.34
कर्नाटक	17.25	21.12

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir BG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

केरल	9.42	14.32
मध्य प्रदेश	21.34	27.24
महाराष्ट्र	22.57	25.73
मिजोरम	29.18	39.70
नागालैण्ड	64.41	56.08
उड़ीसा	15.94	20.06
पंजाब	19.76	20.81
राजस्थान	28.33	28.44
सिक्किम	32.98	28.47
तमिलनाडु	11.19	15.39
त्रिपुरा	15.74	34.30
उत्तर प्रदेश	25.80	25.55
पं. बंगाल	17.84	24.73
उत्तरांचल	19.20	24.23
छत्तीसगढ़	18.06	25.73
झारखण्ड	23.16	24.03
मेघालय	29.94	32.86
केन्द्र शासित प्रदेश		
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	26.94	48.70
चण्डीगढ़	40.33	42.16
दादरा नगर हवेली	59.20	33.57
दमन दीव	55.59	28.62
दिल्ली	46.31	51.45
पांडिचेरी	20.56	33.64
लक्षद्वीप	17.19	28.47

भारत की राष्ट्रीय जनगणना, 2001 (National Census 2001)

21वीं शताब्दी की भारत की पहली जनगणना के प्रथम चरण का कार्य 9 फरवरी से 28 फरवरी 2001 तक चला। इस अवधि में 20 लाख से भी अधिक प्रशिक्षित प्रगणकों ने देश भर में 593 जिलों, 5564 तहसील/तालुकों, 5161 कस्बों तथा लगभग 6.40 लाख गावों में जाकर सूचनाएं एकत्र किया। 1 मार्च से 5 मार्च 2001 तक जनगणना के द्वितीय चरण का कार्य हुआ। ध्यातव्य है कि द्वितीय चरण में सुधार संबंधी कार्य किये जाते हैं। भारत में जनगणना का कार्य पहली बार 1872 में शुरू किया गया था। 1872 में सम्पन्न जनगणना कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित थी। उसके बाद 1881 में फरवरी में जनगणना की गयी और तभी से जनगणना का कार्य प्रत्येक 10 वर्ष बाद नियमानुसार किया जा रहा है। 1931 तक भारत में जनगणना का कार्य डी. फैक्टो प्रणाली के आधार पर किया जाता रहा है। परनतु 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जनसंख्या का कार्य स्थगित करना पड़ा। भारत की जनगणना 2001 अब तक की 14वीं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की छठीं तथा 21वीं शताब्दी की पहली जनगणना है।

जनगणना 2001 की विशेषता यह है कि यह सहस्त्राब्दी की पहली जनगणना है तथा इसमें उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जा रहा है जो भूमंडलीकरण के रूप में विगत कुछ वर्षों में उभरी नयी अर्थव्यवस्था की चुनौतियों के कारण पैदा हुई है। भारत की जनगणना 2001 में प्रगणकों द्वारा पूछे जाने वाले कुल 23 प्रश्नों के आधार पर देश की भावी नीतियों तथा कार्यक्रमों का चित्रण किया जायेगा। जनगणना के समय लोगों से उसकी आयु, परिवार का आकार, प्रत्येक सदस्य का शैक्षणिक स्तर, रोजगार, रहन-सहन, जीवन स्तर, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के संबंध में देश भर से

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

जानकारी प्राप्त की गयी तथा इन आंकड़ों एवं सूची का विश्लेषण किये जाने के पश्चात् राष्ट्रीय स्तर पर जो तस्वीर उभरकर सामने आयेगी उसके आधार पर सरकार द्वारा जनता के कल्याण के लिये ठोस नीतियों तथा कार्यक्रम तैयार करने का कार्य किया जाना है।

Notepad

जनगणना से ही यह पता चलता है कि पुरुषों तथा महिलाओं की अलग-अलग वास्तविक संख्या तथा लिंगानुपता क्या है? देश में साक्षरता की दर कितनी है? लोगों की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति कैसी है? कितने लोग मजदूरी करके जीवन यापन कर रहे हैं? बेरोजगारों की तादाद कितनी है? आदि। इसमें कोई दो मत नहीं है कि जनगणना के माध्यम से ही देश और देशवासियो के कल्याण के लिए उपयोगी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं और इन्हीं जानकारियों एवं सूचनाओं के आधार पर जनता के कल्याणार्थ नये सिरे से योजनाएँ एवं कार्यक्रम बनाये जा सकते हैं। यही कारण है कि जनगणना 2001 को व्यापक आधार प्रदान किया गया है। **जनगणना 2001 की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत है:**

(i) जनगणना की निर्देश पुस्तिका 18 भाषाओं में मुद्रित है तथा 23 प्रश्नों की सूची दी गयी है।

(ii) मदों के अंतर्गत एकत्र की जाने वाली सूचनाएं साधारण और विशेष दोनों प्रकार की थी। साधारण वर्ग में आने वाली सूचनाएं-उम्र, साक्षरता का स्तर, परिवार का आकार, सम्पत्ति की मिल्कियत, शहरीकरण, जन्मदर और मृत्युदर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भाषा, धर्म, विस्थापन, रोजगार आदि। विशेष प्रकार की सूचनाएं अर्थव्यवस्था की नई आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर एकत्र की गयी है। इनमें कार्यालय से आवास की दूरी, कार्यालय स्थल तक आने जाने के लिये वाहन का प्रयोग, सूचना आदि के वैज्ञानिक उपकरण हैं।

(iii) जनगणना, 2001 में पहली बार महिलाओं के कार्यों की विस्तार से विवेचना की गयी है। ऐसा लिंगीय भेदभाव समाप्त करने की दृष्टि से किया गया हैं कहना यह भी असंगत न होगा कि जनगणना एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय कार्य है जिसमें देश के सबसे बुजुर्ग, मकानों में रहने वाले, झोपड़ों में रहने वाले, बेघर और यहाँ तक कि छोटे-छोटे बच्चों की भी अर्थात् देश के प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है।

(iv) जनगणना, 2001 में विकलांगों की गणना का विशेष प्रावधान किया गया है, जिसमें देखने, बोलने, सुनने तथा मानसिक रूप से असमर्थ लोगों की जनगणना की गयी है। वस्तुतः आज जनगणना के अर्थ बदल गये हैं। आज जनगणना का आशय उन तथ्यों एवं आंकड़ों को एकत्र करना है, जो देश की भावी योजना का आधार बनते हैं।

(v) जनगणना, 2001 में खेती तथा उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर सूचनाएं एकत्रित करने का कार्य किया गया है।
जनगणना, 2001 के कुछ विवादास्पद पहलू भी है, जो इस प्रकार है-वेश्याओं को भिखरियों की श्रेणी में रखा गया है, उनके व्यवसाय को मान्यता नहीं दी गयी है। इस पर समाजशास्त्रियों ने खिन्नता व्यक्त की है।

(vi) किन्नारों को इस बार पुरुषों की श्रेणी में रखा गया है जबकि विगत जनगणनाओं में उनको स्त्रियों के वर्ग में रखा जाता था। इस पर भी सरकार की आलोचना हो रही है।

(vii) जनगणना, 2001 की आलोचना का एक बिन्दु अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की सूची भी है। अलग-अलग राज्यों में इन जातियों की अलग-अलग सूचियाँ सृजित की गयी है। प्रश्न उठता है कि यदि किसी राज्य यथा आन्ध्र प्रदेश में उत्तर प्रदेश का कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति निवास करता है और उसकी जाति का नाम आन्ध्र प्रदेश की सूची में नहीं है तो उसे किस वर्ग में गिना जायेगा। ध्यातव्य है कि जनगणना में जातियों की स्थिति के आंकड़े एकत्र करना इसलिये

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

आवश्यक होता है कि इन आंकड़ों के आधार पर ही आरक्षण की रूपरेखा निर्धारित होती है।

(viii) जनगणना, 2001 में विभिन्न जातियों की आर्थिक-सामाजिक स्थिति के आकलन के लिये कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गयी है जबकि इन आंकड़ों का सोशल इंजीनियरिंग के लिये विशेष महत्व होता है। ध्यातव्य है कि जनगणना में विभिन्न जातियों की सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति के आंकड़े एकत्र किये जायें या नहीं, यह प्रश्न काफी समय से विवाद का विषय रहा है। यह काम 1931 तक किया गया परन्तु उसके बाद से यह नहीं किया जा रहा है।

भारत का जनगणना अभियान विश्व में विशेष जनगणना अभियान माना जाता है। इसका कारण यह है कि यहाँ एक-एक घर में जाकर प्रगणक प्रत्येक व्यक्ति की गणना करते हैं जबकि अन्य देशों में केवल नमूनों के आधार पर जनगणना की जाती है। ध्यातव्य है कि नवम्बर, 2000 में चीन में सम्पन्न जनगणना नमूनों के आधार पर की गयी थी। जनगणना 2001 में पहली बार जनगणना अभियान में गिनती और विश्लेषण का कार्य कम्प्यूटरों के द्वारा किया जा रहा हैं यही कारण है कि 26 मार्च,2001 को जनगणना, 2001 के अंतरिम आंकड़े जारी कर दिए गये तथा अन्तिम आंकड़ों के भी यथाशीघ्र जारी होने की सम्भावना है और तभी स्पष्ट तस्वीर भी सामने आयेगी।

Notepad

राष्ट्रीय जनगणना, 2001 की प्रश्नावली

जनगणना 2001 में भाग 1 में स्थान विवरण तथा भाग 2 में व्यक्तिगत विवरण से संबंधित 23 प्रश्नों की सूची निर्देश पुस्तिका में उल्लिखित थी जो निम्नवत है:

(भाग-2) व्यक्तिगत विवरण

(i) **सामान्य, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विवरण**

1. व्यक्ति का नाम
2. परिवार के मुखिया से संबंध
3. लिंग (पुरुष/स्त्री)
4. आयु गत जन्मदिन पर (पूर्ण वर्षों में)
5. वर्तमान वैवाहिक स्थिति
6. विवाह के समय आयु (पूर्ण वर्षों में)
7. धर्म
8. यदि अनुसूचित जाति के हैं तो जाति का नाम बताइए
9. यदि अनुसूचित जनजाति के हैं तो जनजाति का नमा बताइए
10. मातृभाषा
11. अन्य भाषाओं का ज्ञान
12. साक्षरता की स्थिति (साक्षर/निरक्षर)
13. प्राप्त शिक्षा का उच्चतम स्तर
14. शिक्षा ग्रहण करने का वर्तमान संस्थान
15. यदि व्यक्ति शारीरिक/मानसिक रूप से नि:शक्त है तो नि:शक्तता का प्रकार बताइए।

(ii) **कर्मियों तथा गैर-कर्मियों का विवरण**

16. क्या व्यक्ति ने गत वर्ष किसी भी समय कोई कामकाज किया है। (इसमें खेत-खलिहान, पारिवारिक-उद्यम अथवा किसी अन्य आर्थिक कार्यकलाप में अंशकालिक सहयोग या अवैतनिक काम भी सम्मिलित है।
17. दीर्घकालिक या अल्पकालिक कर्मी के कार्य की श्रेणी
18. यदि अल्पकालिक कर्मी या गैर-कर्मी है तो गैर-आर्थिक क्रियाकलाप की श्रेणी
19. अल्पकालिक कर्मी/गैरकर्मी की दशा में क्या व्यक्ति काम की खोज में है?

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

(iii) **स्थान परिवर्तन संबंधी विवरण**

20. कार्य स्थल-निवास से दूरी तथा सफर का साधन
21. जन्म स्थान
22. पूर्व निवास स्थान

(iv) **प्रजननता विवरण**

23. प्रजाननता

(केवल इस समय विवाहित, विधवा, तलाकशुदा या संबंध विच्छेदित महिलाओं के लिये)

(भाग-3) काश्तकारी बागान में कार्यरत परिवारों के लिये

काश्तकारी/बागान का क्षेत्रफल (निवल)

इसके आधार पर यह देख जा सकता है कि जनगणना में किन-किन पक्षो पर ध्यान दिया जाता है।

Notepad

भारत में जनांकिकीय अनुपात एवं दरें

लिंगानुपात (Sex Ratio)

लिंग के आधार पर जनसंख्या का वर्गीकरण पुरुष और स्त्री के वर्गो में किया जाता है। स्त्री जनसंख्या का पुरुष जनसंख्या से या पुरुष जनसंख्या का स्त्री जनसंख्या से निकाला गया अनुपात लिंगानुपात कहलाता है। जहां तक भारत का संबंध है तो पुरुष जनसंख्या के संदर्भ में स्त्री जनसंख्या का आंकलन किया जाता है।

Equation

यहां M = पुरुष जनसंख्या

F = स्त्री जनसंख्या

K = स्थिरांक है जो सामान्यत: 1000 होता है।

भारत में लिंगानुपात की गणना के लिये स्त्री जनसंख्या को अंश तथा पुरुष जनसंख्या को हर के रूप में लिया जाता है। अन्य शब्दों में भारत में लिंगानुपात की गणना के लिये निम्न एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है।

Equation

भारत में लिंगानुपात

वर्ष	प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या	प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या
1901	972	1029
1911	964	1038
1921	955	1047
1931	950	1053
1941	945	1058
1951	946	1057
1961	941	1063
1971	930	1075
1981	935	1070
1991	927	1079
2001	933	1072

राष्ट्रीय जनगणना 2001 के अनुसार 2001 में लिंगानुपात में वयस्क सुधार हुआ। 1991-2001 की अवधि में लिंगानुपात बढ़कर 933 हो गया है। ध्यातव्य है कि भारत में लिंगानुपात की गणना प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या से लिया जाता है। जहाँ एक ओर 1991-2001 की अवधि में वयस्क लिंगानुपात में वृद्धि हुई है वहीं दूसरी ओर 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात में गिरावट दर्ज की गयी है। 0 से

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात 1991 में 945 था जो 2001 में कम होकर 927 हो गया है। इससे स्पष्ट है कि भविष्य में वयस्क लिंगानुपात में कमी आयेगी। बच्चों के लिंगानुपात में कमी का कारण भ्रूण हत्या बताया जा रहा है।

किसी देश की जनसंख्या में लिंगानुपात को देखकर ही उस देश की सामाजिक-सांस्कृतिक स्थिति का अध्ययन या एक निश्चित सीमा तक अनुमान लगाया जा सकता है। यथा यदि किसीदेश में पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से कम है तो स्त्रियों की अधिकता के कारण जन्मदर और जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होने की संभावना रहती है। परन्तु यदि स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक है तो ऐसी स्थिति में अनेक सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा मिलता है। जैसे वैश्यवृत्ति एवं यौन अनैतिकता आदि। स्त्री-पुरुष अनुपात की भिन्नता के कारण ही देश के विभिन्न भागों में भिन्न-भिन्न वैवाहिक एवं पारिवारिक परम्परायें देखने को मिलती है। जिन राज्यों या क्षेत्रों में लिंगानुपात स्त्रियों के पक्ष में है वहाँ बहुपत्नी विवाह एवं बहुपत्नी परिवार पाये जाते है। इसके विपरीत जहां स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का बाहुल्य होता है, वहां बहुपति विवाह एवं बहुपति परिवार पाये जाते है।

जिन देशों में उत्पादन कार्य में स्त्रियों द्वारा प्रत्यक्षत: योगदान किया जाता है, वहां आर्थिक विकास और प्रति व्यक्ति आय की स्थिति काफी अच्छी होती है। इसके विपरीत स्थिति में अर्थव्यवस्था की सेहत अच्छी नहीं होती है। भारत इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इस प्रकार स्पष्ट है कि लिंगानुपात का सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों से घनिष्ठ संबंध होता है।

भारत में लिंगानुपात, 1901-2001

भारत में राज्यानुसार लिंगानुपात

भारत में जहां तक राज्यानुसार लिंगानुपात का प्रश्न है तो उसमें एकरूपता नहीं है। कुछ राज्यों में लिंगानुपात पुरुषों के पक्ष में है जबकि कुछ राज्यों में लिंगानुपात स्त्रियों के पक्ष में है। 1961 में केरल, मणिपुर, उड़ीसा, गोवा, दमन द्वीव, लक्षद्वीप, मिनिकाय द्वीप समूह एवं पांडिचेरी में लिंगानुपात स्त्रियों के पक्ष में था अर्थात स्त्रियों की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक थी। परन्तु 1971 में केवल केरल तथा दादर नगर हवेली में ही स्त्रियों का अनुपात अधिक पाया गया था। इसके बाद 1991 में केवल केरल में स्त्रियों का अनुपात पुरुषों से अधिक था। इससे स्पष्ट होता है कि भारत में दिनों दिन लिंगानुपात कम होता जा रहा है। अर्थात स्त्रियों की जनसंख्या घटती जा रही है। राष्ट्रीय जनगणना 2001 के अनुसार भारत के केरल राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक 1058 है जबकि सबसे कम लिंगानुपात 861 हरियाणा राज्य में है। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक लिंगानुपात पांडिचेरी का 1001 है तथा सबसे कम लिंगानुपात 709 दमन एवं दीव का है।

भारत मे प्रमुख राज्यों में स्त्री पुरुष का अनुपात 1961-91
(प्रति 1,000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या)
भारत में राज्यवार लिंगानुपात

राज्य/केन्द्र शासित राज्य	लिंगानुपात	
	1991 में	2001 में
केरल	1036	1058
तमिलनाडु	974	986
छत्तीसगढ़	985	990
मध्य प्रदेश	912	920
उड़ीसा	971	972
गुजरात	934	921
महाराष्ट्र	934	922

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir PG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

आन्ध्र प्रदेश	972	978
कर्नाटक	960	964
गोवा	967	960
उत्तर प्रदेश	876	898
बिहार	907	921
झारखण्ड	922	941
उत्तरांचल	936	964
मेघालय	955	975
मणिपुर	958	978
त्रिपुरा	945	950
असम	923	932
अरुणाचल प्रदेश	859	901
प. बंगाल	917	934
हिमाचल प्रदेश	976	970
हरियाणा	865	861
पंजाब	882	874
जम्मू-कश्मीर	896	900
मिजोरम	921	938
नागालैण्ड	886	909
सिक्किम	878	875
राजस्थान	910	922
केन्द्र शासित प्रदेश		
दिल्ली	827	821
चण्डीगढ़	790	773
पांडिचेरी	979	1001
दमन एवं दीव	69	709
लक्षद्वीप	943	947
अण्डमान निकोबार एवं द्वीप समूह	818	846
दादरा नगर हवेली	952	811

- उपरोक्त सारिणी से स्पष्ट है कि 2001 में उड़ीसा, महाराष्ट्र, गोवा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब तथा सिक्किम में स्त्री-पुरुष अनुपात में 1991 की तुलना में गिरावट आयी है। जबकि शेष राज्यों में स्त्री-पुरुष अनुपात में वृद्धि हुई है।
- दिल्ली, दमन एवं दीव तथा दादरा नगर हवेली के लिंगानुपात में गिरावट दर्ज की गयी है।
- जनगणना 2001 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले शीर्ष 5 राज्य हैं-केरल (1058), छत्तीसगढ़ (990), तमिलनाडु (986), आन्ध्र प्रदेश (978), तथा मणिपुर (978)।
- **न्यूनतम लिंगानुपात वाले शीर्ष 5 राज्य हैं**-हरियाणा (861), पंजाब (874), सिक्किम (875), उत्तर प्रदेश (898) तथा जम्मू-कश्मीर (900)।
- 1991 से 2001 की अवधि में लिंगानुपात में सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक वृद्धि उत्तरांचल के लिंगानुपात में हुई है। 1991 में उत्तरांचल का लिंगानुपात 936 था जो 2001 में बढ़कर 964 हो गया है।
- लिंगानुपात में सर्वाधिक गिरावट दमन एवं दीव के लिंगानुपात में हुई है। दमन एवं दीव का लिंगानुपात 1991 में 969 था जो घटकर 2001 में 709 हो गया है।
- भारत में स्त्रियों का अनुपात कम होने का कारण कोई निश्चित एक नहीं है बल्कि यह कारणों का संयुक्त परिणाम हे, जो निम्नवत है-

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

(i) भारत में सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व से पुत्र की प्राप्ति को प्राथमिकता प्रदान की जाती है।

(ii) भारत में बालिकाओं की मृत्युदर काफी अधिक है। बालिकाओं को जन्म के समय से ही उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। उनका पालन पोषण उचित तरीके से नहीं किया जाता है।

(iii) बाल विवाह भी स्त्रियों की संख्या कम होने का एक प्रमुख कारण है। भारत में आज भी सामाजिक सांस्कृतिक रूप से बाल विवाह को प्राथमिकता दी जाती है। जिससे लड़कियों की शादी परिपक्व उम्र में हो जाती है जिससे एक तो उनका विकास अवरुद्ध हो जाता है, दूसरे कम आयु में मातृत्व धारण करने के कारण एवं जल्दी-जल्दी बच्चा पैदा करने के कारण उनका स्वास्थ्य क्षीण हो जाता है। फलतः स्त्रियों की मृत्यु अल्पायु में हो जाती है।

(iv) भारतीय महिलाओं में साक्षरता आज भी बहुत कम है। अशिक्षा, अज्ञानता, रुढ़िवादिता एवं अंधविश्वास के कारण न तो भारतीय स्त्री पुरुष के समकक्ष सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर विकास के लिये प्राप्त कर पाती है और न ही स्वास्थ्य चिकित्सा संबंधी सेवाओं का खुले रूप में उपयोग ही कर पाती है। फलतः भारतीय स्त्रियों का स्वास्थ्य स्तर बहुत गिरा होता है, जिससे उनकी मृत्युदर अधिक है।

Notepad

जनसंख्या का घनत्व

(Density of Population)

जनसंख्या के घनत्व से किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या के दबाव का पता चलता है। परन्तु जनसंख्या को केवल भौगोलिक आधार पर हीसंबंधित नहीं किया जा सकता है क्योंकि भौगोलिक क्षेत्रफल जनसंख्या के दबाव को मापने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता हैं यहीं कारण है कि जनांकिकीय में 5 प्रकार के घनत्वों की गणना की जाती है जो निम्नवत है-

(i) अंकगणतीय घनत्व
(ii) कार्मिक घनत्व
(iii) कृषि घनत्व
(iv) आर्थिक घनत्व
(v) पोषण घनत्व

अंकगणितीय घनत्व (Arithmetic density): सामान्यतः इसे जनघनत्व कहा जाता है। यह किसी देश या स्थान विशेष की संपूर्ण जनसंख्या तथा देश या स्थान के समग्र क्षेत्रफल का अनुपात होता है।

Equation

यहां P = देश या स्थान विशेष की जनसंख्या
A = कुल क्षेत्रफल
K = स्थिरांक

भारत में जनघनत्व

वर्ष	जनघनत्व प्रति वर्ग किमी)	वर्ष	जनघनत्व (व्यक्ति प्रति वर्ग किमी
1901	77	1961	142
1911	82	1971	177
1921	81		
1931	90	1981	216
1941	103	1991	267
1951	117	2001	324

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

भारत में जनघनत्व
1901 से 2001 तक व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.

GRAPH

भारत में राज्यानुसार जनघनत्व

राज्य	जनघनत्व (प्रति वर्ग किमी.)		जनघनत्व की दृष्टि से स्थान	
	1991 में	2001 में	1991 में	2001 में
पं. बंगाल	767	904	1	1
बिहार	685	880	3	2
केरल	749	819	2	3
उत्तर प्रदेश	548	689	4	4
पंजाब	403	482	6	5
तमिलनाडु	429	478	5	6
हरियाणा	372	477	7	7
गोवा	316	363	8	8
असम	286	340	9	9
झारखण्ड	274	338	10	10
महाराष्ट्र	257	314	12	11
त्रिपुरा	263	304	11	12
आन्ध्र प्रदेश	242	275	13	13
कर्नाटक	235	275	14	14
गुजरात	211	258	15	15
उड़ीसा	203	236	16	16
मध्य प्रदेश	158	196	17	17
राजस्थान	129	165	20	18
उत्तरांचल	133	159	18	19
छत्तीसगढ़	130	154	19	20
नागालैण्ड	73	120	25	21
हिमाचल प्रदेश	93	109	21	22
मणिपुर	82	107	22	23
मेघालय	79	103	23	24
जम्मू-कश्मीर	77	99	24	25
सिक्किम	57	76	26	26
मिजोरम	33	42	27	27
अरुणाचल प्रदेश	10	13	28	28
केन्द्र शासित प्रदेश				
दिल्ली	6352	9294	1	1
चण्डीगढ़	632	7903	2	2
पांडिचेरी	1683	2029	3	3
लक्षद्वीप	1616	1894	4	4
दमन एवं दीव	907	1411	5	5
दादरा एवं नगर हवेली	282	449	6	6
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	34	43	7	7

(i) जनगणना, 2001 के अनुसार राज्यों में सर्वाधिक जनघनत्व प. बंगाल का 904 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी. है। ध्यातव्य है कि 1991 में भी पं. बंगाल का ही जनघनत्व सर्वाधिक (767) था।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

(ii) **जनगणना 2001 के अनुसार राज्यों में सर्वाधिक जनघनत्व वाले शीर्ष 5 राज्य प. बंगाल** (904), बिहार (880), केरल (819), उत्तर प्रदेश (689), तथा पंजाब (482) है। **ध्यातव्य है कि 1991 की जनगणना के अनुसार जनघनत्व की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्य**-पं. बंगाल (767), केरल (749), बिहार (685), उत्तर प्रदेश (548) तथा तमिलनाडु (429) थे।

(iii) जनगणना 2001 के अनुसार राज्यों में न्यूनतम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश का 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. है। ध्यातव्य है कि 1991 में भी अरुणाचल प्रदेश का घनत्व सबसे कम 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. था।

(iv) जनगणना 2001 के अनुसार न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 शीर्ष राज्य हैं-अरुणाचल प्रदेश (13), मिजोरम (42), सिक्किम (76), जम्मू कश्मीर (99) तथा मेघालय (103) है।

(v) जनगणना 2001 के अनुसार केन्द्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनघनत्व दिल्ली का 9294 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. है जबकि न्यमूनम जनघनत्व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह का 43 है। यही स्थिति 1991 में भी थी।

(vi) 1991 से 2001 की अवधि में राज्यों के जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि बिहार के जनघनत्व में 195 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. की हुई है। जबकि सबसे कम वृद्धि अरुणाचल प्रदेश के जनघनत्व में 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. की हुई है।

भारत में सभी राज्यों में जनघनत्व एक समान नहीं है। कुछ राज्यों में जनघनत्व काफी अधिक है तो कुछ राज्यों में जनघनत्व काफी कम है। इससे पता चलता है कि भारत के कुछ भागों में जनसंख्या का सकेंद्रण अधिक है जबकि कुछ भागों में कम है।

विश्व के कुछ प्रमुख देशों का जनघनत्व

वर्ष	देश वर्ग कि.मी.	क्षेत्रफल हजार कुल जनसंख्या (मिलियन में)	जनघनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.
बेल्जियम	33	10	312
ब्राजील	8547	170	20
कनाडा	9971	31	3
चीन	9597	1261	135
दक्षिण कोरिया	99	47	479
डेनमार्क	43	5	126
फ्रांस	552	59	107
जर्मनी	357	82	235
भारत	3288	1016	342
जापान	378	127	337
मलेशिया	330	23	71
नाइजीरिया	924	127	139
नार्वे	324	4	15
ब्रिटेन	245	60	247
रूस	17025	146	9
सं. रा. अमेरिका	9364	282	31

(ii) **कार्मिक घनत्व** (Physiological Density): कार्मिक घनत्व की गणना में किसी भी स्थान अथवा देश के संपूर्ण क्षेत्रफल को प्रयुक्त नहीं किया जाता है बल्कि केवल कृषि योग्य भूमि को ही लिया जाता है। इस प्रकार कार्मिक घनत्व कुल जनसंख्या तथा कृषि योग्य भूमि का अनुपात होता है। कार्मिक घनत्व की गणना इसलिये की जाती है कि सभी क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव एक समान

Notepad

NET/JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

नहीं होता है। क्योंकि नदी, पहाड़, रेगिस्तानी या दुर्गम क्षेत्रों में मनुष्य अधिकतर नहीं हैं अत: जनसंख्या का वास्तविक भार जानने के लिये समस्त भौगोलिक क्षेत्रफल को न लेकर कृषि योग्य भूमि को लिया जाता है। इस घनत्व को कृषि योग्य भूमि अनुपात कहा जाता है।

Equation

(iii) **कृषि घनत्व** (Agriculture Density):कार्मिक घनत्व की गणना में संपूर्ण जनसंख्या को कृषि योग्य भूमि से विभाजित किया जाता है। ध्यातव्य है कि संपूर्ण जनसंख्या केवल कृषि क्षेत्र में ही संलग्न नहीं रहती है। इसलिये यह उचित नहीं है कि समस्त जनसंख्या को कुल कृषि योग्य भूमि से विभाजित किया जाये। अत: कृषि घनत्व की गणना में केवल कृषि में संलग्न जनसंख्या को ही प्रयुक्त किया जाता है।

Equation

(iv) **आर्थिक घनत्व:** आर्थिक घनत्व जानने के लिये कृषि योग्य भूमि, भूमि की उर्वरा शक्ति, खनिज सम्पदा, वन सम्पदा, जलाशय, समुद्री तट, मत्स्य उद्योग, यातायात, संचार के साधन, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि के साथ-साथ जनसंख्या में विज्ञान का विकास, श्रमिकों की कार्यकुशलता, तकनीकी विकास, श्रम विभाजन तथा राजकीय व्यवस्था आदि की भी गणना की जाती है। क्योंकि किसी देश की जनसंख्या का समस्त सम्पत्ति पर भार क्या है? यह जानना आर्थिक दृष्टि से आवश्यक है।

Equation

(v) **पोषण घनत्व** (Nutrition Density): कृषि भूमि की एक इकाई से कितने व्यक्तियों को पोषण प्राप्त होता है, उन व्यक्तियों की संख्या पोषण घनत्व में सम्मिलित की जाती है अर्थात कृषि की प्रति एकड़ भूमि से कितने व्यक्तियों को भोजन प्राप्त होता है।

नोट: सामान्य अध्ययन के लिये प्राय: अंकगणितीय जनघनत्व को ही लिया जाता है तथा जनसंख्या का भार इसी में व्यक्त किया जाता है। परन्तु विभिन्न समस्याओं के अध्ययन के लिये विभिन्न घनत्वों की जानकारी होना आवश्यक है। कृषि समस्या के अध्ययन के लिये कृषि घनत्व का जानना महत्वपूर्ण होगा न कि भौगोलिक क्षेत्र के सम्पूर्ण घनत्व का।

भारत में जनघनत्व में भिन्नता के कारण

(Causes of Differences in density of Population)

भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनघनत्व में पर्याप्त भिन्नता के दर्शन होते है। इसके लिये किसी एक कारक को उत्तरदायी नहीं माना जा सकता है बल्कि इसके लिये कई कारणों को उत्तरदायी माना जाता है। भारत एक विविधतायुक्त देश है, जहां क्षेत्रीय, जातीय, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक एवं अन्य विशेषताएं पायी जाती है। इन विशेषताओं के कारण भारत में जनसंख्या का विभाजन भौगोलिक दृष्टि से एक समान न होकर असमान है। जनघनत्व में असमानता का प्रमुख कारण प्राकृतिक दशाएं, जलवायु, वर्षा, सिंचाई, आवास-प्रवास, शिक्षा की सुविधा, स्वास्थ्य की उत्तम व्यवस्था, परिवहन की सुविधा तथा सुरक्षा सुविधाओं का होना है। उपर्युक्त सुविधाओं की जिन क्षेत्रों में बहुलता है, वहाँ जनसंख्या का केंद्रीकरण अधिक हुआ है और जिन क्षेत्रों में इन सुविधाओं की कमी है, वहीं जनसंख्या का घनत्व कम है।

आश्रितता अनुपात (Dependency Ration):

जनसंख्या के अश्रितता अनुपात की गणना आयु वितरण के आधार पर किया जाता है। आश्रितता अनुपात की गणना करते समय आश्रित जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या से विभाजित किया जाता है। सूत्र के रूप में इसे निम्नवत ढंग से लिया जा सकता है।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir LG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

Equation

यहां D = आश्रित जनसंख्या

W = कार्यशील जनसंख्या

K = स्थिरांक

आश्रित जनसंख्या में बच्चे तथा वृद्ध व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है। अन्य शब्दों में आश्रित जनसंख्या में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को सम्मिलित किया जाता है। आश्रितता अनुपात से पता चल जाता है कि कार्यशील जनसंख्या पर किस सीमा तक अनुत्पादक जनसंख्या आधारित है।

1997 में भारत में आश्रितता अनुपात 37% थी जिसे 2012 में घटकर 28% होने की संभावना है। इसके बावजूद यह विकसित देशों की तुलना में काफी अधिक है। इस आयु समूह में शिशु बच्चे आदि होते है जिनके लिये दवा, शिक्षा, भोजन, वस्त्र, मनोरंजन आदि सभी साधनों की भारी मात्रा में आवश्यकता होती है। 1997 में 60 वर्ष एवं इससे अधिक आयु वर्ग के कुल लोगों का कुल जनसंख्या में अनुपात 6.7% से बढ़कर 2012 तक 8.2% होने का अनुमान है।

ध्यातव्य है कि विकसित देशों में यह अनुपात अधिक होता है। वृद्ध व्यक्तियों के लिये विश्राम घरों, दवा एवं अन्य सुख सुविधाओं पर समाज को अधिक व्यय करना पड़ता है। बुर्जुगों का जनसंख्या में अनुपात अधिक होने से उनके परिपक्व अनुभव एंव ज्ञान का लाभ भी समाज को अधिक मात्रा में मिलता है। इससे स्पष्ट है कि इस प्रकार जनसंख्या की आयु के अनुसार संरचना का सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह उम्मीद लगायी जा रही है कि भारत में आगे आने वाले वर्षों में आयु के अनुसार जनसंख्या का वितरण आर्थिक विकास के अधिक अनुकूल होगा।

जनांकिकी दरें (Demographic Rates)

जनांकिकी दरों को मुख्यत: मृत्यु क्रम दरें तथा प्रजननता दरों में विभाजित किया जाता हैं मृत्यु क्रम दरों के अंतर्गत अशोधित मृत्यु दरें, आयु विशिष्ट मृत्यु दरें, शिशु मृत्यु दरो और प्रमाणिक मृत्यु दरों को सम्मिलित किया जाता हैं जबकि प्रजननता दरों के अंतर्गत अशोधित जन्मदर, कुल प्रजननता दर, आयु-विशिष्ट जन्मदर, स्त्री-शिशु अनुपात, सकल पुनरुत्पादन दर और शुद्ध पुनरुत्पादन दर को सम्मिलित किया जाता है। यहां पर केवल प्रमुख मृत्यु दरों एवं प्रजननता दरों की विवेचना की जा रही है।

1. **अशोधित मृत्यु दरें** (Crude Birth Rate):

 मृत्यु दरों के प्रचलित रूपों में यह सबसे सरल एवं सुविधाजनक दर है। इसकी गणना करने के लिये किसी समय विशेष में हुई कुल मृत्यु को क्षेत्र विशेष की जनसंख्या से भाग देकर स्थिरांक k से गुणा किया जाता है। ध्यातव्य है कि k का मूल्य सामान्यत: 1000 होता है। CDR = D/P K यहां D = किसी समय विशेष एवं किसी विशेष में मृतकां की कुल संख्या, P - उस स्थान की कुल जनसंख्या है।

 उदाहरणार्थ-यदि गाजीपुर जिले में 15 लाख व्यक्ति है और 1999 की अवधि में 45000 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है तो C.D.R. की गणना इस प्रकार की जायेगी।

 Equation

 = 30 प्रति हजार प्रति वर्ष

2. **आयु विशिष्ट मृत्यु दरें** (Age Specific Death Rate):

 अशोधित मृत्यु दरों द्वारा केवल प्रति हजार मृतकों की संभावना व्यक्त की जाती है। अशोधित मृत्यु दर के अंतर्गत व्यक्ति विशेष को प्रभावित करने वाले कारकों यथा आयु, लिंग, निवास, स्थान आदि को ध्यान में नहीं रखा जाता है। आयु विशिष्ट मृत्यु दरों से किसी स्थान के अलग-अलग आयु वर्ग में निवासियों की मृत्यु संख्या के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है।

Notepad

NET/JRF Manish Singh Sir PCG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

आयु विशिष्ट मृत्यु दर की गणना के लिये प्रत्येक आयु समूह में मृतकों की संख्या को उसी आयु वर्ग के मध्यवर्षीय जनसंख्या से विभाजित करने के पश्चात स्थिरांक k से गुणा किया जाता है।

Equation

यहां Di = विशिष्ट आयु वर्ग में मृतकों की संख्या है।

Pi = उसी आयु वर्ग में मध्यवर्गीय जनसंख्या।

3. **शिशु मृत्यु दर** (Infant Death Rate)

शिशु मृत्यु दर की गणना में किसी निश्चित वर्ष अथवा समयावधि में किसी क्षेत्र विशेष में एक वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु संख्या को उसी क्षेत्र में उत्पन्न शिशुओं की कुल संख्या से विभाजित करके स्थिरांक k से गुणा किया जाता है। k का मान सामान्यत: 1000 होता है।

Equation

यहां Po = एक वर्ष से कम आयु के मृत शिशुओं की संख्या

B = पैदा हुए कुल बच्चों की संख्या।

राष्ट्रीय नमूना पंजीयन सवेक्षण, 1998 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर 72 प्रति हजार है।

भारत में शिशु मृत्यु दर

वर्ष	शिशु मृत्यु दर	वर्ष	शिशु मृत्यु दर
1901–06	215	1936–41	161
1906–11	228	1941–46	161
1911–16	204	1946–51	124
1916–21	219	1961	88
1921–26	174	1971	84
1926–31	178	1981	84
1931–36	164	1991	74
		1998	72

भारत में शिशु मृत्यु दर में निरंतर गिरावट आ रही है। इसका कारण चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि तथा पोषण की व्यवस्था में हो रहे उत्तरोतर सुधार को दिया जा सकता है।

भारत में मातृ एवं शिशु मृत्यु दरें काफी अधिक है। पंजीकृत आंकड़ों के अनुसार भारत में होने वाली कुल मृत्युओं में 19% जन्म के एक वर्ष के अंदर तथा 18.5% मृत्यु एक से 4 वर्ष के अंदर हो जाती है। 8.7% मृत्यु 5 से 14 वर्ष की आयु में होती है। कुल शिशुओं की मृत्यु का 45% भाग जीवन के प्रथम सप्ताह में ही मर जाता है जिसमें 25% तो प्रथम माह के प्रथम सप्ताह में ही मौत का शिकार हो जाता है। शेष मृत्युओं में एक माह से 6 माह के अंदर तथा 50% 6 माह से 12 माह की आयु में हो जाती है। भारत में शिशु मृत्यु दर विश्व के अन्य देशों की तुलना में काफी अधिक है। तुलना के लिये यहां कुछ देशों की शिशु मृत्यु दर दी जा रही है।

देश	शिशु मृत्यु दर	देश	शिशु मृत्यु दर	देश	शिशु मृत्यु दर
आस्ट्रेलिया	6	इंडोनेशिश	52	न्यूजीलैण्ड	7
अर्जेंटीना	22	भारत	83	नाइजीरिया	119
बंग्लादेश	96	इटली	6	रूस	20
बेल्जियम	15	जापान	5	स्पेन	7
चीन	36	द. कोरिया	11	स्वीडन	5
ब्राजील	40	कुवैत	13	द. अफ्रीका	83
डेनमार्क	10	मलेशिया	12	ब्रिटेन	7
फिनलैंड	5	नेपाल	107	अमेरिका	10

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

फ्रांस	5	पाकिस्तान	120
जर्मनी	16	पोलैण्ड	11
हंगरी	12	नार्वे	6

भारत में शिशु मृत्यु दर अधिक होने का कारण स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, उचित पोषण की व्यवस्था न होना, बाल विवाह, व्यापक निर्धनता, कुशल दाइयों का अभाव, मां और बच्चे की जीवन शक्ति में कमी, रूढ़िया एवं अंधविश्वास आदि है।

इसके अतिरिक्त भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा शिशु मृत्यु दर काफी अधिक है।

भारत के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर प्रति हजार

वर्ष	1971	9181	1985	1990	1995	1998
ग्रामीण	138	119	107	86	80	80
शहरी	82	62	59	50	48	64
संयुक्त	129	110	97	80	74	72

1998 में भारत के सर्वाधिक ग्रामीण शिशु मृतयु दर मध्य प्रदेश में 103 प्रति हजार थी। मध्य प्रदेश के बाद उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश का स्थान है जहां ग्रामीण शिशु मृत्यु दर क्रमशः 101 और 89 प्रति हजार है। भारत में सबसे कम ग्रामीण शिशु मृत्यु दर केरल में है जहां मात्र 15 प्रति हजार शिशु मृत्यु दर है। केरल के बाद न्यूनतम मृत्यु दर पं. बंगाल में 56 है। राजस्थान, आंध्र प्रदेश तथा हरियाणा की भी ग्रामीण शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय दर से अधिक है। इन राज्यों में शिशु मृत्यु दर क्रमशः 87, 82 तथा 75 है। गुजरात, कर्नाटक, बिहार, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, पं. बंगाल तथा केरल में ग्रामीण शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय ग्रामीण शिशु मृत्यु दर से कम है।

जीवन प्रत्याशा (Life Expectancy)

किसी भी देश के निवासी जन्म के समय जीवित रह सकने की जो आशा करते हैं, उसे उस देश की जीवन प्रत्याशा कहा जाता है। किसी भी देश के लोगों की जीवन प्रत्याशा मुख्यतः मृत्यु दर और मृतयु के समय की आयु पर निर्भर करती है। अन्य शब्दों में बाल मृत्यु दर कम होने तथा मृत्यु के समय लोगों की आयु अधिक रहने पर जीवन प्रत्याशा अधिक होगी। विश्व विकास रिपोर्ट 2000-01 के अनुसार भारत में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 64 वर्ष तथा पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 26 वर्ष 1998 में थी। संयुक्त रूप से भारत की जीवन प्रत्याशा 63 वर्ष थी। भारत में जैसे-जैसे मृत्यु दर घट रही है उसी प्रकार लोगों की जीवन प्रत्याशा भी बढ़ रही है।

1901 से 1998 के बीच भारत की जीवन प्रत्याशा

जनगणना वर्ष	पुरुषों की	महिलाओं की	संयुक्त रूप से
1901	23.7	23.96	23.6
1911	22.59	23.31	22.6
1921	19.42	20.91	19.4
1931	26.91	26.56	26.90
1941	32.09	31.37	32.10
1951	32.45	31.66	42.10
1961	47.00	46.35	46.26
1971	49.50	47.51	48.52
1981	54.00	53.00	54.00
1991	57.00	56.00	56.00
1998	62.00	64.00	63.00

विकसित देशों की तुलना में भारत में जीवन प्रत्याशा काफी कम है। इसका कारण भारत में बुनियादी सेवाओं की कमी बताया जाता है। सं. रा. अमेरिका में 76.5 वर्ष,

Notepad

NET/JRF Manish Singh Sir EC Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

ब्रिटेन में 77 वर्ष, स्विटजरलैंड में 79 वर्ष, जापान में 80.5 वर्ष, फ्रांस में 73 वर्ष, जर्मनी में 77 वर्ष तथा आस्ट्रेलिया में 79 वर्ष है।

भारत में जीवन प्रतयाशा कम होने का कारण बाल विवाह, पर्दा प्रथा, मातृत्व व्यवस्था का अभाव, निर्धनता, अशिक्षा, अंधविश्वास एवं प्रसव संबंधी सुविधाओं का अभाव बताया जाता है। परन्तु जैसे-जैसे विकास की प्रक्रिया तेज हो रही है तथा लोगों को बुनियादी सेवाएं उपलब्ध हो रही है, लोगों की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हो रही है।

भारत में राज्यवार भी जीवन प्रत्याशा एक समान नहीं है। असम, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश एंव कर्नाटक में जीवन प्रत्याशा औसत आय से भी कम है। जबकि केरल, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र तथा पं. बंगाल में जीवन प्रत्याशा राष्ट्रीय औसत से अधिक है। भारत में केरल में जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक है।

Notepad

जन्म दर

प्रजननता उस दर की माप है जिसमें कोई जनसंख्या जन्म द्वारा स्वसंख्या में वृद्धि करती है और समान्यतया जनसंख्या के किसी वर्ग के विवाहित दम्पत्तियों की संख्या या शिशु जनन क्षमता वाली आयु वर्ग की स्त्रियों की संख्या प्रजननता की क्षमता का उपर्युक्त मापदण्ड हो सकती हैं सामान्य अर्थो में प्रजननता या जन्म दर का आशय प्रति हजार जनसंख्या के पीछे जीवित नवजात शिशुओं से लगाया जाता है।

जन्म दर एवं जनसंख्या वृद्धि दर

दशक/वर्ष	जन्म दर प्रति हजार	जनसंख्या में वृद्धि दर % में
1901-11	42.2	0.56%
1911-21	48.1	(-) 0.3%
1921-31	46.4	1.1%
1931-41	45.2	1.4%
1941-51	39.9	1.3%
1951-61	40.9	2.15%
1961-71	39.0	2.48%
1971-81	36.0	2.47%
1981-1991	30.0	2.11%
1998	26.4	--

उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारत में जन्म दर में गिरावट काफी धीमी है। पांचवी पंचवर्षीय योजना में जन्म दर को घटाकर 30 तथा छठवी योजना में घटाकर 25 प्रति हजार लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था परन्तु उसे अभी भी आठवीं पंचवर्षीय योजना के बीत जाने के बाद नहीं प्राप्त किया जा सका है। 1881 से 1981 की 100 वर्षों की अवधि में जन्मदर 50 से 36 प्रति हजार तक ही गिर सकी है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा जन्म दर अधिक हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म दर 35 से 40 के मध्य आज भी बनी हुई है।

जब धर्म के आधार पर जन्मदर का मूल्याकंन किया जाता है तो यह देखने को मिलता हे कि कुछ धर्मों के अनुयायियों में जन्म दर बहुत ही अधिक है क्योंकि परिवार नियोजन को वे धर्म के विरुद्ध मानते है। भारत में इस्लाम धर्म के अनुयायियों में जन्म दर अन्य धर्मों के अनुयायियों के जन्म दर से काफी अधिक है। मुसलमानों में जन्मदर आज भी 30 से 35 प्रति हजार है जबकि हिन्दुओं में जन्मदर 20 से 25 प्रति हजार है।

जब राज्यानुसार जन्मदर का मूल्यांकन करते है तो देखने को मिलता है कि कुछ राज्यों में जन्म दर काफी अधिक है तो कुछ राज्यों में जन्म दर काफी कम है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा तथा असम में जन्मदर राष्ट्रीय जन्म दर से अधिक है। जबकि अन्य राज्यों में जन्म दर राष्ट्रीय दर से कम हैं केरल में जन्म दर सबसे कम 18.2 प्रति हजार है जबकि उत्तर प्रदेश में जन्म दर सबसे अधिक 32.

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

4 प्रति हजार है।

1998 में प्रमुख राज्यों में जन्म मृत्यु और प्राकृतिक विकास दर
(प्रजि हजार जनसंख्या)

राज्य	जन्म दर	मृत्यु दर	प्राकृतिक विकास दर	विकास दर श्रेणी
उत्तर प्रदेश	32.4	10.5	21.9	2
राजस्थान	31.5	8.8	22.7	1
बिहार	31.1	9.4	21.7	3
मध्य प्रदेश	30.6	11.2	19.4	5
असम	27.7	10.1	17.6	6
हरियाणा	27.6	8.1	19.5	4
उड़ीसा	25.7	11.1	14.6	11
गुजरात	25.3	7.8	17.5	7
हिमाचल प्रदेश	22.5	7.7	14.8	8
पंजाब	22.4	7.7	14.7	9
महाराष्ट्र	22.3	7.6	14.7	10
आन्ध्र प्रदेश	22.3	8.8	13.5	14
कर्नाटक	22.0	7.9	14.1	12
पं. बंगाल	21.3	7.5	13.3	13
तमिलनाडु	18.9	8.4	10.5	16
केरल	18.2	6.4	11.8	15
भारत	26.4	9	17.4	

भारत में जन्मदर विश्व के विभिन्न देशों की तुलना में काफी अधिक है। भारत में जन्म दर के अधिक होने के लिये किसी एक कारण को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। बल्कि यह कारणों का संयुक्त परिणाम है। भारत में जन्म दर के अधिक होने के लिये उत्तरदायी प्रमुख कारण इस प्रकार है–ऊष्ण जलवायु, सामाजिक तथा धार्मिक कारण, अशिक्षा, बाल विवाह, परिवार नियोजन के प्रति उदासीनता, संतति निग्रह के साधनों के विषय में जानकारी न होना तथा निर्धनता है।

विश्व के कुछ प्रमुख देशों में जन्म दर (2000)

देश	जन्म दर	देश	जन्म दर
आस्ट्रेलिया	1.8	ब्रिटेन	1.7
बेल्जियम	1.5	अमेरिका	2.0
ब्राजील	2.3	स्विटजरलैंड	1.5
जापान	1.4	जर्मनी	1.3
नार्वे	1.8	फ्रांस	1.7
स्वीडेन	1.5	इटली	1.2
		भारत	3.3

सकल प्रजनन दर (Total Fertility Rate)

यह विशेष प्रकार की प्रजनना दर होती है। इसका संबंध विभिन्न आयु विशिष्ट प्रजननता दरों के योग से है। कुल प्रजननता दर से यह ज्ञात किया जाता है कि प्रजनन योग्य काल में 1000 स्त्रियों द्वारा जन्मित शिशुओं की कुल प्रत्याशित संख्या क्या होगी। सूत्र के रूप में इसको इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है:

Equation

A.S.F.R. = 15-49 आयु वर्ग के आयु विशिष्ट प्रजननता दरों का योग है।

राष्ट्रीय नमूना पंजीयन सर्वेक्षण, 1996 के अनुसार भारत में कुल प्रजननता दर 3. 5 रह गयी है। ध्यातव्य है कि 1981 में 4.5 तथा 1972 में 5.2 थी। शहरी क्षेत्रों में कुल प्रजननता दर 1991 में 2.7 थी। इसी प्रकार 1981 में महिलाओं की विवाह की

Notepad

Manish Singh Sir NET, JRF EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

औसत आयु 18.3 वर्ष थी जो 1991 में बढ़कर 19.5 हो गयी। 15 वर्षों से कम आयु की जनसंख्या का कुल जनसंख्या में प्रतिशत 1991 में घटकर 37% हो गया। ध्यातव्य है कि 1981 में यह 40% तथा 1971 में 42% था।

भातर के कुछ राज्यों में सकल प्रजनन दर (1998-99)

राज्य	कुल प्रजनन दर 15-49		
	शहरी	ग्रामीण	योग
उत्तर प्रदेश	2.88	4.31	3.99
राजस्थान	2.98	4.06	3.78
बिहार	2.75	3.58	3.48
मध्य प्रदेश	2.61	3.56	3.31
हरियाणा	2.25	3.13	2.88
गुजरात	2.33	3.01	2.71
महाराष्ट्र	2.24	2.74	2.52
उड़ीसा	2.19	2.50	2.46
असम	1.50	2.39	2.31
पं. बंगाल	1.69	2.49	2.29
आन्ध्र प्रदेश	2.07	2.32	2.25
पंजाब	1.79	2.42	2.21
तमिलनाडु	2.21	2.22	2.18
हिमाचल प्रदेश	1.74	2.18	2.14
कर्नाटक	1.89	2.25	2.13
केरल	1.57	2.07	1.96

विश्व के कुछ प्रमुख देशों में प्रजनन दर

मानव विकास रिपोर्ट 2001 के अनुसार विश्व में सकल प्रजनन दर सबसे अधिक यमन में 7.6, अंगोला में 7.2 तथा यूगांडा में 7.1 है। विश्व के प्रमुख विकसित देशों में सर्वाधिक सकल प्रजनन दर 2.0 सं. रा. अमेरिका में है। सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाले देश नार्वे में सकल प्रजनन दर 1.8 है। आस्ट्रेलिया तथा कनाडा में सकल प्रजनन दर क्रमश: 1.8 तथा 1.6 है। एशिया में सर्वाधिक प्रजनन दर सऊदी अरब में 6.9 है। मानव विकास रिपोर्ट 2001 के अनुसार भारत में सकल प्रजनन दर 1995 से 2000 की अविध में 3.3 है।

देश	सकल प्रजनन दर	देश	सकल प्रजनन दर
नार्वे	1.8	ब्राजील	2.3
आस्ट्रेलिया	1.8	इंडोनेशिया	2.6
कनाडा	1.6	भारत	3.3
स्वीडेन	1.5	नाइजीरिया	5.9
बेल्जियम	1.5	मलेशिया	3.3
सं. रा. अमेरिका	2.0	द. कोरिया	1.5
जापान	1.4	चीन	1.8
फ्रांस	1.7	पाकिस्तान	5.5
ब्रिटेन	1.7	श्रीलंका	2.1
डेनमार्क	1.7	बांग्लादेश	3.8
जर्मनी	1.7	रूस	0.2
स्पेन	1.2		

विभिन्न देशों की सकल प्रजनन दर व मृत्युदर के उपयोग से इनके जनसंख्या पिरामिडो में अन्तर जाना जा सकता है।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

किसी भी देश का आर्थिक विकास प्रत्यक्षत: उस देश की जनसंख्यात्मक विशेषताओं पर भी आधारित होता है। जनसंख्या देश के आर्थिक विकास में सहायक और बाधक दोनों ही होती है। ध्यातव्य है कि किसी भी देश का आर्थिक विकास उस देश की जनसंख्या की प्रकृति, आकार, वितरण एवं गठन पर निर्भर करता हैं अत: इसलिये यह आवश्यक है कि देश में जनसंख्या नीति का सृजन कर लिया जाये।

जनसंख्या नीति का संबंध किसी देश की उस नीति से होता है जिसके माध्यम से सरकार जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण को निर्धारित करती है। जनसंख्या नीति का प्रयोग सीमित और व्यापक दोनों अर्थों में किया जाता है। व्यापक परिप्रेक्ष्य में जनसंख्या नीति में उन सभी आर्थिक नीतियों का भी समावेश कर लिया जाता है जिनका संबंध जनसंख्या से होता है। प्रसिद्ध जनांकिकी विशेषज्ञ मिरडाल के अनुसार "जनसंख्या नीति का संबंध संपूर्ण समाज से ही होता है और उसमें व्यावहारिक पहलूओं की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। यदि जनसंख्या नीति में व्यावहारिक पक्ष की उपेक्षा की जाती है तो जनसंख्या का क्षेत्र अनावश्यक रूप से सीमित हो जाता है।" मिरडाल ने अपनी जनसंख्या की इस व्यापक परिभाषा से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि जनसंख्या नीति में सम्पूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक नीतियों का समावेश होना चाहिए। इस दृष्टि से आयात, निर्यात, विनियोजन, रोजगार, यातायात नीति, आवास एवं प्रवास संबंधी नीतियों को लिया जा सकता है जो जनसंख्या को प्रभावित करती है। अत: इनको जनसंख्या नीति में सम्मिलित मान लिया जाना चाहिए। परन्तु व्यावहारिक रूप से उनको जनसंख्या नीति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं माना जाता है और न ही ऐसा करना उचित ही प्रतीत होता है। यहीं कारण है कि व्यवहार में जनसंख्या नीति के संकुचित अर्थ को ही ग्रहण किया जाता है।

स्पेगलर ने जनसंख्या नीति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि "जनसंख्या नीति के उद्देश्यों में हम उस राज्य की उन समस्त नीतियों को सम्मिलित करते है जिनके अंतर्गत वह जनसंख्या की मात्रा एवं गुणवत्ता अथवा भौगोलिक वितरण में परिवर्तन लाता है।"

जेराव के अनुसार जनसंख्या की समस्या के समाधान के लिये जो उपाय किये जाते है, उनको ही जनसंख्या नीति में सम्मिलित किया जाता है। इस नीति में मुख्यत: जनसंख्या वृद्धि अथवा विरोध दोनों को ही सम्मिलित किया जाता है।

जनसंख्या की उपर्युक्त परिभाषाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि जनसंख्या नीति का प्रत्यक्ष संबंध जनसंख्या में कमी या वृद्धि करने से संबंधी नीतियों से होता है। वस्तुत: वह नीति अथवा कार्यक्रम जिसके माध्यम से जनसंख्या को अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक विकास के अनुरूप लाने का प्रयास किया जाता है, जनसंख्या नीति के अंतर्गत आता है और जब अर्थव्यवस्था को जनसंख्या के अनुरूप लाने का प्रयास किया जाता है, नीति सृजित की जाती है तथा कार्यक्रम क्रियांवित किये जाते हैं, तो वह आर्थिक नीति के अंतर्गत आते है। जहां तक इन दोनों पक्षों के आपसी संबंधों का प्रश्न है तो यह दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। फिर भी आर्थिक नीति को जनसंख्या नीति में सम्मिलित करना किसी भी दृष्टिकोण से न तो व्यावहारिक ही है और न उचित ही है।

जनसंख्या नीति के तत्व

उपरोक्त किये गये विश्लेषण के आधार पर जनसंख्या नीति में निम्न तत्वों का समावेश होना चाहिए:

(i) जनसंख्या के आकार एंव गठन से सम्बद्ध नीति
(ii) जन्म दर तथा मृत्यु दर की प्रवृत्ति के नियंत्रण के संबंध में नीति
(iii) जनसंख्या के वितरण को संतुलित करने की नीति
(iv) जनसंख्या की किस्म, शिक्षा, आहार, आवास आदि

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

(v) गुणात्मक एवं संरचनात्मक सुधार संबंधी नीति
(vi) जनसंख्या को अनुकूलातमक स्तर तक बनाये रखना।

जनसंख्या की समस्या के समाधान के लिये जो भी सकारात्मक कदम उठाये जाते है उन सभी का समावेश जनसंख्या नीति में होता है। इसमें प्रमुखत: जनसंख्या को सीमित करने एवं वृद्धि करने से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों को सम्मिलित किया जाता है। अन्य शब्दों में जनसंख्या के समस्त पहलूओं का सुनियोजन और जनसंख्या पर नियंत्रण ही जनसंख्या नीति के दो आधार स्तम्भ है।

Notepad

जनसंख्या नीति के प्रकार

जनसंख्या नीति को अल्पकालीन जनसंख्या नीति तथा दीर्घकालीन नीति में वर्गीकृत किया जाता है। यह वर्गीकरण अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक लक्ष्यों के आधार पर किया जाता है। जनसंख्या नीति के अल्पकालीन पक्ष में जनसंख्या से संबंधित अल्पकालीन विद्यमान समस्याओं एवं अल्पकालीन कार्यक्रमों को सम्मिलित कर लिया जाता है। जबकि दीर्घकालीन पक्ष के अंतर्गत जनसंख्या की भावी एवं दीर्घकालीन समस्याओं तथा उनसे संबंधित कार्यक्रमों को सम्मिलित किया जाता है। एक उपयुक्त जनसंख्या नीति में अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों ही लक्ष्यों को ध्यान में रखकर कार्यक्रमों का सृजन किया जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि जनसंख्या नीति केवल स्पष्ट (Explicit) ही रहे। जनसंख्या नीति अस्पष्ट अथवा अव्यक्त भी हो सकती है। स्पष्ट जनसंख्या नीति के अंतर्गत विभिन्न जनसंख्यात्मक समस्याओं का एक सुस्पष्ट एवं प्रत्यक्ष नीति के माध्यम से समाधान निकाला जाता है। जबकि अव्यक्त अथवा अस्पष्ट जनसंख्या नीति के अंतर्गत जनसंख्या की विभिन्न समस्याओं का समाधान प्रत्यक्ष नीति के माध्यम से न करके देश की सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों की सहायता से किया जाता है।

जनसंख्या नीति के उद्देश्य:

सामान्यत: देश की जनसंख्या संबंधी समस्याओं का समाधान करना ही जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य होता है। परन्तु व्यापक अर्थों में जनसंख्या का गुणात्मक और परिमाणात्मक नियमन एवं सुनियोजन ही जनसंख्या नीति का वास्तविक लक्ष्य होता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये जनसंख्या नीति के अंतर्गत निम्न उद्देश्यों की पूर्ति का प्रयत्न किया जाता है:

(i) जनसंख्या की गुणवत्ता में सुधार
(ii) जनसंख्या का परिमाणात्मक नियमन
(iii) जनसंख्या का संतुलित प्रतिस्थापन एवं नियोजित परिवार।

श्री पाल मिडाज ने जनसंख्या नीति के उद्देश्यों को निम्न बिन्दुओं में स्पष्ट किया है:

(i) जनसंख्या की संरचना में सुधार
(ii) जन्म एवं मृत्यु दरों पर नियंत्रण
(iii) जनसंख्या वृद्धि का नियमन
(iv) जनसंख्या के भौगोलिक वितरण में संतुलन
(v) आर्थिक विकास और नियमन।

सभी देशों में जनसंख्या नीति के एक समान उद्देश्य नहीं होते है। उनमें कुछ न कुछ अंतर अवश्य होता है। यह अंतर विकसित और विकासशील देशों में अधिक ही होता है। विकासशील देशों में जनसंख्या नीति का लक्ष्य मृत्यु दर और जन्म दर में होने वाली गिरावट के मध्य समयान्तराल को कम करना होता है। एफ. डब्लू. **नोटेस्टीन** ने विकासशील देशों में जनसंख्या को कम करने के संबंध में सुझाव दिया है कि जहां जनसंख्या में नवीनतम आशा और उत्साह का संचार कर परिवार को सीमित रखने का प्रलोभन देना होगा, वहीं इसके लिये आवश्यक सामाजिक, आर्थिक वातावरण का भी समुचित निर्माण करना होगा।

NET JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के निर्धारण की समस्या

भारत में जनसंख्या की समस्या स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व से ही विद्यमान है और यह जनाधिक्य तथा जनसंख्या गुणवत्ता के निम्न कोटि की है। अत: राष्ट्रीय प्रगति के लिए जनसंख्या के आकार (नियंत्रण) के साथ-साथ जनसंख्या की गुणवत्ता में सुधार भी आवश्यक है। परनतु वर्तमान में देश के सामने विद्यमान सबसे बड़ी समस्या जनाधिक्य की हैं यदि जनाधिक्य की समस्या को अन्य समस्याओं की जननी कहा जाये तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। योजना आयोग के अनुसार, "भारत जैसी स्थिति वाले देश में जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि दर का आर्थिक विकास एवं प्रति व्यक्ति जीवन स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। यही कारण है कि जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिये व्यापक पैमाने पर परिवार नियोजन को अपनाया गया है। यदि भारत की जनसंख्या नीति को परिवार नियोजन की नीति कहा जाये तो गलत नहीं होगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व तक भारत सरकार जनसंख्या की समस्या के प्रति उदासीन रही और उसका कारण यह था कि सरकार की मान्यता थी कि जनसंख्या वृद्धि देश के लिये हानिकारक नहीं है। परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं ने पूर्ववर्ती विश्वास को तोड़ने एवं छोड़ने के लिये स्वदेशी सरकार को विवश कर दिया। भारत के समाज सुधारकों,राजनीतिज्ञों, जनसंख्या शास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों तथा भारत सरकार को तेजी से बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिये विवश होना पड़ा। अत: प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही परिवार नियोजन को सरकारी कार्यक्रम के रूप में पहली बार सम्मिलित किया गया। इसके बाद से ही विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में परिवार नियोजन के लिये धनराशि निश्चित की जाती रही। परनतु जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि की दर को कम करने की आवश्यकता निरंतर बनी रही। सरकार राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के निर्धारण के लिये कोई सर्वमान्य आधार नहीं खोज पा रही है। इस दिशा में अपने प्रयास को एक मंजिल तक पहुँचाने के लिय 1969 में एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में शिक्षा संस्थाओं, प्रशासन, सामाजिक कल्याण एवं आम जनता के व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय जनसंख्या परिषद की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया गया तथा जनसंख्या नीति के निर्धारण के लिये राष्ट्रीय जनसंख्या परिषद को दायित्व दिया गया कि वह उन तत्वों के विषय में सरकार को सुझाव दे जिनका जनसंख्या नीति में समावेश होना चाहिए।

राष्ट्रीय जनसंख्या परिषद (Population Council of India)

राष्ट्रीय जनसंख्या परिषद की स्थापना 1969 में की गयी। ध्यातव्य है कि जनसंख्या नीति को निर्धारित करने के लिये 1969 में एक राष्ट्रीय सम्मेलन आहूत किया गया था। उक्त सम्मेलन में एक राष्ट्रीय जनसंख्या परिषद की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया गया था। राष्ट्रीय जनसंख्या परिषद की स्थापना के संबंध में पारित प्रस्ताव में कहा गया था कि "जनसंख्या एक बहुमुखी तत्व है जिसका बड़ी सर्तकता से तथा गहनता से विश्लेषण किया जाना चाहिए। विशेषकर इसकी भौगोलिक वितरण एंव देश के अंदर तथा बाहर प्रवास, देश में श्रमशक्ति के लिय योगदान, जीवन स्तर, कार्य क्षमता आदि, चूँकि जनसंख्या का परिमाणात्मक एवं गुणात्मक पहलू आर्थिक विकास एंव राष्ट्रीय कल्याण के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करता है। अत: जनसंख्या नीति राष्ट्रीय प्रयत्नों की आदेश सूचक है।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 1976

1969 में राष्ट्रीय जनसंख्या परिषद की स्थापना के संबंध में पारित प्रस्ताव में निहित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में 16 अप्रैल, 1976 को तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्री कर्ण सिंह ने भारत की पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 1977

मार्च, 1977 में केंद्र में सत्ता परिवर्तन हुआ और कांग्रेस के स्थान पर जनता पार्टी की सरकार बनी। ध्यातव्य है कि जनता पार्टी न्र अपेन चुनावी घोषणा पत्र में परिवार नियोजन को मुख्य मुद्दा बनाया था। सत्ता में आने के बाद जनता सरकार ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार परिवार नियोजन का नमा बदल कर परिवार कल्याण कर दिया तथा संबंधित विभाग को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का नाम दिया। इसके साथ ही नियोजन संबंधी अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। जनता सरकार ने निर्धनता का कारण जनसंख्या की अधिकता न मान कर विनियोजन की विकृति एवं रोजगार के अवसरों की कमी माना। जनसंख्या नियंत्रण के मामले को अपनी इच्छा से अपनाने की अवधारणा को सरकार ने स्वीकार किया। इसके बाद जून, 1977 में नयी जनसंख्या नीति की घोषणा की गई।

Notepad

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000

15 फरवरी, 2000 को लम्बे प्रतीक्षा के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 की घोषणा की। यद्यपि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 त्रिउद्देश्यीय है परनतु इस नीति का मुख्य उद्देश देश की जनसंख्या के समाजिक एवं आर्थिक स्तर में सुधार के साथ-साथ 2 बच्चों के मानकों को प्रोत्साहित करना है जिससे 2045 तक स्थिर जरसंख्या के लक्ष्य को प्राप्त किया जासके। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 के प्रमुख बिन्दु निम्नवत हैं:

1. संविधान के 84 वें संशोधन के अनुसार 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा की सीटो पर लगाये गये प्रतिबंध को बढ़ाकर 2026 तक बढ़ा दिया गया है। ध्यातव्य है कि यह 2001 तक मान्य था। इसके लिये संविधान संशोधन करना पड़ा। सरकार द्वारा ऐसा इसलिये किया गया है कि राज्य सरकारें निश्चिंत होकर जनसंख्या के बारे में घोषित राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू कर सके। सरकार के इस निर्णय के पीछे यह भी तर्क दिया है कि तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों जिन्होंने छोटे परिवार के मानक को प्रभावी रूप में अनुसरण किया गया है को दंडित न किया जाये और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को लोकसभा में अधिक सीटें न देकर पुरस्कृत किया जायें।
2. निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले तथा लघु परिवार के सिद्धांत को अपनाने वाले परिवारों के लिये 5000 रुपये तक की स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की जायेगी। इसका लाभ उन दम्पत्तियों को मिलेगा जो नसबंदी करा चुके हैं और जिनको दो से अधिक बच्चे नहीं है।
3. 2045 तक जनसंख्या के स्थिरीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये दो बच्चों के प्रावधान को जारी रखने का निर्णय लिया गया है।
4. जनसंख्या नीति को सुव्यवस्थित ढंग से क्रियान्वित करने के लिये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रस्ताव किया गया है। राष्ट्रीय आयोग में परिवार कल्याण मंत्री के अलावा सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, तथा गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित होंगे।
5. छोटे परिवार की अवधारणा को प्रोत्साहन देने वाली पंचायतों एवं जिला परिषदों को पुरस्कृत करने का निर्णय किया गया है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में ऐम्बूलेंस सेवा उपलब्ध कराने वालों को वित्तीय सहायता एवं ऋण उपलब्ध करायेगी। इसके अतिरिक्त गर्भपात सुविधा को सुदृढ़ बनाया जायेगा।
6. जनसंख्या नीति का प्राथमिक उद्देश्य (तात्कालिक उद्देश्य) अपूरित क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में गर्भ निरोधकों, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य कर्मियों की

Manish Singh Sir
NET, JRF
LG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

आपूर्ति करना है। मध्यकालीन उद्देश्य 2010 तक कुल प्रजननता दर को 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर पर लाना है। जबकि दीर्घकालीन उद्देश्य 2045 तक स्थिर जनसंख्या के लक्ष्य को प्राप्त करना है। नयी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में जनसंख्या को ऐसे स्तर पर स्थिर करने की बात कही गयी है, जो आर्थिक वृद्धि, सामाजिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से अनुरूप हो।

7. शिशु मृत्यु दर में 30% कमी करने का प्रयास किया जायेगा।
8. बीमारू राज्यों (बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश) सहित 12 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिये जनसंख्या नियंत्रण के लिये एक विशेष कार्य योजना की भी घोषणा की गयी। ध्यातव्य है कि इन राज्यों में देश की 55% आबादी निवास करती है। उक्त कार्य योजना में नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने पर भी विशेष बल दिया जायेगा।
9. बाल विवाह निषेध कानून को कड़ाई से लागू किया जायेगा।
10. परिवार विभाग में तकनीकी मिशन के गठन का प्रस्ताव किया गया है। 14वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिय स्कूली शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाया गया है।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में सन् 2046 तक स्थिर जनसंख्या का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए **निम्नलिखित उपायों का उल्लेख किया गया है:**

1. प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों के लिए शिशु मृत्युदर को 30 से कम करना
2. मातृ मृत्युदर (Maternal Mortality Rate) को 1,00,000 जीवित जन्मों के लिए 100 से भी कम करना
3. सर्वव्यापक प्रतिरक्षण (Universal Immunization)
4. 80 प्रतिशत प्रसवों (Deliveries) के लिए प्रशिक्षित स्टॉफ के साथ नियमित डिस्पेन्सरियों, अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों का प्रयोग करना।
5. एड्स (AIDS) के बारे में सूचना उपलब्ध कराना, संक्रामिक रोगों का प्रतिबंधन और नियंत्रण करना।
6. दो बच्चों के छोटे परिवार के मानक को अपनाने के लिए प्रोत्साहन देना।
7. सुरक्षित गर्भपात की सुविधाओं को बढ़ाना।
8. शिशु विवाह प्रतिबन्ध कानून और जन्म-पूर्व लिंग-निर्धारण तकनीक कानून (Pre-Natal Diagnostic Techniques Act) का कड़ाई से पालन करना।
9. लड़कियों की विवाह आयु को 18 वर्ष के ऊपर उठाना और बेहतर तो यह है कि इसे 20 वर्ष से भी अधिक करना।
10. ऐसी स्त्रियों को जो 21 वर्ष की आयु के पश्चात् विवाह करें और दूसरे बच्चे के जन्म के पश्चात् गर्भधारण समाप्ति करने के उपाय को स्वीकार कर ले, विशेष पुरस्कार देना।
11. चिकित्सा की भारतीय पद्धति का प्रजनन (Reproduction) और बाल स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था के लिए समन्वय करना।
12. गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ऐसे व्यक्तियों को जो दो बच्चों के पश्चात् बन्ध्यकरण या नसबन्दी (Sterilization) करवा लेते हैं, स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना।
13. जनसंख्या नीति के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जनसंख्या पर एक राष्ट्रीय आयोग (National Commission on Population) नियुक्त करना। इसके उद्देश्य जनसंख्या-नियंत्रण की समस्याओं के बारे में अधिक ध्यान केन्द्रित करना है। चूंकि भारत 100 करोड़ जनसंख्या के निशाने को पहले ही पार कर चुका है, इसलिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सन् 2010 तक परिवार नियोजन उपायों को तेज कर इसे 110 करोड़ तक सीमित करना चाहती है।

Notepad

NET/JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

अगले 10 वर्षों के लिए इसके लिए जो कार्य-योजना तेयार की गयी है, उसमें निम्नलिखित बातें शामिल की गयी हैं:

(i) ग्राम-पंचायत स्तर पर **स्वयं-सहायता समूहों** (Sub-help groups) जिनमें अधिकतर गृहणियां शामिल हैं, स्वास्थ्य देखभाल करने वाले कामगारों और ग्राम-पंचायतों के साथ विचार-विमर्श करना।

(ii) प्राथमिक शिक्षा को नि:शुल्क और अनिवार्य बनाना होगा।

(iii) **जन्म और मृत्यु के साथ विवाहों और गर्भ के पंजीकरण** (Registration) को अनिवार्य बनाना होगा।

भारत की आधी आबादी निरक्षर है। स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर काफी नीचा है, लोगों की क्रय शक्ति कम है, शादी की आयु काफी कम है, जीवन स्तर काफी नीचा है तथा लोगों में धार्मिक रूढ़िवादिता कूट-कूट कर भरी है। इससे परिवार नियोजन को सफलता मिलने में कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती है। परनतु आर्थिक विकास,सामाजिक, उत्थान, शैक्षणिक प्रगति एवं सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ाकर छोटे परिवार की अवधारणा को प्राप्त करने का प्रयास जारी रखना होगा। इसके सिवाय कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है।

राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग

11 मई, 2000 को राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया। ध्यातव्य है कि जनसंख्या आयोग के गठन का प्रस्ताव फरवरी 2000 में घोषित राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में किया गया था। 11 मई, 2000 को ही भारत का 1 अरबवां बच्चा आस्था नामक लड़की के रूप में दिल्ली में जन्म लिया था। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के गठन का उद्देश्य राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना था। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। के.बी. पंत उपाध्यक्ष योना आयोग को राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, वित्त मंत्री, गृहमंत्री, संसद के दोनों सदन के नेता विपक्ष को सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल भी जनसंख्या आयोग के पदेन सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त प्रमुख समाजशास्त्री, जनानंकिकी विशेषज्ञ तथा अर्थशास्त्री भी इसके सदस्य बनाये गये है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग 100 सदस्यीय है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की पहली बैठक 22 जुलाई 2000 को हुई थी जिसमें जनसंख्या स्थिरीकरण कोष का प्रस्ताव किया गया था।

जनसंख्या स्थिरीकरण कोष

22 जुलाई 2000 को जनसंख्या स्थिरीकरण कोष के गठन की घोषणा की गयी है। यह घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की पहली बैठक के संबोधन के समय किया गया। जनसंख्या स्थिरीकरण कोष के गठन का उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रमों के लिये वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री ने योजना आयोग के माध्यम से इसके लिये 100 करोड़ रुपये प्रारंभिक पूंजी के रूप में उपलब्ध कराया हैं सामान्य जनों एवं निगमों को इस कोष में धन जमा कराने के लिये प्रेरित करने के लिये विशेष प्रयास किये गये। ऐसा करने पर जमाकर्त्ताओं को करों में छूट उपलब्ध होगी।

11 जून, 1930 को मैसूर सरकार द्वारा पहली बार परिवार नियोजन क्लीनिक खोला गया, जिसे बर्थ कंट्रोल क्लीनिक की संज्ञा दी गयी थी। मैसूर में सरकार द्वारा खोला गया क्लीनिक विश्व का यह पहला क्लीनिक था।

भोर समिति ने 1946 के अपने प्रतिवेदन में जनसंख्या नियंत्रण के लिये परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाये जाने का समर्थन किया था। परन्तु भोर समिति ने संतति निग्रह कृत्रिम साधनों के अपनाये जाने के पक्ष में नहीं थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

भी परिवार नियोजन की आवश्यकता को स्वीकार किया परन्तु वे भी संतति निग्रह के कृत्रिम साधनों के प्रयोग के पक्ष में नहीं थे। महात्मा गांधी ने ब्रह्मचर्य को ही संतति निग्रह का उत्तम साधन माना था।

Notepad

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में परिवार नियोजन

बी.जी. खरे ने अखिल भारतीय जनसंख्या एंव परिवार हाईजिन काफ्रेंस के अपने उदघाटन भाषण में जनसंख्या नियंत्रण के लिये परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाये जाने की अनुशंसा की। इसके बाद राष्ट्रीय नियोजन समिति द्वारा 1948 में प्रस्तुत रिपोर्ट में परिवार नियोजन क्लीनिक की स्थापना, प्रशिक्षण एवं साधन उपलब्ध कराने के साथ-साथ अयोग्य रोगों से पीड़ित व्यक्तियों का बन्ध्याकरण तथा अधिक से अधिक 4 बच्चों तक परिवार नियोजन सीमित करने का सुझाव दिया गया था। 1949 में श्रीमति धनवंती रामाराव द्वारा परिवार नियोजन संघ की स्थापना की गयी जो इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। 1950 में योजना आयोग के गठन संबंधी प्रस्ताव में सामाजिक आर्थिक योजना के एक अंश के रूप में परिवार नियोजन को अपनाये जाने की अनुशंसा की गयीथी। 1951 में योजना आयोग द्वारा एक विशेष समिति का गठन किया गया था जिससे संख्या का अध्ययन करके जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों और परिवारों तथा परिवार नियोजन के लिये विस्तृत तथा महत्वपूर्ण तथ्यों सहित सुझाव दिया गया। इसी समय अमेरिका से डॉ. अब्राहम स्टोन का आगमन हुआ। अब्राहम स्टोन ने दिल्ली, मैसूर तथा पं. बंगाल में 5 ऐसे केंद्रों की स्थापना की जिनमें महिलाओं का सुरक्षित प्रसव काल संबंधी प्रशिक्षण का कार्य शुरू किया गया। 1952 में प्रथम पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन को योजना के एक अंग के रूप में स्थान दिया गया। 1953 के बाद परिवार नियोजन की भारत में और अधिक आवश्यकता महसूस की जाने लगी, जब फ्रेंक नोटेस्टीन तथा डॉ. ल्यूनावम गार्टनर का भारत आगमन हुआ। इन दोनों विशेषज्ञों ने भारत में परिवार नियोजन के कार्यक्रम की आवश्यकता पर अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता बतायी तथा इसके संबंध में आवश्यक सुझाव भी दिया। परिणामस्वरूप भारत की परिवार नियोजन अनुसंधान एवं कार्यक्रम समिति ने यह निर्णय लिया कि देश में व्यापक पैमाने पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया जाये, जिसमें बच्चों के जन्म के अंतर को ध्यान में रखा जाये जिससे स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवार की समृद्धि पर अच्छा प्रभाव पड़े।

भारत में परिवार नियोजन की आवश्यकता को सभी स्वीकार करते है। इसमें किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। मतभेद केवल परिवार नियोजन के साधनों के संबंध में है। कुछ लोग आत्मसंयम पर अधिक बल देने की बात करते है और संतति निग्रह के कृत्रिम साधनों के प्रयोग को अनैतिक मानते है। परनतु यह भी ध्यान रखना होगा कि आज जो स्थिति है उसको देखते हुए केवल कोरा सैद्धांतिक दृष्टिकोण अपनाना नहीं होगा। परिवार नियोजन के लिये आत्मसंयम, देरी से शादी, संतति निग्रह के कृत्रिम साधनों को अपनाया जाना चाहिए। कृत्रिम साधनों में रासायनिक, यांत्रिक एवं जैविक सभी विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। स्त्रियों के लिये संतानोपत्ति बंद करने के लिये बंध्याकरण (आजकल दूरबीन से नसबंदी) एवं कापर टी लगाने तथा पुरुषों के नसबंदी आपरेशन (Vasectomy) भी परिवार नियोजन के महत्वपूर्ण उपाय है।

धर्म आधारित जनगणना के आंकड़े

धर्म	जनसंख्या देश की कुल समायोजित जनसंख्या में आँकड़े	लिंगानुपात (प्रति महिलाओं की संख्या)	साक्षरता दर हजार पुरुषों पर	महिला साक्षरता दर	वृद्धिदर (प्रतिशत) 1991-2001 असमायोजित प्रतिशत		1981-91 आँकड़े
हिन्दू	82,75,78,868	80.5	931	65.1	53.2	25.1	20.3 20
मुस्लिम	13,81,88,240	13.4	936	59.1	50.1	34.5	36.0 29.3

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

ईसाई	2,40,80,016	2.33	1009	80.3	76.2	21.5	22.6	22.1
सिख	1,92,15,730	1.84	893	69.4	63.1	24.3	18.2	32.2
बौद्ध	79,55,207	0.8	953	72.7	6.17	35.3	24.5	32.2
जैन	42,25,053	0.4	940	94.1	90.6	94.6	26.0	26.0
अन्य	66,39,626	--	--	47.0	33.2	--	--	--

सितम्बर 2004 में स्वतंत्र भारत के इतिहास में भारत के महा रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय द्वारा पहली बार "धर्म के आधार पर प्रथम प्रतिवेदन" (The First Report on Religion Data) प्रस्तुत किया गया।

पारसी जनसंख्या में 1991-2001 के दशक में कमी दर्ज की है। 1991 की जनगणना में देश में पारसियों की कुल जनसंख्या 76,382 दर्ज की गयी थी जबकि 2001 में यह संख्या 69740 पाई गई है।

कार्य सहभागिता दर (WPR): वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार कुल आबादी में (सभी धर्मों में) कार्यकारी लोगों की प्रतिशतता 39.1 है। धार्मिक आधार पर सर्वाधिक कार्य सहभागिता दर 48.4 प्रतिशत अन्य धार्मिक समूह में देखा गया हैं वही छह प्रमुख धार्मिक समूहों एवं सर्वाधिक कार्य सहभागिता दर बौद्ध में 40.6% है। वहीं हिन्दू और ईसाई में यह दर क्रमश: 40.4 और 39.7 प्रतिशत जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। जबकि मुस्लिम, जैन और सिख में यह क्रमश: 31.3%, 32.9% और 37. 7% है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। वहीं पुरुष कार्य सहभागिता दर सर्वाधिक (55. 2%) जैन धर्म में है जबकि न्यूनतम मुस्लिम में (47.5%) है।

जनगणना में कार्यकारी जनसंख्या को चार प्रमुख श्रेणियों कृषक, कृषि मजदूर, घरेलू उद्योग श्रमिक और अन्य में वर्गीकृत किया गया है। हिन्दू आबादी का 33.1% अन्य क्षेत्रों में संलग्न है।

महत्वपूर्ण तथ्य:

- 7 लाख लोगों ने अपने धर्म के बारे में नहीं बताया।
- केरल के हिंदू आबादी में सर्वाधिक लिंगानुपात।
- पुरुष और महिला साक्षरता अंतर न्यूनतम जैन धर्म में।
- सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात ईसाइयों में।
- 0-6 आयु वर्ग की जनसंख्या कुल आबादी का 15.9% ।
- भारत की कुल धार्मिक आबादी का 26.5% कृषि श्रमिक।

जनसंख्या प्रक्षेपण (Population Projections) (1996.2051)

आगामी 50 वर्षों के लिए जनसंख्या के संशोधित प्रक्षेपणों से यह ज्ञात होता है कि भारतीय जनसंख्या के सन् 2001 तक 101.2 करोड़ और सन् 2021 तक 134.5 करोड़ तक बढ़ जाने की प्रत्याशा है अर्थात् 1.44 प्रतिशत औसत वार्षिक वृद्धि दर। यह आशा की जाती है। सन् 2051 तक भारत की जनसंख्या बढ़कर 164.6 करोड़ हो जाएगी अर्थात् 2021 और 2051 की 30 वर्षीय अवधि में औसत वृद्धि दर 0.68 प्रतिशत रहेगी।

जनसंख्या प्रक्षेपणों के राज्यवार विश्लेषण से पता चलता है कि बिमारू राज्यों (BIMARU States) अर्थात् बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 1996 से 2051 के दौरान 47.2 करोड़ जनसंख्या की वृद्धि होगी। समग्र भारत में 72.1 करोड़ की कुल वृद्धि में, इन चार राज्यों का भाग 66.2 प्रतिशत होगा। केवल उत्तर प्रदेश द्वारा 28.4 करोड़ का योगदान किया जाएगा जोकि कुल वृद्धि का 39.9 प्रतिशत होगा। अत: यदि परिवार नियोजन कार्यक्रम का संकेन्द्रण इन राज्यों की ओर किया जाए, विशेषकर उत्तर प्रदेश की ओर, तभी देश अपने जनसंख्या स्थिरीकरण (Population Stabilisation) के लक्ष्य में सफलता प्राप्त कर सकता है। 1996 में इन राज्यों का कुल जनसंख्या में भाग 40 प्रतिशत था अर्थात देश की 93.4 करोड़ कुल जनसंख्या में 37.4 करोड़। सन्

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

2051 में देश की 164.6 करोड़ जनसंख्या में इन चार राज्यों का भाग 84.6 करोड़ हो जाएगी आर्थिक 51.3 प्रतिशत। इससे यह बात पुष्ट होती है कि देश को इन चार राज्यों की ओर अपना ध्यान केन्द्रित करना होगा जो जनसंख्या नीति के कार्यान्वयन में बहुत पिछड़ गए हैं।

Notepad

सामाजिक जनसांख्यिकी (Social Demography)

जनसंख्या: किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले व्यक्तियों के समूह को जनसंख्या कहते हैं।

जनांकिकी: जनांकिकी जनसंख्या का विज्ञान है जिसमे जन्म, विवाह, मृत्यु एवं प्रवास के सांख्यिकीय विश्लेषण द्वारा जनसंख्या की दशा, दर, एवं गतिशीलता का अध्ययन किया जाता है। उसे मानवीय जनसंख्या के आकार, संरचना तथा विकास के विश्लेषण के रूप में भी परिभाषित किया जाता है।

जनांकिकी के दो प्रमुख भाग हैं

1. **अकारिक जनांकिकी:** इसमें सरंचना के पैरामीटर और गतिकी का आकारिक सांख्यकीय विश्लेषण किया जाता है।
2. **जनसंख्या अध्ययन:** इसमें जनसंख्या की संरचनाओं और परिवर्तन के कारणों और परिणामो की खोजबीन की जाती है। समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से जनांकिकी का दूसरा भाग ही महत्वपूर्ण होता है।

 डेमोग्राफी (Demography) शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस के विद्वान **ई.गूइलर्ड** ने किया। इसके पूर्व यह Political arthamatic के नाम से जाना जाता था।

SOCIAL DEMOGRAPHY

सामाजिक जनांकिकी: सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं से जुड़े हुये हैं व किस प्रकार जनन क्षमता, विवाह के रूप, आयु संरचना, **जीवनप्रत्याशा** आदि को प्रभावित करते हैं, ये विषय ही सामाजिक जनांकिकी का प्रमुख अध्ययन क्षेत्र हैं। साथ ही इसमे जनसांख्यिकीय-परिवर्तन के सामाजिक परिणामों का भी अध्ययन किया जाता है।

JOHN GRANT **को जनांकिकी का पिता माना जाता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम** life table **का निर्माण किया था।**

थामसन व लेविस: इन्होंने जनांकिकी के अध्ययन मे निम्न पक्षो का समावेश किया है:

1. **जनसंख्या का आकार:** किसी समय, किसी स्थान विशेष मे रहने वाले जनसमुदाय की सम्पूर्ण संख्या को उस स्थान विशेष की जनसंख्या का आकार कहा जाता है।
2. **जनसंख्या की संरचना** (Composition of Papu): जनसंख्या के स्वरूप का जिसमे व्यक्तियों के प्रकार, उनकी विशेषताएं, आयु, लिंग, जाति, धर्म, निवास संबंधी पक्ष जनसंख्या की संरचना है।

 जनसंख्या के आकार का अध्ययन जनसंख्या का समष्टिगत चित्रण प्रस्तुत करता है। व संरचना का अध्ययन व्यष्टिगत अध्ययन प्रस्तुत करता है।
3. **जनसंख्या का वितरण:** विश्व अथवा उसके किसी हिस्से मे जनसंख्या का वितरण अथवा फैलाव का स्वरूप क्या है, इसमें किस तरह का परिवर्तन हो रहा है, व इसके क्या कारण हैं यह जनसंख्या का वितरण कहलाता है।

 उपरोक्त के अलावा जनांकिकी अध्ययन के अन्य पक्ष भी हैं।
4. जनसंख्या को प्रभावित करने वाले तत्व।
5. जनसंख्या नीति।

 सामाजिक जनांकिकी समाजशास्त्र की एक शाखा है और जनांकिकी एक स्वतन्त्र विषय है।

जनांकिकी विषय के इतिहास का प्रथम चरण माल्थस से प्रारंभ माना जाता

NET : JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

है जिसने जनांकिकी अध्ययन के क्षेत्र में समस्या मूल्क दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। (1798)

जनसांख्यिकीय अध्ययन: जनांकिकी, जनसंख्या की वह सांख्यिकीय पद्धति है जिसके अंतर्गत आंकड़ो (Data) का एकत्रीकरण, सारणीयन, व्याख्या तथा विश्लेषण किया जाता है और इन आंकड़ों का संकलन मानव समुदाय से किया जाता है, जिसके लिए मुख्यत: तीन विधियों का प्रयोग किया जाता है:

Source of Demogratic Data:

1. Census Method
2. Registration Method
3. Sample Survay.

1. **जनगणना विधि** (Census Method): जनगणना जनसंख्या के आंकड़ों को संकलित करने की सबसे विश्वसनीय विधि है। जनगणना से अभिप्राय किसी देश या उसके द्वारा सीमांकित आय मे, किसी विशिष्ट समय पर, सभी व्यक्तियों से संबंधित, जनांकिकीय, आर्थिक एवं सामाजिक आंकड़ो को एकत्रित करने, संकलित करने और प्रकाशित करने की संपूर्ण क्रिया है।

जनगणना विधि के लक्षण:

- सार्वभौमिकता
- नियमितता
- स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र
- एक साथ गणना
- व्यक्तिगत सूचना (प्रत्येक व्यक्ति के बारे में)
- सरकार द्वारा संचालित
- संपादन व प्रकाशन

जनगणना की विधिंया:

1. De-facto Method **(तथ्य सिद्धि पद्धति):** इस पद्धति के अनुसार सारे देश में सभी व्यक्तियों की गणना एक साथ पूर्वनिश्चित रात्रि या दिन में उसी स्थान पर कर ली जाती है, जहां वे जनगणना के समय उपस्थित रहते हैं। चूंकि गणना का कार्य एक ही रात या दिन में पूरा किया जाता है, इसलिए इसे 'One Night' **(एक रात्रि गणना)** या 'Data System' भी कहते हैं, इसमें जो व्यक्ति जहां उपस्थित होता है उसे वहीं का निवासी मान लिया जाता है, चाहे वह कही का भी रहने वाला हो।

 यह खर्चीली पद्धति है जनगणना करने वालों की अधिक संख्या में आवश्यकता पड़ती है, तथा इसमें बहुत से व्यक्ति जनगणना से छूट जाते हैं। भारत में 1931 तक यही पद्धति प्रचलित थी।

2. De-Jure Method **(विधि सिद्धि पद्धति):** व्यक्तियों की गणना उनके निवास-स्थान के आधार पर, एक पूर्व निर्धारित अवधि में की जाती है। यह कार्य लगभग 2-3 सप्ताह में पूरा किया जाता है।

 दो प्रकार से सूचनाएं एकत्र की जाती हैं:

 1. Canvasser Method: इसके अंतर्गत प्रशिक्षित प्रगणक, सूचना के स्तोत के पास अर्थात् घर-घर जाकर सूचना प्राप्त करके अनुसूची में भरती हैं।
 2. Self-Enumeration Method or (House Holder Method): इस विधि में परिवार के मुखिया को अनुसूची वोट दी जाती है, जब मुखिया या परिवार के सदस्य अनुसूची को भर देते हैं, तो उसे एकत्र कर लिया जाता है।

2. Registration Method: जनांकिकीय घटनाओं के घटित होते ही, उसे निकट के निर्धारित कार्यालय में पंजीकृत कराया जाता है। जिसे उस कार्यालय में एकत्रित कर अध्ययन किया जाता है।

 UNO **ने** जनांकिकीय घटनाओं के पंजीकरण के अंतर्गत निम्न-सूचनाओं को

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

आवश्यक माना है:

1. जन्म संबंधी पंजीकरण
2. मृत्यु संबंधी पंजीकरण
3. विवाह संबंधी पंजीकरण
4. भ्रूण मृत्यु की गर्भावधि

भारत में पंजीकरण प्रणाली सर्वप्रथम मद्रास में 1844 में लागू की गयी 1968 में पंजीकरण के संबंध में एक अधिसूचना पारित कर, प्रथम बार राष्ट्रीय स्तर पर अनिवार्य पंजीकरण की व्यवस्था की गयी।

3. Sample Survey: इसके अंतर्गत किसी क्षेत्र या गांव या भू-भाग का कोई सर्वेक्षक आकड़े एकत्रित करता है और इस प्रकार से प्राप्त आंकड़ों के परिणामों को सान्यीकरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस तरह ये सर्वेक्षण वैज्ञानिक विधियों पर आधारित होते हैं तथा नमूने जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस पद्धति के अंतर्गत स्तरीय निर्देशन के आधार पर (या अन्य भी) कुछ स्थानों को चुन लिया जाता है तथा इन चुने हुये स्थानों या नमूनो का सर्वेक्षण किया जाता है। **भारत में 1964-65 में** Sample-Registration Method **को लागू किया गया।**

Notepad

जनसंख्या पिरामिड

आयु तथा लिंग के आधार पर बनाये जाते हैं।

दो प्रकार:

1. Absolute Pyramid: इसमें वास्तविक जनसंख्या के आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है।
2. Relative Pyramid: इसमें पिरामिड को प्रतिशत के आधार पर निर्मित किया जाता है, अत: तुलनात्मक अध्ययन हेतु अधिक उपयुक्त होता है।

- भारत का जनसंख्या पिरामिड शंकु के आकार का है, जिसका आधार बहुत विस्तृत परंतु ऊँचाई कम है।
- जिस देश की स्वास्थ सुविधाएं बहुत विकसित होंगी, वहां पर पिरामिड की ऊँचाई (आयु पर आधारित होने के कारण) अधिक होगी।
- अल्पविकसित देशों में स्वास्थ सुविधाएं कम विकसित होती हैं, अत: जन्म-दर भी ज्यादा व मृत्यु- दर भी ज्यादा अत: आधार बहुत चौड़ा व ऊँचाई कम, शंकु के आकार का पिरामिड बनेगा।

जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में, (विकासशील देश)

- आधार 1 की अपेक्षा कम
- ऊचाई अधिक
- आश्रितता अनुपात अधिकतम
- जन्म दर- यथगत
- मृत्यू दर में कमी स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित

DR, BR दोनों नियंत्रित

विकसित देशों में: (मधुमक्खी के छत्ते की तरह)

आधार छोटा,

दोनो भुजाएं लम्बवत आश्रितत अनुपात न्यूनतम

ऊंचाई अधिक

वर्तमान USA कनाडा

यहां जन्म दर को थोड़ा प्रोत्साहित किया गया है। घंटी आकार

मृत्यु दर- यथगत

BR में बहुत कमी आ गयी है।

जर्मनी:?

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

Notepad

(Migration)

स्थायी या अर्द्धस्थायी आवास परिवर्तन ही प्रव्रजन है। अस्थायी प्रव्रजन को प्रव्रजन के अंतर्गत नहीं रखा जाता। प्रव्रजन का तात्पर्य एक भौतिक या भौगोलिक ईकाई से दूसरी भौतिक या भौगोलिक इकाई में जाने से है। प्रव्रजन की अवधारणा मे इस बात से प्रभाव नहीं पड़ता कि लोगों का स्थान परिवर्तन किसी दबाव, प्राकृतिक आपदा, आदि से तो नहीं हुआ है इस अर्थ में प्रव्रजन एक मूल्यरहित अवधारणा है।

प्रव्रजन लोगो का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है। लेकिन अस्थाई नहीं जैसे किसी काम से कोई दूसरे शहर गया और लौट आया तो इसे प्रव्रजन नहीं कहा जाएगा।

यह लोगो का स्थायी या अर्द्ध स्थायी आवास परिवर्तन होता है। गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए दो माह के लिए शिमला में रहना प्रव्रजन नहीं है।

प्रव्रजन के स्वरूप (Types of Migration):

प्रव्रजन

आंतरिक प्रव्रजन बाह्य प्रव्रजन

Graph

अंत: प्रव्रजन बाह्य प्रव्रजन आप्रवासनउत्प्रवासन

आंतरिक प्रव्रजन: एक देश की सीमा के अन्दर प्रव्रजन।

बाह्य प्रव्रजन: एक देश से दूसरे देश में प्रव्रजन इसे 'अन्तराष्ट्रीय प्रव्रजन' भी कहते हैं।

आप्रवासन व उत्प्रवासन:

व्यक्ति या समूह ने अपने जिस मूल देश को छोड़ा है, उसमे उत्प्रवासी कहलाते है। इसे देशान्तर गमन भी कहते हैं। और जिस देश में बसते हैं, उसमे आप्रवासी हैं। इसे दूसरे देश में प्रव्रजन कहा जाता है।

अगर कोई व्यक्ति भारत छोड़कर ब्रिटेन में बस जाता है तो वह भारत के उत्प्रवासी होंगे वहीं ब्रिटेन के अप्रवासी होंगे।

अन्त: प्रव्रजन व बाह्य प्रव्रजन:

अन्त: प्रव्रजन किसी विशेष क्षेत्र में प्रव्रजन को दिखाता है। यह शब्द 'प्रव्रजक जहां जा रहें है' को इंगित करता है। वहीं 'बाह्य प्रव्रजन' का प्रयोग प्रव्रजकों में जन्म स्थान के संदर्भ में प्रयुक्त होता है।

जैसे 'बिहारियो का दिल्ली आना'। दिल्ली के लिए बिहारी अन्त: प्रव्रजक हैं वहीं बिहार के लिए दिल्ली आने वाले बिहारी वाह्य प्रव्रजक है।

समय के आधार पर:

1. स्थायी प्रव्रजन या लम्बी अभिसीमा प्रव्रजन।
2. अस्थायी प्रव्रजन या छोटी अभिसीमा प्रव्रजन।विशेष रूप से मौसमी प्रव्रजन।

अन्य प्रकार:

1. **बल पूर्वक प्रव्रजन या अनैच्छिक प्रव्रजन:** जवान कुशल लोगों को प्रव्रजित करना, शरणार्थियों का प्रव्रजन, विस्थापितो का प्रव्रजन।
2. **स्वैच्छिक प्रव्रजन:** ऐसे प्रव्रजन जो अपनी इच्छा से भरे जाएं।

- प्रव्रजन, प्राव्रजकों मे उम्र सापेक्ष होता है। युवा लोगों में अधिक प्रव्रजन व वृद्धो में कम प्रव्रजन देखा जा सकता है।
- विकासशील देशों में बहुत अधिक प्रव्रजन पाया जाता है वही विकसित में काफी कम।

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

- 15-35 वर्ष के आयुवर्ग मे लोगों के अधिक प्रव्रजन देखा जाता है।
- नये प्रव्रजफ सामान्यत: वहीं जाने का प्रयास करते है जहां पहले जा चुके हैं इसे "श्रृंखलाबद्ध प्रव्रजन" कहते हैं। जैसे बिहारियों का दिल्ली व मुम्बई में श्रृंखलाबद्ध प्रव्रजन देखा जा सकता है। लोग आंखमूंदकर प्रव्रजन नहीं करते जैसे-दिल्ली में अधिकतर रिक्शा चालक बिहारी है। अधिकतर खाना बनाने वाले नेपाली और बिहारी है।

भारत में आन्तरिक प्रव्रजन के प्रकार: (स्थान, काल, आयतन और दिशा के आधार पर)

1. **ग्रामीण से ग्रामीण प्रव्रजन:** 1961 के बाद से ग्रामीण से ग्रामीण प्रव्रजन ने मुख्य आन्तरिक प्रव्रजन की भूमिका निभायी है, इस अवधि में यह सर्वाधिक रहा है। इसमें भी सबसे ज्यादा औरतो का विवाह के बाद नये स्थान पर जाना रहा है। 1981 की जनगणना में कुल आन्तरिक प्रव्रजन में इसका भाग 70% तक रहा है। यह आन्तरिक प्रव्रजन का एक मात्र ऐसा प्रव्रजन है जिसमें स्त्रियों के प्रव्रजन की अधिकता देखी जा सकती है। बाकियों में पुरुषों के प्रव्रजन का वर्चस्व रहा है।
2. **ग्रामीण से शहरी:** ग्रामीण से शहरी प्रव्रजन में लगातार वृद्धि देखी जा रही है यह अपने पहले के दशकों से उत्तरोत्तर दशकों में बढ़ रहा है। जैसे 1960 के दशक से 1970 का दशक और उससे 1980 के दशक में प्रव्रजन क्रमश: अधिक रहा है। नगरो में उद्योगों का विकास इस प्रकार के प्रव्रजन का मुख्य कारण रहा है, जहां लोग रोजगार की तलाश में आते रहे है। NSSO के आंकड़ों के अनुसार 46% से अधिक शहरी प्रव्रजन भी विवाह के कारण होता है।
3. शहरी से शहरी।
4. शहरी से ग्रामीण।

विकसित देशों में जिनमें अध्यधिक नगरीकरण देखा जा सकता है मे प्रव्रजन का एक और प्रकार 'नगर से उपनगर' भी देखा जा सकता है।

प्रव्रजन के कारण:

1. **आर्थिक कारण:** विकासशील देशों में प्रव्रजन का मुख्य आर्थिक कारणों को दो प्रकार में बांटा जा सकता है:
 (i) Push Factor (**ढकेलते कारक**): ये वे कारक हैं जो व्यक्ति को अपना जन्म स्थान छोड़कर जाने के लिए विवश करते हैं।
 जैसे: बेरोजगारी, गरीबी, निम्न उत्पादकता, प्राकृतिक संसाधनों की समाप्ति, प्राकृतिक आपदाएं, कभी कभी विकास परियोजनाएं भी इस प्रकार के प्रव्रजन को बढ़ाती है जैसे सरदार सरोवर परियोजना, टिहरी परियोजना में विस्थापित लोग। सम्पत्ति का बंटवारा न होना, और हिस्से में आए छोटे खेत भी इसे बढ़ावा देते हैं। जैसे: बिहारियों का दिल्ली आना।
 (ii) Pull Factor (**खींचते कारक**): बेहतर रोजगार, उच्च जीवन स्तर की लालसा, उच्च मजदूरी, अधिक पैसा, व्यापार के त्वरित विकास की संभावना ऐसे कारक है जो व्यक्तियों को प्रव्रजन के लिए अपनी ओर आकर्षित करते है, व्यक्ति इसी लालच में दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं। जैसे लोगों का अच्छी शिक्षा के लिए इलाहाबाद आना।
 कभी-कभी Push Factor व Pull Factor सामूहिक रूप से प्रव्रजन पर प्रभाव डालते हैं।
 (iii) Push Back Factor (**वापस ठेलते कारक**): आशीष बोस की अवधारणा है। शहरो में आए लोग अर्द्ध बेरोजगारी से ग्रसित है इसे **आशीष बोस 'सीमान्त रोजगार'** कहते हैं जिसके कारण लोग वापस जाने लगते हैं।

सामाजिक-सांस्कृतिक और राजनीतिक कारण:

- कभी-कभी पारिवारिक झगड़े भी प्रव्रजन को बढ़ावा देते हैं।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

- रेडियो, टी.वी., सिनेमा, शहरीकृत शिक्षा के कारण सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन देखा जा सकता है जिससे प्रव्रजन को बढ़ावा मिलता है।
- हाल ही में राज ठाकरे के द्वारा मचाए गये क्षेत्रीयता के पाखंड के कारण भी प्रव्रजन देखा जा सकता, लोक वापस लौट रहे हैं। दंगे, आतंकवाद, हिंसात्मक आंदोलन आदि भी राजनैतिक प्रव्रजन के कारण हैं।

Notepad

अन्य विशेष बातें

- ऐसा क्षेत्र जहां अधिक श्रम पाया जाता है, प्रव्रजन (आप्रवासन) औसत उत्पादकता को बढ़ाएगा क्योंकि इससे श्रम का कुशल उपयोग हो सकेगा। वहीं उत्प्रवास का विपरीत प्रभाव पड़ेगा।
- कम विकसित क्षेत्र से कुशल लोगों का विकसित क्षेत्र में प्रव्रजन सामाजिक असमानता को बढ़ाता है।
- अगर प्रव्रजन बेरोजगारों और अर्द्ध बेरोजगारों का होता है तो यह वहां के बाकी बचे लोंगों के लिए लाभकारी होता है।
- ग्रामीण-शहरी प्रव्रजन से पैसा गांवों में जा रहा है जिससे गांवों में विकास हो रहा है।
- कई प्रव्रजनों में पुरुष सदस्य अधिक समय तक घर के बाहर रहते हैं, इससे परिवार विखंडन को बढ़ावा मिल रहा है बच्चो व स्त्रियों पर अधिक भार पड़ता है उन्हें पहले से ज्यादा काम करना पड़ता है। इससे स्त्रियों में कुण्ठा व हिस्टीरिया जैसी समस्याएं बढ़ रहीं हैं।
- प्रतिभा-पलायन से देश को नुकसान होता है, इसलिए भारत इसके संबंध मे एक विश्व व्यापी नीति को बनवाने में लगातार प्रयासरत है।
- प्रव्रजन के कारण शहरों में जनसंख्या घनत्व बढ़ रहा है, जिससे अनेक समस्याएं जैसे अति नगरीकरण, गंदी बस्तियां, आदि समस्याएं बढ़ रही है। साथ ही ग्रामीण पुरुष अपनी स्त्रियों से लम्बे समय तक दूर रहते है इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म दर में कमी देखी जा सकती है। प्रव्रजन से लिंग अनुपात में भी असंयोजन देखा जा सकता है।
- प्रव्रजन सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देता है।

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

जनसंख्या के सिद्धान्त
(Theories of Population)

Notepad

प्लेटों एवं अरस्तू: इन्होने उतनी ही जनसंख्या को वांछित बताया है जितनी की किसी समाज को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने तथा अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक हो।

- इससे कम होने पर निर्धनता आएगी और अधिक होने पर आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होगी।
- दोनो ने ही जनसंख्या मे कमी लाने के लिए:
 1. आत्मसंयम पर बल दिया।
 2. उपनिवेशों की स्थापना का सुझाव दिया।
- अरस्तु ने जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए:
 1. गर्भपात
 2. शिशु त्याग पर बल दिया।
- प्लेटो ने 5040 जनसंख्या वाले नगर राज्य को आदर्श माना तथा अरस्तू ने 4 लाख से अधिक जनसंख्या न होने की बात कही।
- **सिसरो** ने प्लेटो की पत्नी व बच्चों संबंधी **"पारिवारिक साम्यवाद"** का खंडन करते हुए-**"एक पत्नी विवाह पद्धति"** द्वारा राज्य की जनसंख्या बढ़ाने का समर्थन किया है।

इब्न खाल्दून: Cyclical Various Theory

इब्न खाल्दून ने अपने जनसंख्या संबंधी सिद्धान्त में 'आर्थिक'-'राजनैतिक' व 'सामाजिक' दशाओं (मनोदशाओं) में संबंध स्थापित किया है:

"अधिक जनसंख्या से श्रम विभाजन संभव होता है जिससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है।"

जनसंख्या संबंधी Merchantis (पणिकवादी) सिद्धान्त:

जो आर्थिक विचार यूरोप में 16वीं से 18वीं सदी तक प्रचलित थे, वणिकवादी विचार के नाम से जाने जाते हैं।

वणिकवादी विचारक बढ़ती जनसंख्या को:

1. आर्थिक विकास में सहायक
2. सुरक्षा की दृष्टि से उचित
3. देश की संप्रभुता को बनाये रखने के लिए आवश्यक मानते हैं।

अत: वणिकवादियों ने जनसंख्या वृद्धि के लिए अपनाये जाने वाले विभिन्न साधनो का पक्ष लिया।

NOTE: J.B. **कोलवर्ट:** (लुई 14वां का वित्तमंत्री) ने प्रजनन शीलता मे वृद्धि के लिए 10 या उससे अधिक बच्चों पर कर की छूट का प्रस्ताव रखा।

Sussmilch **के अनुसार** जन्म या मृत्यु नियमानुसार क्रमबद्ध होती है और जनसंख्या में क्रमानुसार वृद्धि होती जाती है जिसके परिणामस्वरूप एक शताब्दी में यह सामान्यत: दुगुनी हो जाती है।

जनसंख्या संबंधी प्रकृतवादियों के विचार

- इनकी विचारधारा को **फिजियोक्रेसी** के नाम से जाना जाता है।

 प्रकृतिवादी प्रकृति के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप को अनुचित मानते हैं, अत: वे जन्म शक्ति के स्वाभाविक विकास पर प्रतिबन्ध लगाने की बात को स्वीकार नहीं करते।

 इनका विचार था कि बढ़ती हुयी जनसंख्या किसी भी देश के लिए, किसी भी दशा में हानिकारक नहीं हो सकती। अत: उसमे किसी भी तरह का विघ्न डालना

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

मनुष्य के हित में नहीं है।

Biological or Naturical Theory of Population

- इन सिद्धान्तों के अंतर्गत यह सिद्धान्त दिया गया है कि मनुष्य का जन्म या मरण उसी प्रकार होता है जैसे कि पेड़-पौधों व अन्य जीव जन्तुओं का, मानव में भी अन्य जीवो की तरह खाना, सोना, संयोग, गर्भाधान, भय, जन्म एवं मृत्यु आदि प्रकृति प्रदत्त मूल प्रवृत्तियां विद्यमान हैं।

Notepad

इससे संबंधित सिद्धांत:

माल्थस का जनसंख्या सिद्धान्त:

- माल्थस के पूर्ववर्ती विचारकों यथा प्रकृतिवादियों वणिकवादियो का विचार था कि देश की समृद्धि के लिए जनसंख्या की वृद्धि उचित है।
- कान्डर का विचार था कि विज्ञान की प्रगति से मनुष्य की प्रसन्नता तथा तर्क शक्ति का विकास होगा, अत: जनसंख्या की वृद्धि किसी भी दशा में हानिप्रद नहीं होगी।
- उपरोक्त विचारो के विपरीत 'माल्थस का विचार' निराशावादी था। माल्थस का जनसंख्या सिद्धान्त जनसंख्या वृद्धि व खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि के मध्य संबंध की व्याख्या करता है।
- "जनसंख्या में जीवन निर्वाह साधनो की अपेक्षा तीव्र गति से बढ़ने की प्रवृत्ति होती है।"
- माल्थस का यह सिद्धान्त निम्न मान्यताओं पर आधारित है:

1. स्त्री व पुरुष के बीच काम-भावना स्वाभाविक है, अत: पुरुष की Fecundity (प्रजनन शक्ति) तथा सन्तान उत्पन्न करने की इच्छा यथा स्थिर रहती है। तथा प्रवृत्ति 'शिक्षा' व 'सभ्यता की प्रवृत्ति' से अप्रभावित रहती है।
2. कृषि मे उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है।
3. आर्थिक सम्पन्नता में वृद्धि के साथ-साथ मनुष्य में संतानोत्पादक इच्छा भी तीव्र होती जाती है, तथा जीवन स्तर में कमी होने पर वह घटती जाती है।
4. यदि जनसंख्या वृद्धि पर किसी प्रकार का नियंत्रण न लगाया गया तो जनसंख्या 25 वर्षो में दुगुनी हो जाती है। क्योंकि जनसंख्या गुणोत्तर या ज्यामितीय श्रेणी (1,2,4,8,16,32...) में बढ़ती है, जबकि खाद्य पदार्थ में वृद्धि अंकगणितीय (1,2,3,4,5,...) श्रेणी में होती है।

इस प्रकार उत्पन्न असंतुलन से अति जनसंख्या हो जाती है, और इस अति जनसंख्या या जनाधिक्य को पुन: संतुलन में लाने के लिए प्रकृति स्वयं क्रियाशील हो जाती है और **प्राकृतिक अवरोध** (Positive Cheak) जैसे-भुखमरी, बीमारी, युद्ध, बाढ़, अकाल आदि आते हैं, और जनसंख्या खाद्यान्न के अनुरूप संतुलित हो जाती है।

माल्थस के अनुसार Positive Cheak परिणाम में भयंकर होते हैं अत: मनुष्य को **कृत्रिम अवरोध** को अपनाना चाहिए।

कृत्रिम अवरोध:

- ब्रम्हचर्य
- विलम्बित विवाह
- सतीत्व
- आत्मसंयम
- नैतिकता
- विवेकशीलता
- माल्थस ने परिवार नियोजन से संबंधित कृत्रिम साधनों के बारे में कुछ नहीं कहा।

प्रो. कैनन:"वह यह भूल गया कि शिशु दुनिया में केवल एक मुंह और एक पेट ही नहीं बल्कि दो हाथ भी लेकर आया है।"

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

नवमाल्थस वाद (Neo-Malthusianism)

नव माल्थस वाद माल्थस के अनुयायियों द्वारा चलाया गया वह आंदोलन है जो परिवार नियोजन तथा संतति निग्रह के कृत्रिम उपाय अपनाकर (गर्भ निरोध के कृत्रिम उपाय, गर्भपात, आपरेशन आदि भी) जनसंख्या को सीमित रखने पर बल देता है।

इन्होंने माल्थस से भिन्न संतानोइच्छा व कामेच्छा मे अन्तर किया है, कामेच्छा एक प्राकृतिक इच्छा व मूल प्रवृत्ति है जो सभी प्राणियों में समान रूप से पायी जाती है जबकि सन्तानोच्छा सामाजिक व आर्थिक कारणों से उत्पन्न होती है तथा सभी प्राणियों में समान रूप से नहीं पायी जाती।

Notepad

माथक्ल थामस सैडलर:

- सैडलर माल्थस के समकालीन थे।
- सैडलर का विचार था (माल्थस के विपरीत) "मानव की प्रजनन शक्ति उसके घनत्व की प्रतिलोमानुपाती होती है।" या - "मानव मे जनसंख्या वृद्धि की इच्छा एवं जनसंख्या घनत्व में ऋणात्मक सह संबंध है।"
- अन्य चीजे समान रहने पर जनसंख्या वृद्धि वहां रूक जाती है जहां पर अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण और खुशहाली होती है या जहां "वह अधिकतम सुख भोगता है।"
- सैडलर के अनुसार प्रजननशीलता को बनाये रखने के लिए दो बातें आवश्यक होती हैं:
 1. शारीरिक श्रम
 2. एकांत
- कम जनघनत्व वाले कृषि प्रधान एवं अविकसित देशो में प्रजनन दर अधिक होती है, क्योंकि यहां के लोग अधिक शारीरिक श्रम करते हैं, जबकि आर्थिक विकास एवं सभ्यता में वृद्धि के साथ शारीरिक श्रमों में कमी आयी है (मशीनो के आविष्कार से) फलत: विकसित देशों में प्रजनन दर कम होती है।

 इस तरह सैडलर के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि के साथ प्रजननशीलता में कमी आ जाती है, और जनसंख्या में कमी होने पर प्रजनन दर बढ़ती है, तथा जनसंख्या स्वत: वातावरण के साथ स्वयं को समायोजित कर लेती है।

 आशावादी विचारक

 सैडलर ने एक और मत व्यक्त किया है कि यदि मृत्यु दर अधिक है तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए जन्म दर भी अधिक होगी और मृत्युदर कम होने पर जन्म दर भी कम होगी।

Double Day's Theory of Diet

इस सिद्धांत में Doubleday ने जनसंख्या वृद्धि के निर्धारण में Food Supply के तत्व को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। Doubleday के अनुसार, जनसंख्या वृद्धि और Food Supply मे विपरीत संबंध होता है। खाद्य पूर्ति जितनी अधिक होगी जनसंख्या वृद्धि दर उतनी की कम होगी अर्थात् अधिक भोजन संतानोत्पादक प्रवृत्ति में बाधक होता है।

डबलडे ने आहार की उपलब्धता की दो स्थितियों की चर्चा की:

1. बाहुल्यता की स्थिति (Plethoric State)
2. रिक्तता की स्थिति (Deplethoric State)

बाहुल्यता की स्थिति में जब लोगों को प्रचुर मात्रा में भोजन मिलता है तो संतानोत्पादक क्षमता कम और जहां प्रचुरता की मात्रा में पौष्टिक भोजन नहीं मिलता प्रजननशीलता बढ़ती है।

Doubleday ने उपलब्ध आहार की मात्रा के आधार पर जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा:

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

1. आहार बहुलता वाला धनीवर्ग-कम प्रजनन शीलता
2. रिक्तता का वर्ग अर्थात् गरीब वर्ग-प्रजननशीलता अधिक
3. मध्यमवर्ग: जनसंख्या प्राय: स्थिर

Doubleday **के अनुसार** "मांसाहारी जातियां, अल्पसंख्यक रही हैं, जबकि शाकाहारी जातियां बहुसंख्यक।"

धनी व्यक्ति अपनी संपत्ति को अधिक समय तक भावी पीढ़ी को हस्तांतरिक नहीं कर सकेंगे, उनके पास संपत्ति तो होगी परन्तु उत्तराधिकारी नहीं होगें, इसके विपरीत गरीबों के पास उत्तराधिकारी तो होंगे परन्तु संपत्ति नहीं। अत: धनी व्यक्तियों के उत्तराधिकारी न होने के कारण ऐसे व्यक्तियों को संपत्ति प्राप्त होगी जो निर्धन हैं, इस प्रकार असमानता के मध्य इतनी सुन्दरता पूर्वक समानता आ जाएगी, जिसका प्रबुद्ध वर्ग स्वागत करेगा।

आशावादी विचारक।

Herbert Spencer: Fertility Function Theory

- इस सिद्धान्त को Spencer **का प्राणिशास्त्रीय सिद्धान्त भी कहा जाता है।**
- सैडलर, डबलडे की भांति स्पेन्सर भी जनसंख्या वृद्धि की दर को प्रकृति का कार्य मानते हैं।
- "प्राकृतिक नियम मनुष्यों की संख्या निर्धारित करता है, अत: मनुष्यों को अपनी संख्या के बारे में चिन्ता नहीं करनी चाहिए।"-**स्पेन्सर**
- जैसे जैसे सामाजिक जीवन की जटिलता बढ़ती जाती है वैसे-वैसे प्रजनन दर में कमी आती जाती है।

 प्रकृति मनुष्यों की संख्या निर्धारित करने के लिए उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन लाती है। वह मनुष्य का ध्यान व्यक्तिगत, वैज्ञानिक तथा आर्थिक विकास की ओर आकर्षित करती है।
- इस संबंध में स्पेन्सर ने दो तत्वो का उल्लेख किया है:
 1. व्यक्तिगतकरण (individuation)
 2. उत्पत्ति (Genesis)
- Spencer: Individuationr 1/Genesis (विपरीत संबंध)
- व्यक्तिकरण का तात्पर्य व्यक्तिगत विकास से है, व्यक्तिगत विकास के अंतर्गत, रहन-सहन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर ध्यान दिया जाना सम्मिलित होता है।
- उत्पत्ति से अर्थ किसी जीव द्वारा नये सदस्यों को उत्पन्न करने से होता है।
- स्पेन्सर के अनुसार व्यक्तिकरण अर्थात् व्यक्तिगत विकास में समय और शारीरिक श्रम अधिक लगता है अत: उसी अनुपात में विशेषकर स्त्री की सन्तानोत्पादक शक्ति में कमी आएगी। अर्थात् स्त्री जितनी रूचि व्यक्तिगत विकास में लेगी उसकी सन्तानोत्पादकता में उसी अनुपात में कमी आएगी।
- "अधिक शिक्षित स्त्री में स्तनो का आकार प्राय: छोटा होता है जो उनकी घटती हुयी प्रजननशीलता को दर्शाता है।"
- स्पेन्सर के अनुसार किसी भी वर्ग में व्यक्तिगत विकास तथा सन्तानोत्पादन शक्ति दोनो एक साथ अधिक नहीं होते:
 1. यदि व्यक्तिगत विकास अधिक है तो उत्पादन शक्ति कम होगी।
 2. यदि उत्पादन शक्ति अधिक तो व्यक्तिगत विकास निम्न होगा।
 3. यदि सन्तानोत्पादन शक्ति अर्थात् जन्म दर कम है तो व्यक्तिगत विकास अधिक होगा।
 4. यदि व्यक्तिगत विकास कम है अर्थात् मृत्युदर अधिक है या जीवन काल कम है तो स्थानापन्न के लिए बच्चो की उत्पत्ति आवश्यक होगी अर्थात् सन्तानोत्पादन शक्ति अधिक होगी।
- स्पेन्सर ने प्रजनन क्षमता के आधार पर मनुष्य को तीन भागों में विभाजित किया:
 1. गरीब व सरल जीवन व्यतीत करने वाले।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

2. मध्य श्रेणी के व्यक्ति
3. सम्पन्न व जटिल जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति।

- व्यक्ति जैसे- जैसे आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से विकसित होता जाता है- वैसे-वैसे उसके व्यक्तिगत विकास में भी वृद्धि होती जाती है।
- Spencer ने प्रजनन दर की प्रवृत्तियों के लिए **"उद्विकासीय सिद्धान्त"** का सहारा लिया है तथा प्रजनन दर व जीव के विकास को संबंधित करते हुये कहा कि जो जीव जितना छोटा होगा उसकी प्रजनन शक्ति उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि बहुत छोटे जीवो की उत्पत्ति, नर व मादा के संयोग के परिणाम स्वरूप न होकर उनके शरीर के कोशिका-विभाजन के कारण होती है।

Carrado Gini: Biological Stage Theory

इन्होने जनसंख्या विकास को एक सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन न मानकर प्राणीशास्त्रीय गुणो में परिवर्तन माना है। Gini के अनुसार-"जिस प्रकार किसी व्यक्ति के जीवनकाल में अनेक अवस्थायें होती है, उसी प्रकार समाज भी अनेक अवस्थाओं से हो कर गुजरता है।"

1. **प्रथम अवस्था:** प्रजनन दर अधिक, जनसंख्या में वृद्धि।
2. द्वितीय अवस्था: आर्थिक व सामाजिक जटिलताओं से जनसंख्या व प्रजनन दर कम।
3. **तीसरी (परिपक्वता की) अवस्था:** प्रजनन दर का ह्रास-पहले धनी वर्ग में फिर पूरे समाज में।
4. **चौथी (नष्टकाल की) अवस्था:** परिपक्वता की अवस्था धीमे-धीमे नष्टकाल की अवस्था में बदल जाती है।

GINI: जनसंख्या में वृद्धि या कमी चक्रीय आधार पर होती है। पहली अवस्था में बढ़ना, और चक्रीय परिवर्तन से चौथी अवस्था में जनसंख्या में कमी, सभ्यता का क्षीण होना यह सब ईश्वरीय प्रक्रिया से होता है।

CASTRO: Book: Geography of Hunger

Protein Consumption Theory:

J.D. Castro ने चूहो पर किये गये प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष दिया कि, प्रजनन दर तथा प्रोटीन उपभोग में विपरीत सह संबंध है।

प्रोटीन उपभोग1/प्रजनन दर

- अधिक मात्रा में प्रोटीन खाने से मोटापा बढ़ जाता है और एस्ट्रोजेन निष्क्रिय हो जाते है जिससे संतनोत्पादकता कम हो जाती है।
- CASTRO के अनुसार जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए आर्थिक विकास के द्वारा जीवन स्तर ऊंचा उठाना होगा।
- भारत के बारे में Castro ने कहा कि - "यहाँ पैदा होने वाले अधिकांश बच्चे केवल भुखमरी, आहार के रूप में पाते है और स्वयं कुछ पैदा करने की स्थिति आने से पहले ही मर जाते हैं।"

Raymond Pearl: Logistic Curve Theory **(वृद्धिघात सिद्धान्त)**

- Book: The Biology of Population Growth
- Pearl ने फलों की मक्खियों के ऊपर किये गये प्रयोग के आधार पर कहा कि - "जनसंख्या सदैव समान गति से नही बढ़ती बल्कि इसके बढ़ने की गति समय समय पर बदलती रहती है।"
- "जनसंख्या बढ़ती और घटती है, चढ़ती और गिरती है और तेजी से या धीमी गति से बढ़ती है, फिर भी कुल मिलाकर यह हमेशा बढ़ती ही रहती है।"
- इस प्रकार जनसंख्या के विकास का चक्रीय क्रम चलता रहता है, इसी को Pearl ने Logistic Curve के माध्यम से व्यक्त किया।

Kuezynski: Net Reproduction Rate Theory

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

इस सिद्धान्त के अनुसार, "किसी भी देश में जनसंख्या की वृद्धि दर, जन्म दर या मृत्यु दर के अन्तर पर निर्भर न करके, शिशु जनन आयु की स्त्रियों की संख्या पर निर्भर करती है।" अर्थात् "जिस दर पर स्त्री जनसंख्या अपने आप को प्रतिस्थापित करती है, वह शुद्ध पुनरुत्पादक दर कहलाती है।"

Net Reproduction Rate = **शिशु जनन आयु की स्त्रियों की कुल संख्या / शिशु जनन करने वाली स्त्रियों की कुल संख्या।**

Notepad

Optimum Population Theory:

- Optimum Population: स्वीकृत एवं मान्यता प्राप्त सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा उन्हे बनाये रखने की दृष्टि से यथेष्ठक मात्रा वाली जनसंख्या को Optimum Population कहते हैं।
- Edwin Cannon ने अपनी पुस्तक Wealth में **सर्वप्रथम 'अनुकूलतम' शब्द का प्रयोग कर 'अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धान्त'** की स्थापना की।
- अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धान्त में देश की आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये इस बात का अध्ययन किया जाता है कि उस देश की बढ़ती हुयी जनसंख्या लाभदायक है या हानिकारक।
- यह सिद्धान्त Law of Returns पर आधारित है। यदि जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है तो ह्रासमान प्रतिफल नियम (Law of Diminishing Return) लागू हो जाएगा।

Note: चीनी दार्शनिक कनफ्यूशियस ने विचार प्रस्तुत किया कि जनसंख्या और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाये रखना चाहिए। वास्तव में कन्फ्यूशियस पहला विद्वान था जिसने Optimum Population Lavel की संकल्पना प्रस्तुत की।

- अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धान्त के अनुसार: यदि किसी देश की जनसंख्या कम है तो कार्यशील जनसंख्या भी कम होगी, अत: देश के अन्य उत्पादन के साधनों का प्रयोग समुचित रूप से न हो सकेगा जिससे प्रति व्यक्ति औसत उत्पादन व प्रति व्यक्ति आय कम होगी।
- जब जनसंख्या बढ़ती है तो परिणामस्वरूप कार्यशील जनसंख्या मे भी वृद्धि होती है और श्रम विभाजन बढ़ता है, देश में उपलब्ध साधनो का प्रयोग अच्छी तरह होने लगता है, और प्रतिव्यक्ति उत्पादन व आय में वृद्धि हो जाती है।
- प्रारंभ में जनसंख्या वृद्धि के साथ Law of Increasing Return लगेगा। श्रम की सीमांत उत्पादकता बढ़ेगी, कुछ समय पश्चात उत्पत्ति के साधनो के साथ जनसंख्या का इष्टतम संतुलन स्थापित हो जायेगा।
- यदि इसके बाद भी जनसंख्या बढ़ेगी तो उत्पत्ति का ह्रास मान नियम लागू होगा। अर्थात् प्रति व्यक्ति औसत उत्पादन घटेगा।
- अनुकूलतम जनसंख्या का स्तर वह है जहां प्रति व्यक्ति आय या उत्पादन अधिकतम होगा।
- यदि जनसंख्या इस स्तर से कम है तो इसे Under Population और अगर अधिक है तो Over Population कहा जाता है।

Dalton: अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है।

J.R. Hicks: अनुकूलतम जनसंख्या वह स्तर है, जिस पर प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिकतम होता है।

Robbins: 1. "अनुकूलतम जनसंख्या वह है, जिससे अधिकतम उत्पादन संभव होता है।"

2. "जनसंख्या का वह स्तर अनुकूलतम है जहां पर कुल उत्पादन व कुल उपभोग अधिकतम होता है।"

Boulding: "वह जनसंख्या अनुकूलतम है, जहां जीवन स्तर अधिकतम होता है।"

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

Carr sanunders "अनुकूलतम जनसंख्या वह है, जो अधिकतम आर्थिक कल्याण उत्पन्न करती है।"

T.R. Bye: जनसंख्या का वह आकार अनुकूलतम है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय के अतिरिक्त, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन को भी उच्चतम बना दे।

David Recardo: **बाजार तंत्र का मानिकी** (Normative) **मॉडल**

- रिकार्डो ने अपने बाजार तन्त्र में श्रम को अन्य वस्तुओं की भांति एक अमूर्त वस्तु माना।
- मनुष्य बाजार तंत्र के अनुसार क्रियाशील होता है, अत: श्रम की मांग में वृद्धि होगी तो जनसंख्या कम होने के कारण मजदूरी बढ़ जाएगी।
- मजदूरी बढ़ने से जनसंख्या आपूर्ति में भी वृद्धि हो जाएगी, जनसंख्या बढ़ने से श्रम आपूर्ति भी ज्यादा हो जाएगी, जिस कारण मजदूरी दर घट जाएगी।
- मजदूरी घटने की सीमा के बारे में रिकार्डो ने बताया कि, यह उस प्राकृतिक सीमा तक घटेगी जो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है।
- इस प्रकार श्रम की मांग व पूर्ति में एक संतुलन स्थापित हो जाएगा। रिकार्डो ने बताया कि जनसंख्या वृद्धि या ह्रास पूंजी संयम के अनुसार होता है। एक बार संतुलन स्थापित हो जाने पर पूंजी संचय प्रक्रिया स्थगित हो जाएगी।
- चूंकि मजदूरी की दर जीवन-निर्वाह स्तर है अत: सर्वव्यापक गरीबी होगी।
- माल्थस की तरह रिकार्डो ने भी गरीबी और प्राकृतिक आपदा को जनसंख्या वृद्धि के अवश्यमभावी फल के रूप में स्वीकार किया है।

Karl Marx :

Surplus Population Theory

- अतिरेक मूल्य, exchange value और जीवन निर्वाह मूल्य (subsistence value) जो मजदूरी है, का अन्तर होता है।
- मार्क्स के अनुसार, क्रियाशील जनसंख्या पूंजी संचय को प्रभावित करने के साथ-साथ उत्पादन साधन (मशीनो) का निर्माण करती है जो स्वयं उसे ही निरर्थक बनाती है।

Surplus Population यह जनसंख्या अतिरिक्त जनसंख्या बन जाती है।

अर्थात् जनसंख्या की अधिकता प्रजनन दर की अधिकता के कारण न होकर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कारण होती है।

- गरीबी और आपदा स्वाभाविक है क्योंकि यह पूंजीवादी बुराइयों का प्रतिफल है।
- मार्क्स ने बेरोजगारी या सापेक्षिक अतिरिक्त जनसंख्या (relative surplus population) के तीन स्वरूपों का उल्लेख किया है।

1. **तैरने वाली** (floating): जो मशीनो के प्रयोग से बेरोजगार हो गयी।
2. **प्रच्छन्न** (Hidden): कृषि जनसंख्या का वह भाग जो शहरो की ओर नौकरी की तलाश में आता है।
3. **प्रवाहहीन** (Stagnant): जो अनियमित रूप से नौकरी करती है।

मार्क्स के अनुसार जनसंख्या वृद्धि की समस्या साम्यवाद मे समाप्त हो जाएगी, जहां उत्पादन के साधनो पर सामूहिक स्वामित्व होगा।

Henry George:Social Malajustment Theory

जार्ज के अनुसार यदि जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी जाए तथा भूमि पर किसानो का अधिकार हो जाए अर्थात् जब पृथ्वी के साधनो पर कुछ का अधिकार न होकर समाज का अधिकार हो जाएगा और सभी लोग उत्पादन करेंगे, तो खाद्यान्न का उत्पादन पहले की अपेक्षा अधिक बढ़ेगा, जिससे राष्ट्र की अति जनसंख्या की समस्या समाप्त हो जाएगी।

जार्ज के अनुसार, जनसंख्या का नियम मानव जाति के बौद्धिक विकास के नियम से संबंधित तथा अधीन है और बौद्धिक स्तर के विकास के साथ जनसंख्या में स्वत: कमी आएगी।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

जनसंख्या समस्या के सुधार के लिए जार्ज ने समाज सुधार को आवश्यक समझा तथा भूमि व्यवस्था सुधार व जमींदारी प्रथा के उन्मूलन का सुझाव दिया।

"मानव जीवन को खतरा प्रकृति उत्पन्न नहीं करती, बल्कि उसका मुख्य कारण गलत सामाजिक समायोजन होता है।"

Notepad

Arsene Dumot : Theory of Social Capillarity

भौतिक कोशिकीयता की भांति व्यक्तियों में भी उच्च स्तर प्राप्त करने की चाह होती है जिसे सामाजिक कोशिकीयता कहा जा सकता है। मानव में उच्च स्तर प्राप्त करने की इसी भावना के कारण उसकी प्रजनन क्षमता घटती जाती है। अत:किसी देश की जनसंख्या वृद्धि और व्यक्ति विशेष के विकास में विपरीत (उल्टा) संबंध होता है। जिन समाजो में उच्च वर्ग में परिसंचरण सहज है, वहां सामाजिक कोशिकीयता उसी प्रकार बनी रहती है जैसे गुरुत्व का नियम।

"जिस प्रकार किसी तरल पदार्थ को ऊपर चढ़ने के लिए नली का पहले से पतला होना आवश्यक होता है उसी प्रकार समाज में ऊपर उठने के लिए परिवार का छोटा से छोटा होना अनिवार्य है।"

DUMOT ने सामाजिक विकास की तीन भिन्न अवस्थाओं के अनुरुप जनसंख्या के तीन सिद्धान्त बतलाए हैं:

1. Malthusian Theory: सामाजिक विकास की प्रारंभिम अवस्था-जनसंख्या वृद्धि ज्यामितीय दर से।
2. Quillards Theory: जब समाज असभ्यता से सभ्यता की ओर बढ़ता है तो-जनसंख्या खाद्य सामग्री के अनुपात में बढ़ती है।
3. Theory of Social Capillarity : **यह सिद्धान्त तब लागू होता है जब समाज पूर्णत: विकसित हो जाता है। जनसंख्या वृद्धि दर कम हो जाती है।**

Frank Fetter: Theory Volunteerism

Fetter ने प्रजनन को वैयक्तिक इच्छा या स्वैच्छिक क्रिया से सम्बद्ध करते हुये मनुष्य की इन प्रवृत्तियों (मनोवृत्तियों) का वर्णन किया है जो मानव के पुनरुत्पादन व्यवहार को प्रभावित करती है। इन्होने धनी व निर्धन व्यक्तियों की प्रजनन प्रगति को अलग-अलग समझाया है:

- धनी व्यक्ति स्वेच्छा से कम बच्चे पैदा करते है, क्योंकि वे भौतिक सुखों की प्राप्ति हेतु बच्चों की संख्या कम रखना चाहते हैं।
- निर्धन व्यक्ति स्वेच्छा से अधिक बच्चे पैदा करना चाहते हैं क्योंकि बच्चे, बचपन से ही धनोपार्जन करने लगते हैं।
- Fetter के अनुसार आर्थिक उन्नति के साथ-साथ जन्म दर गिरने लगती है।

Francisco S. Nitti:Theory of Individuality

Book: Population and the Social System

- Nitti के अनुसार, जनसंख्या की प्रत्येक वृद्धि हानिकारक नहीं होती, जनसंख्या वृद्धि से ही सभ्यता का विकास भी हुआ है।
- जनसंख्या की प्रजनन दर को निर्धारित करने में सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, नैतिक तथा जैविक पक्ष महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन तत्वों में आर्थिक तत्व अधिक प्रभावकारी तथा जैविक तत्व सबसे अधिक प्रभावकारी भूमिका निभाते हैं।
- Nitti के अनुसार जब समाज में व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास हो जाएगा तब आर्थिक असमानताएं समाप्त हो जाएंगी। तब जनसंख्या वृद्धि दर, खाद्य सामग्री की वृद्धि दर से अधिक नहीं होगी और जनसंख्या वृद्धि की समस्या भयावह नहीं रह जाएगी।

L. Brento:Increasing Prosperity and Pleasure Theory

- प्रजनन दर व सुख समृद्धि में विपरीत संबंध होता है।
- मानव जीवन का प्रमुख उद्देश्य सुख और समृद्धि को प्राप्त करना है।

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

- समाज के विभिन्न वर्गो के बीच सुख व समृद्धि की दृष्टि से असमानता पायी जाती है। जैसे-जैसे व्यक्तियों की सुख समृद्धि में वृद्धि होती जाती है वैसे-वैसे उसकी प्रजनन दर में कमी आती जाती है। इसके विपरीत जिनके पास सुख समृद्धि के साधन उपलब्ध नहीं होते उनकी प्रजनन दर अधिक होती है।

Notepad

Ungern Sternberg:Theory of Rationalism

- प्रजनन दर का कम या अधिक होना मानसिक तत्वो पर निर्भर करता है।
- इन्होने पहली बार यह मत व्यक्त किया कि, गरीबो में प्रजनन दर कम या अधिक दोनो हो सकती है।
- Stenberg ने अपने जनसंख्या सिद्धान्त में पूंजीवादी मनोवृत्ति को ही जन्मदर में कमी लाने का प्रमुख कारक माना है। अर्थात्- आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप जन्मदर में कमी आती है, तथा प्रजनन दर कम होने पर विकास होता है।
- Stenberg: "समानता की खोज में स्त्रियां भी (जब वे पूंजीवादी मनोवृत्ति से संक्रमिक हो जाती है) पुरुषोचित हो जाती है प्रेम संबंध भी व्यवसाय की तरह हो जाता है।"

Harvey Leibenstein:Population Growth Theory

जनसंख्या और विकास के संबंध में लेवेन्स्टीन ने कहा कि:

1. जनसंख्या के घनत्व का आर्थिक विकास से कोई संबंध नहीं होता।
2. जन्म दर में कमी होना विकास के लिए आवश्यक नहीं है।
3. सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तकनीकि उन्नति, सा. गतिशीलता में वृद्धि, समाज में स्त्रियों की दशा में सुधार तथा नगरीकरण आदि जन्म दर को कम करने में सहायक होते हैं।

लेवेन्स्टीन ने जनसंख्या विकास की चार अवस्थायें बतायी हैं:

1. Stage of Low Lavel of Income: प्रति व्यक्ति निम्न आय, जन्म दर अधिक, परन्तु मृत्यु दर भी अधिक, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर शून्य।
2. Stage of Rise of Income Lavel: प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, मृत्यु दर में भी कमी, जन्म दर यथावत, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि।
3. Stage of Further Rise in Income Lavel: प्रति व्यक्ति आय और वृद्धि-मृत्यु दर में और गिरावट, जन्म दर में भी कमी, जनसंख्या वृद्धि दर कम।
4. Stage of very High Per Capita Income: जन्मदर-मृत्यु दर दोनो बहुत निम्न-जनसंख्या वृद्धि दर बहुत कम।

लेवेन्स्टीन के अनुसार: "जनसंख्या वृद्धि दर पर नियंत्रण के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रयास (minimum effort) आवश्यक हैं।"

The Model of Becker and Eastli

Becker: बेकर ने मानव प्रजनन व्यवहार को समझाने के लिए अर्थशास्त्र के **"टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु का नियम"** (law of durable consumer goods) का सहारा लिया।

बेकर ने बताया कि:

"बच्चा भी एक टिकाऊ वस्तु की तरह है क्योंकि उससे उपयोगिता भी मिलती है तथा उसकी लागत भी होती है, अत: कोई बच्चा तभी उत्पन्न किया जाएगा जब उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिताएं उस पर लगने वाली लागतों से अधिक होती है।"

बेकर के अनुसार:

आय में वृद्धि होने से, बच्चों की गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है और उससे प्राप्त उपयोगिताएं अधिक होंगी, इसलिए यदि आय बढ़ेगी तो प्रजनन दर में भी वृद्धि हो जाएगी।

बेकर ने इसे New Home Economics कहा, और पारिवारिक आधार पर एक Micro Economic Model की रचना की जिसमें परिवार का उद्देश्य न्यूनतम लागतों पर अधिकतम लाभ कमाना होता है।

NET/JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

Eastli: **आकांक्षा सिद्धान्त** (Aspiration Theory)

इस्टली के अनुसार, बच्चों को उत्पन्न करने के संबंध में माता-पिता का आचरण इस बात पर निर्भर करता है कि, वे स्वयं किस तरह के जीवन स्तर की अकांक्षा रखते हैं-न कि इस पर कि वे बच्चों को कौन सा जीवन स्तर देना चाहते हैं।

Becker-Thomas: Inter Generation Fertility Model

यदि आय से अधिक महत्वाकाक्षांए बढ़ती है तो जन्म दर घटती है। इसके विपरीत यदि आय की अपेक्षा महत्वाकांक्षाएं कम बढ़ती है तो जन्म दर बढ़ेगी।

DEMOGRAPHIC TRANSITION THEORY: **डब्लू एम. थाम्पसन, फ्रैंक डब्लू. नोएस्टीन**

यूरोप, अमेरिका, आस्ट्रेलिया के अध्ययन के आधार पर।

Demographic Transition **(जनांकिकी संक्रमण):** दो जनांकिकी क्षेत्रों में होने वाले ऐसे जनसंख्या परिवर्तन को जनांकिकी संक्रमण नाम दिया गया है, जिसमें प्रथम क्षेत्र में प्रजनन क्षमता और नैतिकता दोनो के स्तर उच्च होते है तथा द्वितीय में प्रजनन क्षमता और नैतिकता दोनो के स्तर निम्न होते हैं।

प्रथम को **पारंपरिक संक्रमण** (Traditional Transition) तथा

दूसरे को **आधुनिक संक्रमण** (Modern Transition) कहा जाता है।

जनांकिकी संक्रमण सिद्धान्त:

जनांकिकी विदो की नवीनतम सोच है कि जनसंख्या का विकास विभिन्न अवस्थाओ में होता है और प्रत्येक जनसंख्या को इन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है इसी को आधार बनाकर जनांकिकी सक्रमण के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया।

जनांकिकी संक्रमण के सिद्धान्त के अनुसार प्रजनन क्षमता में कमी आने से पहले नैतिकता स्तर में ह्रास होना अनिवार्य है, नैतिकता के ह्रास से तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि होती है तत्पश्चात जनन क्षमता में उसी अनुपात में कमी आती है।

जनांकिकी संक्रमण के सिद्धान्त द्वारा ऐसे सामान्य नियमों को प्रतिपादित करने का प्रयास किया गया है जो औद्योगीकरण के फलस्वरूप जनसंख्या मात्रा और संरचना में होने वाले परिवर्तनो की व्याख्या करते हैं।

इस सिद्धान्त में यह माना गया है कि, जनसंख्या विकास तीन अवस्थाओ से गुजरा है:

प्रथम अवस्था (Pre Transitional Stage):पूर्व औद्योगिक समाजो में जनसंख्या स्थिर थी अर्थात् इस काल में मृत्यु दर और जन्म दर दोनो ही ऊंची थी।

इस काल में जनसंख्या वृद्धि तो नहीं होती परन्तु संभावना बनी रहती है।

द्वितीय अवस्था (Transitional Stage): स्वास्थ, पोषण, स्वच्छता आदि में प्रगति के फलस्वरूप मृत्यु दर में कमी आती है, परन्तु जन्म दर स्थिर रहती है।

तृतीय अवस्था (Post Transitional Stage): जीवन स्तर में सुधार और सामाजिक विकास के कारण जन्म दर व मृत्यु दर दोनो में कमी आती है। फलत: जनसंख्या स्थिर होती है।

विभिन्न विद्वानों के विचार:

C.P. Blaker: जनसंख्या परिवर्तन की 5 अवस्थाएं बतलायी

द्वितीय अवस्था: कुछ आर्थिक विकास, कृषि की दशा में सुधार, चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध फलत: मृत्यु दर में कमी।

समाज प्रथा न परंपराओ द्वारा ही शासित। फलत: जन्म दर में कमी नहीं।

जनसंख्या विस्फोट।

भारत में 1921-1970 तक यही अवस्था रही।

तृतीय अवस्था: औद्योगिक विकास, आधुनिकीकरण प्रारंभ

जीवन स्तर में सुधार।

BR (Birth rate) , DR(Deth Rate) दोनो में कमी, परन्तु जनसंख्या विस्फोट की स्थिति (अल्प मात्रा में) बरकरार।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir LG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

1971 के बाद भारत।

चतुर्थ अवस्था: उच्च विकसित अवस्था, आधुनिक समाज की अवस्था। DR, BR दोनो नियंत्रित, कम फलत: जनसंख्या में स्थिरता।
यूरोप के विकसित देश।

पांचवी अवस्था: DR, BR से ज्यादा, फलत: जनसंख्या का आकार घटने लगता है। थाम्पसन, Bouge व नोएस्टीन ने बेकर की पहली व पांचवी अवस्था को असाधारण बताया।

LAUNDRY: Laundry ने खाद्यान्न आपूर्ति व आर्थिक विकास के आधार पर जनांकिकी परिवर्तन को तीन भागो में बांटा:

1. Primitive Regine: यहां जनसंख्या की मात्रा खाद्यान्नो की आपूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। अर्थात् खाद्यान्न पूर्ति बढ़ने पर जनसंख्या बढ़ती है। और घटने पर घट जाती है।
2. Inter Mediate Stage: जनसंख्या की मात्रा आर्थिक विकास द्वारा निर्धारित। जीवन स्तर उच्च, BR, DR दोनो में गिरावट आती है।
3. Modern Approch : (आर्थिक विकास की उत्कर्ष अवस्था)
इस अवस्था में जनसंख्या न तो आर्थिक विकास से प्रभावित होती है और न तो खाद्यान्न आपूर्ति से। BR गिरने लगती है, जनसंख्या आकार घटने लगता है।

KARL SAX: चार अवस्थाएं बतलायी।

डोनाल्ड ओलेन काउगिल (Donald Olen Cowgill): **"वृद्धि चक्र"** (Growth Cycle)

जनसंख्या विकास की अवस्थाएं एक के बाद एक क्रमश: चक्रीय क्रम में आती हैं।

1. Primitive or Malthusian Cycle:
जन्म दर ऊँची
मृत्यु दर में उतार चढ़ाव, परिणामस्वरूप जनसंख्या में भी उतार चढ़ाव:
2. Modern Cycle:
BR, DR दोनो में गिरावट,
परन्तु DR अधिक तेजी से गिरती है, फलत: जनसंख्या वृद्धि भी तेजी से।
3. Future Cycle:
DR: निम्नतम स्तर पर
BR: उतार चढ़ाव
परिणाम स्वरूप बच्चो की संख्या अधिक।
Cowgill **ने इसे** Baby Boom **कहा**।
4. Probable Cycle:
संभावित चक्र
BR में वृद्धि DR की अपेक्षा अधिक होती है।
फलत: जनसंख्या वृद्धि होती है।
5. Population Cycle in the Long Run: S. Curve
दीर्घकालीन अवस्था में जनसंख्या में वृद्धि
DR में कमी या
BR में वृद्धि होने पर होती है।
इसके विपरीत स्थिति होने पर जनसंख्या में कमी आती है।
भारत की जनसंख्या वृद्धि से संबंधित Model **का नाम** Coole-Hoover Model **है।**

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

आर्थिक प्रक्रियाएं
(Economic Process)

Notepad

चाहे वह आदिम समाज रहा हो या कृषक या फिर आधुनिक सभी समाजों में मनुष्य भोजन, वस्त्र, आवास व सुरक्षा की आवश्यकता को महसूस करता रहा हैं चूंकि मनुष्य की आवश्यकताएं मूलभूत हैं इसलिए आर्थिक क्रियाएं भी मूलभूत हैं। क्योंकि आवश्यकताओं की पूर्ति का एक पक्ष आर्थिक क्रियाओं द्वारा पूरा किया जाता है।

समाजशास्त्र में इस आर्थिक पक्ष का अध्ययन **एक उपप्रणाली** के रूप में किया जाता है, संपूर्ण समाज को एक प्रणाली के रूप में माना गया है, जिसकी उप प्रणालियां नातेदारी, आर्थिक प्रणाली, राजनीतिक व्यवस्था, धर्म, शिक्षा आदि हैं।

आर्थिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत तीन पक्षों व उनके सामाजिक प्रभाव का अध्ययन किया जाता है:

1. उत्पादन प्रक्रियाएं
2. वितरण प्रक्रियाएं
3. उपभोग प्रक्रियाएं

संपत्ति की अवधारणा (Cocnept of Property):

किसी भी समाज में संपत्ति की अवधारणा दो पक्षों से मिलकर बनती है:

1. समाज में मूल्यवान वस्तुएं तथा गुण (Quality) हैं जो सीमित मात्रा में पाये जाते हैं।
2. इन वस्तुओं व गुणों पर अधिकार।

इसका पहला पक्ष दृश्य है तथा दूसरा पक्ष अदृश्य है। इस अधिकार पक्ष के साथ एक पक्ष जिम्मेदारी (दायित्व) का भी जुड़ा हुआ है। इस अर्थ में संपत्ति की अवधारणा में भी मूल्य संबंधी पक्ष आ जाता है।

यह अधिकार संबंधी पक्ष सभी समाजों में अलग-अलग होता है, वर्तमान समय मे तो बौद्धिक संपदा अधिकार जैसे अधिकारों की भी बात हो रही है।

संपत्ति की अवधारणा राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में संपत्ति पर अधिकार के अलग-अलग मानक तथा पक्ष हैं।

संपत्ति की अवधारणा के विकास में हाबहाउस का योगदान सर्वोपरि है। हाबहाउस ने दो प्रकार की संपत्ति की चर्चा की है:

1. **निजी** (Private): संपत्ति पर निजी स्वामित्व होता है। संपत्ति का यह प्रकार (निजी संपत्ति) लगभग सभी समाजों में पाया जाता है।
2. **सामूहिक** (Collective): संपत्ति पर सामूहिक स्वामित्व। यह प्रकार (सामूहिक संपत्ति) पारंपरिक या आदिम समाजों में पाया जाता है।

 जैसे: इजराइल के किवुट्ज

 यूगोस्लोवाकिया की जादरूगा, तथा भारत के ओक्काओं में।

भारतीय परिप्रेक्ष्य (मिश्रित अर्थव्यवस्था) में अधिकार व नियंत्रण के आधार पर चार प्रकार की संपत्ति देखी जा सकती है:

1. **सार्वजनिक संपत्ति** (Public Property): संपत्ति पर राज्य का नियंत्रण।
2. **निजी संपत्ति** (Private Property)
3. **सहकारी संपत्ति** (Co-operative Property): जैसे सहकारी समितियां लोगों द्वारा आपसी सहयोग से निर्मित, सभी की बराबर हिस्सेदारी होती है।
4. **निजी-सार्वजनिक संपत्ति** (Public-Private Property): यह वर्तमान समय की अवधारणा है, इसमें निजी तथा सार्वजनिक दोनो क्षेत्रों की भागादारी होती है।

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

आर्थिक संगठन

Notepad

वस्तुओं के उत्पादन, विनियोजन, वितरण तथा उपभोग से संबंधित सभी मानवीय व्यवहारों को आर्थिक संगठन कहते हैं। सभी समाजों में किसी न किसी प्रकार का आर्थिक संगठन अवश्य पाया जाता रहा है।

उत्पादन की प्रक्रिया में निम्न तत्वों पर विचार किया जाता है:

1. भूमि
2. श्रम
3. पूंजी
4. उद्यमी

1. **भूमि:** भूमि का अर्थ कृषि कार्य से संबंधित भूमि तथा उस भूमि से है जिस पर कोई फैक्ट्री खड़ी की जाती है, कभी-कभी भूमि का अर्थ प्राकृतिक संपदा के अर्थ में भी लिया जाता है।
2. **श्रम:** श्रमिकों द्वारा किया गया काम श्रम कहलाता है।
3. **पूंजी:** मशीने व कच्चा माल पूंजी कहलाता है।
4. **उद्यमी:** उद्यमी का अर्थ साहसी से लगाया जाता है, जो कि इस उत्पादन की प्रक्रिया में जोखिम उठाता है, पूंजी लगाता है, उत्पादन करता है।

समाजशास्त्र में प्रथम तीन को ही उत्पादन प्रक्रिया में प्रमुख माना जाता है, चौथे का स्थान गौण माना जाता है, लेकिन फिर भी उद्यमी को अपना अलग महत्व है।

उत्पादन और सामाजिक कारक:

उत्पादन का अर्थ ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करने से हैं जो समाज में मूल्यावान समझी जाती हैं अन्य शब्दों में जो मूल्यवान है वही उत्पाद है।

किसी उत्पाद के दो मूल्य हो सकते हैं:

1. उपयोग मूल्य
2. विनिमय मूल्य

1. **उपयोग मूल्य:** उपयोग मूल्य का तात्पर्य उपयोगिता (utility) से है, जिस वस्तु की उपयोगिता ज्यादा होगी उसका मूल्य भी ज्यादा होगा। ऐसा भी संभव है कि किसी वस्तु की एक समाज में उपयोगिता बहुत ज्यादा है तो किसी समाज में बिल्कुल न हो। इसलिए पहले समाज मे उस वस्तु का उपयोग मूल्य बहुत अधिक होगा तो दूसरे समाज में शून्य। यह बात व्यक्तियों के संदर्भ में भी देखी जा सकती है जैसे धूमपान करने वालों के लिए सिगरेट का उपयोग मूल्य अधिक होगा वहीं धूमपान न करने वालो के लिए सिगरेट का उपयोग मूल्य कुछ भी नहीं होगा।
2. **विनिमय मूल्य:** वस्तु की प्रवृत्ति ऐसी होनी चाहिए जिसका दूसरी वस्तुओं से विनिमय हो सके। जो वस्तु दोनों मूल्यों को समाहित करती है वही समाज का उत्पाद कही जाएगी। वर्तमान समय में बाजारों का विस्तार इतना अधिक हो गया है कि विश्वगांव की बात हो रही है, इसलिए दुनिया भर में इस बात पर सहमति हो गयी है कि कौन सी वस्तु उत्पादन की श्रेणी में आएगी।

यह बात सिर्फ वस्तुओं के संदर्भ में ही सही नहीं है बल्कि सेवाओं के संदर्भ में भी देखी जा सकती है तात्पर्य यह है कि सेवाओं का भी उत्पादन मूल्य व विनिमय मूल्य होता है।

बहुत सी ऐसी सेवाएं है जिन्हें उत्पादन की श्रेणी में नहीं रखा जाता जैसे महिलाओं द्वारा घर में काम-काज करना, यह बात समाज में महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह को दर्शाती है क्योंकि महिलाओं की घरेलू कामकाज की जिम्मेदारी ले लेने से पुरुष चिन्तामुक्त होकर विभिन्न फैक्टरियों में काम करता है।

NET/JRF Manish Singh Sir EC-Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

- **एन.के. बोस ने मुंडा जनजाति का अध्ययन किया,** उन्होंने उत्पादन प्रक्रियाओं से मुंडा व भूमि के संबंध में आनेवाले परिवर्तनो को समझाया है। मुंडा लोग जो झूम खेती करते थे उसे वे **'जरा'** नाम से संबोधित करते थे, जिन जंगलों मे ये रहते थे उसके ये मालिक थे। ब्रिटिश काल से भूमि पर सरकारी नियंत्रण हो गया जिससे इनके और सरकार के बीच एक बिचौलिया (खूंटकट्टीदार) पैदा हो गया, इससे मुंडर लोगों का शोषण बढ़ गया, इससे मुंडाओ में भूमि संबंधी अधिकारो में व्यापक कमी देखी जा सकती है।

Notepad

प्रौद्योगिकी और उत्पादन:

किसी समाज में उत्पादन का स्तर क्या होगा, उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओ की विवधता क्या होगी, ये बाते इस बात पर निर्भर करती हैं कि उत्पादन के लिए किस तरीके की मशीने, औजार, प्रयुक्त किये जा रहे हैं, समाज में तकनीकि संबंधी जानकारी कैसी है, कितने इंजीनियर, तकनीशियन उपलब्ध हैं। यही उत्पादन का प्रौद्योगिकीय पक्ष है। अनुसंधान और विकास से, उच्च तकनीकि में प्रयोग से वस्तुओं की कीमतें गिरी है जिससे कि वस्तुओं की उपलब्धता सामान्य जन तक हो गयी है जैसे टेलीविजन पहले बड़े लोगों के पास होता था अब सब के पास पहुंच चुका है।

उत्पादन को समाज की संरचना, संस्कृति, प्रौद्योगिकी प्रभावित करती है, किसी समाज में उत्पादन का स्तर क्या होगा यह उस समाज में उपलब्ध प्रौद्योगिकी, सामाजिक संबंधो तथा मूल्यों (values) पर निर्भर करता है।

कार्ल मार्क्स के विचार:

- मार्क्स ने कहा कि 'पहली ऐतिहासिक क्रिया भौतिक वस्तुओं का उत्पादन है।" मार्क्स ने अपनी पुस्तक **'ग्रुंडरिज'** में लिखा है कि उत्पादन, वितरण और उपभोग की प्रक्रियाएं आपस में जुड़ी हुयी हैं। उन्होंने आगे बताया कि भौतिक उत्पादन मानवीय समाज का आधार है।
- मार्क्स के अनुसार उत्पादन एक **सामान्य तथा ऐतिहासिक संवर्ग** (category) दोनो हैं।
- मार्क्स ने बताया कि समाज का आधार आर्थिक संरचना है और वह उत्पादन के संबंधो से बनती है। इसी **आर्थिक संरचना** (infrastructure/substructure) पर अन्य सभी **संरचना** (super structure) टिकी रहती है।
- **उत्पादन की शक्तियां:**

मार्क्स ने बतलाया कि उत्पादन की शक्तियों में उत्पादन के साधन तथा श्रम शामिल होता है। उत्पादन के साधन व श्रम से मार्क्स का तात्पर्य उपकरण, मशीन, तकनीकि ज्ञान का स्तर, फैक्ट्रिया, श्रम शक्ति, ज्ञान कौशल, अनुभव तथा अन्य मानवीय योग्यताओं से था। मार्क्स ने आगे बताया कि श्रम शक्ति उपयोगी कार्य करने की ऐसी क्षमता है जो उत्पादो का मूल्य बढ़ा देती है। यहां ध्यान देने योग्य है कि श्रम और श्रम शक्ति में अन्तर होता है, श्रम को किसी कार्य में लगाना श्रमशक्ति है। इसी श्रमशक्ति के लगने से वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है। मार्क्स ने बताया कि पूंजीपति वस्तुओं के बढ़े मूल्य के हिसाब से काफी कम मूल्य श्रमिक को देता है।

उत्पादन के संबंध:

मार्क्स ने बतलाया कि उत्पादन की प्रक्रिया में लगे लोगों के बीच जो आपसी संबंध होता है वही उत्पादन का संबंध है। ये संबंध इस बात पर निर्भर करते हैं कि उत्पादन की शक्तियों के विकास का स्तर तथा प्रकृति क्या है।

ये दो प्रकार के होते हैं:

1. तकनीकि संबंध
2. आर्थिक नियंत्रण के संबंध

इस प्रकार उत्पादन के संबंधो के अंतर्गत उत्पादो पर स्वामित्व रखने की क्षमता भी शामिल होती है। उत्पादन की शक्तियां उत्पादन के संबंधो का निर्धारण करती हैं।

NET JRF Manish Singh Sir PG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

उत्पादन की प्रणाली:

मार्क्स ने बताया कि इतिहास की अवस्थाएं यह बतलाती हैं कि उत्पादन कैसे और किन साधनो से होता था।

उत्पादन की शक्तियां + उत्पादन के संबंध = उत्पादन प्रणाली

Notepad

उत्पादन प्रणालियों के प्रकार:

मार्क्स ने चार प्रकार की उत्पादन प्रणालियों की चर्चा की है:

1. **एशियाटिक उत्पादन प्रणाली:** यह आदिम समुदायों की उत्पादन प्रणाली है, इसमें भूमि पर स्वामित्व सामुदायिक होता था। लेकिन मार्क्स ने इसमें राज्य व उभरते शोषक वर्ग की बात कही है। यह प्रणाली वर्ग विहीन समाज से वर्ग आधारित समाज के बीच की अवस्था है, इसे 'संक्रमण की अवस्था' भी कहा जा सकता है। "भारत में ब्रिटिश शासन भी एशियाटिक शोषण व्यवस्था की वृद्धि था" - मार्क्स।
2. **प्राचीन उत्पादक प्रणाली:** उत्पादन व्यवस्था का आधार दास या, मालिक दास का स्वामी होता था, जो उसके श्रम का उपभोग करता था।
3. **सामन्तवादी उत्पादन प्रणाली:** सामन्तवादी भूमिपति, कृषक मजदूरों का शोषण करता था। मार्क्स व एंजेल्स ने इसे दास समाज व पूंजीवादी समाज के बीच 'मध्य अवस्था' माना है। दास को जनन का अधिकार नही होता था। दास निजी संपत्ति होता था।
4. **पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली:** पूंजीपति, मजदूरों का शोषण करते हैं। मजदूर-मजदूर के बीच संबंध सहकारिता का होता है व पूंजी-पति न मजदूर के बीच संबंध शोषण का होता है। यहाँ मार्क्स ने दो शब्दों का प्रयोग किया है:

1. **बुजुर्आ:** पूंजीपति जो उत्पादन की शक्तियों का स्वामी होता है।
2. **सर्वहारा:** जिसका अपने आप पर भी नियंत्रण नहीं होता।

मैक्स वेबर: मार्क्स के विपरीत इन्होने बताया कि

"विचार और मूल्य ही भौतिक परिस्थितियों का निर्धारण करते हैं। वेबर सन्यासी प्रोटेस्टेंटवाद की चार प्रमुख शाखाओं की अलग-अलग पहचान करते हैं:

1. केल्विनवाद
2. मेथडिज्म
3. पिथेटिज्म
4. वाप्टिस्ट

वेबर ने पाया कि पूंजीवाद का उदय सही अर्थों में केल्विन वादियों में देखा जा सकता है, इसके पीछे का कारण केल्विनवाद की शिक्षाएं रहीं।

केल्विनवाद में बताया गया है कि:

1. ईश्वर का अस्तित्व मनुष्यों के लिए नहीं है बल्कि मनुष्यों का अस्तित्व ईश्वर के लिए है' अत: ईश्वर के बारे में जानने का प्रयास करना मूर्खता है।
2. कुछ थोड़े से लोग ईश्वर की कृपा के लिए चुन लिये गये हैं।
3. जो कुछ मिलना है उसका निर्धारण जन्म से ही हो गया है, अब मेहनत करके कुछ नहीं हो सकता।

वेबर ने बताया कि केल्विनवादियों को यह तो बता दिया गया कि कुछ लोगों का चुनाव हो चुका है लेकिन वे कौन है इसका निर्धारण कैसे हो। आगे चलकर **'अच्छे कार्यों का निष्पादन'** चुनाव का लक्षण बन गया तात्पर्य यह है कि जो अच्छे काम करेंगे, भौतिक जीवन में सफल होंगे, माना जाएगा कि चुने हुये व्यक्तियों में वे हैं। वेबर का मत है कि यही कारण है कि यूरोपीय समाज में अधिकतर उद्योगपति केल्विनवादी हैं।

एमाइल डर्कहाइम (Durkhime)

डर्कहाइम ने अपनी पुस्तक **"डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसायटी"** में पूर्व

NET, JRF Manish Singh Sir LG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

औद्योगिक समाजों और औद्योगिक समाजों में अन्तर किया है। पूर्व औद्योगिक समाजो की एकता के संबंध में डर्कहाइम **यांत्रिक** एकता शब्द का प्रयोग करते हैं और औद्योगिक समाजों की एकता के संदर्भ में **'सावयवी** एकता' शब्द का प्रयोग करते हैं।

Notepad

यांत्रिक एकता की विशेषताएं

1. यह एकता **'समानता की चेतना'** पर आधारित है।
2. श्रम विभाजन एकरूपता पर आधारित तथा कम सामाजिक विभेद पाया जाता है।
3. सदस्यों के विश्वास व मूल्यों में समानता।
4. काफी हद तक भूमिकाओं की समानता।
5. कानून और मानकीय मूल्य प्रतिबंधात्मक प्रकार के होते हैं।
6. अगर समाज के एक हिस्से को हटा भी दिया जाए तो भी शेष समाज पर कोई असर नहीं पड़ता।
7. इस प्रकार की एकता को डर्कहाइम ने **सुई जेनेरिस** माना है जिसका तात्पर्य **स्वतः उत्पत्ति** से है।
8. यह समाज मुख्यतः **कुल (क्लान) से विभाजित था**। कहीं कहीं क्षेत्रीय आधारों पर भी।
9. सापेक्षिक रूप से जनसंख्या का आयतन, **भौतिक घनत्व व नैतिक घनत्व कम।**
10. उच्च आयतन, उच्च तीव्रता, उच्च निश्चितता तथा **पूर्ण रूप से सामूहिक सत्ता।**
11. आर्थिक, धार्मिक, उच्च मूल्यों द्वारा जुड़ा हुआ तथा प्रत्यक्ष व विशिष्ट।
12. अविकसित समाजों में दण्डात्मक कानून का मुख्य उद्देश्य **'सामूहिक चेतना'** के विरुद्ध कार्यों को रोकना तथा समाज को एकता प्रदान करना था।

सावयवी एकता की विशेषताएं:

1. यह एकता **'विभेदों' पर आधारित** होती है। समाज का प्रत्येक हिस्सा एक विशेषीकृत कार्य करता है।
2. समाज के सभी हिस्से एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं इसलिए अगर एक हिस्सा हटा दिया जाए तो सभी पर प्रभाव पड़ेगा।
3. व्यक्तियों को अधिक स्वतंत्रता मिली होती है।
4. **कानून 'क्षतिपूरक' प्रकार** का होता है। जैसे IPC, CRPC संविधान आदि।
5. डर्कहाइम यांत्रिक से सावयवी एकता में परिवर्तन का मूल कारण औद्योगीकरण या उत्पादन प्रणाली को नहीं मानते उनका मानना है कि यह वैसा ही है जैसे जीव सरलता से जटिलता की ओर बढ़ता जाता है।
6. परस्पर अधिक आश्रितता, सामाजिक संबंध अधिक मजबूत।
7. निम्न आयतन, निम्न तीव्रता, निम्न निश्चितता, आत्म प्रयास के अवसरों की अधिकता।
8. धर्म निरपेक्षता, मानवतावादी तथा तार्किकता इस एकता के मुख्य आधार हैं।

- वर्तमान समय की विशेषताएं ही सावयवी एकता की विशेषताएं है, इसलिए सावयवी एकता की विशेषताओं को समझने के लिए वर्तमान समाज की विशेषताओं पर ध्यान देना चाहिए।
- **सामूहिक चेतना: समान विचार, विश्वास, मूल्यों, मान्यताओं, भावनाओं के कारण एकता का अनुभव करना।**
- **दण्डात्मक कानून:** कोई भी गलत कार्य संपूर्ण समाज के संबंध में किये गये गलत कार्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। व्यक्ति को दण्ड, सामूहिक चेतना के विरोध करने के कारण दिया जाता है।
- **क्षतिपूरक कानून:** जिसकी हानि हुयी उसकी क्षति-पूर्ति का अवसर दिया जाता है। वर्तमान समय की कानून व्यवस्था जैसे IPC, CRPC, संविधान आदि।

NET : JRF Manish Singh Sir BG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

यहां एक बात ध्यान देने योग्य है कि श्रम विभाजन को चर्चा में लाने का श्रेय **एडमस्मिथ व रिकार्डो को** जाता है, आगे चलकर उपयोगिता वादियों ने श्रम विभाजन की अवधारणा के विकास में उल्लेखनीय कार्य किया। इन लोगों के बाद डर्कहाइम ने 'श्रम विभाजन' पुस्तक लिखी।

डर्कहाइम ने अपने श्रम विभाजन के सिद्धान्त में बतलाया कि **"जैसे-जैसे मनुष्य विभेदीकरण की ओर बढ़ता जाएगा उसकी दूसरों पर निर्भरता बढ़ती जाएगी।"** इस अर्थ में कहा जा सकता है कि डर्कहाइम ने श्रमविभाजन में दो तथ्यों को देखा है:

1. विभेदीकरण
2. विशेषीकरण

इन दोनों का संबंध आधुनिक समाज या 'सावयवी एकता' से है, पहले श्रम का विभेदीकरण होता है फिर उसका विशेषीकरण इस क्रम में श्रम विभाजन सरलता से जटिलता की ओर बढ़ता जाता है। आधुनिक समाजो या सावयवी एकता के संबंध में डर्कहाइम ने "श्रम को मुख्यत: व्यावसायिक विभेदीकरण" माना है।

डर्कहाइम ने अपने 'श्रम विभाजन सिद्धान्त' को जनसंख्यात्मक आकार में वृद्धि के आधार पर समझाया है, डर्कहाइम इसके संबंध में दो प्रकार के घनत्व का उल्लेख किया है:

1. **भौतिक घनत्व:** प्रति एक वर्ग किमी. में लोगों की संख्या
2. **नैतिक घनत्व:** प्रति एक वर्ग किमी. में सामाजिक संबंधों की संख्या।

जैसे-जैसे जनसंख्या का आयतन बढ़ता जाता है वैसे-वैसे भौतिक घनत्व में भी वृद्धि होती जाती है। भौतिक घनत्व में वृद्धि नैतिक घनत्व में वृद्धि लाती है। चूंकि नैतिक घनत्व सामाजिक संबंधो को बताता है इसलिए इसमें वृद्धि 'प्रबंधन व नियंत्रण की आवश्यकता' को जन्म देती है, जिसके कारण श्रम का विभेदीकरण तथा विशेषीकरण की आवश्यकता पनपती है। यही श्रम विभाजन का आधार है।

- **जार्ज फ्रीडमेन:** पुस्तक "The anatomy of work"
 इन्हें **"डर्कहाइम के आलोचनात्मक सुधारक"** की संज्ञा दी जाती है। इन्होंने श्रम विभाजन के अन्य प्रकार्यो की बात कही जैसे-आर्थिक प्रकार्य, राजनैतिक प्रकार्य, सांस्कृतिक प्रकार्य आदि।
- **बालेस्टीन ने "अंतराष्ट्रीय श्रम विभाजन"** की संकल्पना दी। इन्होंने बताया कि श्रम विभाजन को विकसित व अविकसित राष्ट्रों के बीच भी देखा जा सकता है।
- एडम स्मिथ:
- **रैगनर नर्क्स: "गरीबी का दुश्चक्र"** (vicious cycle of poverty)

नर्क्स ने बताया कि "एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है" (A country is poor because it is poor) तात्पर्य यह है कि गरीबी का कारण गरीबी ही है। इसे समझाने के नर्क्स ने गरीबी के दुश्चक्र का विश्लेषण किया जो निम्नवत हैं।

गरीबी के दुश्चक्र को **आर. केल्डार ने "मिजरी गो राउन्ड"** तथा **गुन्नार मिर्डल ने "चक्रीय संचयी अन्तप्रक्रिया"** कहा।

अब प्रश्न यह उठता है कि इस तरह तो जो राष्ट्र गरीब है वे गरीब ही रह जाएंगे तो इस दुश्चक्र को तोड़ा कैसे जाए। इसके संबंध में **निम्न प्रत्यागम** (approaches) **देखे जा सकते हैं।**

1. **क्रमिक प्रत्यागम** (Gradual approach): इसमें यह बताया गया कि विकास स्वत: व धीरे-धीरे होगा, इसके लिए कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है।
2. **प्रबल धक्के का सिद्धान्त** (Theory of big push): **रोजेस्टीन रोडाँ** ने बताया कि अर्थव्यवस्था में एकबारगी बड़ा निवेश किया जाए। **रेगनर नर्क्स** ने अपेन **"संतुलित विकास के सिद्धान्त"** (Theory of Balanced Growth)में भी यही बात कही।

Notepad

NET JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

लेवेन्स्टीन ने अपने **न्यूनतम क्रान्तिक प्रयास** (Critical minimum effort) के सिद्धान्त तथा **नेल्सन** ने **"निम्न संतुलन पाश"** (Loco level of equibilirium trap) के सिद्धान्त में बताया कि अल्पविकसित देशों में जनसंख्या अधिक तेजी से बढ़ती है लेकिन उत्पादन उस तेजी से नहीं बढ़ पाता, ऐसी स्थिति में देशों की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ने की बजाय पीछे खिंचती जाती है, यह स्थिति इतनी भयानक हो जाती हे कि इन्हें **"संतुलन पाश"** से बाहर नहीं निकलने देती है इसलिए जरूरी है कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक बड़ा निवेश किया जाय।

3. **असंतुलित विकास सिद्धान्तः हर्शमैन**

इन्होंने बतलाया कि अर्थव्यवस्था के किसी एक क्षेत्र में बड़ा निवेश कर दिया जाए तो दूसरे में कम विकास के कारण असंतुलन पैदा हो जाएगा। चूंकि किसी अर्थव्यवस्था में सभी पक्ष एक दूसरे से जुड़े होते हैं इसलिए दूसरे पक्ष का विकास मजबूरीवश हो जाएगा।

जटिल (Complex) **उत्पादन प्रणाली की विशेषताएं:**

1. श्रम की जगह पर पूंजी का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है।
2. उत्पादन की इकाई में परिवार की जगह कारखानो ने ले ली है।
3. ऊर्जा का आधार मानव व पशुओं से हटकर कोयला, भाप, बिजली, आणविक, व पवन, पानी हो गयी है।
4. अब उत्पादन जीविका की जगह लाभ व विनिमय पर आधारित हो गया है।
5. उत्पादन की प्रक्रिया में सहयोग की जगह प्रतिस्पर्द्धा ने ले ली है।
6. श्रम का आधार मानव व पशुओं की जगह मशीनो ने ले ली है।
7. उत्पादन मुद्रा आधारित हो गया है, परिवहन के साधनों के विकास के साथ उत्पादन का वैश्वीकरण हो गया है।
8. विशाल कंपनियों तथा निगमों का जन्म हो गया है जिसका संचालन उद्योगपतियों तथा प्रबंधकों द्वारा चलाया जाता है।
9. श्रम विभाजन अत्यन्त जटिल तथा विशेषीकृत हो गया है, ग्रामीण व कृषक व्यवस्था का स्थान क्रमशः नगर व उद्योगों ने ले लिया है।
10. बाजार इतना विकसित हो गया है कि अब वैश्विक परिप्रेक्ष्य में उत्पादों की गुणवत्ता का मापन होता है यहां तक कि अब विश्व गांव की भी बात होने लगी है।

- **प्रौद्योगिकी** (Technology): कार्य कुशलता, ज्ञान तथा उपयोगी वस्तुएं बनाने एवं उनके प्रयोग कर सकने की क्षमता को प्रौद्योगिकी कहते हैं।

वास्तविक अर्थों में सरल व जटिल समाजों का विभेद प्रौद्योगिकी के स्तर पर ही किया जाता है, प्रौद्योगिकी के आधार पर समाज का विभाजन करने वालों में सर्वप्रथम **एल. एच. मार्गन थे।**

उत्पादन की त्रिक्षेत्रीय अवधारणा:

औद्योगिक अर्थव्यवस्था को उत्पादन की दृष्टि से तीन क्षेत्रों में बांटा जाता है:

प्राथमिक क्षेत्र (Primary Sector): इसमें कृषि व कृषि से संबंधित उद्योगों को रखा जाता है जैसे चीनी मिल, राइस मिल, मत्स्य पशुपालन।

द्वितीयक क्षेत्र (Secondary Sector): या औद्योगिक क्षेत्र है।

तृतीयक क्षेत्र (Tertiary Sector): इसमें सेवा क्षेत्र को रखा जाता है।

वर्तमान समय में राष्ट्र के कुल उत्पादन में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी लगातार घटती जा रही है तथा तृतीयक क्षेत्र की लगातार बढ़ती जा रही है।

वितरण प्रक्रियाएं: वितरण का अर्थ होता है लोगों में वस्तुओं व सेवाओं को बांटना। वितरण व विनिमय पद्धति शब्द का प्रयोग सामान्यतः एक ही अर्थ में होता है।

कार्ल पोलानी ने विनिमय के तीन प्रकारों का उल्लेख किया है:

1. पारस्परिक आदान प्रदान
2. पुनर्वितरण
3. बाजार विनिमय

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

1.**पारस्परिक आदान-प्रदानः**

इसमें दो व्यक्ति या समूह आपस में वस्तुओं व सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। यह आवश्यक नहीं कि दी गयी व ली गयी वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य समान हो। यह दो प्रकार का होता है:

1. सामान्य आदान प्रदान
2. संतुलित आदान प्रदान

2. **पुनर्वितरणः** इसमें पहले वस्तुओं या सेवाओं का एक जगह एकत्रीकरण किया जाता है, फिर उन वस्तुओं यासेवाओं का बंटवारा किया जाता है।
जैसे कि पाटलैच, भारत की कर संरचना।

3. **बाजार विनिमयः** इसमें मांग व पूर्ति के नियमों से वस्तुओं व सेवाओं का विनिमय होता है। मांग व पूर्ति के जरिये किसी वस्तु या सेवा का मूल्य निर्धारित किया जाता है।

Notepad

पाटलैचः

पाटलैच समारोह अमेरिका के उत्तर पश्चिम तट पर बसने वाले इण्डियन्स में पुनर्वितरण का एक तरीका है। इसमें अपने विशेषाधिकारों और धन दौलत का प्रदर्शन बड़े जोर-शोर से किया जाता है। ग्रह निर्माण संबंधी पाटलैच की रस्म बड़ी शानदार होती है। पति पत्नी 10 वर्ष तक घर के लिए कठिन श्रम करते हैं। पाटलैच समारोह के एक वर्ष पहले पत्नी दुकान से फर या कम्बल लेकर अपने कबीले के सदस्यों को उधार देती है। कबीले के सदस्य पाटलैच के समय उन्हें शत-प्रतिशत ब्याज के साथ लौटा देते हैं। पाटलैच के समय अतिथि नये घर में एकत्रित होते हैं। और अपने पद के अनुसार स्थान ग्रहण करते हैं। अतिथियों को उपहार आदि भी दिये जाते हैं। मेजबान को राजनैतिक व सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। मेजबान को रहने के लिए घर मिल जाता है। पत्नी अपने बच्चों व कबीले के लिए सम्मान का पात्र बन जाती है।

- **बाजारः** बाजार से आशय ऐसे स्थान विशेष से होता है, जहाँ क्रेता तथा विक्रेता एक साथ उपस्थित होकर वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय तथा विक्रय संबंधी व्यवहार को क्रियान्वयन करते हैं।

प्रतियोगिता के आधार पर बाजारों का वर्गीकरण किया जाता है। जो निम्न हैं:

1. **पूर्ण प्रतियोगिता** (Perfect Competition): पूर्ण प्रतियोगिता से आशय ऐसी बाजार व्यवस्था से होता है, जहाँ क्रेताओं तथा विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक होती है। अर्थात् वस्तुओं का उत्पादन करने वाली फर्मों की संख्या तथा वस्तुओं की मांग करने वाले लोगों की संख्या अधिक होती हैं ऐसे में कोई क्रेता तथा विक्रेता बाजार में प्रचलित कीमत स्तर को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होते है। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तुओं का उत्पादन समरूप होता है। अतः पूर्ण प्रतियोगिता उपभोक्ता के लिए एक आदर्श बाजार होती है, क्योंकि यहां पर उपभोक्ताओं का किसी प्रकार का शोषण नहीं होता है।

2. **एकाधिकार** (Monopoly): एकाधिकार की अवस्था पूर्ण प्रतियोगिता के विपरीत की अवस्था होती है। अर्थात् एकाधिकार का तात्पर्य किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करने वाली **"एक ही फर्म"** से होता है। एकाधिकारी द्वारा उत्पादित वस्तु पूर्णतया विभेदित होती है, अर्थात् अन्य फर्मो के उत्पाद से भिन्न होती है। एकाधिकारी बाजार व्यवस्था में उपभोक्ताओं का शोषण अत्यधिक होता है। जिसके कारण सामाजिक कल्याण का स्तर नीचा होता है, तथा पूंजीपति वर्ग का वर्चस्व होता है।

नोटः 1. **क्रेताधिकार** (Monopsony): जब वस्तु या साधन बाजार में अकेला क्रेता हो तो उसे क्रेताधिकार कहते हैं।

2. **द्विपक्षीय एकाधिकार** (Bilateral Monopoly): ऐसी स्थिति जिसमें किसी वस्तु का एक ही क्रेता हो तथा एक ही विक्रेता हो उसे द्विपक्षीय एकाधिकार कहते हैं।

NET/JRF Manish Singh Sir PCG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

एकाधिकारी प्रतियोगिता (Monopalistic Competition): एकाधिकारी प्रतियोगिता पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकारी का मिश्रण होता है, अर्थात् वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करने वाली फर्मों की संख्या एकाधिकार की तुलना में अधिक तथा पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में कम होती है। वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन लगभग समरता होता है। अत: उपभोक्ताओं का शोषण अपेक्षाकृत एकाधिकार की तुलना में कम होता है।

अल्पाधिकार (Oligopoly): अल्पाधिकारी बाजार एक ऐसी बाजार है, जिसमें किसी वस्तु तथा सेवा का उत्पादन करने वाली फर्मों की संख्या (2-!4) के बीच होती है। इस बाजार व्यवस्था को **"कुछ के बीच प्रतियोगिता"** (Competitions among few) भी कहते हैं। क्योंकि उत्पादन करने वाली फर्मों की संख्या कम होती है। वस्तुओं का उत्पादन निकटतम समरूप होता है। उपभोक्ताओं की दृष्टि से एक अच्छा बाजार होता है। अल्पाधिकार ही मात्र एक ऐसी बाजार व्यवस्था है जो संसार में वास्तविक रूप से देखने में आती है। अर्थात् इस बाजार में व्यवहारिक सत्यता अधिक पायी जाती है।

अल्पाधिकार के अंतर्गत दो प्रकार की बाजार पायी जाती हैं:

1. **शुद्ध अल्पाधिकार** (Pure Oligopoly): जब फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुएं पूर्णतया समान हो तो ऐसे बाजार को शुद्ध अल्पाधिकारी बाजार कहते हैं।
2. **द्वयाधिकार** (Duopoly): जब किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करने वाली फर्मों की संख्या दो होती है, तो उसे द्वयाधिकार कहते हैं।

उपभोग:

मानव के क्रियाकलापों में उपभोग एक मुख्य तत्व है। इसका संबंध जीवन-निर्वाह के लिए उपयोगी वस्तुओं और सेवाओं के प्रयोग के सभी चरणों से है। जब हम खाना खा रहे होते हैं, बिस्तर पर सो रहे होते हैं, डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं या विद्यालय जाते हैं, तो इसका अर्थ यह होता है कि हम उपभोग कर रहे हैं। लेकिन उपभोग के अन्य पक्ष भी हैं। किसी वस्तु विशेष और सेवा विशेष का चुनना भी उपभोग की प्रक्रिया का एक अंग है। उपभोग की वस्तुओं की जानकारी प्राप्त करना, लेन-देन में भागीदार बनना और उन्हें पाने के निर्णय लेना आदि कार्य भी, इसमें शामिल होते हैं। अत: यह कहा जा सकता है कि उत्पादन में उपभोग अंतर्निहित होता है, जैसे आपके पाठ्यक्रम की इस इकाई के उत्पादन में सफेद कागज की अनेक पत्रों की खपत हुई है या उनका प्रयोग किया गया है। इसी तरह उत्पादन कार्य में अपनी ऊर्जा शक्ति को बनाए रखने के लिए श्रमिक का भोजन करना भी उपभोग ही है।

उपभोग का उत्पादन के साथ संबंध:

मानव समाजों में उपभोग एक आम बात है। कभी-कभी हमारी आर्थिक प्रणाली में वस्तुओं का उत्पादन करने के बाद उसकी बहुत बड़ी मात्रा नष्ट हो जाती है। ऐसा उपभोग-प्रक्रिया में कमजोरियों के कारण होता है। इस प्रकार के उपभोग के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को न केवल कम संतोष मिलता है, बल्कि इससे उत्पादन के संसाधनों का दुरुपयोग भी होता है।

जिस उपभोग से उपभोक्ताओं को संतोष नहीं मिलता, उससे समाज में ऐसे व्यक्ति पैदा होते हैं, जिनमें ऊर्जा (शक्ति) की कमी होती है और उसके फलस्वरूप उनमें कार्य करने की इच्छा का अभाव होता है। जबकि उत्पादन की उस प्रक्रिया में, जिसमें उत्पादित वस्तुओं का क्षय नहीं होता, उपभोक्ताओं की अधिक संतोष मिलने की संभावना रहती है। इसके परिणामस्वरूप, अपेक्षाकृत अधिक स्वस्थ व्यक्ति उत्पन्न होंगे, जो समाज में उत्पादन प्रक्रिया में और अच्छी तरह से भाग ले सकेंगे। इस अर्थ में उपभोग का उत्पादन के साथ बहुत निकट का संपर्क है।

उपभोग का सामाजिक पक्ष:

उपभोग का संबंध केवल व्यक्ति से ही नहीं है, वरन् इसका एक महत्वपूर्ण

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

सामाजिक पक्ष भी है। उदाहरण के लिए, हम जिस किसी भी वस्तु का उपभोग करें, वह दूसरों के द्वारा किए गए उपभोग का परिणाम होता है। हम अक्सर दूसरों की नकल करते हैं, क्योंकि हमें कभी-कभी पता ही नहीं चल पाता कि हम किस वस्तु का उपभोग करें या फिर कभी-कभी हम अपने उपभोग में किन्हीं वस्तुओं के अभाव को जाहिर नहीं होने देना चाहते हैं। उपभोग की समस्या का संबंध समाज द्वारा निर्मित उत्पादों के अंतिम प्रयोजन से है और कितना उपभोग हुआ, इसका संबंध बचत से होता है? यह भी देखा जाता है कि यदि समाज में उपभोग जग-दिखावे के लिए हो तो उसका रूप क्या होता है? बचाई गई राशि का क्या और कैसे निवेश या संग्रह किया जाता है? उपभोग से जुड़े हुए ये बुनियादी मुद्दे हैं।

Notepad

अवधारणाओं की परिभाषा:

सामान्यत: उपभोक्ता को संतोष प्रदान करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं के उपयोग को उपभोग (खपत) कहते हैं। उपभोग में एक तत्व चयन का होता है-किन्हीं विशेष वस्तुओं और सेवाओं का चयन। उपभोग में एक तत्व उपयोग का होता है-जीवन निर्वाह के लिए भिन्न-भिन्न वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग। उपभोग में एक तत्व कुछ प्राप्त करने का होता है-इसे हम संतोष या उपयोगिता कह सकते हैं। इस प्रकार, उपभोग में उपभोक्ता को संतोष या उपयोगिता प्रदान करने के लिए चुनी हुई वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग किया जाता है।

इस दृष्टि से उपभोग की तुलना उत्पादन से की जा सकती है-केवल उत्पादन की प्रकृति भिन्न होती है। जब उत्पादक कार्यों से उत्पादन वास्तविक वस्तुओं या सेवाओं के बराबर हो, तो उपभोग का उत्पादन भी संतोष की इकाई के बराबर होता है। उपभोक्ता की परिभाषा उस व्यक्तिगत मानव के रूप में की गई है, जो संतोष पाने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है। प्राय: उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का चयन पारिवारिक इकाई के अंदर ही किया जाता है और चयन की उस रीति के अनुसार व्यक्तिगत सदस्य उपभोग करते हैं।

उपभोग का क्षेत्र: उपभोक्ताओं के चार प्रकार होते है।

1. घर या परिवार
2. राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर सरकारी एजेंसियां
3. निर्माता और व्यापारिक प्रतिष्ठान
4. गैर-लाभकारी संगठन (निजी स्कूल, अस्पताल, धार्मिक संगठन)।

उपभोग का स्तर:

1. जीवन स्तर-उन सभी मदो का कुल योग होता है जो जीवन स्तर को बनाते है।
2. उपभोग के मानदण्ड
3. जीवन के मानदण्ड

उपभोग पर (plane) की अपेक्षा जीवन के स्तर (level) की अवधारणा अधिक व्यापक है।

पूर्व औद्योगिक समाजों में उपभोग का स्वरूप:

समाजशास्त्री और मानव विज्ञानविदो ने विश्व व्यवस्थाओं का वर्गीकरण पांच प्रकार से किया है:

1. शिकार खेलना और खाद्य संग्रहण करना
2. पशुपालन
3. बागवानी
4. कृषि और
5. कारखाना उद्योग

उपरोक्त चार प्रणालियों में नातेदारों के आधार पर उपयोग और उत्पादन होता था। यानि उत्पादन और उपभोग के लिए परिवार एक मूल ईकाई होती है। औद्योगिक समाजों

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

में उपभोग और उत्पादन दोनों अलग-अलग इकाइयां अस्तित्व में होती है। औद्योगिक समाजों में उपभोग को प्रभावित करने वाले कारकों में निम्नलिखित प्रमुख है।

1. चयन में विविधता, 2. आमदनी, 3. परिवार का आकार, 4. वस्तुओं की उपलब्धता, 5. क्रय विक्रय की रीतियां, 6. उपभोक्ता की साक्षरता।

आधुनिक औद्योगिक समाज में परिवार का उपभोग पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि इसमें परिवार के अधिकांश उपभोक्ता शामिल होते है। औद्योगिक समाज में परिवार के आकार और उपभोग के अनुपात के बीच सीधा संबंध होता है।

मार्क्स ने लिखा है कि उत्पादन के ऐशियाई विधि में एक ऐसे राज्य की संभावना अंतर्निहित थी, जिसमें विरोधी वर्ग नही थे। मार्क्स ने यह भी उल्लेख किया है कि एशियाई उत्पादन विधि सामुदायिक भूमि-स्वामित्व पर आधारित थी। यह एशियाई उत्पादन पद्धति के ठहराव का प्रमुख कारण था। मार्क्स इस बात का उल्लेख करते हैं। पश्चिमी में उद्भूत पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपति वर्ग को अधिकतम लाभ कामगारों द्वारा सृजित अतिरिक्त मूल्यों से ही प्राप्त होता है।

इस प्रकार मैक्स वेबर ने पूंजीवाद के विकास में प्रोटेस्टैण्ट धर्म के आचारों को उत्तरदायी माना है। यानि **इस आर्थिकेत्तर (धर्म) कारण से ही आर्थिक व्यवहार प्रतिमान प्रभावित होते हैं।**

नियंत्रित अर्थव्यवस्था (Controlled Economy):

नियंत्रित अर्थव्यवस्था **नियोजित अर्थव्यवस्था** भी कहलाती है। इसमें भूमि, पूंजी तथा उत्पादक उपक्रमों पर समाज या सरकार का नियंत्रण होता है। नियंत्रित अर्थव्यवस्था व्यक्ति की बजाय समाज हित में कार्य करती है। इस व्यवस्था में वस्तु का उत्पादन तथा उत्पादित मात्रा का निर्धारण सरकार द्वारा होता है। वस्तुओं के सामूहिक रूप से उत्पादन हेतु सरकार द्वारा योजना बनायी जाती है। सरकार आर्थिक विकास की दर तय करती है। सरकार ही यह निर्धारित करती है कि कितनी मात्रा में उपभोक्ता वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा।

बाजार मुक्त अर्थव्यवस्था: इस अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति का नियम बाजार पर प्रभावी होता है तथा वस्तुओं का विनिमय मुद्रा द्वारा होता है। इस व्यवस्था में बाजार में उत्पादों पर एकाधिकार हेतु प्रतिस्पर्धा पायी जाती है जिसमें वस्तुओं के विज्ञापन एवं गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

वस्तु विनिमय एवं उत्सवी विनिमय: जनजातियों में उपहार, विनिमय एवं व्यापार के द्वारा वस्तुओं का आदान-प्रदान होता है। उपहारों का उद्देश्य उत्पादन के वितरण द्वारा व्यक्तिगत् एवं सामूहिक संबंधों को स्थायित्व देना होता है। लघु समाजों में उपहारों में मोल भाव नहीं होता जो कुछ यिा जाता है उसे विनम्रतापूर्वक स्वीकार कर लिया जाता है। उपहार की वस्तुएं दैनिक उपभोग की वस्तुओं से भिन्न होती है। छोटे समाजों में औपचारिक उपहार में कीमती वस्तुएं दी जाती है और कभी-कभी इनकी उपयोगिता केवल यही होती है कि उन वस्तुओं को पुन: उपहार के बदले किसी और को दे दिया जाता है।

पिडिंगटन: उपहार पारस्परिकता का सिद्धान्त देखते हैं जिसमें सेवा की वस्तुएं पाने वाले का यह दायित्व हो जाता है कि वह देने वाले को लगभग उतनी ही सेवा या वस्तुएं पुन: लौटाए।

लॉबोला: इस प्रथा में वर पक्ष की ओर से वधू पक्ष को भेंड़े, कम्बल एवं पशु आदि दिए जाते हैं। यदि लॉबोला देने वाला व्यक्ति अक्षम होता है तो उस व्यक्ति के रिश्तेदार लाबेला जुटाने में उसकी मदद करते हैं। वधू पक्ष भी संपूर्ण लॉबेला को अपने पास नहीं रखता वरन् उसे अपने रिश्तेदारों में वितरित कर देता है।

अफ्रीका की जूनी जनजाति में उपहारों की प्रवृति एक तरफ होती है। **ट्रोबियण्ड द्वीपवासियों** में भी भाई खेती आदि के द्वारा उत्पन्न वस्तुओं को समारोहात्मक रूप में **याम** (एक प्रकार का झोपड़ा जिसमें बहन को दी जाने वाली वस्तुएं रखी जाती है।) बनाकर गांव वालों की सकारात्मक या नकारात्मक अभिव्यक्ति जानने के लिए बुलाता है।

Notepad

NET JRF Manish Singh Sir PG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

माओरी जनजाति में मुखिया दूसरे व्यक्तियों से उपहार मांग भी सकता है जिसे न देने पर अनिष्ट की आशंका रहती है।

दुर्खीम के समर्थक **मार्शल मौस** ने सरल समाजों में उपहार के महत्व को बताने के लिए **'कुला'** और पाटलैच का उदाहरण दिया है।

पाटलैच: यह प्रथा अमरीका की उत्तरी पश्चिम तट की जनजातियों में अलास्का और ब्रिटिश कोलम्बिया में निवास करने वाली चार जनजातियों-**हैडा, लिंगित शिमसिपन और क्याक्विटल** में पाया जाता है। पाटलैच एक भोज होता है जिसमें अपने संबंधियों और विरोधियों को भी बुलाया जाता है। भोज में लोगों के खूब खिलाया पिलाया जाता है। वस्तुएं नष्ट की जाती है और लोगों में बांटी जाती है। इस प्रकार से अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ायी जाती है। जनजाति के पौटलैच कई प्रकार के होते हैं। जैसे-दाह संस्कार पाटलैच, गृह निर्माण पाटलैच, मुंह छिपाने के लिए दिया गया पाटलैच, बदला लेने के लिए दिया गया पाटलैच।

मौस उपहार को विखण्डित समाजों में समस्त समूहों को एकता के सूत्र में पिरोने का माध्यम मानते हैं। मेलेशिया के कुछ भागों, दक्षिणी नील घाटी की भण्डारी जनजात में भी पाटलैच पाया जाता है।

कुला: कुला उपहार विनिमय की विख्यात प्रथा है जिसका सर्वप्रथम विस्तृत वर्णन **मैलिनोवस्की** ने किया जो मेलेशिया और आस्ट्रेलिया में प्रचलित कई व्यवस्थाओं के समान है। यह प्रथा न्यूगिनी ट्रोवियण्ड द्वीप एम्पकेट द्वीप, कोयले द्वीप ,तथा डोबू में पायी जाती है। कुला आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांसारिक, जादुई एवं धार्मिक मूल्य मात्राएं व मनोरंजन भी जुड़े हुए हैं।

कुला प्रथा में प्रत्येक समक्ष व्यक्ति शंक के आभूषणों द्वारा दूसरे लोगों से विनिमय का साझा स्थापित करता है ये आभूषण दो प्रकार के होते हैं: लाल शंख का हार जिसे **'सौलवा'** कहा जाता है तथा श्वेत शंख का बाजूबंद जिसे **म्वाली** कहते हैं। दो पक्षों में इन वस्तुओं का आदान-प्रदान दोनों पक्षों के मिलने पर एक साथ नहीं होता वरन् जिसकी बारी होती है वह देता है और उसका प्रतिदिन उसी समय न देकर अगली भेट में दिया जाता है। सौलवा सदैव घड़ी के कांटे के क्रम में दिया जाता है। कुल की वस्तुएं विशेष कीमती नहीं होती फिर भी उनहें रखने पर एक समुदाय की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है इसे प्राप्त करना गौरव समझा जाता है।

वासी: मैलेनोवस्की ने कुला के समान वासी प्रथा का उल्लेख किया है। ट्रोविमण्डा द्वीप के भीतरी भागों में बसे गांव और तटीय गांवों में वस्तु विनिमय का तरीका का वासी कहलाता है। तटीय गांवों में रहने वालों को द्वीप के भीतर जाकर खेती करने की स्वीकृति नहीं है और भीतरी गांवों को समुद्र के किनारे जाकर मछली मारने की इजाजत नहीं है। फसल के समय भीतरी गांव वाले अपने तटीय सभी के लिए याम एक प्रकार की फसल लाते हैं और उसके घर के सामने ढेर लगा देते हैं। तटीय गांव के निवासी इसके बदले में उसे मछलियां देते है। याम और मछलियों को अपने अपने समूहों में बाटा जाता है। बांटे जाने वाले याम को **सगाली** कहते हैं। वासी के संबंध परंपरागत् होते हैं।

गिमवाली: यह मुद्रा रहित विनिमय है जिसमें बाजार में सौदेबाजी होती है। एक व्यक्ति अपने कुला साझेदार से नियमावली संबंध नहीं रख सकता। कुला में प्रतिष्ठा की व्सतुओं का आदान-प्रदान होता है। जबकि गिमवाली में घर गृहस्थी की छोटी-मोटी वस्तुओं का। मिगमवाली से संबंधित एक अन्य प्रकार का विनिमय जो बड़ी महत्वपूर्ण वस्तुओं का होता है उसे **'लागा'** कहते है। यदि छोटै सूअर के बदले भोजन या छोटी-मोटी चीजें प्राप्त की जाती है तो वह गिमवाली कहलायेगा लेकिन बड़े सूअर के बदले महत्वपूर्ण वस्तुएं खरीदते हैं तो 'लागा' कहलाएगा। बगीचे की भूमि का हस्तान्तरण भी लागा है। लागा एक सांस्कारिक खरीद भी है।

पोकाला: जब कोई व्यक्ति अपने मुखिया को वस्तुएं भेंट करता है तो उसे पोकाला कहते हैं। मुखिया इस भेंट के प्रतिदिन में राजनीतिक एवं धार्मिक सेवाएं प्रदान कर

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir PG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

सकता है और नहीं भी कर सकता है।

मुखिया द्वारा प्रदत्त भेंट को **येवला** कहते हैं। यद्यपि ये वस्तुएं मूल्यहीन होती है लेकिन प्रतिष्ठा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण होती है।

कुला में प्राप्त होने वाली सांस्कृतिक महत्वपूर्ण की वस्तुएं **उरीगूबू प्रथा** द्वारा विभिन्न व्यक्तियों में हस्तांतरिक कर दी जाती है। ट्रोवियण्डा द्वीप के निवासी वर्ष में एक बार भाई अपनी बहन के पति को लगभग तीन चौथाई फसल भेंट करता है, उसे उरीगूबू कहते हैं।

गिमाए: साल्वरी ने न्यूगिनी पहाड़ियों की **सियान जाति** में एक भिन्न प्रकार के विनिमय का उल्लेख है। विभिन्न स्वायत्त समूहों के बीच सूअर, शंख के आभूषण और सुन्दर पंखों वाले पक्षियों का विनिमय होता है जिसे 'गिमाए' कहते है बन्धुओं व पड़ोसियों के साथ कम कीमत की चीजों का दैनिक जीवन के दौरान आदान-प्रदान किया जाता है जिसे उमाए कहते हैं।

मूक विनिमय: लंका की बेड़डा तथा उत्तर प्रदेश की राजनी लोगों के मूक अदला-बदली पायी जाती हैं ये लोग रात्रि के अंधकार में एक स्थान पर अपने द्वारा उत्पादित वस्तुएं रख जाते हैं और उसके बदले जिन्हें जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है उसका संकेत छोड़ जाते हैं। दूसरा समूह संकेत के अनुसार वस्तुएं रखकर अपने जरूरत की वस्तुएं ले लेता है। पहले वाला समूह दूसरे दिन आकर रखी हुई वस्तुओं को ले जाता है। इसे हम **'शानत व्यापार'** भी कहते हैं।

अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी तट पर निवास करने वाले आदिवासियों से कर्ममिनियन व्यापारी भी मूक व्यापार करते हैं। वे तट पर वस्तुएं रखकर आग जला देते हैं। धुआं देखकर आदिवासी लोग आते है और अपनी आवश्यकता की वस्तुएं लेकर बदले में सोना रख देते हैं। कुछ समय बाद काथागिनीयमन लोग आकर सोना ले जाते हैं।
बुशमैन वस्तु विनिमय को **सचापेरा** कहते हैं।

पूंजीवादी अर्थव्यवस्था:

आगर्वन और निमकॉक के अनुसार, "पूंजीवाद से तात्पर्य उस व्यवस्था से है जिसमें पूंजी का अर्थ मुद्रा से लगाया जाता है किन्तु जो वास्तव में उत्पादन के साधनों को पूंजी के रूप में अपने सम्मिलित किए हुए हैं।

पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं:

1. बड़े पैमाने पर उत्पादन, 2. श्रम विभाजन , 3. एकाधिकार की प्रवृत्ति, 4. प्रतियोगिता, 5. व्यक्तिगत् संपत्ति, 6. शोषण, 7. अधिकाधिक लाभ, 8. बैंक द्रव्य एवं साख।

समाजवाद (Socialisms)

समाजवाद का उद्भव पूंजीवाद एवं व्यक्तिगत संपत्ति के विरोध में हुआ। समाजवाद में मजदूरों के संगठन तथा उत्पादन एवं यातायात के साधनों पर राष्ट्र के स्वामित्व का समर्थन किया जाता है आधुनिक वैज्ञानिक समाजवाद के **प्रणेता कार्ल मार्क्स** हैं।
समाजवाद की परिभाषाएं

रैम्स मैकडोनाल्ड के अनुसार - साधारण रूप से समाजवाद की उपर्युक्त परिभाषा यह है कि वह समाज की भौतिक एवं आर्थिक शक्तियों के संगठन तथा उन पर मानवीय शक्तियों के नियंत्रण की व्यवस्था है।

समाजवाद के मूलभूत तत्व

1. वैयक्तिक संपत्ति का अंत,
2. उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर समाज का नियंत्रण,
3. शोषण का अंत,
4. वर्ग भेद की समाप्ति।

Notepad

NET JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

समाजवाद की विशेषताएं

1. समाजवाद में व्यक्ति एवं वैयक्तिक स्वार्थ की अपेक्षा **समाज और सामूहिक हित को अधिक महत्व** दिया जाता है।
2. समाजवादी उत्पादन एवं संचार के साधनों पर **समाज अथवा राज्य का नियंत्रण** चाहते हैं।
3. समाजवाद में देश में **धन का न्यायोचित वितरण** चाहता है।
4. समाजवाद व्यक्तिगत लाभ के स्थान पर **सामूहिक लाभ** पर जोर देता है।
5. समाजवाद में **शोषण की समाप्ति** पर जोर दिया जाता है।
6. समाजवाद गरीब एवं अमीर के बीच खाई को पाटकर **आर्थिक समानता** लाना तथा **विषमता कम करना** चाहता है।
7. समाजवाद प्रतियोगिता एवं संघर्ष के स्थान पर **सहयोग तथा श्रमिकों एवं पूंजीपतियों के पारस्परिक सहयोग** पर जोर देता है।

सी.एम. जोड के अनुसार: समाजवाद एक ऐसे टोपे के समान है जिसकी आकृति बिगड़ चुकी है क्योंकि हर व्यक्ति इसे पहनता है।

समाजवाद के प्रकार:

1. श्रेणी समाजवाद, 2. प्रजातांत्रिक समाजवाद, 3. राज्य सरकार, 4. सहकारी समाजवाद, 5. फेबियनवाद, 6. श्रम संघवाद।

साम्यवाद (Communism)

मार्क्स के अनुसार, "समाजवाद साम्यवाद की प्रथम पीढ़ी है। यह उसकी मंजिल के आधे रास्ते पर है तथा साम्यवाद अपने उद्देश्यों में सजावाद से कहीं अधिक उग्र तथा आगे है।" समाजवाद, साम्यवाद का एक रूप है। स्थानीय भिन्नता के बावजूद भी कुछ ऐसी विशेषताएं है जिसे सभी साम्यवादी स्वीकार करते हैं जैसे सभी साम्यवादी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर बल देते हैं। साम्यवाद समाज की वह व्यवस्था है जहां पर राज्य और वर्गों की अनुपस्थिति हो तथा उत्पादन के समस्त साधनों पर समाज का नियंत्रण हो। साम्यवाद में प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त होगी तथा प्रत्येक व्यक्ति को उसके कार्य और योग्यतानुसार पारिश्रमिक मिलेगा।

साम्यवादी घोषणापत्र के अनुसार, "साम्यवाद अपने शाब्दिक अर्थ में क्रांतिकारी प्रणाली का सिद्धान्त है। वह उन सिद्धान्तों का प्रतिपादन करता है जिनके आधार पर पूंजीवाद को साम्यवाद में बदला जा सकता है।" इसके दो महत्वपूर्ण सिद्धान्त है: वर्ग संघर्ष तथा सर्वहारा वर्ग द्वारा क्रांति जिसका तात्पर्य हिंसात्मक मार्ग का अनुसरण करके सत्ता प्राप्ति है।

पूंजीवाद एवं साम्यवाद में अंतर (Distintion Between Capitalism and Communism)**:**

1. पूंजीवादी व्यवस्था व्यक्तिवादी और साम्यवादी समष्टिवादी विचारधारा है।
2. पूंजीवादी में व्यक्ति का आर्थिक शोषण होता है, किन्तु साम्यवाद में नहीं।
3. पूंजीवाद व्यक्तिगत संपत्ति में विश्वास करता है जबकि साम्यवाद सामाजिक या राज्य की संपत्ति में।
4. पूंजीवाद में संपत्ति का हस्तांतरण पिता से पुत्र का होता है जबकि साम्यवाद में संपत्ति पैतृक न होकर समाज की होती है।
5. पूंजीवाद में उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर व्यक्ति का अधिकार होता है जबकि साम्यवाद में राज्य का।
6. पूंजीवाद में वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति के आधार पर तय होती है जबकि साम्यवाद में राज्य के द्वारा।
7. पूंजीवाद में उत्पादन में संपत्ति एवं धन को अधिक महत्व दिया जाता है जबकि साम्यवाद में राज्य के द्वारा।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

8. पूंजीवाद वर्ग संघर्ष को जन्म देता है जबकि साम्यवाद वर्ग सहयोग को।
9. पूंजीवाद बड़ी मात्रा में उत्पादन पर बल देता है जबकि साम्यवाद आवश्यकतानुसार उत्पादन पर।
10. पूंजीवाद में अधिकाधिक लाभ कमाना ही उत्पादकों का उद्देश्य होता है जबकि साम्यवाद में उत्पादन या उद्देश्य सामाजिक कल्याण होता है।
11. पूंजीवाद व्यक्ति की आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का पक्षधार है जबकि साम्यवाद व्यक्ति की सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं पर राज्य का नियंत्रण चाहता है।
12. पूंजीवाद में आय का समान वितरण नहीं होता अत: आर्थिक विषमता पनपती है जबकि साम्यवाद में आय के समान वितरण के कारण आर्थिक समानता रहती है।

Notepad

वैश्वीकरण (Globalization)

संचार साधनों में वृद्धि, सूचना प्रौद्योगिकी, आवागमन के साधनों के द्वारा सामाजिक संबंधों के गहरे प्रभाव और घनिष्ठता को समाजशास्त्री वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण एक अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक सूत्र में बाँधने की प्रक्रिया।

विश्व व्यवस्था का सिद्धान्त वैश्वी आर्थिक परस्परता का अध्ययन करता है। वैश्वी सिद्धान्त वेत्ताओं का मत है कि इनमें दो प्रक्रिया साथ-साथ चलती है।

1. सजातीयकरण 2. विशिष्टीकरण

यदि 1980 के दशक में यूरोप और अमेरिका में उत्तर-आधुनिक अवधारणा का रहा तो 1990 का दशक वैश्वीकरण का है। **एन्थोनी गिडेन्स** ने **"दि कान्सीक्यून्स ऑफ मार्डरनिटी"** में वैश्वीकरण की व्याख्या में समय व स्थान को सामाजिक जीवन में नये सिरे से परिभाषित किया। गिडेन्स इसे **समय-स्थान दूरीकरण** कहते हैं।

डी. हार्वे ने **"दि कन्डीशन ऑफ पोस्ट मार्डनिटी"** में गिडेन्स के समय व स्थान की अवधारणा को आगे बढ़ा हुए लिखा है कि समय और स्थान में हमेशा निरन्तरता नहीं रहती। **वेलरस्टेट** ने **"हिस्टोरिकल कैपेटिलिज्म"** में कहा कि पूँजीवाद अनिवार्य रूप से वैश्वीय है। **रोजेनाऊ** ने लिखा है कि आज दुनिया में जो पारस्परिक, आत्मनिर्भरता है इसका कारण तकनीकी तंत्र है।

गिलपीन ने **"दि पोलिटिकल इकानामी ऑफ इन्टरनेशसनल रिलेशन"** में वैश्वीकरण को राजनीतिक कारकों की पैदाइश माना। **गिडेन्स** ने वैश्वीकरण का विश्लेषण चार कारकों के माध्यम से किया:

1. पूँजीवाद, 2. अन्तर्राज्य व्यवस्था, 3. सैन्यवाद, 4. उद्योगवाद।

मेलकॉम वार्टस की पुस्तक ग्लोबलाइजेशन में पहली बार वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग किया। राबर्टसन ने इस अवधारणा को पहली बार समाजशास्त्र में स्थापित किया। विश्व गाँव की अवधारणा मार्शल मेक्लूहान ने प्रस्तुत की है।

वैश्वीकरण के प्रमुख लक्षण:

1. दुनिया एक शांपिंग काम्पलेक्स (आर्थिक वैश्वीकरण)
2. विश्व व्यापार
3. अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन
4. बहुराष्ट्रीय उद्योग
5. प्रवासीय श्रमिक
6. वर्गों का अन्तर्राष्ट्रीयकरण

मेलकॉम वाटर्स ने 'ग्लोबलाइजेशन' नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी।

ससकिया ससेन ने **विश्वनगर** की अवधारणा का पहली बार का उल्लेख **"दि ग्लोबल सिटी"** में किया। विश्व नगर का तात्पर्य उन नगरों से है जो बहुराष्ट्रीय निगमों, वित्तीय संगठनों परामर्शदाताओं के मुख्यालय हैं। **बेल-स्टेट** वैश्वीकरण की व्याख्या पूँजीवाद के संदर्भ में करते हैं। **रोजनाऊ** तकनीकि तंत्र के साथ करते हैं और **गिलपीन** वैश्वीकरण को शक्ति व राजनीति के साथ जोड़ते हैं। **मेलकान वार्टन** ने वैश्वीकरण के दो लक्षणों का उल्लेख किया है:

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

1. आर्थिक, 2. सामाजिक-सांस्कृतिक।

वेन डर पील ने मार्क्स की वर्ग व्यवस्था का विश्लेषण वैश्वीकरण के संदर्भ में किया है। पील के अनुसार अब पूँजीवाद अंतर्राष्ट्रीय हो गया है और इसके परिणामस्वरूप वर्गों का रूपान्तरण भी होगा। **केसेल्स** ने वैश्वीय अर्थव्यवस्था में दो तथ्य रखे हैं:

- वैश्वीकरण की अनिवार्य पूँजीवादी।
- वर्ग जैसी कोई बात नहीं।

केसेल्स का तर्क है कि जिसे हम पूँजीवादी संरचना कहते हैं इसका आधार सूचना तंत्र है।

केसेल्स आर्थिक प्रक्रिया के 3 पहलू स्पष्ट किये हैं - 1. निजीकरण, 2. उदारीकरण, 3. बौद्धिक संपदा अधिकार।

भारतीय संदर्भ में ए. आर. बागची कहते हैं वैश्वीकरण की तीव्र गति ने संपूर्ण मेक्रोइकोनामिक्स का संतुलन बिगाड़ दिया।

हेल्ड ने **पोलिटिकल थ्योरी टुडे** में कहा कि इस वैश्वीकरण ने ही राष्ट्र-राज्य की अवधारणा रखी।

वैश्वीकरण के तत्व:

1. पूंजीवाद, 2. शान्ति की राजनीति और 3. तकनीकी।

- **रोजनाऊ** ने लिखा है कि आज दुनिया में जो पारस्परिक अंतरनिर्भरता है। इसका कारण आधुनिकता है।
- **रोजनाऊ** ने उत्तर-आधुनिक राजनीतिक की अवधारणा दी।
- **गिलपिन** ने लिखा है कि वैश्वीकरण राजनीतिक कारकों को उपज/पैदाइश है। आपने **नेशनस्ट्रीट** की अवधारणा पस्तुत की।

 गिलपिन ने वैश्वीकरण के चार प्रमुख कारक हैं:

 1. व्यवस्था, 2. सैन्यवाद, 3. उद्योगवाद, 4. पूंजीवाद।
- **रोबर्स्टन** ने लिखा है कि वैश्वीकरण में सार्वभौमिकता और अस्थायित्वता दिखायी देती है।
- **ऐनी और रोबर्स्टन** ने पहली बार समाजशास्त्र में **ग्लोबलाइजेशन** की अवधारणा प्रस्तुत की अर्थात वैश्वीकरण। इन्हें **वैश्वीकरण का जनक कहा** जाता है। **विश्व गाँव की अवधारणा के प्रणेता मार्शल मैक़लूहान हैं**। आपने **इलेक्ट्रानिक संचार** की अवधारणा प्रतिपादित की।
- **ससकिया ससेन** ने **विश्व नगर** की अवधारणा प्रस्तुत की।

 मार्शल ने **क्लास, सिटिजनशिप एण्ड डेवलपमेंट** में कहा कि नागरिक अधिकार सिर्फ कानूनी नहीं, अपितु वैश्वीकरण का राजनीतिक पहलू है। **नैल** का कहना है कि वैश्वीकरण ने हमें एक ऐसी अंधेरी गली में छोड़ दिया, जहाँ हमारी साँस रूक गई। इसे नैल **वैश्वीकरण का संत्रास कहते हैं।**

फूकोयामा और हन्टीगंटन ने वैश्वीकरण के परिणामों में लिखते हैं कि दुनिया में एक साझा राजनीतिक संस्कृति का उद्भव हो रहा है। थियोडर लेविट ने सांस्कृतिक निगमों की इस अनुकूलता की प्रकृति का विवरण दिया। इसे आप **एथनिसिटी का वैश्वीकरण** कहा है। आज वैश्वीकरण जिस संस्कृति को देश-विदेश में ले जाती है वह वस्तुत: एक धर्मनिरपेक्ष/सेक्युलर संस्कृति है।

वैश्वीकरण बराबर दो तथ्यों पर जोर देता है:

- एक तो एथनिसिटी
- राष्ट्रीयता।

यूरोप और अमेरिका में आधुनिकता और प्रजातंत्र ने जिस संस्कृति को विकसित किया वह वस्तु: सर्वदेशीय संस्कृति है।

भारत में वैश्वीकरण का प्रारंभ 1991 में प्रारंभ हुआ। अर्थव्यवस्था की विशेषता यह है कि यह अपने रूप में संघीय बाजार अर्थ-व्यवस्था बन गई। **एंथनी गिडिन्स**

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir PG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

ने लिखा है कि आधुनिकता का बहुत बड़ा प्रभाव वैश्वीकरण है। गिडिन्स ने समय दूरी-स्थान की अवधारणा प्रस्तुत की।

देश में आर्थिक सुधार करने के उद्देश्य से वर्ष 1991 में भारत सरकार ने नई आर्थिक नीति अपनाई। इसके 3 उद्देश्य:

1. निजीकरण, 2. वैश्वीकरण, 3. उदारीकरण।

- **एम.एस. गोरे** का **मुम्बई महानगर का अध्ययन** उल्लेखनीय है।
- **दरिदा और बोर्दिलार्ड ने** कहा **'ज्ञान ही उत्पादन'** है।

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

राजनैतिक प्रक्रियाएं
(POLITICAL PROCESS)

Notepad

राजनीति का सम्बन्ध समाज में शक्ति के वितरण से होता है। राजनीतिक संस्थाओं से तात्पर्य क्षेत्र विशेष में मौजूद विशेष प्रकार के सामाजिक सम्बन्धों से है, इस तरह प्रत्येक समाज की राजनीतिक प्रक्रिया में **'क्षेत्र'** एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है, क्षेत्रीय संरचना राजनीतिक संगठनों तथा अन्य संगठनों के लिए आधार प्रस्तुत करती है।

इवान्स प्रिचार्ड एवं फोर्टिस (1940) के अनुसार 'शारीरिक बल प्रयोग के माध्यम से प्रभुता स्थापित कर क्षेत्रीय सीमा विशेष में व्यवस्था स्थापित करना व बनाए रखना ही राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन का विषय है।

'राज्य' समाज की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। 'राज्य' को ऐसे मानव समुदाय के रूप में देखा गया है जो 'क्षेत्र विशेष में' 'कानूनी तौर पर' बल प्रयोग करने का एकाधिकार रखता है। राज्य का अर्थ सरकार से नहीं है। सरकार राज्य के आदेशों का पालन करने वाली एजेंसी है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि 'प्रभुता (Sovereignty) सार्वजनिक मामलों में शक्ति तथा प्रभुता का संयोग और पारस्परिक सम्बन्ध ही राजनीतिक संगठन है।

सामान्यत: राजनीतिक संस्था में तीन पक्षों को शामिल किया जाता है :

1. नियंत्रण की पद्धति
2. नियंत्रण के लिए संगठन
3. नियंत्रण के लिए शक्ति का प्रयोग

इस अर्थ में राजनीतिक संस्था, व्यापक सामाजिक प्रणाली की एक उप प्रणाली है। **"राजनीतिक संस्था का आशय नियंत्रण के ऐसे नियमों और कार्य प्रणालियों से है जिनके माध्यम से संगठन के द्वारा शक्ति का वैद्य प्रयोग किया जाता है।"**

आज की सामाजिक व्यवस्था में राज्य एक समूह के रूप में सामाजिक नियंत्रण का कार्य करता है, **बोटामोर** ने, 'राजनीतिक संस्था को समाज में सत्ता के बंटवारें से सम्बन्धित माना है।' वहीं **मैक्स वेबर** 'राज्य को एक ऐसे मानव समुदाय के रूप में देखते हैं जो एक निश्चित भू-क्षेत्र के अन्तर्गत 'भौतिक शक्ति' के वैद्य प्रयोग के एकाधिकार का दावा करता है।' परन्तु आज की लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था शक्ति के प्रयोग की तुलना में सहमति पर अधिक आश्रित है, इस तरह शक्ति के सिद्धान्त में दुर्बलता देखी जा सकती है, कोई भी समाज अथवा राजनीतिक प्रणाली केवल शक्ति पर आधारित नहीं हो सकती। राज्य के संगठनात्मक ढांचे को सरकार कहते हैं, राज्य की स्वीकृत विचारधारा के अनुसार सरकार समाज का नियंत्रण करती है।

राजनीतिक संस्थाएं और राज्य विहीन समाज :

सभी राज्य विहीन समाजों में चाहे उनका संगठन कितना भी सरल क्यों न हो – उनमें सामान्य रूप से क्षेत्रीय अधिकारों की संकल्पना रहती है, इन अधिकारों का पालन, आयु की संकल्पना द्वारा सामाजिक दंड तथा सामाजिक नियंत्रण के माध्यम से किया जाता है। राज्य विहीन समाजों में शक्ति और प्राधिकार सामान्यत: समाज के विभिन्न वर्गों में बंटा रहता है। नातेदारी और वंश परम्परा के सम्बन्धों के आधार पर राजनीतिक व्यवस्था बनायी रखी जाती है।

राज्य विहीन समाजों की प्रमुख विशेषताएं :

1. ऐसे समाजों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती।
2. मौखिक परम्पराओं का पालन किया जाता है तथा इनमें नौकरशाही नहीं होती।
3. आम तौर पर ऐसे समाजों में एक ही व्यक्ति में प्रमुख धार्मिक, आर्थिक व राजनीतिक शक्तियाँ निहित होती हैं।
4. इनमें कोई निश्चित विचारधारा नहीं होती।
5. इनकी अर्थव्यवस्था साधारण होती है।

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

6. सरल समाज स्थिर नहीं होता बल्कि गतिशील होता है।

सामाजिक राजनीतिक संगठनों के आधार पर राज्यविहीन समाजों को चार प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है :

Notepad

1. पहले प्रकार में वे समाज आते हैं जो शिकार तथा भोजन एकत्रित कर जीवन यापन करते हैं। इनमें सबसे बड़ी सामाजिक इकाई परिवारों के सहकर्मी वर्ग या नजदीकी रिश्तेदार होती है। इन परिवारों में सत्ता वरिष्ठ सदस्यों के हाथ में होती हैं। उदाहरण : दक्षिण अफ्रीका की बुशमैन तथा दक्षिण पूर्वी एशिया की कुछ जनजातियाँ।
2. इसमें वे समाज आते हैं जो ग्राम, समुदायों में बने हुए हैं। इनमें परस्पर सम्बन्ध का आधार विभिन्नि प्रकार की नातेदारी व्यवस्था और आर्थिक सम्बन्ध होता है। इनमें प्रशासन व्यवस्था के लिए औपचारिक रूप से परिषदें नियुक्त होती हैं। राजनीतिक व्यवस्था का उद्भव यहीं से माना जाता है। उदाहरण : पश्चिम अफ्रीका की इबो और याको जनजाति।
3. इनमें राजनैतिक नियंत्रण आयु पर आधारित व्यवस्था से होता है। सत्ता समाज के बड़े-बूढ़ों के हाथ में होती है। उदाहरण : अफ्रीका की चेयन्ने और नुएर जनजातियाँ।
4. इनमें राजनीतिक सत्ता का वंशानुक्रमण के आधार पर उपयोग किया जाता है। इनमें राजनीतिक मुखिया तो होता है किन्तु समाज के बड़-बूढ़े सीमित सत्ता का उपयोग कर सकते हैं। विभिन्न वर्ग तक संतुलित विपक्ष की स्थिति में होता है। उदाहरण : दक्षिण सूडान की **नूएर** और डिंका जनजातियाँ।

सभी राज्यविहीन समाजों में : क्षेत्र, रहने के स्थान, नातेदारी, वंश परंपरा, विरासत और विवाह के आधार पर मित्रता स्थापित होती है। इन समाजों में संघर्ष के परिणामस्वरूप सम्बद्धता व एकता स्थापित होती है। संघर्ष की स्थिति में एक ही व्यक्ति के शत्रु के वंश वालों के खिलाफ एक जुट हो जाते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि राज्यविहीन समाजों में नातेदारी सम्बन्ध, राजनीतिक भूमिकाएं निभाते हैं।

सरल राज्यों में राज्यतंत्र :

सभी समाजों में सभी राजनीतिक संगठनों का एक केन्द्रीय उद्देश्य होता है – समय क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार व्यवस्था को बनाए रखना। सरल समाज में कानून व व्यवस्था बनाए रखने के तरीके समदर्शी (Undifferenceated) होते हैं।

राजनैतिक व्यवस्था दो प्रकार की होती है :

1. मुखयावाली (Cephalous) 2. मुखिया रहित (Acephalous)

1. **मुखियावाली व्यवस्था** (Cephalous) : इस व्यवस्था में एक मान्यता प्राप्त राजा, मुखिया या प्रधान होता है। इसके भी कई उप प्रकार होते हैं :
 (i) **'शिशुल्को'** जनजाति में मुखिया पद वास्तविक न होकर आनुष्ठानिक (Ritual) और प्रतीकात्मक होता है। समाज में व्यवस्था राज्यतंत्र पर आधारित न होकर वंशानुक्रम नियम से आधारित होता है।
 (ii) **'स्वाजी और इथिपोनियन'** में राज्य एक ही व्यवस्था के दो भिन्न रूप में है।
 - राजा का पद 'दैवीय' होता है।
 - राजा की आज्ञा को भंग करना, धार्मिक दायित्वों का उलंघन करना होता है।
 - ईथियोपियन में भी प्राधिकार सौपने की प्रथा है। परन्तु बंधु बांधवों को नही बल्कि उसके अधीनस्यों को सौंपा जाता है।
 - **'करीब'** में बंधु बांधवों को जेल में बंद रखा जाता है ताकि संघर्ष न उत्पन्न हो।

NET, JRF Manish Singh Sir PG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

- **"नाईजीरिया के मुस्लिम एमिरेट्स"** में राजा, जनता, संस्कृति का नहीं होता, यह राजनीतिक विजय का उदाहरण है।

मुखिया रहित (Acephalous)

- बुशमैन (केन्द्रीय अफ्रीका के)
- नाइजीरिया के 'याको'
- पूर्वी अफ्रीका के मसाई
- सुडान के न्यूअर (Nuer)
- 'बुशमैन' में 'बुजुर्ग' लोग समस्याओं का समाधान करते है।
- 'याको' में स्वायत्तशासी परिषदे होती हैं।
- 'मसाई' में व्सवस्था 'आयु वर्ग' के आधार पर चलायी जाती है।
- Nuer- **इवान्स प्रिचार्ड:**- सुड़ान के Nuer में संतुलित विपक्ष (Balanced Opposition) द्वारा व्यवस्था बनाये रखी जाती है। Nuer में समुदाय पैतृक (Agnatic) वंशानुक्रमो (descent) और वंश परम्पराओं (Lineage) में विभाजित होता है। Lineage (वंश परम्परा) के लोगों का यह दायित्व होता है कि वे झगड़ों के समय एक दूसरी की सहायता करें।

सरल समाजों पर औपनिवेशिक प्रभाव:

सरल समाजों के आर्थिक, राजनीतिक सामाजिक और सांस्कृतिक पक्षों पर औपनिवेशिक शासन का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा:-

- औद्योगिक मजदूरों के रूप में । (सर्वाधिक प्रभाव)
- पारम्परिक उत्पादों की आपूर्ति राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय बाजारों में करके। (सबसे कम प्रभव)
- नयी फसलों के प्रचलन से।
- सरल समाजों में राजनैतिक व्यवस्था बनाए रखने में धर्म व नातेदारी बहुत महत्वपूर्ण होते है, नयी व्यवस्था में फलस्वरूप धर्म व नातेदारी माफी कमजोर हुये हैं।

राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र दोनों राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करते है।

राजनीतिशास्त्र राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन इनकी समग्रता में करता है इसके लिए राज्य; सरकार, कानून, प्रभुसत्ता सिद्धांत एवं व्यवहार अध्ययन के क्षेत्र हैं वहीं समाजशास्त्र राजनीति और इससे सम्बन्धित प्रश्नों पर समाज की एक उप प्रणाली के रूप में विचार करता है। अध्ययन की एक शाखा के रूप में राजनीतिक समाजशास्त्र के विकास में लिपसेट और कोजर के नाम महत्वपूर्ण है।

रानैतिक समाजशास्त्र का संस्थापक **'वेबर'** को माना जाता है। **लिपसेंट** (S.MLipset) नें अपनी पुस्तक "Political men" और **टी.वी. वॉटामोर** ने अपनी पुस्तक "Political Sociology" में इस पर वृहद प्रकाश डाला है।

राज्य की अवधारणा (conecpt of the state)

- राज्य की चार विशेषताएं होती है।:-

1. निश्चित जनसंख्या
2. निश्चित भौगोलिक क्षेत्र
3. सम्प्रभुता
4. सरकार

- समाजशास्त्र में राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन **'मैक्स वेबर'** ने किया। वेबर ने लिखा है कि "राज्य एक ऐसी संस्था है जिसके पास समाज में नियत्रंण करने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शारिरिक दण्ड पर बल प्रयोग का अविष्कार होता है।"
- **फेयर चाइल्ड** ने लिखा है कि "राज्य समाज का वह अभिकरण, पहलू व संस्था

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir IC Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

है जो शक्ति का प्रयोग करने के लिए मान्य व पूर्ण है। शक्ति का प्रयोग वह किसी समाज के सदस्यों को नियंत्रित करने के लिए या किसी समाज के विरूद्ध कर सकता है।"

Notepad

राज्य की उत्पप्ति के सिद्धांत :

1. **दैवी उत्पप्ति का सिद्धांत** (Theory of Divine Origin)

- राज्य की उत्पत्ति के बारे में यह सिद्धांत सबसे प्राचीन हैं
- मनुस्मृति में राजा को ईश्वर का अवतार माना गया है।
- इस सिद्धांत की मान्यता है कि ईवश्र ने ही राजा को जन्म दिया है।
- राजा की इच्छा ही कानून है और राजा ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है।
- **जेम्स प्रथम** ने कहा था कि **'राजा पृथ्वी पर ईश्वर की श्वांस लेती हुयी मूर्तियाँ है।'**

2. **शाक्ति सिद्धांत** (The fore Theory)

- इस सिद्धांत के अनुसार शक्ति ने ही राजा को जन्म दिया।
- यह सिद्धांत **'जिसकी लाठी उसकी भैंस'** के आधार पर राज्य की उत्पत्ति पर बल देता है।
- इस सिद्धांत के समर्थकों के ह्यूम, लीकॉक, वाल्टेयर, लेनिन मुसोलिन, हिटलर आदि हैं।
- ताकतवर कमजोर पर शासन करता है। और कमजोर अपनी सुरक्षा के लिए उसे स्वीकार करता है।

3. **सामाजिक समझौते का सिद्धांत** (Theory of Social Contract)

- इस सिद्धांत के प्रतिपाद **हॉब्स, लॉक** तथा **रूसो** हैं।
- इस सिद्धांत के समर्थकों को मानना है कि जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए, लोगों ने आपस में समझौता किया। परिणाम स्वरूप राज्य का निर्माण हुआ।
- **थॉमस हाब्स** ने अपनी पुस्तक 'LEVIATNAN' में लिखा है कि मानव स्वभाव से स्वार्थी, झगडालू एवं अहंकारवादी होता है जिसके कारण परिवार की आंरभिक अवस्था में अराजकता थी। जब मनुष्य इन सबसे अत्यधिक पेरशान हो गया तब उसने आपस में संविदा (contract) करके व्यवस्थित समाज तथा राज्य का निर्माण किया।
- **जॉन लॉक** एक ब्रिटिश दार्शनिक था। उसने 'The Two Treaties of Goverment' नामक पुस्तक लिखी। उसका मानना था कि स्वभाव में प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, दया, आदि प्रवृत्तियाँ पायी जाती है। लेकिन प्राकृतिक नियम पूरी तरह स्पष्ट नहीं थे इसलिए उसने संविदा कर राज्य का निर्माण किया।
- **जीन जैक्स रूसो** एक फ्रांसीसी विचारक या इसने "Social Contract" नामक पुस्तक लिखी। इसका मानना था कि प्रारंभिक समाज में मनुष्य के कार्य वृद्धि से संचालित न होकर के संवेगो (Sentiments) से संचालित होते थे, प्ररंभिक समाज बर्बर (Novel Savage) था लेकिन वह समाज श्रेष्ठ था, विकास के साथ-साथ मानव समाज में बुराइयां आने लगी इन बुराइयों से छुटकारा पाने के लिए General will(**सामान्य इच्छा**) के आधार पर संविदा कर राज्य का निर्माण किया।

रूसों ने लिखा है कि "मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन इसके बाद भी वह बन्धन में है।" रूसों ने एक जगह और लिखा है कि "वह पहला व्यक्ति था जिसने भू-भाग को घेरा और कहा कि वह भूमि मेरी है। "

4. **पितृसत्तात्मक सिद्धांत** (Patriarchal Therory)

- इस सिद्धांत के समर्थक अरस्तू तथा हेनरीमेन डिग्विट आदि है।

NET, JRF Manish Singh Sir LG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

- उन्होंने प्राचीन रोमन, यूहदी, भारतीय एवं यूनानी समाज का उदाहरण देकर कहा परिवार का आदि स्वरूप पतृिसत्तात्मक था परिवार ही विस्तृत होकर राज्य बना।

5. **मातृसात्तात्म सिद्धांत** (Matriarchal Theory)
 - मार्गन, टायलर, मैकलेन, बैकोफन का मत है कि प्रारम्भिक परिवार मातृसत्तामक रहे होंगे और यही बाद में विस्तृत होकर राज्य बना।
6. **विकासवादी या ऐतिहासिक सिद्धांत** (Evolutionary or Historical Theory)
 - इस सिद्धांत के **प्रतिपादक गार्नर** एवं **समर्थक बेजहार, स्पेन्सर, गिडिग्स, हॉबहाउस, लोबी आदि हैं।**

 बेहजहाट राज्य का विकास तीन युगों: 1. प्रथाओं का युग 2. संघर्ष का युग तथा 3. विचार विमर्श का युग से मानते है।
 - **स्पेन्सर** ने राज्य का विकास तीन स्थितियों: 1. जनजाति 2. सैनिक और 3. औद्योगिक से मानते हैं.
 - **लोवी की पुस्तक का नाम** "Social orgaisation" **है।**

लोवी तथा हाबहाउस ने राज्य के विकास की व्याख्या आदिम समाजों के आधार पर की तथा नातेदारी को प्रमुख आधार माना। **हाबहाउस** ने राज्य विकास के तीन चरण बतलाएं हैं:-

1. नातेदारी
2. नागरिकता
3. सत्ता

7. **राज्य की प्रकृति का सामाजिक सावयव का सिद्धांत**-

(Social Organism Therory)-स्पेन्सर। आपने समाज व राज्य की तुलना मनुष्य के शरीर से की है। स्पेसर का कहना है कि जिस प्रकार मनुष्य के शरीर के विभिन्न अंग एक दूसरे से जुड़े हुए है, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति तथा समाज व राज्य के बीच अविछिन्न संबंध है। **स्पेन्सर ने सर्वप्रथम राज्य विहीन या मुखिया रहित** (Acephatous) **समाज की अवधारणा दी है।**

उदारवादी राज्य को एक यंत्र तथा मार्क्सवादी शोषण का यंत्र मानते है।

8. **निजी सम्पन्ति का सिद्धांत :- मार्क्स तथा एंजेल्स इसके प्रतिपादक रहें** है। मार्क्स के अनुसार राज्य की उत्पात्ति निजी सम्पत्ति के उदय के बाद हुयी। वस्तुत: राज्य का कार्य सम्पत्ति का संरक्षण है, मार्क्स ने माना कि 'राज्य शासक वर्ग के हाथ दमन व शोषण का हथियार है।' तथा अन्तत: राज्य समाप्त हो जाएगा।
 - एर्जेल्स की पुस्तक का नाम "Social origin of family private property and state" है।

9. **टी.वी. वॉटामोर ने राज्य के (राजनीतिक प्रणाली) विकास के निम्न चरण बतलाएं है।:-**

1. TRIBAL SOCIETY (i)मुखिया रहित
2. CITY STATE (ii)मुखिया सहित
3. EMPIRE BASED ON CITY STATE
4. ASIATIC STATE
5. NATION STATE (i) लोकतंत्रात्मक (ii)मग्रतावादी
6. MODERN EMPIRE WHICH BASED ON MODERN NATION STATE

राष्ट्र की अवधारणा (Concept of the Nation)

'राष्ट एक जन है' (Nation is a people)

- लोगों का वह वृहद समूह जिसकी एक विशिष्ट पहचान होती है, साथ ही यह समूह एक राजनैतिक समुदाय भी होता है, यह समुदाय अपने को

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

एक राजनैतिक समग्रता के रूप में भी मानता है, राष्ट्र कहलाता है।

- एक राष्ट्र एक ही राजनैतिक व्यवस्था के अन्तर्गत स्वेच्छा से रहने वाले या रहने का प्रयत्न करने वालों का एक ऐसा सांस्कृतिक समुदाय है जो समान नैतिक भावनायओं के शक्तिशाली सूत्रों द्वारा आबद्ध होता है। "Nation is a process. It is a process of making and unmaking of nation. its dialectcial process. It is a contimouns process."
- एक राष्ट्र को जातीय एकता की ऐसी जनसंख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो भौगौलिक रूप से एक्यबद्ध क्षेत्र में रहती है, जातीय एकता का तात्पर्य लोगों की उस एकता से है जो एक जैसे रीति रिवाजों तथा पाप-पुण्य की एक जैसी चेतना से बनी हो।

लोग वास्तव में मनोवैज्ञानिक और आध्यामित्मक कारणो से बंधे होते है अन्य शब्दों में **'लोगों में एकता की चेतना'** ही राष्ट्र है।

राष्ट्र और राज्य में अन्तर:-

राज्य (State)

- एक निश्चित क्षेत्र में व्यवस्था के लिए संगठित लोगों को कहा जाता है।
- राज्यत्व (Statehood) वस्तुनिष्ठ होता है।
- राज्यत्व कानून के द्वारा लागू किया गया एक कर्तव्य है।
- एक राज्य में एक राष्ट्र भी हो सकता है और कई राष्ट्र भी (जैसे भारत)

राष्ट्र (Nation)

- ऐसे लोगों का समूह जो मनोवैज्ञानिक रूप से जुडे हों, राष्ट्र कहलाता है।
- राष्ट्रत्व (Nationalhood) व्यक्ति निष्ठ होता है।
- राष्ट्रत्व चेतना की एक विशेष गति है। एक आध्यात्मिक अधिकार (Spritual Possession) है।
- एक राष्ट्र दो या अधिक राज्यों में विभाजित हो सकता है।

राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद:

राष्ट्रीयता वह मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक भावना है जिसमें लोग आपस में जुड़े हैं। यह भावना (राष्ट्रीयता) उन लोगों से पायी जाती है जो जाति, वंश, भाषा, परम्परा इतिहास, राजनीतिक अकाक्षओं में समान हैं। अन्य शब्दों में 'राष्ट्रीयता एकत्र रूप से महसूस करने, सोचने तथा जीने का एक तरीका है।

राष्ट्रीयता और राष्ट्रत्व पैदा करने वाली विशेषताओं पर आधारित लोगों में एकता की भावना ही राष्ट्रवाद है।

राजनीतिक प्रकार्य:- (लोकतंत्रत्मक प्रणाली में यंग व मैक के अनुसार)

- समाज के संचालन के लिए प्रतिमानों का संस्थाकरण अथवा कानूनों का निमार्ण
- संस्थागत प्रतिमानों द्वारा सामाजिक संघर्षो का निपटारा
- राज्य के संचालन की योजना और संस्थागत प्रतिमानों का क्रियान्वयन।

नेतृत्व, सत्ता, शक्ति और प्रभाव

- नेतृत्व की समाजशास्त्रीय अवधारण में **'मैक्स वेबर'** का योगदान सर्वप्रुख है। वेबर के अनुसार 'नेतृत्व का अर्थ आदेश पालन की संभावना से है।'

वेबर ने बताया है कि नेतृत्व के दो पक्ष होते है:-

1. जो आदेश देते हैं या जिनके पास आदेश देने का अधिकार है।
2. जो आदेशों का पालन करते हैं। वेबर ने बतलाया कि लोग आदेशो का पालन दो कारणों से करते है:-

Notepad

NET JRF Manish Singh Sir EC Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

- **स्वार्थ वशः** अपने स्वार्थो की पूर्ति की चाहत से।
- **प्रथा वश :** चूंकि ऐसा होता आया है इसलिए। वेबर ने बतलाया है कि बिना किसी स्वार्थ के आदेशों का अंधा अपुपालन ज्यादा टिकाऊ नहीं होता, इसलिए इन पर आधारित सत्ता भी अस्थिर होगी।

वेबर ने बतलाया है कि प्राधिकार तीन तरीके से वैध होता है:-

- वैधानिक (कानूनी)
- परम्परागत
- करिश्माई

इसी आधार पर वेबर ने तीन प्रकार के नेतृत्व की चर्चा की हैं:-

- **तार्किक- वैधानिक नेतृत्वः**- जैसे अधिकारी तंत्र
- **परम्परागत नेतृत्वः** पितृसत्तात्मक व्यवस्था (परम्परागत नेतृत्व समाजिक व्यवस्था की पवित्रता पर आधारित होता है।)
- **करिश्माई नेतृत्व :** पैगम्बर, लेनिन, महात्मा गांधी

वेबर ने बतलाया है कि कानूनी प्राधिकार धीरे-धीरे परम्परागत प्राधिकार में बदल जाता है और परम्परागत प्राधिकार (जैसे- इग्लैण्ड मे राजा) कानूनी आधिकार में बदल जाता है। करिश्माई प्राधिकार भी धीरे- धीरे परंम्परागत और वैधानिक प्राधिकार में बदल जाता है। जैसे अब्रहाम लिकंन के करिश्मा का प्रभाव तो था साथ ही वे कानूनी रूप से अपने राज्य के प्राधान (राष्ट्रपति) भी थे।

सत्ता

सी. राइट मिल्स के अनुसार सत्ता का अर्थ निर्णय लेने के अधिकार और दूसरों के व्यवहार को अपनी **इच्छा अनुसार** और उनकी इच्छा अनुसार और उनकी इच्छा के विपरीत भी प्रभावित कर सकने की क्षमता से है।

सत्ता में निम्न तत्व होते है:-

- प्रतिष्ठा
- प्रभाव
- प्रसिद्धि
- क्षमता
- ज्ञान
- प्रभुता
- शक्ति
- नेतृत्व

रॉस ने बतलाया कि सत्ता का अर्थ प्रतिष्ठा से है। वह वर्ग जिसके पास प्रतिष्ठा है उसके पास सत्ता भी होगी।"

सत्ता और प्राधिकार में अन्तर होता है। संस्थागत, नियमबद्ध और कार्य पद्धति से युक्त सत्ता, प्राधिकार है। वेबर ने जिसे कानूनी प्राधिकार कहा है वही वास्तव में प्राधिकार है। **प्राधिकार के तीन अनिवार्य तत्व है:-**

- औपचारिकता
- नियम
- कानूनी आधार

इस तरह से वेबर द्वारा बतलायी गयी करिश्माई और परम्परागत प्राधिकार में सत्ता तो हाती है लेकिन प्राधिकार नहीं होता।

सी० राईट मिल्स ने बतलाया कि बराबरी के लोगों के बीच राजनीति संभव नहीं हैं, राजनीति के लिए सत्ता की दृष्टि से उच्च और निम्न लोंगो का होना जरूरी है। "इस प्रकार सत्ता के अन्दर आज्ञा देने वाले है और आज्ञा पालन करने वाले की अवधारणा निहित है। सत्ता न्याय और आज्ञा पालन करने वाले की अवधारणा निहित और नैतिकता

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

पर आधारित हो सकती है दूसरी ओर सत्ता अत्याचारी व पाशविक भी हो सकती है।

- **वेबर** ने सत्ता को वैधानिक शक्ति माना है, (Authority is legitimate power) इस अर्थ में जब शक्ति को समाज की मान्यता मिल जाती है तब वह सत्ता में बदल जाती है।
- **पारसंस** ने सत्ता (Possession) को संस्थागत माना है। सत्ता संस्था से प्राप्त होती है।
- **वेबर** ने सत्ता के लिए **हैरशाफ्ट** (Herrshaft) शब्द का प्रयोग किया है। हैर (hers) का अर्थ स्वामी से होता है। हैरशाफ्ट शब्द का प्रयोग Authority, Domination,command जैसे अर्थ के लिए किया जाता है। हैरशाफ्ट का अर्थ है कि ऐसी स्थिति जब स्वामी, अन्यों पर अपना प्रभुत्व जमाता है अथवा हुक्म चलाता है।

Notepad

वेबर ने सत्ता के पाँच तत्वों की चर्चा की है :

1. स्वामी/शासक व्यक्ति या समूह।
2. व्यक्ति/समूह, जिस पर शासन किया जाना है।
3. शासित लोगों में आचरण को प्रभावित करने की शासक की इच्छा जो आदेशों के माध्यम से व्यक्त होती है।
4. शासित द्वारा आज्ञा पालन।
5. इस बात का प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रमाण कि लोगों ने यह स्वीकार कर लिया है कि शासक की इच्छा/आदेश का पालन अवश्य किया जाएगा।

नौकरशाही (Bureocracy) : समाजशास्त्र में नौकरशाही की अवधारणा सर्वप्रथम मैक्स वेबर ने रखी। उन्होंने नौकरशाही के आदर्श प्ररुप (Ideal Type) की चर्चा की है। वेबर ने बतलाया कि नौकरशाही तार्किक-विधिक सत्ता की विशेषता है, उन्होंने बताया कि नौकरशाही पूंजीवाद के पहले भी विद्यमान थी लेकिन नौकरशाही का सही अर्थों में विकास पूंजीवाद के साथ ही देखा जा सकता है।

नौकरशाही के प्रमुख लक्षण :

1. औपचारिक संगठन
2. पदक्रम
3. तर्कसंगत व विधिक संगठन
4. योग्यता तंत्र : सदस्यों का चुनाव योग्यता के आधार पर
5. पुरस्कार : योग्यता व पद के अनुसार पारितोषिक व पुरस्कार दिया जाता है।
6. नौकरशाही का संचालन 'अधिकार क्षेत्र' के आधार पर होता है जो कुछ कानूनों अथवा प्रशासनिक नियमों पर आधारित होते हैं, वे इस प्रकार हैं:

(a) गतिविधियों का बंटवारा सरकारी कर्तव्यों के रूप में।
(b) सत्ता नियमानुसार अधिकारी में निहित होती है।
(c) कठोर व विधिवत नियम होते हैं जिससे अधिकारी अपना काम जिम्मेदारी से करे।

7. कर्मचारियों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाता है।
8. कर्मचारियों को पूरी दक्षता से काम करना पड़ता है।
9. कार्यालय का प्रबंध लिखित दस्तावेजों से चलता है।

नौकरशाही में अधिकारी वर्ग की विशेषताएँ :

1. कार्यालय ही अधिकारियों का 'व्यवसाय' है।
5. काम के लिए विशेष प्रशिक्षण
3. स्थिति और पद योग्यतानुसार
4. अधिकारियों से ईमानदारी की अपेक्षा

वेबर : नौकरशाही एक ऐसा पिंजरा है जिसमें मनुष्यता कैद है।

NET, JRF Manish Singh Sir ECC Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

शक्ति (Power)

- शक्ति की अवधारणा से भौतिक व दबावात्मक पक्ष जुड़ा हुआ है। (प्राधिकार व सत्ता का वह पक्ष जिससे समाज, सत्ताधारी या प्राधिकारी के निर्णयों को मानने के लिए बाध्य हो जाता है, शक्ति कहलाता है।)
- शक्ति का सम्बन्ध दण्ड देने और भय उत्पन्न करने की क्षमता से है।
- शक्ति की अवधारणा वेबर ने प्रतिपादित की।
- **सामुदायिक शक्ति की अवधारणा 'पारसन्स' की है।**
- **शक्ति की** zero sum **(शून्य योग या** constant sum **) की अवधारणा वेबर ने दी।** इसका तात्पर्य है कि समाज में शक्ति स्थिर है अगर एक के पास अधिक शक्ति है तो दूसरे के पास कम होगी, इसे एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है कि रोटी एक ही है अगर एक ज्यादा खाएगा तो दूसरे को कम मिलेगी। **रॉबर्ट एस.लिंड भी इससे सम्बन्धित है।**

- **शक्ति की परिवर्तनशील योग** (Variable Sum) **या** (Positive Sum) **की अवधारणा पारसन्स ने दी।**
- **मार्क्स ने शक्ति-'मुक्त होने की क्षमता'** से जोड़ा।
- वेबर ने अपनी शक्ति की अवधारणा में बताया कि ''व्यक्ति व समूह की वह क्षमता जिसके माध्यम से वह दूसरों के विरोध के बावजूद अपनी इच्छा पूरी कर लेता है।''
- **'पालजांन्स'** ने वेवर की परिभाषा में व्यक्ति/समूह की जगह 'वर्ग' का प्रयोग किया है।
- **पैरेन्टी** ने बतलाया कि 'शक्ति निर्णयों का स्वरूप तय करने और उन्हें लागू करने की समार्थ्य का नाम है।
- **वेबर** को शक्ति के राजनैतिक प्रयोग को स्पष्ट किया है इसीलिए इन्हें **'राजनैतिक निर्धारणवादी'** कहा जाता है।
- **पारसंस ने शक्ति को 'संसाधन' के रूप में परिभाषित किया है,** यह शक्ति संसाधन पर पूरे समुदाय का अधिकार होता है इसलिए इसे सामुदायिक शक्ति कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति वोट के माध्यम से अपनी शक्ति किसी राजनैतिक संस्था को दे देता है, यह राजनैतिक संस्था सरकार के माध्यम से किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करती हैं। यह क्षमता किसी समाज में ज्यादा तो किसी में कम हो सकती है। यह परिवर्तन शील है, इसीलिए **पारसन्स ने शक्ति को परिवर्तनीय चर माना है।**
- **गोल्ड हैमर तथा शील्स ने शक्ति के तीन प्रकार बतलाएं हैं:-**
 1. बल
 2. प्रभुत्व
 3. चातुर्य (Manipulation)
- मैक्स वेबर ने शक्ति के 2 प्रकार बताएं है:-
 1. Coercion या उत्पीड़न
 2. Domination या प्रभुत्व
- वेबर के अनुसार सामाजिक सम्बन्धों का एक पहलू है। शक्ति का अस्तित्व सामाजिक अन्तर्किया में है और यह असमानता पैदा करती है क्योंकि जिसके पास शक्ति है वह इसे दूसरे पर थोपने का प्रयास करता है।
- कार्ल मार्क्स भी शक्ति के शून्य योग के समर्थक हैं, जितनी शक्ति संचित वर्ग के पास रहेगी उतनी ही कम वंचित के पास बचेगी।
- **रॉबर्ट डहल** (Robert Dahl) :-

 रॉबर्ट डहल नें 'Who governs' नामक पुस्तक लिखीं।

 रॉबर्ट डहल ने सत्ता के चक्रीय सिद्धान्तों का विरोध किया और कहा कि यह अवधारणा गलत है कि सत्ता सिर्फ कुछ लोगों के पास होती है, निर्णय एक प्रक्रिया

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

के अनुसार लिया जाता है।

निर्णय की प्रक्रिया में विभिन्न के दबाव तथा हित समूहों की भी भागीदारी होती है। इस प्रकार निर्णय की प्रक्रिया में बहुत से लोगों का हाथ होता है, इसी कारण इसे **''बहुलवादी सामाजिक संरचना''** कहा जाता है। **अरनॉल्ड रोज, डहल के समर्थकों में प्रमुख है।**

- **परेटो, मोस्का, मैकियाविली, मिल्स के सिद्धान्तों के लिए स्तरीकरण का अध्याय देखें।**

राजनैतिक सामाजीकरण :- **हाइमेन** पहले समाज विज्ञानी थे जिन्होंने राजनीतिक समाजीकरण का विश्लेषण किया। राजनैतिक समाजीकरण की अवधारण **आमण्ड** से भी सम्बन्धित है। बाद में **आमण्ड तथा कोलमैन** ने The politics of developing areasनामक पुस्तक में इस पर विशद चर्चा की।

राजनैतिक समाजीकरण को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में माना जाता है जिसके द्वारा व्यक्ति राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना सीखता है। यह राजनीतिक-स्व निर्माण की प्रक्रिया है। राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा एक ओर व्यक्ति राजनीतिक घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करता है तथा मनोवृन्तियां व अनुस्थापन अर्जित करता है दूसरी और इस प्रक्रिया के द्वारा समाज के राजनीतिक मानदण्डों, विश्वासों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को तथा देश में आए नये आव्रजित लोगों को हस्तान्तरित करता है। यह प्रत्यक्ष औपचारिक राजनीतिक शिक्षा और मातारोपण की एक प्रक्रिया है।

- राजनैतिक समाजीकरण की शुरूआत 'परिवार' से होती है। तथा विद्यालय राजनैतिक समाजीकरण की सर्वप्रमुख संस्था है।
- आमण्ड तथा पावेल राजनीतिक समाजीकरण को एक ऐसी प्रक्रिया मानते है ''जिसके द्वारा व्यक्ति राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश करता है। राजनीतिक वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करता है, अपने प्रतिमानों, आकांक्षाओं का निर्माण करता है, अपने व्यवहार की रीति निर्धारित करता है, अर्थात् वह राजनैतिक संस्कृति व पद्यति का अंग बनता है।''
- राजनीतिक समाजीकरण एक जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है।
- राजनीतिक समाजीकरण को पहले 'नागरिकता' 'नागरिकता प्रशिक्षण' 'नागरिक समाजीकरण' आदि नामों से जाना जाता था।
- परिवार, विद्यालय, मीडिया, दबाव समूह, हित समूह, श्रमिक संघ, धार्मिक संख्याएं, राजनैतिक प्रचार, राजनैतिक कैम्पस, राजनैतिक संगठन आदि राजनीतिक समाजीकरण के अभिकरण है।
- सामान्य समाजीकरण बच्चे के जन्म से शुरू होता है जबकि राजनीतिक समाजीकरण बचपन के बाद शुरू होता है।
- **राजनीतिकरण के दो पक्ष हैं**
 1. व्यक्ति में राजनीतिक व्यवहारों से सम्बन्धित समान मूल्यों व मानदण्ड़ों का समावेश करना।
 2. व्यक्ति को किसी राजनीति दल से जोड़ना। यह कार्य उसकी विचारधारा परिवर्तन से होता है।
- नागरिकों के द्वारा सामान्य समझबूझ, नागरिक अधिकारों, नागरिक, कर्तव्यों की जानकारी हासिल करना राजनतिक समाजीकरण का एक पक्ष है।
- अल्पतंन्त्रों में राजनीतिक समाजीकरण लगभग एक सा होता है, सभी अल्पतंत्रों में इसका उद्देश्य ऐसे नागरिक तैयार करना होता है जो अल्पतन्त्र को बनाये रखने में मदद करे या उनके पोषक हों। लोगों को ऐसी बातें सिखायी जाएंगी, ऐसी विचारधारा विकसित की जाएगी जिससे की वो प्रबुद्ध वर्ग (अल्पतंत्र) का समर्थन करें।
- राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया गैर राजनीतिक प्रणलियों द्वारा भी होती हैं,

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

जैसे जाति, धर्म आदि। जातिवाद जैसी धारणाओं के विकास में राजनीतिक व गौर राजनीतिक दोनों प्रणालियों का योगदान रहा है।

- कुछ लोग जनता की भावनाओं से खिलवाड करते हैं, उन्हें जाति, धर्म के आधार पर एकत्रित कर राजनीति में प्रवेश कर जाते हैं जहां बोट बैंक के लिए उनका समाज भी होता है, ऐसी प्रक्रिया विकासशील देशों में अधिक देखी जा सकती है। ये लोग राष्ट्रीय विकास मे बाधक होते हैं क्योंकि ये व्यक्तिगत स्वार्थ को अधिक महत्व देते हैं।

Notepad

राबर्ट सीगल ने कहा है कि :

1. राजनीतिक समाजीकरण का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों का प्रशिक्षण और विकास करना है, जिससे कि वे अच्छे नागरिक कार्यकारी सदस्य बन सकें।
2. राजनीतिक समाजीकरण व्यक्ति के मन में ऐसे, मूल्यों, मानदंडो, उन्मुखता का विकास करता है जिससे कि वह राजनैतिक व्यवस्था के ऊपर विश्वास रख सकें। अच्छे नागरिक बन सकें तथा अपने उत्तराधिकारियों के मन को भी प्रभावित कर सकें।

राजनीतिक भर्ती :

जब व्यक्तियों का राजनीतिक समाजीकरण हो जाता हे तो उनमें से कुछ जो योग्य है, उनकी राजनीतिक क्षेत्रों व राजनीतिक, भूमिकाओं में स्थान दिया जाता 'राजनीतिक भर्ती' कहलाता है।

अल्पतंत्रों में यह प्रक्रिया संकुचित व दिखावा मात्र होती है, वहीं लोकतंत्रों में व्यापक तथा प्रस्पिर्धात्मक होती है।

राजनैतिक विकास (Political Development) राजनैतिक विकास की अवधारणा **'ल्यूसियन बाई'** की है। इन्होंने अपनी पुस्तक 'Aspect of palitical development' में राजनैतिक विकास की अवधारणा प्रस्तुत की।

राजनीतिक विकास की अवधारणा राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता एवं सत्ता से सम्वन्धित है, इसलिए इसे अपेक्षाकृत स्थैतिक अवधारणा माना जाता है। राजनीतिक विकास का तात्पर्य समाज में राजनैतिक विभेदीरकण से लगाया जाता है।

ल्यूसियन बाई ने बताया कि समाज में जैसे-जैसे समानता बढ़ती है वैसे-वैसे विभेदीकरण बढ़ता है। विभेदीकारण का तत्पर्य अलग-अलग अंगों द्वारा अलग-अलग कार्यो से है जैसे न्यायपालिका न्याय के काय देखती है, कार्यपालिका प्रशासन से सम्बंधित कार्य देखती है और विधायिका का कार्य नीति निर्माण है।

ल्यूसियन वाई ने राजनैतिक विकास के तीन तत्वों का उल्लेख किया है।

1. क्षमता
2. समानता
3. विभेदीकरण

सत्ता का अधिकाधिक कल्याणकारी होना, लौकिकीरण एवं विकेन्द्रीकरण राजनैतिक विकास माना जाएगा।

राजनैतिक आधुनिकीकरण : (Political Modernisation)

राजनैतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा **आमण्ड तथा क्रो लगैन दी है।**

चूंकि राजनैतिक विकास को एक स्थैतिक अवधारणा माना जाता है। इसलिए डेविड एप्टर ने ऐसी अवधारणा के प्रयोग पर बल दिया जो स्थैतिकता के दोष से मुक्त हो तथा समाज के हर पक्ष में होने वाले परिवर्तन की समग्रता से सम्मन्धित रहे। सामान्यत: राजनैतिक आधुनिकीकरण को राजनैतिक विकास के पर्याय वाची के रूप में स्वीकार किया जाता है।

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

- राजनैतिक आधुनिकीकरण का सम्बन्ध एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था के विकास से है जो इतनी लचीली हो कि हर प्रकार की मांग के लिए अवसर प्रदान कर सके, साथ ही उसमें इतनी शक्ति भी होनी चाहिए कि अनुचित मांग को ठुकरा सकें।
- राजनैतिक आधुनिकीकरण की सबसे बड़ी विशेषता तर्कसंगतीकरण है। वास्तविक अर्थों मे राजनैतिक विचारें का तर्कसंगतीकरण ही राजनैतिक आधुनिकीकरण है।
- नौकरशाही का विकास, संविधान का निर्माण, राजनैतिक विभेदीकरण, राजनैतिक विशेषीकरण, राजनैतिक सहभागिता का विकास सभी कुछ तर्कसंगतीकरण है और सभी राजनीतिक आधुनिकीकरण भी है।
- राजनैतिक आधुनिकीकरण को मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक, सामाजिक, जनसांख्यिक, आर्थिक, राजनैतिक सभी स्तरो पर देखा जा सकता है।

Notepad

राजनैतिक आधुनिकीकरण का तात्पर्य :

1. मनोवैज्ञनिक स्तर पर मूल्यों, मानकों में परिवर्तन
2. बौद्धिक स्तर पर ज्ञान के प्रसार
3. जनसंख्यात्मक स्तर पर जीवन स्तर व नगरीकरण मे वृद्धि
4. सामाजिक स्तर पर परिवार व अन्य प्राथमिक सम्बन्धों के प्रति निष्ठा को स्वैच्छिक संगठनों के प्रति निष्ठा में बदलना।
5. आर्थिक स्तर पर अधिकाधिक औद्योगीकरण
6. राजनीतिक संस्थाओं तथा भूमिकाओं में अधिक विभेदीकरण तथा एक केन्द्रीयकृत शासन व्यवस्था का विकास।
7. केन्द्रीय प्रशासनिक व राजनीतिक संगठनों के कार्यकलापों में वृद्धि।
8. सत्ता विकेन्द्रीकरण (ग्राम पंचायतें आदि) से है।

- सत्ता का परम्परागत स्रोतों से निर्वल होना तथा परम्परागत स्रोतो की जगह पर राष्ट्रीय सत्ता की स्थापना राजनीतिक आधुनिकीकरण की सबसे बड़ी विशेषता है।
- राजनैतिक आधुनिकीरण में मानवीय क्रियाकलापों से सम्बन्धित सभी प्रकार की शक्तियों का राजनीतिक व्यवस्था में केन्द्रीकरण होने लगता है।
- सरकार की जनता तक अधिकाधिक पहुंच, दवाव समूहों तथा हित समूहों के प्रभाव वृद्धि, लौकिकीकरण में वृद्धि या राज्य का लोकिकीकरण, जन सहभागिता में वृद्धि राजनीतिक आधुनिकीकरण में मापक हैं।
- **एडवर्ड शील्स** राजनैतिक आधुनिकीकरण के मापन के लिए पांच प्रतिमानों का उल्लेख किया है:
 1. राजनीतिक लोकतंत्र
 2. अभिभावकी लोकतंत्र
 3. आधुनिकीकरण शीलता वाला वर्ग तंत्र
 4. सर्वाधिकारी प्रवृत्ति वाला वर्ग तंत्र
 5. परम्परागत प्रवृत्ति वाला वर्ग तंत्र

राजनीतिक आधुनिकीकरण के अभिकरण :

अभिकरण का तात्पर्य जो राजनैतिक आधुनिकीकरण लाते हैं

1. अभिजन तथा बुद्धि जीवी वर्ग
2. राजनीतिक दल
3. सरकार

Political culture:-

- किसी राजनीतिक व्यवस्था के मूल्यों, मनोवृत्तियों, विश्वासों एवं प्रतीकों के ऐसे संयोग को राजनीतिक संस्कृति कहते हैं जिसके द्वारा उस समूह का राजनीतिक

NET JRF Manish Singh Sir EC Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

व्यवहार निर्धारित होता है।

- राजनैतिक संस्कृति की अवधारणा S.Verba **व** L.Pye ने अपनी पुस्तक "Political culture and political development" में दी।
- राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक क्रियाओं को एक अर्थ प्रदान करती है।
- राजनीतिक संस्कृति के अध्ययन में राजनीतिक संस्कृति की अर्न्तवस्तु, राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया, व इसके मूल्यों के आन्तरीकरण पर बल दिया जाता है।
- Almond (G. A. ALMOND):- ने अपनी पुस्तक 'Comparative politics' में राजनैतिक संस्कृति पर प्रकाशडाला है, इन्होंने कहा कि राजनैतिक संस्कृति से तात्पर्य राजनैतिक अभिवृतियों एवं राजनैतिक उन्मुक्ततओं से है। इन्होने तीन प्रकार की उन्मुक्तताओं की बात की है:-
 1. संज्ञानात्मक
 2. संवेगात्मक
 3. मूल्यांकनात्मक
- **आमण्ड तथा पावेल** ने तीन प्रकार की राजनैतिक संस्कृतियों की चर्चा की है:-
 1. संकुचित
 2. जन सम्बन्धी (प्रजा सम्बन्धी)
 3. सहभागी।

जाति एवं राजनीति

- यूरोपीय अनुभव के विपरीत भारत में राजनैतिक लोकतंत्र, विचारों, मूल्यों तथा तकनीकि विकास का स्वाभाविक परिणाम नहीं है। बल्कि इसका चुनाव भारतीय नेताओं के द्वारा किया गया जिससे कि वे जनता की सर्वोत्कृष्ठ तरीके से सेवा कर सकें, लोकतंत्र में चुनाव (अपनाने) के बाद सबसे बड़ी चुनौती जनता से लोकतंत्र से सम्बन्धित मूल्यों अभिवृत्तियों का विकास कैसे किया जाय, की थी। लोकतंत्र सार्वभौमिक है तथा यह जाति की मांग को अस्वीकृत करता है, लेकिन व्यवहार में देखा जाय तो इसने जाति से ही नहीं बल्कि अनेक प्रकार के हितों से भी समझौता किया है, वर्तमान में जाति ने लोकतांत्रिक राजनैतिक प्रक्रिया से सामंजस्य बैठा लिया है।
- अधिकांशतय: राजनैतिक संघर्षों को जाति समूहों या जाति गठवंधनों के मध्य संघर्ष के रूप में देखा जा सकता है। ऐस इसलिए हुआ है क्योंकि राजनीति को एक शक्ति उद्देश्य के लिए शक्ति पाना अति आवश्यक है।
- राजनीति ने जनता की आवश्यकताओं को सामने लाने तथा उनका समर्थन पाने के लिए जाति को राजनीति के जाल में खींच लिया है। चूंकि जाति संगठनों मे जनता पायी जाती है इसलिए जन समर्थन अब जाति समर्थन के रूप में सामने आया है।
- विभिन्न दल व आंदोलन अपने राजनैतिक हितों के लिए विभिन्न प्रस्थिति समूहों को सक्रिया कर रहे हैं, अत: अक्सर सुना जाता है कि फला राजनीतिक दल के पास फला जाति का वोट बैंक है।
- उदारीकृत शिक्षा व्यवस्था, सरकारी संरक्षण तथा मताधिकार वे प्रमुख कारक है जिन्होंने जाति के राजनीति में प्रवेश के मार्ग को मजबूत किया है, व्यापक असंतोष, शोषण आदि ने लोगों को जातिगत आधार पर संगठित कर दिया है, ये खण्डों में बटें दिखायी पड़ते हैं, इस खण्डों का उपयोग राजनीतिक दलों ने राजनीतिक समर्थन जुटाने के लिए किया है। इस तरह ये देखा जा सकता है कि वर्तमान राजनीति को जातियों में प्रचलित अनुलंब जाल का लाभ मिला है।
- **रूडोल्फ व रूडोल्फ** ने बतलाया कि जाति के परिवर्तित स्वरूप ने भारतीय जनता के प्रतिनिधिक लोकतंत्र को सफल बनाने में सहायता दी है। जाति के परिवर्तित स्वरूप ने भारतीयों में समानता को बढ़ावा दिया है। अपने-अपने हितों

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EC Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

के लिए विभिन्न जाति संघ व जाति संगठन बन रहें है। सर्वाधिक सक्रिय जाति महासंघों में एक गुजरात की क्षत्रिय महासभा है जो 1946 से चली आ रही है। इसमे उस क्षेत्र की अनेक जातियों राजपूत, बारिया, भील आदि सम्मिलित हैं । यह एक राजनैतिक समुदाय भी है, इसने राजनैतिक अवसरों का लाभ उठाया है तथा राजपूत नेताओं को बढ़ावा दिया है। इसमें उन सभी का स्वगत किया जाता है जो अपनी जीवनशैली क्षत्रिय प्रतिरूप के अनुसार ढालते हैं। यहां तक कि इमसें निर्धन भूमिहीन मुस्लिम राजपूत ने राजपूत जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया है भी शामिल है इसमें सदस्यों का मानना है कि क्षत्रिय एक वर्ग है न कि जाति।

- **रजनी कोठारी ने कहा कि**"भारत में जाति एक दबाव समूह है, यह जनतंत्र को मजवूत व बहुलतावादी बनाती है।
- **मारिस जोन्स** ने मद्रास की राजनीति में ब्राह्मणों व अब्राह्मणों के मध्य संघर्ष को प्रमुख कारक के रूप में प्रस्तुत किया है।
- **श्रीनिवास के अनुसार** मैसूर, आन्ध्रप्रदेश और महाराष्ट्र में प्रबल जातियाँ (Dominant caste) नौकरियों में अधिक स्थान प्राप्त कर लेती है। राजनैतिक व्यवस्था में उन्हें पद मिल जाता है तथा लाइसेंस और परमिट की सुविधा आसानी से मिल जाती है। इसका अर्थ यह है कि राजनैतिक नेता अपनी सत्ता के बल पर प्रबल जाति के प्रभावी व्यक्तियों को सरकारी लाभ देकर चुनाव के समय सहयोग प्राप्त करते है।
- **रजनी कोठारी का मत है कि** भारत में जातियों का राजनीतिकरण वास्तव में आधुनिकीकरण का स्वाभाविक परिणाम है। इनका मत है कि राजनीतिक का जाति पर आधारित होना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जहां जाति संरचना मुख्य संगठनात्मक समूहों में से एक है, वहां राजनीति के लिये ऐसी संरचना के माध्यम से संगठित होने का प्रयास अवश्य करना चाहिये।
- **आन्दबेते** ने तमिलनाडु की राजनीति का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला है कि इस प्रदेश की राजनीति ब्राहमण तथा आदि द्रविण, जातियों के बीच चलता है। इनका कहना है कि जाति और राजनीति दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं।
- **रूडोल्फ व रूडोल्फ ने बतलाया कि** "भारतीय राजनीति में हरित क्रांति के बाद एक नया वर्ग पैदा हो गया है, यह वर्ग धनी किसानों का है, ये राजनीति को बड़ी गहनता से प्रभावित करते हैं। उ०प्र० के कुछ इलाकों में **अजगर** (अहीर, जाट, गूजर, राजपूत) राजनीतिक को प्रभावित करने वाला संगठन बन गया है। इसके लिए इन्होंने "Bulock capitalism" शब्द का प्रयोग किया है।
- जाति व राजनीति के मध्य सम्बन्ध को स्पष्ट करने के लिए **रूडोल्फ न रूडोल्फ** ने तीन प्रकार के राजनैतिक सक्रियकरण (Ralitical mobilisation) की चर्चा की है। सक्रियकरण का तार्त्य लाभबंदी से है।
 1. अनुलम्ब सक्रियकरण (Vertical mobilisation)
 2. क्षैतिज सक्रियकरण (Horizontal mobilisation)
 3. विभेदात्मक सक्रियकरण (Defferrential mobilisation)

अनुलम्ब सक्रियकरण (Vertical mobilisation)

यह वह प्रक्रिया हे जिसमें राजनैतिक समर्थन भूतपूर्व राजाओं, सामंतवादी भूपतियों तथा स्थानीय प्रभुत्व शील जाति अभिजन जैसे पारंपरिक प्रमुखों द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसे फलां राजा हमारा शासक या अब उसकी वेटी फलां राजकुमारी हमारी सांसद है।

यह उन्ही समाजों में होता है जहां समाज जाति के आधार पर संगठित है, एकीकृत तथा परस्पर निर्भर है, जहां आज भी पारस्परिक सत्ता की वैधता विधमान है।

रूडोल्फ न रूडोल्फ ने बताया कि इस प्रकार की लामबंदी सक्रियकरण तभी तक होगा जब तक कि आश्रित, सेवक वर्ग अपने हितों के प्रति राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं है।

Notepad

Nitish JRF Singh Sir PG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

2. **क्षैतिज सक्रियकरण** (Hqrizuntal Moblisation)

$A_1 A_1 A_2$
$B_2 B_2 B_3$
$C_1 C_1 C_2$
$D_1 D_1 D_2$

राजनैतिक हितों के लिए $A_1A_1A_2$का एकीकरण, $B_1B_1B_3$ का अलग एकीकरण। इसे जाति या वर्ग आधारित सक्रियकरण कहा जा सकता है। जैसे फलां यादवों का नेता है, पार्टी हैं । कम्युनिस्ट पार्टी, फलां अभिजात्य वर्ग की पार्टी है। इससे जाति समुदायो व वर्गो के वीच में एक नयी दूरी जन्म लेती है।

यह सक्रियकरण तब तक ही संभव है जब तक कि अंतरिक विभेदीकरण विकसित न हुये हो, जाति समुदाय अधिकांशत: वृहद समरूप तथा एकता बद्ध हों, उनके हित भिन्न-भिन्न तथा बिखरे हुये हों।

3. **विभेदात्मक सक्रियकरण** (Diffferentional moblisation)

जाति में आए परिवर्तन जब जाति की दी गयी पारंस्परिक परिभाषों को तोड़ देते हैं, विभिन्न जातियों के प्रतिमानों प्रतीको, का सामूहिक हित के लिए एकीकरण हो जाता है तब विभेदात्मक सक्रियकरण की प्रक्रिया घटित होती है। अनेक जाति समूह, जाति संघो व सभाओं में वदल जाते हैं, यह प्रक्रिया जाति को गांव के बाहर निकालकर लाती है अर्थात् अब जाति गांव की सामाजिक संरचना पर आधारित नहीं होती। जैसे: भू-स्वामी संघ

जाति सभाएं :-

रूडोल्फ व रूडोल्फ ने जाति-सभाओं को परिभाषित करते हुए लिखा है कि -

'ये वो उपसमुदाय (Pare communities) है, जो जाति के सदस्यों को सामाजिक गतिशीलता, राजनैतिक शक्ति तथा आर्थिक लाभ प्राप्त करने में देशों में पाये जाने वाले स्वयं सेवी संस्थाओं व हित समूहों से मिलती है। इसके बाद भी इनमें पर्याप्त भिन्नता पायी जाती है।

विशेषताए:

1. कार्यालय
2. पद सदस्यता
3. प्रशासन तंत्र निम्न कोटि का
4. विधायी प्रक्रिया
5. संगठन
6. समान संस्कृति,समान प्रस्थिति तथा समान चरित्र।

यह भारतीय समाज मे दो अर्थो कार्य करती हैं-

- पवित्र व पदक्रमित जाति व्यवस्था में एकीकरण तथा स्थानापन्न का
- संस्कृतिकरण कराने का

उदाहरण : नाडार महाजन संगम जाति सभा 1910 तमिलनाडु

दवाव समूह (PRESSURE GROVP)

सामान्य अर्थो में व्यक्तियों का ऐसा समूह जो अपने हितों की पूर्ति हेतु दबाव डालने में समक्ष होता है या दबाव डालने का प्रयास करता है दबाव समूह कहते हैं।

दबाव समूह शब्द का **प्रथम प्रयोग पीटर ओडगार्ड ने** अपनी पुस्तक **'दबाव की राजनीति'** में 1928 में किया था। अपने अमेरिकी शराब बंदी आन्दोलन के अध्ययन में इस पद का प्रयोग किया था।

आमण्ड तथा पावेल के अनुसार, ''हमारे लिए हित समूह का अर्थ व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो अपने हितों के लिए विशिष्ट बंधनों से जुड़े रहते हैं तथा इन बंधनों के प्रति जागरूक रहते है।

ओडगार्ड, ''एक हित समूह व्यक्तियों का वह औपचारिक संगठन है जो एक या

Notepad

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

अनेक सामान्य हितों या उद्देश्यों में सहभागी होता है तथा जिसके सदस्य सरकार की नीतियों, कुछ विशिष्ट घटनाक्रमों, सरकार के निर्माण तथा प्रशासन को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं।

फादिया के अनुसार, ''दबाव समूह, हित समूह है जिन्हें प्रभाव समूह भी कहा जा सकता है, वे राजनीतिक दलों की भांति पूर्णत: राजनीतिक संगठन नहीं है, इन चुनावों में प्रत्याशी भी खड़ा नहीं करते।''

Notepad

दबाव समूह की विशेषताएँ

1. दबाव समूह में **औपचारिक संरचना होती है**।(मुखोपाध्याय) आमण्ड तथा पावेल इन्हें विशिष्ठ बधंनों से जुड़ा मानते है।
2. ये चुनावों में प्रत्याशी नहीं खड़ा करते यानि चुनाव नहीं लड़ते पर अप्रत्यक्ष रूप सत्ता को प्रभावित करते है।
3. ये जटिल समाजों में पाये जाते है।
4. दबाव समूहों के लक्षण राजनीतिक दलों से मिलते हैं।
5. ये विशिष्ट हितों को बढ़ावा देते हैं यानि विशिष्ट हित समूह होते है।
6. इनका आकार छोटा बड़ा स्थायी अथवा अस्थायी अमीर अथवा गरीब शक्तिशाली अथवा कमजोर हो सकती है। वास्तविक संख्या असम्भव है।
7. दबाव समूहों के सदस्यों में एक सामान्य हित यानि प्रभावी संचार का होना आवश्यक है।
8. सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में दबाव समूह की भूमिका अवरोधक और सचांलक दोनों प्रकार की होती **परेटो के अनुसार ''अशासकीय अभिजन''** (Non Governement Elite) की विशेषताएं दबाव समूह की विशेषताओं से मिलती है।

दबाव समूहों के प्रकार

पीटर ओडगार्ड (Peter Odegard) ने निम्न आधारों पर दबाव समूह का वर्गीकरण किया है।

1. **आकार के आधार पर**

(i) विस्तृत दबाव समूह-चैम्बर ऑफ कामर्स

(ii) लघु दबाव समूह-छोटे व्यापारी

2. **प्रकृति के आधार पर**

(i) स्थायी दबाव समूह-परम्परागत समाजों में

(ii) अस्थायी दबाव समूह

3. **पूंजी के आधार पर**

(i) धनिक दबाव समूह-पूंजीवादी समाज

(ii) दरिद्र दबाव समूह-इनकी शक्ति धन नहीं अपितु चातुर्य या संख्या बल पर निर्भर होती है।

4. **शक्ति के आधार पर**

(i) शक्तिशाली दबाव समूह

(ii) अशक्त दबाव समूह

उपरोक्त वर्गीकरण के अतिरिक्त आमण्ड तथा पावेल ने दबाव समूहों को निम्न आधारों पर वर्गीकरण किया है

1. **विचलनाकारी हित समूह** पावेल ने लिखा है कि विचलनकारी दबाव समूह, हिंसा, दंगों प्रदर्शन आदि के माध्यम से दबाव उत्पत्र करते हैं। भारत में पंजाब, बंगाल का गोरखालैण्ड आन्दोलन। इसी प्रकार के आन्दोलन है।
2. **असंगठित हित समूह** - असंगठित समूह से तात्पर्य नातेदारी एवं वंश

NET, JRF Manish Singh Sir EG Classes

https://T.me/UPSC_PDF www.UPSCPDF.com https://T.me/UPSC_PDF

समूहों से है। इसके साथ क्षेत्रीय, प्रजातीय प्रस्थिति एवं वर्ग समूह भी आते है। ग्रामों में उच्च जातियों एवं निम्न जातियों के मध्य संघर्ष से हित समूहों का निर्माण होता है अर्थात् ये जाति, क्षेत्र, नातेदारी या रंगभेद के आधार पर निर्मित अस्थायी दबाव समूह होते है।

3. **सस्थागत हित समूह**- ये संस्थागत होते हैं जैसे राजनीतिक दल विध ायिका सेना, अधिकारी तंत्र एवं धार्मिक संस्थायें। सेल्जनिक के अनुसार नौकरशाही में संस्थागत हित समूह की विशेषतांए विद्यमान होती है।
4. **समितिगत हित समूह**- इनके निर्माण में समितिगत हित होते है। व्यावसायिक संगठनों, प्रजातीय समितियों, धार्मिक समितियों के संगठन इसी श्रेणी में आते हैं।

Notepad

हित समूह : (Interest groul)

ये ऐसे संघ या समूह होते हैं जिनके उद्देश्य राजनीतिक दलों के उद्देश्यों से भिन्न होते हैं। कभी-कभी इन समूहों के सदस्य राजनीतिक दलों में जाते हैं किन्तु ऐसा व्यक्तिगत लाभ या आकांक्षा की दृष्टि से अधिक होता है न कि दल की विचारध ारा या दल के कार्यक्रम के रूढ़िवादी हो जाने के कारण। हितबद्ध समूहों का आध ार आर्थिक, जातिगत, भाषागत, धार्मिक, क्षेत्रीयता या और भी कुछ हो सकता है, कभी-कभी ये समूह राजनीतिक दलों में बदल जाते हैं या सत्ताधारी सरकार के कुछ सदस्यों को अपने पक्ष में करके सरकार पर अपनी मांगों को पूरा करने के लिए दबाव डाल सकते हैं। ऐसी स्थिति में, ऐसा समूह दबाव डालने वाला समूह कहलाता है। विधानपालिका में इस समूह के दोस्त या पक्षधर एक अस्थायी या स्थायी समूह बना कर इनकी मांगों को एक लॉबी के रूप में संगठित कर सकते हे। विधानपालिका में बने ऐसे समूह को दबाव डालने वाली लॉबी कहा जताा हे।

- **द फडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री** और द आल इंडिया चेम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री हितबद्ध समूह के उदाहरण, हैं। ऐसे समय में, जब सरकार संसद में कोई बिल प्रस्तुत करती है अथवा बजट पेश करती है तो ये हितबद्ध समूह अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं और संसद सदस्यों में अपनी लॉबी बना कर सरकार पर बिल को संशोधित करने का, वापिस लेने का अर्थात् मनचाहा दबाव डलवाते हैं। हितबद्ध समूह और दबाव समूह अपनी मांगे मनवाने के लिए कई प्रकार के तरीके अपना कर सरकार पर अपना दबाव डालते है। इन तरीकों में प्रत्यक्ष कारवाई जैसे बायकाट, आवश्यक सेवाओं को रोकना, विरोध में दुकानें सस्थान बंद रखना और हड़ताल सड़कों पर जुलूस निकालना आदि शामिल है। फिर भी, सफलता की संभावना के अनुसार ही तरीका को चुना जाता हैं। सरकार जो भी नीतियाँ बनाती है उसमें हितबद्ध समूह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- सामान्यत: दवाव समूह भारतीय परिप्रेक्ष्य में और हित समूहों को एक ही अर्थ में प्रयोग किया जताा है। लेकिन इसमें अन्तर भी है-हित समूह जहाँ अपने सदस्यों के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृति हितों की रक्षा करते हैं, वहीं दबाव समूह दूसरे समूहों और अभिकरणें के नियमों को अपने आर्थिक व राजनीतिक आर्थिक व सामाजिक दबाव के कारण प्रभावित करने का प्रयास करते हैं।

NET JRF Manish Singh Sir EC Classes

B-7/8, Bhandari House, Behind UCO Bank, Mukherjee Nagar,
M. No.- 8586816870, 9711970358, 9899821166